चतुर्दश माला, खंड 33, अंक 11

बुधवार, 12 मार्च, 2008
22 फाल्गुन, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 75
Dated 23 Jan 2009

(खण्ड 33 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 33, तेरहवां सत्र, 2008/1929 (शक)
अंक 11, बुधवार, 12 मार्च, 2008/22 फाल्गुन, 1929 (शक)

विषय — **कॉलम**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 200 3-429

अतारांकित प्रश्न संख्या 1734 से 1908 429-855

सभा पटल पर रखे गए पत्र 855-865

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन 865-866

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन 866

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2007-08 866

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन 866

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश की परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री मधु गौड यास्खी 867

(दो) उत्तराखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न कोटा बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत "बचदा" 867-868

(तीन) बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या के समाधान हेतु बेतवा नदी पर बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 868

(चार) डा. सर हरिसिंह गौड़ को भारत रत्न सम्मान तथा सागर विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार 868-869

(पांच) गुजरात के कच्छ और बनासकांठा जिलों को जोड़ने वाली सीमा सड़क परियोजनाओं के लिए गुजरात सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी.एस. गढ़वी 869-870

(छह) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्राक्कलित राशि को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत 870-871

(सात) छात्रों को ब्याज रहित शिक्षा ऋण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.वी. बेल्लारमिन 871-872

(आठ) पश्चिमी समुद्री तट से बेशकीमती बालू के उत्खनन में निजी क्षेत्र के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन 872

(नौ) देश के किसानों को ऋण की स्वीकृति हेतु प्रतिमानों में ढील दिए जाने की आवश्यकता

श्री पारसनाथ यादव 872-873

(दस) उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्थल झांसी के किले की मरम्मत तथा अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव 873-874

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के हरदोई और लखीमपुर खीरी जिलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को नकद राशि का संवितरण करने के लिए राशन कार्डों के कंप्यूटरीकरण हेतु एक प्रायोगिक योजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आजमी 874

(बारह) झारखंड के हजारीबाग को भारतीय रेल के मानचित्र में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 874-875

(तेरह) बिहार के इस्लामपुर और पटना के बीच दैनिक पैसेंजर ट्रेन में अतिरिक्त डिब्बों का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम स्वरूप प्रसाद 875

विषय **कॉलम**

(चौदह) उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान किए जाने की आवश्यकता

श्री मुन्शी राम 875-885

सामान्य बजट (2008-09) - सामान्य चर्चा 885

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा 885-909

श्री बालासाहेब विखे पाटील 909-926

श्री रूपचन्द पाल 926-937

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली 937-938

प्रो. रामगोपाल यादव 938-947

डा. एम. जगन्नाथ 948-952

श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल 952-954

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 954-964

श्री डी. विट्ठल राव 964-966

श्री इलियास आजमी 966-974

श्री तथागत सत्पथी 974-982

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 982-995

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा 995-998

मंत्री द्वारा वक्तव्य

हैदराबाद और बंगलौर विमानपत्तन

श्री प्रफुल पटेल 999-1004

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1005-1006

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1006-1012

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1013

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1013-1016

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 12 मार्च, 2008/22 फाल्गुन, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मैंने आपसे क्वैश्चन-आवर सस्पेंड करने का अनुरोध किया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके प्रश्न पर प्रश्न-काल के बाद विचार करूंगा, अभी नहीं। इस समय यह विषय नहीं उठाया जाना है। प्रश्न-काल चलने दीजिए। प्रश्न काल के बाद मैं आपके विषय पर विचार करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, मैंने यही कहा है कि प्रश्न-काल के बाद मैं आपके मुद्दे पर विचार करूंगा। इस महत्वपूर्ण समय को शांतिपूर्वक खत्म होने दीजिए। बहुत से प्रश्न पूछे जाने हैं और मैं सभी पक्षों से सहयोग चाहता हूं। हम सभी प्रश्न-काल के महत्व की चर्चा कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आरंभ से ही एक शब्द भी कार्यवाही में सम्मिलित मत कीजिए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा के सभी पक्षों से पूरी नम्रता के साथ सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया प्रश्न-काल को सम्पन्न होने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी पक्षों से अपील कर रहा हूं कि कृपया प्रश्न-काल को समाप्त होने दें। यह सब क्या हो रहा है? श्री अनंत कुमार, यह कोई तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप लोग 55 या 56 मिनट तक इंतजार नहीं कर सकते?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, आप क्या कर रहे हैं? आप बीच में खड़े नहीं हो सकते। कृपया वापस जाइए। क्या हो रहा है? यह सब क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग सभा को चलने देना नहीं चाहते। मुझे साफ-साफ कहिये कि आप सभा को चलने देना नहीं चाहते। ठीक है, देश को इसका निर्णय करने दीजिए। मैं क्या कर सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं देख रहा हूं कि कुछ माननीय सदस्य सभा को चलने देना नहीं चाहते। वे लोग सभा की कार्यवाही को रोक रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या इस विषय को अभी उठाना आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है? इस बात को छोड़कर कि आप समस्या पैदा कर रहे हैं, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। क्या इसे लोगों को दिखाया जाना चाहिए? यह शर्मनाक व्यवहार है, यह शर्मनाक आचरण है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब मैं देख रहा हूं कि आप लोग शोर मचाने में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह बहुत ही निंदनीय है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं हो रहा है। कोई भी काम नहीं हो रहा है। आप लोग प्रश्न-काल की कार्यवाही नहीं होने दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: शोर मचाते रहिये। मैं देखता हूं आप लोग कितनी देर तक शोर मचाते हैं।

...(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय: एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय: लोगों को देखने दीजिये कि यह भारत की संसद न होकर एक लोक मंच बन कर रह गया है। यह बहुत दुःख की बात है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल अपनी गहरी व्यथा ही व्यक्त कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि हम लोगों ने इस संस्था को इस प्रकार इतना नीचा गिरा दिया है कि इससे इस देश के स्वतंत्रता प्रिय लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता पैदा हो रही है। मैं महसूस करता हूं कि सभी समझदार लोग अब यह महसूस कर रहे हैं कि उनके प्रतिनिधि इस संस्था की गरिमा को गिरा रहे हैं, वे देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा

***181. श्री सुग्रीव सिंह:**

श्री नन्द कुमार साय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और विश्व बैंक के एक दल ने देश में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश को लाने के लिए दसवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) जी हां, कार्यक्रम की समीक्षा एक सतत् कार्यकलाप है जो नियमित रूप से की जा रही है। विश्व बैंक अन्य दाता भागीदारों के साथ कार्यक्रम की द्वैवार्षिक समीक्षा करता है। पिछला विश्व बैंक समीक्षा मिशन दिसम्बर, 2007 में आया। इसके अलावा, कार्यक्रम की ज्वाइंट मॉनीटरिंग मिशन जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंटरनेशनल यूनियन एगेन्स्ट टी.बी. एंड लंग डिजीजेज (आई.यू.ए.टी.एल.डी.), विश्व बैंक, डी.एफ.आई.डी. नीदरलैंड्स टी.बी. एसोसिएशन एंड सी.डी.सी., अटलांटा इत्यादि के अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं, द्वारा प्रत्येक तीन वर्षों में बाह्यतः समीक्षा की जाती है। ऐसी समीक्षाएं वर्ष 2000, 2003 तथा 2006 में की गईं।

दिसम्बर, 2007 में नवीनतम विश्व बैंक समीक्षा में अभ्युक्ति की गई कि क्रमशः 70% तथा 84% की रोगी पहचान एवं उपचार सफलता दर के साथ संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में स्मीयर पोजिटिव रोगियों में 70% की रोगी पहचान एवं 85% के उपचार परिणाम का वैश्विक लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया है। यह अत्यधिक संतोषप्रद परिणाम संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के स्टाफ की व्यावसायिकता एवं समर्पण का प्रमाण है। समग्र प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता है और लक्ष्य से अभी भी नीचे निम्न निष्पादन जिलों/राज्यों पर और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम ने क्षयरोग/एच.आई.वी. सहयोग जैसे चुनौती वाले क्षेत्रों में भी प्रशंसनीय कार्य किया है, जहां अब एक उत्कृष्ट रेफरल प्रणाली स्थापित की गई है। केन्द्रीय क्षयरोग प्रभाग में संस्थागत सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया अच्छी तरह से चल रही है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ सहयोग से वांछित परिणाम आ रहे हैं।

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 10वीं योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा नियत लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। मार्च, 2006 तक संपूर्ण देश को डाट्स कार्यनीति के अन्तर्गत कवर कर लिया गया। अक्तूबर, 2006 में इन्टरनेशनल ज्वाइंट मॉनीटरिंग मिशन (जे.एम.एम.) ने इसका विश्व में डाट्स के तीव्रतम प्रसार के रूप में स्वागत किया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में रोगी पहचान तथा रोगमुक्ति दरों के लक्ष्य एवं उपलब्धियां संलग्न विवरण में

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दी गई हैं। कार्यक्रम के निष्पादन और इसके प्रभाव की नियमित तौर पर मॉनीटरिंग की जा रही है। अब तक संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में 82 लाख से अधिक रोगियों का उपचार शुरू किया गया है। इस प्रकार 14 लाख अतिरिक्त जानें बची हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट 2007 के अनुसार क्षयरोग के कारण होने वाली मृत्यु दर 1990 में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 42 से घटकर 2005 में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 29 हो गई है और क्षयरोग (पुराने और नए रोगी) की व्याप्तता 1990 में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 570 रोगी से घटकर 2005 में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 299 रोगी हो गई है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में 260 से अधिक मेडिकल कालेजों, 2500 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों, 150 निगमित स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों तथा 18000 से अधिक निजी चिकित्सकों की भागीदारी से कार्यक्रम की सेवाओं की पहुंच में वृद्धि हुई है। यह कार्यक्रम क्षयरोग से संबंधित मिलेनियम विकास लक्ष्यों को हासिल करने की ओर भली-भांति अग्रसर है।

विवरण

10वीं योजना के अन्तर्गत 2002 से 2006 तक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

संकेतक	2002		2003		2004		2005		2006	
	नियोजित	हासिल	नियोजित	हासिल	नियोजित	हासिल	नियोजित	हासिल	नियोजित	हासिल
आर.एन.टी.सी.पी. के तहत कवरेज (जनख्या मिलियन में)	550	547	650	775	800	947	900	1080	1000	1114
जांचे जाने वाले रोगियों की संख्या (मिलियन)	2.08	2.64	2.50	3.96	3.04	3.95	3.42	5.69	3.80	6.22
आर.एन.टी.सी.पी. के अन्तर्गत उपचार पर रखे जाने वाले रोगियों की कुल संख्या (मिलियन)	0.52	0.62	0.61	0.91	0.75	0.09	0.85	1.29	0.94	1.39
उपचार पर रखे जाने वाले नए स्मीयर पोजिटिव रोगी (मिलियन)	0.21	0.25	0.24	0.34	0.29	0.47	0.33	0.51	0.37	0.54
आर.एन.टी.सी.पी. में नए स्मीयर पोजिटिव रोगियों में सफलता दर	83	84	84	86	>85	85	>85	87	>85	86

यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज

***182. डा. आर. सेनथिल:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ग्रीनहाउस गैस (जी.एच.जी.) उत्सर्जन और साथ ही जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के समाधान हेतु उठाए गए अपने कदमों के बारे में आवधिक रूप से यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज (यू.एन.एफ.सी.सी.) को जानकारी देनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो यू.एन.एफ.सी.सी. के साथ किए गए नवीनतम पत्र व्यवहार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) भारत सरकार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संबंध में तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों से निपटने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी भी यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेंट चेंज सचिवालय को कन्वेंशन के प्रावधानों और यू.एन.एफ.सी.सी.सी. की कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज में लिए गए निर्णयों के अनुसार देती है। सूचना की अवधि, समय सूची तथा विषयवस्तु के बारे में निर्णय यू.एन.एफ. सी.सी.सी. की कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज द्वारा लिया जाता है।

(ख) सूचना देने के अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए भारत ने अपना पहला नेशनल कम्यूनिकेशन यू.एन.एफ. सी.सी.सी. को 22 जून, 2004 में प्रस्तुत किया था। इस कम्यूनिकेशन में जो सूचना दी गई थी वे इस प्रकार हैं: (i) भारत का नृ-विज्ञानी मूल के ग्रीन हाउस गैसों का 1994 का उत्सर्जन स्तर जोकि 1228 एम.टी. कार्बनडाइऑक्साइड के समकक्ष था; (ii) प्रमुख क्षेत्रों की संवेदनशीलता का मूल्यांकन जैसेकि कृषि, वानिकी, जल संसाधन, स्वास्थ्य, ढांचागत सुविधाएं, उद्योग, राष्ट्रीय पारिप्रणालियां तथा तटीय जोनों के संबंध में लेकर 2050 और 2080 की अवधि के लिए प्रत्याशित जलवायु परिवर्तन (iii) सतत विकास, अनुसंधान और व्यवस्थित निगरानी से संबंधित कार्यक्रम; और (iv) जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अड़चनें और खामियां तथा संगत वित्तीय, तकनीकी और क्षमता संबंधी आवश्यकताएं। यू.एन.एफ.सी.सी.सी. का दूसरा नेशनल कम्यूनिकेशन वर्ष 2011 में प्रस्तुत किया जाना है।

बाघों का संरक्षण

***183. श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बाघों की निगरानी और उनका संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को संचालन समितियां गठित करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संबंधित राज्यों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा ऐसी समितियों का गठन किया जाना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान बाघों के संरक्षण हेतु राज्यवार तथा वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) राज्यों में 'बाघ परियोजना' से संबंधित कार्यों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से समय-समय पर सलाह भेजी गई हैं इनमें अन्य बातों के साथ-साथ संवैधानिक उपबंधों का अनुपालन करना शामिल है। कार्यान्वयन हेतु राज्यों को भेजी गई सलाह तथा संचालन समिति कमेटी के गठन संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिए गए है। इस मामले को 12 और 13 फरवरी, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित वन सचिवों, प्रधान मुख्य वन संरक्षकों और मुख्य वन्यजीव वार्डनों के अखिल भारतीय सम्मेलन में राज्यों के प्राधिकारियों के समक्ष भी उठाया गया था। राज्यों से मिली सूचना के अनुसार अभी तक आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम ने राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2006 में यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 यू में बाघ बहुल राज्यों में बाघों, को-प्रीडेटर्स तथा शिकार जानवरों के संबंध में समन्वय, मानीटरिंग और संरक्षण हेतु प्रत्येक राज्य द्वारा एक संचालन समिति गठित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर उपलब्ध है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बाघ परियोजना की चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

राज्यों को अनुपालन हेतु भेजी गई सलाह में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन भी शामिल है।

1. फा.सं. 15-1/2006 एन.टी.सी.ए., दिनांक 05-1-07
   (-) पर्यावरण एवं वन मंत्री की अध्यक्षता में

28-11-06 को आयोजित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की पहली बैठक का कार्यवृत्त।

2. फा.सं. 15-1/2006-एन.टी.सी.ए. दिनांक 05-01-07 (-) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की पहली बैठक (28-11-2006) के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई पर मुख्य वन्यजीव वार्डनों को पत्र।

3. फा. उसं. 15-11/2006-एन.टी.सी.ए., दिनांक 28-2-2007 (-) पर्यावरण और वन राज्य मंत्री की ओर से सभी मुख्यमंत्रियों (उत्तराखंड को छोड़कर) को अ.शा. पत्र।

4. फ.सं. 15-1/2006, दिनांक 22-05-07 (-) पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री की ओर से उत्तराखंड केक मुख्य मंत्री को अ.शा. पत्र।

5. फ.सं. 15-1/2006 एन.टी.सी.ए., दिनांक 21-5-07 (-) दिनांक 5-01-07 को लिखे गए पत्र के संबंध में मुख्य वन्यजीव वार्डनों (बाघ वाले राज्य) को अनुस्मारक।

विवरण-II

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (2006 में यथा संशोधित) की धारा 38 यू.के. अनुसार संचालन समिति का गठन:-

(1) राज्य सरकार बाघ आबादी वाले राज्यों के भीतर समन्वय स्थापित करने, मानीटरिंग सुरक्षा और बाघों का संरक्षण, कोप्रीडेटर्स और शिकार जानवरों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक संचालन समिति का गठन करेगी।

(2) संचालन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(क) मुख्य मंत्री - अध्यक्ष;

(ख) वन्यजीव प्रभारी मंत्री - उपाध्यक्ष;

(ग) सरकारी सदस्यों की संख्या पांच से अधिक नहीं होगी अर्थात् इनमें कम से कम बाघ रिजर्व के दो फील्ड डायरेक्टर्स अथवा राष्ट्रीय पार्क के डायरेक्टर और एक सदस्य आदिवासी मामलों को देखने वाले राज्य सरकार के विभागों से होना चाहिएं;

(घ) वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले तीन विशेषज्ञ अथवा प्रोफैशनल्स, जिनमें से एक आदिवासी विकास के क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए।

(ङ) दो सदस्य राज्य की आदिवासी परामर्श परिषद से;

(च) एक-एक प्रतिनिधि पंचायती राज और सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण से संबंधित राज्य सरकार के विभाग से;

(छ) राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन सदस्य सचिव, पदेन सदस्य होगा;

इसे राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित किया जाएगा।

विवरण-III

राज्यवार जारी राशि

(लाख रुपए)

क्र. सं.	बाघ बहुल राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.00	68.7926	46.675	50.00

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.00	172.418	237.3725	110.2542
3.	असम	–	86.4896	87.431	95.614
4.	बिहार	85.00	6,4918	69.9554	71.21
5.	छत्तीसगढ़	27.75	24.3343	10.00	25.00
6.	कर्नाटक	486.292	453.2246	286.277	399.71491
7.	केरल	105.75	116.1708	109.00	153.2449
8.	झारखंड	72.5005	164.1784	155.967	45.16
9.	मध्य प्रदेश	609.93	777.2676	897.942	974.11828
10.	महाराष्ट्र	255.953	334.19	238.56	296.71907
11.	मिजोरम	94.34	65.156	115.16	82.90
12.	उड़ीसा	116.4395	107.0024	183.8717	43.28
13.	राजस्थान	79.00	281.2458	176.541	378.68
14.	तमिलनाडु	80.00	136.9528	108.535	45.40
15.	त्रिपुरा	–	0.50	–	192.005
16.	उत्तराखंड	200.12	159.9212	192.78	134.89
17.	उत्तर प्रदेश	175.215	162.8782	183.265	208.61
18.	पश्चिम बंगाल	325.49	228.29358	190.5283	3130.26
	योग	2763.78	3345.5076	3289.8609	3305.80036

[हिन्दी]

नेहरू युवा केन्द्र संगठन

***184. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:**

श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेहरू युवा केन्द्र संगठन में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार उक्त संगठन में रिक्त पदों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त संगठन में रिक्त पदों को भरने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा राज्य इकाइयों को अपने कार्यकरण में प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी

हैं। 2027 स्वीकृत पदों में से 403 रिक्त हैं।

(ख) रिक्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) नवम्बर, 2007 में ही वर्तमान स्वीकृत पदों में से 1219 पद अनुमोदित किए गए। 1987 में नेहरू युवा केन्द्र संगठन की स्थापना से ही बड़ी संख्या में तदर्थ पदों को नियमित किया गया और जब यह पाया गया कि औपचारिक स्वीकृति के बिना ही नेहरू युवा केन्द्र संगठन पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर रहा तो 1997 से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वास्तव में भर्ती प्रक्रिया अभी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन हैं। नवम्बर, 2007 में मंत्रालय और नेहरू युवा केन्द्र संगठन स्वीकृत पदों को नियमित करने तथा भरने में तत्वरता से लगे हुए हैं। 6 महीने के अंदर इस प्रक्रिया के पूरा होने की उम्मीद है। 2008-09 के बजट प्रस्ताव में देश के 123 जिलों में, जो फिलहाल नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, प्रत्येक में एक जिला युवा समन्वयक के अधीन नेहरू युवा केन्द्र संगठन खोलने का प्रावधान रखा गया है। इसी श्रेणी में सबसे अधिक रिक्तियां शेष है। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत रिक्तियां भरने से नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कार्यालय वर्तमान के मुकाबले अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेंगे।

इसके अलावा बुनियादी स्तर पर युवा क्लबों को सक्रिय करने से नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्य/जिला/ब्लाक स्तर पर सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे, खेल और स्थानीय स्तर पर समुदाय के लाभ के क्षेत्र में गतिविधियां चलाने के लिए युवा क्लबों को प्रोत्साहित करने हेतु अभियान आरंभ किया गया है। पंचायती राज संस्थानों से संबंधित युवा कार्य को सहयोगी बनाने के उद्देश्य से पंचायत युवा शक्ति अभियान तथा युवा क्लबों और महिला मंडल में कार्य कर रहे युवा के अन्य महत्वपूर्ण अभिनव परिवर्तन हैं। हाल ही में अनुमोदित पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान जिसमें नेहरू युवा केन्द्र संगठन की प्रमुख संस्थागत जिम्मेदारियां हैं, नेहरू युवा केन्द्र संगठन को और अधिक उर्जावान बनाएगा। आई.आई.एम. अहमदाबाद द्वारा संचालित समग्र प्रबंधन अध्ययन के आधार पर नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। यह रिपोर्ट शीघ्र ही मंत्रालय को प्राप्त होने की उम्मीद है।

विवरण

नेहरू युवा केन्द्र संगठन में स्टाफ की स्वीकृत संख्या

क्र.सं.	पदों का पदनाम	कुल संख्या	वर्तमान स्थिति	रिक्तियां
1.	महानिदेशक	1	1	0
2.	निदेशक	4	2	2
3.	संयुक्त निदेशक	1	1	0
4.	मंडल निदेशक	18	7	11
5.	उप निदेशक	56	45	11
6.	सहायक निदेशक	9	7	2
7.	उप युवा समन्वयक	500	335	165
8.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	1	1	0
9.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	0	1
10.	लेखा अधिकारी	4	0	4

क्र.सं.	पदों का पदनाम	कुल संख्या	वर्तमान स्थिति	रिक्तियां
11.	प्रशासनिक अधिकारी	18	11	7
12.	अनुभाग अधिकारी	5	1	4
13.	विधायी अधिकारी	1	1	0
14.	महानिदेशक के निजी सचिव	1	1	0
15.	सहायक लेखा अधिकारी	19	3	16
16.	जूनियर कम्प्यूटर प्रोग्रामर	18	6	12
17.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	1	0
18.	अध्यक्ष के निजी सचिव	1	0	1
19.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	19	5	14
20.	लेखाकार	4	0	4
21.	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सहायक	2	0	2
22.	स्टेनोग्राफर-I	7	0	7
23.	स्टेनोग्राफर-II	5	4	1
24.	स्टेनोग्राफर-III	27	11	16
25.	सहायक	43	7	36
26.	ई.डी.पी. सहायक/डाटा इंट्री अपरेटर	1	1	0
27.	लाइब्रेरियन	1	0	1
28.	लेखा परीक्षक	2	0	2
29.	कनिष्ठ लेखाकार	4	4	0
30.	कम्प्यूटर आपरेटर	4	1	3
31.	लेखा लिपिक	565	530	35
32.	प्रवर श्रेणी लिपिक	6	5	1
33.	अवर श्रेणी लिपिक	30	16	14
34.	ड्राइवर	70	39	31
35.	समूह-घ (चपरासी/चौकीदार/स्वीपर/फरास)	578	655	–

अवक्रमित/वन भूमि को हरित भूमि में परिवर्तित करना

***185. श्री हरिकेवल प्रसाद:**

श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अवक्रमित वन भूमि को हरित भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक राज्यवार कितने प्रतिशत अवक्रमित वनभूमि को हरित भूमि में परिवर्तित किया गया है;

(घ) उक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सरकार के सामने आ रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या रणनीति अपनायी गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) सरकार लोगों की भागीदारी के माध्यम से अवक्रमित वनों को पुनर्जीवित करने के लिए मुख्यतः राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सहायता मुहैया कराकर कई स्कीमें और कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसरण में, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अवक्रमित वनों को पुनर्जीवित करने के लिए मुख्य रणनीति के रूप में, संयुक्त वन प्रबंधन (जे.एफ.एम.) को अपनाया है। 31-03-2006 तक 22.02 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 106482 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां (जे.एफ.एम.सी.) बनाई गई थीं। मंत्रालय, अवक्रमित वनों और समीवर्ती क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए ग्राम स्तर पर जे.एफ.एम.सी. के माध्यम से और वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफ.डी.ए.) के माध्यम से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) को क्रियान्वित करके जे.एफ.एम. कार्यक्रम को भी सहायता प्रदान कर रहा है। 15-2-2008 तक मंत्रालय ने 26772 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से 1.34 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के उपचार हेतु, 2063.8 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 753 एफ.डी.ए. परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। इस धनराशि में से अभी तक 1461.10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(ग) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ.एस.आई.), देहरादून राष्ट्रीय स्तर पर द्विवर्षीय चक्र के आधार पर वन आवरण का आकलन करता है। यह तीन व्यापक श्रेणियों में किया गया है, अर्थात् (i) अत्यधिक सघनता (कैनोपी सघनता 70% और इससे ऊपर (ii) मध्यम रूप से सघनता (कैनोपी सघनता 40% और 70% के बीच), और (iii) खुले वन (कैनोपी सघनता 10% और 40% के बीच)। 2008 में प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार वन स्थिति रिपोर्ट 2003 में किए गए आकलन से अत्यधिक सघन वनों की श्रेणी में 51 वर्ग कि.मी. की और खुले वनों की श्रेणी में 630 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई है जबकि मध्यम रूप से सघन वनों की श्रेणी में 1409 वर्ग कि.मी. की कमी हुई है। राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) देश में वनों पर जैवीय दबाव, प्रति व्यक्ति कम वन क्षेत्र के कारण अधिक है, जो त्वरित पुनर्जन्म और वनों की अधिक वृद्धि को बाधित करता है। अतः सरकार वनों पर ऐसे दबाव को समाप्त करने के लिए लोगों की भागीदारी को सूचीबद्ध करके संयुक्त वन प्रबंधन को बढ़ावा दे रही है। यह देखा गया है कि उत्पादकता संवर्द्धन और आजीविका और लाभप्रद रोजगार जुटाने के लिए वनों के साथ जुड़कर के संयुक्त वन प्रबंधन को एकीकृत करने की आवश्यकता है। अतः ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समुदायों को बेहतर लाभ प्रदान करने के लिए गैर-इमारती वन उत्पादों के मूल्य-संवर्द्धन और विपणन को समर्थन देने पर विचार किया गया है।

विवरण

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के वन आवरण में परिवर्तन

(वर्ग कि.मी. में क्षेत्र)

राज्यों/संघ शासित प्रदेश	वन आवरण 2005 आंकलन				2003 के आंकलन के बाद परिवर्तन			
	अत्यधिक सघन	मध्यम रूप से सघन	खुले	कुल	अत्यधिक सघन	मध्यम रूप से सघन	खुले	कुल
आंध्र प्रदेश	130	24,199	20,043	44,372	0	-22	-18	-40
अरुणाचल प्रदेश	14,411	37,977	15,389	67,777	-34	-107	226	85
असम	1,444	11,387	14,814	27,645	-5	-44	-41	-90
बिहार	110	3,004	2,465	5,579	30	-30	6	6
छत्तीसगढ	2,256	36,472	17,135	55,863	0	-248	119	-129
दिल्ली	0	54	122	176	0	0	2	2
गोवा	55	1,095	1,014	2,164	0	0	0	0
गुजरात	114	6,024	8,577	14,715	0	-49	-50	-99
हरियाणा	3	523	1,061	1,587	0	-1	12	11
हिमाचल प्रदेश	1,097	7,831	5,441	14,369	0	0	10	10
जम्मू-कश्मीर	2,135	8,394	10,744	21,273	0	0	0	0
झारखंड	2,544	9,078	10,969	22,591	0	2	20	22
कर्नाटक	464	21,634	13,153	35,251	0	-4	9	5
केरल	1,024	8,636	5,935	15,595	0	-1	1	0
मध्य प्रदेश	4,239	36,843	34,931	76,013	-12	-56	-64	-132

महाराष्ट्र	8,191	20,193	19,092	47,476	-10	-28	0	-38
मणिपुर	923	5,541	10,622	17,086	-7	-54	-112	-173
मेघालय	338	6,808	9,842	16,988	73	22	-32	63
मिजोरम	133	6,173	12,378	18,684	0	-349	450	101
नागालैंड	236	5,602	7,881	13,719	0	-258	-38	-296
उड़ीसा	538	27,656	20,180	48,374	51	-56	26	21
पंजाब	0	723	835	1,558	0	14	-1	13
राजस्थान	14	4,456	11,380	15,850	0	2	27	29
सिक्किम	498	1,912	852	3,262	0	0	0	0
तमिलनाडु	2,650	9,790	10,604	23,044	0	2	39	41
त्रिपुरा	61	4,969	3,125	8,155	3	-3	32	32
उत्तर प्रदेश	1,297	4,682	8,148	14,127	0	0	0	0
झारखण्ड	4,002	14,396	6,044	24,442	0	-13	-5	-18
पश्चिम बंगाल	2,302	3,777	6,334	12,413	0	3	21	24
अंडमान और निकोबार	3,359	2,646	624	6,629	-38	-131	-9	-178
चंडीगढ़	1	8	6	15	0	0	0	0
दादर एवं नागर हवेली	0	130	91	221	0	0	0	0
दमन और द्वीव	0	2	6	8	0	0	0	0
लक्षद्वीव	0	15	10	25	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	17	25	42	0	0	0	0
कुल	54,569	332,647	289,872	677,088	51	-1,409	630	-728

स्रोत: वन स्थिति रिपोर्ट 2005 (भारतीय वन सर्वेक्षण)

[अनुवाद]

विदेशों के साथ सिविल परमाणु सहयोग

***186. श्री अनन्त नायक:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस ने सिविल परमाणु क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने की इच्छा जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन अन्य देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने की इच्छा जाहिर की है;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन देशों के साथ परमाणु सहयोग की योजना तैयार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उपाय किए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) भारत तथा फ्रांस ने, असैन्य नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु एक करार के पाठ को अंतिम रूप दे दिया है।

(ग) रूस, संयुक्त राज्य अमरीका तथा इंग्लैंड ने, इस क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने में रुचि जाहिर की है।

(घ) सराकर, सभी इच्छुक मित्र देशों के साथ, असैन्य नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहेगी।

(ङ) असैन्य नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग करने संबंधी करार के पाठों को संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस तथा रूस के साथ अंतिम रूप दे दिया गया है। इस वर्ष जनवरी में, इंग्लैंड के प्रधान मंत्री के भारत के दौरे के अवसर पर जारी संयुक्त वक्तव्य में, इस क्षेत्र में सहयोग करने के बारे में पारस्परिक रुचि दिखाई देती है।

[हिन्दी]

मेडिकल कालेजों में एम.बी.बी.एस. और स्नातकोत्तर की सीटें

***187. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:**
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कालेजों में एम.बी.बी.एस. और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीटों तथा इनमें आरक्षित सीटों, यदि कोई हों, की संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार व वर्षवार कितने मेडिकल कालेजों को मान्यता दी गयी;

(घ) क्या सरकार का विचार इन कालेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) वर्तमान में देश में 271 मेडिकल कालेज हैं जिनमें से 138 सरकारी क्षेत्र में हैं तथा शेष 133 मेडिकल कालेज निजी क्षेत्र में हैं। इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है। इन मेडिकल कालेजों की एम.बी.बी.एस. छात्र दाखिला क्षमता करीब 31,172 है और विभिन्न स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों की संख्या लगभग 11,005 वार्षिक है।

2. जहां तक एम.बी.बी.एस. और पी.जी. चिकित्सा पाठ्यक्रमों में आरक्षित सीटों की संख्या का संबंध है, इसके आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, राज्य स्तर पर राज्य सरकारें अपनी आरक्षण नीति का अनुपालन करती हैं। और इन सीटों पर अखिल भारतीय कोटे में 15% सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों तथा 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

3. अप्रैल, 2004 से मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों की संख्या 27 है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

4. केन्द्र सरकार नए पाठ्यक्रम शुरू करने तथा एम.बी.बी.एस. तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि करने को बढ़ावा देती है। इस प्रयोजनार्थ, संबंधित संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार से अनिवार्यता प्रमाण पत्र, संबंधित विश्वविद्यालय इत्यादि से संबंधन की सहमति प्राप्त करने के बाद भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बने विनियमों के अनुसार अनुमति हेतु केन्द्र सरकार का आवेदन करना अपेक्षित होता है। मेडिकल कालेजों से प्राप्त ऐसे आवेदनों का भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मूल्यांकन

किया जाता है और इसकी सिफारिशों पर तथा विभिन्न कारकों पर विचार करके केन्द्र सरकार इस संबंध में समय-समय पर आवश्यक अनुमति प्रदान करने का समुचित निर्णय लेती है।

विवरण-I

दिनांक 5-03-2008 की स्थिति के अनुसार देश में मेडिकल कालेजों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मेडिकल कालेजों की संख्या		मेडिकल कालेजों की कुल संख्या	एम.बी.बी.एस. सीटों की कुल संख्या	पी.जी. सीटों की कुल संख्या
		सरकारी	निजी			
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	21	32	4225	925
2.	असम	3	–	3	391	219
3.	बिहार	6	2	8	510	246
4.	चण्डीगढ़	1	–	1	50	13
5.	छत्तीसगढ़	3		3	250	44
6.	दिल्ली	5	–	5	560	501
7.	गोवा	1	–	1	100	39
8.	गुजरात	8	5	13	1755	838
9.	हरियाणा	1	2	3	350	113
10.	हिमाचल प्रदेश	2	–	2	115	48
11.	जम्मू-कश्मीर	3	1	4	350	197
12.	झारखंड	3	–	3	190	126
13.	कर्नाटक	10	29	39	4755	1669
14.	केरल	6	12	18	2100	420
15.	मध्य प्रदेश	5	4	9	1120	395
16.	महाराष्ट्र	19	21	40	4560	1435
17.	मणिपुर	1	–	1	100	67
18.	उड़ीसा	3	3	6	764	184
19.	पांडिचेरी	1	7	8	975	192
20.	पंजाब	3	5	8	820	776

1	2	3	4	5	6	7
21.	राजस्थान	6	2	8	850	354
22.	सिक्किम	1	–	1	50	–
23.	तमिलनाडु	15	10	25	2865	1178
24.	त्रिपुरा	1	1	2	200	–
25.	उत्तर प्रदेश	10	6	16	1712	780
26.	उत्तरांचल	1	2	3	300	60
27.	पश्चिम बंगाल	9	–	9	1105	186
	कुल	138	133	271	31172	11005

सरकारी कॉलेज	–	138
निजी कॉलेज	–	133
कुल		271

विवरण-II

मान्यता प्रदान किए गए मेडिकल कॉलेजों की राज्यवार एवं वर्षवार सूची

अप्रैल 2004-मार्च 2005

क्र.सं.	राज्य का नाम	मान्यता प्राप्त कालेजों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	गुजरात	2
3.	हिमाचल प्रदेश	1
4.	कर्नाटक	1
अप्रैल 2005-मार्च 2006		
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	महाराष्ट्र	1
3.	पांडिचेरी	1
4.	उत्तर प्रदेश	1
अप्रैल 2006-मार्च 2007		
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	हरियाणा	1
3.	केरल	1
4.	कर्नाटक	5
5.	मध्य प्रदेश	1
6.	पांडिचेरी	1
7.	राजस्थान	1
8.	तमिलनाडु	1
9.	उत्तर प्रदेश	1

1	2	3
अप्रैल 2007-दिसम्बर 2008		
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	कर्नाटक	1
3.	दिल्ली	1
4.	सिक्किम	1

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु निधियों का उपयोग

***188. श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सहित देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत हेतु जारी की गई निधियों का उपयोग अन्य प्रयोजनों हेतु किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन खामियों हेतु दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) जारी/आबंटित की गई निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि का अनुरक्षण और मरम्मत कार्य से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया है। तथापि, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सघ राज्य क्षेत्र में एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 223 के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की जा सकी क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग यद्यपि विकास और अनुरक्षण के लिए सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है किंतु अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा यह राजमार्ग सीमा सड़क संगठन को हस्तांतरित नहीं किया गया है। फिलहाल, इस राष्ट्रीय राजमार्ग का अनुरक्षण अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा उनकी अपनी धनराशि से किया जा रहा है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लघु पत्तनों का विकास

***189. श्री पी. करूणाकरन:**
श्रीमती पी. सतीदेवी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक में माल्पे पत्तन सहित लघु पत्तनों के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त परियोजना पर परियोजनावार कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से लघु पत्तनों के विकास हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत, गैर महापत्तनों को विकसित किए जाने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। फिर भी, सरकार ने राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने के लिए कर्नाटक में माल्पे और केरल में अझीक्कल सहित सात गैर महापत्तनों को शामिल कर लिया है। लेकिन निधियों की कमी के कारण, इन गैर महापत्तनों को विकसित किए जाने के लिए एक केन्द्रीयकृत प्रायोजित योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु शामिल नहीं किया जा सका और केरल और अन्य किसी राज्य को कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। अतः चुने गए गैर महापत्तनों में अवसंरचना के विकास का कार्य, संबंधित समुद्रीय राज्यों द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में गैर सरकारी भागीदारी से आरंभ किया जा सकता है।

राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित किसी गैर महापत्तन को विकसित किए जाने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्टों, पर्यावरण पर प्रभाव के बारे में आकलन अध्ययनों, जलसर्वेक्षण और अन्य तकनीकी सर्वेक्षणों, बोली दस्तावेजों को तैयार करने इत्यादि के लिए दूसरी योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति कर दिए जाने के आधार पर सहायता अनुदान के रूप में भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की हिस्सेदारी वर्ष विशेष में 20 लाख रु. की अधिकतम सीमा की शर्त पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किए गए व्यय के 50% तक सीमित है।

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट

***190. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में अनेक निजी स्वास्थ्य परिचर्या प्रतिष्ठानों द्वारा बायो-मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेन्ट एंड हैंडलिंग) नियम, 1998 का उल्लंघन किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग) नियम, 1998 के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय स्तर की समिति के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार द्वारा नियमों का सख्ती से लागू किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियां, पर्यावरण (सुरक्षा) (अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली 1998, के कार्यान्वयन के लिए नामोदिष्ट निर्धारित प्राधिकरण है। भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 1998 से संबंधित मानकों और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी उद्योग अथवा किसी अन्य प्राधिकरण को निर्देश जारी करने हेतु पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत निहित आवश्यक शक्तियां सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों को प्रत्यायोजित की गई हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे हैल्थ केयर स्थापनाओं द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले नियमों पर बराबर निगरानी रखें और इन नियमों का उल्लंघन करने वाली स्थापनाओं के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाली हैल्थ केयर स्थापनाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 1998 का कड़ाई से कार्यान्वयन करने के लिए समय-समय पर सभी राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों का ध्यान आकृष्ट किया है। इसके परिणाम स्वरूप नियमों के कार्यान्वयन से पिछले कई वर्षों में सुधार हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यथा संशोधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 1998 के अंतर्गत उक्त नियमों के कार्यान्वयन की मानीटरी करने के लिए केन्द्रीय स्तरीय समिति गठित करने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त नियमों के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियां इन नियमों का कड़ाई से कार्यान्वयन तथा अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ परस्पर विचारों के आदान प्रदान हेतु आयोजित बैठकों में इन नियमों के कार्यान्वयन में तथा उसमें और अधिक सुधार करने पर विचार विमर्श किया जाता है।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के कारण विस्थापित परिवारों का पुनर्वास

***191. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के परिणामस्वरूप परियोजनावार कितने परिवार प्रभावित हुए हैं;

(ख) परियोजनाधार कितने प्रभावित परिवारों को रोजगार दिया गया और उनका पुनर्वास किया गया;

(ग) ऐसे परिवारों के पुनर्वास हेतु आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कब तक कर दिया जाएगा?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) ब्यौरा नीचे दिया गया है:

परियोजना	अवस्थिति/ राज्य	वाणिज्यिक परिचालन का वर्ष	परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या	एन.पी.सी.आई.एल. तथा डी.ए.ई. की सुविधाओं में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या	पुनर्वास	
					वर्ष	व्यय (लाख रुपए)
1	2	3	4	5	6	7
टी.ए.पी.एस. 1 तथा 2	तारापुर, महाराष्ट्र	1969 1969	337	498	1962	15
टी.ए.पी.एस. 3 तथा 4		2006 2005	1251	72	1991-2005	8318*
आर.ए.पी.एस. 1 तथा 2	रावतभाटा, राजस्थान	1973 1981	शून्य	लागू नहीं	राजस्थान सरकार के वन विभाग से भूमि का अधिग्रहण किया गया है।	
आर.ए.पी.एस. 3 तथा 4		2000 2000	शून्य	लागू नहीं		
आर.ए.पी.एस. 5 तथा 6		निर्माणाधीन	शून्य	लागू नहीं		
एम.ए.पी.एस. 1 तथा 2	कलपाक्कम, तमिलनाडु	1984 1986	123	220	1970-1977	39 (इसमें डी.ए.ई. की सुविधाओं हेतु भूमि भी शामिल है) (इन सभी का वहन राज्य सरकार द्वारा किया गया है)
पी.एफ.बी.आर.		निर्माणाधीन	शून्य	लागू नहीं		
के.के.एन.पी.पी. 1 तथा 2	कुडनकुलम, तमिलनाडु	निर्माणाधीन	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	99**
एन.ए.पी.एस. 1 तथा 2	उत्तर प्रदेश	1991 1992	882	197	1974-1987	984
के.ए.पी.एस. 1 तथा 2	गुजरात	1993 1995	1034	176	1983-1986	561

1	2	3	4	5	6	7
कैगा 1 तथा 2	कर्नाटक	2000 2000	133	186	1985- 1994	38
कैगा 3 तथा 4		2007 निर्माणाधीन	शून्य	लागू नहीं	कैगा 1 से 6 के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया, इसमें कोई पुनर्वास शामिल नहीं था।	

संकेत-वाक्य:

टी.ए.पी.एस.	तारापुर परमाणु बिजलीघर
आर.ए.पी.एस.	राजस्थान परमाणु बिजलीघर
एम.ए.पी.एस.	मद्रास परमाणु बिजलीघर
पी.एफ.बी.आर.	प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर
के.के.एन.पी.पी.	कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोनजा
एन.ए.पी.एस.	नरोरा परमाणु बिजलीघर
के.ए.पी.एस.	ककरापार परमाणु बिजलीघर
कैगा	कैगा उत्पादन केन्द्र

* पी.ए.पी.पी. 3 तथा 4 में परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों (पी.ए.पी.) का पुनर्वास, राज्य सरकार के पुनर्वास पैकेज से अधिक रहा है। तथापि, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों ने और भी अधिक लाभ के लिए उच्च न्यायालय से सम्पर्क किया है। न्यायालय ने, इस संबंध में कुछ अंतरिम आदेश जारी किए हैं, एन.पी.सी.आई.एल. ने राज्य सरकार को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई है और आदेशों का अनुपालन किया गया है। अंतिम आदेशों की प्रतीक्षा है।

** कोई भी विस्थापन नहीं हुआ। अधिगृहित भूमि के लिए मुआवजा दे दिया गया है।

(घ) प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया गया है। तथापि, टी.ए.पी.पी. 3 तथा 4 और एन.ए.पी.एस. के बारे में न्यायालय के मामले अभी लम्बित हैं और अंतिम आदेशों की प्रतीक्षा है।

मातृ/शिशु मृत्यु दर

***192. श्री आलोक कुमार मेहता:**

श्री राम कृपाल यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु मिलेनियम विकास लक्ष्य योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) जी, हां। सहस्राब्दि विकास लक्ष्य 4 (एम.डी.जी. 4) में वर्ष 1990 और 2015 के बीच 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु-दर में दो-तिहाई और सहस्राब्दि विकास लक्ष्य 5 (एम.डी.जी. 5) में वर्ष 1990 और 2015 के बीच मातृ-मृत्यु अनुपात में तीन चौथाई की कमी करने का अधिदेश है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005-12) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य एम.डी.जी. लक्ष्यों के अनुरूप हैं और इनका उद्देश्य वर्ष 2012 तक शिशु मृत्यु-दर को प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 30 से कम और मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 100 से कम लाने का है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए अप्रैल, 2005 से मार्च, 2008 तक विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 27,079 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II में कमजोर जन स्वास्थ्य सूचकों और बुनियादी सुविधाओं वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए विशेषतौर से ग्रामीण जनसंख्या को मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं समेत गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता तथा उन तक पहुंच को बढ़ाने की व्यवस्था है। मातृ मृत्यु अनुपात और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भारत सरकार देश भर में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यनीतियों और कार्यकलापों को कार्यान्वित कर रही है:

- नवजात और बाल्यावस्था की बीमारियों (आई.एम.एन.सी.आई.) के समेकित उपचार;
- गृह आधारित नवजात परिचर्या (एन.बी.एन.सी.);
- स्तनपान और पूरक आहार को बढ़ावा देना;
- तीव्र श्वसनीय संक्रमणों के कारण मौतों का नियंत्रण और अतिसारीय रोगों के कारण मौतों की रोकथाम;
- सूक्ष्म पोषकों: विटामिन ए एवं लौह की पूरक खुराक;
- व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम;
- जननी सुरक्षा योजना, गरीबी की रेखा से नीचे की और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए नकद लाभ योजना;
- 24x7 सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रथम रेफरल एककों के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 50 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चलाना;
- जन्म के समय कुशल परिचर्या प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण जैसे विभिन्न कौशल आधारित प्रशिक्षणों के जरिए कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाना;
- जीवन रक्षक संवेदनाहरण कौशलों और सीजेरियन सेक्शन समेत आपाती प्रसूत परिचर्या में एम.बी.बी.एस. डाक्टरों का प्रशिक्षण;
- लौह व फॉलिक अम्ल की गोलियों की पूरक खुराक से रक्तताल्पता के निवारण और उपचार;
- आंगनबाड़ी केन्द्रों में ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन करना;
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है;
- गर्भवती महिलाओं सहित समुदाय द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच बनाने में मदद करने के लिए प्रति 1000 जनसंख्या के लिए एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति;
- बुनियादी सुविधाओं, उपकरण और विशेषज्ञ जनशक्ति प्रदान करके सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों का कार्यान्वयन;
- स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों अर्थात् जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों को उनकी संयुक्त अनुदानों, वार्षिक रख-रखाव अनुदानों और सेवा प्रदानगी में सुधार करने के लिए कोर्पस निधियों सहित धन प्रदान करके सुदृढ़ बनाना;
- जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी कल्याण समितियों (अस्पताल प्रबन्धन समितियों) की स्थापना करना;
- ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य और सफाई समितियों की स्थापना करना।

भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों हेतु सुविधाएं

***193. श्री स्वदेश चक्रवर्ती:**

श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा

करेंगे कि विभिन्न देशों के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु महिला हॉकी खिलाड़ियों को मुहैया करायी गयी/मुहैया करायी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): विभिन्न खेल विधाओं के विकास और संवर्धन का प्राथमिक दायित्व संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों का है। सरकार, दीर्घकालिक विकास योजना के तहत उनकी सहमति के अनुसार आवश्यक तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता के साथ भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के आयोजन, खेल उपकरण प्राप्त करने, देश से बाहर अंतर-राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों/टीमों को प्रशिक्षण व भाग लेने, भारतीय व विदेशी दोनों कोचों के तहत प्रशिक्षण/कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनके प्रयासों को बढ़ावा देती है।

"राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता" की योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय महिला हॉकी परिसंघ (आई.डब्ल्यू.एच.एफ.) को, हॉकी (महिला) के मामले में संबंधित परिसंघ होने के नाते निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है:-

(रु. लाखों में)

वर्ष	आबंटित राशि
2004-05	110.35
2005-06	78.81
2006-07	111.64
2007-08 (29-2-2008 तक)	153.46

इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण ने सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर टीमों के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविर आयोजित किए हैं। ये प्रशिक्षण शिविर सभी लाजिस्टिक सहायता यथा वैज्ञानिक उपकरण, चिकित्सकीय सहायता, खेल-किटों, भोजन और आवास इत्यादि सहित पूर्णकालिक आधार पर आयोजित किए गए। दृश्य-श्रव्य यंत्र भी उपलब्ध कराए गए ताकि कोच, कोचिंग शिविरों में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों के खेल प्रदर्शन का मूल्यांकन और विश्लेषण करने में सक्षम हो सकें। वर्ष 2007-08 के दौरान, 161 दिनों के 9 कोचिंग शिविर आयोजित किए गए तथा इस मद पर फरवरी, 2008 तक 28.65 लाख रु. का व्यय किया जा चुका है।

इसके अलावा, सरकार ने एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम और 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों के लिए एक विदेशी कोच की तैनाती के परिसंघ के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। नीदरलैंड के एक अल्पकालिक कोच को भी 15 दिनों के लिए महिला हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने का कार्य सौंपा गया था।

[हिन्दी]

पशु कल्याण हेतु गैर-सरकारी संगठन

***194. श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पशुओं के कल्याण हेतु कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय और अन्य सहायता मुहैया करा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार और वर्षवार वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां। सरकार भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड को सहायता-अनुदान प्रदान करती है जो आगे पशुओं के कल्याण कार्यों में लगे हुए गैर सरकारी संगठनों/पशु कल्याण संगठनों को वित्तीय सहायता और अन्य सहायता प्रदान करता है।

(ख) गैर सरकारी संगठनों/पशु कल्याण संगठनों जिन्हें गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2007-08 (04-03-08 तक) शेल्टर योजना के अन्तर्गत जारी अनुदान सहायता का ब्यौरा

क्र. सं.	फाइल सं.	ए.डब्ल्य.बी.आई.	संगठन का नाम	पता	जिला	राज्य	जारी की गई धनराशि
1	2	3	4	4	5	6	7
1.	23-150/2002 ए.डब्ल्यू.डी.	एच.आर.076/ 2002	श्री कृष्ण गौशाला समिति	श्री घीसा संत आश्रम जींद, वी.पी.ओ. पांडु पिंडारा तिर्थ जिला जींद	जींद	हरियाणा	1122818
2.	23-18/2004-05 ए.डब्ल्यू.डी.	एच.आर.121/ 2002	श्री गौशाला	ग्राम एंड पी.ओ. रिसाला खेडा, जिला सिरसा तहसील मंडी डववाली सिरसा- 125 103	सिरसा	हरियाणा	1122953
3.	23-314/2002 ए.डब्ल्यू.डी.	एच.आर.059/ 1999	श्री गौशाला खीदवाली	वी.पी.ओ. खिदवाली, जिला रोहतक-124 001	रोहतक	हरियाणा	933750
4.	23-61/2006-07 ए.डब्ल्यू.डी.	एच.आर.174/ 2006	आदर्श गौशाला सोसाइटी	ग्राम पोस्ट बाटा, हिसार-कैथल चंडीगढ तहसील कलापट जिला कैथल, हरियाणा	कैथल	हरियाणा	1084378
5.	23-59/2006-07	एच.आर.213/ 2006	संत आसा राम गौशाला समिति	धनघोली, नारनौल महेन्द्रगढ	महेन्द्रगढ	हरियाणा	1125000
6.	23-109/2004-05-ए.डब्ल्यू.बी	एम.पी.011/ 1991	बृज मोहन रामकली गौ-संरक्षा केन्द्र	40 कालीपुरा, भोपाल-462 001 मध्य प्रदेश	भोपाल	मध्य प्रदेश	1089727
7.	23-62/2005-06-ए.डब्ल्यू.डी.	एम.पी.026/ 1998	श्री कृष्ण गौशाला जीवरक्षा केन्द्र	वी.वी.ओ. मोहालई जिला दुर्ग 491001 छत्तीसगढ	दुर्ग	मध्य प्रदेश	996750
8.	23-119/2004-05-ए.डब्ल्यू.डी.	एम.पी.046/ 1999	श्री कृष्ण जीवन गौसेवा सदन	कारही तहसील महेश्वर जिला खरगांव	खरगांव	मध्य प्रदेश	1046000
9.	23-93/2005-06-ए.डब्ल्यू.डी.	एम.पी.226/ 2001	दयोदया पशु संवर्द्धन आवाम पर्यावरण केन्द्र (गौशाला)	गांधी गांव जवलपुर केन्द्र-481 002, मध्य प्रदेश	जबलपुर	मध्य प्रदेश	1125000

1	2	3	4	4	5	6	7
10.	23-1/2000 ए.डब्ल्यू.डी.	आर.जे.038/ 1996	श्री कृष्ण गौशाला (ट्रस्ट)	ग्राम-मांडा, तहसील-पाली मरिअर जंक्शन, जिला पाली	पाली	राजस्थान	585000
11.	23-128/2002 ए.डब्ल्यू.डी.	आर.जे.110/ 1999	श्री जगदम्बा सेना समिति	पी.ओ.-श्री भद्रारेजी, जिला-जेसलमेर	जेसलमेर	राजस्थान	1120405
12.	23-9/2003- ए.डब्ल्यू.डी.	आर.जे.087/ 1999	श्री ग्याल गोपाल गौशाला	वी.पी.ओ. जामलावाड़ा, तहसील, चित्तौड़गढ़ जिला दहतीसा डरी, चितौड़गढ़- 312 604,	चित्तौड़गढ़ राजस्थान	राजस्थान	989865
13.	23-107/2003 ए.डब्ल्यू.डी.	यू.पी.031/ 1998	कानपुर गौशाला सोसायटी (शाखा भौन्टी प्रतापपुर)	55/112, जनरल गंज नगर कानपुर- 208 001	कानपुर	उत्तर प्रदेश	924750
14.	23-29/2006-07-ए.डब्ल्यू.बी.	यू.पी.028/ 1998	पी.के. लोक विकास संस्थान	काशीरामपुर (कल्पी) जिला जालोन, 285 204	जालोन	उत्तर प्रदेश	1073700
15.	23-97/2005-06-ए.डब्ल्यू.बी.	यू.पी.333/ 2008	सरदार पटेल शिक्षा निकेतन	ग्राम पटेल नगर, तिलवान, गिरजापुर पोस्ट लालगंज, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	1125000
16.	23-74/2006-07-ए.डब्ल्यू.बी.	यू.पी.331/ 2008	हरिजन आवास महिला कल्याण समिति	ग्राम किरवान, पी.ओ. शाहीपुर जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1120770
17.	23-33/2002- ए.डब्ल्यू.डी.	यू.पी.050/ 1999	मोहन गोपाल गौशाला समिति	जवाहर नगर गातमपुर, कानपुर नगर	कानपुर	उत्तर प्रदेश	787323
18.	23-3/2006-07- ए.डब्ल्यू.बी.	पी.जे.015/ 1999	गौशाला समिति, धुरई	मालेर कोटिआ रोड धूरि- 148 024, जिला संगरूर, पंजाब	संगरूर	पंजाब	1064250
19.	23-30/2005-06- ए.डब्ल्यू.बी.	आच.आर.085/ 2000	श्री कृष्ण गौशाला	नजदीक अनाज मंडी, वी.पी.ओ. राटिया- जिला फतेहाबाद, 125 051	फतेहाबाद	हरियाणा	875250
20.	23-166/2003- ए.डब्ल्यू.डी.	पी.जे.066/ 2002	संत श्री आसाराम जी गौशाला ट्रस्ट	जास्सर रोड, खानपुर, लुधियाना	लुधियाना	पंजाब	1125000

21.	23-42/06-07-ए.डब्ल्यू.बी.	ए.पी.096/2006	सलेक्ट	करेडु वी.पी., उलवपद मंडल, प्रकाशम जिला	प्रकाशम	आन्ध्र प्रदेश	225000
22.	23-209/2004-05-ए.डब्ल्यू.बी.	एच.आर.184/2006	श्री कृष्ण बाल गोपाल गौशाला	बेहली, नारनौल महेन्द्रगढ	महेन्द्रगढ	हरियाणा	457380
23.	23-59/06-07-ए.डब्ल्यू.बी.	एच.आर.213/2006	संत श्री आसाराम गौशाला समिति	दनाचोली, नारनौल, महेंद्रगढ	महेन्द्रगढ	हरियाणा	1125000
24.	23-131/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	के.ए.045/2006	श्री रेणुका रूरल डेवलपमेंट सेन्टर	4/18, विश्वनाथ रेड्डी कंपाउंड, गांधी नगर, मेन रोड, बलेरी, कर्नाटक	बलेरी	कर्नाटक	883800
25.	23-9/2006-07 ए.डब्ल्यू.बी.	जी.जे.063/1998	श्री वर्द्धवान महाजन, पंजरापोली	मेन रोड, नियर सत्ता हॉल, सुरेन्द्रनगर	सुरेन्द्रनगर	गुजरात	1021950
26.	23-233/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	जी.जे.215/2002	श्री केवलपुरी जी गौशाला ट्रस्ट	ट-धाली, पोस्ट-मोतजमपुर, तालुका-कनकरेज, जिला बनसकनथा, गुजरात 385 555	बनसकनथा	गुजरात	1125000
27.	23-37/2005-06-ए.डब्ल्यू.बी.	एस.एच.132/2007	जय भवानी ग्राम विकास बहुद्देश्यीय संस्थान	वी.पी.ओ. संघवी, जिला ननदेड	ननदेड	महाराष्ट्र	1125000
28.	23-241/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	जी.जे.070/1998	सिद्धि भुवन-मनोहर जैन पिंजरपोल	एट यू.एन., तालुका कनकरेज, जिला बनसकनथा	बनासकांठा	गुजरात	1125000
29.	23-55/2005-06-ए.डब्ल्यू.बी.	एस.एच.108/2004	द बुलधाना एस.पी.सी.ए.	पोस्ट मेरा बी.के., तालुका चिक्खिल, बुलदाना	बुलदाना	महाराष्ट्र	1109250
30.	23-8/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	एस.एच.016/1991	श्री गौशाला पिंजरपोल संस्थान	मेलगांव, जिला नासिक	नासिक	महाराष्ट्र	1068750
					योग		29703819

वर्ष 2006-07 के दौरान मंजूर/जारी किए गए शेल्टर अनुदानों का ब्यौरा

क्र. सं.	फाइल संख्या	ए.डब्ल्यू.बी.आई. कोड नं.	संगठन का नाम	राज्य	जारी राशि
1	2	3	4	5	6
					राशि
1.	23-227/04-05-ए.डब्ल्यू.बी.	टी.एन.092/2002	गोशक्ति ट्रस्ट	तमिलनाडु	1125000
2.	23-132/03-ए.डब्ल्यू.डी.	एन.डी.043/2006	वन्यजीव एस.ओ.एस. (आर.) (साइट एट आगरा)	नई दिल्ली	1000000
3.	23-20/03-ए.डब्ल्यू.डी.	पी.जे.031/2000	गो रक्षक मंडल	पंजाब	1060200
4.	23-74/04-05-ए.डब्ल्यू.बी.	टी.एन.0002/1996	ब्लू क्रास ऑफ इंडिया (थोडुकाडु)	तमिलनाडु	766775
5.	23-107/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	यू.पी.031/1998	कानपुर गौशाला सोसाइटी (भौन्टी ब्रांच)	उत्तर प्रदेश	924750
6.	23-175/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	ओ.आर.041/2006	गुरुकुल आश्रम, अम्सेना	उड़ीसा	983435
7.	23-49/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	के.ए.030/2002	गोवनीताश्रय ट्रस्ट	कर्नाटक	483750
8.	23-147/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	यू.पी.038/1999	श्री गोविंद गौसेना ट्रस्ट	उत्तर प्रदेश	664741
9.	23-79/04-05-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.050/1999	गौवंश रक्षण समिति	मध्य प्रदेश	1011825
10.	23-163/04-05-ए.डब्ल्यू.बी.	यू.पी.317/2007	डा. राम मनोहर लोहिया विलांग सेवा संस्थान	उत्तर प्रदेश	1101913
11.	23-33/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	यू.पी.050/1999	मोहन गोपाल गौशाला समिति घाटमपुर	उत्तर प्रदेश	787323
12.	23-58/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	टी.एन.044/1998	पीपल फॉर एनीमल्स	तमिलनाडु	635346
13.	23-234/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	एम.एच.051/1999	एनीमल प्रोटेक्शन क्लब	महाराष्ट्र	900000

1	2	3	4	5	6
14.	23-10/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	एन.डी.013/1993	सर्कल ऑफ एनिमल लवर्स	नई दिल्ली	974092
15.	23-18/04-05-ए.डब्ल्यू.बी.	एच.आर.121/2002	श्री गौशाला, रासलिया खेड़ा	हरियाणा	1122952
16.	23-121/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	एम.पी.270/02	दयोदया पशु सेवा केंद्र	मध्य प्रदेश	1125000
17.	23-300/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	ए.पी.017/98	इंटरनेशनल एनीमल एंड वर्ड वेलफेयर सोसाइटी	आन्ध्र प्रदेश	1009723
18.	23-289/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	एम.पी.	पं. जगदम्बा प्रसाद शुक्ला स्मृति शिक्षा एवं समाज कल्याण परिषद	मध्य प्रदेश	951086
19.	23-131/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	के.ए.045/2006	श्री रेणुका रूरल, डेवलपमेंट सेंटर	कर्नाटक	883800
20.	23-218/2004-05-ए.डब्ल्यू.वी.	आर.जी.130/1999	पशुपति कल्याण परिषद	राजस्थान	1125000
21.	23-293/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	एम.पी.225/2001	दयोदया जीव रक्षा संस्थान (गौशाला)	मध्य प्रदेश	1121985
22.	23-94/04-05-ए.डब्ल्यू.बी.	ए.पी.096/06	सेलेक्ट	आन्ध्र प्रदेश	1012500
23.	23-223/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	यू.पी.099/2000	एस.पी.सी.ए. आगरा	उत्तर प्रदेश	1113750
24.	23-314/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	एच.आर.059/1999	श्री गौशाला, खिदवली	हरियाणा	933750
25.	23-239/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	एच.आर.204/2006	विश्व भारती शिक्षण संस्थान गुरुकुल गौशाला	हरियाणा	873203
26.	23-91/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	पी.जे.030/2000	श्री कृष्ण गौशाला (रजि.)	पंजाब	328725
27.	23-2/2004-05-ए.डब्ल्यू.बी.	के.एल.019/2001	पी.एफ.ए., त्रिवेन्द्रम	केरल	1125000
28.	23-349/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	एन.डी.003/88	फ्रेडीकोएस सेका (रजि.)	नई दिल्ली	891000

1	2	3	4	5	6
29.	23-61/2001-ए.डब्ल्यू.डी.	यू.पू.100/2000	एस.पी.सी.ए. नोएडा	उत्तर प्रदेश	85500
30.	23-58/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	टी.एन.044/1998	पीपुल फार एनीमल्स (चैन्नई): चैरिटेबल ट्रस्ट	तमिलनाडु	635346
31.	23-166/04-05-ए.डब्ल्यू.बी	एम.पी.105/1999	दयोदया पशु सेवा केंद्र	मध्य प्रदेश	1125000
32.	23-233/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	जी.जे.215/02	श्री केवलपुरी जी गऊशाला ट्रस्ट	गुजरात	1125000
33.	23-53/03-ए.डब्ल्यू.डी.	एच.आर.116/2002	शिव शक्ति गऊशाला, खडलवा	हरियाणा	1068750
34.	23-134/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	ए.पी.064/2002	करूणा सोसाइटी फार एनीमल्स एंड नेचर, पुरापरती	आन्ध्र प्रदेश	1125000
35.	23-76/02-ए.डब्ल्यू.डी.	जी.जे.142/2002	भगवान महावीर पशु रक्षा केंद्र	गुजरात	873765
36.	23-200/02-ए.डब्ल्यू.डी.	आर.जे.036/1996	कल्याण भूमि गऊसेवा सदन	राजस्थान	247007
37.	23-34/02-ए.डब्ल्यू.डी.	जी.जे.236/2002	श्री सुथरी पंजरपोल	महाराष्ट्र	696937
38.	23-40/05-06/ए.डब्ल्यू.बी.	यू.पी.275/04	धर्मार्थ गोपाल गऊशाला समिति पहाड़पुर हवेली	उत्तर प्रदेश	209262
39.	23-25/05-06/ए.डब्ल्यू.बी.	एन.जी.003/2007	के. होलोहों वेलफेयर सोसाइटी	नागालैण्ड	1125000
40.	23-38/03-ए.डब्ल्यू.डी.	यू.पी.303/06	श्याम बाल निकेतन	उत्तर प्रदेश	1125000
41.	23-163/04-05-ए.डब्ल्यू.डी.	यू.पी.317/2007	डा. राम मनोहर लोहिया विकलांग सेवा संस्थान	उत्तर प्रदेश	1101913
42.	23-301/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	एम.एच.125/2006	गौसमरक्षण व रक्षण प्राणी सुधार केंद्र	महाराष्ट्र	1104416
43.	23-47/05-06-ए.डब्ल्यू.बी.	टी.एन.156/2007	धर्म राज्य ट्रस्ट	तमिलनाडु	1086232

1	2	3	4	5	6
44.	23-286/03-ए.डब्ल्यू.डी.	पी.जे.064/2002	श्री गऊशाला (रजि.)	पंजाब	1083600
45.	23-336/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	डब्ल्यू.बी.016/1994	एनीमल एंड बर्ल्ड वेलफेयर सोसाइटी	पश्चिम बंगाल	670500
46.	23-53/05-06-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.147/1999	दयोदया पशु सेवा केंद्र	मध्य प्रदेश	1125000
47.	23-294/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	एम.पी.016/1995	बाहुबली जीव रक्षा एवं पर्यावरण समरक्षण न्यास	मध्य प्रदेश	1125000
48.	23-102/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	यू.पी.	केवलनंद निगम आश्रम	उत्तर प्रदेश	1119850
49.	23-74/04-05-ए.डब्ल्यू.बी.	टी,एन.0002/1996	ब्लू क्रास आफ इंडिया (टोडूकाडू)	तमिलनाडु	766775
50.	23-55/05-06-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.एच.108/2004	बुलदानी एस.पी.सी.ए.	महाराष्ट्र	1109250
51.	23-51/05-06-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.182/1999	गौतम गौसमवर्धन शोध संस्थान, जाफ्ला	मध्य प्रदेश	1125000
52.	23-49/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	के.ए.030/2002	गोविन्ताश्रय ट्रस्ट	कर्नाटक	483750
53.	23-79/04-05-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.050/1999	गोवंश रक्षण समिति	मध्य प्रदेश	1011825
54.	23-52/05-06-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.30/1999	श्री गौतरस जिवारगी गोपाल गऊशाला	मध्य प्रदेश	1125000
55.	23-62/05-06-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.026/1998	श्री कृष्ण गऊशाला जीव रक्षा केंद्र	छत्तीसगढ	996750
56.	23-147/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	यू.पी.038/1999	श्री गोविंद गोसेवा ट्रस्ट	उत्तर प्रदेश	664741
57.	23-150/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	एच.आर.076/2002	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	हरियाणा	1122818
58.	23-248/04-05-ए.डब्ल्यू.बी.	आर.जे.020/1991	श्री राम आनंद गऊशाला (एस.आर.ए.जी.)	राजस्थान	1104750
59.	23-32/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	यू.पी.323/2007	हरिजन निर्बल वर्ग आदिवासी शिक्षा एवं कल्याण समिति	उत्तर प्रदेश	1125000

1	2	3	4	5	6
60.	23-8/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	एम.एच.016/1991	श्री गऊशाला पंजरपोल संस्थान	महाराष्ट्र	1068750
61.	23-41/2005-06-ए.डब्ल्यू.बी.	जी.जे.010/1991	श्री धरंगाधरा पंजरपोल	गुजरात	865525
62.	23-93/2005-06-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.226/2001	दयोदया पशु समवर्धन एवं पर्यावरण केंद्र (गऊशाला)	मध्य प्रदेश	1125000
63.	23-100/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	आर.जे.211/ 2000	श्री ओम जनता गऊशाला ट्रस्ट (रजि.)	राजस्थान	961550
64.	23-109/04-05	एम.पी.011/1991	बृज मोहन राम कली गोसमरक्षन केंद्र	मध्य प्रदेश	1089727
65.	23-130/04-05	एम.पी.005/1991	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	मध्य प्रदेश	1115550
66.	23-266/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	आर.जे.336/2002	राजस्थान गऊसेवा समिति	राजस्थान	1031400
67.	23-40/2006-07	एम.पी.058/1999	दयोदया गऊसेवा जीवरक्षा एवं पर्यावरण समरक्षण संस्थान, खुराई	मध्य प्रदेश	382500
68.	23-14/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	डब्ल्यू.बी.039/2002	कांति महाकुमा तपसली उन्नयन महिला समिति	पश्चिम बंगाल	1125000
69.	23-324/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	एच.आर.067/2000	बाबा फुलु साध गौशाला समिति	हरियाणा	1113925
70.	23-37/05-06	एम.एच.132/2007	जै भवानी ग्राम विकास बहुदेशीय सेवा-भावी संस्था	महाराष्ट्र	1125000
71.	23-39/04-05	जी.जे.023/1991	श्री कच्छ मुंद्रा पंजरपोल एंड गौशाला	गुजरात	524475
72.	23-3/06-07-ए.डब्ल्यू.बी.	पी.जे.015/1999	गऊशाला कमेटी	पंजाब	1064250
73.	23-142/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	आर.जे.219/2001	श्री राम गऊशाला सेवा समिति	राजस्थान	990000
74.	23-233/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	आर.जे.308/2002	श्री राम गऊशाला रानावास	राजस्थान	492198
75.	23-166/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	पी.जे.066/2002	संत आसारामजी गऊशाला ट्रस्ट (रजि.)	पंजाब	1125000
76.	23-87/04-05-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.119/1999	श्री गोपाल गऊशाला कचनारिया	मध्य प्रदेश	959196

1	2	3	4	5	6
77.	23-140/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	एच.आर.057/1999	श्री वैष्णव अग्रसेन गऊशाला (अगरोहा)	हरियाणा	900000
78.	23-27/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	आर.जे.316/2002	श्री माधव गोविंद गऊशाला विकास समिति	राजस्थान	1125000
79.	23-38/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	आर.जे.151/1999	श्री दयालु गौ जीव जनपरमार्थ सेवा संस्थान	राजस्थान	1038327
80.	23-56/2006-07-ए.डब्ल्यू.बी.	आर.जे.338/2002	दयोदया पशुसमवर्धन संस्थान	राजस्थान	1125000
81.	23-04/04-05-ए.डब्ल्यू.बी.	एच.आर.099/2002	महार्षि दयानंद गऊशाला	हरियाणा	680970
82.	23-52/2001-ए.डब्ल्यू.डी.	पी.जे.004/1991	एस.पी.सी.ए. चंडीगढ़	पंजाब	500000
83.	23-20/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	पी.जे.031/2000	गऊरक्षक मंडल	पंजाब	1060200
84.	23-249/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	जी.जे.065/1998	श्री खोदा घोर पंजरपोल धारा	गुजरात	933750
85.	23-188/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	आर.जे.124/1999	श्री गोपाल गऊशाला समिति	राजस्थान	1125000
86.	23-19/2006-07	एम.पी.311/2006	श्री राम मंदिर प्राचीन गऊशाला	मध्य प्रदेश	1011883
87.	23-106/2004-05-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.076/1999	वृंदावन धाम गऊशाला समिति	मध्य प्रदेश	1125000
88.	23-119/04-05-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.046/1999	श्री कृष्ण जीवन गौसेवा सदन करही	मध्य प्रदेश	1046000
89.	23-99/04-05-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.319/2007	हांडिया बाग हनुमान गऊशाला समिति	मध्य प्रदेश	1033200
90.	23-48/2006-07-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.043/1999	श्री गोपाल गऊशाला समिति	मध्य प्रदेश	1125000
91.	23-16/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	आर.जे.014/1993	श्री हरदयाल गऊशाला	राजस्थान	1098615
92.	23-75/06-07-ए.डब्ल्यू.बी.	आर.जे.403/2003	श्री मंच गऊशाला सेवा समिति	राजस्थान	1046250

1	2	3	4	5	6
93.	23-218/2004-05-ए.डब्ल्यू.बी.	आर.जे.130/1999	पशुपति कल्याण परिषद	राजस्थान	1125000
94.	23-175/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	ओ.आर.041/2006	गुरुकुल आश्रम, अमसेना	उड़ीसा	983434
95.	23-138/2004-05-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.321/2007	दयोदया पशु समवर्धन एवं पर्यावरण केंद्र (गऊशाला)	मध्य प्रदेश	1034550
				कुल योग	89806586

जारी की गई निधियां 2005-2006 (शेल्टर हॉउस)- 2005-2006

क्र.सं.	संगठन का नाम	जिला	जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश			
1.	श्री राधागोबिंद गऊरक्षा समिति	चित्तौड़	1084500
2.	हैदराबाद के ब्लू क्रॉस	हैदराबाद	137368
3.	अंतरराष्ट्रीय पशु-पक्षी कल्याण समिति	अनंतपुर	1009723
4.	श्री स्वरूप निष्ठा आश्रम फिलोस्फिकल कल्याण समिति	अनंतपुर	1050000
5.	श्री वेणुगोपाल स्वामी गौशाला	रंगारेड्डी	1083563
6.	सेलेक्ट	प्रकाशम	1012500
7.	किंग इंटीग्रेटिड सेवा समिति	निल्लौर	1125000
8.	करूणा समिति फार एनीमल्स एंड नेचर, पुरापरती	अनंतपुर	1125000
दिल्ली			
9.	भरत वन्यजीव ट्रस्ट	नई दिल्ली	1046250
10.	संजय गांधी एनीमल केयर सेंटर	नई दिल्ली	641250
11.	अबोल तीरथ वेटरनरी जनरल अस्पताल	जामनगर	878382
12.	श्री नगवालदिया गौशाला पंजरपोल चेरिटेबल ट्रस्ट	कच्छ	600000

1	2	3	4
13.	भगवान महावीर पशु रक्षा केंद्र	कच्छ	873765
हरियाणा			
14.	शिव शक्ति गौशाला, खडलवार	कैथल	1068750
हिमाचल प्रदेश			
15.	एस.पी.सी.ए. नाहन	सिरमौर	653990
कर्नाटक			
16.	मैसूर पंजरपोल समिति	मैसूर	1068750
केरल			
17.	पीपल फॉर एनीमल्स त्रिवेंद्रम	त्रिवेंद्रम	1125000
मध्य प्रदेश			
18.	दयोदया पशु सेवा केंद्र	कटनी	1125000
19.	दयोदया पशु सेवा एवं पर्यावरण केंद्र	गुना	1034550
20.	दयोदया पशु सेवा केंद्र	अशोकनगर	1125000
21.	दयोदया पशु सेवा केंद्र	टिकमगढ	1125000
22.	दयोदया जीवरक्षा सनातन गौशाला	सियोनी	1121985
23.	श्री गोपाल गौशाला	शियोपुर	600000
24.	बाहुबली जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण न्यास	छिंदवाडा	1125000
25.	पंडित जगदम्बा प्रसाद शुक्ला स्मृति शिक्षा एवं समाज कल्याण परिषद	जबलपुर	951087
26.	गौतम गोसंवर्धन शोघ संस्थान जाफ्ला	उज्जैन	1125000
27.	श्री गोतरस निवारणी गोपाल गौशाला, बादनगर	उज्जैन	1125000
महाराष्ट्र			
28.	श्री महालक्ष्मी गौरक्षण एवं चेरिटेवल ट्रस्ट	यवतमल	1000350
29.	ब्लू क्रॉस सोसाइटी ऑफ पुणे	पुणे	401625
30.	पीपल फॉर एनीमल्स	वरधा	1068750
31.	गौसंरक्षण व रक्षण प्राणी सुधार केन्द्र, वानी	यवतमल	1104417

1	2	3	4
32.	स्वर्गीय वी.डी. सावरकर बहुउद्देश्य शिक्षण एवं व्यायाम प्रसारक मंडल	गढ़चिरोली	1054785
33.	एस.पी.सी.ए. उदगिर	उदगिर	950000
34.	मटोश्री जानाभाई सेवाभावी संस्था	देगलूर	1080000
उड़ीसा			
35.	पीपल फॉर, एनीमल्स	भुवनेश्वर	1125000
36.	पी.एफ.ए., केंद्रापाड़ा	केंद्रपाड़ा	1300000
37.	पीपल फॉर एनीमल्स, राउरकेला	सुंदरगढ़	629145
38.	नेशनल इंस्टीच्यूट फॉर कॉम्यूनिटी और चाइल्स डेवलपमेंट (एन.आई.सी.सी.डी.)	खुरदा	839173
पंजाब			
39.	श्री कृष्णा गौशाला, जगरांव मण्डी	लुधियाना	328725
राजस्थान			
40.	श्री गुरूदेव परमार्थ गौशाला ट्रस्ट समिति	पुष्कर	1012500
41.	कल्याण भूमि गौसेवा सदन	श्रीगंगानगर	247007
तमिलनाडु			
42.	धार्म राज्य	मदुराई	1086232
उत्तर प्रदेश			
43.	सर्वेश्वर नारायण अनाथ गौ सेवा समिति	मथुरा	707850
44.	श्री कृष्ण गौशाला	झांसी	576900
45.	श्याम बाल निकेतन	बुलंदशहर	1125000
46.	बटेश्वर नाथ विद्या पीठ	आगरा	1125000
47.	श्याम गौ सेवा सदन	गोरखपुर	1012500
48.	केवलानंद निगम आश्रम	बिजनौर	1119849
49.	ग्राम्य विकास एवं जन कल्याण सेवा समिति	इलाहाबाद	900225
50.	पी.एफ.ए., देहरादून	देहरादून	919165

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल			
51.	पी.एफ.ए. हुगली	हुगली	648556
52.	असुराली विवेकानंद स्मृति संघ	दक्षिण 24 परगना	916450
53.	एनीमल एंड वर्ड वेलफेयर संघ सोसाइटी	हावड़ा	670500
		कुल योग	48991117

2004-05 के दौरान ए.डब्ल्यू.ओ.ज को शेल्टर हाऊसेज हेतु जारी की राशि का ब्यौरा
(31-03-2005 तक)

क्र. सं.	फाइल नं.	संगठन का नाम	जिला	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	23-2/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	किंग इन्टीग्रेटेड सेवा समिति	नेलौर	1125000
2.	23-221/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	श्री वेणुगोपाल स्वामी मन्दिर	रंगारेड्डी	1083564
गोवा				
3.	23-263/02-ए.डब्ल्यू.डी.	पीपल फॉर एनीमल्स-गोवा	पणजी	900000
गुजरात				
4.	23-338/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	अबोल तीर्थ वेटेरीनरी जनर्ल हॉस्पिटल	जामनगर	878382
5.	23-36/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	श्री जय योगेश्वर गौसेवा ट्रस्ट	जूनागढ़	650000
कर्नाटक				
6.	23-295/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	मैसूर पिंजरपोल सोसायटी	मैसूर	1068750
मध्य प्रदेश				
7.	23-116/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	दयोदय पशु सेवा समिति	सिवनी	1068750
8.	23-352/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	दयोदय पशु सेवा समिति	विदिषा	945000
9.	23-147/03-ए.डब्ल्यू.डी.	सुमन रानी शिक्षा समिति	मुरैना	1000000

1	2	3	4	5
10.	23-54/2000-ए.डब्ल्यू.डी.	दयोदय गौ सेवा जीवरक्षा एवं	सागर	360000
महाराष्ट्र				
11.	23-302/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	स्व. वी.डी. सावरकर बहुउद्देशीय शिक्षण एवं व्यायाम	गढ़चिरोली	1054785
12.	23-250/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	श्री महालक्ष्मी गौरक्षण एंड चेरिटेबल ट्रस्ट	यवतमल	1000350
13.	23-260/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	माताश्री जानाबाई सेवाभावी संस्था	डेगलूर	1080000
14.	23-19/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	श्री गौसंरक्षण व अनुसंधान संस्था	नागपुर	900000
नई दिल्ली				
15.	23-10/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	सर्किल ऑफ एनीमल लवर्स	दिल्ली	974093
16.	23-292/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	संजय गांधी एनीमल केयर सेंटर	दिल्ली	641250
उड़ीसा				
17.	23-94/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	आंचलिक पुंजेश्वरी सांस्कृतिक संसद	पुरी	1125000
18.	23-196/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	पीपल फॉर एनीमल-राऊरकेला	राऊरकेला	629145
राजस्थान				
19.	23-64/01-ए.डब्ल्यू.डी.	श्री गिरिधर गौ सेवा समिति	कोटा	691690
तमिलनाडु				
20.	23-93/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	कामराजर हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ए.	विरुदुनगर	1068750
उत्तर प्रदेश				
21.	23-208/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	ग्राम विकास एवं जनकल्याण सेवा समिति	इलाहाबाद	900225
22.	23-273/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	श्री बाटेश्वर नाथ विद्या पीठ	आगरा	1125000
23.	23-43/2000/ए.डब्ल्यू.डी.	दयोदय पशु संरक्षण केन्द्र (गौशाला)	ललितपुर	200000
			कुल योग	20469734

2007-08 (4-3-2008 तक) में एम्बुलेन्स स्कीम के अंतर्गत जारी सहायता अनुदान का ब्यौरा

क्र. सं.	फाइल नं.	ए.डब्ल्यू.बी.आई. कोड नं.	संगठन का नाम	पता	जिला	राज्य	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	22/71/05-06 ए.डब्ल्यू.बी.	एम.एच.013/ 1993	वॉयस ऑफ एनीमल्स इन डिस्ट्रेस	जी-20/आर.एच.--5/वाशी, नवी मुंबई-400 703	नवी मुंबई	महाराष्ट्र	446187
2.	22/03/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	यू.पी.111/ 2001	पीपील फॉर एनीमल्स, गाजियाबाद	जे-246, पटेल नगर गाजिया-बाद-I, गाजियाबाद	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	350000
3.	22/32/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.050/ 1999	गौवंश रक्षण समिति	वारासिवनी, बालाघाट-481 331	बालाघाट	मध्य प्रदेश	450000
4.	22/33/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.319	हंडिया बाग हनुमान गौशाला समिति	नियर टेलीफोन मंदसौर ऑफिस, सीतामऊ, जिला मंदसौर	मंदसौर	मध्य प्रदेश	450000
5.	22/34/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.043/ 1999	श्री गोपाल गौशाला	राजोड-राजोड, जिला धार,	धार	मध्य प्रदेश	450000
6.	22/35/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.119/ 1999	श्री गोपाल गौशाला कचनरिया	पो.ओ. तिलावाड, तराना, जिला उज्जैन-456668	उज्जैन	मध्य प्रदेश	450000
7.	22/36/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.178/ 1999	श्री मानव मुनि गौरक्षा ट्रस्ट	सी-12, एच.आई.जी., रवि शंकर शुक्ला नगर, इंदौर	इंदौर	मध्य प्रदेश	450000
8.	22/37/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.099/ 1999	आदिनाथ जैन गौरक्षा केन्द्र	मोखान, तह.-जावड, जिला नीमच	नीमच	मध्य प्रदेश	450000
9.	22/39/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एच.आर.184/ 2006	श्री कृष्णा बाल गोपाल गौशाला	वी.पी.ओ.-बेहाली, नारनौल, मोहिन्दिरगढ	मोहिन्दरगढ	हरियाणा	396800

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	22/42/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एच.आर.130/ 2002	बाबा बाला समधवाला गौशाला	ग्राम-गंगा, तहसील-मंडी, डबवाली, सिरसा-125 103	सिरसा	हरियाणा	445850
11.	22/43/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एच.आर.132/ 2002	श्री कृष्णा गौशाला सेवा समिति	ग्राम-बेरवाला, खुर्द, जिला सिरसा-125 102	सिरसा	हरियाणा	404000
12.	22/45/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एच.आर.168/ 2006	श्री राम भक्त हनुमान गौशाला	वी.पी.ओ.-नुईनवाली, तहसील-मंडी डबवाली जिला सिरसा	सिरसा	हरियाणा	350000
13.	22/48/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.076/ 1999	वृंदावन धाम गौशाला समिति	ग्राम-ढल्का, तहसील-खारगांव, पी.ओ.-सिखेडा, जिला खारगांव,	खारगांव	मध्य प्रदेश	450000
14.	22/50/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एच.आर.170/ 2006	श्री कृष्णा गौशाला समिति	ग्राम और पोस्ट कनीना-123 027 मोहिन्दरगढ	मोहिन्दरगढ	हरियाणा	381500
15.	22/52/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एच.आर.144/ 2003	मुधाड गौशाला	नियर कपिलमुनी मन्दिर, कालायत, जिला कैथल-136117	कैथल	हरियाणा	450000
16.	22/53/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एच.आर.174/ 2006	आदर्श गौशाला सोसायटी	ग्राम बट्टा, तहसील कालायत, जिला कैथल	कैथल	हरियाणा	450000
17.	22/62/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.046/ 1999	श्री कृष्णा जीवन गौ सेवा सदन	पी.ओ. कराही, तहसील माहेश्वर, जिला खारगांव-451 220	खारगांव	मध्य प्रदेश	450000
18.	22/67/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.239/ 2002	श्री गोबिन्द गौशाला	नियर सुदरानी पेट्रोल पंप, परशु राम मन्दिर, जिला दतिया	दतिया	मध्य प्रदेश	450000
19.	22/18/05-06 ए.डब्ल्यू.बी.	एम.एच.132/ 07	जय भवानी ग्राम विकास बहुउद्देशीय	सेवाभावी संस्था, संगवी (बेनक), मुखेद, जिला नांदेड	नांदेड	महाराष्ट्र	450000
20.	22-44/2006-07-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.105/ 1999	दयोदय पशु सेवा केन्द्र	इसागढ, अशोकनगर-473 331	अशोकनगर	मध्य प्रदेश	450000

21.	22-15/05-06 ए.डब्ल्यू.बी.	ए.पी.007/ 1988	इलुरू गौसंरक्षण समिति	रामचंद्र रावपेट, इलुरू-534002, वेस्टगोदावरी, जिला, आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी	मध्य प्रदेश	350000
22.	22-12/2007-08-ए.डब्ल्यू.बी.	जी.जे.022/ 1991	श्री पूना डीसा महाजन पिंजरापोल	बांसकांथा	बांसकांथा	गुजरात	443600
23.	22-65/2006-07-ए.डब्ल्यू.बी.	टी.एन.130/ 2005	ब्लूय क्रॉस ऑफ कांचीपुरम	लिंगाप्पन स्ट्रीट, कांचीपुरम	कांचीपुरम	तमिलनाडु	408500
24.	22-67/2006-07-ए.डब्ल्यू.बी.	आर.जे.045/ 1998	श्री भगवान महावीर जैन गौशाला ट्रस्ट	जैथरन, जिला पाली	पाली	राजस्थान	350000
25.	22-24/2007-08-ए.डब्ल्यू.बी.	टी.एन.108/ 2003	इंडिया प्रोजेक्ट ऑर एनीमल्स एंड नेचर	हिल व्यू फार्म, मावनहाल पोस्ट, नीलगिरि	नीलगिरि	तमिलनाडु	435500
						कुल योग	10611937

वर्ष 2006-07 में अनुमोदित/जारी की गई एम्बुलैंस ग्रांट के ब्यौरे

क्र. सं.	ए.डब्ल्यू.बी.आई. संहिता संरक्षण	संगठन का नाम	जिला	राज्य	जारी की गयी राशि
1	2	3	4	5	6
1.	पी.जे.015/1999	गौशाला समिति	संगरूर	पंजाब	350000
2.	एच.आर.067/2000	बाबा फुलु साध गौशाला समिति	हिसार	हरियाणा	450000
3.	एम.पी.270/2002	दयोदे पशु सेवा केन्द्र	टीकमगढ़	मध्य प्रदेश	450000
4.	जी.जे.055/1998	श्री जीवदया मण्डल	कच्छ	गुजरात	319480
5.	जी.जे.027/1991	वडोदरा एस.पी.सी.ए.	बड़ौदा	गुजरात	350000
6.	एच.आर.121/2002	श्री गौशाला	सिरसा	हरियाणा	436850
7.	आर.जे.193/2000	श्री आदिनाथ पशु रक्षा संस्थान गौशाला	उदयपुर	राजस्थान	346140
8.	एम.पी.024/1998	जैन गौशाला समिति	नीमच	मध्य प्रदेश	422000
9.	आर.जे.404/2003	राजपुरोहित सेवा संस्थान	उदयपुर	राजस्थान	450000
10.	आर.जे.326/2003	श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ गौशाला	उदयपुर	राजस्थान	350127
11.	जी.जे.233/2004	श्री सहजानंद गौशाला	कच्छ	गुजरात	350000
12.	यू.पी.031/1998	कानपुर गौशाला सोसायटी	कानपुर	उत्तर प्रदेश	350000
13.	एच.आर.002/1991	मेवात क्षेत्र गौशाला समिति	गुड़गांव	हरियाणा	450000
14.	एम.एच.022/1972	नागपुर एस.पी.सी.ए.	नागपुर	महाराष्ट्र	350000
15.	एम.एच.225/2001	दयोदेय जीव रक्षा संस्था	सियोनी	मध्य प्रदेश	450000
16.	के.एल.003/1978	एस.पी.सी.ए. कोजी कोड़े	कोझीकोड	केरल	390114
17.	जी.ओ.001/1999	गोवा एनीमल वेलफेयर ट्रस्ट	राया	गोवा	410300
18.	के.एल.026/2005	एदुकी एस.पी.सी.ए.	इदुकी	केरल	450000
19.	के.ए.030/2002	गोवानीथाश्रेया ट्रस्ट	मंगलौर	कर्नाटक	350000
20.	एच.आर.046/1999	धर्मार्थ गौशाला	सोनीपत	हरियाणा	350000
21.	एम.पी.030/1999	गौत्र निवारणी गोपाल गौशाला	उज्जैन	मध्य प्रदेश	442666
22.	यू.पी.051/1999	श्री कृष्णा गौशाला	कुशीनगर	उत्तर प्रदेश	450000

1	2	3	4	5	6
23.	एम.एच.092/2002	पीपुल फॉर एनीमल्स वरघा	वरधा	महाराष्ट्र	405000
24.	आर.जे.004/1991	श्री गंगा गौशाला	बीकानेर	राजस्थान	450000
25.	ए.पी.004/1972	एस.पी.सी.ए. काकीनाडा	काकीनाडा	आन्ध्र प्रदेश	450000
26.	आर.जे.409/2004	श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान	बरन	राजस्थान	350000
27.	यू.पी.304/2006	ग्राम विकास राव जन कल्याण सेवा समिति	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	450000
28.	एम.एच.119/2005	श्री महालक्ष्मी गोरक्षण चेरिटेबल ट्रस्ट	यवतमाल	महाराष्ट्र	435500
29.	ए.पी.096/2006	सिलेक्ट	प्रकाशम	आन्ध्र प्रदेश	422920
30.	एच.आर.099/2002	महर्षि दयानंद गौशाला	झज्जर	हरियाणा	350000
31.	एच.आर.025/1998	श्री कृष्णा गोपाल गौशाला	करनाल	हरियाणा	449000
32.	एच.आर.161/2005	मार्कडेश्वर गौशाला एवम् समाज कल्याण समिति	कुरुक्षेत्र	हरियाणा	450000
33.	एच.आर.128/2002	महर्षि दयानंद सरस्वती गौशाला	सिरसा	हरियाणा	375272
34.	आर.जे.338/2002	दयोदे पशु संवर्धन संस्थान (गौशाला)	बांसवाड़ा	राजस्थान	450000
35.	एन.डी.023/1999	समाकर्षण चेरिटेबल ट्रस्ट	नई दिल्ली	नई दिल्ली	350000
				कुल योग	14105369

2005-2006 (एम्बुलैंस) जारी अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम	जिला राशि	जारी धन
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश			
1.	श्री राधा गोबिन्द गो रक्षा समिति	तिरुपति	444500
गोवा			
2.	इन्टरनेशनल एनीमल रेस्क्यू	गोवा	394170
गुजरात			
3.	श्री वर्धमान जीवदया केन्द्र	कच्छ (मुंबई)	350000

1	2	3	4
हरियाणा			
4.	शिव शक्ति गौशाला	कैथल	450000
5.	श्री कृष्णा गौशाला	जींद	350000
कर्नाटक			
6.	एनिमल राइट्स फण्ड	बंगलौर	450000
7.	कृपा लविंग एनिमल्स	बंगलौर	450000
केरल			
8.	पी.एफ.ए. कोलाम	कोलाम	412262
मध्य प्रदेश			
9.	सुमन रानी शिक्षा प्रसार समिति	मोरिना	444790
10.	बहुवाली जीव रक्षा एवं पर्यावरण समारक्षण न्यास	छिंदवाड़ा	450000
11.	श्री गौतम गोसम्वर्धन संस्थान और पर्यावरण केन्द्र	उज्जैन	442666
महाराष्ट्र			
12.	एस.पी.सी.ए. थाने	थाने	434240
13.	प्लान्ट एण्ड लवर्स सोसायटी (पाल्स) इण्डिया	मुम्बई	256163
14.	प्लान्ट एण्ड एनिमल वेलफेयर सोसायटी	धुंमीवाली	277199
उत्तर प्रदेश			
15.	सर्वेक्षर नारायण अनंत गौ सेवा समिति	मथुरा	449000
16.	एनिमल केयर आर्गेनाईजेशन	लखनऊ	419255
17.	श्री गौशाला कठार जंगल	बस्ती	350000
पश्चिम बंगाल			
18.	आशुराली विवेकानंद स्मृति संघ	दक्षिणी 24 परगणा	350000
19.	देवाग्राम ग्राम उनायन केन्द्र	नाडिया	422000
	कुल जारी दनराशि		7596245

वर्ष 2004-05 के दौरान ए.डब्ल्यू.ओ. जारी एम्बुलैंस अनुदान के ब्यौरे
(31-3-2005 तक)

राज्य	ए.डब्ल्यू.डी. फाइल नं.	नाम	जिला	राशि
आंध्र प्रदेश				
1.	22-179-02-ए.डब्ल्यू.डी.	फाऊंडेशन फार एनीमल्स	नैल्लौर	314325
कर्नाटक				
2.	22-208/02-ए.डब्ल्यू.डी.	कम्पनसेशन अनलिमिटेड प्लस एक्शन	बंगलौर	450000
मध्य प्रदेश				
3.	22-163/03-ए.डब्ल्यू.डी.	संस्कृत पुस्तकोन्नति सभा	छिंदवाड़ा	447200
पंजाब				
4.	22-171/03-ए.डब्ल्यू.डी.	श्री गौशाला	बठिंडा	438200
राजस्थान				
5.	22-106/02-ए.डब्ल्यू.डी.	पी.एफ.ए. सिरोही	सिरोही	344970
पश्चिम बंगाल				
6.	22-126/03-ए.डब्ल्यू.डी.	वुर्दवान रानीमल वेलफेयर सोसायटी	बुर्दवान	243410
			कुल	2238105

वर्ष 2007-08 में ए.बी.सी. स्कीम के तहत जारी सहायता अनुदानों के ब्यौरे (04-3-2008 तक)

क्र. सं.	फाइल सं.	ए.डब्ल्यू.बी.आई. कोड सं.	संगठन का नाम	पता	जिला	राज्य	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	24-06/05-06 ए.डब्ल्यू.बी.	ए.पी.024/ 1999	श्री राघवेन्द्रा पशु समरक्षण	3/183, काजीथालापेनटा कुड्डा कुड्डापा-516 003	कुड्डापा	आन्ध्र प्रदेश	222500
2.	24-79/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	आर.जे.543/ 2007	मारवाड पशु संरक्षण ट्रस्ट	65, गोल्फ कोर्स जोधपुर-342 011	जोधपुर	राजस्थान	1446250
3.	24-80/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एन.ए.	कटक नगर निगम ration	एट. कटक, पी.ओ. चौधरी बाजार, कटक-753 001	कटक	उड़ीसा	500000
4.	24-16/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एन.ए.	मदुरै कारपोरेशन	अरीगनार अन्ना मालीगई मदुरै-625 002	मदुरै	तमिलनाडु	232500
5.	24-41/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	डब्ल्यू.बी.016/ 1994	पशु एवं पक्षी कल्याण सोसायटी	गांव सिंगटी पी.ओ. सिंगटी शिवपुर, पी.एस. उदयनारायनपुर	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	166875
6.	24-44/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एम.एच.124/ 2006	स्वा. वी.डी. सावरकर, मल्टीपर्पस शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रोगरेसिव	रामपुरी वार्ड, कैम्प गादचिरो शिक्षा क्षेत्र, गादचिरोली 442 605	गादचिरो	महाराष्ट्र	222500
7.	24-42/05-06 ए.डब्ल्यू.बी.	ए.पी.096/ 2006	सिलेक्ट	प्लाट सं. 97, नजदीक हिल टावर आपार्टमेन्ट, सीतारामपुर आमगोल, प्रकासम जिला-523 001	प्रकाशम	आन्ध्र प्रदेश	667500
8.	24-50/05-06 ए.डब्ल्यू.बी.	एच.पी.025/ 2007	स्ट्रे डांगस वर्थ कंट्रोल सोसायटी, शिमला नगर निगम	शिमला मुनिसिपल निगम, शिमला-171 001	शिमला	हिमाचल प्रदेश	51471

9.	24-20/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एम.पी.308/ 2005	सुमन रानी शिक्षा प्रसार समिति	टिनी कानवेंट स्कूल मोटेना केशव कलोनी, जिला मुरैना-476 001	मुरैना	मध्य प्रदेश	222500
10.	24-30/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एम.एच.028/ 1973	एस.पी.सी.ए. पुणे	2390, न्यू ट्रांसपोर्ट पुणे लाइन, नजदीक पूजा कॉलेज, भवानी पेथ पुणे	पुणे	महाराष्ट्र	92500
11.	24-41/05-06 ए.डब्ल्यू.बी.	ओ.आर.033/ 2002	पीपुल फार एनिमल्स बेरहामपुर	गादेवारी स्ट्रीट, बरहामपुर जिला-गंजम-760 002	गंजम	उड़ीसा	445000
12.	24-62/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एन.डी.010/ 1993	जीवाश्रम फाउंडेशन	9-डी, एवरशाईन अपार्टमेन्ट, दिल्ली विकास पुरी, नई दिल्ली 110 018	दिल्ली	दिल्ली	128760
13.	24-78/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	ए.पी.011/93	ब्लू क्रास ऑफ हैदराबाद	403/9, रोड सं. 35, जुबली हिल हैदराबाद-500 033	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	222500
14.	24-16/07-08 ए.डब्ल्यू.बी.	ए.पी.017/ 1998	अंतर्राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी कल्याण सोसायटी	जीवाश्रम गुट्टुर-515, आनंतपुर 164, जिला उत्तर प्रदेश	आनन्तपुर	आन्ध्र प्रदेश	890000
15.	24-26/07-08 ए.डब्ल्यू.बी.	ए.पी.016/98	विसाखा एस.पी.सी.ए.	26-15-200, मेन रोड, विशाखापट्टनम-530 001	विशाखापट्टनम	आन्ध्र प्रदेश	987500
16.	24-61/07-08 ए.डब्ल्यू.बी.	ए.पी.056/ 2000	पशु केयर लैण्ड भूमि	हाऊस सं. 13-6-600-44-157जी, पेद्दाकपु लेआऊट तिरूपति-517 501	तिरुपति	आन्ध्र प्रदेश	1335000
17.	24- 44/07-08 ए.डब्ल्यू.बी.	डब्ल्यू.बी.014/ 1995	अनुकंपा क्रुसाडरस ट्रस्ट	1/13ए, ओलाय चांदी रोड, कोलकाता-700 037	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	333000
18.	24-47/07-08 ए.डब्ल्यू.बी.	ए.पी.048/ 2000	ग्रीन मरसी	प्लाट सं. 71, राधा कृष्णा नगर, कलैक्टर के बंगले के पीछे ए.पी.एच.बी. कालोनी	विशाखापट्टनम	आन्ध्र प्रदेश	667500

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	24-62/07-08 ए.डब्ल्यू.बी.	के.एल.026/ 2005	इडुक्की एस.पी.सी.ए.	1/423, प्रीयाराधु हाऊस, इडुक्की मानाककाडु पोस्ट कोड्डपूजाहा	इडुक्की	केरल	267000
20.	24-42/07-08 ए.डब्ल्यू.बी.	जी.जे.027/ 1991	वाडोदरा एस.पी.सी.ए.	283, जी.आई.डी.सी. मकरपुरा बड़ौदा-390 010	बड़ौदा	गुजरात	222500
21.	24-52/2006-07 ए.डब्ल्यू.बी.	डब्ल्यू.बी.021/ 1997	लव एन केयर फार एनिमल्स	96/1, डा. एन.जी. साहा रोड, कोलकाता-700 061	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	667500
22.	24-67/07-08 ए.डब्ल्यू.बी.	डब्ल्यू.बी.021/ 1997	लव एन केयर फार एनिमल्स	96/1, डा. एन.जी. साहा रोड, कोलकाता-700 061	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	445000
23.	24-53/2006-07 ए.डब्ल्यू.बी.	के.ए.040/05	स्वपना समरक्षण समिति	एन.एच. 17, नजदीक देवमाग क्रास, सदाशिवगढ़-581352, करवल, कर्नाटक	कारवार	कर्नाटक	111250
24.	24-82/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	एन.डी.045/ 2007	जीवन ज्योति पशु कल्याण सोसायटी	हाऊस सं. 65, पाकेट ए-00 (60 न्यू एम.टी.आर.), सैक्टर-2, रोहिणी, दिल्ली-110 085	नई दिल्ली	दिल्ली	317625
25.	24-75/2006-07-ए.डब्ल्यू.बी.	डब्ल्यू.बी.025/ 1999	पीपुल्स फार एनिमलस कोलकाता	6/1, वुड स्ट्रीट, कोलकाता-700 013	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	667500
26.	24-63/2007-08-ए.डब्ल्यू.बी.	डब्ल्यू.बी.025/ 1999	पीपुल्स फार एनिमलस कोलकाता	6/1, वुड स्ट्रीट, कोलकाता-700 013	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	667500
27.	24-57/2007-08-ए.डब्ल्यू.बी.	एन.डी.003/ 1988	फ्रेन्डीकोइस-सिका	271 और 273, डिफेंस कालोनी नया फ्लाईओवर मार्किट नई दिल्ली-110 024	नई दिल्ली	दिल्ली	304380
28.	24-37/2007-08-ए.डब्ल्यू.बी.	एन.डी.024/ 1999	सोनाक्षी चेरिटेबल ट्रस्ट	जे-1910, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110 019	दिल्ली	दिल्ली	556250

29.	24-50/2007-08-ए.डब्ल्यू.बी.	एन.डी.039/2002	एनिमल इंडिया ट्रस्ट	जल विहार, लाजपत नगर दिल्ली-1, नजदीक जल विहार बस टर्मिनल, नई दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली	641690
30.	24-58/2007-08-ए.डब्ल्यू.बी.	एन.डी.023/1999	समरक्षण चेरिटेवल ट्रस्ट	ई-314, आनन्दलोक, मयूर विहार फेस-I, दिल्ली-110 091	दिल्ली	दिल्ली	496005
31.	24-19/2006-07-ए.डब्ल्यू.बी.	डब्ल्यू.बी.029/2001	पी.एफ.ए. हुगली	हुगली	हुगली	पश्चिम बंगला	116607
32.	24-46/2007-08-ए.डब्ल्यू.बी.	जी.ओ.001	गोवा पशु कल्याण ट्रस्ट	सनसोड़ा, मारगाओ	गोवा	गोवा	333750
33.	24-14/2007-08-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.एच.031/1995	ब्लू क्रास सोसायटी, पुणे	पुणे	पुणे	महाराष्ट्र	555000
34.	24-33/2007-08-ए.डब्ल्यू.बी.	आर.जे.017/1993	हैल्प इन सफरिंगस	दुर्गापुर, जयपुर	जयपुर	राजस्थान	778750
35.	24-29/2006-07-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.एच.092/2002	पी.एफ.ए. वर्धाज	वर्धा	वर्धा	महाराष्ट्र	148000
36.	24-64/2007-08-ए.डब्ल्यू.बी.	टी.एन.130/2005	ब्लू क्रास आफ कांचीपुरम	लिंगाप्पन कांचीपुरम	कांचीपुरम	तमिलाडु	445000
37.	24-76/2006-07-ए.डब्ल्यू.बी.	ए.पी.064/2002	करूणा सोसायटी फार एनिमल्स एंड नेच्चर	पुट्टापार्थी	आनंतपुर	आन्ध्र प्रदेश	222500
38.	24-55/2007-08-ए.डब्ल्यू.बी.	जी.ओ.004/2000	गोवा एस.पी.सी.ए.	सोक्राटिस ओलिवर वेटनेरी वाईज होस्पीटल, 78/4 टोरडा सलवाडोर-डू-मुन्डो, वारडेज, गोवा	वारडेज	गोवा	222500
39.	24-35/2007-08-ए.डब्ल्यू.बी.	टी.एन.044/1998	पी.एफ.ए. चैन्नई चेरिटेबल ट्रस्ट	वोसिन ब्रिज रोड, पुलिअनथोप, चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु	1295000

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	24-24/2006-07-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.एच.013/1993	वायस आफ एनिमल्स इन डिस्ट्रेस	नवीं मुम्बई	नवीं मुम्बई	महाराष्ट्र	445000
41.	24-41/2007-08-ए.डब्ल्यू.बी.	टी.एन.045/1998	पशु कल्याण एवं संरक्षण ट्रस्ट	संतोषापुरम्, चैन्नई	चैन्नई	तमिलनाडु	667500
42.	24-15/2006-07-ए.डब्ल्यू.बी.	एम.एच.038/1997	डिफेंस आफ एनिमल्स	मुम्बई	मुम्बई	महाराष्ट्र	667500
43.	24-34/2007-08-ए.डब्ल्यू.बी.	जी.ओ.002/1991	पी.एफ.ए. गोवा	मापुसा, गोवा	गोवा	गोवा	1335000
44.	24-83/2006-07-ए.डब्ल्यू.बी.	टी.एन.108/2003	इंडिया प्रोजेक्ट फार एनीमल्स एंड नेचर	हिल व्यू फार्म, मावानहाल नीलगिरी पोस्ट नीलगिरी	नीलगिरी	तमिलनाडु	890000
						कुल	22320163

2006-07 में ए.बी.सी. अनुमोदित/जारी धनराशि के ब्यौरे

क्र. सं.	रांगठन का नाम	जिला	राज्य	जारी धन राशि
1	2	3	4	5
1.	पीपुल फार एनीमल्स भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	उड़ीसा	445000
2.	फाऊंडेशन फॉर एनीमल्स	निलौर	आंध्र प्रदेश	178000
3.	पीपुल फार एनीमल्स वरधा	वर्धा	महाराष्ट्र	92500
4.	सुमन रानी शिक्षा प्रसार समिति	मुरैना	मध्य प्रदेश	185000
	सुमन रानी शिक्षा प्रसार समिति	मुरैना	मध्य प्रदेश	222500
5.	एनिमल रेस्क्यू केरल चेरिटेबल ट्रस्ट	तिरूवन्तपुरम	केरल	105000
6.	पीपुल फॉर एनीमल्स	मपुसा	गोवा	1110000
7.	ब्ल्यू क्रास आफ काचीपुरम	कांचीपुरम	तमिलनाडु	667500
8.	विशाखा एस.पी.सी.ए.	विशाखापटनम	आन्ध्र प्रदेश	1975000
9.	पीपुल्स फार एनीमल्स वरधा	वर्धा	महाराष्ट्र	92500
10.	एनीमल केयर लैण्ड	तिरूपति	आन्ध्र प्रदेश	1112500
11.	लव एन केयर फार एनीमल्स	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	667500
12.	एस.पी.सी.ए. पुणे	पुणे	महाराष्ट्र	92500
13.	ब्ल्यू क्रास सोसायटी ऑफ पुणे	पुणे	महाराष्ट्र	697820
14.	गोवा एस.पी.सी.ए.	बार्डज	गोवा	266200
15.	गोवा एनीमल वेलफेयर ट्रस्ट	मार्गेयो	गोवा	667500
16.	हेल्प इन सफिंग	जयपुर	राजस्थान	1096507
17.	कम्पनसेट क्रसेंडर ट्रस्ट	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	277500
18.	आल इण्डिया एनीमल वेलफेयर एसोसिएशन	मुम्बई	महाराष्ट्र	740000
19.	एनीमल एण्ड वर्ड वेलफेयर सोसायटी	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	166875
20.	ब्ल्यू क्रास आफ इण्डिया	चैन्नई	तमिलनाडु	2590000
21.	थाणे म्यूनिसिपल कोरपोरेशन	थाणे	महाराष्ट्र	833930

1	2	3	4	5
22.	थाणे म्यूनिसिपल कोरपोरेशन	थाणे	महाराष्ट्र	667500
	इण्डिया प्रोजेक्ट फार एनीमल्स एण्ड नेचर	नीलगिरी	तमिलनाडु	222500
	इण्डिया प्रोजेक्ट फार एनीमल्स एण्ड नेचर	नीलगिरी	तमिलनाडु	890000
23.	एनीमल वेलफेयर एसोसिएशन	मुम्बई	महाराष्ट्र	445000
24.	इन डिफैंस आफ एनीमल्स	मुम्बई	महाराष्ट्र	899775
	इन डिफैंस आफ एनीमल्स	मुम्बई	महाराष्ट्र	667500
25.	वर्धमान सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर	वर्धवान	पश्चिम बंगाल	44500
26.	एनीमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट	चैन्नई	तमिलनाडु	1780000
27.	करूणा सोसाइटी फॉर एनीमल एंड नेचर	पुत्थापर्थी	आन्ध्र प्रदेश	158865
	करूणा सोसाइटी फॉर एनीमल एंड नेचर	पुत्थापर्थी	आन्ध्र प्रदेश	222500
28.	वदोदरा एस.पी.सी.ए.	बड़ौदा	गुजरात	445000
29.	फ्रेडींकोएस - सेका	नई दिल्ली	दिल्ली	1802250
30.	फाऊंडेशन फार एनीमल्स	नेल्लौर	आन्ध्र प्रदेश	356000
31.	आदर्श एनीमल वेलफेयर ट्रस्ट	बेल्लारी	कर्नाटक	91500
32.	इदुकी एस.पी.सी.ए.	इदुक्की	केरल	445000
33.	इन्टरनेशनल एनीमल और वर्ड्स वेलफेयर सोसायटी	अनंतपुर	आन्ध्र प्रदेश	667500
34.	ग्रीन मैरके	विशाखापट्टनम	आन्ध्र प्रदेश	491380
	ग्रीन मैरके	विशाखापट्टनम	आन्ध्र प्रदेश	592500
35.	स्मारकशन चेरिटेबल ट्रस्ट	दिल्ली	दिल्ली	655200
36.	संजय गांधी एनीमल केयर सेन्टर	दिल्ली	दिल्ली	890000
37.	सोनादी चेरिटेबल ट्रस्ट	दिल्ली	दिल्ली	1112500
38.	एनीमल इण्डिया ट्रस्ट	दिल्ली	दिल्ली	1780000
39.	ब्ल्यू क्रास आफ कांचीपुरम	कांचीपुरम	तमिलनाडु	1335000

1	2	3	4	5
40.	एस.पी.सी.ए. चैन्नई	चेन्नई	तमिलनाडु	185000
41.	जीवाश्रम फाऊंडेशन	दिल्ली	दिल्ली	138750
42.	पीपुल फार एनीमल्स चेन्नई चेरिटेबल ट्रस्ट	चेन्नई	तमिलनाडु	2590000
43.	पीपुल फॉर एनीमल्स बेरहामपुर	गंजम	उड़ीसा	445000
44.	पीपुल फॉर एनीमल्स भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	उड़ीसा	222500
45.	पीपुल फॉर एनीमल्स देहरादून	देहरादून	उत्तरांचल	222500
46.	पीपुल फॉर एनीमल्स राऊरकेला	सुंदरगढ़	उड़ीसा	33100
47.	स्वामी वी.डी. सावरकर मल्टीपरपस एजुकेशन एण्ड हेल्थ प्रोग्रेसिव समिति (एनीमल)	गढ़चिरौली	महाराष्ट्र	222500
48.	करूणा एस.पी.सी.ए.	एर्णाकुलम	केरल	222500
49.	वाइस आफ एनीमल्स इन डिस्ट्रेस	नवीं मुंबई	महाराष्ट्र	445000
50.	ब्ल्यू क्रास आफ हैदराबाद	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	555000
51.	पीपुल फार एनीमल्स हुगली	हुगली	पश्चिम बंगाल	39118
52.	पीपुल फार एनीमल्स वर्धा	वर्धा	महाराष्ट्र	148000
53.	इन्टरनेशनल एनीमल रेस्क्यू	वर्डिज	गोवा	445000
	इन्टरनेशनल एनीमल रेस्क्यू	वर्डिज	गोवा	778750
54.	दाया एस.पी.सी.ए.	अर्नाकुलम	केरल	222500
55.	स्ट्रे डॉगस वर्थ कन्ट्रोल सोसायटी शिमला म्यूनिसिपल कारपोरेशन	शिमला	हिमाचल प्रदेश	78000
56.	पेट एनीमल वेलफेयर सोसायटी	नई दिल्ली	दिल्ली	200250
57.	जीवन ज्योति एनीमल वेलफेयर सोसायटी	नई दिल्ली	दिल्ली	333750
58.	पीपुल फार एनीमल्स कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	667500
59.	दार्जिलिंग गुडविल एनीमल शेल्टर	कलिमपोंग	पश्चिम बंगाल	261215
60.	चयन	प्रकाशम्	आन्ध्र प्रदेश	667500
			कुल	40067235

2005-2006 (ए.बी.सी.) में जारी किए गए अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम	जिला	जारी किए गए अनुदान
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश			
1.	ग्रीन मेकी	विशाखापटनम	222500
2.	श्री राघवेंद्र पशु संरक्षण	कुडापाह	290500
3.	विशाखा एस.पी.सी.ए.	विशाखापटनम	1360000
4.	फाउंडेशन फॉर एनीमल्स	निल्लौर	178000
5.	एनीमल केयर लैंड	तिरूपति	890000
6.	अंतर्राष्ट्रीय पशु-पक्षी कल्याण समिति	अनंतपुर	445000
7.	आदर्श एस.पी.सी.ए.	अनंतपुर	200000
8.	ब्लू क्रॉस ऑफ हैदराबाद	हैदराबाद	374375
9.	सेंटर फॉर एनीमल रिहेबलीटेशन एंड एनवायरनमेंट	चित्तौड़	111250
10.	इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ जीवकरूणा	विजयावाड़ा	92500
पंजाब			
11.	पी.एफ.ए. चण्डीगढ़	चंडीगढ़	222500
दिल्ली			
12.	सोसाइटी फॉर स्ट्रे कैनिन कंट्रोल	दिल्ली	2243635
गोवा			
13.	गोवा एस.पी.सी.ए.	बरदेज	206250
14.	इंटरनेशनल एनीमल रेसक्यू	गोवा	890000
15.	पीपुल फॉर एनीमल	गोवा	1110000
16.	गोवा एनीमल वेलफेयर ट्रस्ट	गोवा	1272700
गुजरात			
17.	आर.एम.सी. एनीमल वेलफेयर ट्रस्ट	राजकोट	255000

1	2	3	4
18.	एनीमल हेल्प फाउंडेशन	अहमदाबाद	340000
19.	वदोदरा एस.पी.सी.ए.	बड़ौदा	445000
हिमाचल प्रदेश			
20.	एस.पी.सी.ए. सिरमौर	नाहन	34000
केरल			
21.	इदुक्की एस.पी.सी.ए.	टोडुपुजा	445000
22.	एनीमल रेसक्यू केरल चेरिटेबल ट्रस्ट	तिरूवनंतपुरम	105000
मध्य प्रदेश			
23.	सुमन रानी शिक्षा प्रसार समिति	मोरेना	185000
महाराष्ट्र			
24.	ऑल इंडिया एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन	मुम्बई	763800
25.	वायस ऑफ एनिमल इन डिस्ट्रेस	नई मुम्बई	445000
26.	ब्लू क्रॉस सोसायटी ऑफ पुणे	पुणे	697080
27.	एनीमल वेलफेयर एसोसिएशन	मुम्बई	311500
28.	एस.पी.सी.ए. पुणे	पुणे	244750
29.	थाने म्यूनिसिपल कार्पोरेशन	थाने	329300
उड़ीसा			
30.	पीपल फॉर एनीमल्स	राउरकेला	95000
31.	पी.एफ.ए. बेहरामपुर	बेहरामपुर	222900
32.	पी.एफ.ए. भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	222500
राजस्थान			
33.	हेल्प इन सफरिंग	जयपुर	680555
34.	एनिमल ऐड सोसाइटी	उदयपुर	510000
35.	कोटा एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट	कोटा	70720

1	2	3	4
तमिलनाडु			
36.	पीपल फॉर एनिमल चैन्नई चेरिटेबल ट्रस्ट	चैन्नई	3515000
37.	एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट	चैन्नई	1335000
38.	ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया	चैन्नई	2590000
39.	इंडिया प्रोजेक्ट फॉर एनिमल एंड नेचर	नीलगिरी	222500
40.	ब्लू क्रॉस ऑफ कांचीपुरम	कांचीपुरम	667500
उत्तर प्रदेश			
41.	लखनऊ म्युनिसिपल कार्पोरेशन	लखनऊ	961200
पश्चिम बंगाल			
42.	लव एंड केयर फॉर एनिमल्स	कोलकाता	244750
43.	पीपल फॉर एनीमल्स, कोलकाता	कोलकाता	925000
44.	कमपेशनेट क्रुसेडरस ट्रस्ट	कोलकाता	333750
45.	वर्धवान सोसायटी फॉर एनीमल वेलफेयर	बर्दवान	30400
		कुल योग	27336415

2004-05 के दौरान ए.डब्ल्यू.ओ. को जारी किए गए ए.बी.सी. अनुदान का ब्यौरा (31.03.2005 को)

क्र. सं.	ए.डब्ल्यू.डी. फाइल सं.	संगठन का नाम	जिला	जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	24-02/04-05-ए.डब्ल्यू.बी.	एस.पी.सी.ए. काकीनाडा	ईस्ट गोदावरी	222500
2.	24-49/03-ए.डब्ल्यू.डी.	करूणा सोसाइटी फॉर एनीमल एंड नेचर	पुटापरती	62000
3.	24-215/03-ए.डब्ल्यू.डी.	एनीमल केयर लैंड	तिरूपति	133500
4.	24-46/03-ए.डब्ल्यू.डी.	विशाखा एस.पी.सी.ए.	विशाखापटनम	595000

1	2	3	4	5
5.	24-41/03-ए.डब्ल्यू.डी.	ब्लू क्रॉस ऑफ हैदराबाद	हैदराबाद	525000
6.	24-116/02-ए.डब्ल्यू.डी.	अंतर्राष्ट्रीय पशु-पक्षी वन्यजीव सोसाइटी	अनंतपुर	170000
गोवा				
7.	24-03/04-05-ए.डब्ल्यू.बी.	गोवा एस.पी.सी.ए. सोक्रेट्स सहित	गोवा	127500
8.	24-195/03-ए.डब्ल्यू.डी.	पंजिम एनिमल वेलफेयर सोसाइटी	गोवा	400500
9.	24-48/02-ए.डब्ल्यू.डी.	इंटरनेशनल एनिमल रेसक्यू	बरदेज	267780
10.	24-34/04-05/ए.डब्ल्यू.बी.	इंटरनेशनल एनिमल रेसक्यू	बरदेज	445000
गुजरात				
11.	24-3/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	वदोदरा एस.पी.सी.ए.	वदोदरा	170000
महाराष्ट्र				
12.	24-225/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	वॉयस फॉर एनीमल्स इन डिस्ट्रैस (स्ट्रा)	थाने	445000
13.	24-01/04-05-ए.डब्ल्यू.बी.	ब्लू क्रॉस सोसाईटी, पुणे	पुणे	462500
		ब्लू क्रॉस सोसाईटी, पुणे द्वितीय इंस्टालमेंट	पुणे	462500
14.	24-205/03-ए.डब्ल्यू.डी.	ऑल इंडिया एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन	मुम्बई	250000
15.	24-114/02-ए.डब्ल्यू.डी.	इन डिफेंस ऑफ एनिमल्स	मुम्बई	408000
नई दिल्ली				
16.	24-39/04-05-ए.डब्ल्यू.बी	सोसाइटी फॉर स्ट्रे केनिन बर्थ कंट्रोल	दिल्ली	2892500
उड़ीसा				
17.	24-151/03-ए.डब्ल्यू.डी.	पी.एफ.ए. भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	222500
राजस्थान				
18.	24-36/04-05-ए.डब्ल्यू.डी.	हेल्प इन सफिरंग	जयपुर	429445
तमिलनाडु				
19.	24-04/04-05-ए.डब्ल्यू.बी.	ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया	चैन्नई	740000
		ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वितीय इंस्टालमेंट		740000
20.	24-34/2003-ए.डब्ल्यू.डी.	पीपल फॉर एनीमल्स चेरिटेबल ट्रस्ट	चैन्नई	590000

1	2	3	4	5
21.	24-31/04-05/ए.डब्ल्यू.बी.	एनीमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट	चैन्नई	445000
		एनीमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट द्वितीय इंस्टालमेंट		445000
22.	24-37/04-05/ए.डब्ल्यू.बी.	पीपल फॉर एनीमल्स (चैन्नई) चेरिटेबल ट्रस्ट	चैन्नई	925000
उत्तर प्रदेश				
23.	24-94-02-ए.डब्ल्यू.डी.	पी.एफ.ए. आगरा	आगरा	34000
पश्चिम बंगाल				
24.	24-68/2002-ए.डब्ल्यू.डी.	द ऑल लवरस ऑफ एनीमल सोसाइटी	कोलकाता	126000
25.	24-39/1999-ए.डब्ल्यू.डी.	एनीमल एंड बर्ड वेलफेयर सोसाइटी	हावड़ा	400000
26.	24-32/04-05/ए.डब्ल्यू.बी.	लव एंड केयर फॉर एनीमल्स	कोलकाता	244750
27.	24-72/02-ए.डब्ल्यू.डी.	पीपल फॉर एनीमल्स, हुगली	हुगली	170000
28.	24-123/03-ए.डब्ल्यू.डी.	पी.एफ.ए. कोलकाता	कोलकाता	220000
			कुल	13770975

वर्ष 2007-08 प्राकृतिक आपदा रिलीफ स्कीम के अन्तर्गत जारी सहायता अनुदान के ब्यौरे

क्र. सं.	फाइल नं.	ए.डब्ल्यू.बी.आई. कोड नं.	संगठन का नाम	पता	जिला	राज्य	जारी धन राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	21-35/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	जी.जे.188/ 2002	सेठ आनंद जी कल्याण जी छपरियाली पिंजरपौल और सार्वजनिक ट्रस्ट	छपरियाली महुआ जिला भावनगर-364 510	भावनगर ताल्लुक	गुजरात	410000
2.	21-38/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	ए.पी.064/ 2002	करूणा सोसायटी फार एनील्स एण्ड नेचर	2/138 सी, करूणा निलायम एस.सी. क्वार्टरस के पीछे येनुमुल्लापाली पुट्टापट्टी 515 134	पुट्टापट्टी	आन्ध्र प्रदेश	350000
3.	21-33/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	आर.जे.536/ 2007	श्री श्री राजीव गांधी गौशाला प्रबन्ध समिति	इन्दिरा गांधी भवन गांव शिवद तहसील-माधोपुर चौक का वारयड़ा, जिला सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	राजस्थान	175000
4.	21-37/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	आर.जे.525/ 2007	अरुणिमा सेवा संस्थान	अजमेर	अजमेर	राजस्थान	175000
5.	21-39/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	आर.जे.403/ 2003	श्री मंच गौशाला भीमगौड़ा कुशिप सेवा समिति	कुशिप	बाड़मेर	राजस्थान	200000
						कुल	1310000

वर्ष 2006-07 में अनुमोदित/जारी प्राकृतिक आपदा अनुदान के ब्यौरे

क्र. सं.	फाइल सं.	ए.डब्ल्यू.बी.आई. कोड नं.	संगठन का नाम	राज्य	जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	21-18/05-06-ए.डब्ल्यू.बी.	ओ.आर.015/2001	कल्याणी	उड़ीसा	100000
2.	21-19/2005-06	टी.एन.044/1998	पीपुल फॉर एनीमल्स (चेन्नई) चेरिटेबल ट्रस्ट	तमिलनाडु	402500
3.	21-15/06-07-ए.डब्ल्यू.बी.	आर.जे.144/1999	श्री मोहन गोपाल गौशाला	राजस्थान	200000
4.	21-18/06-07-ए.डब्ल्यू.बी.	जी.जे.004/1988	श्री अखिल भारतीय हिंसा निवारण संघ	गुजरात	300000
5.	21-22/06-07-ए.डब्ल्यू.बी.	ए.पी.029/1999	भारतीय प्राणी मित्र संघ	आन्ध्र प्रदेश	200000
6.	21-24/06-07-ए.डब्ल्यू.बी.	ए.पी.096/2006	सिलेक्ट	आन्ध्र प्रदेश	20000
7.	21-30/06-07-ए.डब्ल्यू.बी.	ओ.आर.005/1997	अशोर्यवा गौमंगल समिति	उड़ीसा	20000
8.	21-31/06-07-ए.डब्ल्यू.बी.	ओ.आर.018/2001	डिस्ट्रिक्ट एस.पी.सी.ए.	उड़ीसा	10000
9.	21-20/05-06-ए.डब्ल्यू.बी.	डब्ल्यू.बी.024/1998	काऊंसिल फॉर रूरल वेलफेयर	पश्चिम बंगाल	55000
10.	21-07/06-07-ए.डब्ल्यू.बी.	ए.पी.048/2000	ग्रीन मेरके	आन्ध्र प्रदेश	50000
11.	21-29/06-07-ए.डब्ल्यू.बी.	ओ.आर.040/2006	सीपुत्रा	उड़ीसा	20000
12.	21-24/05-06-ए.डब्ल्यू.बी.	ए.पी.016/1998	विशाखा एस.पी.सी.ए.	आन्ध्र प्रदेश	577000
13.	21-35/06-07-ए.डब्ल्यू.बी.	जी.जे.188/2002	सेठ आनंद जी कल्याण जी छपरियाली पिंजरपौल और सार्वजनिक ट्रस्ट	गुजरात	290000

1	2	3	4	5	6
14.	21-38/06-07-ए.डब्ल्यू.बी.	ए.पी.064/2002	करूणा सोसायटी फॉर एनीमल्स एण्ड नेचर	आन्ध्र प्रदेश	350000
15.	21-33/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	आर.जे.536/2007	श्री श्री राजीव गांधी गौशाला प्रबंध समिति	राजस्थान	175000
16.	21-37/06-07 ए.डब्ल्यू.बी.	आर.जे.525/2007	अरुनिमा सेवा संस्थान	राजस्थान	175000
				कुल	2944500

2005-2006 में जारी धनराशि (प्राकृतिक आपदा)

क्र.सं.	नाम	जिला	राज्य	जारी धनराशि
आन्ध्र प्रदेश				
1.	विशाखा एस.पी.सी.ए.	विशाखा	आन्ध्र प्रदेश	500000
महाराष्ट्र				
2.	पिंजरपौल (गौरक्षा) संस्था)	अहमदनगर	महाराष्ट्र	801315
उड़ीसा				
3.	पीपुल फॉर एनिमल्स	भुवनेश्वर	उड़ीसा	500000
4.	अपोवा	केन्द्रपाड़ा	उड़ीसा	340120
5.	मैत्री क्लब	गुंजम	उड़ीसा	50000
		कुल जारी धनराशि		2191435

वर्ष 2004-05 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के लिए जारी अनुदान (31.03.2005 तक)

राज्य	ए.डब्ल्यू.डी. फाइल सं.	नाम	जिला	जारी धनराशि
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				
1.	21-6/04-05/ए.डब्ल्यू.बी.	भारतीय जीव जन्तु	पोर्ट ब्लेयर	100000

1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
2.	21-7/04-05/ए.डब्ल्यू.बी.	करूणा सोसायटी फार एनिमल्स	पुट्टापट्टी	100000
3.	21-5/04-05/ए.डब्ल्यू.बी.	विशाखा एस.पी.सी.ए.	विशाखापटनम	60000
नई दिल्ली				
4.	21-8/04-05/ए.डब्ल्यू.बी.	फ्रेंडिको सेंका	नई दिल्ली	100000
तमिलनाडु				
5.	21-10/04-05/ए.डब्ल्यू.बी.	एनिमल वेलफेयर	चेन्नई	24000
6.	21-4/04-05/ए.डब्ल्यू.बी.	ब्ल्यू क्रास आफ इण्डिया	चेन्नई	1000000
			कुल	1384000

ए.डब्ल्यू.बी.आई. प्लान के अंतर्गत ए.डब्ल्यू.ओ.एस. को जारी किया गया सहायता अनुदान का ब्यौरा (2007-08 के दौरान मंजूर और जारी की गई राशि (4-3-2008 के अनुसार)

क्र. सं.	कोड नं.	नाम	शहर	जारी अनुदान
1	2	3	4	5
1.	ए.पी.004/1972	एस.पी.सी.ए. काकीनाडा	काकीनाडा	40000
2.	ए.पी.007/1988	इलुरू गौसंरक्षण समिति	एलुरू	50000
3.	ए.पी.016/1998	विशाखा एस.पी.सी.ए.	विशाखापटनम	75000
4.	ए.पी.017/1998	इंटरनेशनल एनीमल्स एंड वर्ल्ड वेलफेयर सोसायटी	गुंटुर	60000
5.	ए.पी.021/1999	रोयल यूनिट फार परिवेंशन आफ क्रुयल्टी टू एनिमल्स	उरवाकोण्डा	30000
6.	ए.पी.033/2000	श्री महावीर गौशाला फाऊंडेशन ट्रस्ट	तिरूपति	60000
7.	ए.पी.037/2000	फाऊंडेशन ऑफ एनिमल्स ट्रस्ट	निल्लोर	50000
8.	ए.पी.038/2000	सोसायटी ऑफ एनिमल वेलफेयर	कोठागोदाम	10000
9.	ए.पी.072/2002	श्री विजयवाडा गौ संरक्षण संगठन	विजयवाडा	50000
10.	ए.पी.088/2005	सहयोग ऑर्गेनाइजेशन	हैदराबाद	50000
11.	ए.पी.093/2006	साईं ब्लू क्रास सोसायटी	अनंतपुर	30000

1	2	3	4	5
12.	ए.पी.096/2006	सोशल इक्नोमिक फार लेबर एण्ड कम्युनिटी ट्रेनिंग (सेलेक्ट)	प्रकासम	60000
13.	ए.पी.100/2007	अभय गऊ सेवा संस्थान	हैदराबाद	10000
14.	बी.एच.003/1991	श्री टाटानगर गऊशाला	जमशेदपुर	125000
15.	बी.एच.010/1999	श्री गांगा गऊशाला	कटरासागर (पी.ओ.)	50000
16.	बी.एच.014/1999	जमशेदपुर एनिमल वेलफेयर सोसायटी	जमशेदपुर	10000
17.	बी.एच.017/2000	राष्ट्रीय गौरक्षा संघ	पटना	40000
18.	बी.एच.037/2007	हैल्प लाईन आर्गेनाइजेशन फार इनवायरमेंट एंड एनिमल ट्रस्ट (होप एंड एनिमल ट्रस्ट)	रांची	10000
19.	जी.जे..009/1991	श्री दरूल गऊशाला एंड पंजरापौल	ध्रौल	50000
20.	जी.जे.016/1991	श्री वृंदावन गऊशाला जीवदया ट्रस्ट	जीवापुर	100000
21.	जी.जे.019/1991	श्री सिद्धपुर महाजन पंजरापौल	सिद्धपुर	70000
22.	जी.जे.020/1991	श्री बाबरा पंजरापौल	बाबरा	50000
23.	जी.जे.024/1991	श्री अंजर पंजरापौल	कच्छ	125000
24.	जी.जे.025/1991	श्री विंजाया महाजन पंजरापौल ट्रस्ट	राजकोट	50000
25.	जी.जे.027/1991	वदोदरा एस.पी.सी.ए.	बड़ौदा	50000
26.	जी.जे.034/1998	श्री जखाऊ पंजरापौल ट्रस्ट और गऊशाला	जखाऊ	50000
27.	जी.जे.042/1997	श्री महुआ गोरक्षक सभा	महुआ	50000
28.	जी.जे.055/1998	श्री जीवदया मंडल	कच्छ	200000
29.	जी.जे.065/1998	श्री खोदादार पंजरापौल	थारा	55000
30.	जी.जे.066/1998	श्री मेहसाना पंजरापौल संस्थान	मेहसाना	50000
31.	जी.जे.070/1998	सिद्धि भवन मनोहर जैन पंजरापौल	बनासकंठा डि.	50000
32.	जी.जे.073/1998	राधनपुर खोदादार पंजरापौल संस्था	राधानपुर	220000
33.	जी.जे.075/1999	श्री गौवंश एण्ड पंजरापौल संस्था	जमकनडोरना	150000
34.	जी.जे.076/1999	श्री गऊरक्षा संस्था	पलिताना	75000
35.	जी.जे.086/1999	श्री वाकनेर पंजरापौल गऊशाला	वनकनेर	50000

1	2	3	4	5
36.	जी.जे.098/2000	भीखा गऊरक्षण पंजरापौल	बिलखा	50000
37.	जी.जे.114/2000	श्री शिवाजीनगर गऊसेवा समाज ट्रस्ट	सावरकुण्डला	50000
38.	जी.जे.126/2001	श्री रामरोटी अन्नाक्षेत्र आश्रम	कोठारिया	125000
39.	जी.जे.131/2001	श्री भुजपुर पंजरापौल	भुजपुर	400000
40.	जी.जे.142/2002	भगवान महावीर पशु रक्षा केन्द्र	परागपुर	310000
41.	जी.जे.161/2002	वडाला पंजरापौल	वाडला	185000
42.	जी.जे.171/2002	श्री मानसा महाजन पंजरापौल	मनसा	135000
43.	जी.जे.194/2002	श्री जीवदया गऊ सेवा समाज ट्रस्ट	ललितपुर	50000
44.	जी.जे.199/2002	वडोदरा सेंटर फार एनिमल रिस्क्यू एंड इमरजेंसी (विकेयर)	बड़ोदा	10000
45.	जी.जे.215/2002	श्री केवलपुंनीजी गऊशाला ट्रस्ट	थाली	50000
46.	जी.जे.224/2003	श्री शामभुगीरी सेवा ट्रस्ट	असोदर	50000
47.	जी.जे.230/2004	आशीर्वाद चेरिटेवल ट्रस्ट	सुदासना	140000
48.	जी.जे.236/2002	श्री सुथरी पंजरापौल	कच्छ	50000
49.	जी.जे.239/2005	श्री गाधादा जीवदया जनकल्याण ट्रस्ट	भावनगर	50000
50.	जी.जे.243/2006	श्री पाटन पंजरापौल	पटन	195000
51.	जी.जे.244/2006	श्री गऊ सेवा समिति	कुटीयाना	50000
52.	जी.ओ.001/1999	गोवा एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट	सालसिट	10000
53.	जी.ओ.002/1999	पीपुल फार एनिमल्स-गोवा	पांजी	30000
54.	एच.पी.003/1998	ब्लू क्रास आफ हिमाचल प्रदेश	पालमपुर	30000
55.	एच.पी.015/2002	एस.पी.सी.ए. सिरमौर	नाहन	30000
56.	एच.पी.020/2002	ठाकुरद्वारा गऊशाला समिति	हमीरपुर	30000
57.	एच.पी.022/2005	माधव गौ विज्ञान केन्द्र		30000
58.	एच.पी.023/2006	श्री लक्ष्मी नारायण गौरक्षा सेवा समिति	नादौन	40000
59.	एच.पी.024/2006	कृष्ण गोपाल गऊशाला	हमीरपुर	40000
60.	एच.आर.002/1991	मेवात क्षेत्र गऊशाला समिति	फिरोजपुर	70000

1	2	3	4	5
61.	एच.आर.003/1991	आश्रय महाविद्यालय गुरूकुल गऊशाला	कलवा	40000
62.	एच.आर.004/1991	श्री कृष्ण आदर्श गऊशाला सेवा समिति	गोहाना	125000
63.	एच.आर.006/1991	श्री कृष्ण गऊशाला	टोहाना	150000
64.	एच.आर.011/1991	श्री गऊशाला डेरी दत्ता	दत्ता	400000
55.	एच.आर.013/1991	श्री रामकृष्ण गौसेवा सदन धर्मार्थ सभा सेवा	बपौली	50000
66.	एच.आर.014/1991	श्री गौशाला सोसायटी	पानीपत	235000
67.	एच.आर.017/1994	श्री गोपाल गऊशाला	नारनौल	100000
68.	एच.आर.019/1996	राष्ट्रीय गऊशाला	घरोली	225000
69.	एच.आर.025/1998	श्री कृष्णगोपाल गऊशाला	जुंडला	50000
70.	एच.आर.037/1999	श्री कृष्ण आदर्श गऊशाला	समालखा मण्डी	50000
71.	एच.आर.040/1999	आर्य गऊशाला समिति	पंचगांव	30000
72.	एच.आर.042/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	सिवानी मंडी	125000
73.	एच.आर.045/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	उकलाना मंडी	250000
74.	एच.आर.046/1999	द चेरिटेबल गऊशाला (धर्मार्थ गऊशाला)	सोनीपत	500000
75.	एच.आर.048/1999	श्री गऊशाला एसोसिएशन	सफीदो मंडी	60000
76.	एच.आर.049/1999	श्री स्वामी गौरक्षा नंद गऊशाला	सफीदो	150000
77.	एच.आर.051/1999	श्री स्वामी गौरक्षा नंद गऊशाला	जुलाना	200000
78.	एच.आर.052/1999	श्री गऊशाला बाबा फुलु साध	उचाना खुर्द	300000
79.	एच.आर.053/1999	श्री सोमनाथ गऊशाला	जींद	50000
80.	एच.आर.054/1999	श्री गऊशाला	जींद	150000
81.	एच.आर.058/1999	श्री हरियाणा गऊशाला	हांसी	300000
82.	एच.आर.059/1999	श्री गऊशाला	रोहतक	500000
83.	एच.आर.060/1999	श्री गऊशाला	सिरसा	200000
84.	एच.आर.061/1999	श्री बालाजी गऊशाला	जींद	50000
85.	एच.आर.062/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला सेवा समिति	गोहाना मंडी	125000

1	2	3	4	5
86.	एच.आर.063/1999	गोमुक (गऊशाला)	जिला-भिवानी	70000
87.	एच.आर.067/2000	बाबा फूले साध गऊशाला समिति	हिसार	150000
88.	एच.आर.071/2000	श्री चेतनदास गोसमवर्द्धन संस्थान	गुडगांव	70000
89.	एच.आर.072/2000	धर्मार्थ गऊशाला	भटगांव	175000
90.	एच.आर.075/2000	श्री शिव गऊशाला धर्मार्थ ट्रस्ट	दुलहेरी	50000
91.	एच.आर.076/2000	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	पांडुपिंडारा	90000
92.	एच.आर.079/2000	श्री कृष्ण गऊशाला	फोगट	80000
93.	एच.आर.080/2000	श्री 108 ब्रह्मचारी जियरामदास पंचायती गऊशाला	बेरी	112500
94.	एच.आर.084/2000	आदर्श गऊशाला	गुडगांव	50000
95.	एच.आर.085/2000	श्री कृष्ण गऊशाला	रतिया	250000
96.	एच.आर.086/2000	श्री बाबा गुदिया गऊशाला	माधोगढ़	110000
97.	एच.आर.095/2001	लार्ड शिव गऊशाला समिति	शाहपुर	75000
98.	एच.आर.098/2001	श्री माधो सिंघाना गऊशाला	माधव सिंघाना	50000
99.	एच.आर.099/2002	महात्रऋषि दयानन्द गऊशाला	झज्जर	60000
100.	एच.आर.100/2002	श्री वैश्य व्यायामशाला एवं गऊशाला	रोहतक	125000
101.	एच.आर.104/2002	श्री कृष्ण गोपाल गऊसेवा सदन सभा	चीका मंडी	125000
102.	एच.आर.105/2002	महात्रऋषि दयानन्द सरस्वती गऊशाला	जमाल	62500
103.	एच.आर.111/2002	आदर्श गऊशाला	झज्जर	60000
104.	एच.आर.116/2002	शिव शक्ति गऊशाला	कैडलवा	250000
105.	एच.आर.120/2002	श्री गऊशाला फारुख नगर	फारुख नगर	75000
106.	एच.आर.121/2002	श्री गऊशाला	रसालीहेरा	125000
107.	एच.आर.122/2002	पंतशिला गऊशाला समिति	कगदाना	175000
108.	एच.आर.123/2002	गऊ सेवा समिति	कैथल	60000
109.	एच.आर.124/2002	ज्योतिपुंज गऊशाला	टोहाना	125000
110.	एच.आर.128/2002	महात्रऋषि दयानन्द सरस्वती गऊशाला	नाथुसराय कलां	125000

1	2	3	4	5
111.	एच.आर.131/2002	गेहलू ज्ञान भारती शिक्षा समिति	फरमाना	40000
112.	एच.आर.132/2002	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	सिरसा	100000
113.	एच.आर.133/2002	श्री वासुदेव कृष्ण गऊशाला	सिरसा	100000
114.	एच.आर.134/2002	श्री कृष्ण गऊशाला सेवा समिति	सिरसा	70000
115.	एच.आर.135/2002	श्री राम गोपाल गऊशाला	सिरसा	50000
116.	एच.आर.141/2002	श्री गोपाल गऊशाला	हांसी	100000
117.	एच.आर.143/2003	श्री हरियाणा कुरुक्षेत्र गऊशाला	हिसार	125000
118.	एच.आर.144/2003	गऊशाला मदहाड	कलायत	250000
119.	एच.आर.149/2003	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	धुंध	50000
120.	एच.आर.151/2004	बाबा मूंगानाथ गऊशाला	रानिया	80000
121.	एच.आर.153/2004	श्री गोरक्षणी सनातन धर्म सभा		225000
122.	एच.आर.154/2004	श्री डेरा बाबा लठेवाला गऊशाला	पानीपत	130000
123.	एच.आर.157/2005	श्री कृष्ण चंद्रा गऊशाला	वानी	100000
124.	एच.आर.158/2005	श्री गऊशाला कमेटी	जगाधरी	100000
125.	एच.आर.159/2005	श्री शिव गऊशाला समिति	हिसार	50000
126.	एच.आर.160/2005	बाबा गनेशी लाल गऊशाला और करूराता निवारण समिति	रोहतक	40000
127.	एच.आर.161/2005	मार्कण्डेश्वर गऊशाला और सोशल वेलफेयर सोसयटी		50000
128.	एच.आर.162/2005	श्री कृष्ण गऊशाला सोसायटी		60000
129.	एच.आर.163/2005	यशोदा नंदन श्री कृष्ण गऊशाला सेवा समिति	सोनीपत	40000
130.	एच.आर.166/2006	श्री गोविन्द गऊशाला समिति	अंबाला	70000
131.	एच.आर.168/2006	श्री राम भक्त हनुमान गऊशाला	सिरसा	50000
132.	एच.आर.170/2006	श्री कृष्ण गऊशाला	कनीना	62500
133.	एच.आर.172/2006	अखिल भारतीय श्री टेक राम महाराजजी गऊशाला	झज्जर	50000
134.	एच.आर.173/2006	श्री गुरूदयाल गऊशाला	जींद	10000
135.	एच.आर.174/2006	आदर्श गऊशाला सोसायटी	कैथल	100000

1	2	3	4	5
136.	एच.आर.176/2006	श्री कृष्ण गऊशाला सकता खेड़ा	सिरसा	50000
137.	एच.आर.178/2006	बाबा बाला समाधिवाला गऊशाला	सिरसा	50000
138.	एच.आर.181/2006	जय नारायण गऊधाम	गुड़गांव	50000
139.	एच.आर.187/2006	श्री कृष्ण गऊशाला, भटुकला	फतेहाबाद	125000
140.	एच.आर.189/2006	माता भागमती देवी गऊशाला ट्रस्ट	फरीदाबाद	30000
141.	एच.आर.192/2006	महंत नोमीनाथ खाती गऊ सेवा पर्यावरण सुधार समिति	भिवानी	50000
142.	एच.आर.194/2006	श्री बाबा धूनीवाला गौसेवा ट्रस्ट	धिनोद	50000
143.	एच.आर.197/2006	श्री कृष्ण गऊशाला सेवा समिति	इलानाबाद	60000
144.	एच.आर.198/2006	श्री गऊशाला	इलानाबाद	60000
145.	एच.आर.199/2006	श्री कृष्ण गऊशाला, मिठी सुरेरा	इलानाबाद	60000
146.	एच.आर.200/2006	श्री कृष्ण भगवान गऊशाला समिति	डबवाली	50000
147.	एच.आर.201/2006	श्री श्याम गऊशाला ट्रस्ट	मनधानी	50000
148.	एच.आर.202/2006	गुरुकुल समिति	बीकानेर	30000
149.	एच.आर.209/2006	श्री कृष्णजी गऊशाला	करनाल	10000
150.	एच.आर.213/2006	संत श्री आसाराम जी गऊशाला समिति	नारनौल	50000
151.	एच.आर.214/2007	श्री कृष्ण गोपाल गऊशाला	कुंजपुरा	10000
152.	एच.आर.215/2007	श्री कृष्ण भगवान गऊशाला	गोहाना	10000
153.	एच.आर.217/2007	शांतिवन गोपाल गऊशाला	करनाल	10000
154.	एच.आर.218/2007	मीरा बाबा सेहाद भूरा श्री कृष्ण गऊशाला	असंध	10000
155.	एच.आर.219/2007	श्री कृष्ण गऊशाला सेवा समिति	कुरुक्षेत्र	10000
156.	जे.के.002/1999	जम्मू कश्मीर गऊरक्षा समिति	जम्मू	50000
157.	जे.के.005/2007	जे एंड के रूरल वेलफेयर एसोसिएशन	श्रीनगर	10000
158.	के.ए.001/1965	मैसूर पंजरापौल सोसायटी	मैसूर	125000
159.	के.ए.004/1993	कंपाशेन अनलिमिटेड प्लस एक्शन	बंगलौर	50000
160.	के.ए.017/1999	वाइल्ड लाईफ रिस्कयू एंड रीहैबिलीटेशन सेंटर	बंगलौर	10000

1	2	3	4	5
161.	के.ए.039/2004	नंदी एनिमल वेलफेयर सोसायटी आफ गुलबर्गा	फतेहाबाद	50000
162.	के.ए.044/2006	श्री मनीराजन जगदगुरू श्री दुरादुनदेश्वर मैथ्स गऊशाला	बेलगांव	50000
163.	के.ए.048/2007	सुमन ट्रस्ट	बिदर	10000
164.	के.ए.050/2007	प्राणि दया ज्ञान पुरस्कार संघ		10000
165.	के.ए.054/2007	श्री अटावेश्वर गौसंरक्षण केन्द्र ट्रस्ट		10000
166.	के.ए.056/2007	शेषवाना चैरिटेबल ट्रस्ट		10000
167.	के.ए.058/2007	पंजरापौल समस्था		10000
168.	के.एल.012/1998	द एलीफेन्ट स्क्वायड एंड कैनल क्लब आफ केरल	कोलाम	10000
169.	के.एल.029/2006	श्री बालामट्टा राकेश्वर आश्रम समिति ट्रस्ट	चावारा	30000
170.	एम.एच.003/1991	श्री गौपालक संघ (गौरक्षण संस्था) ट्रस्ट	सोलापुर	40000
171.	एम.एच.004/1991	श्री गौरक्षण संस्था धमनगांव (आर.एस.)	धमनगांव	50000
172.	एम.एच.008/1991	श्री गौरक्षण संस्था	अमरावती	50000
173.	एम.एच.013/1993	वाइस ऑफ एनिमल इन डिस्ट्रस (स्ट्रे डॉग लवर्स)	मुम्बई	10000
174.	एम.एच.014/1991	श्री वर्धमान जीवदया केन्द्र	मुम्बई	125000
175.	एम.एच.028/1973	एस.पी.सी.ए. पुणे	पुणे	10000
176.	एम.एच.039/1997	श्री गौरक्षण संस्था	अकोला	50000
177.	एम.एच.040/1998	पंजरापौल (गौरक्षण) संस्था	अहमदनगर	50000
178.	एम.एच.042/1998	आदर्श गौसेवा एवं अनुसंधान प्राकल्प (आदर्श संस्कार मंडल)	अकोला	50000
179.	एम.एच.059/1999	केशव गौरक्षण सेवा समिति	वसीम	40000
180.	एम.एच.064/2000	श्री गोपाल कृष्ण गौरक्षण संस्थान	जलगांव	50000
181.	एम.एच.066/2000	पीपुल फार एनीमल .	भद्रावती	30000
182.	एम.एच.101/2002	श्री कृष्ण गऊशाला	तुमसार	50000
183.	एम.एच.108/2004	बुलढाना एस.पी.सी.ए.	बुलदाना	30000
184.	एम.एच.115/2005	मै. जैनगिरी पंजरापौल एवं गौशाला चैरिटेवल संस्थान	औरंगाबाद	50000

1	2	3	4	5
185.	एम.एच.124/2006	स्वामी वी.डी. सावरकर बहुउद्देशीय शिक्षण और व्यायाम प्रसारक मंडल		30000
186.	एम.एच.126/2007	संत कृपा गऊशाला चैरिटेबल ट्रस्ट	मालेगांव	10000
187.	एम.एच.129/2007	सेव आवर स्ट्रेस	मुम्बई	10000
188.	एम.एच.131/2007	विटरनरी थेरापियुटिक्स इंडोसर्जरी और मेडिसन सोसायटी		10000
189.	एम.एच.134/2007	ग्रामीण विकास संशोधन व प्रशिक्षण संस्थान	नागपुर	10000
190.	एम.एच.135/2007	ग्राम परिवर्तन प्रबोधनी		10000
191.	एम.एच.005/1991	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	मंदसौर	62500
192.	एम.एच.006/1991	श्री गऊशाला सदाव्रत कमेटी	सतना	50000
193.	एम.पी.007/1991	श्री अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गऊशाला	दालौदा	50000
194.	एम.पी.010/1991	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	विदिशा	50000
195.	एम.पी.011/1991	बृज मोहन रामकली गौ संरक्षण केन्द्र	भोपाल	50000
196.	एम.पी.012/1991	जीव दया प्रेमी मंडल सार्वजनिक परमार्थिक नियास	सैलाना	50000
197.	एम.पी.013/1991	श्री गोपाल गऊशाला	शाजापुर	40000
198.	एम.पी.021/1998	श्री गोपाल गऊशाला	शिवपुर कलां	62500
199.	एम.पी.023/1998	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला समिति	सरदारपुर	50000
200.	एम.पी.027/1998	पीपुल फार एनिमल्स	ग्वालियर	40000
201.	एम.पी.028/1999	आनंद गऊशाला	अंजद पी. निमगद	50000
202.	एम.पी.035/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	ओझर	50000
203.	एम.पी.039/1999	श्री राष्ट्रीय गऊशाला ट्रस्ट	धमतरी	50000
204.	एम.पी.045/1999	श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर गौ सेवा समिति	रामटेकरी	50000
205.	एम.पी.051/1999	श्री गोवर्धन गऊशाला	अलोट	50000
206.	एम.पी.052/1999	संत श्री रोतीरामजी गऊशाला	वेहपुर	50000
207.	एम.पी.054/1999	श्री गोपाल इफतिखार गऊशाला	जवारा	80000
208.	एम.पी.055/1999	श्री गोपाल गऊशाला न्यास	रतलाम	50000
209.	एम.पी.058/1999	दायोदया गौ सेवा जीव रक्षा एवं पर्यावरण एस. संस्थान	खुराई	60000

1	2	3	4	5
210.	एम.पी.089/1999	अर्जुन गऊशाला	नरसिंहपुर	40000
211.	एम.पी.114/1999	गोपाल कृष्ण गऊशाला	उज्जैन	40000
212.	एम.पी.115/1999	श्री गणेश गऊशाला गौरक्षण एवं संवर्द्धन केंद्र	खंडवा	50000
213.	एम.पी.137/1999	दायोदय पशु सेवा केन्द्र गऊशाला	वहिरावाद	40000
214.	एम.पी.148/1999	श्री कृष्ण गोपाल गौ रक्षण एवं संवर्द्धन समिति	भोपाल	60000
215.	एम.पी.149/1999	महामृत्युञ्जय गऊशाला	हुजुर	40000
216.	एम.पी.156/1999	गऊ सेवा समिति	करकावेल	40000
217.	एम.पी.173/1999	संत श्री सवरी गऊशाला समिति	भामती	30000
218.	एम.पी.193/2000	वृंदावन गऊशाला	भगवानपुरा	50000
219.	एम.पी.196/2000	श्री अहिल्या माता गऊशाला जीवदया मंडल	इंदौर	50000
220.	एम.पी.204/2000	मां नर्मदा गऊशाला सेवा समिति	केलकुछ	40000
221.	एम.पी.205/2000	दायोदय पशु सेवा समिति	धनौरा	50000
222.	एम.पी.222/2001	दायोदय पशु सेवा सदन	गंज बसाउदा	100000
223.	एम.पी.226/2001	दायोदय पशु संवर्द्धन एवं पर्यावरण केन्द्र गऊशाला	जबलपुर	100000
224.	एम.पी.236/2002	आचार्य विद्यासागर पशु संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार समिति	बांदा	50000
225.	एम.पी.237/2002	श्री खण्डेश्वरी गऊशाला समिति	जग्गाखेड़ी	50000
226.	एम.पी.239/2002	श्री गोविंद गऊशाला	दतिया	50000
227.	एम.पी.251/2002	उज्जैन पीपुल फार एनीमल वेलफेयर एसोसिएशन	उज्जैन	40000
228.	एम.पी.262/2002	आचार्य श्री विद्यासागर दायोदय पशु सेवा केंद्र	तेंदुखेड़ा	50000
229.	एम.पी.264/2002	श्री मानस गीता गऊशाला	बारादरी	60000
230.	एम.पी.270/2002	दायोदय पशु सेवा केन्द्र	पापाऊरा	125000
231.	एम.पी.271/2002	गऊ सेवा भारती	वैरसिया	70000
232.	एम.पी.275/2002	श्री दायोदय पशुसदन संरक्षण समिति	हारदा	30000
233.	एम.पी.281/2003	गौ रक्षा समिति		30000
234.	एम.पी.284/2004	एनीमल कोयर एंड केयर	ग्वालियर	10000

1	2	3	4	5
235.	एम.पी.286/2004	श्री चंद गऊशाला	खंडवा	40000
236	एम.पी.287/2004	श्री गोपाल गऊशाला	शाहजापुर	70000
237.	एम.पी.304/2005	श्री महामृत्युञ्ज्य गौ सेवा सदन	भोपाल	80000
238.	एम.पी.308/2005	सुमन रानी शिक्षा प्रसार समिति		40000
239.	एम.पी.311/2006	श्री राम मंदिर प्राचीन गऊशाला	इंदौर	40000
240.	एम.पी.312/2006	श्री गिरधारी गौ सेवा समिति	भिण्ड	50000
241.	एम.पी.314/2006	श्री हनुमान गऊशाला	शाहजापुर	50000
242.	एम.पी.315/2006	श्री कृष्ण बलराम गऊशाला	शाहजापुर	50000
243.	एम.पी.318/2006	श्री राधाजी गऊशाला समिति	पोरसा	10000
244.	एम.पी.320/2007	श्री महावीर गऊशाला और पंजरापौल		10000
245.	एम.पी.322/2007	श्री कृष्ण गऊशाला		10000
246.	एम.पी.324/2007	कामधेनु गऊशाला		10000
247.	एम.पी.325/2007	आसरा पशु आश्रय स्थल		10000
248.	एम.पी.327/2007	आशादीप पर्यावरण सह जीव जन्तु कल्याण समिति		10000
249.	एम.आर.011/2002	रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन एसोसिएशन	करोंग	50000
250.	एन.डी.003/1988	द फ्रेंडीकोइस - एस.ई.सी.ए.	नई दिल्ली	90000
251.	एन.डी.013/1993	सर्कल आफ एनिमल लवर्स	नई दिल्ली	90000
252.	एन.डी.026/2000	मानव गऊ सदन	नई दिल्ली	87500
253.	एन.डी.044/2007	जे.बी.एफ. (इंडिया) ट्रस्ट		10000
254.	ओ.आर.005/1997	असुरेश्वर गौ मंगल समिति	असुरेश्वर	40000
255.	ओ.आर.007/1998	मैत्री क्लब	माटापाड़ा	40000
256.	ओ.आर.009/1999	एक्शन फार प्रोटेक्शन आफ वाइल्ड एनिमल्स (एपोवा)	केन्द्रपाड़ा	30000
257.	ओ.आर.033/2002	पीपुल फार एनीमल्स	वेरहामपुर	20000
258.	ओ.आर.038/2005	पीपुल फार एनीमल्स	केन्द्रपाड़ा	30000
259.	ओ.आर.041/2006	गुरुकुल आश्रम	नौपाड़ा	40000

1	2	3	4	5
260.	ओ.आर.042/2007	मधुसूदन ऑर्गेनाइजेशन पूअर एण्ड मैरीटोरियस	उल्काना	10000
261.	ओ.आर.043/2007	मयूरभंज जिला एस.पी.सी.ए.		10000
262.	ओ.आर.045/2007	बालासोर जिला एस.पी.सी.ए.		10000
263.	ओ.आर.046/2007	ग्रामीण जिला अर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड वेलफेयर एसोसिशन		10000
264.	ओ.आर.047/2007	जिला एस.पी.सी.ए. भद्रक		10000
265.	ओ.आर.056/2007	वेलफेयर वर्ल्ड		10000
266.	पी.जे.015/1999	गऊशाला कमेटी	धुरी	180000
267.	पी.जे.017/1999	अनाथ गौ आश्रम	रामपुरफूल	70000
268.	पी.जे.027/2000	गोपाल गऊशाला गौ सेवा समिति	रोपड़	100000
269.	पी.जे.030/2000	श्री हिन्दु गौ रक्षणी सभा	होशियारपुर	50000
270.	पी.जे.032/2000	श्री कृष्ण गऊशाला दाना मंडी	जगाधरी	150000
271.	पी.जे.034/2000	श्री गऊशाला कमेटी	संगरूर	125000
272.	पी.जे.045/2000	श्री गऊशाला कमेटी	मुक्तसर	50000
273.	पी.जे.058/2002	एस.पी.सी.ए. मोहाली	चंडीगढ़	50000
274.	पी.जे.063/2002	गऊशाला कमेटी	बठिंडा	80000
275.	पी.जे.064/2002	श्री गऊशाला	बठिंडा	200000
276.	पी.जे.071/2006	श्री अनाथ गऊशाला	पटियाला	125000
277.	पी.जे.073/2007	श्री गोपाल गऊ धाम चेरिटेबल ट्रस्ट		10000
278.	पी.जे.074/2007	केयर आफ एनिमल्स एंड प्रोटेक्शन आफ एनवायरनमेंट		10000
279.	आर.जे.004/1991	श्री गंगा गऊशाला	नौखा	87500
280.	आर.जे.005/1991	श्री गऊशाला	सूरतगढ़	107500
281.	आर.जे.009/1991	श्री गऊशाला	नौहर	250000
282.	आर.जे.010/1991	श्री गुलाब गऊशाला धर्मार्थ ट्रस्ट	जोधपुर	75000
283.	आर.जे.013/1993	श्री करनी गऊशाला	देशनोक	62500
284.	आर.जे.027/1993	श्री राजलदेसर गऊशाला	राजलदेसर	50000

1	2	3	4	5
285.	आर.जे.031/1993	श्री भोपालगढ़ गऊशाला	जोधपुर	50000
286.	आर.जे.034/1995	श्री पंजरापौल गऊशाला	पाली-मारवाड़	175000
287.	आर.जे.037/1996	श्री बिदासर गऊशाला	विदासर	50000
288.	आर.जे.038/1996	श्री कृष्ण गऊशाला ट्रस्ट	मारवाड़	125000
289.	आर.जे.039/1997	राजस्थान गौ सेवा संघ (कन्हैया गऊशाला)	जोधपुर	100000
290.	आर.जे.041/1998	श्री अदेश्वर गौ सेवा समिति	सिरोही	50000
291.	आर.जे.042/1998	श्री कृष्ण गऊशाला	उदयपुरवती	50000
292.	आर.जे.044/1998	श्री गोपाल गऊशाला	चित्तौड़गढ़	50000
293.	आर.जे.045/1998	श्री भगवान महावीर जैन गऊशाला ट्रस्ट	जेठारन	50000
294.	आर.जे.046/1998	श्री गोपीनाथ गऊशाला समिति	गुदागोरजी	50000
295.	आर.जे.048/1998	श्री कृष्ण गोपाल गोसदन समिति	जसवंतगढ़	125000
296.	आर.जे.049/1998	राजस्थान गोसेवा संघ	जयपुर	50000
297.	आर.जे.051/1998	सत्यापुर गोसेवा मंडल	सत्यपुर	62500
298.	आर.जे.055/1998	आचार्य काकासाहेब कलेकर लोक सेवा केन्द्र	वारगांव	50000
299.	आर.जे.057/1998	श्री दादा दरबार नेपाली बाबा सिद्धार्थ महादेव जी.एस.एस.	जोधपुर	50000
300.	आर.जे.066/1998	श्री गऊशाला सुखदया सर्कल	श्रीगंगानगर	200000
301.	आर.जे.070/1998	श्री कृष्ण गऊशाला	नीम्बाज	50000
302.	आर.जे.072/1998	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	अजमेर	50000
303.	आर.जे.074/1998	श्री कृष्ण गऊशाला प्रबंध समिति	हरनावादा शाहजी	50000
304.	आर.जे.076/1998	श्री गोपाल गोवंश कल्याणकारी गऊशाला	नेथरा	100000
305.	आर.जे.077/1998	श्री कृष्ण गोपाल गऊशाला	गोविंदगढ़	50000
306.	आर.जे.079/1999	श्री पंचदेव महामंदिर गौ सेवाश्रम समिति	सीकर	50000
307.	आर.जे.080/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	जोधपुर	80000
308.	आर.जे.089/1999	श्री गिरधर गोसेवा समिति	कोटा	70000
309.	आर.जे.093/1999	श्री बाबा रामदेव गऊशाला समिति	सोजातसिटी	100000

1	2	3	4	5
310.	आर.जे.097/1999	श्री गऊशाला पिलानी	पिलानी	50000
311.	आर.जे.098/1999	श्री राधाकृष्ण गऊशाला	रादावास	50000
312.	आर.जे.099/1999	श्री राम गऊशाला सेवा समिति	भारनीखुरदा	80000
313.	आर.जे.110/1999	श्री जगदम्बा सेवा समिति	भद्रोत	500000
314.	आर.जे.111/1999	श्री गौरी शंकर गऊशाला	बगर	50000
315.	आर.जे.115/1999	श्री ब्रह्मचारी रामकुमारजी पन्नालालजी गऊशाला धर्मार्थ ट्रस्ट	जोधपुर	200000
316.	आर.जे.119/1999	भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन समिति	सीकर	50000
317.	आर.जे.122/1999	श्री ओसवाल सिंह सभा धर्मपुरा गऊशाला	जोधपुर	80000
318.	आर.जे.125/1999	श्री महावीर गऊशाला एवं पशु रक्षा समिति	मांडल	50000
319.	आर.जे.131/1999	अकाल राहत गौ सेवा संस्थान ट्रस्ट	चुरू	50000
320.	आर.जे.132/1999	हनुमान गौ संवर्धन केन्द्र	हनुमानगढ़	80000
321.	आर.जे.133/1999	शिव गऊशाला	गंगानगर केंट	50000
322.	आर.जे.134/1999	कृषि गौ सेवा केन्द्र	श्रीगंगानगर	80000
323.	आर.जे.135/1999	कृषि गौ सेवा केन्द्र	छत्तरगढ़	100000
324.	आर.जे.136/1999	गौ सदन, बाजूवाला	श्रीगंगानगर	100000
325.	आर.जे.137/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	खाजुवाला	80000
326.	आर.जे.139/1999	श्री मदन गऊशाला	सीकर	50000
327.	आर.जे.141/1999	श्री रामकृष्ण गऊशाला	गगराना	80000
328.	आर.जे.151/1999	श्री दयालू गऊ जीवजन परमार्थ सेवा संस्थान	खेडापा	50000
329.	आर.जे.159/1999	श्री कृष्ण गऊ सेवा संस्थान	चुरू	50000
330.	आर.जे.163/1999	गौसेवा शिविर (गऊशाला), चुरू	चुरू	50000
331.	आर.जे.169/2000	गौवंश रक्षा केन्द्र वैदिक वेदिक साधु आश्रम	नोहर	75000
332.	आर.जे.176/2000	श्री शांतिनाथ गऊशाला संस्था	बाकरा रोड	50000
333.	आर.जे.186/2000	राजाराम गऊशाला	जोधपुर	50000
334.	आर.जे.192/2000	श्री गोपाल गौसेवा समिति	तेहनदेसर	50000

1	2	3	4	5
335.	आर.जे.193/2000	श्री आदिनाथ पशु रक्षा संस्थान	कनोड	50000
336.	आर.जे.200/2000	श्री हरि ओम गऊशाला	बसानी	50000
337.	आर.जे.205/2000	श्री जयसिंह गऊशाला	कोटपुतली	50000
338.	आर.जे.211/2000	श्री ओम जनता गऊशाला ट्रस्ट	मनकासस	50000
339.	आर.जे.213/2000	श्री राधे कृष्ण गौशाला संस्था	वीग्गा	50000
340.	आर.जे.216/2000	गौरक्षा सेवा ट्रस्ट	हडोला	50000
341.	आर.जे.221/2001	श्री जय जैन गऊशाला	ताल	50000
342.	आर.जे.228/2001	स्व. सेठ श्री केवल चंद कोठारी जैन गऊशाला समिति	खनगटा	50000
343.	आर.जे.231/2001	हेल्पलैस एनिमल लाईफ प्रोजेक्ट सोसायटी	जवाई बाध	60000
344.	आर.जे.232/2001	श्री रामदेव गऊशाला सेवा समिति	दादमी	50000
345.	आर.जे.233/2001	ग्रामीण विकास पर्यावरण संरक्षण समिति	बजरंगनगर	50000
346.	आर.जे.243/2001	श्री पंचपादरा गऊशाला	पचपादरा	50000
347.	आर.जे.249/2001	श्री रोहितासवा गऊशाला संस्थान	बिलादा	80000
348.	आर.जे.261/2001	श्री नादसर गऊशाला समिति	नादसर	50000
349.	आर.जे.263/2001	संघवी कनकुवाई वर्धी चंदजी गौरी गऊशाला जीवदया	मालवाड़ा	62500
350.	आर.जे.268/2002	श्री गोपाल गौ सेवा संस्था	कोलिया	50000
351.	आर.जे.271/2002	श्री कृष्ण गऊशाला	खंडेला	50000
352.	आर.जे.281/2002	श्री कृष्ण गौ सेवा संस्थान	लछरसार	50000
353.	आर.जे.283/2002	श्री तिजारती चैम्बर सर्राफा गऊशाला	वीयवर	90000
354.	आर.जे.287/2002	श्री भंसाली उमेद गऊशाला	जॉब	50000
355.	आर.जे.288/2002	श्री मरूधर केसरी रूप रजत गऊशाला सेवा समिति	इंदावर	50000
356.	आर.जे.301/2002	स्वामी श्री हजारीमल गौ सेवा समिति	नौखा	80000
357.	आर.जे.308/2002	श्री राम गौ सेवा समिति	मारवार	50000
358.	आर.जे.311/2002	श्री आईजी गऊशाला	पटालियावास	100000
359.	आर.जे.312/2002	पी.एफ.ए. सिरौही	सिरोही	40000

1	2	3	4	5
360.	आर.जे.316/2002	श्री माधव गोबिन्द गऊशाला विकास समिति	वंसधुनी	50000
361.	आर.जे.322/2002	श्री कृष्ण गऊशाला संस्थान	बोरुंडा	50000
362.	आर.जे.326/2002	नागेश्वर पार्शवानाथ गऊशाला	भींदर	50000
363.	आर.जे.329/2002	श्री सुमती जीव रक्षा केंद्र	पावापुरी	250000
364.	आर.जे.332/2002	श्री मरुधर केसरी मुनिश्वर गौ सेवा रामधन समिति	कनवैरियत	70000
365.	आर.जे.333/2002	श्री रूप रजत श्री कृष्ण गऊशाला संस्था	अतवारा	100000
366.	आर.जे.336/2002	राजस्थान गौ सेवा समिति	मेहरवाला	50000
367.	आर.जे.337/2002	श्री देवनारायण गऊशाला	लेसारदा	50000
368.	आर.जे.340/2002	श्री विरतेजा गौ सेवा समिति	मुंडा	70000
369.	आर.जे.356/2002	श्री देवरी माता गऊशाला सेवा समिति	पाली	50000
370.	आर.जे.357/2002	पशु कल्याण समिति	श्रीगंगानगर	260000
371.	आर.जे.358/2002	श्री जसनाथ गऊशाला समिति	खेतसर	40000
372.	आर.जे.372/2002	श्री राम गऊशाला सेवा संस्थान	सियात	50000
373.	आर.जे.380/2002	श्री कृष्ण गऊशाला संस्थान	नागोर	100000
374.	आर.जे.384/2002	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	बरगांव	50000
375.	आर.जे.388/2002	श्री कृष्ण गऊशाला कमेटी	गोलूवाला	130000
376.	आर.जे.390/2002	श्री मरूधर केसरी गऊशाला सेवा समिति	रांसीगांव	50000
377.	आर.जे.393/2002	झाझादियावाला गौ सेवा सदन	गोविंदपुर	175000
378.	आर.जे.397/2003	भगवान श्री कृष्ण गऊशाला	आशोप	50000
379.	आर.जे.402/2003	श्री महावीर दीवदया गऊशाला	जालौर	100000
380.	आर.जे.412/2003	गौ सेवा समिति गोगसर	रतनगढ़	50000
381.	आर.जे.415/2003	श्री गौ सेवा समिति	नागौर	50000
382.	आर.जे.416/2003	श्री कौशल गऊशाला	जोधपुर	50000
383.	आर.जे.422/2003	श्री कृष्ण गऊशाला समिति		50000
384.	आर.जे.424/2003	अनाथ अवाम अपाहिज गौ सेवा समिति		80000

1	2	3	4	5
385.	आर.जे.427/2003	श्री आशापुर (माहोदरी) माताजी गऊशाला समिति		50000
386.	आर.जे.429/2003	श्री गौ सेवा संघ		100000
387.	आर.जे.438/2004	श्री गौ सेवा आश्रम समिति	पीलीबंगा	50000
388.	आर.जे.443/2004	कामधेनु राठी नासला समवर्द्धन केन्द्र	बीकानेर	50000
389.	आर.जे.445/2004	श्री वर्द्धवान जीवदया सेवा समिति		100000
390.	आर.जे.449/2004	श्री हरि पंजरापौल गऊशाला	बीकानेर	50000
391.	आर.जे.450/2004	श्री बाबा रामदेव गौ सेवा समिति	नागौर	50000
392.	आर.जे.451/2004	श्री भदारिया माता गऊशाला समिति	जैसलमेर	350000
393.	आर.जे.452/2004	श्री गोपाल गऊशाला समिति	नागौर	40000
394.	आर.जे.455/2004	श्री जसनाथ गऊशाला सेवा समिति	जोधपुर	50000
395.	आर.जे.456/2004	गौ रक्षा सेवा समिति गऊशाला		50000
396.	आर.जे.461/2004	श्री राम गुरू सैनिक क्षत्रीय माली गऊशाला समिति	जोधपुर	40000
397.	आर.जे.473/2004	श्री अग्रसेन जीव जन्तु कल्याण एवं गौ सेवा समिति	बीकानेर	87500
398.	आर.जे.474/2004	भागेश्वर महादेव गऊशाला	घोसुंडा	40000
399.	आर.जे.475/2004	श्री विमला देवी खेतरावत्त गौ सेवा विकास समिति	धनकोली	50000
400.	आर.जे.480/2004	श्री गिरधर गोपाल गऊशाला	झावरा	50000
401.	आर.जे.481/2004	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	उमेवाला	70000
402.	आर.जे.483/2004	श्री मुरारी मनोहर गऊशाला	भीनसर	200000
403.	आर.जे.487/2004	श्री पंजरापौल गऊशाला-सांगानेर	जयपुर	87500
404.	आर.जे.496/2005	श्री काशी विश्वनाथ गऊशाला सेवा समिति	स्वरूपगंज	50000
405.	आर.जे.497/2005	श्री गोपाल गऊशाला	बीलारा	50000
406.	आर.जे.501/2005	श्री महावीर गौ सेवा समिति	राथीरी कुनवा	50000
407.	आर.जे.509/2005	संत श्री भोलाराम जी महाराज गौ सेवा समिति	नागौर	60000
408.	आर.जे.514/2006	श्री मानदेव सूरी जैन गऊशाला सेवा समिति	पाली	50000
409.	आर.जे.515/2006	श्री गोपाल गऊशाला गेलासार	नागपुर	50000

1	2	3	4	5
410.	आर.जे.516/2006	श्री गऊशाला सेवा समिति	नागपुर	50000
411.	आर.जे.519/2006	श्री हदेचा नगर गौ सेवा समिति	जलौर	50000
412.	आर.जे.523/2007	श्री किशन गौ सेवा समिति		10000
413.	आर.जे.524/2007	मारवार मुसलिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी	जोधपुर	10000
414.	आर.जे.526/2007	श्री गऊशाला सेवा समिति		10000
415.	आर.जे.528/2007	श्री इंडाना माता ट्रस्ट	उदयपुर	10000
416.	आर.जे.529/2007	श्री महावीर इलवा मां गऊशाला एवं विकास समिति	धुंगला	10000
417.	आर.जे.530/2007	श्री भूमियाजी महाराज गऊशाला समिति	सीकर	10000
418.	आर.जे.532/2007	गायत्री परिवार गऊशाला समिति		10000
419.	आर.जे.533/2007	श्री राम गऊशाला समिति		10000
420.	आर.जे.534/2007	स्वामी नित्यानंद सेवा समिति आश्रम	भदोली	10000
421.	आर.जे.538/2007	श्री कृष्ण गऊशाला समिति		10000
422.	आर.जे.539/2007	श्री जीन धाम गऊशाला सेवा समिति		10000
423.	आर.जे.540/2007	श्री कृष्ण गऊशाला और जन सेवा समिति		10000
424.	आर.जे.544/2007	श्री कृष्ण गोपाल गऊशाला समिति		10000
425.	आर.जे.545/2007	श्री राम गऊशाला सेवा समिति		10000
426.	आर.जे.546/2007	आदम का गऊशाला सेवा समिति		10000
427.	आर.जे.547/2007	वीर तेजा गऊ सेवा समिति		10000
428.	आर.जे.548/2007	श्री गऊशाला संस्थान हरियादाना पंजरापौल		10000
429.	आर.जे.549/2007	मयूर एनिमल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसायटी		10000
430.	टी.एन.001/1964	एस.पी.सी.ए. चैन्नई	चैन्नई	10000
431.	टी.एन.027/1993	चैन्नई सनेक पार्क ट्रस्ट	चैन्नई	30000
432.	टी.एन.036/1997	श्री मरूधर केसरी जैन गऊशाला ट्रस्ट	चैन्नई	50000
433.	टी.एन.045/1998	एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट	चैन्नई	20000
434.	टी.एन.052/1999	हौसूर एनिमल वेलफेयर सोसायटी	हौसूर	30000

1	2	3	4	5
435.	टी.एन.056/2000	गोवर्धन	सिलायूर	30000
436.	टी.एन.062/2000	श्री सत्यासायी प्राणी सेवा शैल्टर	चैन्नई	10000
437.	टी.एन.070/2000	गौ संरक्षण ट्रस्ट	सलेम	30000
438.	टी.एन.071/2000	अवार्ड एनिमल वेलफेयर ऑर्गानाइजेशन	इनडाथुर	10000
439.	टी.एन.087/2002	पशु पादुकाप्पु इलाम	थिरूनागेशवर	30000
440.	टी.एन.108/2003	इंडिया प्रोजेक्ट फॉर एनिमल्स एंड नेचर	मावानाला	50000
441.	टी.एन.112/2003	एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन		50000
442.	टी.एन.120/2004	सुधर्मा गोकुलम चेरीटेबल ट्रस्ट	चैन्नई	30000
443.	टी.एन.130/2005	ब्लू क्रास आफ कांचीपुरम	कांचीपुरम	50000
444.	टी.एन.138/2006	एस.पी.सी.ए. पुडुकोट्टाई	पुडुकोट्टाई	20000
445.	टी.एन.139/2006	एनिमल केयर ट्रस्ट	डिंडीगुल	50000
446.	टी.एन.147/2006	पीपुल्स फॉर एनिमल्स, मार्रामिलाई नगर	मार्रामिलाई नगर	10000
447.	टी.एन.149/2006	प्राणी मित्रण	मदुरै	10000
448.	टी.एन.154/2007	लक्ष्मी कोसाला ट्रस्ट	वालियुर	10000
449.	टी.एन.155/2007	कुमारगुरू गौकुलम शक्ति गौ सेवा ट्रस्ट		10000
450.	टी.एन.156/2007	धर्मा रजियाम ट्रस्ट	मदुरै	40000
451.	टी.एन.157/2007	एन.एम. ट्रस्ट	चैन्नई	10000
452.	टी.एन.159/2007	तिरुचिरापल्ली मल्टीपरपज सोशल सर्विस सोसायटी	तिरूचिरापल्ली	10000
453.	टी.एन.164/2007	वर्ड ट्रस्ट		10000
454.	टी.एन.165/2007	अरुणाचल एनीमल सेंचुरी एंड रसक्यू शैल्टर		10000
455.	टी.एन.166/2007	इंस्टीट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट (आई.आर.डी. ट्रस्ट)		10000
456.	टी.एन.167/2007	पीपुल फार एनीमल, शिवाकाशी		10000
457.	टी.आर.013/2007	सोसायटी फॉर वेलफेयर एंड सोशल रिसर्च	अगरतला	10000
458.	यू.पी.008/1993	श्री पंचायती गऊशाला	वृंदावन	75000
459.	यू.पी.009/1993	श्री पंचायती गऊशाला	हापुर	75000

1	2	3	4	5
460.	यू.पी.013/1993	मथुरा वृंदावन हसानंद गोचर भूमि ट्रस्ट	मथुरा	50000
461.	यू.पी.022/1994	बाबा काली कम्बलीवाला पंचायत क्षेत्र	देहरादून	50000
462.	यू.पी.028/1998	पी.के. लोक विकास संस्थान	कांशीरामपुर	50000
463.	यू.पी.037/1999	श्री राघव गौ संवर्द्धन शाला	झांसी	60000
464.	यू.पी.044/1999	पीपुल फार एनीमल	लखनऊ	100000
465.	यू.पी.050/1999	गोहन गोपाल गऊशाला समिति	कानपुर नगर	50000
466.	यू.पी.051/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	कुशीनगर	70000
467.	यू.पी.055/1999	दायोदय पशु संरक्षण केंद्र (गऊशाला)	ललितपुर	225000
468.	यू.पी.058/1999	श्री गऊशाला काथर जंगले	कथार	70000
469.	यू.पी.059/1999	डाक्टर्स पेट्स क्रेच एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट	लखनऊ	50000
470.	यू.पी.061/1999	श्री राधे गोविंद सूरतानपुर गऊशाला समिति	सुल्तानपुर	50000
471.	यू.पी.062/1999	श्याम गऊ सेवा सदन	वांसगांव	50000
472.	यू.पी.069/2000	सर्वेश्वर नारायण अनाथ गौ सेवा समिति	गोंट	75000
473.	यू.पी.070/2000	श्री गोपाल गऊशाला सोसायटी	मिदियाहु	30000
474.	यू.पी.074/2000	जय गोपाल गऊशाला समिति	पिपरोली शिव	40000
475.	यू.पी.075/2000	एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन	लखनऊ	40000
476.	यू.पी.076/2000	ब्रह्मऋषि देवराहा बाबा जीव जंतु कल्याण आश्रम संस्थान	माईल देवरिया	30000
477.	यू.पी.079/2000	श्री राम गऊशाला समिति	अयोध्या	50000
478.	यू.पी.081/2000	श्री विज्ञान सागर बाबा संगत गऊशाला समिति	महमूदाबाद	50000
479.	यू.पी.082/2000	मुक्तेश्वरी गऊशाला समिति	मूसानगर	30000
480.	यू.पी.083/2000	शेरिन एनिमल सोसायटी	लखनऊ	10000
481.	यू.पी.092/2000	गौतम बुद्ध जीवदया समिति	बहादया दहाद्धा	30000
482.	यू.पी.094/2000	श्याम गऊशाला बाबा वंसीवाला	प्रेमनगर	70000
483.	यू.पी.119/2001	श्री राम रघुवीर गऊशाला समिति	बाल्लपुर	60000
484.	यू.पी.120/2001	श्री सीताराम गऊशाला समिति	कानपुर	40000

1	2	3	4	5
485.	यू.पी.124/2001	श्री बालाजी गऊशाला समिति	कटघारा	50000
486.	यू.पी.125/2001	श्री गऊसेवा गऊशाला समिति	निगारा	40000
487.	यू.पी.137/2001	श्रीमती राम श्री गऊशाला समिति	तारापुरवा	50000
488.	यू.पी.141/2001	श्री कृष्ण गऊशाला	कोसीकलां	50000
489.	यू.पी.142/2001	भैरव गौ सेवा समिति	उरई	50000
490.	यू.पी.148/2002	ओम शक्तिधाम गौशाला एवं वर्द्धा आश्रम समिति	काकवन	30000
491.	यू.पी.163/2002	श्री राधे कृष्ण गऊ सेवा सदन ट्रस्ट	लखनपुर	60000
492.	यू.पी.165/2002	माता रामकली कामधेनु गऊशाला समिति	कन्नौज	50000
493.	यू.पी.167/2002	पं. रामकुमार द्विवेदी गऊशाला संस्थान	कानपुर देहात	50000
494.	यू.पी.172/2002	जय श्री गोपाल गऊशाला समिति	पालारा	50000
495.	यू.पी.183/2002	श्री माध बल्लभ गऊशाला गोकुल	कसबा गोकुल	150000
496.	यू.पी.191/2002	विनोवा सेवा आश्रम	बारतारा	50000
497.	यू.पी.193/2002	पुण्यभूमि गौवंश संरक्षण संवर्धन केन्द्र	वाईरामपुर	50000
498.	यू.पी.194/2002	श्री सिद्ध गुफा जीवरक्षा गऊशाला	इटावा	50000
499.	यू.पी.196/2002	संत किनाराम विकलांग कल्याण एवं गौ सेवा सोध संस्थान		50000
500.	यू.पी.205/2002	श्री गोपाल गऊशाला समिति	देवीखेड़ा	50000
501.	यू.पी.208/2002	बाबू सिंह गऊशाला समिति	कानपुर नगर	50000
502.	यू.पी.210/2002	गऊ सेवा सदन	सुमेरपुर	40000
503.	यू.पी.231/2002	अमिनावीकरन शिक्षा उदयोपारा\शिक्षा केंद्र	इलाहाबाद	30000
504.	यू.पी.242/2002	भगवान श्री कृष्णा गऊशाला समिति	कन्नौज	30000
505.	यू.पी.261/2003	रंजीत सिंह आदर्श सेवा समर्पण समिति	बादोही	10000
506.	यू.पी.262/2003	गौ रक्षा कल्याण समिति		50000
507.	यू.पी.264/2003	अनाथ जीवदया कल्याण समिति		50000
508.	यू.पी.265/2003	गोविंद गऊशाला		25000
509.	यू.पी.267/2003	श्री कन्हैया गऊशाला समिति		40000

1	2	3	4	5
510.	यू.पी.269/2003	जीव जंतु कल्याण समिति		50000
511.	यू.पी.275/2004	धर्मार्थ गोपाल गौशाला समिति	बुलंदशहर	30000
512.	यू.पी.278/2004	श्री श्री पादबाबा गऊशाला	मथुरा	125000
513.	यू.पी.279/2004	सुरजन देवी पशु पक्षी रक्षक संस्था	कानपुर	50000
514.	यू.पी.280/2004	आदर्श ग्राम गऊशाला संस्थान	कानपुर	30000
515.	यू.पी.282/2004	श्री महावीर स्वामी सदानंद गिरि पंजरापौल गऊशाला सेवा	मथुरा	60000
516.	यू.पी.287/2004	श्री भगवती गऊशाला समिति	कायमकंज	50000
517.	यू.पी.292/2004	श्री योगेश्वर गौ सेवा समिति	इलाहाबाद	50000
518.	यू.पी.293/2004	कामधेनु सर्वांगीण विकास संस्था	बादोही	30000
519.	यू.पी.299/2005	गोपाल गऊशाला सेवा आश्रम		30000
520.	यू.पी.301/2005	समाजोतन सेवा संस्थान	कानपुर	50000
521.	यू.पी.302/2006	श्रीमती विमला देवी मेमोरियल गऊशाला	हरियावान	40000
522.	यू.पी.305/2006	जगदम्बा गऊ सेवा समिति	मथुरा	30000
523.	यू.पी.311/2006	श्री गोपेश्वर गऊशाला समिति	लखनऊ	50000
524.	यू.पी.314/2007	श्री कृष्ण गऊशाला		10000
525.	यू.पी.315/2007	स्मृति समाज सेवा संस्थान		10000
526.	यू.पी.318/2007	मानव गौरव निर्माण संस्थान	वाराणसी	10000
527.	यू.पी.320/2007	श्री सर्वादानन्द गऊशाला	अलीगढ	10000
528.	यू.पी.321/2007	ग्रामोत्थान सेवा संस्थान		10000
529.	यू.पी.324/2007	पशु कल्याण एवं भूमि विकास संस्था		10000
530.	यू.पी.325/2007	बाबा राघवेन्द्र पशु पक्षी प्रकृति मानव सेवा संस्थान		10000
531.	यू.पी.326/2007	राम भगवान मेमोरियल अकेडमिक वेलफेयर सोसायटी		10000
532.	यू.पी.327/2007	कामधेनु सेवा संस्थान		10000
533.	यू.पी.328/2007	श्री बांके बिहारी गऊशाला सोसायटी		10000
534.	डब्ल्यू.बी.006-3/1991	कलकत्ता पंजरापौल सोसायटी	सोडेपुर	62500

1	2	3	4	5
535.	डब्ल्यू.बी.006-5/1991	कलकत्ता पंजरापौल सोसायटी	जुलजुल	50000
536.	डब्ल्यू.बी.006-6/1991	कलकत्ता पंजरापौल सोसायटी	चाकोलिया	70000
537.	डब्ल्यू.बी.013/1993	हितलजोरा किशोरीबाला दातमिया चिकित्सालय	मिदनापुर	40000
538.	डब्ल्यू.बी.027/2000	वर्धवान सोसायटी फार एनिमल वेलफेयर	वर्धवान	20000
539.	डब्ल्यू.दी.029/2001	पी.एफ.ए. हुगली	सीरामपुर	10000
540.	डब्ल्यू.बी.040/2005	पुगमार्क्स सोसायटी फार कंजरवेशन आफ नेचर हेरीटेज	शांतिनिकेतन	10000
541.	डब्ल्यू.बी.041/2006	पीपुल फार एनिमल्स - अलीपुडुर जंक्शन	जलपाईगुडी	10000
			कुल	35045000

ए.डब्ल्यू.ओ. की सूची जिन्हें वर्ष 2006-07 के अनुदान मंजूर किए और 2007-08 को जारी किया गया

क्र. सं.	कोड	ए.डब्ल्यू.ओ. का नाम	शहर	जारी अनुदान
1	2	3	4	5
1.	बी.एच.021/2000	श्री कृष्ण गऊशाला	गौरक्षणी	25000
2.	जी.जे.012/1991	श्री स्याला महाजन पंजरापौल	सायला	72500
3.	जी.जे.015/1991	श्री अमरेली गऊशाला पंजरापौल	अमरेली	70000
4.	जी.जे.023/1991	श्री कुच्छ मुंदरा पंजरापौल एंड गऊशाला	कच्छ	65000
5.	जी.जे.028/1993	श्री गऊशाला सेवा समिति	कच्छ	50000
6.	जी.जे.031/1994	श्री ओखा कृष्ण पंजरापौल	ओखा पोर्ट	20000
7.	जी.जे.055/1998	श्री जीवदया मंडल	कच्छ	200000
8.	जी.जे.111/2000	श्री मयापादर पंजरापौल	वायावादर	10000
9.	जी.जे.202/2002	श्री जूनागढ़ पंजरापौल गऊशाला	जूनागढ़	75000
10.	एच.पी.021/2004	श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ गऊ विज्ञान केन्द्र	बिलासपुर	40000
11.	एच.आर.005/1991	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	यमकेशवर्ट	75000

1	2	3	4	5
12.	एच.आर.036/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	नानगुरा	20000
13.	एच.आर.067/2000	बाबा फुलू साध गऊशाला समिति	हिसार	62500
14.	एच.आर.075/2000	श्री शिव गऊशाला धर्मार्थ ट्रस्ट	दुलेहरी	30000
15.	एच.आर.099/2002	महार्षि दयानन्द गऊशाला	झज्जर	10000
16.	एच.आर.108/2002	श्री जय राम आदर्श गऊशाला	पुनडरी	75000
17.	एच.आर.115/2002	श्री अलख गऊशाला	बहाल	50000
18.	एच.आर.120/2002	श्री गऊशाला फारुख नगर	फारुख नगर	75000
19.	एच.आर.153/2004	श्री गौरक्षणी सनातन धर्म सभा		100000
20.	एच.आर.157/2005	श्री कृष्ण चंद्र गऊशाला	वानी	30000
21.	एच.आर.159/2005	श्री शिव गऊशाला समिति	हिसार	20000
22.	के.ए.003/1987	श्री हुबली पंजरापौल संस्था	हुबली	40000
23.	एम.एच.004/1991	श्री गौरक्षण संस्था धामनगांव (आर.एस.)	धामनगांव	10000
24.	एम.एच.078/2001	लक्ष्मी इंस्टीट्यूट आफ एनिमल वेलफेयर	अमरावती	20000
25.	एम.पी.021/1998	श्री गोपाल गऊशाला	शिवपुर कला	75000
26.	एम.पी.035/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	औजहार	20000
27.	एम.पी.041/1999	उज्जवल गौरक्षण केन्द्र	रायपुर	225000
28.	एम.पी.052/1999	सन्त श्री रोतीरामजी गऊशाला	बेहपुर	20000
29.	एम.पी.058/1999	दायोदय गौ सेवा जीवरक्षा एवं पर्यावरण संस्थान	खुराय	10000
30.	एम.पी.171/1999	सतगुरू नीलकंठ गौ सेवा सदन	देवास	30000
31.	एम.पी.217/2001	बांके बिहारी गऊशाला	टिकरी	40000
32.	एम.पी.027/2000	डाबर हरे कृष्ण गऊशाला	नई दिल्ली	175000
33.	पी.जे.017/1999	अनाथ गऊ आश्रम	रामपुराफूल	10000
34.	आर.जे.008/1991	श्री गोपाल गऊशाला	डिंडीवाना	60000
35.	आर.जे.034/1995	श्री पंजरापौल गऊशाला	पाली-मारवार	150000
36.	आर.जे.041/1998	श्री आदेश्वर गौ सेवा समिति	सिरोही	62500

1	2	3	4	5
37.	आर.जे.050/1998	श्री गोपाल गोवर्धन गऊशाला	सनचोरी	175000
38.	आर.जे.050-1/1998	श्री खेतेश्वर गऊशाला आश्रम		145000
39.	आर.जे.054/1998	श्री फलौदी धर्मार्थ सेवा समिति गऊशाला	फालोदी	40000
40.	आर.जे.066/1998	श्री गऊशाला सुखोदया सर्कल	श्रीगंगानगर	100000
41.	आर.जे.086/1999	श्री कृष्ण गौ सेवा संस्था (समिति)	भाडुन्ड	60000
42.	आर.जे.092/1999	श्री रूप रजत गऊशाला संस्थान	जोधपुर	60000
43.	आर.जे.110/1999	श्री जगदम्बा सेवा समिति	वादरापुट	250000
44.	आर.जे.163/1999	गौसेवा शिविर (गौशाला), चुरू	चुरू	10000
45.	आर.जे.180/2000	श्री गऊशाला	करनपुर	90000
46.	आर.जे.183/2000	संत श्री आसारामजी गऊशाला समिति	निवई	40000
47.	आर.जे.200/2000	श्री हरि ओम गऊशाला	वसानी	10000
48.	आर.जे.213/2000	श्री राधे कृष्ण गऊशाला संस्थान	वीधा	50000
49.	आर.जे.233/2001	ग्रामीण विकास पर्यावरण संरक्षण समति	बजरंगनगर	20000
50.	आर.जे.255/2001	गोविंद गोपाल गऊशाला	भागनारा	80000
51.	आर.जे.268/2002	श्री गोपाल गौ सेवा संस्थान	कोलिया	80000
52.	आर.जे.281/2002	श्री कृष्ण गौ सेवा संस्थान	लक्ष्यसार	10000
53.	आर.जे.290/2002	श्री महावीर हनुमान गौवंश एवं पर्यावरण संरक्षण संवर्धन	गोलासन	135000
54.	आर.जे.298/2002	श्री रावतमुनि जैन गऊशाला सेवा समिति	भोपलागढ	60000
55.	आर.जे.301/2002	स्वामी श्री हजारीमल गौ सेवा समिति	नोकहा	30000
56.	आर.जे.340/2002	श्री विरतेजा गौ सेवा समिति	मुंडा	10000
57.	आर.जे.351/2002	श्री बाल गोपाल गौ सेवाश्रम	दुरवा	70000
58.	आर.जे.352/2002	श्री शिवशक्ति गौ सेवाश्रम	लुनियाशर	110000
59.	आर.जे.353/2002	श्री लक्ष्मी नारायण गौ सेवाश्रम	परतापुरा	50000
60.	आर.जे.354/2002	श्री केदारेश्वर गौ सेवाश्रम	चाहउरा	90000
61.	आर.जे.355/2002	श्री राजऋषि दिलीप गौ सेवा आश्रम	विरोल	110000

1	2	3	4	5
62.	आर.जे.361/2002	श्री भृगुऋषि गौ सेवा आश्रम समिति		205000
63.	आर.जे.412/2003	गऊ सेवा समिति गोगासर	रतनगढ़	10000
64.	आर.जे.436/2004	गऊ रक्षा समिति	पाली	40000
65.	आर.जे.451/2004	श्री मदरिया माता गऊशाला समिति	जैसलमेर	150000
66.	आर.जे.491/2005	श्री खेतेश्वर गऊ सेवा समिति	सिरसाना	15000
67.	आर.जे.501/2005	श्री महावीर गौ सेवा समिति	राथोरी कुनव	30000
68.	टी.एन.036/1997	श्री मरुधर केसरी जैन गऊशाला ट्रस्ट	चैन्नई	30000
69.	यू.पी.009/1993	श्री पंचायती गऊशाला	हापुड़	87500
70.	यू.पी.033/1998	द मुजफ्फर नगर नई मंडी गऊशाला	मुजफ्फर नगर	30000
71.	यू.पी.051/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	कुशीनगर	10000
72.	यू.पी.083/2000	शेरिन एनिमल सोसायटी	लखनऊ	10000
73.	यू.पी.094/2000	श्याम गऊशाला बाबा बंसीवाला	प्रेमनगर	10000
			कुल	4635000

वर्ष 2006-2007 के लिए ए.डब्ल्यू.बी.आई. द्वारा जारी अनुदान (नियमित अनुदान)

राज्य/क्र.सं.	कोड नं.	नाम	शहर	जारी अनुदान
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	ए.पी.004/1972	एस.पी.सी.ए. काकीनाडा	काकीनाड	40000
2.	ए.पी.007/1988	इलूरू गौ संरक्षण समति	इलूरू	50000
3.	ए.पी.011/1993	ब्लू क्रास आफ हैदराबाद	हैदराबाद	80000
4.	ए.पी.016/1998	विशाखा एस.पी.सी.ए.	विशाखापटनम	120000
5	ए.पी.017/1998	इंटरनेशनल एनिमल एंड वर्ल्डस सोसायटी	गुंटूर	80000
6.	ए.पी.021/1999	रॉयल यूनिट फार परिवेंशन आफ क्रुएलटी टू एनिमल्स	उरावाकोनडा	30000

1	2	3	4	5
7.	ए.पी.030/1999	बालाजी एनिमल वेलफेयर सोसायटी	वेंकटागिरी	50000
8.	ए.पी.032/1999	राष्ट्रीय गोकुल संरक्षण केंद्र	धर्मावरम	25000
9.	ए.पी.033/2000	श्री महावीर गऊशाला फाउंडेशन ट्रस्ट	तिरुपति	70000
10.	ए.पी.034/2000	साईं राम एनिमल वेलफेयर सोसायटी	कुड्डापाह	350000
11.	ए.पी.037/2000	फाउंडेशन फार एनिमल्स ट्रस्ट	नेलौर	50000
12.	ए.पी.038/2000	सोसायटी आफ एनिमल वेलफेयर	काठगोदाम	40000
13.	ए.पी.048/2000	ग्रीन मर्सी	विशाखापटनम	10000
14.	ए.पी.052/2000	पंच मित्र सेवा समिति	नादावारूलु	50000
15.	ए.पी.053/2000	श्री श्री राधा गोविंद गौ रक्षा समिति	तिरुपति	70000
16.	ए.पी.056/2000	एनिमल केयर लैंड	तिरुपति	20000
17.	ए.पी.057/2000	एनिमल वेलफेयर एण्ड रीहैबिलीटेशन सोसायटी	मड्डीयागिरी	30000
18.	ए.पी.062/2001	पीपुल्स फार एनिमल्स, काकीनाडा	काकीनाडा	10000
19.	ए.पी.064/2002	करूणा सोसायटी फार एनिमल्स एण्ड नेचर	पुट्टापार्थी	100000
20.	ए.पी.072/2002	श्री विजयवाडा गौ संरक्षण संघ	विजयवाडा	80000
21.	ए.पी.077/2002	सोसायटी फॉर हैल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंटल एण्ड पीपुल	चित्तौड़	40000
22.	ए.पी.084/2004	श्री कृष्ण मुरारी गौ संरक्षण समिति	चित्तौड़	30000
23.	ए.पी.086/2004	एनिमल वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	गुरामकोंडा	40000
24.	ए.पी.091/2006	विष्णु एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन	काकीनाडा	50000
25.	ए.पी.095/2006	केयर फॉर एनिमल्स	सिकंदराबाद	10000
26.	ए.पी.097/2006	मास एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन	वाल्मीकिपुरम	10000
27.	ए.पी.098/2006	बुद्धा वेलफेयर सोसायटी फॉर एनिमल्स एंड वल्ड्‌र्स	अनंतपुर	10000
28.	ए.पी.099/2006	विश्व शांति एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन	अनंतपुर	10000
असम				
29.	ए.एस.012/2003	असम गौ सेवा समिति	गुवाहाटी	30000

1	2	3	4	5
बिहार				
30.	बी.एच.003/1991	श्री टाटानगर गऊशाला	जमशेदपुर	125000
31.	बी.एच.010/1999	श्री गंगा गऊशाला	कटरासगढ़	110000
32.	बी.एच.017/2000	राष्ट्रीय गौ रक्षा संघ	पटना	40000
33.	बी.एच.023/2000	श्री गोपाल गऊशाला	पाकुर	40000
गुजरात				
34.	जी.जे.007/1987	श्रीमती सैनी मैमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट	राजकोट	30000
35.	जी.जे.012/1991	श्री सेला महाजन पंजरापौल	सायला	72500
36.	जी.जे.013/1991	सेठ आनंदजी कुशलचंदजी खौदो धौल पंजरापौल संस्थान	सानंद	100000
37.	जी.जे.016/1991	श्री वृंदावन गऊशाला जीवदया ट्रस्ट	जीवापुर	110000
38.	जी.जे.018/1991	श्री वोटाड महाजन पंजरापौल एंड गऊशाला	वोटाड	100000
39.	जी.जे.019/1991	श्री सिद्धपुर पंजरापौल	सिद्धपुर	100000
40.	जी.जे.023/1991	श्री कुच्छ मुद्रा पंजरापौल एण्ड गऊशाला	कच्छ	65000
41.	जी.जे.024/1991	श्री अंजर पंजरापौल	कच्छ	62500
42.	जी.जे.027/1991	वदोदरा एस.पी.सी.ए.	वड़ौदा	40000
43.	जी.जे.028/1993	श्री गऊशाला सेवा समिति	कच्छ	50000
44.	जी.जे.031/1994	श्री ओखा कृष्ण पंजरापौल	औखा पोर्ट	50000
45.	जी.जे.033/1993	श्री मोती रूद्रानी जगीर गऊशाला एंड पंजरापौल	भुज	170000
46.	जी.जे.034/1998	श्री जाखाऊ पंजरापौल ट्रस्ट एंड गऊशाला	जाखू	50000
47.	जी.जे.038/1995	श्री सावरकुन्डला गऊशाला	सावरकुंडला	55000
48.	जी.जे.039/1996	श्री भावनगर पंजरापौल	भावनगर	30000
49.	जी.जे.042/1997	श्री महुवा गौ रक्षक सभा	महुआ	50000
50.	जी.जे.052/1998	श्री मंडल महाजन पंजरापौल	मंडल	250000
51.	जी.जे.055/1998	श्री जीवदया मंडल	कच्छ	200000
52.	जी.जे.063/1998	श्री वर्द्धवान महाजन पंजरापौल	सुरेन्द्रनगर	112500

1	2	3	4	5
53.	जी.जे.065/1998	श्री खोदाधार पंजरापौल	धारा	170000
54.	जी.जे.073/1998	राधानपुर खोदाधार पंजरापौल संस्था	राधनपुर	200000
55.	जी.जे.075/1999	श्री गौवंश एंड पंजरापौल संस्था	जामकानडोरना	150000
56.	जी.जे.076/1999	श्री गौ रक्षण संस्था	पालीताना	150000
57.	जी.जे.078/1999	श्री पुरुषोतम लालजी गऊलोक सेवाधाम ट्रस्ट	धारी ताल	100000
58.	जी.जे.086/1999	श्री वंकानेर पंजरापौल गऊशाला	वाकानेर	75000
59.	जी.जे.105/2000	श्री हरिजी पंजरापौल संस्था	हरीज	75000
60.	जी.जे.111/2000	श्री भायावादी पंजरापौल	भायावद्रा	50000
61.	जी.जे.114/2000	श्री शिवाजीनगर गौ सेवा समाज ट्रस्ट	सावरकुंडला	50000
62.	जी.जे.116/2001	श्री उनझा पंजरापौल	उनझा	50000
63.	जी.जे.126/2001	श्री रामरोटी अन्नक्षेत्र आश्रम	कोठारिया	125000
64.	जी.जे.131/2001	श्री भुजपुर पंजरापौल	भुजपुर	200000
65.	जी.जे.135/2001	श्री धासा जंक्शन गऊशाला	धासा जंक्शन	100000
66.	जी.जे.142/2002	भगवान महावीर पशु रक्षा केन्द्र	परागपुर	300000
67.	जी.जे.152/2002	शाह खोदीदास धर्मचंद पंजरापौल	जामपाली पोल	50000
68.	जी.जे.161/2002	वाडला पंजरापौल	वाडला	120000
69.	जी.जे.162/2002	श्री मालिया हतीना पंजरापौल	मालिया हतीना	50000
70.	जी.जे.176/2002	प्रांतीज पंजरापौल संस्थान	प्रांतीज	10000
71.	जी.जे.183/2002	गऊ सेवा ट्रस्ट	थोराडी	50000
72.	जी.जे.188/2002	सेठ आनंदजी कल्याणजी छापारियली पंजरापौल सार्वजनिक ट्रस्ट	छपरैली	112500
73.	जी.जे.189/2002	श्री यातिन्द्र जयंत सार्वजनिक गऊशाला ट्रस्ट	जालीद	70000
74.	जी.जे.194/2002	श्री जीवदया गौ सेवा समाज ट्रस्ट	ललितपुर	70000
75.	जी.जे.214/2002	स्वामी श्री तेजनन्द महाराज टैम्पल पिंजरापोल	खारवासा	50000
76.	जी.जे.215/2002	श्री केवलमुनि जी गऊशाला ट्रस्ट	थाली	50000
77.	जी.जे.224/2003	श्री शम्भुगीरी सेवा ट्रस्ट	असोदर	100000

1	2	3	4	5
78.	जी.जे.228/2004	श्री चुडा महाजन पंजरापौल	चूडा	90000
79.	जी.जे.230/2004	आशीर्वाद चेरिटेबल ट्रस्ट	सुदासना	110000
80.	जी.जे.235/2004	पूज्य तपस्वीबापू स्मृति गऊसेवा ट्रस्ट	लिम्बडी	30000
81.	जी.जे.237/2004	ऋषिभूमि परावरूतिया	कालोल	30000
82.	जी.जे.238/2005	अवूल पशु पक्षी सेवा मंडल	वोनघाना	50000
83.	जी.जे.239/2005	श्री गाधादा जीवदया जनकल्याण ट्रस्ट	भावनगर	50000
84.	जी.जे.242/2006	बूचासन वासी श्री अक्षरपुरुषोत्तम गऊशाला ट्रस्ट	अहमदाबाद	10000
85.	जी.जे.243/2006	श्री पतन पंजरापौल	पाटन	10000
86.	जी.जे.244/2006	श्री गऊ सेवा समिति	कुटियाना	10000
87.	जी.जे.245/2006	श्री गोकुलेश गऊशाला एंड विटरनेरी अस्पताल	जूनागढ	10000
गोवा				
88.	जी.ओ.003/1999	द्वारकापुरी गौ सेवा आश्रम	पोंडा	50000
89.	जी.ओ.007/2006	द ग्रीन क्रास	बर्दीज	15000
हिमाचल प्रदेश				
90.	एच.पी.003/1998	ब्लू क्रॉस आफ हिमाचल प्रदेश	पालमपुर	40000
91.	HP015/2002	एस.पी.सी.ए. सिरमौर	नाहन	20000
92.	एच.पी.023/2006	श्री लक्ष्मी नारायण गौ सरक्षा सेवा समिति	नादौन	10000
हरियाणा				
93.	एच.आर.002/1991	मेवात क्षेत्र गऊशाला समिति	फिरोजपुर	70000
94.	एच.आर.003/1991	अरशा महाविद्यालय गुरूकुल गऊशाला	कालवा	30000
95.	एच.आर.004/1991	श्री कृष्ण आदर्श गऊशाला सेवा समिति	गोहाना	125000
96.	एच.आर.005/1991	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	यमकेशवर तीर्थ	75000
97.	एच.आर.006/1991	श्री कृष्ण गऊशाला	टोहाना	150000
98.	एच.आर.008/1991	श्री कृष्ण गऊशाला	चरखी-दादरी	62500
99.	एच.आर.009/1991	श्री गऊशाला	महेन्द्रगढ	150000

1	2	3	4	5
100.	एच.आर.011/1991	श्री गऊशाला डेयरी दत्ता	दत्ता	400000
101.	एच.आर.013/1991	श्री रामकृष्ण गौ सेवा सदन धर्मार्थ सभा	बापौली	50000
102.	एच.आर.014/1991	श्री गऊशाला सोसायटी	पानीपत	200000
103.	एच.आर.017/1994	श्री गोपाल गऊशाला	नारनौल	100000
104.	एच.आर.018/1994	श्री लाडवा गऊशाला	लाडवा	125000
105.	एच.आर.019/1996	राष्ट्रीय गऊशाला	घरौली	250000
106.	एच.आर.022/1998	दानवीर राजा बली गऊशाला समिति	बल्ला	50000
107.	एच.आर.025/1998	श्री कृष्ण गोपाल गऊशाला	जुंडला	80000
108.	एच.आर.026/1998	श्री कृष्ण गोपाल गऊशाला	निर्शिग	125000
109.	एच.आर.030/1998	अमरशहीद कान्हा गऊशाला बाहीन	बाहीन	50000
110.	एच.आर.032/1998	अखिल भारतीय महार्षि दयानन्द गऊशाला	रोहतक	100000
111.	एच.आर.036/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	नानगुरा	50000
112.	एच.आर.037/1999	श्री कृष्ण आदर्श गऊशाला	समालखा मंडी	80000
113.	एच.आर.038/1999	श्री गऊशाला ट्रस्ट	भिवानी	300000
114.	एच.आर.039/1999	जय बजरंगबली गऊशाला	थानेश्वर	35000
115.	एच.आर.042/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	सिवानी मंडी	87500
116.	एच.आर.044/1999	श्री कुरुक्षेत्र गऊशाला	कैथल	62500
117.	एच.आर.045/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	उकलाना मंडी	200000
118.	एच.आर.046/1999	द चेरिटेबल गऊशाला (धर्मार्थ गऊशाला)	सोनीपत	250000
119.	एच.आर.048/1999	श्री गऊशाला एसोसिएशन	सफीदन मंडी	50000
120.	एच.आर.049/1999	श्री स्वामी गौरक्षानन्द गऊशाला	सफीदन	150000
121.	एच.आर.051/1999	श्री स्वामी गौरक्षानन्द गऊशाला	जुलाना	100000
122.	एच.आर.052/1999	श्री गऊशाला बाबा फुलू साध	उचाना खुर्द	135000
123.	एच.आर.053/1999	श्री सोमनाथ गऊशाला	जींद	100000
124.	एच.आर.054/1999	श्री गऊशाला	जींद	150000

1	2	3	4	5
125.	एच.आर.057/1999	श्री वैष्णव अग्रसेन गऊशाला	हिसार	150000
126.	एच.आर.058/1999	श्री हरियाणा गऊशाला	हांसी	300000
127.	एच.आर.059/1999	श्री गऊशाला	रोहतक	500000
128.	एच.आर.060/1999	श्री गऊशाला	सिरसा	175000
129.	एच.आर.061/1999	श्री बालाजी गऊशाला	जींद	60000
130.	एच.आर.062/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला सेवा समिति	गोहाना मंडी	100000
131.	एच.आर.063/1999	गऊमठ (गऊशाला)	भिवानी जिला	70000
132.	एच.आर.067/2000	बाबा फुलू साध गऊशाला समिति	हिसार	62500
133.	एच.आर.071/2000	श्री चेतनदास गौसंवर्द्धन संस्थान	गुडगांव	100000
134.	एच.आर.072/2000	धर्मार्थ गऊशाला	भाटगांव	150000
135.	एच.आर.075/2000	श्री शिव गऊशाला धर्मार्थ ट्रस्ट	दुलेहरी	50000
136.	एच.आर.076/2000	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	पांडु पिंडारा	80000
137.	एच.आर.078/2000	श्री गोपाल गऊशाला	बारवाला	140000
138.	एच.आर.080/2000	श्री 108 ब्रह्मचारी जयराम दास पंचायती गऊशाला	बेरी	175000
139.	एच.आर.081/2000	श्री गऊशाला	झज्जर	175000
140.	एच.आर.083/2000	श्री जयराम पंचायती गऊशाला समिति	जाखोली	75000
141.	एच.आर.085/2000	श्री कृष्ण गऊशाला	रतिया	250000
142.	एच.आर.086/2000	श्री बाबा गुदादिया गऊशाला	माधोगढ	62500
143.	एच.आर.095/2001	लार्ड शिव गऊशाला समिति	शाहपुर	150000
144.	एच.आर.097/2001	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	गुरूकुल	50000
145.	एच.आर.098/2001	श्री माधो सिंघाना गऊशाला	माधव सिंघाना	100000
146.	एच.आर.099/2002	महर्षि दयानन्द गऊशाला	झज्जर	50000
147.	एच.आर.100/2002	श्री वैश्य व्यायामशाला एवं गऊशाला	रोहतक	125000
148.	एच.आर.102/2002	श्री गोपाल गौ सदन	जींद	125000
149.	एच.आर.103/2002	गऊ सेवा समिति	इसमाइलाबाद	50000

1	2	3	4	5
150.	एच.आर.104/2002	श्री कृष्ण गोपाल गऊसेवा सदन सभा	चीता मण्डी	175000
151.	एच.आर.105/2002	महार्षि दयानन्द सरस्वती गऊशाला	जमाल	62500
152.	एच.आर.108/2002	श्री जय राम आदर्श गऊशाला	पुंडरी	75000
153.	एच.आर.111/2002	आदर्श गऊशाला	झज्जर	60000
154.	एच.आर.113/2002	अखिल भारतीय जीव जन्तु कल्याण एवं अवाम ग्रामीण-वी	साते रोड खुर्द	40000
155.	एच.आर.114/2002	श्री श्री 108 बाबा हेमदास गऊशाला	महेन्द्रगढ़	100000
156.	एच.आर.115/2002	श्री अलख गऊशाला	बाहल	50000
157.	एच.आर.116/2002	शिव शक्ति गऊशाला	कदलवा	225000
158.	एच.आर.117/2002	श्री गऊशाला	चक्का	50000
159.	एच.आर.118/2002	गऊ सेवा समिति	केहरवाला	50000
160.	एच.आर.120/2002	श्री गऊशाला फारुख नगर	फारुख नगर	75000
161.	एच.आर.121/2002	श्री गऊशाला	रासालीहेरा	125000
162.	एच.आर.122/2002	पंटीलिसा गऊशाला समिति	कगदाना	175000
163.	एच.आर.123/2002	गऊ सेवा समिति	कैथल	150000
164.	एच.आर.124/2002	ज्योतिपुंज गऊशाला	टोहना	125000
165.	एच.आर.128/2002	महर्षि दयानन्द सरस्वती गऊशाला	नाथुसराय कलां	125000
166.	एच.आर.131/2002	गेहलू ज्ञान भारती शिक्षा समिति	फरमाना	40000
167.	एच.आर.132/2002	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	सिरसा	80000
168.	एव.आर.133/2002	श्री वासुदेव कृष्ण गऊशाला		28000
169.	एच.आर.134/2002	श्री कृष्ण गऊशाला सेवा समिति	सिरसा	60000
170.	एच.आर.135/2002	श्री राम गोपाल गऊशाला	सिरसा	50000
171.	एच.आर.137/2002	श्री हरियाणा गऊशाला	फतेहाबाद	200000
172.	एच.आर.140/2002	श्री कृष्ण गऊशाला	फतेहाबाद	70000
173.	एच.आर.141/2002	श्री गोपाल गऊशाला	हांसी	100000
174.	एच.आर.143/2003	श्री हरियाणा कुरुक्षेत्र गऊशाला	हिसार	250000

1	2	3	4	5
175.	एच.आर.144/2003	गऊशाला माघड़	कलायत	112500
176.	एच.आर.147/2003	श्री राधा कृष्ण गौसेवा सदन	कावरी	50000
177.	एच.आर.149/2003	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	धन्द	80000
178.	एच.आर.152/2004	श्री कृष्ण सेवा दल	भिवानी	70000
179.	एच.आर.153/2004	श्री गौरक्षणी सनातन धर्म सभा		100000
180.	एच.आर.154/2004	श्री डेरा बाबा लट्ठेवाला गऊशाला	पानीपत	112500
181.	एच.आर.157/2005	श्री कृष्ण चन्द्र गऊशाला	वानी	50000
182.	एच.आर.158/2005	श्री गऊशाला कमेटी	जगाधरी	50000
183.	एच.आर.159/2005	श्री शिव गऊशाला समिति	हिसार	50000
184.	एच.आर.160/2005	बाबा गनेशीलाल गऊशाला एंड क्रूरता निवारण समिति	जींद	40000
185.	एच.आर.162/2005	श्री कृष्ण गऊशाला सोसायटी		60000
186.	एच.आर.163/2005	यशोदा नंदन श्री कृष्ण गऊशाला सेवक समिति	सोनीपत	40000
187.	एच.आर.164/2005	श्री बाबा साईंनाथ गऊशाला	खेड़ी	60000
188.	एच.आर.165/2006	ऋषिकुल गऊशाला नियास	भिवानी	10000
189.	एच.आर.166/2006	श्री गोविंद गऊशाला समिति	अम्बाला	10000
190.	एच.आर.167/2006	शिव शक्ति कृष्ण मुनि गऊशाला	सिरसा	10000
191.	एच.आर.168/2006	श्री राम भक्त हनुमान गऊशाला	सिरसा	10000
192.	एच.आर.169/2006	पीपुल्स फार एनिमल्स हरियाणा रूरल	हिसार	10000
193.	एच.आर.170/2006	श्री कृष्ण गऊशाला	कनीना	10000
194.	एच.आर.171/2006	डेरा पक्का सौदा शिक्षण गऊशाला समिति	हिसार	10000
195.	एच.आर.172/2006	आखिल भारतीय श्री टेक राम महाराजजी गऊशाला	झज्जर	10000
196.	एच.आर.174/2006	आदर्श गऊशाला सोसायटी	कैथल	10000
197.	एच.आर.175/2006	श्री सनातन धर्म कृष्ण गऊशाला	सिरसा	10000
198.	एच.आर.176/2006	श्री कृष्ण गऊशाला, सक्ता खेड़ा	सिरसा	10000
199.	एच.आर.177/2006	संत बाबा किशन सिंह जी महाराज मेमोरियल गऊशाला	सिरसा	10000

1	2	3	4	5
200.	एच.आर.178/2006	बाबा बाला समाधवाला गऊशाला	सिरसा	10000
201.	एच.आर.179/2006	श्री गऊशाला	सिरसा	10000
202.	एच.आर.181/2006	जय नारायण गऊशाला	गुड़गांव	10000
203.	एच.आर.182/2006	बाबा समतीनाथ गऊशाला	नारनौल	10000
204.	एच.आर.183/2006	बाबा जी रामदास गऊशाला	खुडाना	10000
205.	एच.आर.184/2006	श्री कृष्ण बाल गोपाल गऊशाला	बेहाली	10000
206.	एच.आर.185/2006	आदर्श गऊशाला	फतेहाबाद	10000
207.	एच.आर.186/2006	श्री घन्द गऊशाला	फतेहाबाद	10000
208.	एच.आर.187/2006	श्री कृष्ण गऊशाला, भाटूकलन	फतेहाबाद	10000
209.	एच.आर.188/2006	बाबा गौरखनाथ गऊशाला प्रबंधक समिति	गोरखपुर	10000
210.	एच.आर.189/2006	माता भगवती देवी गऊशाला ट्रस्ट	फरीदाबाद	10000
211.	एच.आर.190/2006	श्री कृष्ण चौबीसी गऊशाला	फरीदाबाद	10000
212.	एच.आर.192/2006	महंत नोमिनाथ खाती गऊ सेवा पर्यावरण सुधार समिति	भिवानी	10000
213.	एच.आर.193/2006	श्री कृष्ण गऊशाला धाम	भिवानी	10000
214.	एच.आर.194/2006	श्री बाबा धूनीवाला गऊशाला ट्रस्ट	दिनोद	10000
215.	एच.आर.195/2006	श्री राधेकृष्ण गऊशाला सोसायटी	चरखी दादरी	10000
216.	एच.आर.196/2006	श्री राधे कृष्ण गऊशाला समिति	बाढ़वा	10000
217.	एच.आर.197/2006	श्री कृष्ण गऊशाला सेवा समिति	इलानाबाद	10000
218.	एच.आर.198/2006	श्री गऊशाला	इलानाबाद	10000
219.	एच.आर.199/2006	श्री कृष्ण गऊशाला, मिठी सुरेरा	इलानाबाद	10000
220.	एच.आर.200/2006	श्री कृष्ण भगवान गऊशाला समिति	डबवाली	10000
221.	एच.आर.201/2006	श्री श्याम गऊशाला ट्रस्ट	मानधानाई	10000
222.	एच.आर.202/2006	गुरुकुल समिति	बीकानेर	10000
223.	एच.आर.203/2006	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला समिति	फतेहाबाद	10000
224.	एच.आर.204/2006	विश्वभारती शिक्षण संस्थान	रोहतक	10000

1	2	3	4	5
225.	एच.आर.205/2006	शिव गऊशाला समिति	पानीपत	10000
226.	एच.आर.206/2006	श्री राधा कृष्ण गऊशाला	करनाल	10000
227.	एच.आर.207/2006	श्री कृष्ण गोपाल गऊशाला	करनाल	10000
228.	एच.आर.211/2006	पंचायती गऊशाला सोसायटी	रोहतक	10000
229.	एच.आर.212/2006	पीपुल्स फार एनिमल्स, चरखी दादरी	भिवानी	10000
230.	एच.आर.213/2006	संत श्री आसारामजी गऊशाला समिति	नारनौल	10000
जम्मू-कश्मीर				
231.	जे.के.002/1999	जम्मू-कश्मीर गऊ रक्षा समिति	जम्मू	50000
कर्नाटक				
232.	के.ए.001/1965	मैसूर पंजरापोल सोसायटी	मैसूर	235000
233.	के.ए.004/1993	कंपैशन अनलिमिटेड प्लस एक्शन	बंगलौर	30000
234.	के.ए.005/1985	श्री राघवेन्द्र गौआश्रम ट्रस्ट	बंगलौर	40000
235.	के.ए.017/1999	वाइल्डलाईफ रैसक्यू एंड रिहैबिलीटेशन सेंटर	बंगलौर	25000
236.	के.ए.037/2004	ग्राम विकास सोसायटी	अगलकुर्की	40000
237.	के.ए.043/2006	आदर्श एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट	बेलारी	10000
238.	के.ए.044/2006	श्री मनीरंजन जगतगुरू श्री दुरादुंदेश्वर गऊशाला	बैलेगांव	10000
केरल				
239.	के.एल.022/2002	दया (सोसायटी फार दी प्रिवेंशन आफ क्रुयल्टी टू एनिमल्स)	मुदाबूर	10000
240.	के.एल.029/2006	श्री बालाभट्टारांकेश्वर आश्रम समिति ट्रस्ट	चावरा	10000
महाराष्ट्र				
241.	एम.एच.003/1991	श्री गोपालक संघ (गौरक्षण संस्थान) ट्रस्ट	सोलापुर	40000
242.	एम.एच.004/1991	श्री गौरक्षण संस्था धामनगांव (आर.एस.)	धामनगांव	50000
243.	एम.एच.008/1991	श्री गौरक्षण संस्था	अमरावती	50000
244.	एम.एच.013/1993	वाईस आफ एनिमल्स इन डिस्ट्रेस (स्ट्रे डॉग्स लवर्स)	मुम्बई	10000

1	2	3	4	5
245.	एम.एच.014/1991	श्री वर्द्धमान जीवदया केन्द्र	मुम्बई	120000
246.	एम.एच.021/1964	ऑल इंडिया एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन	मुम्बई	20000
247.	एम.एच.030/1995	अमलनेर गऊशाला (पंजरापौल)	अमलनेर	70000
248.	एम.एच.039/1997	श्री गोरक्षण संस्थान	अकोला	50000
249.	एम.एच.040/1998	पंजरापौल (गऊरक्षण) संस्थान	अहमदनगर	90000
250.	एम.एच.042/1998	आदर्श गौ सेवा एवं अनुसंधान प्रकल्प	अकोला	100000
251.	एम.एच.043/1998	गोविज्ञान अनुसंधान केन्द्र	नागपुर	60000
252.	एम.एच.045/1998	महाराष्ट्र गोपाल समिति	मुम्बई	50000
253.	एम.एच.055/1999	एस.पी.सी.ए. उदगीर	अशोक नगर	40000
254.	एम.एच.059/1999	केशव गौरक्षण सेवा समिति	वासिम	40000
255.	एम.एच.062/2000	अतरी गौरक्षण स्वयंसेवी संस्था	बीड	40000
256.	एम.एच.076/2001	श्री गऊ संरक्षण अनुसंधान संस्था	नागपुर	70000
257.	एम.एच.089/2002	प्लांट एंड एनिमल्स वेलफेयर सोसायटी	दोमबिली	20000
258.	एम.एच.092/2002	पी.एफ.ए. वर्धा वेलफेयर सोसायटी	गौपुरी	40000
259.	एम.एच.101/2002	श्री कृष्ण गऊशाला	तुमसार	50000
260.	एम.एच.103/2002	आचार्य आनन्द ऋषिजी गौरक्षण संस्थान	तनहारा	40000
261.	एम.एच.106/2003	थाने एस.पी.सी.ए.		20000
262.	एम.एच.108/2004	बुलढाना एस.पी.सी.ए.	बुलढाना	30000
263.	एम.एच.111/2004	प्लांट एंड एनिमल्स वेलफेयर सोसायटी	मुम्बई	30000
264.	एम.एच.116/2005	श्री रणछोड़ अप्पा पाटिल गऊशाला		40000
265.	एम.एच.120/2006	महर्षि दयानन्द गऊशाला गुरूकुल	असमानाबाद	10000
266.	एम.एच.121/2006	संजीवनी गौ सेवा प्रकल्प	वाशिम	10000
267.	एम.एच.122/2006	एनिमल वेलफेयर सोसायटी	अंबरनाथ	10000
268.	एम.एच.127/2007	मातोश्री गौरक्षण व बहुउद्देशीय शिक्षा प्रशिक्षण		10000

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश				
269.	एम.पी.002/1991	श्री महावीर गऊशाला	रायपुर	50000
270.	एम.पी.004/1991	श्री गोपाल गऊशाला	ग्वालियर	50000
271.	एम.पी.006/1991	श्री गऊशाला सदाव्रत कमेटी	सतना	50000
272.	एम.पी.007/1991	श्री अखिलानन्द सरस्वती ग्रामीण गऊशाला	दलाऊडा	60000
273.	एम.पी.011/1991	बृज मोहन रामकली गौसंरक्षण केन्द्र	भोपाल	80000
274.	एम.पी.012/1991	जीव दया प्रेमी मंडल सार्वजनिक परमारतिक न्यास	सैलाना	60000
275.	एम.पी.021/1998	श्री गोपाल गऊशाला	शिवपुर कालान	75000
276.	एम.पी.022/1998	गऊ संरक्षण सेवा समिति	कुरवाई	30000
277.	एम.पी.023/1998	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला समिति	सरदारपुर	50000
278.	एम.पी.026/1998	श्री कृष्ण गऊशाला जीवरक्षा केन्द्र	दुर्ग	70000
279.	एम.पी.027/1998	पीपुल्स फार एनिमल्स	ग्वालियर	40000
280.	एम.पी.030/1999	श्री गौपरस निवारणी गोपाल गऊशाला	बादनगर	80000
281.	एम.पी.033/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	नरसिंहगढ़	40000
282.	एम.पी.035/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	ओजहार	50000
283.	एम.पी.037/1999	श्री सीता पंचायती गऊशाला	आगरा	50000
284.	एम.पी.043/1999	श्री गोपाल गऊशाला समिति	धार	60000
285.	एम.पी.045/1999	श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर गौ सेवा समिति	रामटेकारी	50000
286.	एम.पी.046/1999	श्री कृष्ण जीवन गौसेवा सदन गऊशाला	कारही	40000
287.	एम.पी.050/1999	गौवंश रक्षण समिति	वारासीवानी	175000
288.	एम.पी.051/1999	श्री गोवर्धन गऊशाला	अलोट	60000
289.	एम.पी.052/1999	संत श्री रोतीरामजी गऊशाला	बेहपुर	50000
290.	एम.पी.054/1999	श्री गोपाल इफ्तिखार गऊशाला	जवारा	90000
291.	एम.पी.055/1999	श्री गोपाल गऊशाला नियास	रतलाम	80000
292.	एम.पी.058/1999	दयादया गौसेवा जीवरक्षा एवं पर्यावरण संस्थान	खुराई	50000

1	2	3	4	5
293.	एम.पी.060/1999	श्री श्रीयासनाथ पशु पक्षी केन्द्र	मंदसौर	50000
294.	एम.पी.063/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	किशोरपुर	50000
295.	एम.पी.065/1999	श्री महावीर गऊशाला रामधारा	सुखेदा	50000
296.	एम.पी.073/1999	पटेल बाबा गऊ सेवा सदन	जानपुर	30000
297.	एम.पी.084/1999	कामधेनु गौसदन संचालन समिति	सतवा	50000
298.	एम.पी.085/1999	संत आसाराम गौसेवा श्रमयोग वेदान्त सेवा समिति	शाजापुर	60000
299.	एम.पी.086/1999	राधाकृष्ण गऊशाला समिति	राजगढ़	50000
300.	एम.पी.092/1999	श्री माधव गऊशाला	अगर मालवा	80000
301.	एम.पी.105/1999	दायोदय पशु सेवा केन्द्र	अशोक नगर	50000
302.	एम.पी.108/1999	जलपामाता गऊशाला समिति	राजगढ़	50000
303.	एम.पी.109/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	राजगढ़	80000
304.	एम.पी.110/1999	स्वामी राधाकृष्ण गऊशाला ट्रस्ट	सेनदावा	60000
305.	एम.पी.115/1999	श्री गणेश गऊशाला गौरक्षण एवं संवर्धन केन्द्र	खंडवा	50000
306.	एम.पी.123/1999	तिलकेश्वर गऊ सेवा सदन	उज्जैन	50000
307.	एम.पी.135/1999	श्री गुप्तेश्वर गऊशाला समिति	हरिपुर	50000
308.	एम.पी.137/1999	दायोदय पशु सेवा केन्द्र गऊशाला	वहीरावाद	40000
309.	एम.पी.138/1999	श्री बजरंग गौ सेवा समिति	माचलपुर	50000
310.	एम.पी.143/1999	श्री बालाजी गऊशाला	सुसनेर	50000
311.	एम.पी.147/1999	दायोदय पशु सेवा केन्द्र गऊशाला	कटनी	50000
312.	एम.पी.148/1999	श्री कृष्ण गोपाल गौरक्षण एवं संवर्धन समिति	भोपाल	80000
313.	एम.पी.149/1999	महामृत्युञ्ज्य गऊशाला	हुजूर	30000
314.	एम.पी.156/1999	गऊ सेवा समिति	करकावेल	40000
315.	एम.पी.173/1999	संत श्री सवरी गऊशाला समिति	भामती	25000
316.	एम.पी.177/1999	त्रिवेणी गऊशाला	परतापुर	50000
317.	एम.पी.182/1999	श्री गौतम गौसंवर्धन सोध संस्थान एवं पर्यावरण केन्द्र	वादनगर	60000

1	2	3	4	5
318.	एम.पी.186/2000	दायोदय पशु सेवा समिति	गदरवारा	40000
319.	एम.पी.188/2000	श्री बालाजी मंदिर गऊशाला	पंडाहना	50000
320.	एम.पी.193/2000	वृंदावन गऊशाला	भगवानपुर	40000
321.	एम.पी.196/2000	श्री अहिल्यामाता गऊशाला जीवदया मंडल	इंदौर	50000
322.	एम.पी.205/2000	दायोदय पशु सेवा समिति	धनौर	50000
323.	एम.पी.214/2000	सर्वोदया पशु संरक्षण समिति	सिलवानी	50000
324.	एम.पी.215/2001	पी.एफ.ए. मुरैना	मुरैना	30000
325.	एम.पी.222/2001	दायोदय पशु सेवा सदन	गंज बसौदो	90000
326.	एम.पी.226/2001	दायोदय पशु संवर्धन एवं पर्यावरण केन्द्र गऊशाला	जबलपुर	225000
327.	एम.पी.236/2002	आचार्य विद्यासागर पशु संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार समिति	बांदा	70000
328.	एम.पी.237/2002	श्री खण्डेश्वर गऊशाला समिति	जगाखेड़ी	60000
329.	एम.पी.250/2002	जय श्रीकृष्ण गऊशाला समिति	खामखेड़ा	40000
330.	एम.पी.259/2002	परमपूज्य संत श्री आसारामजी गऊ सेवा समिति	शोयपुर	150000
331.	एम.पी.260/2002	श्री गोविन्द गऊशाला समिति	ताल	50000
332.	एम.पी.262/2002	आचार्य श्री विद्यासागर दायोदय पशु सेवा केन्द्र	तेंदुखेड़ा	40000
333.	एम.पी.264/2002	श्री मानस गीता गौशाला	बारादरी	50000
334.	एम.पी.270/2002	दायोदय पशु सेवा केन्द्र	पापारिआ	120000
335.	एम.पी.273/2002	श्री कृष्ण योगेश्वर गऊशाला	शाहजहांपुर	50000
336.	एम.पी.280/2003	परमदेव श्री कृष्ण गऊशाला	शाहजहांपुर	100000
337.	एम.पी.281/2003	गऊ रक्षा समिति		25000
338.	एम.पी.282/2003	श्री गोवर्धन गऊशाला		50000
339.	एम.पी.283/2004	संत सिंघाजी गऊशाला समिति		40000
340.	एम.पी.284/2004	एनिमल्य क्युर एण्ड केयर	ग्वालियर	5000
341.	एम.पी.286/2004	श्री चंद गऊशाला	खंडवा	25000
342.	एम.पी.287/2004	श्री गोपाल गऊशाला	शाहजहांपुर	80000

1	2	3	4	5
343.	एम.पी.288/2004	श्री गीताधाम गऊशाला	जबलपुर	50000
344.	एम.पी.291/2004	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला		40000
345.	एम.पी.295/2004	केश्व गऊशाला	धुअनखेड़ी	25000
346.	एम.पी.297/2004	श्री सतगुरू कृपा गऊशाला	पिपारिया	40000
347.	एम.पी.299/2004	उत्कर्ष जीवदया एवं पर्यावरण सोध केन्द्र	मचेराकलां	25000
348.	एम.पी.303/2005	श्री श्रीजी कृपा गौशाला समिति	इटारसी	50000
349.	एम.पी.304/2005	श्री महामृत्युंज्य गौ सेवा सदन	भोपाल	100000
350.	एम.पी.307/2005	देवांचल गौसेवा एवं सौध संस्थान	शाहपुर	35000
351.	एम.पी.309/2005	श्री राम कृष्ण गऊशाला	रतलाम	30000
352.	एम.पी.310/2005	नंदिनी गऊशाला जागृति युवा समिति	छतरपुर	25000
353.	एम.पी.312/2006	श्री गिरधारी गौसेवा समिति	भिण्ड	10000
354.	एम.पी.313/2006	सुरभी गऊशाला संस्थान	गांधीग्राम	10000
355.	एम.पी.314/2006	श्री हनुमान गऊशाला	शाहजांपुर	10000
356.	एम.पी.315/2006	श्री कृष्ण बलराम गऊशाला	शाहजांपुर	10000
357.	एम.पी.316/2006	श्री अग्रसेन गौसेवा सदन	अम्बिकापुर	10000
358.	एम.पी.317/2006	रणजीत फार एनिमल	ग्वालियर	10000
मणिपुर				
359.	एम.आर006/2000	पी.एफ.ए. मणिपुर	इम्फाल	20000
360.	एम.आर.008/2001	पीपुल फार एनिमल्स	वांगजिंग	30000
361.	एम.आर.011/2002	रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन एसोसिएशन	कारोंग	40000
नई दिल्ली				
362.	एन.डी.003/1988	द फ्रेंडिकोस-सिका	नई दिल्ली	90000
363.	एन.डी.008/1993	दिल्ली पंजरापोल सोसायटी	नई दिल्ली	50000
364.	एन.डी.011/1993	संजय गांधी एनिमलय केयर सेंटर	नई दिल्ली	90000
365.	एन.डी.013/1993	सर्कल आफ एनिमल लवर्स	नई दिल्ली	60000

1	2	3	4	5
366.	एन.डी.024/1999	सोनादी चेरिटेबल ट्रस्ट	नई दिल्ली	30000
367.	एन.डी.042/2006	रघुवीर पशुसेवा संस्थान	दिल्ली	10000
उड़ीसा				
368.	ओ.आर.003/1991	रेरंगपुर गऊशाला कमेटी	मयूरभंज	40000
369.	ओ.आर.005/1997	असुरेश्वर गौमंगल समिति	असुरेशवर	40000
370.	ओ.आर.007/1998	मैत्री क्लब	बाटापाड़ा	25000
371.	ओ.आर.009/1999	एक्शन फॉर प्रोटेक्शन आफ वाइल्ड एनिमल्स	केन्द्रपाड़ा	30000
372.	ओ.आर.015/2001	कल्याणी	मेत्रात्रिलोचनपुर	30000
373.	ओ.आर.016/2001	पीपुल फार एनिमल-भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	50000
374.	ओ.आर.017/2001	श्री राम गऊशाला ट्रस्ट	पुरी	40000
375.	ओ.आर.023/2002	जीव हितैषी संघ	धौलमुनदेई	10000
376.	ओ.आर.030/2002	पीपुल्स फार एनिमल्स-राउडकेला	जावाघाट	40000
377.	ओ.आर.033/2002	पीपुल्स फार एनिमल्स	बहरामपुर	30000
378.	ओ.आर.037/2004	डिस्ट्रिक्ट एस.पी.सी.ए. नयागढ़	नयागढ़	10000
379.	ओ.आर.038/2005	पीपुल फार एनिमल्स	केंद्रपाड़ा	30000
380.	ओ.आर.039/2006	आदर्श सेवा संगठन	अंगूल	10000
381.	ओ.आर.040/2006	सोनापुर मां यूनाइटेड कल्चरल एसोसिएशन	कटक	10000
पंजाब				
382.	पी.जे.004/1991	एस.पी.सी.ए. चंडीगढ़	चंडीगढ़	30000
383.	पी.जे.017/1999	अनाथ गऊ आश्रम	रामपुरफुल	50000
384.	पी.जे.022/2000	श्री शिव मंदिर गऊशाला कमेटी	पंचवटी	50000
385.	पी.जे.028/2000	संत बाबा लाभ दासजी बीरीवाले गऊशाला सोसायटी	डेरा मलकाना	60000
386.	पी.जे.032/2000	श्री कृष्ण गऊशाला दाना मंडी	जगरांव	150000
387.	पी.जे.034/2000	श्री गऊशाला कमेटी	संगरूर	50000
388.	पी.जे.038/2000	पीपुल्स फार एनिमल्स-जालंधर	जालंधर	50000

1	2	3	4	5
389.	पी.जे.044/2000	श्री गऊशाला प्रबंधक कमेटी	भवानीगढ़	125000
390.	पी.जे.045/2000	श्री गऊशाला कमेटी	मुक्तसर	50000
391.	पी.जे.052/2001	श्री कृष्ण गऊशाला	मुनाक	50000
392.	पी.जे.062/2002	जनता गऊशाला	शेरपुर	50000
393.	पी.जे.063/2002	गऊशाला कमेटी	भटिंडा	80000
394.	पी.जे.064/2002	श्री गऊशाला	भटिंडा	175000
395.	पी.जे.071/2006	श्री अनाथ गऊशाला	पटियाला	125000
राजस्थान				
396.	आर.जे.001/1997	श्री गऊशाला सेवा समिति	पिलबंगन	50000
397.	आर.जे.004/1991	श्री गंगा गऊशाला	नोखा	170000
398.	आर.जे.005/1991	श्री गऊशाला	सूरतगढ़	150000
399.	आर.जे.007/1991	श्री उमेद गऊशाला	सोजासिटी	50000
400.	आर.जे.009/1991	श्री गऊशाला	नोहर	200000
401.	आर.जे.010/1991	श्री गुलाब गऊशाला धर्मार्थ ट्रस्ट	जोधपुर	50000
402.	आर.जे.013/1993	श्री करणी गऊशाला	देशनोके	60000
403.	आर.जे.023/1991	श्री रामशंकर गऊशाला	छप्पर	50000
404.	आर.जे.024/1991	श्री गोपाल गऊशाला	सुजानगढ़	80000
405.	आर.जे.032/1993	श्री कृष्ण गऊशाला	रामगढ़	100000
406.	आर.जे.034/1995	श्री पंजरापोल गऊशाला	पाली-मारवार	150000
407.	आर.जे.036/1996	श्री कल्याण भूमि गौसेवा सदन	श्रीगंगानगर	100000
408.	आर.जे.037/1996	श्री विदासर गऊशाला	विदासार	70000
409.	आर.जे.038/1996	श्री कृष्ण गऊशाला ट्रस्ट	मारवाड़	120000
410.	आर.जे.039/1997	राजस्थान गऊसेवा संघ (कन्हैया गऊशाला)	जोधपुर	120000
411.	आर.जे.040/1997	श्री गऊशाला समिति	हनुमानगढ़	100000
412.	आर.जे.041/1998	श्री अधेश्वर गौ सेवा समिति	सिरोही	62500

1	2	3	4	5
413.	आर.जे.042/1998	श्री कृष्ण गऊशाला	उदयपुरवती	50000
414.	आर.जे.044/1998	श्री गोपाल गऊशाला	चित्तौड़गढ़	50000
415.	आर.जे.045/1998	श्री भगवान महावीर जैन गऊशाला ट्रस्ट	जेठारन	110000
416.	आर.जे.046/1998	श्री गोपीनाथ गऊशाला समिति	गुड़ागोरजी	80000
417.	आर.जे.048/1998	श्री कृष्ण गोपाल गौसदन समिति	जसवंतगढ़	140000
418.	आर.जे.049/1998	राजस्थान गौसेवा संघ	जयपुर	50000
419.	आर.जे.051/1998	सत्यापुर गौसेवा मंडल	सत्यापुर	135000
420.	आर.जे.054/1998	श्री फलौदी धर्मार्थ सेवा समिति गऊशाला	फालूदी	50000
421.	आर.जे.055/1998	आचार्य काकासाहेब कालेलकर लोक सेवा केन्द्र	वारगांव	70000
422.	आर.जे.057/1998	श्री दादा दरबार नेपाली बाबा सिद्धार्थ महादेव	जोधपुर	50000
423.	आर.जे.059/1998	कामधेनु गौ रक्षा समिति	राजस्मंद	40000
424.	आर.जे.060/1998	श्री कृष्ण गऊशाला	परागपुरा	50000
425.	आर.जे.066/1998	श्री गऊशाला सुखदया सर्कल	श्रीगंगानगर	100000
426.	आर.जे.070/1998	श्री कृष्ण गऊशाला	निम्बाज	120000
427.	आर.जे.072/1998	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	अजमेर	50000
428.	आर.जे.074/1998	श्री कृष्ण गऊशाला प्रबंध समिति	हरनावादासहज	50000
429.	आर.जे.076/1998	श्री गोपाल गौवंश कल्याणकारी गऊशाला	नेथरा	100000
430.	आर.जे.077/1998	श्री कृष्ण गोपाल गऊशाला	गोविन्दगढ़	100000
431.	आर.जे.079/1999	श्री पंचदेव महामंदिर गौसेवा आश्रम समिति	सिकर	90000
432.	आर.जे.085/1999	श्री कृष्ण गौवंश रक्षण संवर्धन समिति	छिपावारोद	50000
433.	आर.जे.087/1999	ग्वाल गोपाल गऊशाला	चित्तौड़गढ़	90000
434.	आर.जे.089/1999	श्री गिरधर गौसेवा समिति	कोटा	90000
435.	आर.जे.092/1999	श्री रूप रजत गऊशाला संस्थान	जोधपुर	60000
436.	आर.जे.093/1999	श्री बाबा रामदेव गऊशाला समिति	सोजतसिटी	90000
437.	आर.जे.097/1999	श्री गऊशाला पिलानी	पिलानी	60000

1	2	3	4	5
438.	आर.जे.098/1999	श्री राधाकृष्ण गऊशाला	राधावास	90000
439.	आर.जे.099/1999	श्री राम गऊशाला सेवा समिति	भारनिक खुदरा	50000
440.	आर.जे.101/1999	श्री रामकृष्ण गोपाल प्राणी सेवा समिति	शिवगंज	107500
441.	आर.जे.105/1999	राजस्थान गौ सेवा समिति	कुचेरा	29000
442.	आर.जे.110/1999	श्री जगदम्बा सेवा समिति	भद्रायुक्त	250000
443.	आर.जे.112/1999	गौरी शंकर गऊशाला	ओसियान	120000
444.	आर.जे.115/1999	श्री ब्रह्मचारी रामकुमारजी पन्नालालजी गऊशाला	जोधपुर	175000
445.	आर.जे.116/1999	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति	सहावा	65000
446.	आर.जे.119/1999	भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन समिति	सीकर	50000
447.	आर.जे.122/1999	श्री ओसवाल सिंह सभा धर्मपुरा गऊशाला	जोधपुर	90000
448.	आर.जे.124/1999	श्री गोपाल गऊशाला ट्रस्ट	ओसियान	60000
449.	आर.जे.125/1999	श्री महावीर गौशाला एवं पशु रक्षा समिति	मंडल	50000
450.	आर.जे.130/1999	पशुपति कल्याण परिषद	उदयपुर	100000
451.	आर.जे.131/1999	अकाल राहत गौ सेवा संस्थान ट्रस्ट	चुरू	40000
452.	आर.जे.132/1999	हनुमान गौसंवर्धन केन्द्र	हनुमानगढ़	80000
453.	आर.जे.133/1999	शिव गऊशाला	गंगानगर कैंट	50000
454.	आर.जे.134/1999	कृषि गौसेवा केन्द्र	श्रीगंगानगर	80000
455.	आर.जे.135/1999	कृषि गौसेवा केन्द्र	छत्तरगढ	80000
456.	आर.जे.136/1999	गौ सदन, बाजूवाला	श्रीगंगानगर	100000
457.	आर.जे.137/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	काजुवाला	60000
458.	आर.जे.139/1999	श्री मदन गऊशाला	सीकर	80000
459.	आर.जे.141/1999	श्री रामकृष्ण गऊशाला	गगराना	80000
460.	आर.जे.151/1999	श्री दयालु गाय जीवजन परमार्थ सेवा संस्थान	केदापा	70000
461.	आर.जे.154/1999	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति	मंडल	50000
462.	आर.जे.163/1999	गौसेवा शिविर (गऊशाला), चुरू	चुरू	50000

1	2	3	4	5
463.	आर.जे.169/2000	गौवंश रक्षा केन्द्र वैदिक साधु आश्रम	नोहार	50000
464.	आर.जे.175/2000	श्री गुरू कृपा गऊशाला	सारान	60000
465.	आर.जे.176/2000	श्री शांतिनाथ गऊशाला संस्थान	बकरा रोड	50000
466.	आर.जे.183/2000	संत श्री आसारामजी गऊशाला समिति	निवाई	50000
467.	आर.जे.192/2000	श्री गोपाल गौसेवा समिति	तेहानदेसर	50000
468.	आर.जे.193/2000	शारी आदिनाथ पशु रक्षा संस्थान	कन्नौड	40000
469.	आर.जे.199/2000	श्री बालाजी गऊशाला संस्थान	सालासर	72500
470.	आर.जे.200/2000	श्री हरि ओम गऊशाला	बासानी	50000
471.	आर.जे.204/2000	माथुरेश गऊशाला	बिठारी	50000
472.	आर.जे.205/2000	श्री जयसिंह गऊशाला	कोटपुतली	50000
473.	आर.जे.209/2000	श्री गोपाल गऊशाला	साम्भर लेक	36000
474.	आर.जे.210/2000	फतेहपुर (राजस्थान) पंजरापौल सोसायटी	फतेहपुर	100000
475.	आर.जे.211/2000	श्री ओम जनता गऊशाला ट्रस्ट	मनकसास	90000
476.	आर.जे.214/2000	श्री खतेश्वर गऊशाला समिति	ब्रह्मामद असोरा	80000
477.	आर.जे.216/2000	गौरक्षा सेवा ट्रस्ट	हदोला	50000
478.	आर.जे.226/2001	श्री राम सागर गऊशाला समिति	नेतराना	130000
479.	आर.जे.228/2001	स्व. सेठ श्री केवल चंद कोठारी जैन गऊशाला समिति	खांगटा	130000
480.	आर.जे.230/2001	श्री रूप रजत शिव गऊशाला संस्थान	शिवराजपुर	80000
481.	आर.जे.231/2001	हेल्पलैस एनिमल लाईफ प्रोजेक्ट सोसायटी	जवाई बांध	80000
482.	आर.जे.233/2001	ग्रामीण विकास पर्यावरण संरक्षण समिति	बजरंगनगर	50000
483.	आर.जे.243/2001	श्री पंचपदरा गऊशाला	पांचपदरा	50000
484.	आर.जे.247/2001	गौ सेवा समिति	दुजोड	40000
485.	आर.जे.249/2001	श्री रोहिताश्व गऊशाला संस्थान	बिलादा	90000
486.	आर.जे.250/2001	ओम श्री देवेश्वर महादेव गऊशाला समिति	जोदान	50000
487.	आर.जे.256/2001	श्री चंपाजी महाजन गऊशाला संस्थान	लम्बिया	50000

1	2	3	4	5
488.	आर.जे.259/2001	श्री गोपाल गऊशाला समिति	गंगापुर सिटी	40000
489.	आर.जे.261/2001	श्री नादासर गौ सेवा समिति	नादसर	60000
490.	आर.जे.263/2001	संघवी कनकुवई वर्धी चंदजी गौरी गऊशाला	मालवारा	145000
491.	आर.जे.271/2002	श्री कृष्ण गऊशाला	खांडेला	40000
492.	आर.जे.281/2002	श्री कृष्ण गौ सेवा संस्थान	लाचरसर	50000
493.	आर.जे.283/2002	श्री तिजारती चैम्बर सर्राफन गऊशाला	ब्यावर	60000
494.	आर.जे.287/2002	श्री बंसाली उमेद गऊशाला	जहेब	100000
495.	आर.जे.288/2002	श्री मरूधर केसरी रूप रजत गऊशाला सेवा	इन्दावर	50000
496.	आर.जे.301/2002	स्वामी श्री हजारीमल गौ सेवा समिति	नोखा	50000
497.	आर.जे.308/2002	श्री राम गऊ सेवा समिति	मारवाड	80000
498.	आर.जे.311/2002	श्री आदि गऊशाला (जीजीपाल)	पाटलीवास	90000
499.	आर.जे.316/2002	श्री महादेव गोविंद गऊशाला विकास समिति	बांसघुनी	100000
500.	आर.जे.322/2002	श्री कृष्ण गऊशाला संस्थान	वोरुंघा	50000
501.	आर.जे.326/2002	नागेश्वर पार्शवनाथ गऊशाला	भिंडर	50000
502.	आर.जे.329/2002	श्री सुमति जीव रक्षा केन्द्र	पावपुरी	400000
503.	आर.जे.332/2002	श्री मरूधर केसरी मुनिश्वर गौ सेवा रामधाम	कन्वारीयात	50000
504.	आर.जे.333/2002	श्री रूप रजत श्री कृष्ण गऊशाला·संस्था	अतवारा	50000
505.	आर.जे.336/2002	राजस्थान गौ सेवा समिति	मेहरवाला	70000
506.	आर.जे.337/2002	श्री देवनारायण गऊशाला	लेसर्दा	50000
507.	आर.जे.338/2002	दायोदय पशु संवर्धन संस्था गऊशाला	बांसवारा	50000
508.	आर.जे.340/2002	श्री विरतेजा गौ सेवा समिति	मुंडा	50000
509.	आर.जे.341/2002	श्री राम ट्रांसपोर्ट वेलफेयर सोसायटी (श्री राम गऊशाला सोसायटी अधीन)	अनाज मंडी	40000
510.	आर.जे.347/2002	श्री राजेश्वर गऊशाला संस्थान	डोली	50000
511.	आर.जे.357/2002	पशु कल्याण समिति	श्रीगंगानगर	250000
512.	आर.जे.372/2002	श्रीराम गऊशाला सेवा संस्थान	सियात	80000

1	2	3	4	5
513.	आर.जे.374/2002	श्री चैन पब्लिक गऊशाला संस्थान	पोकरन	50000
514.	आर.जे.378/2002	श्री कृष्ण गोपाल गऊशाला समिति	चिराना	40000
515.	आर.जे.380/2002	श्री कृष्ण गऊशाला संस्थान	नागौर	50000
516.	आर.जे.384/2002	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	बाड़ागांव	70000
517.	आर.जे.388/2002	श्री कृष्ण गऊशाला कमेटी	गोलुवाला	100000
518.	आर.जे.390/2002	श्री मरूधर केसरी गऊशाला सेवा समिति	रांसीगांव	70000
519.	आर.जे.393/2002	झाझदियावाला गौ सेवा सदन	गोबिन्दपुर	150000
520.	आर.जे.397/2003	भगवान श्री कृष्ण गऊशाला	आशोप	50000
521.	आर.जे.399/2003	श्री बाबा गुलाबनाथ गऊशाला समिति	पालासनी	50000
522.	आर.जे.400/2003	श्री राधे गोबिन्द गऊशाला संस्थान	बिसालपुर	90000
523.	आर.जे.401/2003	मरू खेत्रीय गौ सेवा संस्थान	नानेऊ	50000
524.	आर.जे.402/2003	श्री महावीर जीवदया गऊशाला	जालौर	100000
525.	आर.जे.404/2003	श्री राज पुरोहित सेवा संस्थान	उदयपुर	100000
526.	आर.जे.405/2003	श्री गोपाल गौ सेवा समिति	बंतिया रोड	50000
527.	आर.जे.408/2003	बाबा बाली केयर गौ सेवा संस्थान	रामदेवरा	50000
528.	आर.जे.409/2003	श्री महावीर गऊशाला कल्याण संस्थान	बारां	130000
529.	आर.जे.411/2003	श्री कृष्ण गोपाल गऊशाला समिति	पदमपुर	70000
530.	आर.जे.412/2003	गऊ सेवा समिति गोगसर	रतनगढ़	50000
531.	आर.जे.415/2003	श्री गऊ सेवा समिति	नागौर	50000
532.	आर.जे.416/2003	श्री कौशल गऊशाला	जोधपुर	50000
533.	आर.जे.417/2003	श्री कृष्ण गऊशाला समिति		80000
534.	आर.जे.419/2003	श्री प्रकाशनन्द गऊशाला		80000
535.	आर.जे.422/2003	श्री कृष्ण गऊशाला समिति		40000
536.	आर.जे.424/2003	अनाथ एवं अपाहिज गौ सेवा समिति		70000
537.	आर.जे.425/2003	गौ सेवा समिति		50000

1	2	3	4	5
538.	आर.जे.427/2003	श्री आशापुर (महोदरी) माताजी गऊशाला समिति		50000
539.	आर.जे.429/2003	श्री गौसेवा संघ		90000
540.	आर.जे.430/2003	श्री गोपाल गऊशाला संस्थान		60000
541.	आर.जे.436/2004	गौ रक्षा समिति	पाली	50000
542.	आर.जे.437/2004	श्री विष्णु गौशाला	अलीसर	60000
543.	आर.जे.440/2004	आचार्य श्री नानेश रूपरेखा श्रीराम	कपासन	30000
544.	आर.जे.443/2004	कामधेनु राठी नस्ल संवर्धन केन्द्र	बीकानेर	40000
545.	आर.जे.449/2004	श्री हरि पंजरापौल गऊशाला	बीकानेर	50000
546.	आर.जे.451/2004	श्री भदरिया माता गऊशाला समिति	जैसलमेर	150000
547.	आर.जे.455/2004	श्री जसनाथ गऊशाला सेवा समिति	जोधपुर	40000
548.	आर.जे.457/2004	श्री गोवर्धन गऊशाला	सीकर	40000
549.	आर.जे.461/2004	श्री राम गुरू सैनिक क्षेत्रीय माली गऊशाला समिति	जोधपुर	40000
550.	आर.जे.464/2004	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	सीकर	40000
551.	आर.जे.469/2004	गऊशाला सेवा समिति	जयपुर	50000
552.	आर.जे.472/2004	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	जोबनेर	90000
553.	आर.जे.473/2004	श्री अग्रसेन जीव जंतु कल्याण एवं गौ सेवा समिति	बीकानेर	150000
554.	आर.जे.474/2004	भागेश्वर महादेव गऊशाला	घोसुंदा	40000
555.	आर.जे.475/2004	श्री विमला देवी खेतावत गौ सेवा विकास समिति	धनकोली	50000
556.	आर.जे.479/2004	सनातन धर्म गऊ सेवा समिति ट्रस्ट	जैतारन	50000
557.	आर.जे.481/2004	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति	उमेवाल	60000
558.	आर.जे.482/2004	श्री गौधन संवर्धन गऊशाला समिति	उनियारा	50000
559.	आर.जे.483/2004	श्री मुरली मनोहर गऊशाला	मिनसर	130000
560.	आर.जे.484/2004	गौवंश सेवा समिति	भीलवाड़ा	50000
561.	आर.जे.486/2004	गौसदन दौसा	जयपुर	70000
562.	आर.जे.487/2004	श्री पंजरापौल गऊशाला-सांगनेर	जयपुर	120000

1	2	3	4	5
563.	आर.जे.488/2004	बड़ा मंदिर गऊशाला	खादब	50000
564.	आर.जे.496/2005	श्री काशी विश्वनाथ गऊशाला सेवा समिति	स्वरूपगंज	50000
565.	आर.जे.497/2005	श्री गोपाल गऊशाला	बिलारा	50000
566.	आर.जे.498/2005	श्री गोवर्धन गऊशाला समिति	कनवालीसर	175000
567.	आर.जे.501/2005	श्री महावीर गौ सेवा समिति	राठौरी कुनवा	50000
568.	आर.जे.509/2005	संत श्री मोलारामजी महाराज गऊ सेवा समिति	नागौर	50000
569.	आर.जे.511/2005	श्री नाथ नगर गौ सेवा समिति	चुरू	60000
570.	आर.जे.514/2006	श्री मनदेव सूरी जैन गऊशाला सेवा समिति	पाली	50000
571.	आर.जे.515/2006	श्री गोपाल गऊशाला, गेलासर	नागौर	10000
572.	आर.जे.516/2006	श्री गऊशाला सेवा समिति	नागौरी	10000
573.	आर.जे.518/2006	श्री आजी गऊशाला सेवा समिति	जेतारन	10000
574.	आर.जे.519/2006	श्री हादेचा नगर गौ सेवा समिति	जालौर	10000
575.	आर.जे.520/2006	श्री कृष्ण गऊशाला सेवा समिति	पाली	10000
576.	आर.जे.521/2006	श्री कृष्ण महावीर गौ रक्षा समिति	उदयपुर	10000
तमिलनाडु				
577.	टी.एन.001/1964	एस.पी.सी.ए. चैन्नई	चैन्नई	10000
578.	टी.एन.002/1966	ब्लू क्रास ऑफ इंडिया	चैन्नई	100000
579.	टी.एन.019/1964	एस.पी.सी.ए. सलेम	सेलम	10000
580.	टी.एन.027/1993	चैन्नई स्नेक पार्क ट्रस्ट	चैन्नई	30000
581.	टी.एन.036/1997	श्री मरूधर केसरी जैन गऊशाला ट्रस्ट	चैन्नई	50000
582.	टी.एन.044/1998	पीपुल फार एनिमल्स चेरीटेबल ट्रस्ट	चैन्नई	100000
583.	टी.एन.045/1998	एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट	चैन्नई	45000
584.	टी.एन.052/1999	होसूर एनिमल वेलफेयर सोसायटी	होसूर	30000
585.	टी.एन.056/2000	गोवर्धन	सीलॉर	25000
586.	टी.एन.057/2000	गौ शक्ति	चैन्नई	40000

1	2	3	4	5
587.	टी.एन.062/2000	श्री सत्यसाई प्राणी सेवा शैल्टर	चैन्नई	30000
588.	टी.एन.070/2000	गौ संरक्षण ट्रस्ट	सलेम	25000
589.	टी.एन.071/2000	अवार्ड एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन	एन्दाथुर	50000
590.	टी.एन.092/2002	गौ शक्ति ट्रस्ट	वैतघर	50000
591.	टी.एन.107/2003	रक्षण एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन	गोबीचेतीपल्या	30000
592.	टी.एन.108/2003	इंडिया प्रोजेक्ट फार एनिमल्स एंड नेचर	मावनाला	60000
593.	टी.एन.112/2003	एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन		40000
594.	टी.एन.114/2003	अहिंसा इंटिग्रेटिड एंड एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट		30000
595.	टी.एन.120/2004	सुधर्मा गौकुलम चैरिटेबल ट्रस्ट	चैन्नई	25000
596.	टी.एन.125/2005	सोसायटी फॉर एनिमल वेलफेयर	डिंडीगुल	40000
597.	टी.एन.128/2005	प्राणी रक्षा कृषि उत्पादन संघ	मदुरै	10000
598.	टी.एन.130/2005	ब्लू क्रास आफ कांचीपुरम	कांचीपुरम	20000
599.	टी.एन.132/2005	संरक्षण एनिमल वेलफेयर सोसायटी	तिरुचिरापल्ली	60000
600.	टी.एन.136/2006	एस.एल.वी. गऊशाला ट्रस्ट एंड रिसर्च सेंटर	चैन्नई	10000
601.	टी.एन.137/2006	सुनानथनी गऊशाला ट्रस्ट	कन्याकुमारी	10000
602.	टी.एन.139/2006	एनिमल केयर ट्रस्ट	डिंडीगुल	30000
603.	टी.एन.141/2006	सीजेत गौमाता वेलफेयर ट्रस्ट	थोनामान्डु	10000
604.	टी.एन.142/2006	मंडल गऊशाला	मेलाथुर	10000
605.	टी.एन.143/2006	जीवन ट्रस्ट	तिरूथुरैयून	10000
606.	टी.एन.147/2006	पीपुल फार एनिमल्स, मारयमलई नगर	मारामालई नगर	10000
607.	टी.एन.148/2006	शिवागामी एनिमल ट्रस्ट	कांचिपुरम	10000
608.	टी.एन.149/2006	प्राणी मिथरान	मदुरै	10000
609.	टी.एन.152/2006	श्री बाबा एनिमल वेलफेयर शैलटर एंड सोसायटी	चैन्नई	10000
610.	टी.एन.153/2006	पीपुल फार एनिमल, कुम्भाकोनम	कुम्भाकोनम	10000
उत्तर प्रदेश				
611.	यू.पी.005/1964	श्री दिगम्बर जैन बालवोधिनी सभा	सहारनपुर	20000

1	2	3	4	5
612.	यू.पी.008/1993	श्री पंचायती गऊशाला	वृंदावन	165000
613.	यू.पी.009/1993	श्री पंचायती गऊशाला	हापुड़	87500
614.	यू.पी.022/1994	बाबा काली कंवलीवाला पंचायती क्षेत्र	देहरादून	50000
615.	यू.पी.025/1994	गोरखपुर एस.पी.सी.ए.	गोरखपुर	30000
616.	यू.पी.028/1998	पी.के. लोक विकास संस्थान	काशीरामपुर	10000
617.	यू.पी.031/1998	कानपुर गऊशाला सोसायटी	कानपुर	50000
618.	यू.पी.033/1998	द मुजफ्फर नगर न्यू मंडी गऊशाला	मुजफ्फरनगर	50000
619.	यू.पी.037/1999	श्री राघव गौ संवर्धन शाला	झांसी	70000
620.	यू.पी.044/1999	पीपुल फार एनिमल	लखनऊ	30000
621.	यू.पी.050/1999	मोहन गोपाल गऊशाला समिति	कानपुर नगर	60000
622.	यू.पी.051/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	कुशीनगर	50000
623.	यू.पी.055/1999	दायोदय पशु संरक्षण केंद्र (गऊशाला)	ललितपुर	175000
624.	यू.पी.058/1999	श्री गऊशाला कठार जंगल	कथार	80000
625.	यू.पी.059/1999	डाक्टर्स पेट्स क्रेच एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट	लखनऊ	20000
626.	यू.पी.069/2000	सर्वेश्वर नारायण अनाथ गौसेवा समिति	मोंट	150000
627.	यू.पी.070/2000	श्री गोपाल गऊशाला सोसायटी	मिडीयाह	25000
628.	यू.पी.074/2000	जय गोपाल गऊशाला समिति	पिपरोली शिव	30000
629.	यू.पी.075/2000	एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन	लखनऊ	40000
630.	यू.पी.076/2000	ब्रह्मऋषि देवराहा बाबा जीव जंतु कल्याण आश्रम	मैला देवरिया	25000
631.	यू.पी.081/2000	श्री विज्ञान सागर बाबा संगत गऊशाला समिति	महमूदाबाद	30000
632.	यू.पी.086/2000	श्री द्रोण गऊशाला समिति	दनकौरे	100000
633.	यू.पी.092/2000	गौतम बुद्ध जीवदया समिति	भदया धादर	35000
634.	यू.पी.094/2000	श्याम गऊशाला बाबा बंसीवाला	प्रेमनगर	50000
635.	यू.पी.119/2001	श्री राम रघुवीर गऊशाला समिति	बालपुर	50000
636.	यू.पी.120/2001	श्री सीताराम गऊशाला समिति	कानपुर	40000

1	2	3	4	5
637.	यू.पी.124/2001	श्री बालाजी गऊशाला समिति	कटघारा	50000
638.	यू.पी.125/2001	श्री गऊसेवा गऊशाला समिति	निगारा	40000
639.	यू.पी.126/2001	श्री जय बंसीवाला गऊशाला समिति	डकपुरा	50000
640.	यू.पी.137/2001	श्रीमती राम श्री गऊशाला समिति	तारापुरवा	50000
641.	यू.पी.140/2001	श्री कृष्ण गऊशाला	प्रेम नगर	70000
642.	यू.पी.142/2001	भैरव गौ सेवा समिति	ओरई	40000
643.	यू.पी.146/2002	सिद्धार्थ सर्वांगीण विकास सेवा संस्थान	गुलरिहा	25000
644.	यू.पी.165/2002	माता रामकली कामधेनु गऊशाला समिति	कन्नौज	50000
645.	यू.पी.167/2002	पं. रामकुमार द्विवेदी गऊशाला संस्थान	कानपुर देहात	60000
646.	यू.पी.172/2002	जय श्री गोपाल गऊशाला समिति	पालरा	50000
647.	यू.पी.175/2002	पी.एफ.ए. गोरखपुर	बेगियाघाट	25000
648.	यू.पी.178/2002	श्री राधाकृष्ण अनाथ गऊशाला समिति	राजपुर बेगार	40000
649.	यू.पी.183/2002	श्रीमद बल्लभ गऊशाला गोकुल	कस्बा गोकुल	140000
650.	यू.पी.191/2002	विनोवा सेवा आश्रम	बरतारा	50000
651.	यू.पी.193/2002	पुण्यभूमि गौवंश संरक्षण संवर्धन केन्द्र	बैरमपुर	40000
652.	यू.पी.194/2002	श्री सिद्ध गुफा जीव रक्षा गऊशाला	इटावा	50000
653.	यू.पी.196/2002	संत किनाराम विकलांग कल्याण एवं गौ सेवा सौघ संस्थान		50000
654.	यू.पी.203/2002	परम तपेश्वरी माता ज्ञानदेवी गऊशाला	सकरावा	25000
655.	यू.पी.205/2002	श्री गोपाल गऊशाला समिति	देवीखेड़ा	50000
656.	यू.पी.208/2002	बाबू सिंह गऊशाला समिति	कानपुर नगर	50000
657.	यू.पी.210/2002	गऊ सेवा सदन	सुमेरपुर	30000
658.	यू.पी.222/2002	सवेरा सेवा संस्थान	गोरखपुर	25000
659.	यू.पी.229/2002	स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान	घोसिया	20000
660.	यू.पी.231/2002	अगिनवकरण शिक्षा उदयोप्रशिक्षण केन्द्र	इलाहाबाद	25000
661.	यू.पी.242/2002	भगवान श्री कृष्ण गऊशाला समिति	कन्नौज	30000

1	2	3	4	5
662.	यू.पी.261/2003	रणजीत सिंह आदर्श सेवा समर्पण समिति	भदोही	40000
663.	यू.पी.262/2003	गौरक्षा कल्याण समिति		50000
664.	यू.पी.264/2003	अनाथ जीवदया कल्याण समिति		50000
665.	यू.पी.267/2003	श्री कन्हैया गऊशाला समिति		40000
666.	यू.पी.268/2003	सोसायटी फार प्रिवेंशन आफ क्रुयल्टी टू एनिमल्स	झांसी	10000
667.	यू.पी.269/2003	जीव जंतु कल्याण समिति		50000
668.	यू.पी.274/2004	युग निर्माण गऊशाला	बिजनौर	50000
669.	यू.पी.275/2004	धर्मार्थ गोपाल गऊशाला समिति	बुलंदशहर	30000
670.	यू.पी.276/2004	श्री शिव गऊशाला	इटावा	50000
671.	यू.पी.278/2004	श्री श्री पदबाबा गऊशाला	मथुरा	100000
672.	यू.पी.280/2004	आदर्श ग्राम गऊशाला संस्थान	कानपुर	30000
673.	यू.पी.282/2004	श्री महावीर स्वामी सदानन्द गिरी पंजरापौल गऊशाला सेवा समिति	मथुरा	50000
674.	यू.पी.287/2004	श्री भगवती गऊशाला समिति	कायमकंज	50000
675.	यू.पी.291/2004	श्री गोपाल गऊशाला समिति	सीतापुर	40000
676.	यू.पी.292/2004	श्री योगेश्वर गौ सेवा समिति	इलाहाबाद	40000
677.	यू.पी.293/2004	कामधेनु सर्वांगीण विकास संस्था	भदोही	30000
678.	यू.पी.296/2005	समर मेमोरियल एनिमल्स एंड वेलफेयर सोसायटी		50000
679.	यू.पी.299/2005	गौपाल गऊशाला सेवा आश्रम		10000
680.	यू.पी.301/2005	समाजोउत्थान सेवा संस्थान	कानपुर	90000
681.	यू.पी.302/2006	श्रीमती विमलादेवी मेमोरियल गऊशाला	हरियावन	30000
682.	यू.पी.305/2006	जगदम्बा गऊ सेवा समिति	मथुरा	10000
683.	यू.पी.307/2006	पीपुल फार एनिमल, उन्नाव	उन्नाव	10000
684.	यू.पी.308/2006	गायत्री गऊशाला		10000
685.	यू.पी.309/2006	नदीम ग्राम विकास सेवा संस्थान	गोरखपुर	10000
686.	यू.पी.310/2006	जन जागृति सेवा समिति	गोरखपुर	10000

1	2	3	4	5
687.	यू.पी.311/2006	श्री गोपेश्वर गऊशाला समिति	लखनऊ	10000
688.	यू.पी.312/2006	पी.एफ.ए. इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, शाहपुर	इलाहाबाद	10000
689.	यू.पी.313/2006	श्री गुरू कृष्णी गौ मंदिर गऊशाला समिति	मथुरा	10000
पश्चिम बंगाल				
690.	डब्ल्यू.बी.006-3/1991	कलकत्ता पंजरापौल सोसायटी	सौदपुर	50000
691.	डब्ल्यू.बी.006-5/1991	कलकत्ता पंजरापौल सोसायटी	झुलझुल	50000
692.	डब्ल्यू.बी.006-6/1991	कलकत्ता पंजरापौल सोसायटी	चाकुलिया	80000
693.	डब्ल्यू.बी.013/1993	हितलजोर किशोरीबाला दातव्या चिकित्सालय	मिदनापुर	30000
694.	डब्ल्यू.बी.014/1995	कंपाशियोनेट क्रुसेडर्स ट्रस्ट	कोलकाता	20000
695.	डब्ल्यू.बी.016/1994	एनिमल एंड बर्ल्ड वेलफेयर सोसायटी	उदयनारायणपुर	60000
696.	डब्ल्यू.[illegible]1/1997	लव 'एन' केयर फार एनिमल्स	कोलकाता	30000
697.	डब्ल्यू.बी.025/1999	पीपुल फार एनिमल्स	कोलकाता	30000
698.	डब्ल्यू.बी.027/2000	बर्दवान सोसायटी फॉर एनिमल वेलफेयर	बर्दवान	10000
699.	डब्ल्यू.बी.029/2001	पी.एफ.ए. हुगली	सेरमपोर	10000
700.	डब्ल्यू.बी.033/2001	आश्रली विवेकानंद स्मृति संघ	अशुराली	10000
701.	डब्ल्यू.बी.037/2002	सर्वोदय केन्द्र	तिलानतापारा	40000
702.	डब्ल्यू.बी.038/2002	पलासी ग्रामीण प्राणी कल्याण समिति	जाहलदा	30000
703.	डब्ल्यू.बी.039/2002	कान्ती महाकुमार तपसिली उन्नायन महिला समिति	रामनगर	10000
704.	डब्ल्यू.बी.041/2006	पीपुल फार एनिमल - अलीपुदुर जंक्शन	जयपायीगुडी	10000
			कुल	44898000

2005-06 में स्वीकृत धनराशि और 2006-07 में जारी ए.डब्ल्यू.ओ. को जारी नियमित अनुदान के ब्यौरे

क्र.सं.	कोड नं.	नाम	सिटी	जारी अनुदान
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	ए.पी.011/1993	ब्लू क्रास आफ हैदराबाद	हैदराबाद	50000

1	2	3	4	5
2.	ए.पी.053/2000	श्री श्री राधा गोबिंद गौ रक्षा समिति	तिरुपति	50000
3.	ए.पी.064/2002	करूणा सोसायटी फार एनिमल्स एंड नेचर	पुट्टापार्थी	10000
असम				
4.	ए.एस.003/1993	ब्लू क्रास सोसायटी आफ असग	गुवाहाटी	25000
बिहार				
5.	बी.एच.023/2000	श्री गोपाल गऊशाला	पाकुर	25000
6.	डब्ल्यू.बी.006-6/1991	कोलकाता पंजरापौल सोसायटी	चाकुलिया	10000
बिहार (झारखण्ड)				
7.	बी.एच.010/1999	श्री गंगा गऊशाला	कटरासग्रह पी.ओ.	60000
दिल्ली				
8.	एन.डी.013/1993	सर्कल आफ एनिमल लवर्स	नई दिल्ली	10000
गुजरात				
9.	जी.जे.023/1991	श्री कच्छ मुद्रा पंजरापौल एंड गऊशाला	कच्छ	100000
10.	जी.जे.033/1993	श्री मोती रुद्रानी जागीर गऊशाला एंड पंजरापौल	भुज	100000
11.	जी.जे.039/1996	श्री भावनगर पिंजरापौल	भावनगर	100000
12.	जी.जे.052/1998	श्री मंडल महाजन पंजरापौल	मंडल	100000
13.	जी.जे.054/1998	श्री हरिकृष्ण निराधार गौ सेवा ट्रस्ट	नारायणपुर	100000
14,	जी.जे.055/1998	श्री जीवदया मंडल	कच्छ	200000
15.	जी.जे.066/1998	श्री मेहसाणा पंजरापौल संस्था	मेहसाना	60000
16.	जी.जे.073/1998	राधनपुर खोदादर पंजरापौल संस्था	राधापुर	100000
17.	जी.जे.075/1999	श्री गौवंश एंड पंजरापौल संस्था	जामकंदूरना	75000
18.	जी.जे.076/1999	श्री गौरक्षण संस्था	पालीताना	100000
19.	जी.जे.098/2000	भीखा गौरक्षण पंजरापौल	बिलखा	25000
20.	जी.जे.116/2001	श्री उनझा पंजरापौल	उनझा	10000
21.	जी.जे.126/2001	श्री रामरति अन्नक्षेत्र आश्रम	कोठारिया	60000

1	2	3	4	5
22.	जी.जे.131/2001	श्री भुजपुर पंजरापोल	भुजपुर	100000
23.	जी.जे.151/2002	स्व. दिलीप परेश अशोकचंद शाह सार्वजनिक पंजरापौल	मियागम	200000
24.	जी.जे.152/2002	शाह खोडीदास धर्मचन्द पंजरापौल	जामपाली पोल	60000
25.	जी.जे.202/2002	श्री जूनागढ पंजरापौल गऊशाला	जूनागढ	100000
26.	जी.जे.224/2003	श्री शम्भूगिरि सेवा ट्रस्ट	असोदर	100000
हरियाणा				
27.	एच.आर.007/1991	अखिल भारतीय गऊशाला	पेहरावर	100000
28.	एच.आर.008/1991	श्री कृष्ण गऊशाला	चरखी-दादरी	100000
29.	एच.आर.014/1991	श्री गऊशाला सोसायटी	पानीपत	100000
30.	एच.आर.038/1999	श्री गऊशाला ट्रस्ट	भिवानी	100000
31.	एच.आर.044/1999	श्री कुरुक्षेत्र गऊशाला	कैथल	100000
32.	एच.आर.058/1999	श्री हरियाणा गऊशाला	हांसी	100000
33.	एच.आर.059/1999	श्री गऊशाला	रोहतक	100000
34.	एच.आर.072/2000	धर्मार्थ गऊशाला	माटगांव	100000
35.	एच.आर.080/2000	श्री 108 ब्रह्मचारिणी जयराम दास पंचायती गऊशाला	बेरी	100000
36.	एच.आर.082/2000	श्री कृष्ण गऊशाला	भीटमादा	100000
37.	एच.आर.083/2000	श्री जीवराम पंचायती गऊशाला समिति	जाखोली	100000
38.	एच.आर.100/2002	श्री वैश्य व्यायामशाला एवं गऊशाला	रोहतक	60000
39.	एच.आर.111/2002	आदर्श गऊशाला	झज्जर	10000
40.	एच.आर.116/2002	शिव शक्ति गऊशाला	कडालवा	100000
41.	एच.आर.117/2002	श्री गऊशाला	चक्का	10000
42.	एच.आर.122/2002	पंतीलीसा गऊशाला समिति	कागदाना	100000
43.	एच.आर.128/2002	महर्षि दयानन्द सरस्वती गऊशाला	नाथुसराय	100000
44.	एच.आर.151/2004	बाबा मूंगानाथ गऊशाला	रनिया	10000
हिमाचल प्रदेश				
45.	एच.पी.024/2006	कृष्ण गोपाल गऊशाला	हमीरपुर	10000

1	2	3	4	5
केरल				
46.	के.एल.001/1966	एस.पी.सी.ए. पालघाट (पलक्कड)	पालघाट	25000
मध्य प्रदेश				
47.	एम.पी.015/1994	एम.पी. गऊशाला संघ	भोपाल	25000
48.	एम.पी.016/1995	बाहुबली जीवरक्षा एवं पर्यावरण संस्थान	छिंदवाड़ा	100000
49.	एम.पी.022/1998	गऊ संरक्षण सेवा समिति	कुरवई	25000
50.	एम.पी.108/1999	जलपामाता गऊशाला समिति	राजगढ़	25000
51.	एम.पी.119/1999	गोपाल गऊशाला	कचनरिया	60000
52.	एम.पी.149/1999	महामृत्युंञ्ज्य गऊशाला	हुजूर	25000
53.	एम.पी.180/1999	श्री श्री 1008 श्री रामरथआनन्दजी वैश्णव गौ सेवा समिति	धनेला	100000
54.	एम.पी.251/2002	उज्जैन पीपुल फार एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन	उज्जैन	25000
55.	एम.पी.259/2002	परमपूज्य संत श्री आसारामजी गौ सेवा समिति	शौयपुर	100000
56.	एम.पी.292/2004	श्री कन्हैया गऊशाला	राजगढ़	25000
महाराष्ट्र				
57.	एम.एच.014/1991	श्री वर्धमान जीवदया केन्द्र	मुम्बई	200000
58.	एम.एच.028/1973	एस.पी.सी.ए. पुणे	पुणे	25000
59.	एम.एच.038/1997	इन डिफेंस ऑफ एनिमल्स	मुम्बई	50000
60.	एम.एच.102/2002	इंडियन हरपेटोलोजिकल सोसायटी		25000
उड़ीसा				
61.	ओ.आर.015/2001	कल्यानी	मैद्राहाइलोकक	25000
62.	ओ.आर.033/2002	पीपुल फार एनिमल्स	बेहरामपुर	25000
पंजाब				
63.	पी.जे.031/2000	गौ रक्षक मंडल	संगरूर	100000
64.	पी.जे.034/2000	श्री गऊशाला कमेटी	संगरूर	100000
65.	पी.जे.045/2000	श्री गऊशाला कमेटी	मुक्तसर	50000

1	2	3	4	5
66.	पी.जे.071/2006	श्री अनाथ गऊशाला	पटियाला	10000
67.	पी.जे.072/2006	एस.पी.सी.ए. फरीदकोट	फरीदकोट	10000
राजस्थान				
68.	आर.जे.007/1991	श्री उमेद गऊशाला	सोजासिटी	10000
69.	आर.जे.014/1993	श्री हरदयाल गऊशाला	सिंघारावत	25000
70.	आर.जे.017/1993	हेल्प इन सफरिंग	जयपुर	25000
71.	आर.जे.034/1995	श्री पंजरापोल गऊशाला	पाली-मारवार	200000
72.	आर.जे.054/1998	श्री फलोदी धर्मार्थ सेवा समिति गऊशाला	फलोदी	10000
73.	आर.जे.079/1999	श्री पंचदेव महामंदिर गौ सेवाश्रम समिति	सीकर	50000
74.	आर.जे.080/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	जोधपुर	50000
75.	आर.जे.085/1999	श्री कृष्ण गौवंश रक्षण समवर्धन समिति	छिपावा रोड	10000
76.	आर.जे.092/1999	श्री रूप रजत गऊशाला संस्थान	जोधपुर	60000
77.	आर.जे.110/1999	श्री जगदम्बा सेवा समिति	भद्रांत	100000
78.	आर.जे.116/1999	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति	साहवा	100000
79.	आर.जे.117/1999	कैनिन वेल्फेयर सोसायटी	बीकानेर	25000
80.	आर.जे.125/1999	श्री महावीर गऊशाला एवं पशु रक्षा समिति	मंडल	10000
81.	आर.जे.130/1999	पशुपति कल्याण समिति	उदयपुर	10000
82.	आर.जे.132/1999	हनुमान गौसंवर्धन केन्द्र	हनुमानगढ़	10000
83.	आर.जे.169/2000	गौवंश रक्षा केन्द्र वैदिक साधु आश्रम	नोहर	100000
84.	आर.जे.209/2000	श्री गोपाल गऊशाला	सांभर लेक	25000
85.	आर.जे.221/2001	श्री जय जैन गऊशाला	ताल	100000
86.	आर.जे.225/2001	श्री संकट मोचन हनुमान गऊशाला सेवा समिति	पीपड़ रोड	25000
87.	आर.जे.230/2001	श्री रूप रजत शिव गऊशाला संस्थान	शिवराजपुर	50000
88.	आर.जे.261/2001	श्री नदसर गौ सेवा समिति	नादसर	50000
89.	आर.जे.263/2001	संघवी कनकुवाई वरधी चंदजी गौरी गऊशाला जीवदया	मालवारा	100000

1	2	3	4	5
90.	आर.जे.275/2002	इंडियन सोसायटी फार काऊ प्रोटेक्शन	जैसलमेर	25000
91.	आर.जे.283/2002	श्री तिजारती चैम्बर सर्राफा गौशाला	वेवर	60000
92.	आर.जे.288/2002	श्री मरूधर केसरी रूप रजत गऊशाला सेवा समिति	इंदावर	50000
93.	आर.जे.307/2002	श्री गोपाल गऊशाला समिति	धीरदेसर	25000
94.	आर.जे.326/2002	नागेश्वर पारसवनाथ गऊशाला	भिंडर	50000
95.	आर.जे.329/2002	श्री सुमति जीव रक्षा केन्द्र	पावापुरी	200000
96.	आर.जे.374/2002	श्रीचंद पब्लिक गऊशाला संस्थान	फोकरन	50000
97.	आर.जे.380/2002	श्री कृष्ण गऊशाला संस्थान	नागपुर	100000
98.	आर.जे.393/2002	झझदीवाला गऊ सेवा सदन	गोबिंदपुर	100000
99.	आर.जे.412/2003	गौ सेवा समिति गोगासर	रतनगढ़	10000
100.	आर.जे.436/2004	गौ रक्षा समिति	पाली	60000
101.	आर.जे.445/2004	श्री वर्धमान जीवदया सेवा समिति		50000
102.	आर.जे.450/2004	श्री बाबा रामदेव गऊशाला समिति	नागौर	10000
103.	आर.जे.451/2004	श्री मदारिया माता गऊशाला समिति	जैसलमेर	100000
104.	आर.जे.472/2004	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	जोवनेर	25000
105.	आर.जे.487/2004	श्री पंजरापौल गऊशाला-संघनेर	जयपुर	100000
106.	आर.जे.513/2006	सामूहिक गऊशाला समिति	रायपुर	10000
107.	आर.जे.514/2006	श्री मानदेव सूरी जैन गऊशाला सेवा समिति	पाली	10000
तमिलनाडु				
108.	टी.एन.001/1964	एस.पी.सी.ए. चैन्नई	चैन्नई	25000
109.	टी.एन.017/1965	कोयम्बटूर जिला एस.पी.सी.ए.	कोयम्बटूर	25000
110.	टी.एन.056/2000	गोवर्धन	सीलीयर	25000
111.	टी.एन.065/2000	तेरा अनीमा	ऊटी	25000
112.	टी.एन.072/2000	कांचीपुरम जिला एस.पी.सी.ए.	कांचीपुरम	25000
113.	टी.एन.080/2001	कामधेनु ट्रस्ट	चैन्नई	25000

1	2	3	4	5
114.	टी.एन.108/2003	इंडिया प्रोजेक्ट फार एनिमल्स एंड नेचर	मावानाला	50000
115.	टी.एन.138/2006	एस.पी.सी.ए. पदुकोट्टई	पदुकोट्टई	10000
116.	टी.एन.146/2006	कोथई नाचियार ट्रस्ट	तिरूनेलवेली	10000
उत्तर प्रदेश				
117.	यू.पी.009/1993	श्री पंचायती गऊशाला	हापुड़	100000
118.	यू.पी.050/1999	मोहन गोपाल गऊशाला समिति	कानपुर नगर	10000
119.	यू.पी.058/1999	श्री गऊशाला कठार जंगल	कठार	10000
120.	यू.पी.062/1999	श्याम गौ सेवा सदन	बांसगांव	25000
121.	यू.पी.069/2000	सर्वेश्वर नारायण अनाथ गौ सेवा समिति	मॉट	100000
122.	यू.पी.094/2000	श्याम गऊशाला बाबा बंसीवाला	प्रेमनगर	10000
123.	यू.पी.183/2002	श्री मधु बल्लभ गऊशाला गोकुल	कस्बा गोकुल	10000
124.	यू.पी.302/2006	श्रीमती बिमलादेवी मेमोरियल गऊशाला	हरियावन	10000
पश्चिम बंगाल				
125.	डब्ल्यू.बी.013/1993	हितलजोर किशोरीबाला दाताव्य चिकित्सालय	मिदनापुर	100000
			कुल	7450000

ए.डब्ल्यू.बी.आई. योजना के अन्तर्गत (नियमित ग्रांट) ए. डब्ल्यू.ओ.एस. को जारी सहायता अनुदान के ब्यौरे

क्र. सं.	कोड सं.	नाम	शहर	जारी अनुदान
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	ए.पी.004/1972	एस.पी.सी.ए. काकीनाडा	काकीनाडा	25000
2.	ए.पी.007/1988	इलुरू गौ संरक्षण समिति	इलुरू	25000
3.	ए.पी.016/1998	विसाखा एस.पी.सी.ए.	विशाखापटनम	100000

1	2	3	4	5
4.	ए.पी.017/1998	इंटरनेशनल एनिमल एण्ड वल्ड्‌र्स वेलफेयर सोसायटी	गुंटूर	25000
5.	ए.पी.021/1999	रायल यूनिट फॉर परिवेंशन आफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स	उरावाकोंडा	25000
6.	ए.पी.024/1999	श्री राघवेन्द्र पशु संरक्षण संगम	कुड्डपा	25000
7.	ए.पी.028/1999	सुरभी गऊशाला	जगतियाल	25000
8.	ए.पी.030/1999	बालाजी एनिमल वेलफेयर सोसायटी	वेंकटागिरि	50000
9.	ए.पी.032/1999	राष्ट्रीय गोकुल संरक्षण केन्द्र	धर्मावरम	25000
10.	ए.पी.033/2000	श्री महावीर गऊशाला फाउंडेशन ट्रस्ट	तिरूपति	50000
11.	ए.पी.034/2000	साई राम एनिमल वेलफेयर सोसायटी	कुड्डपा	300000
12.	ए.पी.037/2000	फाउंडेशन फार एनिमल्स ट्रस्ट	नेलौर	100000
13.	ए.पी.038/2000	सोसायटी फॉर एनिमल वेलफेयर	काठगोदाम	25000
14.	ए.पी.043/2000	सेंटर फार एनिमल रिहैविलीटेशन एण्ड इन्वायरनमेंट (केयर)	वाइरेदीपाली	25000
15.	ए.पी.044/2000	इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन	वी कोटा	25000
16.	ए.पी.054/2000	ब्लू क्रॉस यूथ सेवा संघ	इरागुड्डु	25000
17.	ए.पी.056/2000	एनिमल केयर लैंड	तिरूपति	25000
18.	ए.पी.062/2001	पीपुल फार एनिमल्स, काकीनाडा	काकीनाडा	25000
19.	ए.पी.064/2002	करूणा सोसायटी फार एनिमल्स एंड नेचर	पुट्टापारथी	40000
20.	ए.पी.071/2002	आदर्श एस.पी.सी.ए.	गोशटिया	25000
21.	ए.पी.075/2002	श्री वेणु गोपाल स्वामी मंदिर	जनावाड़ा	50000
22.	ए.पी.077/2002	सोसायटी फार हेल्थ एजुकेशन, इनवायरनमेंट एंड पीपुल (शीप)	चित्तौड़	25000
23.	ए.पी.080/2003	शांति निकेतन इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट	हिन्दुपुर	50000
24.	ए.पी.084/2004	श्री कृष्ण मुरारी गौसंरक्षण समिति (ट्रस्ट)	चित्तौड़	25000
25.	ए.पी.085/2004	ब्लू क्रास एनिमल एंड इनवायरमेंटल वेलफेयर सोसायटी	विशाखापटनम	25000
26.	ए.पी.086/2004	एनिमल वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी (अवाड्र्स)	गुरामकोड्डा	25000

1	2	3	4	5
27.	ए.पी.087/2004	गरूड़ एनिमल शैल्टर	पुट्टापारथी	10000
28.	ए.पी.088/2005	सहयोग आर्गेनाइजेशन	हैदराबाद	10000
29.	ए.पी.089/2005	पावर्ती परमेश्वर एनवायरमेंटल एनिमल वेलफेयर सोसायटी	कुरनूल	10000
30.	ए.पी.090/2005	साऊथम एनीमल वेलफेयर सोसायटी	श्रीकालाहस्ती	10000
31.	ए.पी.091/2006	विष्णु एनिमल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन	काकीनाड़ा	10000
32.	ए.पी.093/2006	साईं ब्लू क्रॉस सोसायटी	अनंतपुर	10000
33.	ए.पी.094/2006	इंडिया इंस्टीट्यूट आफ जीवकरूनियम एण्ड रिसर्च	विजयवाड़ा	10000
असम				
34.	ए.एस.007/2000	पीपुल फार एनिमल्स, गुवाहाटी	गुवाहटी	25000
बिहार				
35	डब्ल्यू.बी.006-6/1991	कलकत्ता पंजरापौल सोसायटी	चाकूलिया	40000
बिहार (झारखण्ड)				
36.	बी.एच.003/1991	श्री टाटानगर गऊशाला	जमशेदपुर	100000
37.	बी.एच.010/1999	श्री गंगा गऊशाला	कटरासगढ़ पी.ओ.	40000
दिल्ली				
38.	एन.डी.003/1988	द फ्रेंडिकोइस-एस.ई.सी.ए.	नई दिल्ली	100000
39.	एन.डी.011/1993	संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर	नई दिल्ली	100000
40.	एन.डी.013/1993	सर्कल आफ एनिमल लवर्स	नई दिल्ली	40000
41.	एन.डी.021/1999	आचार्य सुशील गोसदन	नई दिल्ली	40000
42.	एन.डी.024/1999	सोनादी चेरिटेबल ट्रस्ट	नई दिल्ली	25000
43.	एन.डी.027/2000	डावर हरे कृष्ण गऊशाला	नई दिल्ली	40000
44.	एन.डी.039/2002	एनिमल इंडिया ट्रस्ट	नई दिल्ली	25000
गोवा				
45.	जी.ओ.001/1999	गोवा एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट	सालसेट	25000
46.	जी.ओ.002/1999	पीपुल फार एनिमल-गोवा	पानाजी	25000

1	2	3	4	5
47.	जी.ओ.003/1999	द्वारकापुरी गौ सेवा आश्रम	पोंडा	25000
48.	जी.ओ.007/2006	द ग्रीन क्रॉस	वारडेज	10000
गुजरात				
49.	जी.जे.015/1991	श्री अमरेली गऊशाला पंजरापौल	अमरेली	50000
50.	जी.जे.016/1991	श्री वृंदावन गऊशाला जीवदया ट्रस्ट	जीवापुर	40000
51.	जी.जे.018/1991	श्री वोटड महाजन पंजरापौल एण्ड गऊशाला	वोटड	100000
52.	जी.जे.019/1991	श्री सिद्धपुर पंजरापौल	सिद्धपुर	100000
53.	जी.जे.024/1991	श्री अनजार पंजरापौल	कच्छ	200000
54.	जी.जे.025/1991	श्री विनछिया महाजन पंजरापौल ट्रस्ट	राजकोट	40000
55.	जी.जे.027/1991	वडोदरा एस.पी.सी.ए.	बड़ौदा	25000
56.	जी.जे.028/1993	श्री गऊशाला सेवा समिति	कच्छ	100000
57.	जी.जे.031/1994	श्री ओखा कृष्ण पंजरापौल	ओखा पोर्ट	50000
58.	जी.जे.033/1993	श्री मोती रूद्रानी जागीर गऊशाला एंड पंजरापौल	भुज	100000
59.	जी.जे.038/1995	श्री सावरकुंडला गऊशाला	सावरकुंटला	40000
60.	जी.जे.039/1996	श्री भावनगर पंजरापौल	भावनगर	100000
61.	जी.जे.046/1998	राजकोट महाजन पंजरापौल	राजकोट	100000
62.	जी.जे.052/1998	श्री मंडल महाजन पंजरापौल	मंडल	200000
63.	जी.जे.055/1998	श्री जीवदया मंडल	कच्छ	100000
64.	जी.जे.065/1998	श्री खोदाधर पंजरापौल	थारा	100000
65.	जी.जे.066/1998	श्री मेहसाना पंजरापौल संस्था	मेहसाना	40000
66.	जी.जे.073/1998	राधनपुर खोदादार पंजरापौल संस्था	राधनपुर	100000
67.	जी.जे.075/1999	श्री गौवंश एंड पंजरापौल संस्था	जमकंडोरना	100000
68..	जी.जे.076/1999	श्री गौरक्षा संस्था	पालिताना	100000
69.	जी.जे.078/1999	श्री पुरुषोत्तम लालजी गौल्क सेवाधाम ट्रस्ट	धारीताल	100000
70.	जी.जे.086/1999	श्री वांकानेर पंजरापौल गौशाला	वांकानेर	100000

1	2	3	4	5
71.	जी.जे.105/2000	श्री हरिजी पंजरापौल संस्था	हरीज	100000
72.	जी.जे.111/2000	श्री माईवदर पंजरापौल	भयावधार	50000
73.	जी.जे.116/2001	श्री ऊंझा पंजरापौल	ऊंझा	40000
74.	जी.जे.126/2001	श्री रामरोटी अन्न क्षेत्र आश्रम	कोठारिया	40000
75.	जी.जे.131/2001	श्री भुजपुर पंजरापौल	भुजपुर	100000
76.	जी.जे.135/2001	श्री घासा जंक्शन गऊशाला	घासा जंक्शन	100000
77.	जी.जे.142/2002	भगवान महावीर पशु रक्षा केन्द्र	प्रागपुर	100000
78.	जी.जे.144/2002	कलपतरू गौशाला चेरिटेवल ट्रस्ट	शिकरा	40000
79.	जी.जे.151/2002	स्व. दिलीप पारेश अशोकचंद शाह सार्वजनिक पंजरापौल	मियागम	100000
80.	जी.जे.152/2002	शाह खोडीदास धर्मचंद पंजरापौल	जमपाली पोल	40000
81.	जी.जे.161/2002	वडाला पंजरापौल	वडाला	
82.	जी.जे.183/2002	गौ सेवा ट्रस्ट	थोराडी	25000
83.	जी.जे.188/2002	सेठ आनंदजी कल्याणजी छपरैली पंजरापौल सार्वजनिक ट्रस्ट	चंपारियली	100000
84.	जी.जे.189/2002	श्री यतिंदर जयंत सार्वजनिक गऊशाला ट्रस्ट	जालीद	25000
85.	जी.जे.199/2002	वदोदरा सेंटर फार एनिमल रेस्क्यू एंड इमरजेंसी	बड़ौदा	10000
86.	जी.जे.214/2002	स्वीमी श्री तेजानंद महाराज टेम्पल पंजरापौल	खारवासा	25000
87.	जी.जे.215/2002	श्री केवलमुनि जी गऊशाला ट्रस्ट	थाली	50000
88.	जी.जे.221/2003	पशु पक्षी मानव मैत्री समिति	अहमदाबाद	25000
89.	जी.जे.230/2004	आशीर्वाद चेरिटेबल ट्रस्ट	सुदासाना	100000
90.	जी.जे.233/2004	श्री सहजानंद गऊशाला	कोदव	100000
91.	जी.जे.235/2004	पूज्य तपस्वी बापू स्मृति गौ सेवा ट्रस्ट	लिम्बडी	25000
92.	जी.जे.237/2004	ऋषि भूमि प्रवृतिया	कालोल	25000
93.	जी.जे.238/2005	अवोल पशु पक्षी सेवा मंडल	वोनघाना	10000
94.	जी.जे.239/2005	श्री गधादा जीवदया जनकल्याण ट्रस्ट	भावनगर	10000
95.	जी.जे.240/2005	श्री पीपार्दी ब्रह्मेश्वर गऊशाला ट्रस्ट	राजकोट	10000

1	2	3	4	5
हरियाणा				
96.	एच.आर.002/1991	मेवात क्षेत्र गऊशाला समिति	फिरोजपुर	50000
97.	एच.आर.003/1991	अरशा महाविद्यालय गुरूकुल गऊशाला	कलवा	25000
98.	एच.आर.004/1991	श्री कृष्ण आदर्श गऊशाला सेवा समिति	गोहाना	100000
99.	एच.आर.005/1991	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	यमकेश्वर तीर्थ	100000
100.	एच.आर.006/1991	श्री कृष्ण गऊशाला	टोहाना	200000
101.	एच.आर.009/1991	श्री गऊशाला	मोहिन्द्रगढ़	100000
102.	एच.आर.011/1991	श्री गऊशाला डेयरी दत्ता	दात्ता	200000
103.	एच.आर.013/1991	श्री रामकृष्ण गौ सेवा सदन धर्मार्थ सभा	बापोली	25000
104.	एच.आर.014/1991	श्री गऊशाला सोसायटी	पानीपत	100000
105.	एच.आर.017/1994	श्री गोपाल गऊशाला	नारनौल	100000
106.	एच.आर.018/1994	श्री लाडवा गऊशाला	लाडवा	100000
107.	एच.आर.019/1996	राष्ट्रीय गऊशाला	दड़ौली	300000
108.	एच.आर.023/1998	श्री कृष्ण गऊशाला	करनाल	100000
109.	एच.आर.025/1998	श्री कृष्ण गोपाल गऊशाला	झुंडला	50000
110.	एच.आर.032/1998	अखिल भारतीय महर्षि दयानन्द गऊशाला	रोहतक	100000
111.	एच.आर.037/1999	श्री कृष्ण आदर्श गऊशाला	समालखा मंडी	40000
112.	एच.आर.038/1999	श्री गऊशाला ट्रस्ट	भिवानी मंडी	200000
113.	एच.आर.042/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	सिवानी मंडी	100000
114.	एच.आर.043/1999	एस.पी.सी.ए. जिला यमुनानगर	यमुनानगर	25000
115.	एच.आर.045/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	उकलाना मंडी	200000
116.	एच.आर.049/1999	श्री स्वामी गौ रक्षानन्द गऊशाला	सफीदों	200000
117.	एच.आर.051/1999	श्री स्वामी गौ रक्षानन्द गऊशाला	जुलाना	200000
118.	एच.आर.052/1999	श्री गऊशाला बाबा फुलु साध	उचाना खुर्द	200000
119.	एच.आर.057/1999	श्री वैश्णव अग्रसेन गऊशाला	हिसार	100000

1	2	3	4	5
120.	एच.आर.058/1999	श्री हरियाणा गऊशाला	हांसी	200000
121.	एच.आर.059/1999	श्री गऊशाला	रोहतक	200000
122.	एच.आर.060/1999	श्री गऊशाला	सिरसा	100000
123.	एच.आर.061/1999	श्री बालाजी गऊशाला	जींद	50000
124.	एच.आर.062/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला सेवा समिति	गोहाना मंडी	100000
125.	एच.आर.063/1999	गौमठ (गऊशाला)	जिला भिवानी	50000
126.	एच.आर.067/2000	बाबा फुलु साघ गऊशाला समिति	हिसार	100000
127.	एच.आर.071/2000	श्री चेतनदास गौ संवर्धन संस्थान	गुड़गांव	50000
128.	एच.आर.076/2000	श्री कृष्ण गऊशाला ट्रस्ट	पांडू पिंडारा	50000
129.	एच.आर.078/2000	श्री गोपाल गऊशाला	बरवाला	100000
130.	एच.आर.079/2000	श्री कृष्ण गऊशाला	फेघाट	100000
131.	एच.आर.080/2000	श्री 108 ब्रह्मचारी जयराम दास पंचायती गऊशाला	बेरी	100000
132.	एच.आर.083/2000	श्री जयराम पंचायती गऊशाला समिति	जखोली	100000
133.	एच.आर.084/2000	अदर्श गऊशाला	गुड़गांव	50000
134.	एच.आर.085/2000	श्री कृष्ण गऊशाला	रतिया	200000
135.	एच.आर.095/2001	लार्ड शिव गऊशाला समिति	शाहपुर	100000
136.	एच.आर.097/2001	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	गुरूकुल	50000
137.	एच.आर.099/2002	महर्षि दयानन्द गऊशाला	झज्जर	25000
138.	एच.आर.100/2002	श्री वैश्य व्यायामशाला एवं गऊशाला	रोहतक	40000
139.	एच.आर.102/2002	श्री गोपाल गौ सदन	जींद	100000
140.	एच.आर.103/2002	गऊ सेवा समिति	ईस्माइलाबाद	40000
141.	एच.आर.104/2002	श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा सदन सभा	चीका मण्डी	100000
142.	एच.आर.105/2002	महर्षि दयानन्द सरस्वती गऊशाला	जमाल	100000
143.	एच.आर.108/2002	श्री जय राम अदर्श गऊशाला	पुंडरी	200000
144	एच.आर.111/2002	अदर्श गऊशाला	झज्जर	40000

1	2	3	4	5
145.	एच.आर.113/2002	अखिल भारतीय जीव जन्तु कल्याण एवं ग्रामीण विकास संस्थान	साते रोड खुर्द	25000
146.	एच.आर.114/2002	श्री श्री 108 बाबा हेमदास गऊशाला	मोहिन्द्रगढ़	100000
147.	एच.आर.115/2002	श्री अलख गऊशाला	बहल	50000
148.	एच.आर.116/2002	शिव शक्ति गऊशाला	कदलवा	100000
149.	एच.आर.117/2002	श्री गऊशाला	चक्का	40000
150.	एच.आर.118/2002	गउ सेवा समिति	केहरवाला	25000
151.	एच.आर.121/2002	श्री गऊशाला	रसालीहेड़ा	100000
152.	एच.आर.122/2002	पांतीलीसा गऊशाला समिति	कगदाना	100000
153.	एच.आर.123/2002	गऊ सेवा समिति	कैथल	25000
154.	एच.आर.124/2002	ज्योतिपुंज गऊशाला	टोहाना	100000
155.	एच.आर.128/2002	महर्षि दयानद सरस्वती गऊशाला	नथुसराय कलां	100000
156.	एच.आर.132/2002	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	सिरसा	100000
157.	एच.आर.134/2002	श्री कृष्ण गऊशाला सेवा समिति	सिरसा	50000
158.	एच.आर.136/2002	श्री गऊशाला सादेवाला	सिरसा	50000
159.	एच.आर.141/2002	श्री गोपाल गऊशाला	हांसी	100000
160.	एच.आर.144/2003	गऊशाला मघाड	कलायत	100000
161.	एच.आर.145/2003	श्री दयानन्द गऊशाला समिति	बदाउजी गहवार	25000
162.	एच.आर.149/2003	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	ढान्ड	40000
163.	एच.आर.151/2004	बाबा मुंगानाथ गऊशाला	रनिया	40000
164.	एच.आर.152/2004	श्री कृष्ण सेवा दल	भिवानी	40000
165.	एच.आर.155/2004	जीव संजीवनी	जींद	25000
166.	एच.आर.157/2005	श्री कृष्ण चन्द्र गऊशाला	बानी	50000
167.	एच.आर.158/2005	श्री गऊशाला समिति	जगाधरी	50000
168.	एच.आर.159/2005	श्री शिव गऊशाला समिति	हिसार	10000
169.	एच.आर.160/2005	बाबा गणेशीलाल गऊशाला एवं क्रूरता नीवारण समिति	जींद	10000

1	2	3	4	5
170.	एच.आर.161/2005	मार्कंडेश्वर गऊशाला एवं सोशल वेलफेयर सोसायटी		10000
171.	एच.आर.162/2005	श्री कृष्ण गऊशाला सोसायटी		10000
172.	एच.आर.163/2005	यशोदानन्द श्री कृष्ण गऊशाला सेवक समिति	सोनीपत	10000
173.	एच.आर.164/2005	श्री बाबा शारनाईनाथ गऊशाला	खेरी	10000
हिमाचल प्रदेश				
174.	एच.पी.003/1998	ब्लू क्रास आफ हिमाचल प्रदेश	पालमपुर	25000
175.	एच.पी.021/2004	श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ गऊ विज्ञान केन्द्र	बिलासपुर	25000
176.	एच.पी.022/2005	माघव गौ विज्ञान केन्द्र		10000
जम्मू-कश्मीर				
177.	जे.के.002/1999	जम्मू-कश्मीर गौ रक्षा समिति	जम्मू	50000
कर्नाटक				
178.	के.ए.001/1965	मैसूर पंजरापौल सोसायटी	मैसूर	200000
179.	के.ए.004/1993	कंपनसेशन अनलिमिटेड प्लस एक्शन	बंगलूर	50000
180.	के.ए.005/1985	श्री राघवेन्द्र गौ आश्रम ट्रस्ट	बंगलूर	25000
181.	के.ए.017/1999	वाइल्डलाइफ रिसक्यू एवं रिहैबीलीटेशन सेंटर	बंगलूर	25000
182.	के.ए.030/2002	गोवानिठ आश्रय ट्रस्ट	मंगलोर	25000
183.	के.ए.039/2004	नन्दी एनिमल वेलफेयर सोसायटी आफ गुलबर्ग	फरहताबाद	10000
184.	के.ए.040/2005	स्वपना संरक्षण समिति		10000
185.	के.ए.041/2005	श्री गोवर्धनगिरी ट्रस्ट	उदुपी	10000
केरल				
186.	के.एल.010/1994	एस.पी.सी.ए. कोलम	कोलम	25000
187.	के.एल.028/2005	एनिमल सक्वाड	वायानाड	10000
मध्य प्रदेश				
188.	एम.पी.003/1991	श्री गोपाल गऊशाला	नीमच	25000
189.	एम.पी.004/1991	श्री गोपाल गऊशाला	ग्वालियर	25000

1	2	3	4	5
190.	एम.पी.005/1991	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	मंदसौर	40000
191.	एम.पी.006/1991	श्री गऊशाला सदाव्रत कमेटी	सतना	25000
192.	एम.पी.007/1991	श्री अकीलानन्द सरस्वती ग्रामीण गऊशाला	दलाउदा	25000
193.	एम.पी.011/1991	बृज मोहन रामकली गऊ संरक्षण केन्द्र	भोपाल	100000
194.	एम.पी.021/1998	श्री गोपाल गऊशाला	शिवपुर कलां	200000
195.	एम.पी.023/1998	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला समिति	सरदारपुर	50000
196.	एम.पी.027/1998	पीपुल फार एनिमल	ग्वालियर	25000
197.	एम.पी.030/1999	श्री गौतरस निवारणी गोपाल गऊशाला	वादनगर	50000
198.	एम.पी.033/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	नरसिंगार	25000
199.	एम.पी.035/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	ओजहार	50000
200.	एम.पी.037/1999	श्री सीता पंचवटी गऊशाला	आगरा	40000
201.	एम.पी.042/1999	श्री गोपाल गऊशाला समिति	नानपुर	25000
202.	एम.पी.043/1999	श्री गोपाल गऊशाला समिति	धार	50000
203.	एम.पी.045/1999	श्रीपंचमुखी हनुमान मंदिर गौ सेवा समिति	रामटेकरी	25000
204.	एम.पी.050/1999	गौवंश रक्षण समिति	वारासिवानी	100000
205.	एम.पी.051/1999	श्री गौवर्धन गऊशाला	अलोट	50000
206.	एम.पी.052/1999	संत श्री रोतीरामजी गऊशाला	वेहपुर	50000
207.	एम.पी.054/1999	श्री गोपाल इफ्तिखार गऊशाला	जवारा	40000
208.	एम.पी.055/1999	श्री गोपाल गऊशाला नियास	रतलाम	40000
209.	एम.पी.057/1999	श्री कमल गऊशाला	बोडा	25000
210.	एम.पी.058/1999	दयानन्द गौ सेवा जीवरक्षा एवं पर्यावरण संस्थान	खुराई	40000
211.	एम.पी.059/1999	श्री गोपाल गऊशाला समिति	मोगराराम	25000
212.	एम.पी.060/1999	श्री श्रेयसनाथ पशु रक्षा केन्द्र	मंदसौर	25000
213.	एम.पी.063/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	किशोरपुरा	50000
214.	एम.पी.079/1999	दयोदय पशु सेवा केन्द्र	मुंजावली	25000

1	2	3	4	5
215.	एम.पी.084/1999	कामधेनु गौ सदन संचालन समिति	सतवा	25000
216.	एम.पी.085/1999	संत आसाराम गौ सेवा श्रमयोग वेदांत सेवा समिति	शाजापुर	25000
217.	एम.पी.088/1999	गोपाल गऊशाला समिति	राजगढ	25000
218.	एम.पी.089/1999	अर्जुन गऊशाला	नरसिंगार	25000
219.	एम.पी.100/1999	देवनारायण गऊशाला समिति	राजगढ	25000
220.	एम.पी.115/1999	श्री गणेश गऊशाला गौ रक्षण एवं संवर्धन केन्द्र	खंडवा	25000
221.	एम.पी.119/1999	गोपाल गऊशाला	कुचनरिया	40000
222.	एम.पी.123/1999	तिलकेश्वर गौ सेवा सदन	उज्जैन	25000
223.	एम.पी.124/1999	श्री माधव गऊशाला	उज्जैन	25000
224.	एम.पी.137/1999	दायोदय पशु सेवा केन्द्र गऊशाला	बहिरावाद	25000
225.	एम.पी.138/1999	श्री बजरंग गौ सेवा समिति	मचलपुर	25000
226.	एम.पी.148/1999	श्री कृष्ण गोपाल गौ रक्षण एवं संवर्धन समिति	भोपाल	100000
227.	एम.पी.156/1999	गौ सेवा समिति	करकवेल	25000
228.	एम.पी.171/1999	सतगुरू नीलकंठ गौ सेवा सदन	देवास	25000
229.	एम.पी.173/1999	संत श्री शबरी गऊशाला समिति	भामती	25000
230.	एम.पी.182/1999	श्री गौतम गौ संवर्धन शोध संस्थान एवं पर्यावरण केन्द्र	बादनगर	50000
231.	एम.पी.186/2000	दायोदय पशु सेवा समिति	गदारवारा	25000
232.	एम.पी.188/2000	श्री बालाजी मंदिर गऊशाला	पंधाना	25000
233.	एम.पी.193/2000	वृंदावन गऊशाला	भगवानपुर	25000
234.	एम.पी.196/2000	श्री अहिल्या गऊशाला जीवदया मंडल	इंदौर	50000
235.	एम.पी.205/2000	दायोदय पशु सेवा समिति	धनौरा	25000
236.	एम.पी.210/2000	कामधेनु सेवा संरक्षण एवं शोध संस्थान	भोपाल	25000
237.	एम.पी.214/2000	सर्वोदय पशु संरक्षण समिति	सिलवानी	25000
238.	एम.पी.215/2001	पी.एफ.ए. मुरैना	मुरैना	25000
239.	एम.पी.222/2001	दायोदय पशु सेवा सदन	गंज बसौदा	100000

1	2	3	4	5
240.	एम.पी.236/2002	अचार्य विद्यासागर पशु संरक्षण एवं पर्यावरण	बांदा	50000
241.	एम.पी.237/2002	श्री खंडेश्वर गऊशाला समिति	जग्गाखेड़ी	40000
242.	एम.पी.239/2002	श्री गोबिन्द गऊशाला	दतिया	50000
243.	एम.पी.249/2002	दायोदय पशु सेवा सदन	देवरी कलां	25000
244.	एम.पी.250/2002	जय श्रीकृष्ण गऊशाला समिति	खामखेड़ा	25000
245.	एम.पी.257/2002	श्रीमद् भागवत गऊशाला समिति	नीमच	25000
246.	एम.पी.259/2002	परमपूज्य संत श्री आसारामजी गऊ सेवा समिति	श्योपुर	100000
247.	एम.पी.260/2002	श्री गोविंद गऊशाला समिति	ताल	25000
248.	एम.पी.261/2002	श्री शांतिनाथ पशु रक्षक केन्द्र गऊशाला	हिताखेड़ा	50000
249.	एम.पी.262/2002	आचार्य श्री विद्यासागर दायोदय पशु सेवा केन्द्र	तेंदुखेड़ा	25000
250.	एम.पी.264/2002	श्री मानस गीता गऊशाला	बारांदरी	25000
251.	एम.पी.270/2002	दायोदय पशु सेवा केन्द्र	पापाउरा	200000
252.	एम.पी.271/2002	गऊ सेवा भारती	वैरसिया	25000
253.	एम.पी.272/2002	संत सुखराम दास बाबा गऊशाला	नौगांव	25000
254.	एम.पी.275/2002	श्री दायोदय पशुधन संरक्षण समिति	हारदा	25000
255.	एम.पी.280/2003	परमदेव श्री कृष्ण गऊशाला	शाजहापुर	40000
256.	एम.पी.282/2003	श्री गोवर्धन गऊशाला		25000
257.	एम.पी.284/2004	एनिमल कैयर एंड केयर	ग्वालियर	25000
258.	एम.पी.286/2004	श्री चंद गऊशाला	खंडवा	25000
259.	एम.पी.287/2004	श्री गोपाल गऊशाला	शाहजापुर	100000
260.	एम.पी.289/2004	श्री रामकृष्ण महावीर न्यास	उज्जैन	25000
261.	एम.पी.290/2004	कामधेनु गऊशाला	भोपाल	25000
262.	एम.पी.291/2004	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला		25000
263.	एम.पी.293/2004	सिद्धि विनायक सेवा समिति	भोपाल	25000
264.	एम.पी.297/2004	श्री सतगुरू कृपा गऊशाला	पिपारिया	25000

1	2	3	4	5
265.	एम.पी.300/2004	अवधूत सुरभि शाला	दोलज	25000
266.	एम.पी.302/2005	सोनाचल सुरभि गौ सेवा आश्रम	अमरपुर	25000
267.	एम.पी.304/2005	श्री महामृत्युंञ्जय गौ सेवा सदन	भोपाल	50000
268.	एम.पी.305/2005	महाकाल वन्य प्राणि जीव जन्तु दया समिति	उज्जैन	10000
269.	एम.पी.306/2005	श्री स्वामी रामनन्द गऊशाला	गुना	10000
270.	एम.पी.307/2005	देवांचल गौसेवा एवं शोध संस्थान	शाहपुर	10000
271.	एम.पी.309/2005	श्री राम कृष्ण गऊशाला	रतलाम	10000
272.	एम.पी.310/2005	नंदिनी गऊशाला जागृति युवा समिति	छतरपुर	10000
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़)				
273.	एम.पी.009/1991	श्री चक्राधर गऊशाला ट्रस्ट	रायगढ़	25000
274.	एम.पी.026/1998	श्री कृष्ण गऊशाला जीवरक्षा केन्द्र	दुर्ग	40000
275.	एम.पी.039/1999	श्री राष्ट्रीय गऊशाला ट्रस्ट	धामतरी	40000
276.	एम.पी.041/1999	उज्जवल गौ रक्षण केन्द्र	रायपुर	100000
महाराष्ट्र				
277.	एम.एच.002/1966	बॉम्बे एस.पी.सी.ए.	मुम्बई	50000
278.	एम.एच.004/1991	श्री गौ रक्षण संस्थान धमनगांव (आर.एस.)	धमनगांव	25000
279.	एम.एच.008/1991	श्री गौ रक्षण संस्था	अमरावती	25000
280.	एम.एच.013/1993	वाइस आफ एनिमल्स इन डिस्ट्रेस (स्ट्रे डॉग लवर्स एसोसिएशन)	मुम्बई	25000
281.	एम.एच.021/1964	आल इंडिया एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन	मुम्बई	25000
282.	एम.एच.030/1995	अमलनेर गऊशाला (पंजरापौल)	अमलनेर	50000
283.	एम.एच.039/1997	श्री गौरक्षण संस्था	अकोला	40000
284.	एम.एच.040/1998	पंजरापौल (गौरक्षण) संस्था	अहमदनगर	100000
285.	एम.एच.042/1998	आदर्श गौ सेवा एवं अनुसंधान प्रकल्प (आदर्श संस्कार मंडल)	अकोला	100000
286.	एम.एच.043/1998	गोविंदज्ञान अनुसंधान केन्द्र	नागपुर	50000

1	2	3	4	5
287.	एम.एच.045/1998	महाराष्ट्र गौ पालन समिति	मुम्बई	25000
288.	एम.एच.059/1999	केशव गौ रक्षण सेवा समिति	वासिम	25000
289.	एम.एच.064/2000	श्री गोपाल कृष्ण गौ रक्षण संस्थान	जलगांव	50000
290.	एम.एच.078/2001	लक्ष्मी इंस्टीट्यूट आफ एनिमल वेलफेयर	अमरावती	25000
291.	एम.एच.089/2002	प्लांट एंड एनिमल वेलफेयर सोसायटी	डोमवेली	25000
292.	एम.एच.092/2002	पी.एफ.ए. वर्धा	गोपुरी	25000
293.	एम.एच.101/2002	श्री कृष्ण गऊशाला	तुमसर	25000
294.	एम.एच.103/2002	आचार्य आनन्द ऋषिजी गौ रक्षण संस्थान	तन्हारा	25000
295.	एम.एच.106/2003	थाने एस.पी.सी.ए.		25000
296.	एम.एच.116/2005	श्री रणछोडअप्पा पाटिल गऊशाला		10000
297.	एम.एच.117/2005	श्री कृष्ण गौ पालन केन्द्र	जलगांव	10000
298.	एम.एच.118/2005	पीपुल फार एनिमल्स, मुम्बई	मुम्बई	10000
मणिपुर				
299.	एम.आर.008/2001	पीपुल फार एनिमल्स, थोबल	वानजिंग	25000
उड़ीसा				
300.	ओ.आर.005/1997	असुरेश्वर गौ मंगल समिति	असुरेश्वर	25000
301.	ओ.आर.006/1998	उड़ीसा स्टेट काउंसिल फार एनिमल वेलफेयर	भुवनेश्वर	25000
302.	ओ.आर.007/1998	मैत्री क्लब	बतापाड़ा	25000
303.	ओ.आर.009/1999	एक्शन आफ प्रोटेक्शन आफ वाइल्ड एनिमल्स (ए.पी.ओ.डब्ल्यू.ए.)	केन्द्रपाड़ा	25000
304.	ओ.आर.016/2001	पीपुल आफ एनिमल्स-भुवनेश्वर	भुवनेश्पर	25000
305.	ओ.आर.017/2001	श्री राम गऊशाला ट्रस्ट	पुरी	25000
306.	ओ.आर.023/2002	जीव हितैषी संघ	डोलमुंडाई	25000
307.	ओ.आर.025/2002	जीवन विकास	लेनोडा	25000
308.	ओ.आर.028/2002	भगवत पथागार	सलेपली	25000

1	2	3	4	5
309.	ओ.आर.029/2002	इंस्टीट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट स्टडीज	भुवनेश्वर	25000
310.	ओ.आर.036/2003	जीवन ज्योति	कामागुरू	25000
311.	ओ.आर.037/2004	डिस्ट्रिक्ट एस.पी.सी.ए. नयागढ़	नयागढ़	25000
पंजाब				
312.	पी.जे.004/1991	एस.पी.सी.ए. चण्डीगढ़	चंडीगढ़	25000
313.	पी.जे.008/1999	पीपुल फार एनिमल्स-लुधियाना	लुधियाना	50000
314.	पी.जे.014/1999	नाभा गऊशाला कमेटी	नाभा	100000
315.	पी.जे.015/1999	गऊशाला कमेटी	धूरी	200000
316.	पी.जे.017/1999	अनाथ गऊशाला आश्रम	रामपुराफूल	25000
317.	पी.जे.018/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	मंडी गोबिन्दगढ़	100000
318.	पी.जे.022/2000	श्री शिव मंदिर गऊशाला कमेटी	पंचवटी	40000
319.	पी.जे.027/2000	गोपाल गऊशाला गौ सेवा समिति	रोपड़	40000
320.	पी.जे.029/2000	श्री गऊशाला कमेटी	मौर मंडी	100000
321.	पी.जे.031/2000	गौ रक्षक मंडल	संगरूर	100000
322.	पी.जे.032/2000	श्री कृष्ण गऊशाला दाना मंडी	जगरांव	200000
323.	पी.जे.038/2000	पीपुल फार एनिमल्स-जलंधर	जालंधर	25000
324.	पी.जे.040/2000	अग्रवाल गऊशाला कमेटी एण्ड वोमन कॉलेज कमेटी	समाना	40000
325.	पी.जे.052/2001	श्री कृष्ण गऊशाला	मूनक	50000
326.	पी.जे.056/2002	पी.एफ.ए. चंडीगढ़	चण्डीगढ़	25000
327.	पी.जे.062/2002	जनता गऊशाला	शेरपुर	25000
328.	पी.जे.063/2002	गऊशाला कमेटी	बठिंडा	40000
329.	पी.जे.064/2002	श्री गऊशाला	बठिंडा	200000
राजस्थान				
330.	आर.जे.004/1991	श्री गंगा गऊशाला	नोखा	200000
331.	आर.जे.006/1991	श्री कृष्ण गुलाब गऊशाला	निम्बी जोधन	40000

1	2	3	4	5
332.	आर.जे.007/1991	श्री उमेद गऊशाला	सोजासिटी	40000
333.	आर.जे.008/1991	श्री गोपाल गऊशाला	डिंडवाना	25000
334.	आर.जे.009/1991	श्री गऊशाला	नोहार	300000
335.	आर.जे.010/1991	श्री गुलाब गऊशाला धर्मार्थ ट्रस्ट	जोधपुर	100000
336.	आर.जे.013/1993	श्री करनी गऊशाला	देशनोक	100000
337.	आर.जे.023/1991	श्री रामशंकर गऊशाला	छपर	40000
338.	आर.जे.024/1991	श्री गोपाल गऊशाला	सुजानगढ	50000
339.	आर.जे.027/1993	श्री राजालदेसर गऊशाला	राजालदेसर	25000
340.	आर.जे.031/1993	श्री भोपालगढ गऊशाला	जोधपुर	100000
341.	आर.जे.032/1993	श्री कृष्ण गऊशाला	रामगढ	100000
342.	आर.जे.034/1995	श्री पंजरापौल गऊशाला	पालीमारवाड़	100000
343.	आर.जे.036/1996	श्री कल्याण भूमि गौ सेवा सदन	श्रीगंगानगर	200000
344.	आर.जे.037/1996	श्री बिदासर गऊशाला	विदासर	50000
345.	आर.जे.039/1997	राजस्थान गौ सेवा संघ (कन्हैया गऊशाला)	जोधपुर	100000
346.	आर.जे.040/1997	श्री गऊशाला समिति	हनुमानगढ	200000
347.	आर.जे.041/1998	श्री अदेश्वर गौ सेवा समिति	सिरोही	100000
348.	आर.जे.042/1998	श्री कृष्ण गऊशाला	उदयापुरवती	25000
349.	आर.जे.044/1998	श्री गोपाल गऊशाला	चित्तौड़गढ	25000
350.	आर.जे.045/1998	श्री भगवान महावीर जैन गऊशाला ट्रस्ट	जैथारन	100000
351.	आर.जे.046/1998	श्री गोपीनाथ गऊशाला समिति	गुधागोरजी	50000
352.	आर.जे.048/1998	श्री कृष्ण गोपाल गौ सदन समिति	जसवंतगढ	100000
353.	आर.जे.049/1998	राजस्थान गौ सेवा संघ	जयपुर	25000
354.	आर.जे.050/1998	श्री गोपाल गोवर्धन गऊशाला	संचौरे	100000
355.	आर.जे.050-1/1998	श्री खेतेश्वर गऊशाला आश्रम		100000
356.	आर.जे.051/1998	सत्यापुर गौ सेवा मंडल	सत्यापुर	200000

1	2	3	4	5
357.	आर.जे.054/1998	श्री फलोदी धर्मार्थ सेवा समिति गऊशाला	फलोदी	40000
358.	आर.जे.055/1998	आचार्य काकासाहेब कलेरकर लोक सेवा केन्द्र	बारगांव	50000
359.	आर.जे.057/1998	श्री दादा दरबार नेपाली बाबा सिद्धार्थ महादेव जी.एस.एस.	जोधपुर	25000
360.	आर.जे.060/1998	श्री कृष्ण गऊशाला	प्रागपुर	25000
361.	आर.जे.064/1998	श्री कृष्ण गऊशाला	रायपुर	100000
362.	आर.जे.066/1998	श्री गऊशाला सुखदोय सर्कल	श्रीगंगानगर	200000
363.	आर.जे.070/1998	श्री कृष्ण गऊशाला	निम्बाज	100000
364.	आर.जे.072/1998	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	अजमेर	25000
365.	आर.जे.074/1998	श्री कृष्ण गऊशाला प्रबंध समिति	हरनावाड़ा शाह	25000
366.	आर.जे.076/1998	श्री गोपाल गौवंश कल्याणकारी गऊशाला	नेथरा	100000
367.	आर.जे.077/1998	श्री कृष्ण गोपाल गऊशाला	गोविंदगढ	100000
368.	आर.जे.085/1999	श्री कृष्ण गौवंश रक्षण संवर्धन समिति	छिपाबरोड	40000
369.	आर.जे.087/1999	ग्वाल गोपाल गऊशाला	चित्तौड़गढ	50000
370.	आर.जे.089/1999	श्री गिरधर गौ सेवा समिति	कोटा	50000
371.	आर.जे.091/1999	श्री राम गऊशाला समिति	उमेदनगर	40000
372.	आर.जे.092/1999	श्री रूप रजत गऊशाला संस्थान	जोधपुर	40000
373.	आर.जे.093/1999	श्री बाबा रामदेव गऊशाला समिति	सोजतसिटी	50000
374.	आर.जे.097/1999	श्री गऊशाला पिलानी	पिलानी	40000
375.	आर.जे.099/1999	श्री राम गऊशाला सेवा समिति	मारनिखुरदा	40000
376.	आर.जे.110/1999	श्री जगदम्बा सेवा समिति	भद्रायुत	200000
377.	आर.जे.111/1999	श्री गौरी शंकर गऊशाला	बगार	50000
378.	आर.जे.115/1999	श्री ब्रह्मचारी रामकुमारजी पन्नालालजी गऊशाला धर्मार्थ ट्रस्ट	जोधपुर	200000
379.	आर.जे.125/1999	श्री महावीर गऊशाला एवं पशु रक्षा समिति	मानडल	40000
380.	आर.जे.126/1999	श्री गौशाला बलोतरा	बलोतारा	50000

1	2	3	4	5
381.	आर.जे.128/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला ट्रस्ट	जैयतरन	100000
382.	आर.जे.130/1999	पशुपति कल्याण परिषद	उदयपुर	40000
383.	आर.जे.131/1999	अकाल राहत गौ सेवा संस्थान ट्रस्ट	चुरू	50000
384.	आर.जे.132/1999	हनुमान गौ संवर्धन केन्द्र	हनुमानगढ	40000
385.	आर.जे.133/1999	शिव गऊशाला	गंगानगर केन्द्र	25000
386.	आर.जे.134/1999	कृषि गौ सेवा केन्द्र	श्रीगंगानगर	50000
387.	आर.जे.135/1999	कृषि गौ सेवा केन्द्र	छत्तरगढ	50000
388.	आर.जे.136/1999	गौ सदन, बाजुवाला	श्रीगंगानगर	100000
389.	आर.जे.137/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	खनुवाला	50000
390.	आर.जे.139/1999	श्री मदन गऊशाला	सीकर	50000
391.	आर.जे.141/1999	श्री रामकृष्ण गऊशाला	गगराना	50000
392.	आर.जे.144/1999	श्री मोहन गऊशाला	बारमेर	100000
393.	आर.जे.147/1999	श्री रामदेव जी दया गऊशाला ट्रस्ट	धाबा	25000
394.	आर.जे.151/1999	श्री दयालु गौ जीवजन परमार्थ सेवा संस्थान	केदापा	50000
395.	आर.जे.154/1999	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति	मंडल	50000
396.	आर.जे.159/1999	श्री कृष्ण गौ सेवा संस्था	चुरु	25000
397.	आर.जे.163/1999	गौ सेवा शिविर (गऊशाला), चुरू	चुरु	25000
398.	आर.जे.175/2000	श्री गुरू कृपा गऊशाला	सराना	25000
399.	आर.जे.176/2000	श्री शांतिनाथ गऊशाला संस्था	बकरा रोड	25000
400.	आर.जे.180/2000	श्री गऊशाला	करनपुर	50000
401.	आर.जे.183/2000	संत श्री आसारामजी गऊशाला समिति	निवाई	200000
402.	आर.जे.192/2000	श्री गोपाल गौ सेवा समिति	ताहनादेसर	25000
403.	आर.जे.193/2000	श्री आदिनाथ पशु रक्षा संस्थान	कनोड	25000
404.	आर.जे.205/2000	श्री जयसिंह गऊशाला	कोटपुतली	25000
405.	आर.जे.206/2000	श्री गोपाल गऊशाला	नीम का थाना	50000

1	2	3	4	5
406.	आर.जे.210/2000	फतेहपुर (राजस्थान) पंजरापौल सोसायटी	फतेहपुर	100000
407.	आर.जे.211/2000	श्री ओम जनता गऊशाला ट्रस्ट	मनकासास	50000
408.	आर.जे.213/2000	श्री राधेकृष्ण गऊशाला संस्था	बिग्गा	25000
409.	आर.जे.214/2000	श्री खेतेश्वर गऊशाला समिति	ब्रह्मधा असोतारा	50000
410.	आर.जे.216/2000	गौरक्षा सेवा ट्रस्ट	हाडोला	25000
411.	आर.जे.226/2001	श्री राम सागर गऊशाला समिति	नेतराना	100000
412.	आर.जे.228/2001	स्व. सेठ श्री केवल चन्द कोठारी जैन गऊशाला समिति	खांगटा	100000
413.	आर.जे.243/2001	श्री पचपद्रा गऊशाला	पंचपद्रा	25000
414.	आर.जे.249/2001	श्री रोहितास्व गऊशाला समिति	विलादा	40000
415.	आर.जे.250/2001	ओग श्री देवेश्वर महादेव गऊशाला समिति	जादान	25000
416.	आर.जे.256/2001	श्री चंपाजी महाराज गऊशाला संस्थान	लंबिया	50000
417.	आर.जे.271/2002	श्री कृष्ण गऊशाला	खानडेला	25000
418.	आर.जे.273/2002	श्री जय जितेन्द्र गऊशाला समिति	सोमेसर	40000
419.	आर.जे.281/2002	श्री कृष्ण गौ सेवा संस्थान	लचारसार	25000
420.	आर.जे.283/2002	श्री तिजारती चैम्बर सराफान गऊशाला	बीवार	40000
421.	आर.जे.287/2002	श्री भंसाली उमेद गऊशाला	झाब	100000
422.	आर.जे.290/2002	श्री महावीर हनुमान गौ वंश एवं पर्यावरण संरक्षण	गोलासन	100000
423.	आर.जे.291/2002	श्री महावीर कामधेनु गऊशाला	बरेला	25000
424.	आर.जे.298/2002	श्री रावतमुनि जैन गऊशाला सेवा समिति	भोपालगढ	50000
425.	आर.जे.308/2002	श्री राम गौ सेवा समिति	मारवाड	40000
426.	आर.जे.311/2002	श्री आदि गऊशाला (जिजिपाल)	पतलियावास	100000
427.	आर.जे.312/2002	पी.एफ.ए. सिरोही	सिरोही	25000
428.	आर.जे.316/2002	श्री माधव गोबिंद गऊशाला विकास समिति	बंसघुनी	100000
429.	आर.जे.321/2002	राधाकृष्ण गऊशाला	अरनियाला	10000
430.	आर.जे.329/2002	श्री सुमति जीव रक्षा केन्द्र	पावापुरी	100000

1	2	3	4	5
431.	आर.जे.332/2002	श्री मरूधर केसरी मुनिश्वर गौ सेवा रामधन समिति	खानवारियत	50000
432.	आर.जे.333/2002	श्री रूप रजत श्री कृष्ण गऊशाला संस्था	अतवरा	100000
433.	आर.जे.337/2002	श्री देवनारायण गऊशाला	लेसारदा	25000
434.	आर.जे.340/2002	श्री विरतेजा गौ सेवा समिति	मुण्डा	50000
435.	आर.जे.341/2002	श्री राम ट्रांसपोर्ट वेलफेयर सोसायटी (अंडर श्री राम गऊशाला सोसायटी)	अनाज मण्डी	25000
436.	आर.जे.351/2002	श्री बाल गोपाल गौ सेवाश्रम	धुर्वा	50000
437.	आर.जे.352/2002	श्री शिवशक्ति गौ सेवाश्रम	लुनियाशर	50000
438.	आर.जे.353/2002	श्री लक्ष्मी नारायण गौ सेवाश्रम	प्रतापपुर	25000
439.	आर.जे.354/2002	श्री केदारस्वामी गौ सेवाश्रम	चुरा	100000
440.	आर.जे.355/2002	श्री राजर्षि दिलीप गौ सेवा आश्रम	विरोल	100000
441.	आर.जे.356/2002	श्री देवरी माता गऊशाला सेवा समिति	पाली	10000
442.	आर.जे.357/2002	पशु कल्याण समिति	श्रीगंगानगर	300000
443.	आर.जे.361/2002	श्री भृगुर्षि गौ सेवा आश्रम समिति		100000
444.	आर.जे.362/2002	श्री दतारेया गौ सेवा आश्रम	पथमेड़ा	100000
445.	आर.जे.363/2002	श्री मुरलीधर गौ सेवा आश्रम	पथमेड़ा	100000
446.	आर.जे.364/2002	श्री कामधेनु गौ सेवा आश्रम	पथमेड़ा	100000
447.	आर.जे.365/2002	श्री सुरभि गौ सेवा आश्रम	पथमेड़ा	00000
448.	आर.जे.366/2002	श्री धेनूकेश्वर गौ सेवा आश्रम	पथमेड़ा	100000
449.	आर.जे.367/2002	श्री भारतमाता गौ सेवा आश्रम	पथमेड़ा	100000
450.	आर.जे.368/2002	श्री धनवंतरी सेवा आश्रम	पथमेड़ा	100000
451.	आर.जे.369/2002	श्री सनातन गौ सेवा आश्रम	पथमेड़ा	100000
452.	आर.जे.378/2002	श्री कृष्ण गोपाल गऊशाला समिति	चिराना	25000
453.	आर.जे.384/2002	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	बारागांव	25000
454.	आर.जे.388/2002	श्री कृष्ण गऊशाला कमेटी	गोलूवाला	100000
455.	आर.जे.390/2002	श्री मरूधर केसरी गऊशाला सेवा समिति	रानसेगांव	50000

1	2	3	4	5
456.	आर.जे.393/2002	झाझादिया वाला गौ सेवा सदन	गोविंदपुर	100000
457.	आर.जे.399/2003	श्री बाबा गुलाबनाथ गऊशाला समिति	पलासनी	25000
458.	आर.जे.402/2003	श्री महावीर जीवदया गऊशाला	जालोर	100000
459.	आर.जे.404/2003	श्री राज पुरोहित सेवा संस्थान	उदयपुर	50000
460.	आर.जे.405/2003	श्री गोपाल गौ सेवा समिति	बुंटिया रोड	25000
461.	आर.जे.408/2003	बाबा भली केयर गौ सेवा सदन	रामदेवरा	25000
462.	आर.जे.409/2003	श्री महावीर गऊशाला कल्याण संस्थान	बारान बारां	100000
463.	आर.जे.411/2003	श्री कृष्ण गोपाल गऊशाला समिति	पदमपुर	50000
464.	आर.जे.412/2003	गौ सेवा समिति गोगासर	रतनगढ़	40000
465.	आर.जे.415/2003	श्री गौ सेवा समिति	नागौर	25000
466.	आर.जे.416/2003	श्री कौशल गऊशाला	जौधपुर	25000
467.	आर.जे.419/2003	श्री प्रकाशनन्द गऊशाला		50000
468.	आर.जे.420/2003	श्री गोपाल गऊशाला समिति		25000
469.	आर.जे.422/2003	श्री कृष्ण गऊशाला समिति		25000
470.	आर.जे.429/2003	श्री गौ सेवा संघ		100000
471.	आर.जे.434/2003	श्री दरियाव गऊशाला सेवा समिति		25000
472.	आर.जे.436/2004	गौ रक्षा समिति	पाली	40000
473.	आर.जे.437/2004	श्री विष्णु गऊशाला	अलसीसर	25000
474.	आर.जे.440/2004	आचार्य श्री ननेश रूपरेखा श्री राम गऊशाला	कापासन	25000
475.	आर.जे.443/2004	कामधेनु राठी नस्ल संवर्धन केन्द्र	बीकानेर	25000
476.	आर.जे.449/2004	श्री हरि पंजरापौल गऊशाला	बीकानेर	25000
477.	आर.जे.450/2004	श्री बाबा रामदेव गौ सेवा समिति	नागौर	40000
478.	आर.जे.451/2004	श्री बादरिया माता गऊशाला समिति	जैसलमेर	200000
479.	आर.जे.452/2004	श्री गोपाल गऊशाला समिति	नागौर	25000
480.	आर.जे.456/2004	गौ रक्षक सेवा समिति गऊशाला	बडीसादरी	25000

1	2	3	4	5
481.	आर.जे.461/2004	श्री राम गुरू सैनिक क्षेत्रीय माली गऊशाला समिति	जोधपुर	25000
482.	आर.जे.464/2004	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	सीकर	10000
483.	आर.जे.466/2004	किसान गऊशाला समिति	रायपुर	25000
484.	आर.जे.469/2004	गऊशाला सेवा समिति	जयपुर	25000
485.	आर.जे.473/2004	श्री अग्रसेन जीव जन्तु कल्याण एवं गौ सेवा समिति	बीकानेर	100000
486.	आर.जे.475/2004	श्री विमला देवी खेटावता गौ सेवा विकास समिति	धांकोली	10000
487.	आर.जे.479/2004	सनातन धर्म गौ सेवा समिति ट्रस्ट	जयतारन	25000
488.	आर.जे.480/2004	श्री गिरिधर गोपाल गऊशाला	जावरा	50000
489.	आर.जे.481/2004	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति	उमेद वालिया	25000
490.	आर.जे.482/2004	श्री गोधन संवर्धन गऊशाला समिति	उनीरिया	25000
491.	आर.जे.483/2004	श्री मुरली मनोहर गऊशाला	भिनासर	10000
492.	आर.जे.485/2004	गोबिंद गौशाला समिति	बनेथ	50000
493.	आर.जे.486/2004	गौ सदन दाउसा	जयपुर	25000
494.	आर.जे.487/2004	श्री पंजरापौल गऊशाला-सांगानेर	जयपुर	100000
495.	आर.जे.489/2005	श्री राम गऊशाला सेवा समिति	पटेल नगर	10000
496.	आर.जे.490/2005	शिव शक्ति गऊशाला सेवा समिति	मेदथा सिटी	10000
497.	आर.जे.492/2005	गुरूकुल गौ सेवा समिति	भसानी नेटा	10000
498.	आर.जे.493/2005	श्री सीतल गऊशाला समिति	मंदरेला	25000
499.	आर.जे.494/2005	श्री श्याम गऊशाला संस्थान	करीरी	10000
500.	आर.जे.499/2005	शिव गौ सेवा समिति	उरेदी कराना	10000
501.	आर.जे.500/2005	श्री शिव गौ सेवा समिति	आई.डी.डब्ल्यू.ए.	10000
502.	आर.जे.501/2005	श्री महावीर गौ सेवा समिति	राठौरी कुनवा	10000
503.	आर.जे.503/2005	श्री मरुधर केसरी गऊशाला समिति	जयतरन	10000
504.	आर.जे.504/2005	श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति	नागौर	10000
505.	आर.जे.505/2005	श्री लक्ष्मी नरसिंहपुर गौ सेवा समिति	नागपुर	10000

1	2	3	4	5
506.	आर.जे.506/2005	श्री शिवनाथ गऊशाला सेवा समिति	जोधपुर	10000
507.	आर.जे.508/2005	श्री श्री 1008 जयरामपुरी गऊशाला	जयपुर	10000
508.	आर.जे.509/2005	संत श्री भोलाराम जी महाराज गौ सेवा समिति	नागौर	10000
509.	आर.जे.510/2005	मां सुपास्वरमति गऊशाला समिति	चुरू	10000
510.	आर.जे.511/2005	श्री नाथ नगर गौ सेवा समिति	चुरू	10000
तमिलनाडु				
511.	टी.एन.002/1966	ब्लू क्रास आफ इंडिया	चैन्नई	200000
512.	टी.एन.016/1964	एस.पी.सी.ए. विलौर	वेल्लोर	50000
513.	टी.एन.019/1964	एस.पी.सी.ए सलेम	सलेम	25000
514.	टी.एन.027/1993	चैन्नई स्नेक पार्क ट्रस्ट	चैन्नई	50000
515.	टी.एन.028/1993	कृष्ण वेंकटेशन एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट	चैन्नई	25000
516.	टी.एन.036/1997	श्री मरूधर केसरी जैन गऊशाला ट्रस्ट	चैन्नई	50000
517.	टी.एन.044/1998	पीपुल फार एनिमल्स चेरिटेबल ट्रस्ट	चैन्नई	100000
518.	टी.एन.045/1998	एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट	चैन्नई	25000
519.	टी.एन.052/1999	होसूर एनिमल वेलफेयर सोसायटी	होसूर	25000
520.	टी.एन.062/2000	श्री सत्यसाई प्राणि सेवा शेल्टर्स	चैन्नई	25000
521.	टी.एन.071/2000	एवार्ड एनीमल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन	इनडाथुर	100000
522.	टी.एन.076/2000	महात्मा गांधीजी एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट	चैन्नई	25000
523.	टी.एन.092/2002	गौ शक्ति ट्रस्ट	वेंटघुर	25000
524.	टी.एन.107/2003	रक्षणा (एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन)	गोबीचेति पालायम	25000
525.	टी.एन.110/2003	तिरूवनामलई जिला एनिमल प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसायटी		25000
526.	टी.एन.112/2003	एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन		25000
527.	टी.एन.114/2003	अहिंसा इंटीग्रेटेड एण्ड एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट		25000
528.	टी.एन.125/2005	सोसायटी फार एनिमल वेलफेयर	डिंडीगुल	25000
529.	टी.एन.128/2005	प्राणी रक्षा कृषि उत्पादन संघ	मदुरै	25000

1	2	3	4	5
530.	टी.एन.129/2005	कारगुएल अयानर गऊशाला ट्रस्ट	रेडियारपट्टी	10000
531.	टी.एन.130/2005	ब्लू क्रास आफ कांचीपुरम	कांचीपुर	10000
532.	टी.एन.131/2005	अरूवेले मुरूगन ट्रस्ट	गुडूवंचेरी	10000
533.	टी.एन.132/2005	संरक्षण एनिमल वेलफेयर सोसायटी	तिरूचिरापल्ली	10000
534.	टी.एन.133/2005	गौ कुलम ट्रस्ट	विलाठीकुलम	10000
535.	टी.एन.134/2005	पशु पाझुकपु नाला संगम	थिरावन्नामलाई	10000
536.	टी.एन.135/2005	श्री कुमारन गऊशाला ट्रस्ट	राधापुरम	10000
537.	टी.एन.139/2006	एनिमल केयर ट्रस्ट	डिंडिगुल	10000
538.	टी.एन.145/2006	नगाईजोथी शक्ति सेवा एण्ड गऊशाला ट्रस्ट	कन्याकुमारी	10000
539.	टी.एन.147/2006	पीपुल फॉर एनिमल, मराईमलाई नगर	मराइमलाई नगर	10000
उत्तर प्रदेश				
540.	यू.पी.005/1964	श्री दिगम्बर जैन बालबोधनी सभा	सहारनपुर	25000
541.	यू.पी.008/1993	श्री पंचायती गऊशाला	वृंदावन	200000
542.	यू.पी.009/1993	श्री पंचायती गऊशाला	हापुड़	100000
543.	यू.पी.013/1993	मथुरा वृंदावन हंसानन्द गोचर भूमि ट्रस्ट	मथुरा	100000
544.	यू.पी.022/1994	बाबा काली कंबलीवाला पंचायती क्षेत्र	देहरादून	25000
545.	यू.पी.025/1994	गोरखपुर एस.पी.सी.ए.	गोरखपुर	25000
546.	यू.पी.031/1998	कानपुर गऊशाला सोसायटी	कानपुर	50000
547.	यू.पी.037/1999	श्री राघव गौ संवर्धन शाला	झांसी	25000
548.	यू.पी.038/1999	श्री गोविंद गौ सेवा ट्रस्ट	गोरखपुर	25000
549.	यू.पी.044/1999	पीपुल फार एनिमल	लखनऊ	25000
550.	यू.पी.050/1999	मोहन गोपाल गऊशाला समिति	कानपुर नगर	40000
551.	यू.पी.051/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	कुसीनगर	25000
552.	यू.पी.055/1999	दायीदय पशु संरक्षण केन्द्र (गऊशाला)	ललितपुर	200000
553.	यू.पी.058/1999	श्री गऊशाला कथर जंगल	कठार	40000

1	2	3	4	5
554.	यू.पी.059/1999	डॉक्टर्स पैट्स क्रेच एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट	लखनऊ	100000
555.	यू.पी.067/2000	जीव दया मंडल	लखनऊ	25000
556.	यू.पी.069/2000	सर्वेश्वर नारायण अनाथ गौसेवा समिति	मोंट	100000
557.	यू.पी.075/2000	एनिमल केयर आर्गेनाइजेशन	लखनऊ	25000
558.	यू.पी.081/2000	श्री विज्ञान सागर बाबा संगत गऊशाला समिति	महमूदाबाद	25000
559.	यू.पी.083/2000	शेरीन एनिमल सोसायटी	लखनऊ	25000
560.	यू.पी.091/2000	श्री गोपाल गऊशाला		50000
561.	यू.पी.092/2000	गौतमबुद्ध जीवदया समिति	बाध्य धड्डा	25000
562.	यू.पी.094/2000	श्याम गऊशाला बाबा बंसीवाला	प्रेमनगर	40000
563.	यू.पी.099/2000	आगरा एस.पी.सी.ए.	आगरा	25000
564.	यू.पी.102/2000	श्री सर्वांगीण विकास समिति	जसोली	25000
565.	यू.पी.119/2001	श्री राम रघुवीर गऊशाला समिति	बालपुर	25000
566.	यू.पी.120/2001	श्री सीताराम गऊशाला समिति	कानपुर	25000
567.	यू.पी.124/2001	श्री बालाजी गऊशाला समिति	काठगढ	25000
568.	यू.पी.125/2001	श्री गौ सेवा गऊशाला समिति	निगारा	25000
569.	यू.पी.126/2001	श्री जय बंसीवाले गऊशाला समिति	ढाकपुरा	25000
570.	यू.पी.130/2001	गऊशाला समिति	फर्रुखनद	25000
571.	यू.पी.137/2001	श्रीमती राम श्री गऊशाला समिति	तारापुर्वा	25000
572.	यू.पी.140/2001	श्री कृष्ण गऊशाला	प्रेमनगर	50000
573.	यू.पी.141/2001	श्री कृष्ण गऊशाला	कोसीकालां	50000
574.	यू.पी.142/2001	भैरव गौ सेवा समिति	उराई	25000
575.	यू.पी.148/2002	ओम शक्तिधाम गऊशाला एवं वर्धा आश्रम समिति	काकवान	25000
576.	यू.पी.165/2002	माता रामकली कामधेनु गऊशाला समिति	कन्नौज	25000
577.	यू.पी.167/2002	पं. रामकुमार द्विवेदी गऊशाला संस्थान	कानपुर देहात	25000
578.	यू.पी.172/2002	जय श्री गोपाल गऊशाला समिति	पालरा	25000
579.	यू.पी.175/2002	पी.एफ.ए. गोरखपुर	बेगिआता	25000

1	2	3	4	5
580.	यू.पी.178/2002	श्री राधाकृष्ण अनाथ गऊशाला समिति	राजपुर बांगर	25000
581.	यू.पी.191/2002	विनोबा सेवा आश्रम	बरतारा	40000
582.	यू.पी.193/2002	पुण्यभूमि गौवंश संरक्षण संवर्धन केन्द्र	बैरामपुर	25000
583.	यू.पी.194/2002	श्री सिद्ध गुफा जीवरक्षा गऊशाला	इटावा	50000
584.	यू.पी.196/2002	संत किनाराम विकलांग कल्याण एवं गौ सेवा सोध संस्थान		25000
585.	यू.पी.205/2002	श्री गोपाल गऊशाला समिति	देवीखेड़ा	10000
586.	यू.पी.208/2002	बाबू सिंह गऊशाला समिति	कानपुर नगर	25000
587.	यू.पी.210/2002	गौ सेवा सदन	सुगेरपुर	25000
588.	यू.पी.229/2002	स्वामी विवेकानन्द शिक्षण संस्थान	घोशिया	10000
589.	यू.पी.261/2003	रंजीत सिंह आदर्श सेवा समर्पण समिति	भदोही	25000
590.	यू.पी.262/2003	गौ रक्षा कल्याण समिति		25000
591	यू.पी.265/2003	गोविंद गऊशाला		25000
592.	यू.पी.267/2003	श्री कन्हैया गौशाला समिति		25000
593.	यू.पी.269/2003	जीव जंतु कल्याम समिति		25000
594.	यू.पी.275/2004	धर्मार्थ गोपाल गऊशाला समिति	बुलंदशहर	25000
595.	यू.पी.276/2004	श्री शिव गऊशाला	इटावा	25000
596.	यू.पी.279/2004	सुर्जाना देवी पशु पक्षी रक्षक संस्था	कानपुर	25000
597.	यू.पी.282/2004	श्री महावीर स्वामी सदानन्द गिरी पंजरापौल गऊशाला सेवा समिति	मथुरा	25000
598.	यू.पी.287/2004	श्री भगवती गऊशाला समिति	कायमकंज	25000
599.	यू.पी.295/2005	डा. हेडगेवर गोप गऊशाला	अलीगढ़	10000
600.	यू.पी.296/2005	समर मेमोरियल एनिमल्स एंड वेलफेयर सोसायटी		10000
601.	यू.पी.297/2005	स्वामी देवानंद गऊशाला समिति	कधाराबाद	10000
602.	यू.पी.299/2005	गोपाल गऊशाला सेवा आश्रम		10000
603.	यू.पी.301/2005	समझौता सेवा संस्थान	कानपुर	10000

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल)				
604	यू.पी.163/2002	श्री राधे कृष्ण गौ सेवा सदन ट्रस्ट	लखनपुर	25000
605	यू.पी.164/2002	चितवाल किसान विकास समिति	बुंगीधार	10000
पश्चिम बंगाल				
606.	डब्ल्यू.बी.006-1/1991	कलकत्ता पंजरपौल सोसायटी	रानीगंज	25000
607.	डब्ल्यू.बी.006-2/1991	कलकत्ता पंजरपौल सोसायटी	कंचारापारा	50000
608.	डब्ल्यू.बी.006-3/1991	कलकत्ता पंजरपौल सोसायटी	सोदपुर	100000
609.	डब्ल्यू.बी.006-4/1991	कलकत्ता पंजरपौल सोसायटी	लिलुआ	50000
610.	डब्ल्यू.बी.013/1993	हितारीजोर किशोरीबाला दाताव्य चिकित्सालय	मिदनापुर	200000
611.	डब्ल्यू.बी.014/1995	कम्पनशेट क्रुसेडर्स ट्रस्ट	कलकत्ता	25000
612.	डब्ल्यू.बी.016/1994	एनिमल एंड वर्ल्ड वेलफेयर सोसायटी	उदयनारायणपुर	50000
613.	डब्ल्यू.बी.017/1994	बड़ानगर सोशल सर्विस लीग	कलकत्ता	25000
614.	डब्ल्यू.बी.021/1997	लव 'एन' केयर फार एनिमल्स	कलकत्ता	25000
615.	डब्ल्यू.बी.027/2000	वर्दमान सोसायटी फार एनिमल वेलफेयर	बर्धवान	25000
616.	डब्ल्यू.बी.029/2001	पी.एफ.ए. हुगली	सीरमपुर	25000
617.	डब्ल्यू.बी.033/2001	अशुराली विवेकानंद स्मृति संघ	असुराली	25000
618.	डब्ल्यू.बी.039/2002	कांती महाकुमार तपसिली उन्नयन महिला समिति	रामनगर	25000
619.	डब्ल्यू.बी.040/2005	पुगमार्क्स सोसायटी फार कन्जर्वेशन आफ नेचुरन हेरिटेज	शांति निकेतन	25000
			कुल	33440000

ए.डब्ल्यू.बी.आई. योजना (नियमित अनुदान) के तहत ए.डब्ल्यू. को जारी सहायता अनुदान का ब्यौरा 2005-2006 में राशि स्वीकृत की गई और 2006-2007 में जारी की गई

क्र.सं.	कोड नं.	नाम	शहर	जारी अनुदान
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	ए.पी.011/1993	ब्लू क्रास आफ हैदराबाद	हैदराबाद	50000

1	2	3	4	5
2.	ए.पी.053/2000	श्री श्री राधा गोबिंद गौ रक्षा समिति	तिरूपति	50000
3.	ए.पी.064/2002	करूणा सोसायटी फार एनिमल्स एंड नेचर	पुतापारथी	10000
असम				
4	ए.एस.003/1993	ब्लू क्रास सोसायटी आफ असम	गुवाहाटी	25000
बिहार				
5.	बी.एच.023/2000	श्री गोपाल गऊशाला	पाकुर	25000
6.	डब्ल्यू.बी.006-6/1991	कलकत्ता पंजरापौल सोसायटी	चाकुलिया	10000
बिहार (झारखंड)				
7.	बी.एच.010/1999	श्री गंगा गऊशाला	कटरासगढ पी.ओ.	60000
दिल्ली				
8.	एन.डी.013/1993	सर्कल आफ एनिमल लवर्स	नई दिल्ली	10000
गुजरात				
9.	जी.जे.023/1991	श्री कच्छ मुंद्रा पंजरापौल एंड गऊशाला	कच्छ	100000
10.	जी.जे.033/1993	श्री मोती रूद्रानी जागीर गऊशाला एवं पंजरापौल	भुज	100000
11.	जी.जे.039/1996	श्री भावनगर पंजरापौल	भावनगर	100000
12.	जी.जे.052/1998	श्री मंडल महाजन पंजरापौल	मण्डल	100000
13.	जी.जे.054/1998	श्री हरिकृष्णा निराधार गौ सेवा ट्रस्ट	नारायणपुर	100000
14.	जी.जे.055/1998	श्री जीवदया मंडल	कच्छ	200000
15.	जी.जे.066/1998	श्री मेहसाना पंजरापौल संस्था	मेहसाना	60000
16.	जी.जे.073/1998	राधानपुर खोदादार पंजरापौल संस्था	राधानपुर	100000
17.	जी.जे.075/1999	श्री गोवंश एंड पंजरापौल संस्था	जमकंडोरना	75000
18.	जी.जे.076/1999	श्री गौ रक्षण संस्था	पालिताना	100000
19.	जी.जे.098/2000	बिलखा गौ रक्षण पंजरापौल	बिलखा	25000
20.	जी.जे.116/2001	श्री उनझा पंजरापौल	ऊंझा	10000
21.	जी.जे.126/2001	श्री रामरोटी अन्नाक्षेत्र आश्रम	कोठारिया	60000

1	2	3	4	5
22.	जी.जे.131/2001	श्री भुजपुर पंगलापोल	भोजपुर	100000
23.	जी.जे.151/2002	स्व. दिलीप पारेश अशोकचंद शाह सार्वजनिक पंजरापौल	मियागम	200000
24.	जी.जे.152/2002	शाह खोदीदारा धर्मचंद पंजरापौल	जामपाली पोल	60000
25.	जी.जे.202/2002	श्री जूनागढ़ पंजरापौल गऊशाला	जूनागढ़	100000
26.	जी.जे.224/2003	श्री शंभुगिरि सेवा ट्रस्ट	असोदर	100000
हरियाणा				
27.	एच.आर.007/1991	अखिल भारतीय गऊशाला	पेहरावर	100000
28.	एच.आर.008/1991	श्री कृष्ण गऊशाला	चकरी-दादरी	100000
29.	एच.आर.014/1991	श्री गऊशाला सोसायटी	पानीपत	100000
30.	एच.आर.038/1999	श्री गऊशाला ट्रस्ट	भिवानी	100000
31.	एच.आर.044/1999	श्री कुरूक्षेत्र गऊशाला	कैथल	100000
32.	एच.आर.058/1999	श्री हरियाणा गऊशाला	हांसी	100000
33.	एच.आर.059/1999	श्री गऊशाला	रोहतक	100000
34.	एच.आर.072/2000	धर्मार्थ गऊशाला	भटगांव	100000
35.	एच.आर.080/2000	श्री 108 ब्रह्मचारी जयराम दास पंचायती गऊशाला	बेरी	100000
36.	एच.आर.082/2000	श्री कृष्ण गऊशाला	मितमादा	100000
37.	एच.आर.083/2000	श्री जयराम पंचायती गऊशाला समिति	झखोली	100000
38.	एच.आर.100/2002	श्री वैश व्यायामशाला एवं गऊशाला	रोहतक	60000
39.	एच.आर.111/2002	आदर्श गौशाला	झज्जर	10000
40.	एच.आर.116/2002	शिव शक्ति गऊशाला	काडलवा	100000
41.	एच.आर.117/2002	श्री गऊशाला	चक्का	10000
42.	एच.आर.122/2002	पंतीलिसा गऊशाला समिति	कागदाना	100000
43.	एच.आर.128/2002	महर्षि दयानंद सरस्वती गऊशाला	नाथुसारी कलां	100000
44	एच.आर.151/2004	बाबा मुन्नाथ गऊशाला	रनिया	10000
हिमाचल प्रदेश				
45.	एच.आर.024/2006	कृष्ण गोपाल गऊशाला	हमीरपुर	10000

1	2	3	4	5
केरल				
46.	के.एल.001/1966	एस.पी.सी.ए. पालघाट (पाक्कड)	पालघाट	25000
मध्य प्रदेश				
47.	एम.पी.015/1994	एम.पी. गऊशाला संघ	भोपाल	25000
48.	एम.पी.016/1995	बाहुबली जीवरक्षा एवं पर्यावरण संस्थान	छिंदवाड़ा	100000
49.	एम.पी.022/1998	गौ संरक्षण सेवा समिति	कुरवई	25000
50.	एम.पी.108/1999	जलपामाता गऊशाला समिति	राजगढ	25000
51.	एम.पी.119/1999	गोपाल गऊशाला	कचनारिया	60000
52.	एम.पी.149/1999	महामृत्युंज्य गऊशाला	हुजूर	25000
53.	एम.पी.180/1999	श्री श्री 1008 श्री रामरतनदासजी वैष्णव गौ सेवा समिति	धनोला	100000
54.	एम.पी.251/2002	उज्जैन पीपुल फार एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन	उज्जैन	25000
55.	एम.पी.259/2002	परमपूज्य संत श्री आसारामजी गौ सेवा समिति	शोयपुर	100000
56.	एम.पी.292/2004	श्री कन्हैया गऊशाला	राजगढ	25000
महाराष्ट्र				
57.	एम.एच.014/1991	श्री वर्धमान जीवदया केन्द्र	मुम्बई	200000
58.	एम.एच.028/1973	एस.पी.सी.ए. पुणे	पुणे	25000
59.	एम.एच.038/1997	इन डिफेंस आफ एनिमल्स	मुम्बई	50000
60.	एम.एच.102/2002	इंडिया हरपेटोलॉजिकल सोसायटी		25000
उड़ीसा				
61.	ओ.आर.015/2001	कल्यानी	मैतरतरिलोचनपुर	25000
62.	ओ.आर.033/2002	पीपुल फार एनिमल्स	बेरहमपुर	25000
पंजाब				
63.	पी.जे.031/2000	गौ रक्षक मंडल	संगरूर	100000
64.	पी.जे.034/2000	श्री गऊशाला कमेटी	संगरूर	100000
65.	पी.जे.045/2000	श्री गऊशाला कमेटी	मुक्तसर	50000

1	2	3	4	5
66.	पी.जे.071/2006	श्री अनाथ गऊशाला	पटियाला	10000
67.	पी.जे.072/2006	एस.पी.सी.ए. फरीदकोट	फरीदकोट	10000
राजस्थान				
68.	आर.जे.007/1991	श्री उमेद गऊशाला	सोजासिटी	10000
69.	आर.जे.014/1993	श्री हरदयाल गऊशाला	सिंघारवाट	25000
70.	आर.जे.017/1993	हेल्प इन सफरिंग	जयपुर	25000
71.	आर.जे.034/1995	श्री पंजरापौल गऊशाला	पाली-मारवार	200000
72.	आर.जे.054/1998	श्री फलोदी धर्मार्थ सेवा समिति गऊशाला	फलोदी	10000
73.	आर.जे.079/1999	श्री पंचदेव महामंदिर गौ सेवाश्रम समिति	सीकर	50000
74.	आर.जे.080/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	जोधपुर	50000
75.	आर.जे.085/1999	श्री कृष्ण गौवंश रक्षण संवर्धन समिति	चिपाबारोड	10000
76.	आर.जे.092/1999	श्री रूप रजत गऊशाला संस्थान	जोधपुर	60000
77.	आर.जे.110/1999	श्री जगदम्बा सेवा समिति	भद्रायूत	100000
78.	आर.जे.116/1999	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति	सहावा	100000
79.	आर.जे.117/1999	कोकाईन वेलफेयर सोसायटी	बीकानेर	25000
80.	आर.जे.125/1999	श्री महावीर गऊशाला एवं पशु रक्षा समिति	मंडल	10000
81.	आर.जे.130/1999	पशुपति कल्याण परिषद	उदयपुर	10000
82.	आर.जे.132/1999	हनुमान गौ संवर्धन केन्द्र	हनुमानगढ	10000
83.	आर.जे.169/2000	गौवंश रक्षा केन्द्र वैदिक साधु आश्रम	नोहर	100000
84.	आर.जे.209/2000	श्री गोपाल गऊशाला	सांभर लेक	25000
85.	आर.जे.221/2001	श्री जय जैन गऊशाला	ताल	100000
86.	आर.जे.225/2001	श्री संकट मोचन हनुमान गऊशाला सेवा समिति	पीपड रोड	25000
87.	आर.जे.230/2001	श्री रूप रजत शिव गऊशाला संस्थान	शिवराजपुर	50000
88.	आर.जे.261/2001	श्री नदसर गौ सेवा समिति	नाडसर	50000
89.	आर.जे.263/2001	संघवी कनकुवाई वर्धी चंडी गौरी गऊशाला जीवदया	मलवारा	100000

1	2	3	4	5
90.	आर.जे.275/2002	इंडिया सोसायटी फार काऊ प्रोटेक्शन	जैसलमेर	25000
91.	आर.जे.283/2002	श्री तिजारती चैम्बर सराफन, गऊशाला	बीवार	60000
92.	आर.जे.288/2002	श्री मरूधर केसरी रूप रजत गऊशाला सेवा समिति	इन्दावार	50000
93.	आर.जे.307/2002	श्री गोपाल गऊशाला समिति	धीरघसार	25000
94.	आर.जे.326/2002	नागेश्वर पार्श्वनाथ गऊशाला	भिंडर	50000
95.	आर.जे.329/2002	श्री सुमति जीव रक्षा केन्द्र	पावपुरी	200000
96.	आर.जे.374/2002	श्री चैन पब्लिक गऊशाला संस्थान	पोकरन	50000
97.	आर.जे.380/2002	श्री कृष्ण गऊशाला संस्थान	नागौर	100000
98.	आर.जे.393/2002	झाझीदियावाला गौ सेवा सदन	गोबिंदपुर	100000
99.	आर.जे.412/2003	गौ सेवा समिति गोगासर	रतनगढ़	10000
100.	आर.जे.436/2004	गौ रक्षा समिति	पाली	60000
101.	आर.जे.445/2004	श्री वर्धमान जीव दया सेवा समिति		50000
102.	आर.जे.450/2004	श्री बावा रामदेव गौ सेवा समिति	नागौर	10000
103.	आर.जे.451/2004	श्री भद्रिया माता गऊशाला समिति	जैसलमेर	100000
104.	आर.जे.472/2004	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	जोबनेर	25000
105.	आर.जे.487/2004	श्री पंजरापौल गऊशाला-सांगनेर	जयपुर	100000
106.	आर.जे.513/2006	सामूहिक गऊशाला समिति	रायपुर	10000
107.	आर.जे.514/2006	श्री मानदेव सूरी जैन गऊशाला सेवा समिति	पाली	10000
तमिलनाडु				
108.	टी.एन.001/1964	एस.पी.सी.ए. चैन्नई	चैन्नई	25000
109.	टी.एन.017/1965	कोयम्बटूर जिला एस.पी.सी.ए.	कोइम्बटूर	25000
110.	टी.एन.056/2000	गोवर्धन	सेलियार	25000
111.	टी.एन.065/2000	तेरा अनीमा	ऊटी	25000
112.	टी.एन.072/2000	कांचीपुरम जिला एस.पी.सी.ए.	कांचीपुरम	25000
113.	टी.एन.080/2001	कामधेनू ट्रस्ट	चैन्नई	25000

1	2	3	4	5
114.	टी.एन.108/2003	इंडिया प्रोजेक्ट फार एनिमल्स एंड नेचर	मावानाला	50000
115.	टी.एन.138/2006	एस.पी.सी.ए. पुडुकोटई	पुडुकोटई	10000
116.	टी.एन.146/2006	कोठारी नचीयार ट्रस्ट	तिरुनेलवेली	10000
उत्तर प्रदेश				
117.	यू.पी.009/1993	श्री पंचायती गऊशाला	हापुड़	100000
118.	यू.पी.050/1999	मोहन गोपाल गऊशाला समिति	कानपुर नगर	10000
119.	यू.पी.058/1999	श्री गऊशाला कठार जंगल	कठार	10000
120.	यू.पी.062/1999	श्याम गौ सेवा सदन	बंसगांव	25000
121.	यू.पी.069/2000	सर्वेश्वर नारायण अंत गौ सेवा समिति	मोंट	100000
122.	यू.पी.094/2000	श्याम गऊशाला बाबा बंसीवाला	प्रेमनगर	10000
123.	यू.पी.183/2002	श्री माघ बल्लभ गऊशाला गोकुल	कस्बा गोकुल	100000
124.	यू.पी.302/2006	श्रीमती बिमलादेवी मेमोरियल गऊशाला	हरियावन	10000
पश्चिम बंगाल				
125	डब्ल्यू.बी.013/1993	हितलीजोर किशोरीबाला दाताब्या चिकित्सालय	मिदनापुर	100000
			कुल	7450000

ए.डब्ल्यू.बी.आई. योजना (कैटल रेस्क्यू ग्रांट) के तहत ए.डब्ल्यू. को जारी की गई राशि का ब्यौरा 2005-06 में स्वीकृत और जारी राशि

राज्य	नया कोड	नाम	शहर	जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	ए.पी.007/1988	एल्लूरू गौ संरक्षण समिति	एल्लूरू	87500
2.	ए.पी.011/1993	ब्लू क्रास आफ हैदराबाद	हैदराबाद	76600
हरियाणा				
3.	एच.आर.002/1991	मेवात क्षेत्र, गऊशाला समिति	फिरोजपुर	300000

1	2	3	4	5
4.	एच.आर.084/2000	आदर्श गऊशाला	गुड़गांव	79400
5.	एच.आर.105/2002	महर्षि दयानन्द सरस्वती गऊशाला	जमाल	15300
मध्य प्रदेश				
6.	एम.पी.033/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	नरसिंगार	162000
7.	एम.पी.035/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	ओझार	300000
8.	एम.पी.055/1999	श्री गोपाल गऊशाला न्यास	रतलाम	21900
9.	एम.पी.119/1999	गोपाल गऊशाला	कचनोरिया	48300
10.	एम.पी.193/2000	वृंदावन गऊशाला	भगवानपुर	110400
11.	एम.पी.259/2002	परम पूज्य संत श्री आसारामजी गौ सेवा समिति	श्योपुर	300000
राजस्थान				
12.	आर.जे.109/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	बुधीबावल	300000
13.	आर.जे.193/2000	श्री आदिनाथ पशु रक्षा संस्थान	कानोड	140100
उत्तर प्रदेश				
14.	यू.पी.011/1993	श्री कृष्ण गऊशाला	गाजियाबाद	300000
15.	यू.पी.050/1999	मोहन गोपाल गऊशाला समिति	कानपुर नगर	66700
16.	यू.पी.058/1999	श्री गौशाला कुठार जंगल	कठार	218200
17.	यू.पी.074/2000	जय गोपाल गऊशाला समिति	पिपरोली शिव	78600
18.	यू.पी.122/2001	श्री बच्चन लाल गऊशाला	मनीकोटी	50100
19.	यू.पी.124/2001	श्री बालाजी गऊशाला समिति	काठगारा	180800
20.	यू.पी.172/2002	जय श्री गोपाल गऊशाला समिति	पालरा	300000
21.	यू.पी.193/2002	पुण्यभूमि गौवंश संरक्षण संवर्धन केन्द्र	बेरामपुर	300000
22.	यू.पी.275/2004	धर्मार्थ गोपाल गऊशाला समिति	बुलंदशहर	27700
23.	यू.पी.280/2004	आदर्श ग्राम गऊशाला संस्थान	कानपुर	136800
			कुल	3600400

ए.डब्ल्यूओ.. को जारी की गई नियमित राशि का ब्यौरा 2004-05 में स्वीकृत की गई राशि और 2005-2006 में जारी की गई राशि

राज्य	नया कोड	नाम	शहर	जारी की गई धनराशि
1	2	3	4	5
असम				
1	ए.एस.007/2000	पीपुल फार एनिमल्स, गुवाहाटी	गुवाहाटी	25000
गुजरात				
2.	जी.जे.010/1991	श्री धरंगधार पंजरापौल	धरंगधार	76000
3.	जी.जे.012/1991	श्री स्याला महाजन पंजरापौल	स्याला	16000
4.	जी.जे.018/1991	श्री बोटाड महाजन पंजरापौल एंड गऊशाला	बोटाड	200000
5.	जी.जे.033/1993	श्री मोती रूद्राणी जागीर गऊशाला एंड पंजरापौल	भुज	60000
6.	जी.जे.046/1998	राजकोट महाजन पंजरापौल	राजकोट	136000
7.	जी.जे.065/1998	श्री कोडाधार पंजरापौल	थारा	75000
8.	जी.जे.075/1999	श्री गौवंश एंड पंजरापौल संस्थान	जमकोंडर्ना	122000
9.	जी.जे.116/2001	श्री ऊंजा पंजरापौल	ऊंझा	15000
10.	जी.जे.142/2002	भगवान महावीर पशु रक्षा केन्द्र	परागपुर	200000
11.	जी.जे.152/2002	शाह खोदीदास धर्मचंद पंजरापौल	जमपली पोल	35000
12.	जी.जे.188/2002	सेठ आनन्दजी कल्याण जी छपराली पंजरापौल सार्वजनिक ट्रस्ट	छपरिवाली	200000
13.	जी.जे.202/2002	श्री जूनागढ पंजरापौल गऊशाला	जूनागढ	25000
14.	जी.जे.224/2003	श्री शंभूगिरी सेवा ट्रस्ट	असोदर	25000
हरियाणा				
15.	एच.आर.004/1991	श्री कृष्ण आदर्श गऊशाला सेवा समिति	गोहाना	60000
16.	एच.आर.007/1991	अखिल भारतीय गऊशाला	पेहरावा	120000
17.	एच.आर.019/1996	राष्ट्रीय गऊशाला	धारोली	100000
18.	एच.आर.037/1999	श्री कृष्ण आदर्श गऊशाला	समालखा मंडी	10000

1	2	3	4	5
19.	एच.आर.038/1999	श्री गऊशाला ट्रस्ट	भिवानी	90000
20.	एच.आर.057/1999	श्री वैश्नव गऊशाला	हिसार	147000
21.	एच.आर.058/1999	श्री हरियाणा गऊशाला	हांसी	75000
22.	एच.आर.062/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला सेवा समिति	गोहाना मंडी	9000
23.	एच.आर.079/2000	श्री कृष्ण गऊशाला	फौगात	26000
24.	एच.आर.082/2000	श्री कृष्ण गऊशाला	मीटमाडा	5000
25.	एच.आर.120/2002	श्री गऊशाला फारुख नगर	फारुख नगर	110000
26.	एच.आर.143/2003	श्री हरियाणा कुरूक्षेत्र गऊशाला	हिसार	25000
27.	एच.आर.158/2005	श्री गऊशाला कमेटी	जगादरी	10000
हिमाचल प्रदेश				
28.	एच.आर.016/2002	एस.पी.सी.ए. सोलन	सोलन	25000
मध्य प्रदेश				
29.	एम.पी.016/1995	बाहुबली जीवरक्षण एवं पर्यावरण संस्थान	छिंदवाडा	25000
30.	एम.पी.030/1999	श्री गौतरस निवारणी गोपाल गऊशाला	बादनगर	25000
31.	एम.पी.051/1999	श्री गोवर्धन गऊशाला	अलोट	5000
32.	एम.पी.074/1999	गौ सेवा सदन समिति	जीरापुर	25000
33.	एम.पी.135/1999	श्री गुप्तेश्वर गऊशाला समिति	हरिपुरा	25000
34.	एम.पी.139/1999	च्यवनेश्वर गऊशाला समिति	कारगांव	25000
35.	एम.पी.148/1999	श्री कृष्ण गोपाल गौरक्षण एवं संवर्धन समिति	भोपाल	37000
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़)				
36.	एम.पी.041/1999	उज्ज्वल गौ रक्षण केन्द्र	रायपुर	300000
महाराष्ट्र				
37.	एम.एच.045/1998	महाराष्ट्र गोपालन समिति	मुंबई	25000
38.	एम.एच.102/2002	इंडियन हरपेटोलॉजिकल सोसायटी		50000
39.	एम.एच.103/2002	अचार्य आनन्द ऋषिजी गौरक्षण संस्थान	तन्हारा	25000

1	2	3	4	5
40.	एम.एच.115/2005	मै. जयगिरि पंजरापौल एवं गऊशाला चेरिटेबल संस्थान	औरंगाबाद	10000
उड़ीसा				
41.	ओ.आर.010/2000	अन्नापूर्णा	कटक	25000
42.	ओ.आर.026/2002	श्री कृष्ण गऊशाला	बेरहामपुर	25000
43.	ओ.आर.037/2004	जिला एस.पी.सी.ए. नयागढ़	नयागढ़	10000
पंजाब				
44.	पी.जे.045/2000	श्री गऊशाला कमेटी	मुक्तसर	35000
राजस्थान				
45.	आर.जे.007/1991	श्री उमेद गऊशाला	सोजासिटी	56000
46.	आर.जे.039/1997	राजस्थान गऊशाला संघ (कन्हैया गऊशाला)	जोधपुर	45000
47.	आर.जे.050/1998	श्री गोपाल गोवर्धन गऊशाला (4 ब्रांच)	संचोर	200000
48.	आर.जे.053/1998	सिवांची गेट गऊशाला	जोधपुर	26000
49	आर.जे.054/1998	श्री फलोदी धर्मार्थ सेवा समिति गऊशाला	फलोदी	5000
50.	आर.जे.072/1998	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	अजमेर	25000
51.	आर.जे.077/1998	श्री कृष्ण गोपाल गऊशाला	गोबिंदगढ़	25000
52.	आर.जे.118/1999	महर्षि दयानन्द गऊशाला	जोधपुर	32000
53.	आर.जे.136/1999	गौ सदन, बाजुवाला	श्रीगंगानगर	25000
54.	आर.जे.151/1999	श्री दयालु गऊ जीवजन परमार्थ संस्थान	केडापा	38000
55.	आर.जे.154/1999	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति	मंडल	20000
56.	आर.जे.176/2000	श्री शांतिनाथ गऊशाला संस्था	बाकरा रोड	25000
57.	आर.जे.226/2001	श्री राम सागर गऊशाला समिति	नेत्राना	10000
58.	आर.जे.237/2001	घरसाना गऊशाला समिति	घरसाना	13000
59.	आर.जे.330/2002	श्री गोपाल गौ रक्षण एवं संवर्धन समिति	छाबरा	25000
60.	आर.जे.333/2002	श्री रूप रजत श्री कृष्ण गऊशाला संस्था	अटबारा	20000
61.	आर.जे.435/2004	श्री गोपाल गऊशाला सेवा संस्थान	झालावार	25000

1	2	3	4	5
62.	आर.जे.491/2005	श्री केटेश्वर गौ सेवा समिति	सिरासाना	10000
63.	आर.जे.493/2005	श्री शीतल गऊशाला समिति	मंड्रेला	10000
64.	आर.जे.497/2005	श्री गोपाल गऊशाला ट्रस्ट	बिल्लारा	10000
65.	आर.जे.498/2005	श्री गोवर्धन गऊशाला समिति	कन्वालीसर	10000
तमिलनाडु				
66	टी.एन.124/2004	यशोदा एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट	चेन्नई	10000
उत्तर प्रदेश				
67.	यू.पी.069/2000	सर्वेश्वर नारायण अनाथ गौ सेवा समिति	मोंट	20000
68.	यू.पी.285/2004	निर्मल सेवा संस्थान	गोरखपुर	10000
			कुल	3389000

ए.डब्ल्यू.ओ. की सूची जिन्हें 2004-2005 के दौरान नियमित अनुदान जारी किया गया

राज्य	कोड नं.	नाम	शहर	जारी अनुदान
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	ए.पी.004/1972	एस.पी.सी.ए. काकीनाडा	काकीनाड़ा	25000
2.	ए.पी.007/1988	एल्लुरू गौ संरक्षण समिति	एल्लुरू	25000
3.	ए.पी.011/1993	ब्लू क्रास आफ हैदराबाद	हैदराबाद	32000
4.	ए.पी.013/1996	श्री गौसंरक्षण पुन्याआश्रम	सतेनापल्ली	25000
5.	ए.पी.016/1998	विशाका एस.पी.सी.ए.	विशाखापटनम	58000
6.	ए.पी.017/1998	इंटरनेशनल एनीमल एण्ड वर्ल्ड वेलफेयर सोसायटी	गुंटूर	25000
7.	ए.पी.021/1999	रॉयल यूनिट फार प्रिवेन्शन आफ एनिमल्स	उर्वाकोंडा	25000
8.	ए.पी.024/1999	श्री राघवेन्द्र पशु संरक्षण संगम	कुड्डपा	25000
9.	ए.पी.028/1999	सुरभि गऊशाला	जागीताल	25000
10.	ए.पी.030/1999	बालाजी एनिमल वेलफेयर सोसायटी	वेंकटागिरी	25000

1	2	3	4	5
11.	ए.पी.032/1999	राष्ट्रीय गोकुल संरक्षण केन्द्र	धर्मावरम	25000
12.	ए.पी.033/2000	श्री महावीर गऊशाला फाउंडेशन ट्रस्ट	तिरूपति	30000
13.	ए.पी.034/2000	साईं राम एनिमल वेलफेयर सोसायटी	कड्डापा	25000
14.	ए.पी.037/2000	फाउंडेशन फार एनिमल्स ट्रस्ट	नेलोर	30000
15.	ए.पी.038/2000	सोसायटी आफ एनिमल वेलफेयर	कोठागोदाम	25000
16.	ए.पी.040/2000	एस.पी.सी.ए. कुरनूल	कुरनूल	25000
17.	ए.पी.042/2000	पीपल आफ एनिमल्स हैदराबाद एंड सिकंदराबाद	सिकंदराबाद	100000
18.	ए.पी.043/2000	सेंटर फार एनिमल रिहेबिलीटेशन एंड एनवायरमेंट (केयर)	बेरडीपल्ली	25000
19.	ए.पी.044/2000	इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एनिमल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन	वी. कोटा	25000
20.	ए.पी.045/2000	श्रीनिधि एनिमल वेलफेयर सोसायटी	वी. कोटा	25000
21.	ए.पी.048/2000	ग्रीन मर्सी	विशाखापटनम	25000
22.	ए.पी.053/2000	श्री श्री राधा गोविंद गौ रक्षा समिति	तिरूपति	28000
23.	ए.पी.054/2000	ब्लू क्रास यूथ सेवा संगम	ऐरागुडु	25000
24.	ए.पी.056/2000	एनिमल केयल लैंड	तिरूपति	25000
25.	ए.पी.058/2000	श्री कृष्ण एनिमल वेलफेयर सोसायटी	नेलोर	25000
26.	ए.पी.061/2001	श्री कुमारपाल जीवदया ट्रस्ट	जंगमपाली	25000
27.	ए.पी.062/2001	पीपुल फार एनिमल्स, काकीनाडा	काकीनाडा	25000
28.	ए.पी.064/2002	करूणा सोसायटी फार एनिमल्स एंड नेचर	पुट्टपार्थी	25000
29.	ए.पी.071/2002	आदर्श एस.पी.सी.ए.	गोरनटिया	25000
30.	ए.पी.072/2002	श्री विजयवाडा गौ संरक्षण संगम	विजयवाडा	25000
31.	ए.पी.077/2002	सोसायटी फार हेल्थ, एजुकेशन एनवायरमेंट एंड पीपल (शीप)	चित्तौड़	10000
32.	ए.पी.079/2003	श्री सत्यसाई काऊ प्रोटेक्शन सेवा समिति	कुड्डप्पा	25000
33.	ए.पी.080/2003	शांति निकेतन इंस्टीट्यूट आफ एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट	हिंदूपुर	25000
34.	ए.पी.083/2004	श्री कार्तिकेन एनिमल वेलफेयर सोसायटी	चिराला	10000

1	2	3	4	5
35.	ए.पी.084/2004	श्री कृष्ण मुरारी गौ संरक्षण समिति (ट्रस्ट)	चित्तौड़	10000
36.	ए.पी.085/2004	ब्लू क्रास एनिमल एंड्र एनवायरमेंट सोसायटी	विशाखापटनम	10000
37.	ए.पी.086/2004	एनिमल वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	गुरमकोडा	10000
असम				
38.	ए.एस.008/2002	अर्ली बार्ड्स	गोवाहाटी	25000
39.	ए.एस.012/2003	असम गौ सेवा समिति	गोवाहाटी	25000
बिहार				
40.	बी.एच.007/1995	ब्लू क्रास सोसायटी	मधुवनी	25000
41.	बी.एच.014/1999	जमशेदपुर एनिमल वेलफेयर सोसायटी	जमशेदपुर	25000
42	बी.एच.021/2000	श्री कृष्ण गऊशाला	गौरक्षणी	25000
43.	बी.एच.023/2000	श्री गोपाल गऊशाला	पाकुर	25000
44.	बी.एच.033/2002	दाउदपुर सेवा संस्थान	दाउदपुर	25000
45.	बी.एच.036/2004	ग्रामीण विकास संस्थान		10000
46.	डब्ल्यू.बी.006-5/1991	कलकत्ता पंजरापौल सोसायटी	झुलझुल	25000
47.	डब्ल्यू.बी.006-6/1991	कलकत्ता पंजरापौल सोसायटी	चकुलिया	37000
बिहार (झारखंड)				
48.	बी.एच.003/1991	श्री टाटानगर गऊशाला	जमशेदपुर	80000
49.	बी.एच.008/1999	श्री छाईबासा गऊशाला	चाईबासा	60000
50.	बी.एच.010/1999	श्री गंगा गऊशाला	खटरासगढ पी.ओ.	25000
दिल्ली				
51.	एन.डी.003/1988	द फ्रेंडीकोस-एस.ई.सी.ए.	नई दिल्ली	71000
52.	एन.डी.008/1993	दिल्ली पंजरापोल सोसायटी	नई दिल्ली	99000
53.	एन.डी.011/1993	संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर	नई दिल्ली	98000
54.	एन.डी.013/1993	सर्कल आफ एनिमल लवर्स	नई दिल्ली	54000
55.	एन.डी.017/1998	भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद	नई दिल्ली	55000
56.	एन.डी.018/1999	रुथ कोवल फाऊंडेशन	नई दिल्ली	300000

1	2	3	4	5
57.	एन.डी.021/1999	आचार्य सुशील गौ सदन	नई दिल्ली	69000
58.	एन.डी.022/1999	सोसायटी फार एनिमल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन	नई दिल्ली	25000
59.	एन.डी.024/1999	सोनादी चेरिटेबल ट्रस्ट	नई दिल्ली	25000
60.	एन.डी.026/2000	मानव गौ सदन	नई दिल्ली	60000
61.	एन.डी.027/2000	डाबर हरे कृष्ण गऊशाला	नई दिल्ली	200000
62.	एन.डी.032/2002	लव 4 काऊ ट्रस्ट	नई दिल्ली	25000
63.	एन.डी.039/2002	एनिमल इंडिया ट्रस्ट	नई दिल्ली	10000
गोवा				
64.	जी.ओ.003/1999	द्वारकापुरी गौ सेवा आश्रम	पोंडा	25000
65.	जी.ओ.004/2000	गोवा एस.पी.सी.ए. सोक्रेट्स सहित	गोवा	25000
66.	जी.ओ.005/2005	पंजिम एनीमल वेलफेयर सोसायटी	पणजी	10000
गुजरात				
67.	जी.जे.235/2004	पूज्य तपस्वी बापू स्मृति गौ सेवा ट्रस्ट	लिम्डी	10000
68.	जी.जे.012/1991	श्री स्याला महाजन पंजरापौल	सायला	40000
69.	जी.जे.014/1991	श्री इदर पंजरापौल संस्था	इदर	40000
70.	जी.जे.016/1991	श्री वृंदावन गऊशाला जीवदया ट्रस्ट	जीवापुर	25000
71.	जी.जे.018/1991	श्री बोटाड महाजन पंजरापौल एंड गऊशाला	बोटाड	100000
72.	जी.जे.019/1991	श्री सीधपुर पंजरापौल	सिधपुर	40000
73.	जी.जे.020/1991	श्री बावरा पंजरापौल	बाबरा	30000
74.	जी.जे.023/1991	श्री कच्छ मुद्रा पंजरापौल एंड गऊशाला	कच्छ	300000
75.	जी.जे.024/1991	श्री अनजार पंजरापौल	कच्छ	100000
76.	जी.जे.025/1991	श्री विंछया महाजन पंजरापौल ट्रस्ट	राजकोट	37000
77.	जी.जे.027/1991	बड़ोदरा एस.पी.सी.ए.	बरोदा	25000
78.	जी.जे.028/1993	श्री गऊशाला सेवा समिति	कच्छ	40000
79.	जी.जे.031/1994	श्री ओखरा कृष्ण गऊशाला	ओखरा पोर्ट	38000

1	2	3	4	5
80.	जी.जे.033/1993	श्री मोती रूद्रानी जागीर गऊशाला एंड पंजरापौल	भुज	40000
81.	जी.जे.034/1998	श्री जखाऊ पंजरापौल ट्रस्ट एंड गऊशाला	जकाऊ	26000
82.	जी.जे.038/1995	श्री सावरकुंडला गऊशाला	शिवरकुंटला	40000
83.	जी.जे.039/1996	श्री भावनगर पंजरापौल	भावनगर	272000
84.	जी.जे.042/1997	श्री महुवा गौ रक्षक सभा	महुवा	40000
85.	जी.जे.046/1998	राजकोट महाजन पंजरापौल	राजकोट	100000
86.	जी.जे.052/1998	श्री मंडल महाजन पंजरापौल	मंडल	300000
87.	जी.जे.055/1998	श्री जीवदया मंडल	कच्छ	200000
88.	जी.जे.073/1998	राधानपुर खोडादार पंजरापौल संस्था	राधानपुर	100000
89.	जी.जे.076/1999	श्री गौ रक्षण संस्था	पालीताना	120000
90.	जी.जे.078/1999	श्री पुरुषोत्तमलाल जी गोलक सेवाधाम ट्रस्ट	धारी ताल	66000
91.	जी.जे.086/1999	श्री वांकनेर पंजरापौल गऊशाला	वांकनेर	40000
92.	जी.जे.089/1999	श्री छोटिला पंजरापौल ट्रस्ट	सुरेन्द्रनगर	40000
93.	जी.जे.095/2000	गीतावेन रमिया स्मृति अहिंसा ट्रस्ट	अहमदाबाद	25000
94.	जी.जे.097/2000	श्री वडोदरा पंजरापौल संस्था	बडोदरा	55000
95.	जी.जे.098/2000	बिलखा गौ रक्षण पंजरापौल	बिल्का	25000
96.	जी.जे.105/2000	श्री हरिजी पंजरापौल संस्था	हारिज	40000
97.	जी.जे.111/2000	श्री भायवादर पंजरापौल	भायादार	15000
98.	जी.जे.116/2001	श्री ऊंजा पंजरापौल	ऊंझा	40000
99.	जी.जे.120/2001	श्री राजुला गऊशाला	राजुला सिटी	25000
100.	जी.जे.126/2001	श्री रामरोटी अन्नक्षेत्र आश्रम	कोठारिया	80000
101.	जी.जे.128/2001	श्री सोमारपुरी महाजन गऊशाला आश्रम सेवा ट्रस्ट	सुमेरपुरा	200000
102.	जी.जे.131/2001	श्री भुजपुर पंजरापौल	भुजपुर	25000
.103.	जी.जे.135/2001	श्री थासा जंक्शन गौशाला	धासा जंक्शन	80000
104.	जी.जे.139/2002	श्री जेतपुर पंजरापौल महाजन	जेतपुर	25000

1	2	3	4	5
105.	जी.जे.142/2002	भगवान महावीर पशु रक्षा केन्द्र	परागपुर	100000
106.	जी.जे.144/2002	कल्पतरू गऊशाला चेरिटेबल ट्रस्ट	शिकरा	30000
107.	जी.जे.161/2002	वडाला पंजरापौल	बड़ाला	40000
108.	जी.जे.174/2002	गौ सेवा सदन	संनद	25000
109.	जी.जे.188/2002	सेठ आनन्दजी कल्याणजी छपराली पंजरापौल सार्वजनिक ट्रस्ट	छपरीपली	100000
110.	जी.जे.189/2002	श्री यतिंद्र जयंत सार्वजनिक गऊशाला ट्रस्ट	झालोद	25000
111.	जी.जे.194/2002	श्री जीवदया गौ सेवा समाज ट्रस्ट	ललितपुर	33000
112.	जी.जे.212/2002	संत विनोबा ग्राम स्वराज आश्रम गऊशाला	अहमदाबाद	7000
113.	जी.जे.214/2002	स्वामी श्री तेजानंद महाराज टेम्पल पंजरापौल	खारवासा	25000
114.	जी.जे.215/2002	श्री केवलपुंजी गऊशाला ट्रस्ट	थाली	37000
115.	जी.जे.227/2003	श्री कोठ पंजरापौल		25000
116.	जी.जे.229/2004	सर्यात जैन पंजरापौल		10000
117.	जी.जे.230/2004	आशीर्वाद चेरिटेबल ट्रस्ट	सुदासना	10000
118.	जी.जे.231/2004	श्री कल्याण राय सार्वजनिक चेरिटेबल ट्रस्ट	वडोदरा	10000
119.	जी.जे.232/2004	श्री साई श्याम गऊशाला	बड़ौदा	10000
120.	जी.जे.233/2004	श्री सहजानन्द गऊशाला	कोडव	10000
121.	जी.जे.234/2004	खेडा जिल्ला महिला एंड बाल विकास संघ	अहमदाबाद	10000
122.	जी.जे.236/2002	श्री सुर्थी पंजरापौल	कच्छ	25000
123.	जी.जे.237/2004	ऋषिभूमि प्रायथुतिया	कल्वा	10000
हरियाणा				
124.	एच.आर.002/1991	मेवात क्षेत्र गऊशाला समिति	फिरोजपुर	25000
125.	एच.आर.003/1991	अर्शा महाविद्या गुरुकुल गऊशाला	कल्वा	25000
126.	एच.आर.004/1991	श्री कृष्ण आदर्श गऊशाला सेवा समिति	गोहाना	40000
127.	एच.आर.005/1991	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	यमकेश्वर तीर्थ	60000
128.	एच.आर.006/1991	श्री कृष्ण गऊशाला	टोहाना	100000

1	2	3	4	5
129.	एच.आर.007/1991	अखिल भारतीय गऊशाला	पहरावार	100000
130.	एच.आर.008/1991	श्री कृष्ण गऊशाला	चकरी-दादरी	25000
131.	एच.आर.009/1991	श्री गऊशाला	मोहिन्द्रगढ़	100000
132.	एच.आर.011/1991	श्री गऊशाला शाला डेयरी दत्ता	दत्ता	200000
133.	एच.आर.013/1991	श्री रामकृष्ण गौ सेवा सदन धर्मार्थ सभा	बपोली	25000
134.	एच.आर.014/1991	श्री गऊशाला सोसायटी	पानीपत	170000
135.	एच.आर.017/1994	श्री गोपाल गऊशाला	नारनौल	40000
136.	एच.आर.018/1994	श्री लाडवा गऊशाला	लाडवा	91000
137.	एच.आर.019/1996	राष्ट्रीय गऊशाला	घरोली	200000
138.	एच.आर.025/1998	श्री कृष्ण गोपाल गऊशाला	झुंडला	25000
139.	एच.आर.032/1998	अखिल भारतीय महर्षि दयानन्द गऊशाला	रोहतक	37000
140.	एच.आर.036/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	नानगुरा	40000
141.	एच.आर.037/1999	श्री कृष्ण आदर्श गऊशाला	स्मालखा मंडी	40000
142.	एच.आर.038/1999	श्री गऊशाला ट्रस्ट	भिवानी	100000
143.	एच.आर.039/1999	जय बजरंगबली गऊशाला	थानेश्वर	25000
144.	एच.आर.042/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	सिवानी मंडी	100000
145.	एच.आर.043/1999	एस.पी.सी.ए. जिला यमुनानगर	यमुनानगर	25000
146.	एच.आर.045/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	उकलाना मंडी	165000
147.	एच.आर.047/1999	श्री कृष्ण गऊशाला चेरिटेबल ट्रस्ट	सक्रेरी	30000
148.	एच.आर.049/1999	श्री स्वामी गौरक्षानन्द गऊशाला	सफीडॉन	75000
149.	एच.आर.051/1999	श्री स्वामी गौरक्षानन्द गऊशाला	जुलाना	174000
150.	एच.आर.052/1999	श्री गऊशाला बाबा फुलु साध	उचाना खुर्द	260000
151.	एच.आर.053/1999	श्री सोमनाथ गऊशाला	जींद	77000
152.	एच.आर.054/1999	श्री गऊशाला	जींद	100000
153.	एच.आर.057/1999	श्री वैष्णव अग्रसेन गऊशाला	हिसार	53000

1	2	3	4	5
154.	एच.आर.058/1999	श्री हरियाणा गऊशाला	हांसी	200000
155.	एच.आर.059/1999	श्री गऊशाला	रोहतक	100000
156.	एच.आर.060/1999	श्री गऊशाला	सिरसा	100000
157.	एच.आर.061/1999	श्री बालाजी गऊशाला	जींद	25000
158.	एच.आर.062/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला सेवा समिति	गोहाना मंडी	40000
159.	एच.आर.063/1999	गऊमठ (गऊशाला)	जिला भिवानी	25000
160.	एच.आर.071/2000	श्री चेतनदास गौ संवर्धन संस्थान	गुड़गांव	25000
161.	एच.आर.072/2000	धर्मार्थ गऊशाला	भाटगांव	25000
162.	एच.आर.076/2000	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	पांडु पिंडारा	40000
163.	एच.आर.078/2000	श्री गोपाल गऊशाला	बारवाला	40000
164.	एच.आर.079/2000	श्री कृष्ण गऊशाला	फौगाट	40000
165.	एच.आर.080/2000	श्री 108 ब्रह्मचारीणी जयराम दास पंचायती गऊशाला	बेरी	50000
166.	एच.आर.082/2000	श्री कृष्ण गऊशाला	भितमाडा	40000
167.	एच.आर.083/2000	श्री जयराम पंचायती गऊशाला समिति	जाखोली	100000
168.	एच.आर.085/2000	श्री कृष्ण गऊशाला	रतिया	185000
169.	एच.आर.086/2000	श्री बाबा गुडदिया गऊशाला	माधोगढ़	25000
170.	एच.आर.093/2001	आर्य पशु क्रूरता निवारण समिति	पटियाला चौक	25000
171.	एच.आर.095/2001	लार्ड शिव गऊशाला समिति	शाहपुर	40000
172.	एच.आर.097/2001	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	गुरूकुल	25000
173.	एच.आर.099/2002	महर्षि दयानन्द गऊशाला	झज्जर	25000
174.	एच.आर.100/2002	श्री वंश व्यायामशाला एवं गऊशाला	रोहतक	25000
175.	एच.आर.102/2002	श्री गोपाल गौ सदन	जींद	100000
176.	एच.आर.103/2002	गऊ सेवा समिति	इस्माईलाबाद	25000
177.	एच.आर.104/2002	श्री कृष्ण गोपाल गऊसेवा सदन सभा	चीता मंडी	100000
178.	एच.आर.108/2002	श्री जयराम आदर्श गऊशाला	पुंडरी	40000

1	2	3	4	5
179.	एच.आर.111/2002	आदर्श गऊशाला	झज्जर	25000
180.	एच.आर.116/2002	शिव शक्ति गऊशाला	कडलवा	200000
181.	एच.आर.123/2002	गौ सेवा समिति	कैथल	100000
182.	एच.आर.124/2002	ज्योतिपुंज गऊशाला	टोहाना	40000
183.	एच.आर.128/2002	महर्षि दयानन्द सरस्वती गऊशाला	नाथुसराय कलां	40000
184.	एच.आर.131/2002	गेहलू ज्ञान भारती शिक्षा समिति	फरमाना	25000
185.	एच.आर.132/2002	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	सिरसा	25000
186.	एच.आर.134/2002	श्री कृष्ण गऊशाला सेवा समिति	सिरसा	25000
187.	एच.आर.136/2002	श्री गऊशाला सादेवाला	सिरसा	10000
188.	एच.आर.137/2002	श्री हरियाणा गऊशाला	फतेहाबाद	25000
189.	एच.आर.141/2002	श्री गोपाल गऊशाला	हांसी	66000
190.	एच.आर.144/2003	गऊशाला माघद	कालायत	152000
191.	एच.आर.145/2003	श्री दयानन्द गऊशाला समिति	बडोजी गहवर	25000
192.	एच.आर.149/2003	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	ढांड	25000
193.	एच.आर.151/2004	बाबा मूंगानाथ गऊशाला	रनिया	10000
194.	एच.आर.152/2004	श्री कृष्ण सेवा दल	भिवानी	10000
195.	एच.आर.155/2004	जीव संजीवनी	जींद	10000
196.	एच.आर.157/2005	श्री कृष्ण चंद्रा गऊशाला	बानी	10000
हिमाचल प्रदेश				
197.	एच.पी.003/1998	ब्लू क्रास आफ हिमाचल प्रदेश	पालमपुर	25000
198.	एच.पी.021/2004	श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ गौ विज्ञान केन्द्र	बिलासपुर	10000
जम्मू-कश्मीर				
199.	जे.के.002/1999	जम्मू कश्मीर गौ रक्षा समिति	जम्मू	34000
कर्नाटक				
200.	के.ए.001/1965	मैसूर पंजरापौल सोसायटी	मैसूर	100000

1	2	3	4	5
201.	के.ए.003/1987	द हुबली पंजरापौल संस्था	हुबली	25000
202.	के.ए.004/1993	कम्पेशन अनलिमिटेड प्लस एक्शन	बंगलौर	25000
203.	के.ए.005/1985	श्री राघवेन्द्र गौ आश्रम ट्रस्ट	बंगलौर	25000
204.	के.ए.017/1999	वाइल्ड लाइफ रिस्क्यू एंड रिहैबिलीटेशन सेंटर	बंगलौर	25000
205.	के.ए.034/2004	प्रेम छाया		10000
206.	के.ए.035/2004	एस.पी.सी.ए. हसन	हसान	10000
207.	के.ए.037/2004	ग्राम विकास सोसायटी	अगलाकुर्थी	10000
208.	के.ए.038/2004	श्री महावीर जैन गऊशाला	कोप्पल	10000
केरल				
209.	के.एल.001/1966	एस.पी.सी.ए. पालघाट (पालाक्कड)	पालघाट	25000
210.	के.एल.009/1994	द मालावार एनिमल लवर्स एसोसिएशन	कालीकट	25000
211.	के.एल.010/1994	एस.पी.सी.ए. कोल्लाम	कोल्लम	25000
212.	के.एल.021/2002	द एनिमल क्रूयल्टी एंड ट्रार्चर परिवेंशन स्क्वाड	वायनाड	10000
213.	के.एल.022/2002	दया (सोसायटी फार द प्रिवेंशन आफ क्रूयेल्टी टू एनिमल्स)	मुदावूर	25000
214.	के.एल.025/2004	समार्ट एसोसिएशन		10000
215.	के.एल.026/2005	इदुक्की एस.पी.सी.ए.	थोडुपुझा	10000
216.	के.एल.027/2005	पीपुल फार एनिमल्स-कोल्लम	कोल्लम	10000
मध्य प्रदेश				
217.	एम.पी.004/1991	श्री गोपाल गऊशाला	ग्वालियर	25000
218.	एम.पी.006/1991	श्री गऊशाला सदाव्रत कमेटी	सतना	25000
219.	एम.पी.007/1991	श्री अखिलानन्द सरस्वती ग्रामीण गऊशाला	दलूडा	25000
220.	एम.पी.010/1991	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	विदिशा	25000
221.	एम.पी.011/1991	बृज मोहन रामकली गौ संरक्षण केन्द्र	भोपाल	80000
222.	एम.पी.021/1998	श्री गोपाल गऊशाला	शिवपुरकलां	142000
223.	एम.पी.022/1998	गौ संरक्षण सेवा समिति	कुरवई	25000

1	2	3	4	5
224.	एम.पी.027/1998	पीपुल फार एनिमल	ग्वालियर	25000
225.	एम.पी.028/1999	आनन्द गऊशाला	अन्जाड पी. नीमगढ़	25000
226.	एम.पी.033/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	नरसिंगार	25000
227.	एम.पी.035/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशालो	ओझार	57000
228.	एम.पी.037/1999	श्री सीता पंचवटी गऊशाला	आगरा	40000
229.	एम.पी.043/1999	श्री गोपाल गऊशाला समिति	धार	30000
230.	एम.पी.045/1999	श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर गौ सेवा समिति	रामटेकरी	25000
231.	एम.पी.050/1999	गौवंश रक्षण समिति	वरासीवनी	40000
232.	एम.पी.051/1999	श्री गोवर्धन गऊशाला	अलोट	40000
233.	एम.पी.052/1999	संत श्री रोटीरामजी गऊशाला	बेहपुर	40000
234.	एम.पी.054/1999	श्री गोपाल इफ्तिसार गऊशाला	ज्वारा	40000
235.	एम.पी.055/1999	श्री गोपाल गऊशाला न्यास	रतलाम	25000
236	.एम.पी.058/1999	दायोदय गौ सेवा जीवरक्षण एवं पर्यावरण संस्थान	खुराई	25000
237.	एम.पी.060/1999	श्री श्रेयशनाथ पशु रक्षा केन्द्र	मंडसार	25000
238.	एम.पी.063/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	किशोरपुरा	42000
239.	एम.पी.072/1999	सियाराम लोक कल्याण गौ सेवा परिषद	गोथ	25000
240.	एम.पी.084/1999	कामधेनु गौ सदन संचालन समिति	सत्वा	25000
241.	एम.पी.085/1999	संत आसाराम गौ सेवा श्रायोग वेदांत सेवा समिति	शाहजहापुर	25000
242.	एम.पी.089/1999	अर्जुन गऊशाला	नरसिंहपुर	25000
243.	एम.पी.092/1999	माधव गऊशाला	अगर मालवा	25000
244.	एम.पी.100/1999	देवनारायन गऊशाला समिति	राजगढ़	25000
245.	एम.पी.108/1999	जल्पमाता गऊशाला समिति	राजगढ़	25000
246.	एम.पी.109/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	राजगढ़	50000
247..	एम.पी.110/1999	स्वामी राधाकृष्ण गऊशाला ट्रस्ट	सेंधवा	30000
248.	एम.पी.132/1999	सतगुरू कबीर धर्मदास गऊशाला	देवास	30000

1	2	3	4	5
249.	एम.पी.138/1999	श्री बजरंग गौ सेवा समिति	मछलपुर	25000
250.	एम.पी.147/1999	दायोदय पशु सेवा केन्द्र गऊशाला	कटनी	16485
251.	एम.पी.149/1999	महामृत्युंज्य गऊशाला	हुजूर	28000
252.	एम.पी.156/1999	गौ सेवा समिति	करकाबेल	25000
253.	एम.पी.171/1999	सतगुरू नीलकंठ गौ सेवा सदन	देवास	25000
254.	एम.पी.173/1999	शबरी गऊशाला समिति	भामती	25000
255.	एम.पी.182/1999	श्री गौतम गौ संवर्धन सोध संस्थान	बादनगर	30000
256.	एम.पी.183/1999	श्री राम गऊशाला एवं पर्यावरण केन्द्र	हाता	25000
257.	एम.पी.186/2000	दायोदई पशु सेवा समिति	गदरवारा	25000
258.	एम.पी.188/2000	श्री बालाजी मंदिर गऊशाला	पंढाना	25000
259.	एम.पी.190/2000	सवालिया गौ सेवा आश्रम	राजगढ	30000
260.	एम.पी.192/2000	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	खंडवा	25000
261.	एम.पी.193/2000	वृंदावन गऊशाला	भगवानपुर	25000
262.	एम.पी.194/2000	गोपाल दास गौ सेवा आश्रम	मानिकूट	25000
263.	एम.पी.196/2000	श्री अहिल्या माता गऊशाला जीवदया मडल	इंदौर	40000
264.	एम.पी.204/2000	मां नर्मदा गऊशाला सेवा समिति	खेलकच्छ	25000
265.	एम.पी.205/2000	दायोदय पशु सेवा समिति	धनौरा	25000
266.	एम.पी.214/2000	सर्वोदय पशु संरक्षण समिति	सिलवानी	25000
267.	एम.पी.215/2001	पी.एफ.ए. मुरैना	मुरैना	25000
268.	एम.पी.216/2001	इंटरनेशनल वाईल्ड लाईफ एंड टाईगर संरक्षण एन.जी.ओ. ग्रुप	जबलपुर	36450
269.	एम.पी.217/2001	बांके बिहारी गऊशाला	टिकरी	25000
270.	एम.पी.222/2001	दायोदय पशु सेवा सदन	गंज बासुदा	30000
271.	एम.पी.225/2001	दायोदय जीव रक्षा संस्थान (गऊशाला)	सिवनी	25000
272.	एम.पी.236/2002	अचार्य विद्यासागर पशु संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार समिति	बांदा	30000

1	2	3	4	5
273.	एम.पी.237/2002	श्री खांडेश्वरी गऊशाला समिति	जग्गाखेडी	25000
274.	एम.पी.240/2002	श्री गोपाल गऊशाला	भिंड	25000
275.	एम.पी.250/2002	जय श्री कृष्ण गऊशाला समिति	खामखेड़ा	25000
276.	एम.पी.257/2002	श्रीमद् भागवत गऊशाला समिति	नीमच	25000
277.	एम.पी.259/2002	परम पूज्य संत श्री आसारामजी गौ सेवा समिति	शोयपुर	25000
278.	एम.पी.261/2002	श्री शांतिनाथ पशु रक्षक केन्द्र गऊशाला	चिटाखेडा	29000
279.	एम.पी.262/2002	आचार्य श्री विद्यासागर दायोदई पशु सेवा केन्द्र	तेंदुखेड़ा	25000
280.	एम.पी.264/2002	श्री मानस गीता गऊशाला	बारादारी	25000
281.	एम.पी.269/2002	श्री विद्यासागर गौ रक्षा एवं संवर्धन समिति	पवई	25000
282.	एम.पी.270/2002	दायोदय पशु सेवा केन्द्र	पपुरा	75000
283.	एम.पी.271/2002	गौ सेवा भारती	बैरसिया	27000
284.	एम.पी.272/2002	संत सुखराम दास बाबा गऊशाला	नौगांव	25000
285.	एम.पी.273/2002	श्री कृष्ण योगेश्वर गऊशाला	शाहजापुर	28000
286.	एम.पी.275/2002	श्री दयोदय पशुधन संरक्षण समिति	हर्दा	25000
287.	एम.पी.278/2002	गौ भारती सेवा समिति	भोपाल	33000
288.	एम.पी.280/2003	परमदेव श्री कृष्ण गऊशाला	शाहजापुर	25000
289.	एम.पी.281/2003	गौ रक्षा समिति		25000
290.	एम.पी.282/2003	श्री गोवर्धन गऊशाला		10000
291.	एम.पी.283/2004	संत सिधजी गऊशाला समिति		10000
292.	एम.पी.284/2004	एनिमल कैयर एण्ड केयर	ग्वालियर	10000
293.	एम.पी.285/2004	श्री गोविन्द गऊशाला समिति	करेडी	10000
294.	एम.पी.286/2004	श्री चांद गऊशाला	खंडवा	10000
295.	एम.पी.287/2004	श्री गोपाल गऊशाला	शाहजापुर	25000
296.	एम.पी.288/2004	श्री गीताधाम गऊशाला	जबलपुर	10000
297.	एम.पी.289/2004	श्री रामकृष्ण महावीर न्यास	उज्जैन	10000

1	2	3	4	5
298.	एम.पी.290/2004	कामधेनु गऊशाला	भोपाल	10000
299.	एम.पी.291/2004	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला		10000
300.	एम.पी.293/2004	सिद्धि विनायक सेवा समिति	भोपाल	10000
301.	एम.पी.294/2004	मां वैश्नव देवी गऊशाला	छान	10000
302.	एम.पी.295/2004	केश्व गऊशाला	धुंआनखेरी	10000
303.	एम.पी.297/2004	श्री सतगुरू कृपा गऊशाला	पिपारिया	10000
304.	एम.पी.298/2004	कामधेनु गोवर्धन समिति	भोपाल	10000
305.	एम.पी.299/2004	उत्कर्ष जीवदया एवं पशु पर्यावरण शोध केन्द्र	मछेराकल्यान	10000
306.	एम.पी.300/2004	अवधूत सुरभि शाला	दोलज	10000
307.	एम.पी.301/2004	स्व. पंडित धुलीचंद तेंगुरिया स्मृति गऊशाला	देगुआ	10000
308.	एम.पी.302/2005	सोनाचल सुरभि गौ सेवा आश्रम	अमरपुर	10000
309.	एम.पी.303/2005	श्री श्रीजी कृपा गऊशाला	इटारसी	10000
310.	एम.पी.304/2005	श्री महामृत्युंज्य गऊशाला	भोपाल	10000
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़)				
311.	एम.पी.026/1998	श्री कृष्ण गऊशाला जीवरक्षा केन्द्र	दुर्ग	28000
312.	एम.पी.039/1999	श्री राष्ट्रीय गऊशाला ट्रस्ट	धामनतरी	25000
313.	एम.पी.296/2004	एस.पी.सी.ए. सोमनी	सोमनी	10000
महाराष्ट्र				
314.	एम.एच.002/1966	बंबई एस.पी.सी.ए.	मुम्बई	25000
315.	एम.एच.003/1991	श्री गोपालक संघ (गऊशाला संस्था) ट्रस्ट	शोलापुर	25000
316.	एम.एच.004/1991	श्री गौरक्षण संस्था धमनगांव (आर.एस.)	धामनगांव	25000
317.	एम.एच.008/1991	श्री गौरक्षण संस्था	अमरावती	28000
318.	एम.एच.013/1993	वायस आफ एनिमल्स इन डिस्ट्रेस (स्ट्रे डॉग लवर्स)	मुम्बई	25000
319.	एम.एच.014/1991	श्री वर्धवान जीवदया केन्द्र	मुम्बई	114000
320.	एम.एच.016/1991	श्री गऊशाला पंजरापौल संस्था	मालेगांव	40000

1	2	3	4	5
321.	एम.एच.021/1964	आल इंडिया एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन	मुम्बई	25000
322.	एम.एच.030/1995	अमलनेर गऊशाला (पंजरापौल)	अमलनेर	40000
323.	एम.एच.038/1997	इन डिफेंस आफ एनिमल्स	मुम्बई	25000
324.	एम.एच.039/1997	श्री गौरक्षण संस्था	अकोला	39000
325.	एम.एच.040/1998	पंजरापौल (गऊशाला) संस्था	अमदनगर	40000
326.	एम.एच.042/1998	आदर्श गौ सेवा एवं अनुसंधान प्रकालाप (आदर्श संस्कार मंडल)	अकोला	40000
327.	एम.एच.043/1998	गोवीज्ञान अनुसंधान केन्द्र	नागपुर	30000
328.	एम.एच.044/1998	श्री उज्ज्वल गोरक्षा संस्थान	चंद्रापुर	40000
329.	एम.एच.061/1999	वात्सल्य	मुम्बई	25000
330.	एम.एच.064/2000	श्री गोपाल कृष्ण गौरक्षण संस्थान	जलगांव	30000
331.	एम.एच.078/2001	लक्ष्मी इंस्टीट्यूट आफ एनिमल वेलफेयर	अमरावती	25000
332.	एम.एच.089/2002	प्लांट एंड एनिमल्स वेलफेयर सोसायटी	डोम्बविली	36628
333.	एम.एच.092/2002	पी.एफ.ए. वर्धा	गौपुरी	25000
334.	एम.एच.102/2002	इंडियन हरपेटोलोजिकल सोसायटी		100000
335.	एम.एच.106/2003	धाने एस.पी.सी.ए.		25000
336.	एम.एच.107/2004	केशव गौ सदन	पंधारपुर	10000
337.	एम.एच.108/2004	बुलधाना एस.पी.सी.ए.	बुलधाना	10000
338.	एम.एच.110/2004	श्री पंजरापौल संस्थान		1100
339.	एम.एच.111/2004	प्लांट एंड एनिमल्स वेलफेयर सोसायटी	मुम्बई	10000
340.	एम.एच.112/2004	वेदमाता गायत्री गौ रक्षण ट्रस्ट	हिंगोली	10000
341.	एम.एच.113/2004	जीव रक्षा एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट	पुणे	10000
342.	एम.एच.114/2004	श्री जीवदया मंडल	संगेश्वर	10000
मणिपुर				
343.	एम.आर.006/2000	पी.एफ.ए. मणिपुर	इम्फाल	25000
344.	एम.आर.013/2004	पीपुल फार एनिमल, इम्फाल	इम्फाल	10000

1	2	3	4	5
उड़ीसा				
345.	ओ.आर.003/1991	रायरंगपुर गऊशाला कमेटी	मयूरभंज	25000
346.	ओ.आर.005/1997	असुरेश्वर गौमंगल समिति	असुरेश्वर	25000
347.	ओ.आर.006/1998	उड़ीसा स्टेट काउंसिल फार एनिमल वेलफेयर	भुवनेश्वर	25000
348.	ओ.आर.007/1998	मैत्री क्लब	भाटापाड़ा	25000
349.	ओ.आर.009/1999	एक्शन फार प्रोटेक्शन आफ वाइल्स एनिमल्स	केंद्रपाड़ा	25000
350.	ओ.आर.015/2001	कल्याणी	मैत्रात्रिलोचनपुर	25000
351.	ओ.आर.016/2001	पुपुल फार एनीमल्स-भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	25000
352.	ओ.आर.017/2001	श्री राम गऊशाला ट्रस्ट	पुरी	25000
353.	ओ.आर.023/2002	जीव हितैषी संघ	ढोलमुंडई	25000
354.	ओ.आर.025/2002	जीवन विकास	लिनोडा	25000
355.	ओ.आर.029/2002	इंस्टीट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट स्टडीज	भुवनेश्वर	25000
356.	ओ.आर.030/2002	पीपुल फार एनिमल्स राऊरकेला	जवाघाट	25000
357.	ओ.आर.033/2002	पीपुल फार एनिमल्स	बेहरामपुर	25000
358.	ओ.आर.035/2003	ग्राम्य विकास संसद	मध्यकांड	25000
पंजाब				
359.	पी.जे.003/1991	अमृतसर पंजरापोल गऊशाला	अमृतसर	40000
360.	पी.जे.004/1991	एस.पी.सी.ए. चंडीगढ़	चंडीगढ़	25000
361.	पी.जे.005/1999	निस्वार्थ पशु सेवा सोसायटी	पटियाला	25000
362.	पी.जे.008/1999	पीपुल फार एनिमल्स-लुधियाना	लुधियाना	25000
363.	पी.जे.017/1999	अनाथ गौ आश्रम	रामपुराफुल	25000
364.	पी.जे.018/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	मंडी गोबिंदगढ़	40000
365.	पी.जे.022/2000	श्री शिव मंदिर गऊशाला कमेटी	पंचायटी	40000
366.	पी.जे.027/2000	गोपाल गऊशाला गौ सेवा समिति	रोपड़	70000
367.	पी.जे.028/2000	संत बाबा लाम दासजी वीरवाले गऊशाला सौसायटी	डेरा मलकाना	25000

1	2	3	4	5
368.	पी.जे.029/2000	श्री गऊशाला कमेटी	मौर मंडी	65000
369.	पी.जे.030/2000	श्री हिंदू गौरक्षणी सभा	होशियारपुर	25000
370.	पी.जे.032/2000	श्री कृष्ण गऊशाला दाना मंडी	जगौन	100000
371.	पी.जे.034/2000	श्री गऊशाला कमेटी	संगरूर	40000
372.	पी.जे.038/2000	पीपुल फार एनिमल्स-जालंधर	जालंधर	25000
373.	पी.जे.040/2000	अग्रवाल गऊशाला कमेटी एंड वोमैन कॉलेज कमेटी	समाना	100000
374.	पी.जे.044/2000	श्री गऊशाला प्रबंधक कमेटी	भवानीगढ	40000
375.	पी.जे.048/2000	श्री लक्ष्मी देवी गऊशाला	बटाला	26000
376.	पी.जे.052/2001	श्री कृष्ण गऊशाला	मोनक	40000
377.	पी.जे.053/2001	अपाहिज गौ सेवा आश्रम	बरनाला	82000
378.	पी.जे.056/2002	पी.एफ.ए. चंडीगढ	चंडीगढ	50000
379.	पी.जे.058/2002	एस.पी.सी.ए. मोहाली	मोहाली	25000
380.	पी.जे.062/2002	जनता गऊशाला	शेरपुर	25000
381.	पी.जे.064/2002	श्री गऊशाला	बठिंडा	25000
382.	पी.जे.069/2004	मां परमा पति गौधाम	लुधियाना	10000
383.	पी.जे.070/2004	श्री राधा माधव गौधाम	अमृतसर	10000
राजस्थान				
384.	आर.जे.001/1997	श्री गऊशाला सेवा समिति	पिलावंगम	40000
385.	आर.जे.004/1991	श्री गंगा गऊशाला	नोखा	98532
386.	आर.जे.005/1991	श्री गऊशाला	सूरतगढ	40000
387.	आर.जे.006/1991	श्री कृष्ण गुलाब गऊशाला	निम्बी जोधन	29000
388.	आर.जे.008/1991	श्री गोपाल गऊशाला	डिडवाना	25000
389.	आर.जे.009/1991	श्री गऊशाला	नोहार	200000
390.	आर.जे.010/1991	श्री गुलाब गऊशाला धर्मार्थ ट्रस्ट	जोधपुर	86000
391.	आर.जे.011/1991	श्री गऊशाला	भद्रा	40000

1	2	3	4	5
392.	आर.जे.013/1993	श्री करनी गऊशाला	देशनोके	71000
393.	आर.जे.014/1993	श्री हरदयाल गऊशाला	सिंघारावत	30000
394.	आर.जे.017/1993	हेल्प इन सफरिंग	जयपुर	25000
395.	आर.जे.018/1985	राष्ट्रीय अहिंसा प्रतिष्ठान	जोधपुर	25000
396.	आर.जे.019/1987	जीव कल्याण परिषद जयपुर (एस.पी.सी.ए. जयपुर)	जयपुर	25000
397.	आर.जे.023/1991	श्री रामशंकर गऊशाला	छापेर	30000
398.	आर.जे.024/1991	श्री गोपाल गऊशाला	सुजानगढ	40000
399.	आर.जे.027/1993	श्री राजालदेसर गऊशाला	राजालदेसर	25000
400.	आर.जे.028/1998	श्री गोपीनाथ गऊशाला	सिकर	40000
401.	आर.जे.031/1993	श्री भोपालगढ गऊशाला	जोधपुर	40000
402.	आर.जे.032/1993	श्री कृष्ण गऊशाला	रामगढ	40000
403.	आर.जे.034/1995	श्री पंजरापौल गऊशाला	पाली-मारवाड	100000
404.	आर.जे.036/1996	श्री कल्याण भूमि गौसेवा सदन	श्रीगंगानगर	150000
405.	आर.जे.037/1996	श्री बिदासर गऊशाला	बिदासर	37000
406.	आर.जे.038/1996	श्री कृष्ण गऊशाला ट्रस्ट	मारवाड	76000
407.	आर.जे.039/1997	राजस्थान गौ सेवा संघ (कन्हैया गऊशाला)	जोधपुर	40000
408.	आर.जे.040/1997	श्री गऊशाला समिति	हनुमानगढ	100000
409.	आर.जे.042/1998	श्री कृष्ण गऊशाला	उदयपुरवती	30000
410.	आर.जे.044/1998	श्री गोपाल गऊशाला	चित्तौडगढ	25000
411.	आर.जे.045/1998	श्री भगवान महावीर जैन गऊशाला ट्रस्ट	जैथारन	55000
412.	आर.जे.046/1998	श्री गोपीनाथ गऊशाला समिति	गुदागोरजी	48000
413.	आर.जे.047/1998	श्री मरूधर केसरी जैन एवं शिवगोपाल समिति	जोधपुर	34000
414.	आर.जे.048/1998	श्री कृष्ण गोपाल गौ सदन समिति	जसवंतगढ	121000
415.	आर.जे.049/1998	राजस्थान गौ सेवा संघ	जयपुर	25000
416.	आर.जे.050/1998	श्री गोपाल गोवर्धन गऊशाला (4 ब्रांच)	संचौर	100000

1	2	3	4	5
417.	आर.जे.050-1/1998	श्री खटेश्वर गऊशाला आश्रम		128000
418.	आर.जे.051/1998	सत्यपुर गौ सेवा मंडल	सत्यापुर	25000
419.	आर.जे.052/1998	श्री गुरूराज वर्धमान गौरक्षणी संस्थान	बिठाडी	25000
420.	आर.जे.053/1998	सिवांची गेट गऊशाला	जोधपुर	40000
421.	आर.जे.054/1998	श्री फलोदी धर्मार्थ सेवा समिति गऊशाला	फलोदी	40000
422.	आर.जे.055/1998	आचार्य काकासाहेब कालेरकर लोक सेवा केन्द्र	बारगांव	25000
423.	आर.जे.057/1998	श्री दादा दरबार नपाली बाबा सिद्धार्थ महादेव	जोधपुर	25000
424.	आर.जे.060/1998	श्री कृष्ण गऊशाला	परागपुर	25000
425.	आर.जे.063/1998	श्री सुगेर गऊशाला	बाड़मेर	61000
426.	आर.जे.064/1998	श्री कृष्ण गऊशाला	रायपुर	133000
427.	आर.जे.066/1998	श्री गऊशाला सुखदया सर्कल	श्रीगंगानगर	190000
428.	आर.जे.070/1998	श्री कृष्ण गऊशाला	नीमवाज	40000
429.	आर.जे.074/1998	श्री कृष्ण गऊशाला प्रबंध समिति	हरनावाद शाहजी	25000
430.	आर.जे.075/1998	जनकल्याण गोपाल गऊशाला	मरोदनगर	25000
431.	आर.जे.076/1998	श्री गोपाल गौवंश कल्याणकारी गऊशाला	नेथरा	40000
432.	आर.जे.079/1999	श्री पंचदेव महामंदिर गौ सेवा आश्रम समिति	सिकार	35000
433.	आर.जे.080/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	जोधपुर	36000
434.	आर.जे.085/1999	श्री कृष्ण गौवंश रक्षण संवर्धन समिति	छिपाबारूद	58000
435.	आर.जे.087/1999	ग्वाल गोपाल गऊशाला	चित्तौड़गढ	30000
436.	आर.जे.089/1999	श्री गिरधर गौ सेवा समिति	कोटा	50000
437.	आर.जे.090/1999	श्री गोपाल गऊशाला	पिपाद शहर	25000
438.	आर.जे.092/1999	श्री रूप रजत गऊशाला संस्थान	जोधपुर	30000
439.	आर.जे.093/1999	श्री बाबा रामदेव गऊशाला समिति	सोजासिटी	40000
440.	आर.जे.097/1999	श्री गऊशाला पिलानी	पिलानी	25000
441.	आर.जे.098/1999	श्री राधाकृष्ण गऊशाला	राधावास	31491

1	2	3	4	5
442.	आर.जे.099/1999	श्री राम गऊशाला सेवा समिति	भारनीखुरदा	54000
443.	आर.जे.105/1999	राजस्थान गौ सेवा समिति	कुचेरा	25000
444.	आर.जे.107/1999	श्री बलराम गौ सेवा सदन	रामनगर	25000
445.	आर.जे.109/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	बुद्धिवावल	76000
446.	आर.जे.110/1999	श्री जगदम्बा सेवा समिति	भद्रायुक्त	300000
447.	आर.जे.111/1999	श्री गौरी शंकर गऊशाला	बागर	25000
448.	आर.जे.115/1999	श्री ब्रह्मचारी रामकुमारजी पन्नालालजी गऊशाला धर्मार्थ ट्रस्ट	जोधपुर	116000
449.	आर.जे.116/1999	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति	सहावा	30332
450.	आर.जे.117/1999	केनिन वेलफेयर सोसायटी	बीकानेर	25000
451.	आर.जे.119/1999	भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन समिति	सीकर	40000
452.	आर.जे.122/1999	श्री ओसवाल सिंह सभा धर्मपुरा गऊशाला	जोधपुर	40000
453.	आर.जे.124/1999	श्री गोपाल गऊशाला ट्रस्ट	ओसियान	25000
454.	आर.जे.125/1999	श्री महावीर गऊशाला एवं पशु रक्षा समिति	मण्डल	33000
455.	आर.जे.126/1999	श्री गऊशाला बालोतर	बालोतरा	40000
456.	आर.जे.128/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला ट्रस्ट	जटियारन	60000
457.	आर.जे.130/1999	पशुपति कल्याण परिषद	उदयपुर	75000
458.	आर.जे.131/1999	अकाल राहत गौ सेवा संस्थान ट्रस्ट	चुरू	25000
459.	आर.जे.132/1999	हनुमान गौ संवर्धन केन्द्र	हनुमानगढ़	40000
460.	आर.जे.133/1999	शिव गऊशाला	गंगानगर केन्द्र	25000
461.	आर.जे.134/1999	कृषि गौ सेवा केन्द्र	श्रीगंगानगर	30000
462.	आर.जे.135/1999	कृषि गौ सेवा केन्द्र	छत्तरगढ़	37000
463.	आर.जे.136/1999	गौ सदन, बाजुवाला	श्रीगंगानगर	40000
464.	आर.जे.137/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	काजुवाला	29000
465.	आर.जे.139/1999	श्री मदन गऊशाला	सीकर	34000
466.	आर.जे.141/1999	श्री रामकृष्ण गऊशाला	गगराना	40000

1	2	3	4	5
467.	आर.जे.154/1999	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति	मंडल	40000
468.	आर.जे.156/1999	श्री सोमेश्वर शिव गऊशाला	जालौर	40000
469.	आर.जे.159/1999	श्री कृष्ण गौ सेवा संस्था	चुरू	27000
470.	आर.जे.163/1999	गौ सेवा शिविर (गऊशाला), चुरु	चुरू	25000
471.	आर.जे.164/1999	श्री रामदेव गऊशाला सेवा संस्थान	भाबाड़ी	25000
472.	आर.जे.171/2000	श्री पशुपति गऊशाला	जयपुर	25000
473.	आर.जे.175/2000	श्री गुरू कृपा गऊशाला	साराना	36000
474.	आर.जे.180/2000	श्री गऊशाला	करनपुर	40000
475.	आर.जे.192/2000	श्री गोपाल गौ सेवा समिति	तेहानदेसर	25000
476.	आर.जे.193/2000	श्री आदिनाथ पशु रक्षा संस्थान	कनोड	25000
477	आर.जे.195/2000	श्री गौ सेवा समिति (श्री कृष्ण गऊशाला)	गोटान	10000
478.	आर.जे.199/2000	श्री बालाजी गऊशाला संस्थान	सालासार	25000
479.	आर.जे.200/2000	श्री हरि ओम गऊशाला	बासानी	25000
480.	आर.जे.205/2000	श्री जयसिंह गऊशाला	कोटपुतली	25000
481.	आर.जे.206/2000	श्री गोपाल गऊशाला	नीम का थाना	30000
482.	आर.जे.209/2000	श्री गोपाल गऊशाला	संभरलेक	28000
483.	आर.जे.210/2000	फतेहपुर (राजस्थान) पंजरापौल सोसायटी	फतेहपुर	61000
484.	आर.जे.211/2000	श्री ओम जनता गऊशाला ट्रस्ट	मनकासास	63000
485.	आर.जे.212/2000	श्री मामदियाजी राष्ट्रीय सम्मानवाई सेवा समिति	जैसलमेर	123000
486.	आर.जे.213/2000	श्री राधे कृष्ण गऊशाला संस्था	बीघा	25000
487.	आर.जे.214/2000	श्री खटेश्वर गऊशाला समिति	ब्रह्मधाम असोतारा	37000
488.	आर.जे.216/2000	गौ रक्षा सेवा ट्रस्ट	हडोला	37000
489.	आर.जे.221/2001	श्री जय जैन गऊशाला	ताल	40000
490.	आर.जे.223/2001	श्री भगवती गौ सेवा समिति	आदसौर	10000
491.	आर.जे.226/2001	श्री राम सागर गऊशाला समिति	नेतराना	100000

1	2	3	4	5
492.	आर.जे.228/2001	स्वा. सेठ श्री केवल चन्द कोठारी जैन गऊशाला समिति	खांगता	25000
493.	आर.जे.230/2001	श्री रूप रजत शिव गऊशाला संस्थान	शिवराजपुर	25000
494.	आर.जे.237/2001	घराना गऊशाला समिति	घारसाना	100000
495.	आर.जे.243/2001	श्री पांचपद्रा गऊशाला	पांचपारदा	25000
496.	आर.जे.245/2001	श्री सूर्यकुंड गऊशाला सेवा समिति	निम्बामन्दौर	25000
497.	आर.जे.249/2001	श्री रोहिताश्व गऊशाला संस्थान	बिलादा	40000
498.	आर.जे.250/2001	ओम श्री देवेश्वर महादेव गऊशाला समिति	जादान	25000
499.	आर.जे.251/2001	श्री कृष्ण गऊशाला सेवा समिति	जोधपुर	25000
500.	आर.जे.255/2001	गोबिंद गोपाल गऊशाला	भागनारा	40000
501.	आर.जे.256/2001	श्री चंपाजी महाराज गऊशाला संस्थान	लाम्बिया	40000
502.	आर.जे.259/2001	श्री गोपाल गऊशाला समिति	गंगापुर सिटी	25000
503.	आर.जे.261/2001	श्री नादसर गौ सेवा समिति	नासौर	25000
504.	आर.जे.267/2002	श्री गुरुकृपा गौ सेवा संस्थान	नारवाखुर्द	25000
505.	आर.जे.268/2002	श्री गोपाल गौ सेवा संस्था	कोलिया	51000
506.	आर.जे.271/2002	श्री कृष्ण गऊशाला	खाडला	25000
507.	आर.जे.279/2002	श्री चारभुजा गऊशाला	बालोतरा	25000
508.	आर.जे.281/2002	श्री कृष्ण गौ सेवा संस्थान	लछारसर	25000
509.	आर.जे.282/2002	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	उदासर-चारनान	25000
510.	आर.जे.283/2002	श्री तिजारती चैम्बर सराफन गऊशाला	बेवार	40000
511.	आर.जे.287/2002	श्री बंसाली उमेद गऊशाला	जाहेव	25000
512.	आर.जे.288/2002	श्री मरूधर केसरी रूप रजत गऊशाला सेवा समिति	इन्द्रावर	30000
513.	आर.जे.290/2002	श्री महावीर हनुमान गौ वंश एवं पर्यावरण संरक्षण संवर्धन	गोलासन	120000
514.	आर.जे.298/2002	श्री रावतमुनि जैन गऊशाला सेवा समिति	भोपालगढ	30000
515.	आर.जे.301/2002	स्वामी श्री हजारीमल गौ सेवा समिति	नोखा	40000

1	2	3	4	5
516.	आर.जे.306/2002	श्री कुन्थुनाथ गौ सेवा समिति	समदारी	25000
517.	आर.जे.307/2002	श्री गोपाल गऊशाला समिति	धीरदेस	19881
518.	आर.जे.308/2002	श्री राम गौ सेवा समिति	मारवाड़	38000
519.	आर.जे.311/2002	जी.आई.जी. गऊशाला	पटियालावास	25000
520.	आर.जे.316/2002	श्री महादेव गोविंद गऊशाला विकास समिति	बंसधुनी	40000
521.	आर.जे.322/2002	श्री कृष्ण गऊशाला संस्थान	भौरुडा	25000
522.	आर.जे.326/2002	नागेश्वर पार्श्वनाथ गऊशाला	भिंडर	25000
523.	आर.जे.329/2002	श्री सुमति जीव रक्षा केन्द्र	पावापुरी	300000
524.	आर.जे.332/2002	श्री मरूधर केसरी मुनिश्वर गौ सेवा रामधाम समिति	कनवरियात	25000
525.	आर.जे.333/2002	श्री रूप रजत श्री कृष्ण गऊशाला संस्थान	अटवेरा	40000
526.	आर.जे.336/2002	राजस्थान गौ सेवा समिति	मेहरवाला	31000
527.	आर.जे.337/2002	श्री देवनारायण गऊशाला	लेसरदा	25000
528.	आर.जे.340/2002	श्री विरतेजा गौ सेवा समिति	मुण्डा	40000
529.	आर.जे.341/2002	श्री राम ट्रांसपोर्ट वेलफेयर सेसोयटी (श्री राम गऊशाला सोसायटी अधीन)	अनाज मंडी	20000
530.	आर.जे.343/2002	श्री जयसिंह श्याम गऊशाला समिति	आमेट	25000
531.	आर.जे.344/2002	श्री गऊशाला समिति	रावतसर	25000
532.	आर.जे.347/2002	श्री राजेश्वर गऊशाला संस्थान	डोली	25000
533.	आर.जे.351/2002	श्री बाल गोपाल गौ सेवाश्रम	धुरवा	41000
534.	आर.जे.352/2002	श्री शिव शक्ति गौ सेवाश्रम	लुनियाशार	60000
535.	आर.जे.353/2002	श्री लक्ष्मी नारायण गौ सेवाश्रम	प्राप्तपुरा	43000
536.	आर.जे.354/2002	श्री केदारेश्वर गौ सेवाश्रम	चौरा	80000
537.	आर.जे.355/2002	श्री राज ऋषि दिलीप	विरौल	47000
538.	आर.जे.357/2002	पशु कल्याण समिति	श्रीगंगानगर	25000
539.	आर.जे.358/2002	श्री जसनाथ गऊशाला समिति	खेतसर	25000
540.	आर.जे.361/2002	श्री भृगुऋषि गौ सेवा आश्रम समिति		69000

1	2	3	4	5
541.	आर.जे.362/2002	श्री दत्तारिया गौ सेवा आश्रम	पाठमेडा	37000
542.	आर.जे.363/2002	श्री मुरलीधर गौ सेवा आश्रम	पाठमेडा	64000
543.	आर.जे.364/2002	श्री कामधेनु गौ सेवा आश्रम	पाठमेडा	78000
544.	आर.जे.365/2002	श्री सुरभी गौ सेवा आश्रम	पाठमेडा	65000
545.	आर.जे.366/2002	श्री धेनुकेश्वर गौ सेवा आश्रम	पाठमेडा	58000
546.	आर.जे.367/2002	श्री भारतमाता गौ सेवा आश्रम	पाठमेडा	54000
547.	आर.जे.368/2002	श्री धनवनतरी सेवा आश्रम	पाठमेडा	69000
548.	आर.जे.369/2002	श्री सनातन गौ सेवा आश्रम	पाठमेडा	57000
549.	आर.जे.372/2002	श्रीराम गऊशाला सेवा संस्थान	सियात	54000
550.	आर.जे.374/2002	श्री चैन पब्लिक गऊशाला संस्थान	फूकरल	25000
551.	आर.जे.378/2002	श्री कृष्ण गोपाल गऊशाला समिति	घिराना	25000
552.	आर.जे.380/2002	श्री कृष्ण गऊशाला संस्थान	नागपुर	25000
553.	आर.जे.381/2002	श्री औसवाल गौ सेवा सदन	जोधपुर	10000
554.	आर.जे.383/2002	बाबा खेतनाथ गऊशाला समिति	शाहपुर	40000
555.	आर.जे.384/2002	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	बारागांव	25000
556.	आर.जे.388/2002	श्री कृष्ण गऊशाला कमेटी	गोलुवाला	40000
557.	आर.जे.390/2002	श्री मरूधर केसरी गऊशाला सेवा समिति	रंसीगांव	36000
558.	आर.जे.391/2002	श्री महावीर गऊशाला	बारमेर	40000
559.	आर.जे.393/2002	झाझादियावाला गौ सेवा सदन	गोबिन्दपुर	25000
560.	आर.जे.398/2003	नारायण हरि गौ सेवा समिति	चुनतीसारा	10000
561.	आर.जे.399/2003	श्री बाबा गुलाबनाथ गऊशाला समिति	पलसनी	25000
562.	आर.जे.400/2003	श्री राधेगोबिन्द गऊशाला संस्थान	बिसालपुर	25000
563.	आर.जे.402/2003	श्री महावीर जीवदया गऊशाला	जालौर	25000
564.	आर.जे.404/2003	श्री राजपुरोहित सेवा संस्थान	उदयपुर	25000
565.	आर.जे.405/2003	श्री गोपाल गौ सेवा समिति	बूंटिया रोड	25000

1	2	3	4	5
566.	आर.जे.408/2003	बाबा बाली केयर गौ सेवा संस्थान	रामदेवरा	25000
567.	आर.जे.409/2003	श्री महावीर गऊशाला कल्याण संस्थान	बारन	25000
568.	आर.जे.411/2003	श्री कृष्ण गोपाल गऊशाला समिति	पदमपुर	25000
569.	आर.जे.412/2003	गौ सेवा समिति गोसागर	रतनगढ़	25000
570.	आर.जे.413/2003	पंचमुखी दरबार श्री रामानन्द अचार्य परमार्थिक गऊशाला		10000
571.	आर.जे.414/2003	श्री वीर तेजाजी महाराज गऊशाला		10000
572.	आर.जे.415/2003	श्री गौ सेवा समिति	नागौर	10000
573.	आर.जे.416/2003	श्री कौशल गऊशाला	जोधपुर	10000
574.	आर.जे.417/2003	श्री कृष्ण गऊशाला समिति		10000
575.	आर.जे.418/2003	गौ सेवा समिति		10000
576.	आर.जे.419/2003	श्री प्रकाशानंद एंड गऊशाला		10000
577.	आर.जे.420/2003	श्री गोपाल गऊशाला समिति		10000
578.	आर.जे.421/2003	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति		10000
579.	आर.जे.422/2003	श्री कृष्ण गऊशाला समिति		10000
580.	आर.जे.423/2003	श्री गऊशाला पंजरापौल समिति		10000
581.	आर.जे.424/2003	अनाथ एवं अपाहिज गौ सेवा समिति		10000
582.	आर.जे.425/2003	गौ सेवा समिति		10000
583.	आर.जे.426/2003	गौ रक्षा सेवा समिति	जयपुर	10000
584.	आर.जे.427/2003	श्री आशापुर (महोदरी) माथाजी गऊशाला समिति		10000
585.	आर.जे.429/2003	श्री गौ सेवा संघ		10000
586.	आर.जे.430/2003	श्री गोपाल गऊशाला संस्था		25000
587.	आर.जे.434/2003	श्री दरियाव गऊशाला सेवा समिति		10000
588.	आर.जे.436/2004	गौ रक्षा समिति	पाली	25000
589.	आर.जे.437/2004	श्री विष्णु गऊशाला	अल्सीसर	10000
590.	आर.जे.438/2004	श्री गौ सेवा आश्रम समिति	पीलीबंगा	10000

1	2	3	4	5
591.	आर.जे.439/2004	श्री रूप रजत गौ सेवा समिति	नागपुर	10000
592.	आर.जे.440/2004	अचार्य श्री ननेश रूपरेखा श्री राम गऊशाला	कपसन	10000
593.	आर.जे.442/2004	श्री गोबिन्द गऊशाला	बीकानेर	10000
594.	आर.जे.443/2004	कामधेनु राठी नासला संवर्धन केन्द्र	बीकानेर	25000
595.	आर.जे.444/2004	शीला माता गौ सेवा समिति	नागपुर	10000
596.	आर.जे.445/2004	श्री वर्धमान जीवदया सेवा समिति		10000
597.	आर.जे.446/2004	श्री शिव गौरखनाथ गौ सेवा समिति		10000
598.	आर.जे.447/2004	जय श्री राम गौ सेवा समिति	नागौर	10000
599.	आर.जे.448/2004	श्री कामधेनु गौ सेवा समिति	जोधपुर	10000
600.	आर.जे.449/2004	श्री हरि पंजरापौल गऊशाला	बीकानेर	10000
601.	आर.जे.450/2004	श्री बाबा रामदेव गौ सेवा समिति	नागौर	10000
602.	आर.जे.451/2004	श्री भद्रिया माता गऊशाला समिति	जैसलमेर	25000
603.	आर.जे.452/2004	श्री गोपाल गौ सेवा समिति	नागौर	10000
604.	आर.जे.453/2004	श्री गोविंद गौ वंश संरक्षण गऊशाला		10000
605.	आर.जे.454/2004	गऊशाला एवं जनकल्याण समिति	झालावाड़	10000
606.	आर.जे.455/2004	श्री जसनाथ गऊशाला सेवा समिति	जोधपुर	10000
607.	आर.जे.456/2004	गौ रक्षक सेवा समिति गऊशाला	बारीसदुरी	10000
608.	आर.जे.457/2004	श्री गोवर्धन गऊशाला	सिकर	10000
609.	आर.जे.459/2004	संत श्री सेवादासजी महाराज गौ सेवा समिति	नागौर	10000
610.	आर.जे.460/2004	हर हर महादेव गौरी शंकर गोपाल गऊसेवा समिति	जोधपुर	10000
611.	आर.जे.461/2004	श्री राम गुरू सैनिक क्षत्रीय माली गऊसेवा समिति	जोधपुर	10000
612.	आर.जे.462/2004	श्री गोपाल गऊसेवा समिति	नागौर	10000
613.	आर.जे.463/2004	श्री लखमपुरजी गऊशाला संस्थान	पाली	10000
614.	आर.जे.464/2004	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	सिकर	10000
615.	आर.जे.465/2004	तुलसी गोवर्धन निधि संस्थान	जैसलमेर	10000

1	2	3	4	5
616.	आर.जे.466/2004	किसान गऊशाला समिति	रायपुर	10000
617.	आर.जे.467/2004	श्री गणेश गऊशाला समिति		10000
618.	आर.जे.468/2004	श्री कृष्ण गऊशाला		10000
619.	आर.जे.469/2004	गऊशाला सेवा समिति	जयपुर	10000
620.	आर.जे.470/2004	श्री ब्रह्मर्षि वशिष्ठ गौ सेवा समिति	बारमेर	10000
621.	आर.जे.471/2004	कुवाजी महाराज गऊसेवा	झिवारा	10000
622.	आर.जे.472/2004	श्री कृष्ण गऊशाला समिति	जोबनेर	10000
623.	आर.जे.473/2004	श्री अग्रसेन जीव जन्तु कल्याण एवं गौ सेवा समिति	बीकानेर	10000
624.	आर.जे.474/2004	बागेश्वर महादेव गऊशाला	घोसुंदा	10000
625.	आर.जे.478/2004	एनिमल ऐड सोसायटी	उदयपुर	10000
626.	आर.जे.479/2004	सनातन धर्म गौ सेवा समिति ट्रस्ट	जयतारण	10000
627.	आर.जे.480/2004	श्री गिरिधर गौपाल गऊशाला	झाबरा	10000
628.	आर.जे.481/2004	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति	उमीवाला	10000
629.	आर.जे.482/2004	श्री गौधन संवर्धन गऊशाला समिति	उनियारा	10000
630.	आर.जे.484/2004	गौवंश सेवा समिति	भीलवाड़ा	10000
631.	आर.जे.485/2004	गोबिंद गऊशाला समिति	बेनथ	10000
632.	आर.जे.486/2004	गौसदन दौसा	जयपुर	10000
633.	आर.जे.487/2004	श्री पंजरापील गऊशाला-सांगानेर	जयपुर	10000
634.	आर.जे.488/2004	बारा मंदिर गऊशाला	खादव	10000
635.	आर.जे.495/2005	श्री सकामबरी माता गऊशाला समिति	सकराई	10000
636.	आर.जे.496/2005	श्री काशी विश्वनाथ गऊशाला सेवा समिति	स्वरूपगंज	10000
तमिलनाडु				
637.	टी.एन.002/1966	ब्लू क्रास ऑफ इंडिया	चैन्नई	136000
638.	टी.एन..010/1985	इरौड डिस्ट्रिक्ट एस.पी.सी.ए.	इरोड	25000
639.	टी.एन.016/1964	एस.पी.सी.ए. विलौर	वेलौर	25000

1	2	3	4	5
640.	टी.एन.019/1964	एस.पी.सी.ए. सेलम	सेलम	100000
641.	टी.एन.020/1973	एस.पी.सी.ए. पिंट्टुकोट्टई	पिंट्टुकोट्टई	25000
642.	टी.एन.023/1979	भगवान महावीर अहिंसा प्रचार संघ	चैन्नई	25000
643.	टी.एन.025/1993	द मद्रास पंजरापौल	चैन्नई	25000
644.	टी.एन.027/1993	चैन्नई स्नेक पार्क ट्रस्ट	चैन्नई	25000
645.	टी.एन.028/1993	कृष्ण वेंकटेसन एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट	चैन्नई	25000
646.	टी.एन.030/1994	वायलेट मेमोरियल ट्रस्ट	चैन्नई	25000
647.	टी.एन.036/1997	श्री मरूधर केसरी जैन गऊशाला ट्रस्ट	चैन्नई	40000
648.	टी.एन.037/1997	ए.एस.एस.ए.ए.एन.	चैन्नई	10000
649.	टी.एन.039/1998	केयर एंड हेल्प एनिमल्स	चैन्नई	24000
650.	टी.एन.044/1998	पीपुल फार एनिमल्स चेरिटेबल ट्रस्ट	चैन्नई	117000
651.	टी.एन.045/1998	एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट	चैन्नई	25000
652.	टी.एन.052/1999	होसूर एनिमल वेलफेयर सोसायटी	होसूर	25000
653.	टी.एन.053/1999	एस.पी.सी.ए. विलूपुरम	विल्लुपुरम	10000
654.	टी.एन.054/1999	द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस	चैन्नई	25000
655.	टी.एन.056/2000	गोवर्धन	सिलाईयुर	25000
656.	टी.एन.062/2000	श्री सत्यसाईं प्राणी सेवा शैल्टर्स	चैन्नई	25000
657.	टी.एन.064/2000	अनाल पट्टाम्माई मोडालियर ए.डब्ल्यू. ट्रस्ट	पालावाक्कम	25000
658.	टी.एन.065/2000	टिरा एनीमा	ऊटी	25000
659.	टी.एन.070/2000	गौ संरक्षण ट्रस्ट	सेलम	25000
660.	टी.एन.071/2000	अवार्ड एनीमल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन	इंडायूर	25000
661.	टी.एन.076/2000	महात्मा गांधीजी एनीमल वेलफेयर ट्रस्ट	चैन्नई	25000
662.	टी.एन.079/2001	ट्रस्ट फार एनिमल वेलफेयर	वंडालूर	25000
663.	टी.एन.080/2001	कामधेनु ट्रस्ट	चैन्नई	25000
664.	टी.एन.085/2002	करूणा इंटरनेशनल	चैन्नई	200000

1	2	3	4	5
665.	टी.एन.087/2002	पशु पाधुकापु इल्म	थिरूनागेश्वरम	25000
666.	टी.एन.092/2002	गौ शक्ति ट्रस्ट	वेतगुर	40000
667.	टी.एन.095/2002	श्री जयेन्द्र शिवानी काऊ संरक्षण	सुरांदायी	25000
668.	टी.एन.097/2002	गोकुल संवर्धनी ट्रस्ट	तिरूचिरापल्ली	25000
669.	टी.एन.102/2002	ग्रेट ट्रस्ट	तूतीकोरन	25000
670.	टी.एन.104/2002	कोयम्बटूर एनीमल वेलफेयर सोसायटी	कोयम्बटूर	89000
671.	टी.एन.107/2003	रक्षणा (एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन)	गोबीचेत्ती पालायम	25000
672.	टी.एन.108/2003	इंडियन प्रोजेक्ट फार एनिमल्स एंड नेचर	मावानाला	25000
673.	टी.एन.110/2003	तिरूवन्मलई डिस्ट्रिक्ट एनिमल प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसायटी		25000
674.	टी.एन.112/2003	एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन		25000
675.	टी.एन.114/2003	अहिंसा इंटेगरेटड एंड एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट		10000
676.	टी.एन.116/2004	अम्मा इल्म ट्रस्ट (काउ केयर सेंटर)		10000
677.	टी.एन.117/2004	श्री गऊशाला सेवा ट्रस्ट	चैन्नई	10000
678.	टी.एन.119/2004	अम्मा ट्रस्ट	श्रीवेलयूपत्तूर	10000
679.	टी.एन.120/2004	सुधामा गोकुल चेरिटेबल ट्रस्ट	चैन्नई	10000
680.	टी.एन.121/2004	राजेश्वरी गऊशाला ट्रस्ट	उत्थुमलाई	10000
681.	टी.एन.125/2005	सोसायटी फार एनिमल वेलफेयर	डिंडिगुल	10000
682.	टी.एन.128/2005	प्राणी रक्षा कृषि उत्पादन संघ	मदुरई	10000
त्रिपुरा				
683.	टी.आर.009/1999	गांधीग्राम एनिमल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन	गांधीग्राम	22550
उत्तर प्रदेश				
684.	यू.पी.005/1964	श्री दिगम्बर जैन बालबोधिनी सभा	सहारनपुर	25000
685.	यू.पी.008/1993	श्री पंचायती गऊशाला	वृंदावन	149000
686.	यू.पी.009/1993	श्री पंचायती गऊशाला	हापुड़	130000
687.	यू.पी.011/1993	श्री कृष्ण गऊशाला	गाजियाबाद	25000

1	2	3	4	5
688.	यू.पी.023/1994	विवेकानन्द ग्रामीण विकास एवं एस. समिति	मिर्जापुर	25000
689.	यू.पी.025/1994	गोरखपुर एस.पी.सी.ए.	गोरखपुर	25000
690.	यू.पी.026/1994	सोसायटी फार एनिमल वेलफेयर एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन	उन्नाव	25000
691.	यू.पी.030/1998	करूणा गऊशाला सेवा समिति	सिसवा	26000
692.	यू.पी.032/1998	गौधाम	इलाहाबाद	25000
693.	यू.पी.033/1998	द मुजफ्फरनगर न्यू मंडी गऊशाला	मुजफ्फरनगर	40000
694.	यू.पी.037/1999	श्री राघव गौ संवर्धन शाला	झांसी	25000
695.	यू.पी.042/1999	लाला प्रेमशंकर पंचायती गऊशाला	पिलखुआ	25000
696.	यू.पी.044/1999	पीपुल फार एनिमल्स	लखनऊ	36000
697.	यू.पी.049/1999	गोपाल गऊशाला	मेरठ	125000
698.	यू.पी.050/1999	मोहन गोपाल गऊशाला समिति	कानपुर नगर	25000
699.	यू.पी.051/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	कुसीनगर	25000
700.	यू.पी.052/1999	विवेकानन्द श्री कृष्ण शाह गऊशाला समिति	कानपुर	25000
701.	यू.पी.055/1999	दायोदय पशु संरक्षण केन्द्र (गऊशाला)	ललितपुर	122000
702.	यू.पी.058/1999	श्री गऊशाला कठार जंगल	कठार	25000
703.	यू.पी.059/1999	डाक्टर्स पैट्स चर्च एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट	लखनऊ	46000
704.	यू.पी.061/1999	श्री राधे गोबिंद सुल्तानपुर गऊशाला समिति	सुल्तानपुर	25000
705.	यू.पी.062/1999	श्याम गौ सेवा सदन	बंसगोपाल	25000
706.	यू.पी.067/2000	जीव दया मंडल	लखनऊ	25000
707.	यू.पी.069/2000	सर्वेश्वर नारायण अनाथ गौ सेवा समिति	मॉट	100000
708.	यू.पी.072/2000	श्री गौ रक्षणी सभा	खुर्जा	25000
709.	यू.पी.074/2000	जय गोपाल गऊशाला समिति	पिपरौली शिव	25000
710.	यू.पी.075/2000	एनिमल केयर आर्गेनाइजेशन	लखनऊ	25000
711.	यू.पी.076/2000	ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा जीव जन्तु कल्याण आश्रम संस्थान	मेल देवरिया	25000

1	2	3	4	5
712.	यू.पी.081/2000	श्री विज्ञान सागर बाबा संगत गऊशाला समिति	महमूदाबाद	25000
713.	यू.पी.082/2000	मुक्तेश्वरी गऊशाला समिति	मुसानगर	15000
714.	यू.पी.083/2000	शेरिन एनिमल सोसायटी	लखनऊ	25000
715.	यू.पी.092/2000	गौतमबुद्ध जीवदया समिति	भादिया दादर	25000
716.	यू.पी.093/2000	पार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी साइंस एंड ए.एच.	अलीगढ़	25000
717.	यू.पी.094/2000	श्याम गऊशाला बाबा वंसीवाला	प्रेमनगर	25000
718.	यू.पी.096/2000	जागृति ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	गोरखपुर	25000
719.	यू.पी.099/2000	आगरा एस.पी.सी.ए.	आगरा	25000
720.	यू.पी.102/2000	बृज सर्वांगीण विकास समिति	जसोली	25000
721.	यू.पी.105/2000	पी.एफ.ए. आगरा	आगरा	25000
722.	यू.पी.111/2001	पी.एफ.ए. गाजियाबाद	गाजियाबाद	25000
723.	यू.पी.116/2001	संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी गौ विज्ञान शोध संस्थान	इलाहाबाद	25000
724.	यू.पी.119/2001	श्री राम रघुवीर गऊशाला समिति	बल्लपुर	25000
725.	यू.पी.120/2001	श्री सीताराम गऊशाला समिति	कानपुर	25000
726.	यू.पी.124/2001	श्री बालाजी गऊशाला समिति	काठगढ़	25000
727.	यू.पी.140/2001	श्री कृष्ण गऊशाला	प्रेमनगर	25000
728.	यू.पी.142/2001	भैरव गौ सेवा समिति	मगौरा	25000
729.	यू.पी.153/2002	प्राचीन शिव दुर्गा मंदिर भजन आश्रम सेवा समिति	सिपारसो	10000
730.	यू.पी.157/2002	पं. दीनदयाल उपाध्याय एंड सिद्धार्थ मेमोरियल गऊशाला	मधुकरपुर	25000
731.	यू.पी.158/2002	वालेन्टरी इकोलॉजी एंड आर्गेनाइजेशन	गोरखपुर	25000
732.	यू.पी.160/2002	पी.एफ.ए. कौशाम्बी	राजेन्द्र नगर	10000
733.	यू.पी.165/2002	माता रामकली कामधेनु गऊशाला समिति	कन्नौज	10000
734.	यू.पी.169/2002	मेहदावल पशु पक्षी एवं पर्यावरण कल्याण समिति	नायक टोला	25000
735.	यू.पी.175/2002	पी.एफ.ए. गोरखपुर	बिधियाहाटा	10000
736.	यू.पी.183/2002	श्री मद बल्लभ गऊशाला गोकुल	कस्बा गोकुल	25000

1	2	3	4	5
737.	यू.पी.194/2002	श्री सिद्ध गुफा जीवरक्षा गऊशाला	इटावा	25000
738.	यू.पी.195/2002	श्री राजमंगल सेवा संस्थान	मंझगांव	25000
739.	यू.पी.196/2002	संत किन्नाराम विकलांग कल्याण एवं गौ सेवा शोध संस्थान		10000
740.	यू.पी.198/2002	सोसायटी फार कंजरवेशन आफ नेचर (एस.सी.ओ.एन.)	इटावा	25000
741.	यू.पी.203/2002	परम तपेश्वरी माता ज्ञानदेवी गऊशाला	सकरावा	25000
742.	यू.पी.208/2002	बाबू सिंह गऊशाला समिति	कानपुर नगर	10000
743.	यू.पी.210/2002	गौ सेवा सदन	सुमेरपुर	25000
744.	यू.पी.213/2002	अकेडमी आफ साइंस फॉर एनिमल वेलफेयर	बरेली	10000
745.	यू.पी.221/2002	मानव सेवा संस्थान	गोरखपुर	25000
746.	यू.पी.222/2002	सवेरा सेवा संस्थान	गोरखपुर	25000
747.	यू.पी.225/2002	बस्ती एस.पी.सी.ए.	बस्ती	25000
748.	यू.पी.231/2002	अभिनवकरण शिक्षा उद्योप्रशिक्षण केन्द्र	इलाहाबाद	25000
749.	यू.पी.242/2002	भगवान श्री कृष्ण गऊशाला समिति	कन्नौज	25000
750.	यू.पी.256/2003	हेल्प इन सफरिंग	उन्नवाल	25000
751.	यू.पी.259/2003	पार्वती सेवा केन्द्र	बतियाहाटा	25000
752.	यू.पी.261/2003	रंजीत सिंह आदर्श सेवा समर्पण समिति	भदोही	25000
753.	यू.पी.262/2003	गौरक्षा कल्याण समिति		25000
754.	यू.पी.265/2003	गोबिन्द गौशाला		25000
755.	यू.पी.267/2003	श्री कन्हैया गऊशाला समिति		10000
756.	यू.पी.268/2003	सोसायटी फार प्रिवेंशन आफ क्रूयल्टी टू एनिमल्स	झांसी	25000
757.	यू.पी.269/2003	जीव जन्तु कल्याण समिति		25000
758.	यू.पी.270/2003	पीपुल फार एनिमल्स		10000
759.	यू.पी.272/2004	यू.एन.एन.ए.ओ. एस.पी.सी.ए.	उन्नाव	10000
760.	यू.पी.273/2004	श्रीमती फूलमती गऊशाला समिति		10000

1	2	3	4	5
761.	यू.पी.274/2004	युग निर्माण गऊशाला	बिजनौर	10000
762.	यू.पी.275/2004	धर्मार्थ गोपाल गऊशाला समिति	बुलंदशहर	10000
763.	यू.पी.276/2004	श्री शिव गऊशाला	इटावा	10000
764.	यू.पी.277/2004	मूर्ति देवी गौसेवा समिति	बुलंदशहर	10000
765.	यू.पी.278/2004	श्री श्री पदबाबा गऊशाला	मथुरा	10000
766.	यू.पी.279/2004	सुरजाना देवी पशु-पक्षी रक्षा समिति	कानपुर	10000
767.	यू.पी.280/2004	आदर्श ग्राम गऊशाला संस्थान	कानपुर	10000
768.	यू.पी.281/2004	एस.पी.सी.ए. सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर	10000
769.	यू.पी.282/2004	श्री महावीर स्वामी सदानन्द गिरि पंजरापौल गऊशाला सेवा संघ	मथुरा	10000
770.	यू.पी.283/2004	सहारा ग्राम विकास सेवा संस्थान	गोरखपुर	10000
771.	यू.पी.284/2004	पीपुल फार एनिमल्स, इलाबाद	इलाहाबाद	10000
772.	यू.पी.286/2004	श्री हनुमान सेवाश्रम संस्थान	कुशीनगर	10000
773.	यू.पी.287/2004	श्री भगवती गऊशाला सेवा समिति	कायमकंज	10000
774.	यू.पी.288/2004	ब्लू क्रास आफ लखनऊ	लखनऊ	10000
775.	यू.पी.289/2004	लाईफ लाइन सेवा संस्थान	गोरखपुर	10000
776.	यू.पी.291/2004	श्री गोपाल गऊशाला समिति	सीतापुर	10000
777.	यू.पी.292/2004	श्री योगेश्वर गौ सेवा समिति	इलाहाबाद	10000
778.	यू.पी.293/2004	कामधेनु सर्वांगीण विकास संस्था	भदोही	10000
उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल)				
779.	यू.पी.163/2002	श्री राधे कृष्ण गौ सेवा सदन ट्रस्ट	लखनपुर	25000
780.	यू.पी.204/2002	अखिल भारतीय भारत सेवक समाज संस्थान	रांझावाला	25000
781.	यू.पी.215/2002	सर्वाधिकारी धर्मार्थ न्यास कल्पतरू आदर्श गऊशाला	श्यामपुर	25000
782.	यू.पी.250/2002	सोसायटी फार कम्युनिटी इनवोल्वमेंट इन डेवलपमेंट	गढ़वाली	25000
783.	यू.पी.294/2004	फोरेस्ट एंड एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट	कथोर	10000

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल				
784.	डब्ल्यू.बी.006-1/1991	कलकत्ता पंजरापौल सोसायटी	रानीगंज	25000
785.	डब्ल्यू.बी.006-2/1991	कलकत्ता पंजरापौल सोसायटी	कंचरापारा	45000
786.	डब्ल्यू.बी.006-3/1991	कलकत्ता पंजरापौल सोसायटी	सोदेपुर	70000
787.	डब्ल्यू.बी.006-4/1991	कलकत्ता पंजरापौल सोसायटी	लिलुह	55000
788.	डब्ल्यू.बी.010/1965	द आल लवर्स आफ एनिमल सोसायटी	कोलकाता	25000
789.	डब्ल्यू.बी.013/1993	हितलजोर किशोरीबाला दातावय चिकित्सालय	मिदनापुर	100000
790.	डब्ल्यू.बी.014/1995	कंपैशियोनेट क्रुसेडर्स ट्रस्ट	कोलकाता	25000
791.	डब्ल्यू.बी.016/1994	एनिमल एंड वर्ड वेलफेयर सोसायटी	उदयनारायणपुर	42000
792.	डब्ल्यू.बी.017/1994	वारनगर सोशल सर्विस लीग	कोलकाता	25000
793.	डब्ल्यू.बी.021/1997	लव 'एन' केयर फार एनिमल्स	कोलकाता	25000
794.	डब्ल्यू.बी.022/1997	दार्जिलिंग गुडविल शैल्टर फार एनिमल्स	दार्जिलिंग	25000
795.	डब्ल्यू.बी.024/1998	काउंसिल फार रूरल वेलफेयर	सबंग	25000
796.	डब्ल्यू.बी.025/1999	पीपुल फार एनिमल्स	कोलकाता	25000
797.	डब्ल्यू.बी.026/2000	वर्धवान डिस्ट्रिक्ट एस.पी.सी.ए.	कोलकाता	50000
798.	डब्ल्यू.बी.027/2000	बर्दवान सोसायटी फार एनिमल वेलफेयर	बर्दवान	25000
799.	डब्ल्यू.बी.029/2001	पी.एफ.ए. हुगली	सिरमपौर	25000
800.	डब्ल्यू.बी.033/2001	अशुराली विवेकानन्द स्मृति संघ	आशुराली	25000
801.	डब्ल्यू.बी.037/2002	सर्वोदय केन्द्र	तिलंतपारा	10000
802.	डब्ल्यू.बी.038/2002	पलासी ग्रामीण प्राणी कल्याण समिति	जहलादा	25000
803.	डब्ल्यू.बी.039/2002	कांथी महाकुम तपासिली उन्नयन महिला समिति	रामनगर	25000
804.	डब्ल्यू.बी.040/2005	पुगमार्क्स सोसायटी फार कंजरवेशन आफ नेचुरल हेरिटेज	शांतिनिकेतन	10000
			कुल	30040449

ए.डब्ल्यू.ओ. की सूची जिनके लिए वित्त वर्ष 2005-2006 के लिए केटल रेस्क्यू अनुदान जारी किए गए

राज्य	नया कोड	नाम	जिला	शहर	जारी अनुदान
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश					
1.	ए.पी.007/1988	इलुरू गौ संरक्षण समिति	पश्चिम गोदावरी	इलुरू	87500
2.	ए.पी.011/1993	ब्लू क्रॉस, हैदराबाद	हैदराबाद	हैदराबाद	76600
हरियाणा					
3.	एच.आर.002/1991	मेवात क्षेत्र गऊशाला समिति	गुड़गांव	फिरोजपुर	300000
4.	एच.आर.084/2000	आदर्श गऊशाला	गुड़गांव	गुड़गांव	79400
5.	एच.आर.105/2002	महार्षि दयानन्द सरस्वती गऊशाला	सिरसा	जमाल	15300
मध्य प्रदेश					
6.	एम.पी033/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	राजगढ़	नरसिंहगढ़	162000
7.	एम.पी035/1999	श्री गोपाल कृष्ण गऊशाला	बरवानी	ओजार	300000
8.	एम.पी055/1999	श्री गोपाल गऊशाला न्यास	रतलाम	रतलाम	21900
9.	एम.पी119/1999	गोपाल गऊशाला	उज्जैन	कचनारिया	48300
10.	एम.पी193/2000	वृंदावन गऊशाला	बनवाडी	भगवानपुर	110400
11.	एम.पी259/2002	परम पूज्य संत श्री आसारामजी गौ सेवा समिति	सोयापुर	शोयपुर	300000
राजस्थान					
12.	आर.जे.109/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	अलवर	बुद्धिबवाई	300000
13.	आर.जे.193/2000	श्री आदिनाथ पशु रक्षा संस्थान	उदयपुर	कनोद	140100
उत्तर प्रदेश					
14.	यू.पी.011/1993	श्री कृष्ण गऊशाला	गाजियाबाद	गाजियाबाद	300000
15.	यू.पी.050/1999	मोहन गोपाल गऊशाला समिति	कानपुर	कानपुर नगर	66700
16.	यू.पी.058/1999	श्री गऊशाला कथर जंगल	बस्ती	कथर	218200

1	2	3	4	5	6
17.	यू.पी.074/2000	जय गोपाल गऊशाला समिति	अयुरिया	पिपरोली शिव	78600
18.	यू.पी.122/2001	श्री बच्चन लाल गऊशाला	अयुरिया	मनिकोटि	50100
19.	यू.पी.124/2001	श्री बालाजी गऊशाला समिति	अयुरिया	कटघरा	180800
20.	यू.पी.172/2002	जय श्री गोपाल गऊशाला समिति	हमीरपुर	पालरा	300000
21.	यू.पी.193/2002	पुण्यभूमि गौवंश संरक्षण संवर्धन केन्द्र	फरुखाबाद	वैरमपुर	300000
22.	यू.पी.275/2004	धर्मार्थ गोपाल गऊशाला समिति	बुलंदशहर	बुलंदशहर	27700
23.	यू.पी.280/2004	आदर्श ग्राम गऊशाला संस्थान	कानपुर	कानपुर	136800
				कुल	3600400

ए.डब्ल्यू.ओ. की सूची जिन्हें वर्ष 2004-05 के दौरान केटल रेस्क्यू अनुदान जारी किया गया

क्रमांक	कोड	एन.जी.ओ. का नाम	शहर	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	ए.पी.017/1998	इंटरनेशनल एनीमल एंड बर्ड वेलफेयर सोसायटी	गुंटूर	100000
2.	ए.पी.053/2000	श्रीमती राधागोविंद गौ रक्षा समिति	तिरुपति	381100
3.	ए.पी.059/2001	पी.एफ.ए. विशाखापटनम	विशाखापटनम्	63900
4.	ए.पी.063/2002	साई एस.पी.सी.ए., वर्डस एवं ट्रीज	धर्मावरम्	50000
5.	ए.पी.064/2002	करूणा सोसायटी फार एनीमल्स एंड नेचर	पुटापरती	919220
6.	ए.पी.07/2002	आदर्श एस.पी.सी.ए.	गोरांटिया	50000
7.	ए.पी.075/2002	श्री वेणु गोपाल स्वामी मंदिर	जनवाडा	170560
8.	ए.पी.079/2003	श्री सत्या साई काउ प्रोटेक्शन सेवा समिति	चुदापह	50000
बिहार (झारखंड)				
9.	बी.एच.003/1991	श्री टाटानगर गौशाला	जमशेदपुर	140300

1	2	3	4	5s
दिल्ली				
10.	एन.डी.008/1993	दिल्ली पंजरापौल सोसायटी	नई दिल्ली	64020
गुजरात				
11.	जी.जे.129/2001	एनीमल सेविंग ग्रुप	वलसद	30000
हरियाणा				
12.	एच.आर.002/1991	मेवात क्षेत्र गौशाला समिति	फिरोजपुर	300000
13.	एच.आर.006/1991	श्री कृष्ण गऊशाला	टोहाना	61380
14.	एच.आर.010/1991	हरियाणा एस.पी.सी.ए.	अम्बाला	300000
15.	एच.आर.017/1994	श्री गोपाल गऊशाला	नारनौल	210740
16.	एच.आर.032/1998	अखिल भारतीय महर्षि दयानंद गऊशाला	रोहतक	68210
17.	एच.आर.049/1999	श्री स्वामी गौरक्षा नंद गऊशाला	सफीदो	214830
18.	एच.आर.051/1999	श्री स्वामी गौरक्षा नंद गऊशाला	जुलाना	220400
19.	एच.आर.052/1999	श्री गऊशाला बाबा फुलु साध	ऊंचा खुर्द	313770
20.	एच.आर.059/1999	श्री गऊशाला	रोहतक	300000
21.	एच.आर.084/2000	श्री कृष्ण गऊशाला	गुड़गांव	63290
22.	एच.आर.085/2000	श्री कृष्ण गऊशाला	रतिया	410700
23.	एच.आर.116/2002	शिव शक्ति गऊशाला	कदलवा	236350
24.	एच.आर.145/2003	श्री दयानंद गऊशाला समिति	बदुजी गहबर	300000
कर्नाटक				
25.	के.ए.001/1965	मैसूर पंजरापौल समिति	मैसूर	300000
मध्य प्रदेश				
26.	एम.पी.007/1991	श्री अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गऊशाला	दलाउदा	28600
27.	एम.पी.016/1995	बाहुबली जीवरक्षा एवं पर्यावरण एस. संस्थान	छिंदवारा	113350
28.	एम.पी.033/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	नरसिंगार	119090
29.	एम.पी.045/1999	श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर गौ सेवा समिति	रामटेकरी	6300

1	2	3	4	5s
30.	एम.पी.085/1999	संत आश्रम गौसेवा श्रमयोग वेदान्त सेवा समिति	सहजपुर	103530
31.	एम.पी.138/1999	श्री बजरंग गौ सेवा समिति	मछलपुर	27900
32.	एम.पी.182/1999	श्री गौतम गौ संवर्धन शोध संस्थान	बादनगर	157950
33.	एम.पी.222/2001	दयोदय पशु सेवा सदन	गंज बसुदा	135710
34.	एम.पी.251/2002	उज्जैन पीपल फार एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन	उज्जैन	91310
35.	एम.पी.257/2002	श्रीमद भगवत गऊशाला समिति	नीमच	57500
36.	एम.पी.270/2002	दयोदय पशु सेवा केंद्र	पपुरा	300000
महाराष्ट्र				
37.	एम.एच.042/1998	आदर्श गौ सेवा एवं अनुसंघान प्रकल्प (आदर्श संस्थान)	अकोला	508670
38.	एम.एच.102/2002	इंडियन हरपेटोलोजिकल सोसायटी		600000
पंजाब				
39.	पी.जे.008/1999	पीपल फॉर एनिमल्स-लुधियाना	लुधियाना	50000
40.	पी.जे.032/2000	श्री कृष्ण गऊशाला दाना मण्डी	जगरांव	140740
राजस्थान				
41.	आर.जे.041/1998	श्री अदेशवर गौ सेवा समिति	सिरोही	110050
42.	आर.जे.044/1998	श्री गोपाल गऊशाला	चित्तोड़गढ़	216600
43.	आर.जे.050/1998	श्री गोपाल गोवर्धन गऊशाला (4 शाखाएं)	संचोर	300000
44.	आर.जे.058/1998	वनसवाडा गौ सेवा संघ	बंसवाडा	156220
45.	आर.जे.077/1998	श्री कृष्ण गोपाल गऊशाला	गोविंदगढ़	600000
46.	आर.जे.087/1999	ग्वाल गोपाल गऊशाला	चित्तोड़गढ़	116920
47.	आर.जे.095/1999	दयोदया श्री कल्याण गऊसेवा संस्थान	उदपुरा	154955
48.	आर.जे.109/1999	श्री कृष्ण गऊशाला	बुद्धिबवाल	300000
49.	आर.जे.124/1999	श्री गोपाल गऊशाला ट्रस्ट	ओसियान	118580
50.	आर.जे.130/1999	पशुपति कल्याण परिषद	उदयपुर	300000
51.	आर.जे.193/2000	श्री आदिनाथ पशु रक्षा संस्थान	कनोड	97900

1	2	3	4	5s
52.	आर.जे.326/2000	नागेश्वर पारश्वनाथ गऊशाला	भींदर	101350
53.	आर.जे.329/2002	श्री सुमति जीव रक्षा केंद्र	पावपुरी	459170
तमिलनाडु				
54.	टी.एन.002/1966	ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया	चैन्नई	300000
55.	टी.एन.080/2001	कामधेनू ट्रस्ट	चैन्नई	224910
56.	टी.एन.104/2002	कोयम्बटूर एनीमल वेलफेयर सोसायटी	कोयम्बटूर	300000
उत्तर प्रदेश				
57.	यू.पी.011/1993	श्री कृष्ण गऊशाला	गाजियाबाद	299440
58.	यू.पी.030/1998	करूणा गऊशाला सेवा समिति	सिसवा	152150
59.	यू.पी.050/1999	मोहन गोपाल गऊशाला समिति	कानपुर नगर	105870
60.	यू.पी.052/1999	विवेकानंद श्री कृष्ण सहर गऊशाला समिति	कानपुर	599450
61.	यू.पी.055/1999	दयोदया पशु संरक्षण केन्द्र (गऊशाला)	ललितपुर	600000
62.	यू.पी.058/1999	श्री गऊशाला कथर जंगल	कथर	241450
63.	यू.पी.061/1999	श्री राधे गोबिंद सुरतानपुर गऊशाला समिति	'सरतानपुर	300000
64.	यू.पी.081/2000	श्री विज्ञान सागर बाबा संगत गऊशाला समिति	महमूदबाद	277710
65.	यू.पी.119/2001	श्रीराम रघुवीर गऊशाला समिति	बलपुर	597560
66.	यू.पी.120/2001	श्री सीताराम गऊशाला समिति	कानपुर	47900
67.	यू.पी.186/2002	श्याम गऊशाला सेवा समिति	अलीपुर	26710
68.	यू.पी.194/2002	श्री सिद्ध गुफा जीव प्रकाश गऊशाला	इटावा	292000
69.	यू.पी.208/2002	बाबु सिंह गऊशाला समिति	कानपुर नगर	132500
			कुल योग	15278815

[अनुवाद]

जटरोफा, पोनगामिया आदि की खेती

***195. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बायो-डीजल हेतु प्रयोग किए जा रहे जटरोफा करकास, पोनगामिया आदि जैसी फसलों की बड़े पैमाने पर हो रही खेती के पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव का पता लगाने हेतु कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी फसलों की खेती के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) भारत सरकार ने ऐसा कोई आकलन नहीं किया है, तथापि सरकार ने किसानों, गैर सरकारी संगठनों, ऑटोमोबाईल निर्माताओं, राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विभागों के साथ परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न कृषि जलवायु विषयक स्थितियो के तहत इसकी पनपने की क्षमता को देखते हुए राष्ट्रीय बायो-डीजल मिशन के अंतर्गत अत्यधिक उपयुक्त वृक्ष वाहित तिलहन के रूप में अवक्रमित भूमि पर रोपण हेतु जटरोफ करकास और पोनगामिया पिन्नाटा की पहचान की है।

(घ) भारत सरकार ने वृक्षों की कटाई के बिना अवक्रमित वन भूमि पर जटरोफा करकास के पौधरोपण हेतु राज्य/संघ शासित सरकारों को निदेश जारी किए हैं। पोनगामिया पिन्नाटा वानिकी प्रजातियां है और इसका पौध रोपण संबंधित वन भूमि की मृदा और जलवायु स्थितियों पर आधारित है।

धूम्रपान से हुई मौतें

***196. श्री आनंदराव बिठोबा अडसूल:**

श्री गुरूदास दासगुप्त:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत, कनाडा और ब्रिटेन के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2010 तक देश में प्रति वर्ष धूम्रपान से लगभग एक मिलियन मौतें होने की संभावना है, जैसाकि 14 फरवरी, 2008 के द हिन्दू में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा लोगों में धूम्रपान के हानिकारक परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में फरवरी, 2008 मे प्रकाशित अनुसार भारत, कनाडा और यू.के. के अनुसंधान दल के निष्कर्षों से पता चला है कि भारत में वर्ष 2010 के दौरान प्रत्येक वर्ष तंबाकू के कारण लगभग 1 मिलियन (10 लाख) मौतें होंगी।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों का सारांश निम्न प्रकार है:

- वर्ष 2010 के दौरान भारत में एक वर्ष में लगभग 1 मिलियन (10 लाख) मौतें होंगी।
- इन 1 मिलियन मौतों में से लगभग 70 प्रतिशत मौतें वृद्धावस्था के पहले होंगी; इसका अर्थ यह है कि 7 लाख मौतें प्रत्येक वर्ष 30-69 वर्ष की आयु के व्यक्तियों (6 लाख पुरुष एवं 1 लाख महिलाएं) की होंगी।
- मध्य आयु (30-69 वर्ष) में सभी 5 पुरुष मौतों में से एक मौत तथा प्रत्येक 20 महिला मौतों में से एक मौत के लिए तंबाकू जिम्मेदार है।
- ऐसे पुरुष जो बीड़ी पीते हैं औसतन 6 वर्ष की प्रत्याशित आयु खोते हैं। ऐसी महिलाएं जो बीड़ी पीती हैं लगभग 8 वर्ष तथा ऐसे पुरुष जो सिगरेट पीते हैं 10 वर्ष की प्रत्याशित आयु खोते हैं।
- धूम्रपान के कारण होने वाली मौतें, मुख्य रूप से कैंसर, क्षय रोग, श्वसन एवं हृदय रोगों से होती हैं।
- यहां तक कि एक दिन में कुछ ही बीड़ी (1-7) पीने से मृत्यु का जोखिम एक तिहाई बढ़ जाता है तथा एक दिन कुछ ही सिगरेट (1-7) पीने से मृत्यु का जोखिम लगभग दुगुना हो जाता है।
- मध्य आयु में पुरुष और महिला मृत्यु दरों में अधिकतर अंतर धूम्रपान के कारण ही है।
- शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बड़े खतरे शिक्षित और निरक्षर दोनों वयस्कों में पाये गये।
- धूम्रपान छोड़ने से काफी फर्क पड़ता है किंतु भारत में केवल 2 प्रतिशत वयस्कों ने ही धूम्रपान छोड़ा है और वह भी प्रायः बीमार पड़ने के बाद।

भारत सरकार ने एक बहुत ही ठोस तंबाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 पारित किया है जिसमें निम्नलिखित का उपबंध किया गया है।

- सभी तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन का निषेध।
- सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान निषेध।

- 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को सभी तंबाकू उत्पादों की बिक्री का निषेध।
- शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज की परिधि में सभी तंबाकू उत्पादों की बिक्री का निषेध।
- तंबाकू पैकों पर कानूनी चेतावनी (सचित्र चेतावनी सहित) का अनिवार्य रूप से चित्रण।

भारत सरकार ने तंबाकू नियंत्रण उपायों और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यापक राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण शुरू किया है। इन उपायों में सुदृढ़ लोक मीडिया/जागरूकता अभियान भी शामिल है।

आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अध्यापकों की कमी

***197. श्री एस. अजय कुमार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुर्वेद कालेजों में आयुर्वेद पढ़ाने हेतु स्नातकोत्तर अध्यापकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) 1-4-2007 के अनुसार, 62 कॉलेजों में स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों की प्रवेश क्षमता 991 है।

स्नातकोत्तर अर्हता 1-7-89 से पहले नियुक्त अध्यापकों की भर्ती हेतु आवश्यक नहीं हैं। तथापि, गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के प्रयोजनार्थ, स्नातकोत्तर अर्हता को 1-7-89 से आवश्यक कर दिया गया है।

कुछ विधाओं में अध्यापकों की कमी होने की खबर है। इसे दृष्टिगत रखते हुए, नीचे उल्लिखित अन्य संबद्ध विधाओं के स्नातकोत्तरों को आयुर्वेद के अध्यापकों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है:

विषय/विधा का नाम	संबद्ध विषय/विधा
1. स्वास्थ वृत्त	1. काय चिकित्सा
	2. मौलिक सिद्धांत
2. अगद तंत्र	1. काय चिकित्सा
	2. द्रव्यगुण
3. पदार्थ विज्ञान/संहिता/ इतिहास	मौलिक सिद्धांत
4. रोग विज्ञान	काय चिकित्सा
5. शरीर रचना/शरीर क्रिया	1. शरीर
	2. मौलिक सिद्धांत
6. शालक्य	शल्य
7. निश्चेतना एवं क्ष-किरण	1. शल्य
	2. शालक्य

नेचर पार्कों का विकास

***198. श्री जसुभाई धानाभाई बारड:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में नेचर पार्क विकसित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक राज्यवार ऐसे कितने पार्क विकसित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे पार्कों के विकास हेतु निजी पार्टियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार और वर्षवार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार के पास देश में "नेचर पार्कों" को विकसित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को वानस्पतिक उद्यानों के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार, देश में मान्यताप्राप्त पब्लिक सेक्टर के प्राणी उद्यानों के विकास और प्रबंधन के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। देश में ऐसे वानस्पतिक उद्यानों और मान्यताप्राप्त पब्लिक सेक्टर के प्राणी उद्यानों और केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उनके प्रबंधन और विकास के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय स्कीम के अंतर्गत समर्थित वनस्पति उद्यानों की संख्या (31 मार्च, 2007) तक	'वनस्पति उद्यानों को सहायता' - स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता (रुपये लाख में)			मान्यता प्राप्त प्राणी उद्यानों की संख्या	'केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण' स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता (रुपये लाख में)		
		2004-05	2005-06	2006-07		2004-05	2005-06	2006-07
आंध्र प्रदेश	6	00	00	4.50	15	137.96	261.10	105.85
अरुणाचल प्रदेश	4	3.00	00	1.30	4	20.00	155.49	116.41
असम	9	00	00	29,49495	4	70.42	0.00	0.00
बिहार	4	00	2.75	00	1	20.00	23.00	19.19
छत्तीसगढ़	0	00	00	00	3	6.00	0.00	0.00
गोवा	3	00	4.00	1.50	1	0.00	0.00	0.00
गुजरात	9	5.25	00	16.23736	9	95.00	41.52	132.42
हरियाणा	1	00	00	00	8	0.00	50.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	3	00	00	00	6	30.00	0.00	46.00
जम्मू-कश्मीर	4	00	8.50	5.00	0	0.00	0.00	0.00
झारखंड	1	00	00	00	6	0.00	9.00	53.97
कर्नाटक	9	0.20085	15.00	10.00	17	193.59	145.05	155.01
केरल	12	14.12	10.61025	9.50	10	21.94	30.00	47.9
मध्य प्रदेश	12	5.07	13.00230	00	3	0.00	65.35	120.80
महाराष्ट्र	35	30.50	24.30	23.54149	14	21.35	50.00	98.77

मणिपुर	8	2.00	8.00	00	1	0.00	0.00	0.00
मेघालय	3	00	00	4.00	2	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	2	7.164	00	4.50	2	300.30	133.5	94.6
नागालैंड	5	7.00	00	00	2	0.00	48.5	68.41
उड़ीसा	4	6.50	1.80	3.50	8	181.1	178.8	75.75
पंजाब	4	00	00	00	5	48.7	0.00	79.05
राजस्थान	3	00	0.73494	00	7	50.32	62.53	53.67
सिक्किम	3	00	15.00	15.00	1	9.00	38.5	29.24
तमिलनाडु	31	8.25	23.75	25.88837	9	88.8	48.44	216.3
त्रिपुरा	4	2.00	00	3.00	1	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	23	00	23.95	5.00	11	20.00	19.43	11.5
उत्तराखंड	12	2.3075	15.00	6.00	3	0.00	6.39	0.00
पश्चिम बंगाल	8	00	1.35	00	23	51.75	35.37	110.7
अंडमान और निकोबार	0	00	00	00	1	17.36	0.00	126.14
चंडीगढ	0	00	00	00	0	0.00	0.00	0.00
दादर एवं नगर हवेली	0	00	00	00	1	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0	00	00	00	0	0.00	0.00	0.00
दमन एवं द्वीव	0	00	00	00	0	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	2	00	00	00	2	100.65	105.7	77.00
पांडिचेरी	0	00	00	00	0	0.00	0.00	
कुल	224	93.36	154.75	167.96	180	1484.24	1507.67	1841.68

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

*199. श्री अजय चक्रवर्ती:

श्री संतोष गंगवार:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं का कंपनीवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन दुर्घटनाओं में अलग-अलग कितने कामगार मारे गए/घायल हुए तथा उन्हें कितनी क्षतिपूर्ति और राहत आदि प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी खानों में कामगारों के लिए विद्यमान सुरक्षा मानकों का कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और मौजूदा वर्ष जनवरी, 2008 तक कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I से III में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 2005 से जनवरी, 2008 तक के दौरान कोयला खानों में 262 घातक दुर्घटनाओं में 352 लोगों की जानें गईं। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 2742 गंभीर दुर्घटनाओं में 2802 लोगों को गंभीर चोटें आयी। कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) और नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एन.एल.सी.) में उक्त अवधि के दौरान हुई घातक दुर्घटनाओं के मामले में दिए गए मुआवजे की राशि 10.51 करोड़ रु. है।

(ग) और (घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय (एम.ओ.एल.ई.) खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी.जी.एम.एस.) के माध्यम से खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार कोयला खानों में सुरक्षा को मानीटर और प्रवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। कोयला खान प्रचालक खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार खानों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए जिम्मेवार है। सुरक्षा के निष्पादन की मानीटरिंग एक सतत प्रक्रिया है और डी.जी.एम.एस. कोयला खानों में सुरक्षा के मानकों को निर्धारित करने की एक मुख्य एजेंसी है। सुरक्षा मानकों में आवश्यक सुधार को ध्यान में रखते हुए डी.जी.एम.एस. द्वारा सुरक्षा परिपत्र जारी किए जाते हैं और सुरक्षा निरीक्षणों के दौरान दी गई टिप्पणियों और विभिन्न सुरक्षा समितियों और कोर्ट आफ इन्क्वायरी की सिफारिशों के आधार पर सुरक्षा मानकों में आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करते हुए कोयला खान विनियमों (सी.एम.आर.) को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। खान प्रबंधन और डी.जी.एम.एस. द्वारा सभी प्रमुख दुर्घटनाओं/घातक दुर्घटनाओं की विस्तारपूर्वक जांच की जाती है। सरकार खान अधिनियम, 1952 के प्रावधान के तहत दुर्घटनाओं की गंभीरता के आधार पर कोर्ट आफ इन्क्वायरी का भी गठन करती है। दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा मुकदमा चलाया जाता है और खान प्रबंधन भी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। खान प्रबंधन, ट्रेड यूनियनों (टी.यू.) और डी.जी.एम.एस. के अधिकारियों वाली त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियां खानों में सुरक्षा मानकों की समीक्षा और मानीटरिंग करती है तथा सिफारिशें करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कोयला मंत्री की अध्यक्षता में कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति द्वारा देश में कोयला खानों के विभिन्न पहलुओं की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर कोयला कंपनियां निम्नलिखित कार्रवाई कर रही है:

- संभावित खतरों को कम करने के लिए खानों की नियमित सुरक्षा जांच और जोखिम मूल्यांकन।
- प्रभावी सुरक्षा मानीटरिंग के लिए प्राथमिकता आधार पर सांविधिक रिक्तियों को भरना।
- बहुविधा आन्तरिक सुरक्षा संगठन (आई.एस.ओ.) के द्वारा सुरक्षा मानीटरिंग।
- सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी।
- पर्यवेक्षकों और ठेकेदार के कामगारों सहित कामगारों को प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण देने पर बल।
- राक-मास-रेटिंग पर आधारित वैज्ञानिक रूफ सपोर्ट प्रणाली।
- ज्वलनशील और जहरीली गैसों का पता लगाने के लिए खान वातावरण की नियमित मानीटरिंग।
- खनन प्रचालनों का यंत्रीकरण।

विवरण-I

कोयला खानों में कंपनी-वार/कारण-वार घातक दुर्घटनाएं

क्र.सं.	कारण	वर्ष	ई.सी.एल.	बी.सी.सी.एल.	सी.सी.एल.	एन.सी.एल.	डब्ल्यू.सी.एल.	एस.ई.सी.एल.	एम.सी.एल.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	छत का गिरना	2005	2	7	1	0	1	4	2
		2006	3	2	0	0	1	2	1
		2007	2	2	0	0	3	4	0
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0
2.	साइड का गिरना	2005	3	0	0	0	1	0	0
		2006	0	0	0	0	0	0	0
		2007	0	0	0	0	0	0	0
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0
3.	रोप हालेज	2005	3	1	1	0	2	1	0
		2006	1	0	1	0	2	0	0
		2007	1	1	0	0	2	0	0
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0
4.	डम्पर्स	2005	2	0	2	0	4	4	3
		2006	1	1	2	3	1	0	1
		2007	1	3	2	2	6	3	1
		2008-जन.	1	0	0	0	0	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	अन्य परिवहन	2005	1	0	0	0	0	0	0
		2006	0	1	0	0	0	0	0
		2007	0	0	1	1	1	3	1
		2008-जन.	0	0	0	1	0	0	0
6.	अन्य मशीनरी	2005	4	1	1	1	2	3	3
		2006	2	3	1	0	4	4	0
		2007	0	1	0	2	1	4	0
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0
7.	विस्फोटक	2005	0	0	0	0	0	2	0
		2006	0	0	0	0	0	0	0
		2007	1	0	0	0	0	0	0
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0
8.	व्यक्तियों का गिरना	2005	1	1	1	1	0	0	0
		2006	0	0	1	0	1	0	0
		2007	0	0	2	1	0	0	0
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0
9.	वस्तु का गिरना	2005	0	1	0	1	1	0	1
		2006	0	2	0	1	0	0	0
		2007	0	0	1	0	0	0	0
		2008-जन.	0	0	0	1	0	0	0

10.	जलभराव	2005	0	0	1	0	0	0	0
		2006	0	0	0	0	0	0	0
		2007	0	0	0	0	0	0	0
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0
11.	विस्फोट	2005	0	0	0	0	0	0	0
		2006	0	1	0	0	0	0	0
		2007	0	0	0	0	0	0	0
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0
12.	अन्य कारण	2005	0	3	0	0	0	0	1
		2006	1	2	0	0	4	1	0
		2007	0	5	2	0	0	2	1
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**2005**	**16**	**14**	**7**	**3**	**11**	**14**	**10**
		2006	**8**	**12**	**5**	**4**	**13**	**7**	**2**
		2007	**5**	**12**	**8**	**6**	**13**	**16**	**3**
		2008-जन.	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**
		कुल	30	38	20	15	37	38	15

क्र.सं.	कारण	वर्ष	एन.ई.सी.	सी.आई.एल.	एस.सी.सी.एल.	एन.एल.सी.	टाटा स्टील	इस्को	अन्य	कुल
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	छत का गिरना	2005	0	17	1	0	0	0	0	18
		2006	0	9	3	0	1	0	0	13
		2007	0	11	1	0	0	0	0	12
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	साइड का गिरना	2005	0	4	1	0	1	0	1	7
		2006	0	0	4	0	0	0	0	4
		2007	0	0	1	0	1	0	0	2
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	रोप हालेज	2005	0	8	3	0	1	0	0	12
		2006	0	4	4	0	0	0	0	8
		2007	0	4	1	0	0	0	0	5
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	डम्पर्स	2005	0	15	0	0	0	0	2	17
		2006	0	9	0	0	0	0	1	10
		2007	0	18	0	0	0	0	2	20
		2008-जन.	0	2	1	0	0	0	0	3
5.	अन्य परिवहन	2005	0	1	0	0	0	0	0	1
		2006	0	1	0	0	0	0	0	1

		2007	0	7	2	0	0	0	0	9
		2008-जन.	0	1	0	0	0	0	0	1
6.	अन्य मशीनरी	2005	0	15	3	0	0	1	0	19
		2006	0	14	2	1	0	0	0	17
		2007	0	8	6	1	0	0	0	15
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	विस्फोटक	2005	0	2	0	0	0	0	0	2
		2006	0	0	0	0	0	0	0	0
		2007	0	1	0	0	0	0	0	1
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	व्यक्तियों का गिरना	2005	1	5	2	0	0	0	0	7
		2006	0	2	0	1	1	0	0	4
		2007	0	3	0	1	0	0	0	4
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	वस्तु का गिरना	2005	0	4	0	1	0	0	1	6
		2006	0	3	2	2	0	1	0	8
		2007	0	1	0	0	0	0	1	2
		2008-जन.	0	1	0	0	0	0	0	1
10.	जलभराव	2005	0	1	0	0	0	0	0	1
		2006	0	0	0	0	0	0	0	0
		2007	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	विस्फोट	2005	0	0	0	0	0	0	0	0
		2006	0	1	0	0	0	0	0	1
		2007	0	0	0	0	0	0	0	0
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	अन्य कारण	2005	0	4	1	0	0	0	1	6
		2006	0	8	1	1	1	1	0	12
		2007	0	10	2	1	0	0	0	13
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**2005**	**1**	**76**	**11**	**1**	**2**	**1**	**5**	**96**
		2006	**0**	**51**	**16**	**5**	**3**	**2**	**1**	**78**
		2007	**0**	**63**	**13**	**3**	**1**	**0**	**3**	**83**
		2008-जन.	**0**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
		कुल	1	194	41	9	6	3	9	262

विवरण-II

घातक दुर्घटनाओं (संख्या) का कंपनी-वार/स्थान-वार ब्यौरा

क्र.सं.	स्थान	वर्ष	ई.सी.एल.	बी.सी.सी.एल.	सी.सी.एल.	एन.सी.एल.	डब्ल्यू.सी.एल.	एस.ई.सी.एल.	एम.सी.एल.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भूमि के नीचे	2005	9	10	3	0	6	7	3
		2006	7	7	2	0	7	3	1
		2007	4	5	0	1	5	7	1
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0
2.	ओपनकास्ट	2005	3	1	4	1	4	5	4
		2006	1	5	1	3	1	3	1
		2007	1	4	5	4	7	4	2
		2008-जन.	1	0	0	2	0	1	0
3.	भूमि के ऊपर	2005	4	3	0	2	1	2	3
		2006	0	0	2	1	5	1	0
		2007	0	3	3	1	1	5	0
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**2005**	**16**	**14**	**7**	**3**	**11**	**14**	**10**
		2006	**8**	**12**	**5**	**4**	**13**	**7**	**2**
		2007	**5**	**12**	**8**	**6**	**13**	**16**	**3**
		2008-जन.	**1**	**0**	**0**	**2**	0	**1**	**0**
		कुल	30	38	20	15	37	38	15

क्र.सं.	स्थान	वर्ष	एन.ई.सी.	सी.आई.एल.	एस.सी.सी.एल.	एन.एल.सी.	टाटा स्टील	इस्को	अन्य	कुल
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	भूमि के नीचे	2005	1	39	8	0	2	1	0	50
		2006	0	27	13	0	2	2	0	44
		2007	0	23	5	0	1	0	1	30
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	ओपनकास्ट	2005	0	22	2	1	0	0	3	28
		2006	0	15	3	5	0	0	1	24
		2007	0	27	6	3	0	0	2	38
		2008-जन.	0	4	1	0	0	0	0	5
3.	भूमि के ऊपर	2005	0	15	1	0	0	0	2	18
		2006	0	9	0	0	1	0	0	10
		2007	0	13	2	0	0	0	0	15
		2008-जन.	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**2005**	**1**	**76**	**11**	**1**	**2**	**1**	**5**	**96**
		2006	**0**	**51**	**16**	**5**	**3**	**2**	**1**	**78**
		2007	**0**	**63**	**13**	**3**	**1**	**0**	**3**	**83**
		2008-जन.	**0**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
		कुल	1	194	41	9	6	3	9	262

विवरण-III

गंभीर दुर्घटनाओं का कंपनी-वार/वर्ष-वार ब्यौरा

वर्ष	ई.सी. एल.	बी.सी. सी.एल.	सी.सी. एल.	एन.सी. एल.	डब्ल्यू. सी.एल.	एस.ई. सी.एल.	एम.सी. एल.	एन.ई. सी.	सी.आई. एल.	एस.सी. सी.एल.	एन.एल. एल.	टाटा स्टील	इस्को	अन्य	कुल
2005	77	46	25	13	42	97	14	1	315	796	2	2	0	3	1118
2006	93	35	19	9	48	70	12	0	286	560	1	1	1	2	851
2007	72	31	16	9	51	56	7	0	242	499	0	2	2	0	745
2008-जन.	2	6	1	1	1	3	0	0	14	14	0	0	0	0	28
कुल	244	118	61	32	142	226	33	1	857	1869	3	5	3	5	2742

राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव

*200. **श्री जुएल ओराम:**

श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने के लिए आज की तारीख तक राज्यवार तथा स्थानवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन प्रस्तावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की;

(ग) सरकार के पास आज की तारीख तक स्वीकृति के लिए कितने प्रस्ताव अभी भी लंबित हैं और इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा व्यय की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से कुल 148 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) फिलहाल और अधिक सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बजाय अपेक्षित मानकों के अनुरूप विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर बल दिया जा रहा है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए धनराशि का आबंटन एक मुश्त रूप में राज्यवार किया जाता है। नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कोई अलग धनराशि आबंटित नहीं की जाती है।

विवरण

नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम		सड़क/खंड का विवरण	लंबाई कि.मी.
1	2		3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1.	नेल्लोर-अतमाकुर-बदवेल-माइदुकुरे-गूटी	314
		2.	हैदराबाद-रामगुंडम-मनचेरियल-चंदा	330
		3.	हैदराबा-श्रीसाइलम-डोरनाला-नांदयाल	300
		4.	गुंडुगोलानु-नालागेरिया-देवारापल्ली-वर्नागिरि सड़क	83
		5.	कृष्णपटटनम पत्तन-नेल्लोर-चेलाकारा चित्रदुर्ग के समीप	470
		6.	हैदराबाद-मेडक-बोधन-बसर-लक्ष्टीपेट	395
		7.	काकीनाडा-द्वारापुडी-राजामुंद्री-कोवुर-सूर्यपेटा	300
		8.	राजामुंदरी-मेरेदमिली-चिंतुरू-मुपालपटटनम	400
		9.	कुरनूल-अतमाकुर-डोरनाला-थोकापल्ली-पेरीचेरला-गुंटूर	300
		10.	कोदाद-मिरियालागुडा-देवाराकोंडा-तंदूर-चिंचोली	240

1	2		3	4
		11.	बेल्लारी-अदोनी-रायचुट-महबूबनगर-जडचेरला	200
		12.	कलिंगापट्टनम-श्रीकाकुलम-रायगढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग 201	120
		13.	सिरोंचा महादेवपुर-टूंगातुर्थी-इरपेड्डू-रेनीगुंटा	650
		14.	अंकापल्ली-अनादापुरम	50
		15.	कुप्पम-गुंडीपल्ली-कोलार से राष्ट्रीय राजमार्ग 219	70
		16.	कोदाद-खम्माम-थोरूर-वारंगल-जगीत्याल	290
		17.	अनंतपुर-उरावाकोंडा-बेल्लारी	78
		18.	पूत्तलपत्तू-नायडुपेट सड़क	117
		19.	कुरुनूल-बेलारी सड़क	126
			उप-जोड़	**4833**
II.	**असम**	1.	धोदर अली	250
III.	**गुजरात**	1.	सरखेज-सानंद-विरंगम-मलिया के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 8ए	186
		2.	हिम्मतनगर-मेहसाणा-राधनपुर राज्यीय राजमार्ग	165
		3.	राष्ट्रीय राजमार्ग 8ए को राष्ट्रीय राजमार्ग-6 से जोड़ने वाली बडोदरा-पोर-नासिक सड़क	245
		4.	अहमदाबाद-ढोलका-वतमान	80
		5.	नाडियाड-कपाडवंज-राष्ट्रीय राजमार्ग-8 को जोड़ते हुए मुडासा	135
		6.	शामलाजी-मुडासा-गोधरा-वापी राज्यीय राजमार्ग सं.-5	506
		7.	बड़ोडरा-डामोल-छोटाउदपुर से मध्यप्रदेश सीमा	125
		8.	भरुच-अंकलेश्वर-सगबारा से महाराष्ट्र सीमा	90
		9.	हिम्मतनगर-इदर-खेदमरमा-अम्बाजी से आबू सड़क सीमा	130
		10.	जाफराबाद-राजूला-अवर कुण्डला-पाटादी-सीमी-राधनपुर	440
		11.	गणदेवी-मानिकपुर-घिंघिली महाराष्ट्र सीमा तक	120
		12.	वडसाड-पारदी-कपारदा महाराष्ट्र सीमा	60
		13.	गांधीनगर-देहगांव-बयाड-जलोड से राजस्थान सीमा	200
		14.	गांधीनगर-गुरारिया-वीसानगर-अम्बाजी-आबू सड़क	170

1	2		3	4
		15.	भचाऊ-भुज-पंधरौ सड़क	220
		16.	बंगोदरा-धनदुका-वालमीपुर-राजूला-जाफराबाद	265
		17.	बगोदरा-धनधुका-भावनगर	130
		18.	भावनगर-वतमान-पढारा-राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर कर्जन	200
		19.	मलिया-जामनगर-ओखा द्वारका	340
			उप-जोड़	3606.00
IV.	हरियाणा	1.	अम्बाला कैन्ट (एन.एच.-1)-शाहा (एन.एच.-73)	15
		2.	साहा (एन.एच.-73) से साहाबाद (एन.एच.-1)	16
		3.	उकलाना (एन.एच.-65)-सूर्यवाल्वाल से टोहना-पटरान (एन.एच.-71)	29.40
		4.	रोहतक शहर में रा.रा.-71 और रा.रा.-71ए के बीच	2.60
			उप-जोड़	63.00
V.	हिमाचल प्रदेश	1.	होशियारपुर-भाखंडी	
		2.	झालरा-ऊना-भूटा-जोहा-रावलसर-मंडी रोड	180.00
		3.	यमुनानगर-लाल ढांक-पौंटा-दारनघाटी सड़क	352.00
		4.	कीरतपुर साहिब-नांगल-ऊना-मकलोडगंज सड़क	207.50
		5.	स्लापर-तातापानी-लूरी-सेंज रोड	120.00
		6.	चंडीगढ़ (पी.जी.आई.)-बद्दी-रामशहर-शालाघाट सड़क	127.20
		7.	सेंज-लूरी-बंजार-औत (बगीतर) सड़क	97.00
		8.	नगरौता-रानीताल-देहरा-मुबारिकपुर सड़क	91.00
		9.	पावनाता-रजबन-शिलाई-मीनस-हतकोटी सड़क	160.500
			उप-जोड़	1335.20
VI.	कर्नाटक	1.	मैसूर-चनारायापटना-अरासीकेरी-होलेन नरसिंहपुरा होते हुए चनारायपटना और सकलेशपुरा के बीच लूप	187
		2.	बिलकेरी-हासन-बेलूर-तरकेरी-सिमोगा-होनाली-एच.पी. हाली-होसिट-गंगावती-सिंदानूर-मानवी-रायचूर	612
		3.	रा.रा. 48-हासन-गोरूर-अरकालगुड-रामनाथपुरा-बेटादापुरा-पेरियापटना-गुंडलूपेट सड़क	249

1	2		3	4
		4.	बंतवाल-मुंडीगिरी-बेलूर-हेलीबिदू-सिरा-ग्वारीबिदनूर-सीबीपुरा-चिंतामणी-श्रीनिवासपुरा-मुलबगल	487
		5.	बंगलौर-आउटर रिंग रोड डॉबासपेट-सोलूर-मगादी-रामनगरम-कनकपुरा-अनकेल-अट्टीबेनिली-सरजापुरा	194
		6.	बंगलौर-रमनागरा-चन्नापटना-मंडपा-मैसूर-मेरकारा-मंगलूर (राष्ट्रीय राजामार्ग 17 से जोड़ना)	385
		7.	बीदर-हुमनाबाद-गुलबर्ग-श्रीगुप्पा-बेल्लारी-हीरूर-हुलियार-चिकनायकना-हल्ली-नागामंगला-श्रीरंगपट्टना	679
		8.	कोटागिरी-तुमकुर-कुनीगल-हुलीयारदुर्गा-मड्डूर-मालावेली रोड	140
		9.	बेलगाम-बीजापुर-गुलबर्ग-हुमनाबाद	144
		10.	बेलगाम-बगालकोट-रायचूर-महबूबनगर-आंध्र प्रदेश	366
		11.	चित्रदुर्ग-होलाकेरी-होसदुर्ग-चिकमंगलूर-मुदीगिरी-बेलथानगड़ी-बंतवाल-मंगलौर (राष्ट्रीय राजमार्ग 17 को जोड़ना)	250
		12.	पाडूबिर्दी-करकला-श्रंगेर-थिरथाहल्ली-शिकारीपुरा-सिरलकुप्पा-हुबली-बगलकोट-हुमनाबाद	665
		13.	मालावल्ली-बन्नूर-मैसूर सड़क	45
		14.	गिनीगेरी (कोपल)-गंगावती-कलमला (रायचूर) सड़क	167
		15.	कुमता-सिरसी-थाडसा-हुबली रोड	140
		16.	आंध्र प्रदेश में रा.रा. 4 पर हिरियूर से एस.एच. 24 को पेनूगोंडा से जोड़ना	115
		17.	जेवारगी-बेल्लारी-हट्टीगुडूर-लिंगासुगर-सिंधानूर-श्रीगुप्पा	248
		18.	डोडाबालानपुर-कोलार रोड वाया नंदी विजयपुरा, वेमगल	82
		19.	कुमता-सिरसी-हावेरी-मोलाकुलमुरू-अनंतपुरा	245
		20.	औराद-बीदर-चिंचोली-जेवारगी-बीजापुर-सिदबल-गटकरवडिन महाराष्ट्र	480
		21.	हेबसुर-धारवाड़-रानाग्राम-पानाजी रोड	95
		22.	बागलकोट-गुलेडागुडा-गजेन्द्रगढ़-कुकुनूर-भानापुर	130
		23.	बंगलौर-हिंदुपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 (सोमनदेनापल्ली) को राज्य सीमा तक जोड़ना	80

1	2		3	4
		24.	कडूर-कानागडा राज्यीय राजमार्ग संख्या 64	190
		25.	बेलगाम-बागलकोट-हूंगुंड रोड	165
		26.	कोपाला-जेवारगी रोड	216
		27.	नावलगुंड-कुस्तागी रोड	97
		28.	मनाडावेडी-एच.डी. कोटे-जयपुरा-कोलेगल-सलेम रोड	197
			उप-जोड़	**7020**
VII.	**केरल**		थिरूर-कोटाकल-मल्लापुरम-मंजेरी-गुंडालूपेट रोड	164
VIII.	**महाराष्ट्र**	1.	तटीय सड़क	733.87
		2.	अकोला-नांदेड़-डुगुलूर-रायचूर	
		3.	कोल्हापुर-लातूर-नांदेड़-यानतोल-वर्धा-नागपुर	457.00
			उप-जोड़	**1190.870**
IX.	**मेघालय**	1.	नांगस्टाइन-तूरा रोड	218
		2.	अगिया-मेदीपारा-फूलबावरी-बारंगपारा रोड	224
			उप-जोड़	**442**
X.	**नागालैंड**	1.	असम में रेंगपानी-नगालैंड में रेंगपानी-किफिरा	278
		2.	नगालैंड में हाफलांग-महूर-लेके-कोहिमा	182
		3.	नगालैंड में त्वेनसांग-असम में नगीनीमोरा-शिवसागर	265
			उप-जोड़	**725**
XI.	**उड़ीसा**	1.	कटक-पारादीप	82.00
		2.	संबलपुर-राउरकेला रोड	162.50
		3.	जगतपुर-केंद्रपाड़ा-चांदवाली-भद्रक रोड	152.18
		4.	फूलबनखारा-चारीचक-गोप-कोणार्क-पुरी	104.00
		5.	बहरामपुर-कोरापुट रोड	313.60
		6.	काखिया-जाजपुर-अरडी-भद्रक रोड	92.50
		7.	जोशीपुर-रायरंगपुर-तिरंगी रोड	40.49
		8.	कर्मडीह-सुबडेगा-तालसोरा-लूहाकेरा	37.00

1	2		3	4
		9.	राउरकेला-रेलबहल-कानीबहल रोड	111.00
		10.	कुकुरबुका-लानजीबरना-सलांग बहल रोड	31.00
		11.	जालेश्वर-बरगांव-चंदनेश्वर रोड	35.60
		12.	धेनकनाल-नारनपुर रोड	100.00
		13.	जैयपुर-मलकानगिरि-मोटू रोड	323.00
			उप-जोड़	**1584.87**
XII.	**राजस्थान**	1.	मथुरा-भरतपुर रोड	40
		2.	नसीराबाद-देवली रोड	95
		3.	कोटपुतली-सीकर रोड	125
		4.	खैरवाड़ा-डूंगरपुर-बांसबाड़ा-रतलाम रोड	210
		5.	स्वरूप-गंज-कोटरा-सोम-खेडवाड़ा रोड	147
		6.	फालूदी-नागौर रोड	140
		7.	श्रीडूंगरगढ-सरदारशहर-पुलासर-जसरासर	115
		8.	सवाईमाधोपुर-शिवपुरी (मध्य प्रदेश)	44
		9.	कोसी-कामा-डीग-भरतपुर-रूपवास-धौलपुर	139
		10.	गौतमी-चौराहा-डेसूरी-सदरी-अहोर-जालौर-बाड़मेर	306
		11.	फलोदी-बालोत्रा-जलोर-सिरोही	343
		12.	नागौर-डीडवाना-खूर-सीकर	176
		13.	कीर्की चौकी-भिंडर-सैलूंबर-अस्पर-दुर्गापुर	146
		14.	होडल-पुनहाना-नहारतपुर-रूपवास-धौलपुर	202
		15.	चांदवाजी-चोमू-राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर बागरू	171
		16.	सिरोही-मंडार-डीसा (गुजरात)	68
		17.	गुड़गांव-अलवर-सरिस्का-दौसा-सवाईमाधोपुर	248
			उप-जोड़	**2715**
XIII.	**पांडिचेरी**	1.	कराईकल-नेडूगुडा-कुम्बाकोनम-तंजौर रोड	
		2.	कराईकल-पेरालम-माइलाडूथुरई-सिरकाली रोड	

1	2		3	4
		3.	कराईकल-पेरलाम-थिरूवरूर रोड	
		4.	कराईकल के साथ सिरकाली-सिंबानरकोली-अकूर रोड लिंक	
XIV.	तमिलनाडु	1.	साथी-अथनी-भवानी रोड (राज्यीय राजमार्ग सं. 82)	52.80
		2.	अविनासी-तिरूपुर-पलाडम-पोलाची-मीनकरई रोड	99.60
		3.	त्रिची-नमक्कल रोड	77.40
		4.	तिरुचरापल्ली-लालगुडी-कालागुडी-उद्यानपलया-गंजाकोंडा-चालापुरी-मी-काटूमानागडी-चिदम्बरम	140.00
		5.	तंजावूर-अदनाकोट्टई-पुडूकोट्टाई	60.00
		6.	मदुरै-टोंडी सड़क (एस.एच.-33)	109.60
		7.	डिंडीगुल-नाथम-सींगमपुनारी-तिरुपातूर-देवकोट्टै-रास्ता सड़क	120.40
		8.	कुड्डालूर-चित्तूर सड़क	203
			उप-जोड़	**862.80**
XV.	त्रिपुरा		कुकीताल से सबरूम वाया धर्मनगर-अमरपुर, रूपाईचारी	310
XVI.	उत्तर प्रदेश	1.	कुरावली-मैनपुरी-करहल-इटावा रोड	73.158
		2.	सिरसागंज-करहल-किसनी-विधुना-चौबेपुर रोड	161.53
		3.	बरेली-बदायूं-बिलसी-गजरौला-चांदपुर-बिजनौर रोड	262.39
		4.	जिगदीशपुर-गौरीगंज-अमेठी-प्रतापगढ़ रोड	79.00
		5.	फतेहपुर-रायबरेली-जगदीशपुर-फैजाबाद रोड	181.960
		6.	लूम्बिनी दुधी राज्यीय राजमार्ग संख्या 5	101.00
			उप-जोड़	**859.038**
XVII.	पश्चिम बंगाल	1.	पश्चिम बंगाल में गलगलिया से बिहार सीमा से पूर्णिया	102
		2.	मुल्लारपुर तक रा.रा.-2 बी का विस्तार	53.50
			उप-जोड़	**155.50**
XVIII.	सिक्किम	1.	नथुला से सिलीगुडी तक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग	-
XIX.	दादरा एवं नगर हवेली	1.	वाया वापी, सिलवासा, खनवेल और त्रिअंबेश्वर, दमन से नासिक	190
		2.	वापी-सिल्वासा-तलसारी सड़क	50
			उप-जोड़	**240**

1	2		3	4
XX.	उत्तराखंड	1.	हिमालयन राजमार्ग (हिमाचल सीमा-तूनी-चकराता-लखवाड़-यमुना-पुल-अल्मोड़ा-लोहाघाट सड़क)	706
XXI.	झारखंड		गोविन्दपुर-जमतारा-दुमका-साहिबगंज सड़क	310
XXII.	पंजाब	1.	एस.एच.-25 अमृतसर-राजासांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा-डेराबाबा नानक-गुरदासपुर	-
		2.	एस.एच.-22 कीरतपुर साहिब-आनंदपुर साहिब-नांगल-ऊना (हिमाचल प्रदेश होकर)-होशियारपुर	-
		3.	तख्त श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो) से सचखंड श्री हुजूर साहिब (नानदेड़) तक गुरु गोबिन्द सिंह मार्ग	2280
			उप-जोड़	**2480**
			जोड़	30052.28

विदेशों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम मजदूरी

1734. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों से नौकरी अनुबंध के संघटक के रूप में न्यूनतम मजदूरी को शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि सरकार ने उत्प्रवास जांच अपेक्षित देशों में उत्प्रवास पर जा रहीं घरेलू नौकरानियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का निर्णय लिया है। संबंधित भारतीय मिशनों द्वारा उस देश में प्रचलित बाजार मजदूरी को ध्यान में रखते हुए, 300-350 अमरीकी डालर के बीच न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाएगी। यह परिकल्पना की गई है कि भारतीय मिशन कार्य संविदाओं का सत्यापन करने और उत्प्रवास संरक्षी उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान करने के लिए मुख्य भूमिका निभाएंगे। ऐसा महिला घरेलू नौकरानियों के लिए किया गया है क्योंकि उन्हें रोजगार वाले देश में श्रम कानूनों में शामिल नहीं किया जाता है। जहां तक अन्य प्रवासी कामगारों की मासिक मजदूरी का संबंध है, यह नियोक्ता और कामगार के बीच का मामला है जो बाजार परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसलिए सरकार ने अन्य क्षेत्रों के लिए कोई न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा अर्जित परमाणु हथियार

1735. श्री मोहन रावले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की प्रौद्योगिकी प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत की सुरक्षा संबंधी ऐसे घटनाक्रमों के प्रतिकूल प्रभावों

के बारे में लगातार अपनी चिंता व्यक्त की है। सरकार उन सभी घटनाक्रमों की सावधानीपूर्वक निगरानी करती है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

[अनुवाद]

सांविधिक शैक्षणिक संस्थानों का मूल्यांकन

1736. श्री कैलाश मेघवाल:

श्री बापू हरी चौरे:

श्री संजय धोत्रे:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.), भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम.सी.आई.) बार काउन्सिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.) व विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करने वाली अन्य सांविधिक निकायों के कार्यकरण को और प्रभावी बनाने के लिए उनके कार्यों की जांच-पड़ताल और मूल्यांकन के लिए कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस समीक्षा में क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को कब तक प्रचालनात्मक किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) सरकार ने भारत में उच्चतर, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में बदलाव और नई ज्ञान अर्थव्यवस्था की मांगों के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.)/अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) की भूमिका और कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 28-2-2008 को यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. समीक्षा समिति का गठन किया है। समिति के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। समिति द्वारा इसकी अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की प्रत्याशा है।

विवरण

भारत में उच्चतर, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में बदलाव और नई ज्ञान अर्थव्यवस्था की मांगों के परिणामस्वरूप यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. की भूमिका और कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 28-2-2008 को गठित यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. समीक्षा समिति के विचारार्थ विषय:

(क) यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना और यू.जी.सी./आई.आई.सी.टी.ई. की भूमिका का सूक्ष्म रूप से आकलन करना और पहुंच, साम्यता संगतता और उच्चतर शिक्षा तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वविद्यालय प्रणाली की उठ रही मांगों को संस्थागत नेतृत्व मुहैया कराने के लिए इनकी तैयारी की समीक्षा करना।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987 के उपबन्धों और पूर्व की समितियों जैसे प्रो. अमरीक सिंह समिति द्वारा उक्त अधिनियमों के संशोधनों के विभिन्न सुझावों की समीक्षा करना।

(ग) उच्चतर शिक्षा के मानकों को समन्वित करने में अन्य सांविधिक निकायों जैसे कि ए.आई.सी.टी.ई., एम.सी.आई., डी.सी.आई., एन.सी.आई., एन.सी.टी.ई., डी.ई.सी. आदि की कार्यात्मक भूमिका की तुलना में यू.जी.सी. की भूमिका की समीक्षा करना।

(घ) केन्द्र सरकार की तुलना में यू.जी.सी. और यू.जी.सी. की तुलना में विश्वविद्यालय प्रणाली की स्वायत्तता की आवश्यकता का आकलन।

(ङ) राज्य विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के मानकों का निर्धारण करने और उन्हें लागू करने में यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. की भूमिका और प्रोत्साहनों और निरुत्साहनों की एक प्रणाली की शुरुआत करने की संभावना ताकि उच्चतर शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के राष्ट्रीय मानकों के संबंध में न तो कोई समझौता किया जा सके और न ही उन्हें हल्का किया जा सके।

(च) संस्थानों के फीडबैक के तंत्र सहित उनके समय से उपयोग के लिए यू.जी.सी. से विश्वविद्यालयों

की ओर संसाधनों के प्रवाह के लिए एक प्रभावी और कुशल तंत्र के संबंध में सिफारिशें करना।

(छ) यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और कुशलता की आवश्यकता।

(ज) संस्थानों को मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालय घोषित करने की तुलना में यू.जी.सी. की भूमिका और यू.जी.सी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को मुख्य धारा में लाने के लिए सिफारिशें करना।

(झ) यू.जी.सी. अधिनियम 1956 की धारा 12 ख के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र बनने हेतु पात्रता मानदण्ड में परिवर्तन की आवश्यकता के संबंध में सिफारिशें करना।

(ञ) उपर्युक्त विचारार्थ विषयों से उत्पन्न होने वाले अथवा उससे संबंधित कोई अन्य मुद्दे और यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. की कार्यप्रणाली जिसकी सरकार अथवा समिति अपने स्तर पर जांच करना चाहे।

शांति मिशन के लिए भारतीय महिलाओं की मांग

1737. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए भारतीय महिलाओं की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन देशों में शांति मिशन के लिए भारतीय महिलाओं को अब तक तैनात किया गया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय महिला कार्मिकों को शांति रक्षा अभियानों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र मिशनों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियान विभाग (यू.एन.डी.पी.के.ओ.) में तैनात किया गया है जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। इस तैनाती में लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात के.रि.पु. बल का 105 सदस्यीय दस्ता शामिल है। यह संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के लिए अभी तक की पहली गठित महिला पुलिस इकाई (एफ.एफ.पी.यू.) है।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियान विभाग में तैनात भारतीय महिलाएं

क्र.सं.	मिशन	सैन्य पर्यवेक्षक एम.आई.एल.ओ.बी./ स्टाफ अधिकारी/आकस्मिक कार्मिक/ पुलिस अधिकारी एवं कार्मिक
1	2	3
1.	**एम.ओ.एन.यू.सी.** कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन मिशन	30
2.	**यू.एन.एम.आई.एस.** सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन	05
3.	**यू.एन.एम.ई.ई.** इथियोपिया और एरीट्रिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन	03

1	2	3
4.	**यू.एन.आई.एफ.आई.एल.**	08
	लेबनाना में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल	
5.	**यू.एन.डी.ओ.एफ.**	01
	सीरिया और इजरायल में यूनाइटेड नेशन डिसइंगेजमेंट आबर्जर फोर्स	
6.	**यू.एन.एम.आई.एल.**	105
	लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन	
7.	सर्बिया, सूडान और तिमोर लेस्ते में संयुक्त राष्ट्र मिशन	07
8.	**यू.एन.डी.पी.के.ओ.**, न्यूयार्क, यू.एस.ए.	02
	कुल	161

सड़कों पर चलने वाले वाहनों के लिए स्पीड लिमिट

1738. श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री रनेन बर्मन:
श्री कुलदीप बिश्नोई:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए.पी. बहादुर की अध्यक्षता वाली समिति ने सड़कों पर चलने वाले वाहनों के लिए नए स्पीड लिमिट की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने ओवरलोडिंग/ओवरस्पीडिंग/ड्रंकन ड्राइविंग और अन्य तरीके से यातायात के नियमों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए 'इन्टरसेप्टर' का प्रयोग करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(आंकड़े प्रति घंटा कि.मी.)

सड़कों की श्रेणियां	वाहनों की श्रेणियां				
	हल्के यात्री वाहन	मध्यम और भारी यात्री वाहन	माल वाहन	दुपहिया	तिपहिया
1	2	3	4	5	6
एक्सप्रेस मार्ग	100	80	80	80*	–

1	2	3	4	5	6
4/6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग/राज्यीय राजमार्ग	80	70	70	70	60
2 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग/राज्यीय राजमार्ग	60	60	60	60	60
प्रमुख जिला सड़कें	50	50	50	50	50
अन्य सड़कें	50	50	50	50	50
शहरी सड़कें	50	50	50	50	50
शहरी सहायक सड़के	50	50	50	50	50
पहुंच सड़कें	30	30	30	30	30

*यदि यात्रा की अनुमति दी जाए।

केन्द्र सरकार ने अभी सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं।

(ग) और (घ) जी हां। अभी तक सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ने विभिन्न यातायात उल्लंघनों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न राज्यों को 24 इन्टरसेप्टर प्रदान किए हैं जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	राज्य का नाम	इन्टरसेप्टरों की संख्या
1	2	3
1.	गोवा	2
2.	उत्तराखंड	5
3.	मध्य प्रदेश	2
4.	सिक्किम	2
5.	हरियाणा	2
6.	उत्तर प्रदेश	3
7.	केरल	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	राजस्थान	1
10.	उड़ीसा	1
11.	पंजाब	1
12.	छत्तीसगढ	1
13.	गुजरात	1
14.	कर्नाटक	1
	जोड़	24

टेक्सटाइल कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं

1739. श्री सुब्रत बोस: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख बंदरगाहों पर समर्पित टेक्सटाइल कार्गो हैंडलिंग सुविधा स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और राज्य-वार किन-किन स्थानों पर, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, ऐसी सुविधाओं को स्थापित करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी बंदरगाहों पर एक समान प्रशुल्क दर भी लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) कपड़े के कार्गो को संभालने के लिए महापत्तनों में समर्पित सुविधाएं स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) देश में सभी पत्तनों में एकसमान प्रशुल्क दरें किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सऊदी अरब में भारतीयों द्वारा आत्महत्या

1740. श्री अनिवाश राय खन्ना: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सऊदी अरब में भारतीयों द्वारा की गई आत्महत्या की घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी हां।

(ख) जबकि समय-समय पर सऊदी अरब में भारतीय मिशनों को भारतीय नागरिकों द्वारा आत्महत्याओं के कुछ मामलों की सूचना मिलती रही हैं, उन कारणों, जिनकी वजह से ऐसी आत्महत्याएं हुई हैं, की सूचना नहीं मिली है। गत तीन वर्षों के लिए ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

पंजीकृत आत्महत्याओं की संख्या

वर्ष	भारतीय दूतावास, रियाध	भारत के महा वाणिज्यिक दूत, जिद्दाह	योग
2005	52	17	69
2006	50	20	70
2007	70	14	84

(ग) सरकार ने प्रवासी भारतीय कामगारों के संरक्षण और कल्याण के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की हालत में सुधार

1741. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

श्री कीरेन रिजीजू:

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों, लैब टेक्नीशियनों और कम्पाउंडरों की संख्या कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त रिपोर्ट में किए गए खुलासे को देखते हुए सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की हालत को सुधारने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार, देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 1410 डॉक्टरों की कमी है। कुल 7352 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रयोगशाला तकनीशियनों के बिना कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अधीन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को स्टाफ की संविदात्मक नियुक्ति समेत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। तथापि, राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के लिए अपनी आवश्यकता को अपनी वार्षिक एन.आर.एच.एम. कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित टास्क ग्रुप ने ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की है:

- डॉक्टरों की तैनाती उनके गृह नगर के निकट करने की प्राथमिकता के साथ उनकी सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करना;
- जिला स्तर पर भर्ती का विकेन्द्रीकरण;
- डॉक्टरों का वाक् इन इंटरव्यू के लिए बुलावा और संविदात्मक नियुक्ति;
- ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती के लिए वेतन में एक-तिहाई वृद्धि करना।

[अनुवाद]

एच.आई.वी./एड्स के मामले

1742. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में एच.आई.वी./एड्स के मामले में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन राज्यों में भी जहां एच.आई.वी./एड्स के मामले बड़ी संख्या में पाए गए हैं ऐसा कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) वार्षिक प्रहरी निगरानी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के सभी जिले पिछले तीन वर्षों में किसी भी वर्ष के दौरान प्रसवपूर्व महिलाओं में एक अथवा उससे अधिक की व्याप्तता दर वाले श्रेणी 'क' राज्य हैं। राज्य वयस्क एच.आई.वी. व्याप्तता दर में मामूली कमी आई है जो 2002 में 1.16% से घटकर 2006 में 1.05% हो गई है।

(ग) और (घ) असंबद्ध अनाम प्रहरी निगरानी सर्वेक्षण सभी राज्यों में हर वर्ष किया जाता है। जिलों में चुनिंदा स्थलों से रक्त के नमूने एकत्र किए जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ल्ड वेटलैंड डे (विश्व आर्द्रभूमि दिवस)

1743. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2 फरवरी, 2008 को वर्ल्ड वेटलैंड डे (विश्व आर्द्रभूमि दिवस) के रूप में मनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पारितंत्र के संरक्षण में सक्रिय रूप से संलग्न विभिन्न एजेंसियों ने डीपोर बील वेटलैंड्स के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया है;

(घ) क्या सरकार ने संरक्षण के प्रयोजनार्थ असम ओर पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी आर्द्रभूमि की पहचान की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी हां, विश्व नमभूमि दिवस 2 फरवरी, 2008 को हिमाचल प्रदेश के पोगंडेम के निकट फतेहपुर, जोकि रामसर स्थलों में से एक है, में राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर विभिन्न चित्रकारी, निबंध लेखन और डे क्लेमेशन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे। इस दिन हिमाचल प्रदेश की नमभूमियों से संबंधित एक लघु पुस्तिका भी जारी की गई थी।

(ग) से (ङ) जी, हां। हाल ही में पहचानी गई उरूपद बील नमभूमि के अलावा डीपर बील भी राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत असम की एक पहचानी गई नमभूमि है। पूर्वोत्तर की अन्य नमभूमियों में लोकतक (मणिपुर), रूद्रसागर (त्रिपुरा), तामदिल एवं पालक (मिजोरम), खेचूपेरी, टामजे, टेम्बाओं फेंडांग, गुरू डाकमर सोमगो (सिक्किम) और कुमियामी झील (मेघालय) आदि शामिल हैं।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, मत्स्य पालन विकास खरपतवार हटाना, जैवविविधता संरक्षण, सामाजिक आर्थिक पहलुओं, सर्वेक्षण और सीमांकन, बागवानी, वृक्षारोपण करना, शिक्षा और जागरूकता आदि कार्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में नमभूमियों के संरक्षण हेतु 249.70 लाख रु. की धनराशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

कैंसर का पता लगाने/उसके परीक्षण की सुविधाएं

1744. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में कैंसर का पता लगाने/उसके परीक्षण के लिए मुहैया कराई गई सुविधाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते, यह विभिन्न राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे कैंसर का शीघ्र पता लगाने, निदान करने और उपचार के लिए पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (एन.सी.सी.पी.) की योजना के अंतर्गत जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन अब कैंसर की शीघ्र जांच, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने, जागरूकता पैदा करने इत्यादि के जरिए कैंसर का शीघ्र पता लगाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार भी उपचार की सुविधायें देने हेतु सरकारी मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में रेडियो थिरेपी एककों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को पूरा कर रही है।

गत तीन वर्षों के दौरान एन.सी.सी.पी. के अंतर्गत जिन संस्थानों को कैंसर का पता लगाने और उपचार के लिए सहायता अनुदान दिये गये हैं, उनकी राज्यवार और योजनावार सूची विवरण में दी गई है।

विवरण

संशोधित एन.सी.सी.पी. के अंतर्गत राज्यवार व्यय

क्र. सं.	राज्य का नाम	संस्था का नाम	योजना का वर्ष	वर्ष	सहायता अनुदान की राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	इंडियन रेड क्रास सोसायटी, नेल्लोर	वेंकेटश्वरा	2007-08	50.00
		वेंकेटश्वरा, तिरूपति		2006-07	300.00
		जी.एम.सी., अनन्तपुरा, तिरूपति		2005-06	200.00
		जी.जी.एच. काकीनाडा		2005-06	100.00
		आई.आर.सी.एस., नैल्लोर		2004-05	250.00
2.	असम	आर.सी.सी., गुवाहाटी		2007-08	500.00
		बरपेटा नलबारी एंड दरांग		2007-08	22.00
		ए.एम.सी., डिब्रुगढ		2006-07	218.00
		मेडिकल कालेज, सिलचर		2005-06	200.00
		बी.बी.सी.आई., गुवाहाटी		2005-06	16.00

1	2	3	4	5	6
		बी.बी.सी.आई., गुवाहाटी		2004-05	284.00
		बी.बी.सी.आई., गुवाहाटी		2004-05	300.00
3.	चंडीगढ़	पी.जी.आई.एम.ई.आर., चंडीगढ़		2005-06	264.00
		पी.जी.आई.एम.ई.आर., चंडीगढ़		2005-06	500.00
4.	छत्तीसगढ़	आर.सी.सी., रायपुर		2007-08	300.00
5.	गुजरात	आर.सी.सी., अहमदाबाद		2006-07	500.00
		आर.सी.सी., अहमदाबाद		2006-07	6.99
		एम.जी.आई.सी., वर्धा		2006-07	200.00
		आर.सी.सी., अहमदाबाद		2005-06	15.00
		आर.सी.सी., अहमदाबाद		2004-05	300.00
6.	हिमाचल प्रदेश	आर.सी.सी., शिमला		2007-08	300.00
7.	जम्मू-कश्मीर	जी.एम.सी., श्रीनगर		2006-07	114.00
		जी.एम.सी., जम्मू		2005-06	200.00
		एस.के.आई.एम.एस., श्रीनगर		2005-06	499.00
8.	कर्नाटक	आर.सी.सी., बंगलौर		2006-07	500.00
		वी.आई.एम.एस., बेल्लारी		2005-06	100.00
		आर.सी.सी., बंगलौर		2004-05	300.00
		आर.सी.सी., बंगलौर		2004-05	200.00
9.	केरल	आर.सी.सी., त्रिवेन्द्रम		2007-08	400.00
		आर.सी.सी., त्रिवेन्द्रम		2007-08	17.00
		कोट्टायम		2007-08	100.00
		आर.सी.सी., तिरूवनंतपुरम		2006-07	100.00
		जी.एम.सी., कालीकट		2005-06	150.00
		जी.एच., एर्नाकुलम		2005-06	270.00
		आर.सी.सी., त्रिवेन्द्रम		2005-06	22.00
		आर.सी.सी., त्रिवेन्द्रम		2004-05	300.00

1	2	3	4	5	6
		एम.सी.सी., कन्नूर		2004-05	150.00
		जी.एम.सी.एच., त्रिवेन्द्रम		2004-05	300.00
		आर.सी.सी., त्रिवेन्द्रम		2004-05	300.00
10.	मध्य प्रदेश	शिवपुरी, गुना एंड अशोकनगर		2007-08	22.00
		दतिया, चतरपुर और टीकमगढ		2007-08	22.00
		बीकानेर		2007-08	22.00
		सोनी और बालाघाट		2007-08	22.00
		भिंड और मोरैना		2007-08	22.00
		भोपाल ओर रायसेन		2007-08	22.00
		आर.सी.सी., ग्वालियर		2007-08	44.00
		जी.एम.आर.सी., ग्वालियर		2005-06	300.00
		आर.सी.सी., ग्वालियर		2004-05	300.00
11.	महाराष्ट्र	जी.एम.सी.एच., नागपुर	आन्कोलाजी	2004-05	288.00
12.	मणिपुर	आर.आई.एम.एस., इम्फाल	आन्कोलाजी	2005-06	300.00
		आर.आई.एम.एस., इम्फाल	आर.सी.सी.	2005-06	500.00
13.	मेघालय	सी.एच., शिलांग	आन्कोलाजी	2004-05	300.00
14.	मिजोरम	सिविल अस्पताल, आइजोल	आर.सी.सी.	2007-08	200.00
		सिविल अस्पताल, आइजोल	आन्कोलाजी	2007-08	100.00
		सिविल अस्पताल, आइजोल	आर.सी.सी.	2005-06	80.00
		आर.सी.सी., मिजोरम	डी.सी.सी.पी.	2005-06	22.00
15.	नागालैंड	सी.एच., मोकोकचुंग	आन्कोलाजी	2004-05	221.00
16.	उड़ीसा	आर.सी.सी., कटक	आर.सी.सी.	2006-07	300.00
17.	पांडिचेरी	आर.सी.सी., पांडिचेरी	आर.सी.सी.	2004-05	300.00
18.	पंजाब	एस.जी.टी.बी.एच. अमृतसर	आन्कोलाजी	2005-06	200.00
19.	राजस्थान	आर.एन.टी., उदयपुर	आन्कोलाजी	2007-08	196.00

1	2	3	4	5	6
20.	तमिलनाडु	जी.ए.ए.एम.सी.आर.आई. एंड एच., कांचीपुरम	आर.सी.सी.	2005-06	500.00
		आर.सी.सी., चेन्नई	आर.सी.सी.	2004-05	300.00
		जी.ए.ए.एम.सी.आर.आई. एंड एच., कांचीपुरम	अन्कोलाजी	2004-05	288.00
		जी.एम.सी.एच., त्रिचुर	अन्कोलाजी	2004-05	120.00
21.	त्रिपुरा	सिविल अस्पताल, अगरतला	अन्कोलाजी	2004-05	160.00
22.	उत्तराखंड	दून अस्पताल, देहरादून	डी.सी.सी.पी.	2006-07	66.00
		दून अस्पताल, देहरादून	आन्कोलाजी	2005-06	62.00
23.	उत्तर प्रदेश	के.एन.एच.एम., इलाहाबाद	एक्सीलेंस	2006-07	500.00
		एस.जी.पी.जी.आई.एम.एस., लखनऊ	आर.सी.सी.	2005-06	500.00
		जे.के. कैंसर इन्स्टीट्यूट, कानपुर	आन्कोलाजी	2006-07	250.00
		के.जी.एम.सी., लखनऊ	आन्कोलाजी	2006-07	278.00
		एम.जी.पी.जी.आई., लखनऊ	आन्कोलाजी	2005-06	100.00
		जी.एम.सी.एच., इलाहाबाद	आन्कोलाजी	2004-05	300.00
		के.एन.एच.एम., इलाहाबाद	आर.सी.सी.	2004-05	300.00
24.	पश्चिम बंगाल	आर.जी. कर अस्पताल, कोलकाता	आन्कोलाजी	2007-08	98.00
		एम.सी.एच., कोलकाता	आन्कोलाजी	2006-07	100.00
		जी.एम.सी.एच., मेदिनीपुर	आन्कोलाजी	2004-05	300.00

[अनुवाद]

सी.आई.एल. द्वारा कोयले का उत्पादन

1145. श्री के.एस. राव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किए गए भिन्न-भिन्न किस्मों के कोयले के उत्पादन का ब्यौरा क्या है और इसका पुनरीक्षित लक्ष्य क्या है;

(ख) कोयले का अधिक उत्पादन करने और विदेशों में कोयला खानों का अधिग्रहण करने लिए इसके प्रचालन के आधुनिकीकरण में कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) द्वारा अब तक क्या पहल की गई है और इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी और सरकारी क्षेत्र के विद्युत आस्तियों के साथ संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए सी.आई.एल. को सशक्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) द्वारा पिछले तीन वर्षों

के दौरान कोकिंग और नान-कोकिंग कोयले का वर्षवार उत्पादन तथा संशोधित लक्ष्य (सं.अ.) नीचे दिए गए हैं:-

(आंकड़े मिलियन टन में)

प्रकार	2006-07		2005-06		2004-05	
	लक्ष्य (सं.अ.)	वास्तविक	लक्ष्य (सं.अ.)	वास्तविक	लक्ष्य (सं.अ.)	वास्तविक
कोकिंग	18.39	24.27	19.83	24.16	18.50	22.82
गैर-कोकिंग	345.41	336.64	325.98	319.23	304.68	300.76
कुल	363.80	360.91	345.81	343.39	323.18	323.58

(ख) अपनी खानों को आधुनिक बनाने/यंत्रीकृत करने तथा विदेश में कोयला खान अर्जित करने के उद्देश्य से कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों ने निम्नलिखित सहित अनेक उपाय किए हैं:

(i) सी.आई.एल. में अनेक भूमिगत खानों में साइट डिस्चार्ड लोडरों (एस.डी.एल.), लोड हाल डम्परों (एल.एच.डी.), बेल्ट कन्वेयरों, रूफ बोल्टिंग मशीनों आदि को लागू करके धीरे-धीरे यंत्रीकरण करना जहां भू-खनन स्थितियां अनुमति देती है।

(ii) अधिक उत्पादन और उत्पादकता प्राप्त करने के लिए सी.आई.एल. कीकुछ खानों में सतत खनिक प्रौद्योगिकी और पावर्ड सपोर्ट लांगवाल प्रौद्योगिकी का उपयोग जहां भू-खनन स्थितियां अनुमति देती हैं।

(iii) अधिक क्षमता की भूमिगत खानों के विकास के लिए नौ खानों की पहचान करना।

(iv) इन खानों को विकसित करने के लिए आगे कार्रवाई आरंभ की गई है।

(v) अपनी बड़ी ओपनकास्ट परियोजनाओं में हेवी अर्थ मूविंग मशीनों (हैम) जैसे अधिक क्षमता वाले उपकरणों को लागू करने की योजनाएं।

(vi) सी.आई.एल. की कुछ ओपनकास्ट खानों में इन-पिट क्रशिंग कन्वेयिंग और सतत खनिक प्रौद्योगिकियों को शामिल करना।

(vii) विदेश में कोयला सम्पत्तियों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से भारतीय इस्पात प्राधिकरण, राष्ट्रीय इस्पात निगम लि., राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी में सी.आई.एल. की भागीदारी।

(ग) और (घ) सी.आई.एल. और इसकी सात कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों में से 5 कंपनियों को मिनीरत्न श्रेणी-I कंपनी का दर्जा दिया गया है। लोक उद्यम विभाग के निर्देशों के अनुसार मिनीरत्न कंपनियों को कतिपय वित्तीय सीमाओं के भीतर संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। यदि कोई प्रस्ताव उन प्रत्यायोजित शक्तियों से बाहर है तो वे सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं।

शेर और बाघ का विलुप्त होना

1746. श्री हितेन बर्मन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विलुप्त होने वाले जानवरों की सूची में शेर और बाघ को भी शामिल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पर्यावरण के विकास और संरक्षण के लिए कोई कारगर योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) शेरों और बाघों को उनकी संकटापन्न स्थिति

पर विचार करते हुए अधिक से अधिक कानूनी सुरक्षा दी गई है, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के लागू होने से उन्हें अनुसूची-I में रखा गया है।

(ख) और (ग) शेरों और बाघों सहित वन्य पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए "बाघ परियोजना" और "राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों का विकास" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को केंद्रीय सहायता दी जाती है। भारत सरकार द्वारा वन्य पशुओं के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बाघ और हाथी सहित वन्य जीवों के अवैध शिकार के विरुद्ध सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के संबंध में प्रावधान करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करना। बाघ रिजर्व में किए गए अपराधों के मामलों में दण्ड और अधिक कड़े कर दिए गए हैं। इस अधिनियम में वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों, वाहनों अथवा हथियारों को जब्त करने का भी प्रावधान है।

प्रशासनिक उपाय

2. राज्यों से यथा प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके शिकारोधी दस्तों की तैनाती।

3. भूतपूर्व सैनिकों और स्थानीय कार्यबल को शामिल करके बाघ सुरक्षा बल की तैनाती के लिए 17 बाघ रिजर्वों को 100% अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई।

4. बाघ रिजर्व प्रबंधन में सामान्य मानक सुनिश्चित करना, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों के गठन और बाघ संरक्षण फाउन्डेशन की स्थापना द्वारा बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिये 4-9-2006 से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन।

5. वन्यजीवों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए 6-6-2007 से एक बहुउद्देशीय बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया है जिसमें पुलिस, वन, कस्टम और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं।

6. आठ नए बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

7. बाघ संरक्षण को सुदृढ़ बनानेके लिए संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए है जिसमें चालू कार्यों के अलावा, कोर अथवा किटिकल बाघ वास, स्थलों में रहने वाले लोगों के लिए वर्धित ग्राम पुनर्वास पैकेज (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार) परस्परागत शिकार कार्यों में शामिल समुदायों के पुनर्वास, जीविकोपार्जन को स्ट्रीमलाइन करने, बाघ रिजर्वों के बाहर वन्यजीव, सरोकारों को युक्ति संगत बनाना तथा वासस्थलों के विखंडन को रोकने के लिए सुधारात्मक नीतियां अपनाकर कोरिडोर संरक्षण को बढ़ावा देना।

8. बाघों (कोप्रीडेटर्स, शिकार जानवरों और वास स्थलों की स्थिति के मूल्यांकन सहित) की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक वैज्ञानिक विधि तैयार की गई है। इस अनुमान/मूल्यांकन के निष्कर्ष भावी बाघ संरक्षण नीति के लिए बैंच मार्क हैं।

9. सात राज्यों लगभग 31111 वर्ग किलोमीटर कोर बाघ पर्यावास का अधिनिर्धारित किया।

10. बाघ रिजर्व राज्यों के माध्यम से संरक्षण निवेश के बेहतर/ठोस कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है।

वित्तीय उपाय

11. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों की क्षमता और अवसंरचना बढ़ाने के लिए बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के विकास जैसी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

12. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकॉल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

13. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

14. साइटस (सी.आई.टी.ई.एस.) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान में भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर आपरेशन्स ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके जो केवल वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणों में समाप्त किया जाए और एशियाई बड़ी बिल्लियों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

एम्स के अवकाश प्राप्त डॉक्टरों पर संस्थान के नाम का प्रयोग किए जाने की पाबंदी

1747. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एम्स के अवकाश प्राप्त डॉक्टरों द्वारा उनके क्लिनिक बोर्ड या लेटरहेड पर संस्थान के नाम के प्रयोग पर पाबंदी लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के शासी निकाय ने 20-12-2007 को आयोजित अपनी बैठक में उन डाक्टरों, जो एम्स के 35-40 कि.मी. के दायरे में प्रैक्टिस करने के लिए एम्स से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं, को विवर्जित करने के मामले पर विचार-विमर्श किया और इच्छा व्यक्त की कि इस मामले की प्राथमिकता आधार पर जांच की जानी चाहिए और उसे एम्स की शासी निकाय की अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(घ) सेवानिवृत्ति आदेशों में एक खंड शामिल किया जा रहा है कि सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 10 के अनुसार संबंधित संकाय सदस्य के लिए अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से किसी वाणिज्यिक रोजगार को स्वीकार करने की स्थिति में दो वर्षों के भीतर एम्स से अनापत्ति प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया जाना और उनका उन्नयन

1748. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ाकर उन्हें दो से चार लेन, चार से छह लेन और छह से आठ लेन में बदलने और उनके उन्नयन के लिए मानदंड क्या हैं;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने, विशेषकर चार से छह और आठ लेन में बदलने तथा उनके उन्नयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से राज्य-वार, स्थान-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) उन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसे कितने प्रस्ताव हैं जो मंजूरी के लिए लंबित पड़े हुए हैं और उक्त प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके दो लेन से चार/छः लेन में बदलने और उनके उन्नयन के लिए यातायात की मात्रा और आर्थिक, वाणिज्यिक तथा पर्यटन महत्व आदि के स्थानों को सड़क संपर्क प्रदान करने के आधार पर विचार किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में मैदानी क्षेत्र में दो लेन के राजमार्गों के लिए

डिजाइन सर्विस वॉल्यूम 15,000 पी.सी.यू./प्रतिदिन है। जब यातायात दो लेन के राजमार्ग की क्षमता से अधिक हो जाता है तब उसे चार लेन का बनाने पर विचार किया जाता है। जब यातायात 25,000 पी.सी.यू./प्रतिदिन से अधिक हो जाता है तब उसे छः लेन का बनाने पर विचार किया जाता है। इस समय, 6 लेन को 8 लेन का बनाने के लिए कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) चालू वर्ष के दौरान 2 से 4/6 लेन बनाने के लिए राज्य सरकार से 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से, 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं। तीन प्रस्ताव स्वीकृति के विभिन्न स्तरों पर हैं। शेष एक प्रस्ताव की स्वीकृति राज्य लोक निर्माण विभाग से अभ्युक्ति के अनुपालन पर निर्भर करती है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	रा.रा. सं.	खंड/स्थान	4/6/8 लेन बनाने के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई	समय जब तक प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने की संभावना है
1.	बिहार	98	किमी. 0.0-3.25	1	स्वीकृत	
2.	दिल्ली	24	किमी. 5.700-6.800	1	स्वीकृत	
3.	गुजरात	8ए	किमी. 7.200-10.900	2	स्वीकृत	
			किमी. 26.200-33.400			
			(किमी. 30.100-31.100 को छोड़कर)			
4.	हरियाणा	64 10	किमी. 0.00-0.480	2	स्वीकृत	
			किमी 224.6-226.6			
5.	कर्नाटक	206	किमी. 102.12-105.60	2	स्वीकृत	
			किमी. 194.50-202.00			
6.	मणिपुर	39	किमी. 321.175-323.330	2	विचाराधीन स्वीकृत	31-3-2008
			किमी. 323.330-326.660			
7.	पंजाब	64 15	किमी. 119-120	3	स्वीकृत	
			किमी. 312.3-317.39		स्वीकृत	
		21.	किमी. 11.4-15.54		विचाराधीन	31-3-2008
8.	राजस्थान	11	किमी. 557.80-562.80	1	विचाराधीन	31-3-2008
9.	उत्तराखंड	73	किमी. 1-7	1	विचाराधीन	राज्य लोक निर्माण विभाग के अनु-पालन पर निर्भर

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत कर्नाटक को निधियों का आबंटन

1749. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत कर्नाटक को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और उसके द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने कर्नाटक राज्य-सरकार से निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मंत्रालय ने गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के लिए 256.70 करोड़ रु. जारी किए हैं। राज्य सरकार ने समय पर उपयोग प्रमाम पत्र भेज दिए हैं तथा मंत्रालय द्वारा जारी संपूर्ण धनराशि का उपयोग किया गया। वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	जारी की गई/उपयोग की गई धनराशि (करोड़ रु.)
2004-05	52.76
2005-06	95.13
2006-07	108.81
जोड़	256.70

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्लोबल वार्मिंग

1759. श्री सनत कुमार मंडल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ग्लोबल वार्मिंग के खतरों का सामना करने वाले मुख्य देशों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में, विशेषकर सुंदरवन के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) जलवायु परिवर्तन पर अंतः सरकारी पैनल की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट, जोकि वर्ष 2007 में प्रकाशित हुई थी, में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रत्याशित वैश्विक प्रभावों संबंधी सूचना के साथ-साथ विश्व भर में अन्य प्रभावों जैसे पारि प्रणालियों, खाद्य सामग्री, फाइबर और वन उत्पाद, तटीय प्रणालियां और निचले स्थानों वाले क्षेत्र, उद्योग, मानव बस्तियां, समाज और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की सूचना दी गई है। सामान्यतः इन रिपोर्टों में भारत पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसमें वैश्विक क्षेत्रीय आधार पर जानकारी दी गई है। जहां तक एशिया का संबंध है, रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

(i) हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पिघलने की घटनाओं में वृद्धि प्रत्याशित है।

(ii) मध्य, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में, विशेषकर बड़ी नदी बेसिनों में स्वच्छ जल की उपलब्धता कम होने की प्रत्याशा है।

(iii) तटीय क्षेत्रों, विशेषकर अत्यधिक जनसंख्या वाले दक्षिण के बड़े डेल्टाई क्षेत्रों तथा पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के डेल्टाई क्षेत्रों के भारी जोखिम में होने की प्रत्याशा है।

(iv) ऐसा अनुमान लगाया है कि पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में फसल का उत्पादन 20 प्रतिशत बढ़ सकता है जबकि 21वीं सदी के मध्य तक मध्य और दक्षिण एशिया में यह उत्पादन 30 प्रतिशत तक कम हो सकता है।

(v) पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्यतया बाढ़ और सूखा से संबंधित डायरिया रोग के कारण देशज प्रजातियों की अस्वस्थता और मर्त्यता की दर में वृद्धि होने की प्रत्याशा है।

सरकार द्वारा भारत की प्राकृतिक जलवायु की परिवर्तन

शीलता के प्रति अनुकूलन संबंधी विभिन्न योजनाओं पर जी.डी.पी. का 2 प्रतिशत से अधिक खर्च किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन संबंधी घटनाओं के चलते इस राशि में वृद्धि हो सकती है। वर्ष 2007 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस समिति के विचाराधीन विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ भारत पर मानवजनित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करना और ऐसे उपायों की पहचान करना है जोकि हमें मानवजनित जलवायु प्रभावों की संवेदनशीलता की समस्या से निपटने में भविष्य में अपनाने पड़ सकते हैं।

सुन्दरवन उत्कृष्ट और पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील पारिप्रणालियां हैं। इनकी सुरक्षा के लिए किए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) पिछले दशक के दौरान 2.4 करोड़ रु. की कुल लागत से 4000 हैक्टेयर क्षेत्र में कच्छ वनस्पतियों का पौधरोपण शुरू किया गया है।

(ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कच्छ वनस्पति संरक्षण और प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर में 10वीं योजना में 24 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

(iii) वार्षिक रूप से सुन्दरबनों में 350-400 हैक्टेयर क्षेत्र में कच्छ वनस्पति विकास का कार्य किया जाता है।

(iv) इसके अलावा कच्छ वनस्पतियों पर बढ़ते दबावों को कम करने के लिए वैकल्पिक जीविकोपार्जन हेतु साइड फारेस्ट एरिया में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संयुक्त वन प्रबंधन योजना के अंतर्गत अनेक कार्य किए जाते हैं।

एन.ई.सी. हेतु ग्यारहवीं योजना के प्रस्ताव

1751. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री 22-08-2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1479 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर पूर्व परिषद के संबंध में ग्यारहवीं योजना के प्रस्तावों और प्राथमिकताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या दसवीं योजना के दौरान एन.ई.सी. हेतु योजनाओं अर्थात् (1) लखीमपुर पशु-चिकित्सा विज्ञान कॉलेज को साधन संपन्न बनाने (2) असम में लोहित और खाबोहू पर पुल बनाने के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र नदी के लोहित चैनल पर पुल बनाने का काम ग्यारहवीं योजना में निष्पादित किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो परियोजनाओं को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है और परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार कहां से धनराशि जुटाई जाएगी?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा 11वीं योजना प्रस्तावों तथा पूर्वोत्तर परिषद की प्राथमिकताओं के लिए केवल सांकेतिक आबंटन को ही अंतिम रूप दिया गया है। पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी.) के लिए 11वीं योजना हेतु वर्षवार व्यवहार्य योजनागत आबंटन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई सकल बजटीय सहायता पर निर्भर करेगा।

(घ) से (च) पूर्वोत्तर परिषद ने 1.00 लाख रुपये की सांकेतिक लागत के साथ लखीमपुर कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसिज को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव को वार्षिक योजना 2008-09 में शामिल किया है। असम में लोहित तथा खबोलू नदियों के ऊपर बांधों के निर्माण के लिए डी.पी.आर. की तैयारी हेतु असम सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद को 2.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इन सुझावों पर पूर्वोत्तर परिषद द्वारा प्रतिस्पर्धी मांगों के बीच प्राथमिकता तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विचार किया जाएगा। विद्युत मंत्रालय ने हमें सूचित किया है कि ब्रह्मपुत्र के लोहित चैनल पर ढोला तथा सदिया के बीच बांध के निर्माण को दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना की डी.पी.आर. में शामिल किया गया है। विद्युत मंत्रालय दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के लिए दो विकल्प दर्शाते हुए सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) से अनुमोदन प्राप्त करना चाहता है। पहले विकल्प में बाह्य सड़कें तथा पुल शामिल हैं तथा दूसरे विकल्प में ये शामिल नहीं हैं। इस प्रस्ताव पर विद्युत मंत्रालय द्वा., दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु विकल्पों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् विचार किया जाएगा।

मियाद की तारीखों के लिए अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग

1752. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय विनिर्माण कंपनियां अपने उत्पादों की मियाद तारीखों को दर्शाने के लिए खाद्य पदार्थों पर अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करती हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों तथा उनके उत्पादों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 में केवल एजपरटैम, शिशुओं के लिए दुग्ध विकल्प और शिशुओं के आहार के पैकेज पर उपयोग की अवधि की समाप्ति की तारीख का उल्लेख करने की जरूरत संबंधी उपबंध निहित हैं। अन्य खाद्य सामग्रियों के संबंध में इस नियमावली में "अंकित तारीख से पूर्व सर्वोत्तम" का ही उल्लेख करने का उपबंध है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली कार्यान्वित कर रही राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में से किसी ने भी खाद्य पैकेज पर किसी भी विनिर्माण फर्म द्वारा उपयोग किए जाने की अवधि की समाप्ति की तारीख को अंकित करने के बारे में अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करने की सूचना अपनी वार्षिक रिपोर्टों या अन्यथा के जरिए नहीं दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्य पिछड़ा वर्ग की बकाया रिक्तियों का भरा जाना

1753. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 50 प्रतिशत कोटा की सीमा का उल्लंघन किए बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28,671 रिक्तियों को भरने का है जैसा कि दिनांक 13 फरवरी, 2008 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग की उक्त बकाया रिक्तियां कब तक भर दी जाएंगी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को एक अलग और विशिष्ट समूह जो कि किसी एक वर्ष में आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन नहीं होगा, माने जाने संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

दुबई में रहने वाले भारतीय

1754. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में दुबई में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वापस भेजे गए व्यक्तियों का राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश के व्यक्तियों, का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) दुबई में रहने वाले भारतीयों के बारे में राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 2 जून, 2007 से 2 नवम्बर, 2007 तक संयुक्त अरब अमीरात में क्षमादान के दौरान आंध्र प्रदेश से अवैध उत्प्रवासियों को भारत के महावाणिज्यिक दूत, दुबई द्वारा 17,719 आपात प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। अन्य राज्यों से भारतीयों के संबंध में ब्यौरे अभी प्राप्त होने हैं।

(ग) भारत के महावाणिज्यिक दूत ने संयुक्त अरब अमीरात में अवैध उत्प्रवासियों की भारत वापसी को कारगर बनाने के लिए व्यापक प्रबन्ध किए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) क्षमदान मांगने वाले भारतीयों से आपात प्रमाण-पत्रों के आवेदन एकत्र करने के लिए दुबई और उत्तरी अमीरात में 12 प्राप्ति केन्द्र खोले गए थे।

(ii) क्षमादान के बारे में सूचना के प्रसार के लिए समर्पित हेल्पलाइन स्थापित की गई थीं।

(iii) क्षमादान कार्यों में सहायता के लिए दुबई और शारजाह में भारतीय हाई स्कूलों के प्रबंधकों, अध्यापकों और स्टाफ के अतिरिक्त विभिन्न भारतीय एसोसिएशनों के कार्यकर्त्ताओं की सेवाएं ली गई थीं।

(iv) अधिकारियों का एक दल दुबई भेजा गया था जिसने शीघ्र निर्णय करवाने में सहायता की। काम को तेजी से निपटाने के लिए अतिरिक्त स्टाफ भी लगाया गया।

(v) छपे हुए आपात प्रमाण-पत्रों को लागू किया गया जिससे सुपुर्दगी प्रक्रिया में तेजी आई।

(vi) नियमितीकरण को सरल और सुगम बनाने के लिए नियम बनाने हेतु संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारियों को संतुष्ट करने के प्रयास किए गए थे ताकि कामगारों की भर्ती करने वाली कंपनियों को उपलब्ध कार्यबल से लाभ हो सके।

(vii) आजीवन पाबंदी की धारा को हटाने के लिए भी प्रयास किए गए थे ताकि लोगों को क्षमादान योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

(viii) क्षमादान मांगने वाले भारतीयों को निकास परमिट देने के लिए एक अलग उत्प्रवास केन्द्र खोलने में दुबई न्यूट्रेलाइजेशन एंड रेजीडेंसी विभाग की सहायता की गई थी।

(ix) जी.सी.आई. प्राप्ति केन्द्रों में अपने कार्यालय खोलने के लिए सभी प्रमुख विमान कंपनियों को आमंत्रित किया गया था। सरकार के हस्तक्षेप करने पर एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रैस एंड इंडियन द्वारा क्षमादान मांगने वालों के लिए विशेष भाड़े की घोषणा की गई थी जोकि सामान्य भाड़े से 25-30 प्रतिशत कम था। एयर इंडिया एक्सप्रैस द्वारा हैदराबाद, मुम्बई और कालीकट के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई गई थीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण

1755. श्री मधु गौड यास्खी:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार राजधानी का ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा से अधिक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) के साथ-साथ दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) द्वारा दिन और रात के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में परिवेशी ध्वनि स्तरों की मानीटरी की जाती है। शहर में कुछ स्थानों पर वृद्धि और अन्य पर कमी दर्शाता परिवेशी ध्वनि स्तर का अनियमित रुझान पाया गया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यद्यपि कुछ स्थानों पर परिवेशी ध्वनि मानक मामूली बढ़ा है, तथापि, दिल्ली में स्थिति कुछ चेताने वाली नहीं है।

तम्बाकू उत्पाद पैकेटों पर चित्रित चेतावनी

1756. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

श्रीमती निवेदिता माने:

श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर चित्रित चेतावनी छापने की सिफारिश की है जैसाकि दिनांक 27 फरवरी, 2008 के 'दि हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) "तम्बाकू और अन्य उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन,

आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003" की धारा 8 में विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के प्रदर्शन की व्यवस्था है जिसमें सिगरेट के पैकेज अथवा किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद पर सचित्र चेतावनी शामिल है।

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2006 अधिसूचित कर दिए गए हैं जो 17 मार्च, 2008 से लागू होंगे।

परमाणु उद्योग पर प्रतिबंध

1757. **प्रो. एम. रामदासः**

प्रो. महादेवराव शिवनकरः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय परमाणु उद्योग विदेशी राष्ट्रों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधान और विकास प्रयास प्रतिबंधों का सामना करने के लिए आयात प्रतिस्थापन पर केन्द्रित किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रौद्योगिकी वाले रिएक्टर का विकास करने के प्रयासों में काफी समय लगेगा; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) प्रतिबंध के बावजूद, न्यूक्लियर पावर कारपोरेसन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अब भारतीय नाभिकीय उद्योग की मदद से दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पी.एच.डब्ल्यु.आर्ज) का निर्माण करीबन पांच वर्षों में करने में सक्षम हो गया है, जोकि सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के तुलनीय है।

(ग) और (घ) अनुसंधान और विकास कार्यों के अंतर्गत अब स्वदेशी त्रि-चरणीय परमाणु विद्युत कार्यक्रम के अगले चरणों के विकास पर मुख्यतः ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

(ङ) और (च) भारतीय दाबित भारी पानी रिएक्टरों की प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। हम एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पी.एफ.बी.आर.) का भी निर्माण कर रहे हैं और भारत फास्ट रिएक्टर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी कई राष्ट्रों से आगे है।

कोयले की कमी

1758. **श्री सुरेश अंगडिः**

श्री इकबाल अहमद सरडगीः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोयला आधारित विद्युत परियोजनाएं कोयले की अत्यधिक कमी का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 20 मिलियन मीट्रिक टन कोयले के आयात का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ङ) जी, नहीं। भारत में विद्युत उपयोगिताओं के लिए कोयले की अत्यधिक कमी नहीं है। अप्रैल, 2007 से जनवरी, 2008 के दौरान कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) द्वारा विद्युत उपयोगिताओं को 249.97 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति के वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.) लक्ष्य की तुलना में इस अवधि के दौरान वास्तविक आपूर्ति 255.71 मिलियन टन (अनंतिम) थी जो लगभग 102% बनती है। तथापि, लोडिंग/अनलोडिंग तथा परिवहन की कठिनाइयों, लिंक्ड स्रोत में अल्पकालिक उत्पादन की कठिनाइयों के कारण कोयले के तिमाही योजनाबद्ध परिवहन के मुकाबले कम आपूर्ति की वजह से विद्युत संयंत्रों में भंडारों की कमी हुई है। इसकी संभावना को देखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विद्युत मंत्रालय कोयले की उपलब्धता में सुधार लाने तथा विद्युत गृह में कोयला भंडार स्थापित करने के लिए वर्ष 2007-08 में विद्युत उपयोगिताओं द्वारा 20 मिलियन टन कोयला आयात करने की योजना तैयार करेगा। इसके अलावा, प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) में वृद्धि तथा विशिष्ट कोयला खपत में वृद्धि जैसे विभिन्न कारकों के कारण विद्युत संयंत्रों

द्वारा कोयले की खपत में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, अनुमानित विद्युत उत्पादन लक्ष्य और अनुमानित कोयला उत्पादन को ध्यान में रखते हुए तथा साथ ही विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार स्थापित करने के उद्देश्य से भी विद्युत मंत्रालय को विद्युत उपयोगिताओं द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान भी आयात हेतु 20 मिलियन टन के मौजूदा वर्ष के लक्ष्य को बरकरार रखने की सलाह दी गई है।

प्राथमिक शिक्षा पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें

1759. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने प्राथमिक शिक्षा में नामांकन की प्रकृति के संबंध में कोई सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के संबंध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की राष्ट्रीय रिपोर्ट 2007 का संगत सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

राष्ट्रीय रिपोर्ट 2007

तैयार की जा रही सिफारिशों का दृष्टिकोण

स्कूल शिक्षा

स्कूल शिक्षा में व्याप्त मुद्दों की जटिलता एवं उनकी क्षेत्रीय विविधता से यह आवश्यक हो गया है कि एनकेसी द्वारा किए जा रहे किसी अन्य कार्य की अपेक्षा इन पर व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श किया जाए। अतः संख्या, गुणवत्ता, प्रबंधन और स्कूल शिक्षा की पहुंच संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए पूरे राष्ट्र में कार्यशालाएं आयोजित की गई थी। विचार-विमर्श में सरकार, नौकरशाही, स्कूल प्रशासकों, शिक्षकों, डी.आई.ई.टी. और एस.सी.ई.आर.टी. के कर्मियों, शिक्षाविदों, एन.जी.ओ./सिविल सोसाइटी संगठनों और निजी शिक्षा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न शेयर होल्डरों को शामिल किया गया।

चर्चा एवं विचार-विमर्श की कार्यकारी प्रक्रिया के समाप्ति पर, हस्तक्षेप के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जो उभर कर सामने आए वे है:

- राज्य को व्यापक लचीलापन देने तथा शिक्षण परिणाम को आशानुकूल करने के लिए एस.एस.ए. एवं अन्य केन्द्रीय स्कीमों में संस्थागत सुधार।
- स्कूलों के औसत कवरेज की खोज/हेतु आंकड़ों सहित विश्वसनीय आंकड़ों तक समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ा संग्रह कार्यविधि को सरल बनाना।
- सभी स्कूलों के लिए न्यूनतम आवश्यकता, मानक, मापदण्ड निर्धारित करना।
- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में सुधार और विनिमय इन-सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण का विस्तार और सुधार तथा विश्वविद्यालय प्रणाली के साथ लिंकेजेज का सृजन, स्कूल शिक्षण की मर्यादा को एक व्यवसाय के रूप में बहाल करना, और साथ ही स्कूल शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु पारदर्शी प्रणाली बनाना, विचार, सूचना और अनुभव का विनिमय करने हेतु शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल की स्थापना।
- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम सुधार करना जिससे कि इसे और अधिक लचीला और प्रासंगिक तथा साथ ही रट्टा-पढ़ाई के दबाव को कम करने हेतु विशेषकर बोर्ड स्तर पर परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना।
- संसाधनों के लागत-प्रभावी प्रयोग, शिक्षक संबंधी नवीन कार्यनीतियों और छात्रों एवं शिक्षकों हेतु व्यापक उदभासन (एक्सपोजर) के लिए नई प्रौद्योगिकियों, विशेषकर आई.सी.टी., हेतु अवसंरचना निर्माण।
- पिछड़े एवं सुदूर स्थानों में स्कूल शिक्षा के लिए व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने, बालिकाओं और उपेक्षित सामाजिक समूहों के छात्रों का व्यापक नामांकन सुनिश्चित करने, तथा बाल श्रमिकों, प्रवासी कामगारों और किसी प्रकार के विकलांगों के बच्चों

की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विशेष कार्यनीति विकसित करना।

- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का विस्तार करना तथा उन लोगों की बौद्धिक शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए इसके कार्यक्रमों को पुनः उन्नतिशील बनाना जो अत्यधिक वृद्ध होने के कारण एस.एस.ए. से लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।

- सकारात्मक योगदान करने हेतु निजी क्षेत्रों की क्षमता को बढ़ाना।

भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की अदला-बदली

1760. श्री निखिल कुमार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की अदला-बदली संबंधी प्रोतोकोल का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के बीच कोंसली सुविधा प्रदान करने और एक-दूसरे देश के राष्ट्रिकों को गिरफ्तारी से रिहा करने की मौजूदा व्यवस्था 2 नवंबर, 1982 को कोंसली सुविधा संबंधी प्रोतोकोल के उपबंधों द्वारा अभिशासित होता है। सरकार को इस बात का ध्यान है कि 372 मछुआरे और लगभग 199 कैदी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं जिनमें से अधिकतर को लंबी अवधि तक जेलों में बंद रहने के बावजूद कोंसली सुविधा प्रदान नहीं की गयी है।

(ग) कैदियों की शीघ्र रिहाई और कोंसली सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा प्रोटोकोल के स्थान पर पाकिस्तान के साथ एक नए कोंसली करार को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दोनों देशों के वरिष्ठ न्यायाधीशों वाली एक न्यायिक समिति भी इन मुद्दों का समाधान ढूंढने के लिए गठित की गयी है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

1761. श्री थावरचंद गेहलोत:

श्री रामजीलाल सुमन:

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट के अनुसार देश में अधिकतर लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष में देश में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बढ़ते हुए मूल्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) जुलाई, 2004-जून, 2005 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर जुलाई, 2004-जून, 2005 के दौरान वर्ष के विभिन्न कैलेंडर महीनों में प्रतिदिन पर्याप्त भोजन न पाने वाले परिवारों का राज्य-वार प्रतिशत संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले 3 वर्षों की वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार मापी गई प्रति व्यक्ति आय की राज्य-वार प्रतिशत वृद्धि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) मूल्यों में वृद्धि की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(च) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष (जुलाई 2004-जून, 2005) के विभिन्न कैलेंडर महीनों में पर्याप्त भोजन न पाने वाले परिवारों का प्रतिशत

राज्य/संघ शासी क्षेत्र/अखिल भारत	उल्लिखित महीनों के दौरान ऐसे परिवारों का प्रतिशत जिनके सदस्यों के पास प्रतिदिन प्रर्याप्त भोजन नहीं था											
	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अखिल भारत												**ग्रामीण**
आन्ध्र प्रदेश	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
असम	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	4.4	4.9	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6
बिहार	0.9	1.0	0.8	0.8	0.8	1.2	2.3	2.6	1.8	1.2	0.9	0.9
छत्तीसगढ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.9	0.6	0.7	1.2	1.1	0.5	0.3
गुजरात	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
हरियाणा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
झारखंड	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
कर्नाटक	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
केरल	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	1.5	1.8	1.0	0.5	0.5	0.6	0.4
मध्य प्रदेश	0.5	0.5	0.5	1.0	1.2	1.3	1.2	1.1	0.7	0.5	0.6	0.5
महाराष्ट्र	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.3	0.3	0.1	0.2
उड़ीसा	1.3	1.3	1.3	1.7	2.3	2.4	3.7	3.7	3.2	2.8	1.9	1.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पंजाब	0.9	0.8	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.8	0.9
राजस्थान	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
तमिलनाडु	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
उत्तर प्रदेश	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	1.0	1.3	0.9	0.5	0.4	0.4
पश्चिम बंगाल	1.5	2.1	2.5	3.3	4.0	3.9	4.7	5.8	6.0	4.0	2.2	1.5
समस्त	**0.5**	**0.6**	**0.6**	**0.8**	**0.9**	**1.0**	**1.3**	**1.4**	**1.2**	**0.9**	**0.7**	**0.5**
अखिल भारत												**शहरी**
आन्ध्र प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
असम	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1
बिहार	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.8	1.8	1.5	1.1	1.1	1.1
छत्तीसगढ़	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
गुजरात	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
हरियाणा	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
झारखंड	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कर्नाटक	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
केरल	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	1.6	1.1	0.2	0.2	0.1	0.1
मध्य प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1
महाराष्ट्र	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1

उड़ीसा	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
पंजाब	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
राजस्थान	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
तमिलनाडु	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
उत्तर प्रदेश	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4
पश्चिम बंगाल	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	1.1	1.0	0.7	0.6	0.6	0.7
समस्त	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.3**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**

विवरण-II

विवरण: वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 28-2-08 की स्थिति के अनुसार

(पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12.63	7.78	10.40	12.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	13.04	14.39	5.53	एन.ए.
3.	असम	7.39	9.86	7.04	10.74
4.	बिहार	-0.21	8.01	5.47	16.99
5.	झारखंड	9.07	35.18	8.99	9.15
6.	गोवा	11.75	21.18	6.01	एन.ए.
7.	गुजरात	18.69	9.46	15.91	एन.ए.
8.	हरियाणा	11.62	11.03	11.53	16.79
9.	हिमाचल प्रदेश	6.40	9.91	8.56	8.80
10.	जम्मू और कश्मीर	6.54	6.29	एन.ए.	एन.ए.
11.	कर्नाटक	8.08	14.10	13.64	एन.ए.
12.	केरल	10.51	8.65	10.06	9.59
13.	मध्य प्रदेश	16.28	1.19	5.72	8.32
14.	छत्तीसगढ	22.46	12.24	11.53	एन.ए.
15.	महाराष्ट्र	11.51	10.78	12.44	एन.ए.
16.	मणिपुर	11.15	24.84	10.55	10.67
17.	मेघालय	10.52	5.72	6.87	7.35
18.	मिजोरम	5.11	2.07	6.62	7.44
19.	नागालैंड	2.03	0.85	एन.ए.	एन.ए.
20.	उडीसा	20.90	14.41	8.00	14.93
21.	पंजाब	6.37	6.34	10.86	10.36

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	25.74	0.05	4.79	12.75
23.	सिक्किम	10.54	10.78	11.02	11.77
24.	तमिलनाडु	10.51	12.57	10.40	9.26
25.	त्रिपुरा	10.91	8.03	8.19	एन.ए.
26.	उत्तर प्रदेश	7.26	5.23	10.75	10.28
27.	उत्तरांचल	9.04	7.67	11.28	13.40
28.	पश्चिम बंगाल	10.99	8.25	11.99	एन.ए.
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	10.32	-6.47	12.42	एन.ए.
30.	चंडीगढ़	13.17	13.03	15.23	एन.ए.
31.	दिल्ली	9.55	10.82	11.70	एन.ए.
32.	पांडिचेरी	8.12	-7.50	7.95	8.65
अखिल भारत प्रति व्यक्ति एन.एन.पी.		10.64	11.03	11.88	14.20

स्रोत: क्रम सं. 1 से 32 के लिए - संबंधित राज्य सरकारों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय और अखिल भारत के लिए -केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

विवरण-III

क्र. सं.	वर्ष	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	
		वर्तमान मूल्यों पर प्रतिव्यक्ति आय	थोक मूल्य सूचकांक
1.	2003-04	10.6	5.4
2.	2004-05	11.0	6.5
3.	2005-06	11.9	4.4
4.	2006-07	14.2	5.4
5.	2007-08	11.8	4.4

स्रोत: 1. 31 जनवरी, 2008 को के.सां.सं. द्वारा जारी "राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत तथा पूंजी सृजन के त्वरित अनुमान, 2006-07" संबंधी प्रेस नोट।

2. 7 फरवरी, 2008 को के.सा.सं। द्वारा जारी "राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान, 2007-08" संबंधी प्रेस नोट।

3. आर्थिक सर्वेक्षण, 2007-08, पृष्ठ 10।

[अनुवाद]

पारिवारिक पेंशन प्रदान करने की प्रविधि

1762. श्री रेवती रमन सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक पेंशन देने की क्या प्रविधि है;

(ख) क्या सरकार ने पेंशनभोगियों और पेंशनभोगी की

मृत्यु हो जाने पर परिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले परिवारों के सम्मुख आने वाली समस्याओं की पहचान कर ली है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या ये मुद्दे भी छठे वेतन आयोग को संदर्भित किए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) पेंशनभोगी की मृत्यु होने की स्थिति में, जीवित विधवा अथवा विधुर जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के प्रावधानों के अनुसार परिवार पेंशन प्रदान किए जाने के लिए पात्र है, पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) में दर्शाए गए अनुसार परिवार पेंशन प्राप्त किए जाने का हकदार होता है। विधवा अथवा विधुर के जीवित न होने की स्थिति में परिवार पेंशन केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 1972 में यथा निर्दिष्ट जीवित संतान/संतानों को देय होती है जिनमें विकलांग बच्चा/बच्चे, अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियां और माता-पिता शामिल हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। पेंशनभोगियों और उनके परिवारों की शिकायतों/उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के प्रकरण जब कभी भी इस विभाग के ध्यान में लाए जाते हैं तो ऐसी शिकायतों/समस्याओं के तत्काल निपटान के लिए उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को भेजा जाता है। जहां कहीं आवश्यक होता है, पेंशन नीति/दिशा-निर्देशों में संशोधन/नए प्रावधान जोड़ने का कार्य संबंधित अभिकरणों/मंत्रालयों/विभागों के साथ उचित परामर्श किए जाने के बाद किया जाता है।

(घ) और (ङ) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के निर्देश निबंधन में अन्य बातों के साथ-साथ पेंशन की संरचना को शासित करने वाले सिद्धान्तों की जांच पड़ताल, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान, परिवार पेंशन और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की अन्य सेवांत अथवा आवर्ती प्रसुविधाएं शामिल हैं।

स्कूली बच्चों में बीमारियां

1763. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रमुख बीमारियों से ग्रस्त स्कूली बच्चों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस प्रकार की बीमारियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्कूली बच्चों में आम तौर पर होने वाले रोग खसरा, अतिसार, तीव्र श्वसनी संक्रमण, क्षयरोग, चिकनपॉक्स, कृमि जंतु बाधाएं और सेप्सिस हैं। स्कूली बच्चों में रोगों की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा उठाया गया कदम जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाओं के भाग के रूप में तैयार विशेष प्रस्तावों के आधार पर देश के प्रत्येक जिले में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए सहायता करना है। वर्तमान में, 21 राज्यों ने उपाबंध पर संलग्न विवरण के अनुसार स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इस कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य सुधार तथा उनमें ऐसे रोग न होने देने में मदद करने वाले मुख्यतः उठाए गए कदम हैं:-

(i) पाठ्य पुस्तकों में पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा पर बेहतर पाठ एवं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी अन्य शिक्षा सामग्रियां जोड़ना;

(ii) बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करना तथा प्रत्येक शिशु के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी करना;

(iii) शिक्षक प्रशिक्षण माड्यूलों में निवारक और संवर्धक स्वास्थ्य प्रैक्टिसस को शामिल करना;

(iv) आवश्यकतानुसार सुधारक उपाय करना (चशमे, दवाएं, श्रवण सहाय की व्यवस्था);

(v) जहां कहीं अपेक्षित हो, द्वितीयक एवं तृतीयक परिचर्या में सहायता की जरूरत के हिसाब से व्यवस्था करना;

(vi) दवाओं की उपलब्धता तथा कीड़े निकालने, विटामिन-ए संपूर्ण, सूक्ष्म पोषकों जैसे कार्यक्रमों की वैज्ञानिक साक्ष्यों तथा स्थानीय जरूरत के आधार पर नियमितता;

(vii) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में भोजन तैयार करने में स्वास्थ्यप्रद चलनों को शामिल करना;

(viii) स्कूलों में योग और ध्यान की हिमायत;

(ix) स्वच्छता अभियानों की व्यवस्था करना तथा पीने के शुद्ध पानी, सफाई की बाबत जागरूकता बढ़ाना।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे राज्य

1. हरियाणा
2. मध्य प्रदेश
3. तमिलनाडु
4. हिमाचल प्रदेश
5. गुजरात
6. केरल
7. छत्तीसगढ़
8. दादरा और नगर हवेली
9. दमन और दीव
10. उत्तराखंड
11. पश्चिम बंगाल
12. जम्मू और कश्मीर
13. उत्तर प्रदेश
14. दिल्ली
15. उड़ीसा
16. राजस्थान
17. त्रिपुरा
18. असम
19. मणिपुर
20. मेघालय
21. सिक्किम

आर्थिक वृद्धि दर को सामाजिक विकास से जोड़ना

1764. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश की आर्थिक वृद्धि दर को सामाजिक विकास से जोड़ने पर विचार कर रही है जैसा कि 03 फरवरी, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आर्थिक वृद्धि दर को सामाजिक विकास से जोड़े रखने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) 'द हिन्दू' में 3 फरवरी, 2008 को प्रकाशित समाचार में संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा स्थित सामाजिक विकास अनुसंधान संस्थान के निदेशक, थंडिका एमकैंडावायर को उद्धृत करते हुए उल्लेख किया गया है कि भारत को आर्थिक विकास दर को सामाजिक विकास से जोड़ना है। भारत की विकास कार्यनीति पारंपरिक रूप से विकास प्रक्रिया में सामाजिक विकास की महत्ता को स्वीकार करती है। ग्यारहवीं योजना में योजना अवधि (2007-12) के लिए अर्थव्यवस्था हेतु 9% प्रति वर्ष की वृद्धि दर निर्धारित की गई है और इसका उद्देश्य इस अवधि के अंत तक लगभग 10% वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था को एक संधारणीय विकास पथ की ओर ले जाने का है। लक्ष्य केवल तीव्र विकास का ही नहीं है बल्कि समावेशी विकास का भी है, अर्थात एक ऐसी विकास प्रक्रिया जो व्यापक लाभों को जन्म देती है और सभी के लिए अवसरों की समानता सुनिश्चित करती है। ग्यारहवीं योजना के इस व्यापक विजन में कई अंतः संबंधित घटक शामिल हैं: तीव्र विकास जो गरीबी कम करता है और रोजगार अवसरों का सृजन करता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनिवार्य सेवाओं तक विशेषकर गरीबों की पहुंच, अवसर की समानता, शिक्षा और दक्षता विकास के माध्यम से सशक्तिकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी द्वारा आश्वासित रोजगार अवसर, पर्यावरणात्मक संधारणीयता, महिला एजेंसी को मान्यता प्रदान

करना और अच्छा अभिशासन। अतः ग्यारहवीं योजना में समावेशिता के विजन में अवसरों की समानता और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सीज) अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्रवाई सहित समाज के सभी वर्गों हेतु आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता शामिल है। समावेशिता के इस विजन को मूर्त रूप देने के लिए, ग्यारहवीं योजना में न केवल जी.डी.पी. की विकास दर के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए है, अपितु निष्पादन के अन्य आयामों के लिए जैसे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दे, अवसंरचना और पर्यावरण के क्षेत्र में भी मानीटर किए जाने योग्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

आर्थिक वृद्धि दर

1765. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान भारत की वृद्धि दर में अनुमान से अधिक तेजी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान वृद्धि दर कितनी रहने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) योजना आयोग वार्षिक वृद्धि लक्ष्यों का अनुमान नहीं लगाता। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी.एस.ओ.), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय/उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, 2006-07 के त्वरित अनुमानों के अनुसार, कारक लागत (1999-2000 की कीमतों पर स्थिर) पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप मापित अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2006-07 के लिए 9.6% थी।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी.एस.ओ.), द्वारा जारी राष्ट्रीय आय 2007-08 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, कारक लागत (1999-2000 की कीमतों पर स्थिर) पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप मापित अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चालू वित्तीय वर्ष (2007-08) के लिए 8.7% होने की संभावना है।

[हिन्दी]

दामोदर नदी में प्रदूषण

1766. श्री टेकलाल महतो: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखण्ड में खेलारी से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर तक फैले दामोदर नदी के तटों पर स्थित दर्जनों कोयला खानों, कोयला धोवनशालाओं, ताप विद्युत संयंत्रों, उर्वरक तथा रसायन इकाईयों से उत्सर्जियों के निकास के कारण दामोदर नदी अत्यधिक प्रदूषित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आबंटित और वास्तव में खर्च की गई राशि सहित बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दामोदर नदी को कब तक पूर्णतः प्रदूषण रहित बनाया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, दामोदर नदी के निकटवर्ती स्थानों में स्थित कोयले की खानें, कोयला वाशरीज, थर्मल पावर संयंत्र, रासायनिक फैक्टरियां अपना अपशिष्ट जल आवश्यक शोधन के पश्चात दामोदर नदी में प्रवाहित कर देते हैं। इन उद्योगों द्वारा उत्सर्जित बहिस्राव की नियमित रूप से मानिटरिंग झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य के संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा की जाती है जिससे कि निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। जल दोषी इकाइयों के खिलाफ (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

भारत सरकार झारखंड राज्य के बोकारा-कारगली, चिरकुंडा, दुग्धा, झारिया, रामगढ़, सिन्द्री, सुदामदीह और तेलमाचु शहरों में तथा पश्चिम बंगाल राज्य के रानीगंज, आसनसोल, अंडाल और दुर्गापुर शहरों से निकले घरेलू सीवेज से दामोदर नदी में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को कार्यान्वित कर रही है। इस संबंध में जो अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं उनमें अन्य कार्यों के अलावा सीवेज का इन्टर सेप्शन और

डायवर्शन करना, सीवेज शोधन संयंत्र लगाना, अल्प लागत शौचालय, उन्नत काष्ठ शवदाह गृह स्थापित करना शामिल है। झारखंड राज्य के बोकारो-कारगली, रामगढ़, सुदंमदीह और तेमालचू शहरों में एल.सी.एस. से संबंधित चार परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड राज्य में 6.31 लाख रु. का व्यय हुआ है। यह खर्च राज्यों को इससे पूर्व इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दी गई धनराशियों में से किया गया है। राज्य सरकार से और निधियां उपलब्ध कराने की और कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल राज्य की दस परियोजनों मंजूर की गई हैं जिनमें से आठ परियोजनाएं, जिनमें रानीगंज, आसनसोल अंदाल और दुर्गापुर शहरों की एक-एक अल्प लागत सौचालय और उन्नत काष्ठ शवदाह परियोजना भी शामिल है, पूरी की जा चुकी हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं को पूरा करने में 2.23 करोड़ रु. का व्यय हुआ है। यह व्यय भी इस अवधि के लिए आबंटित 3.0 करोड़ रु. की राशि में से किया गया है।

तेजी से हो रहे शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ते प्रदूषण भार की वजह से नदियों की संरक्षण नीतियों से संबंधित कार्य नीतियों की समीक्षा करना और अतिरिक्त शहरों और नदियों की पहचान करना एक सतत प्रक्रिया है। नदियों के किनारे बसे शहरों की आबादी में लगातार वृद्धि होने के परिणामस्वरूप और आवश्यकता के अनुरूप कार्य आरंभ करने के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अंतर होने के कारण निपटाए गए प्रदूषण भार और वास्तविक प्रदूषण भार के बीच लगातार विभिन्नता आने की संभावना बनी रहती है।

गाडगिल मुखर्जी फार्मूला

1767. श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गाडगिल मुखर्जी फार्मूला जोकि राज्यों को सहायता देने का आधार है, में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) योजना हेतु राज्यों में सामान्य केन्द्रीय सहायता को समान रूप से बांटने के लिए वर्तमान में गाडगिल मुखर्जी फार्मूला प्रयोग किया जाता है। दिसम्बर, 2007 में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की 54वीं बैठक द्वारा यथा अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में यह दर्शाया गया है कि केन्द्रीय करों और सामान्य केन्द्रीय सहायता को राज्यों के बीच समान रूप से बांटने हेतु दो विभिन्न फार्मूलों को आगे जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय करों को बांटने के साथ-साथ सामान्य केन्द्रीय सहायता के वितरण हेतु प्रयोग किए गए फार्मूले को अपनाने से गाडगिल फार्मूला एवं इसके परिवर्तियों, जहां परिवर्तन के अनुकूल प्रक्रिया अत्यधिक समय लेती है, के विपरीत प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार किसी निष्पक्ष व्यावसायिक निकाय द्वारा फार्मूला, मानदण्ड और इसके प्रभाव की नए सिरे से जांच का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम

1768. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप क्या सफलता हासिल हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) अन्य बातों के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन वेक्टर जनित, दृष्टिहीनता नियंत्रण, कुष्ठ उन्मूलन और क्षयरोग नियंत्रण से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कवर किया गया है।

उपर्युक्त प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में प्राप्त की गई सफलता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रमुख स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम के संबंध में उपलब्धि

क्र.सं.	कार्यान्वित किए जा रहे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम	उपलब्धियां
1	2	3
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	– दिसम्बर, 2007 तक 5.48 लाख आशा/लिंक कार्मिकों का चयन किया गया है और 4.62 लाख से ज्यादा को प्रशिक्षित किया जा चुका है। – 551 जिला अस्पतालों, 4066 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप-डिवीजन अस्पताल और 12983 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी कल्याण समितियों की स्थापना की गई है। – 2007-08 में 188 मोबाइल मेडिकल यूनिटों में कार्य करना शुरू कर दिया है। – खुली निधियों के उपयोग के माध्यम से 1.24 लाख उप-केन्द्रों को अधिक प्रभावी बनाया गया है। – 1161 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन कार्य। – 8756 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 24x7 आधार पर चालू किया गया है। – इस स्तर पर मानव संसाधनों की कमियों को दूर करने के लिए संविदात्मक आधार पर 4279 डाक्टरों, 2471 विसेषज्ञों और 13864 स्टाफ नर्सों को नियुक्त किया गया।
2.	संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	देश के सभी जिलों को 24 मार्च, 2006 से डॉटस द्वारा कवर किया जा चुका है। रोग मुक्ति दर 85% के वैश्विक लक्ष्य से लगातार ऊपर बनी हुई है।
3.	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम	जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ के उन्मूलन का प्रमुख लक्ष्य प्राप्त किया गया, दिसम्बर, 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से कम रोगी के रूप में परिभाषित किया गया।
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	10वीं योजना के 2007 तक 0.8% के लक्ष्य की तुलना में दृष्टिहीनता की व्याप्तता घटकर 1% हो गई है।
5.	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	मलेरिया: पिछले कुछ वर्षों में मलेरिया की घटना 2 मिलियन सालाना से नीचे लाई जा चुकी है।

1	2	3
		फाइलेरिया: वर्ष 2015 तक लिम्फैटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के अनुसरण में 2004 में लक्षित जनसंख्या की कवरेज 72.6%, 2005 में 79.8%, 2006 में 84% और 2007 में 87% थी। **कालाजार:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लक्ष्य के रूप में 2010 तक कालाजार के उन्मूलन को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।
6.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	वार्षिक प्रहरी निगरानी के परिणामों के अनुसार वयस्कों में एच.आई.वी. संक्रमण की व्यापतता दर स्थिर हो गई है। 2004 में व्याप्तता दर 0.41%, 2005 में 0.39% और 2006 में 0.36% थी।
7.	राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर का निवारण, शीघ्र निदान और उपचार है। कार्यक्रम के अधीन तीन क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

गुणवत्तायुक्त शिक्षा की निगरानी

1769. श्री उदय सिंह:

श्रीमती पी. सतीदेवी:

श्री हेमलाल मुर्मू:

श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सरकारी और निजी दोनों विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए एक राष्ट्रीय निकाय बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एन.के.सी. की सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए इस प्रकार का राष्ट्रीय निकाय कब तक बनाए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) सरकारी और निजी विद्यालय - दोनों की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए एक राष्ट्रीय निकाय बनाने संबंधी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों का सार विवरण के रूप में संलग्न है। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

विवरण

एन.के.सी. की सिफारिशों का सार

2.5 सरकारी और निजी विद्यालय - दोनों की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए एक राष्ट्रीय निकाय की आवश्यकता है जिससे कि शिक्षण परिणामों के अनुरूप न्यूनतम मापदण्डों को पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।

वर्तमान में विभिन्न शैक्षिक स्कीमों और पहलों के वास्तविक प्रभाव और आऊटकम, अथवा स्कूलों में दी जा रही शिक्षा की वास्तविक गुणवत्ता संबंधी कोई व्यवस्थित और सतत् फीड बैक नहीं है। स्कूलों के गुणवत्ता आकलन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षण निकाय (टेस्टिंग बाडी) की नितांत आवश्यकता है। समुचित प्रक्रिया सूचकों एवं आऊटकम सूचकों सहित एक परिणाम-आधारित निगरानी ढांचा विकसित किए जाने की आवश्यकता है। यह निगरानी योग्य मानदंडों की चयनित सूची पर आधारित होना चाहिए। इनमें निर्धारित अवसंरचना आवश्यकताओं, नामांकन और उपस्थिति शामिल करने के साथ-साथ आउटकम सूचकों जैसे भाषा कौशल और संख्या आदि जैसे कतिपय मूलभूत क्षेत्रों में हासिल शिक्षण स्तरों को शामिल किया जाना चाहिए। आकलन आवश्यकता की इस प्रक्रिया को सभी स्कूलों - सरकारी व निजी दोनों में लागू किया जाना चाहिए। तथापि, छात्रों के परीक्षण में वैसे विषय अथवा प्रश्न शामिल न किए जाए जिनसे रटा-शिक्षण को प्रोत्साहन मिलता हो। ट्रैकिंग मैकेनिज्म

का संबंध मुख्य रूप से प्रत्येक छात्र के कौशल उपलब्धि से होना चाहिए।

चूंकि स्कूल शिक्षा व्यापक रूप से राज्य का विषय है, परन्तु राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम शिक्षा मानक हासिल करना भी महत्वपूर्ण है, इसके लिए संस्थागत ढांचा राज्य समनुषंगी ढांचा सहित राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। इस जांच निकाय की भूमिका इसके मूल्यांकन परिणामों के आधार पर केवल सूचना देना होगा और राज्य सरकारें इस सूचना पर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं। ऐसे नियमित परीक्षणों के परिणाम वेबसाइट सहित एक प्रारूप में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा देने चाहिए।

पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क संरचना का विनियमन तथा शिक्षण व अवसंरचना की गुणवत्ता हेतु न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड को पूरा करने के लिए निजी स्कूलों की मानीटरिंग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देश में बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की संख्या और नामांकन संबंधी अभी सटीक आंकड़े नहीं है और न ही उनकी शुल्क संरचना अथवा प्रवेश नीति, अथवा उनकी अवसंरचना और गुणवत्ता के मानक/निजी स्कूलों को एक सार्वभौमिक रूप से लागू निर्धारित ढांचे के अंतर्गत विनियमन और जांच का विषय बनना होगा।

न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी

1770. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाली सम्मेलन के अनुसरण में सरकार ने न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वैकल्पिक न्यून कार्बन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) दिसंबर, 2007 में बाली में आयोजित यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन आन क्लाइमेंट चेंज (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के पक्षकारों के तेरहवें सम्मेलन का मुख्य निष्कर्ष एक व्यापक प्रक्रिया अर्थात् बाली एक्शन प्लान शुरू करना था जिससे की दीर्घावधिक सहकारी कार्रवाई के जरिए यू.एन.एफ.सी.सी.सी. का पूरी तरह प्रभावी रूप से तथा सतत रूप से 2012 तक और उसके बाद भी कार्यान्वयन हो सके। ऐसी आशा है कि एक सहमति निष्कर्ष निकलेगा और इस पर दिसंबर, 2009 में होने वाले पक्षकारों के पन्द्रहवें सम्मेलन में बी.ए.पी. के संबंध में किसी निर्णय को स्वीकार कर लिया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री की परिषद द्वारा यथा निर्णीत अनुसार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की जा रही है जिसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी सरोकारों से निपटने के लिए कार्यपद्धतियों पर विचार किया जाएगा।

यद्यपि यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के क्योटो प्रोटोकाल के अंतर्गत भारत की ग्रीन हाउस गैस न्यूनीकरण संबंधी कोई वचनबद्धताएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम करने में मदद के लिए अनेक तरह की नीतियां और कार्यक्रम हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) ऊर्जा क्षमता में सुधार तथा संरक्षण और ब्यूरो आफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना करना।

(ii) विद्युत क्षेत्र में सुधार।

(iii) हाइड्रो और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।

(iv) स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

(v) कोयला वाशिंग और कोयले का बेहतर ढंग से उपयोग करना।

(vi) वनीकरण और वनों का संरक्षण।

(vii) गैस फ्लेयरिंग कम करना।

(viii) परिवहन हेतु स्वच्छ और कम कार्बन युक्त ईंधन का इस्तेमाल करना।

(ix) मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रोत्साहित करना।

(x) पर्यावरण गुणवत्ता प्रबंधन।

पश्चिम बंगाल को कोयला ब्लाकों का आबंटन

1771. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में निवेश करने वाली इस्पात कंपनियों के संचालन को सुविधाजनक बनाने

के लिए कोयला ब्लाकों का आबंटन करने के संबंध में राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) जी, हां। मंत्रालय को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से पश्चिम बंगाल राज्य में कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए आवेदन प्राप्त होते रहे है ताकि उक्त राज्य में अन्त्य उपयोग संयंत्र स्थापित करने के प्रतिबद्ध निवेश के साथ कंपनियों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा प्रार्थित 16 कोयला ब्लाकों में से लगभग 1307.17 मिलियन टन के भू-वैज्ञानिक भंडार वाले 6 कोयला ब्लाक पश्चिम बंगाल खनिज विकास ट्रेडिंग कारपोरेशन को पहले ही आबंटित कर दिए गए हैं, जिससे कि इस्पात कंपनियों सहित विभिन्न उद्योगों की आवश्यकता पूरी की जा सके।

अमरीका में भारतीय विद्यार्थियों के विरुद्ध हिंसा

1772. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री रमेश दूबे:
श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री पुष्प जैन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय मूल के विद्यार्थियों पर आक्रमण की घटनाओं जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई, पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को अमरीका की सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या इस प्रकार की घटनाओं से पीड़ित छात्रों के परिवारों को कोई मुआवजा या वित्तीय सहायता दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) से (घ) हाल ही में, अमरीका में ऐसी चार घटनाएं हुई हैं जिनमें भारतीय छात्रों की मत्यु हुई है:-

(i) 16 अप्रैल, 2007 को वर्जीनिया टेक विश्वविद्यालय में एक भारतीय छात्रा सुश्री मीनल पंचाल सहित 33 व्यक्तियों की हत्या एक अवर स्नातक छात्र चो सेउंग हुई द्वारा कर दी गयी। पुलिस जांच का निष्कर्ष यह था कि बाद में आत्महत्या कर लेने वाले इस हत्यारे ने स्वयं यह अपराध किया था।

(ii) 13-14 दिसंबर, 2007 को अज्ञात हत्यारों ने चंद्रशेखर रेड्डी कोम्मा और किरन कुमार अल्लम की हत्या कर दी, दोनों लूसियाना में लूसियाना राज्य विश्वविद्यालय परिसर में विद्या वाचस्पति (पी.एच.डी.) के छात्र थे। पुलिस जांच अभी जारी है। अभी तक इस घटना के संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

(iii) 17-18 जनवरी, 2008 को अज्ञात हत्यारों ने नार्थ केरोलीना में ड्यूक विश्वविद्यालय के बाहरी इलाकों में एक भारतीय छात्र अभिजीत महतो की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने अपार्टमेंट में घुसने और अभिजीत महतो की हत्या करने के लिए स्टीफन ओट्स को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की जमानत नामंजूर कर दी गयी है और जांच जारी है।

(iv) 1 मार्च, 2008 को अमरीका में पेंसिलवानिया में आंतरिक औषधि में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहा एक भारतीय डॉक्टर अक्कलदेवी श्रीनिवास मृत पाया गया। इसकी जांच जारी है।

अमरीका स्थित हमारे राजदूतवास और कोंसलावासों ने प्रत्येक मामले में स्थानीय प्राधिकारियों और पीड़ितों के परिवारों के बीच घनिष्ठ रूप से समन्वयन किया है और यथापेक्षित सहायता प्रदान की है।

आवारा कुत्तों का आतंक

1773. श्री मोहन रावले: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आवारा कुत्तों को वन्य जीव अभयारण्यों में भेजने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और बन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शीतल पेय के दुष्प्रभावों पर अध्ययन

1774. श्री काशीराम राणा:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शीतल पेय पीने से होने वाले दुष्परिणामों का अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष रहा और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की अध्यक्षता में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित सी.सी.एफ.एस. की पेस्टीसाइड अवशिष्ट उप-समिति का मार्गदर्शन करने हेतु राष्ट्रीय स्तरीय विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि कार्बोनेटिड जल के इस्तेमाल तथा स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों के बीच सह-संबंध स्थापित करने के अध्ययन अत्यंत कठिन हैं क्योंकि इसमें भ्रमित करने वाले अनेक कारक शामिल थे। विशेषज्ञ दल ने सिफारिश की है कि स्वास्थ्य पर कार्बोनेटिड जल के इस्तेमाल के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सुनियंत्रित अध्ययन करने की आवश्यकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से ऐसे अध्ययन शुरू करने का अनुरोध पहले ही किया जा चुका है। इस समय भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ऐसा अध्ययन करने की व्यवहार्यता की जांच कर रही है।

[अनुवाद]

डोबासपेट-सोलुर से सरजापुरा तक बंगलौर आउटर रिंग रोड का उन्नयन

1775. श्रीमती मनोरमा माधवराज:

श्री एम. शिवन्ना:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से डोबासपेट-सोलुर-मगाडी-रामानगरम-कनकपुरा-अनेकल-अट्टिबेले-सरजापुरा तक बंगलौर आउटर रिंग रोड के उन्नयन संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। कर्नाटक सरकार ने कई तरह के रिंग रोडों अर्थात् सेटेलाइट, पैरीफैरल और इंटरमीडिएट रिंग रोडों का प्रस्ताव किया है। सेटेलाइट रिंग रोड अर्थात् डोबासपेट-सोलुर-मगाडी-रामानगरम-कनकपुरा-अनेकल-अट्टिबेले-सरजापुरा का प्रस्तावित संरेखण राजमार्ग यातायात की अपेक्षा को पूरा नहीं करता और इसीलिए यह मंत्रालय विकास के लिए इस रिंग रोड को नहीं ले सकता। इस तरह, पैरीफैरल और इंटरमीडिएट रिंग रोड का विकल्प ही बचता है। राज्य सरकार के साथ गहन विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि पैरीफैरल रिंग रोड जो आर्थिक रूप से व्यावहारिक है, का निर्माण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और इस कार्य निष्पादन को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाना है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अन्तर्गत निधियों का आबंटन

1776. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आर.ए.एन.)

के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, हां। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11/1196 के पत्र के द्वारा अपने-अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बीमारी सहायता निधि स्थापित करने की सलाह दी गई है। यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार से उनमें से प्रत्येक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को (विधायिका सहित) सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा जहां ऐसी निधियां स्थापित की गई हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, को दिया जाने वाला सहायता अनुदान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य निधि/सोसायटी को दिए गए अंशदानों के 50% तक होगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई निधियों का अब तक का राज्यवार, वर्षवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (रान)

वर्ष 2004-05

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त की गई राशि
छत्तीसगढ़ सरकार	20.5.00 लाख रुपये
कर्नाटक सरकार	100.00 लाख रुपये
गोवा सरकार	90.00 लाख रुपये
पुड्डुचेरी सरकार	25.00 लाख रुपये
दिल्ली सरकार	25.00 लाख रुपये
अंडमान और निकोबार सरकार	50.00 लाख रुपये

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त की गई राशि
वर्ष 2005-06	
मिजोरम सरकार	15.00 लाख रुपये
राजस्थान सरकार	100.00 लाख रुपये
हरियाणा सरकार	50.00 लाख रुपये
तमिलनाडु सरकार	105.00 लाख रुपये
दिल्ली सरकार	30.00 लाख रुपये
अंडमान और निकोबार सरकार	50.00 लाख रुपये
लक्षद्वीप सरकार	20.00 लाख रुपये
चंडीगढ़ सरकार	5.00 लाख रुपये
वर्ष 2006-07	
आन्ध्र प्रदेश सरकार	65.00 लाख रुपये
केरल सरकार	27.50 लाख रुपये
जम्मू और कश्मीर सरकार	12.50 लाख रुपये
राजस्थान सरकार	100.00 लाख रुपये
तमिलनाडु सरकार	95.00 लाख रुपये
दिल्ली सरकार	25.00 लाख रुपये
अंडमान और निकोबार सरकार	70.00 लाख रुपये
वर्ष 2007-08	
पश्चिम बंगाल सरकार	110.00 लाख रुपये
गोवा सरकार	30.00 लाख रुपये
राजस्थान सरकार	100.00 लाख रुपये
हिमाचल प्रदेश सरकार	27.00 लाख रुपये
मध्य प्रदेश सरकार	87.50 लाख रुपये
पंजाब सरकार	45.25 लाख रुपये
पुड्डुचेरी सरकार	25.00 लाख रुपये

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त की गई राशि
दिल्ली सरकार	70.00 लाख रुपये
अंडमान और निकोबार सरकार	50.00 लाख रुपये
लक्षद्वीप सरकार	50.00 लाख रुपये

अवैध खनन के कारण होने वाला पर्यावरण प्रदूषण

1777. श्री रशीद मसूद: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवैध खनन से देश में पर्यावरण को नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी रोकथाम करने के लिए क्या प्रशासनिक एवं उपचारात्मक उपाय किये गये/किये जा रहे हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवैध खनन के कारण पर्यावरण एवं नदियों को नुकसान पहुंचाने एवं उनके प्रदूषित होने के संबंध में कोई शिकाय प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ङ) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पर दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना के द्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत खनन कार्य को शामिल किया गया है जिसके अन्तर्गत 5 हेक्टेयर के बराबर और उससे अधिक के क्षेत्र वाली खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी अपेक्षित हैं।

वायु और जल प्रदूषण के संदर्भ में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.)/संघ शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समिति (पी.सी.सी.) के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत भी खनन कार्य विनियमित किए जाते हैं।

इसके अलावा खान और खनिज (विकास और विनियमन) की धारा 23 के तहत अवैध-खनन, ढुलाई और खनिजों के भंडारण को रोकने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

जब कि विधिक उपबंधों के अनुरूप खनन नहीं किए जाने के संबंध में कोई सामान्य जानकारी नहीं है, तथापि विशिष्ट क्षेत्रों में खनन से संबंधित विशिष्ट संदर्भों के प्राप्त होने पर उन्हें संबंधित प्राधिकरण/एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. को भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में रीवर बेड से गोलाश्मों के खनन के संबंध में एक संदर्भ मंत्रालय द्वारा प्राप्त हुआ है और इसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आगे जांच के लिए भेजा गया है।

[अनुवाद]

जे.एन.पी.टी. द्वारा विशेष आर्थिक जोन का विकास

1778. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ने 745 हेक्टेयर पत्तन भूमि पर बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोन का विकास कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पत्तन के इतने नजदीक होने वाले निर्माण कार्यकलापों से भीड़-भाड़ बढ़ने तथा पत्तन के कार्यकलापों में विलम्ब होने की संभावना है; और

(घ) पत्तन से उक्त भीड़-भाड़ को हटाने तथा यातायात प्रबंध में होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिए क्या सावधानियां बरती गयी हैं/कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जवाहर नेहरू पत्तन न्यास ने लगभग 2584 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है और अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के अनुसार, संचालनात्मक गतिविधियों, वाणिज्यिक/सामाजिक सुविधाओं, 12.5% योजना के अंतर्गत परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधाओं, सड़कों और रेल इत्यादि जैसे भावी विकास के लिए लगभग 1200 हेक्टेयर भूमि शेष है। जवाहर लाल नेहरू पत्तन द्वारा ऊपर उल्लिखित विकास योग्य शेष भूमि

में पत्तन आधारित उद्योगों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र/निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपर्युक्त पत्तन ने जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र/निर्यात संवर्धन क्षेत्र तैयार किए जाने के बारे में सलाह हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

(ग) और (घ) मौजूदा यातायात और भविष्य में यातायात की संभावना को ध्यान में रखते हुए, चुने गए परामर्शदाताओं से समुचित योजना संकल्पना तैयार किए जाने और विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना के भीतर के क्षेत्र के लिए समुचित भूमि के उपयोग हेतु एक मास्टर प्लान विकसित किए जाने की अपेक्षा होगी ताकि पत्तन संचालनों के साथ एक प्रभावकारी सह क्रिया हो सके। उपर्युक्त पत्तन, सीधे पत्तन कार्यकलापों से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों की ही अनुमति देगा और पत्तन में कोई उत्पादक उद्योग को स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। योजना की अवस्था में ही यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान दिया जाएगा कि पत्तन यातायात का उचित प्रवाह है और कार्गो को संभालने में कोई विलंब नहीं है।

एच.आई.वी./एड्स के मरीजों के उपचार के लिए दूसरे तरीके

1779. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिनांक 1 जनवरी, 2008 से एच.आई.वी./एड्स के मरीजों के उपचार के लिए दूसरा तरीका शुरू करने सम्बन्धी निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अप्रैल, 2008 से उपचार का दूसरा तरीका सम्पूर्ण देश में उपलब्ध होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एड्स के पात्र रोगियों के उपचार का दूसरा तरीका प्रायोगिक आधार पर शुरू में दो केंद्रों अर्थात् सर जमशेदजी जी.जी.बाई. अस्पताल, मुंबई, महाराष्ट्र और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ थोरेसिक मेडिसिन, तांबरम, चैन्नई में जून, 2008 तक प्रारंभ किया गया है। इसके आधार पर प्राप्त अनुभव से ए.आर.टी. का दूसरे, तरीके का अन्य राज्यों को वर्ष 2008-09 में कवर करने के लिए चरणबद्ध ढंग से विस्तार किया जाएगा। 3000 रोगियों के लिए दूसरे तरीके के उपचार की औषधों की व्यवस्था वर्ष 2008-09 में की गई है।

[हिन्दी]

ऑक्सीजन सिलेण्डरों की खरीद

1780. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों में गैस संयंत्र स्थापित होने के बावजूद इन अस्पतालों द्वारा ऑक्सीजन गैस सिलेण्डरों की खरीद की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी आपूर्ति करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जहां तक दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों का संबंध है, सफदरजंग अस्पताल में महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रों में लिक्विड ऑक्सीजन गैस पाइप लाइन आपूर्ति उपलब्ध है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों का एनेस्थिसिया मशीन/एम्बुलेंस पोर्टेबल वेंटिलेटर/ट्रॉलियों में, वार्ड में उपयोग किया जाता है और उसी अस्पताल में जरूरत वाले मामलों में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टेंड बाई व्यवस्था के रूप में रखा जाता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में गैस प्लांट निश्चित घंटों के लिए काम कर रहा है और शेष समय के लिए गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जाती है क्योंकि कुछ स्थानों पर कोई पाइप लाइन उपलब्ध नहीं है।

तीन केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में निम्नलिखित कम्पनियों द्वारा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर प्रदान किए जाते हैं:-

1. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली।

(i) मैसर्ज गोयल एम.जी. गैसिज प्राइवेट लिमिटेड, ए-4/2, यू.पी.एस.आई.डी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद।

2. डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली।

(i) पहले जैसा मैसर्ज गोयल एम.जी. गैसिज प्राइवेट लिमिटेड, ए-4/2, यू.पी.एस.आई.डी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

(ii) मैसर्ज इनॉक्स एयर प्रोडक्टस, सूरजपुर, कासना, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर-201306 (उत्तर प्रदेश)।

3. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल।

(i) बी.ओ.सी., इंडिया लिमिटेड, आर.आई.आई.सी.ओ., इंडस्ट्रियल एरिया फेज II, मिवाड़ी, जिला अलवर-301019।

(ii) उत्तम एयर प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड, एफ-90/5, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज I, नई दिल्ली-110020।

अभयारण्यों में बाघों का नहीं होना

1781. **श्री मोहन सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरिस्का, कन्नो, कैला देवी तथा रणथम्भौर अभयारण्यों में एक भी बाघ नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) सरिस्का में बाघ के होने की कोई सूचना नहीं है। संशोधित प्रणाली का प्रयोग करते हुए हाल ही (2008) के अखिल भारतीय बाघ आकलन के अनुसार मध्य प्रदेश के कुनों वन्यजीव अभयारण्य में बाघों के होने की सूचना दी गई है। राजस्थान के रणथम्भौर बाघ रिजर्व, जिसमें कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है में बाघों की संख्या लगभग 32 होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें कभी-कभी बाहर से भी बाघ आ जाते थे।

स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी

1782. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रभावी ढंग से निगरानी नहीं हो रही है जिसके कारण सरकारी धनराशि का अपव्यय हो रहा है;

(ख) विगत तीन वर्षों में उक्त कार्यक्रमों की अनुचित निगरानी के लिए दोषी पाये गये गैर-सरकारी संगठनों की संख्या कितनी है और इनके नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं की मानीटरिंग निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने तथा कार्यक्रम के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रत्येक कार्यक्रम/योजना के अन्तर्गत बने दिशानिर्देशों के अनुसार की जा रही है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

प्रधान मंत्री भारत जोड़ो परियोजना

1783. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:**

श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री भारत जोड़ो परियोजना के तहत चार लेनों में परिवर्तित किए जाने के लिए प्रस्तावित राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार परियोजना की स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में जनवरी, 2008 तक विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) कोई प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत 12,109 किमी. की कुल लंबाई में के उन्नयन को अनुमोदन प्रदान किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत अभिनिर्धारित राजमार्गों की राज्यवार लंबाई संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) प्राप्त प्रस्तावों और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 12,230 किमी. लंबाई के खंडों की समेकित सूची अभिनिर्धारित की गई थी जिसमें से 12,109 किमी. लंबाई को सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III में शामिल करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त राज्यवार प्रस्ताव संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत अभिनिर्धारित राजमार्गों की राज्यवार लंबाई

आंध्र प्रदेश

क्र.सं.	रा.रा.सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के तहत खंड	लंबाई (कि.मी.)
1.	18	कुड्डापाह-मदुकुर-कुरनूल	192.5
2.	202	हैदराबाद-यादगिरी	30
3.	205	तिरूपति-तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा-तिरूथानी	44
4.	9	हैदराबाद-विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम	240.5
		जोड़:	**507**
		अरुणाचल प्रदेश	
1.	52ए	ईटानगर-अरुणाचल प्रदेश/असम सीमा	22
		जोड़:	**22**
		असम	
1.	36	दोबोका-असम/नागालैंड सीमा	118
2.	44	असम/मेघालय सीमा से असम/त्रिपुरा सीमा	116
3.	52	बेहाटा चैराली-बंदरदेवा	314
4.	52ए	बंदरदेवा-असम/अरुणाचल प्रदेश सीमा	9
5.	54	सिल्चर-असम/मिजोरम सीमा	50
		जोड़:	**607**

क्र.सं.	रा.रा.सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के तहत खंड	लंबाई (कि.मी.)
		बिहार	
1.	19 व 77	पटना-मुजफ्फरपुर	60
2.	19 व 85	गोपालगंज-छपरा-हाजीपुर	153
3.	28ए	मोतीहारी-रक्सौल	67
4.	30	पटना-बख्तियारपुर	53
5.	31	बख्तियारपुर-बेगुसराय-खगड़िया-पूर्णिया	255
6.	57ए	फोरबिसगंज-जोगवानी	13
7.	77	मुजफ्फरपुर-सोनबरसा	89
8.	80	मोकामा-मुंगेर	70
9.	84	पटना-बक्सर	130
10.	83	पटना-गया-डोभी	125
		जोड़:	1015
		छत्तीसगढ़	
1.	200	रायपुर-सिमगा	28
2.	43	कुरनूड-धमतरी	23
3.	6	औरांग-रायपुर	45
4.	6	महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा-दुर्ग	94
		जोड़:	190
		दिल्ली	
1.	1 व 24	दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा तक	8
2.	10	दिल्ली/हरियाणा सीमा तक	20
		जोड़:	28
		गोवा	
1.	17	महाराष्ट्र/गोवा सीमा-पणजी गोवा/कर्नाटक सीमा	139
2.	4ए	पणजी-गोवा/कर्नाटक सीमा	69
		जोड़:	208

क्र.सं.	रा.रा.सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के तहत खंड	लंबाई (कि.मी.)
		गुजरात	
1.	6	गुजरात/महाराष्ट्र सीमा-सूरत-हजीरा पत्तन	84
2.	6	सूरत-हजीरा पत्तन	29
3.	8डी	जैतपुर-सोमनाथ	127
4.	59	गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा-अहमदाबाद	210
5.	8ए विस्ता.,	कांडला-मुंदरा पत्तन	73
		जोड़:	**523**
		हरियाणा	
1.	10	दिल्ली/हरियाणा सीमा-हिसार	140
2.	22	अंबाला-कलाका (हरियाणा खंड)	27
3.	71	रोहतक-बावल	97
4.	71ए	पानीपत-रोहतक	73
5.	65	अंबाला-कैथल	78
6.	71	रोहतक-जिंद	45
7.	73	पंचकुला-बरवाला-साहा-यमुना नगर से उत्तर प्रदेश सीमा	108
		जोड़:	**568**
		हिमाचल प्रदेश	
1.	22	हिमाचल प्रदेश/हरियाणा सीमा (कालका) - शिमला	110
		जोड़:	**110**
		झारखंड	
1.	33	हजारीबाग-रांची	75
2.	33	बरही-हजारीबाग	40
3.	33	रांची-जमशेदपुर	150
		जोड़:	**265**
		कर्नाटक	
1.	17	कुंडापुर-सुरथाकल	71

क्र.सं.	रा.रा.सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के तहत खंड	लंबाई (कि.मी.)
2.	17	मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा	18
3.	4	नीलमंगला-बंगलौर-होसकोट-कोलार-मुदबागल	105
4.	48	नीलमंगला-हासन	154
5.	4ए	बेलगाम-गोवा/कर्नाटक सीमा	84
6.	7	बंगलौर-होसूर	25
7.	13	बीजापुर-होसपेट	194
8.	4	मुलबागल-कर्नाटक/आन्ध्र प्रदेश सीमा	11
		जोड़:	662
		केरल	
1.	17	कर्नाटक/केरल सीमा-कोझीकोड-इड्डापल्ली	451
2.	47	तिरूवनंतपुरम-केरल/तमिलनाडु सीमा	29
3.	47	चेरथालई-तिरूवनंतपुरम	180
		जोड़:	660
		मध्य प्रदेश	
1.	3	गुना बाइपास	14
2.	3	इंदौर-खालघाट	83
3.	3	खालघाट-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा	88
4.	59	इंदौर-झाबुआ-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा	169
5.	69	औबेदुल्लागंज-भीमबेटका	13
6.	75	झांसी-खजुराहो	100
7.	86 (विस्ता.)	भोपाल-सांची	40
8.	12	भोपाल-राजमार्ग क्रासिंग-जबलपुर	297
		जोड़:	804
		महाराष्ट्र	
1.	17	पनवेल-इंदापुर	84
2.	3	गोंडे-वाडपे (थाणे)	100

क्र.सं.	रा.रा.सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के तहत खंड	लंबाई (कि.मी.)
3.	3	धुले-पींपालगांव	118
4.	3	पिंपालगांव-नासिक-गौंडे	60
5.	3	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा-धुले	97
6.	4	कलामबोली-मुंबरा (6 लेन)	20
7.	50	पुणे-खेड	30
8.	6	नागपुर-वेनगंगा पुल महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा	60
9.	6	वेनगंगा पुल महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा	72
10.	6	नागपुर-तेलीगांव	90
11.	6	तेलीगांव-अमरावती	58
12.	9	पुणे-शोलापुर	170
13.	13	शोलापुर-महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा	30
		जोड़:	**989**
		मणिपुर	
1.	39	नगालैंड/मणिपुर सीमा-इंफाल	112
		जोड़:	**112**
		मेघालय	
1.	44	शिलांग (शिलांग बाइपास को छोड़कर)-असम/मेघालय सीमा	136
		जोड़:	**136**
		मिजोरम	
1.	54	असम/मिजोरम सीमा-आइजोल	140
		जोड़:	**140**
		नागालैंड	
1.	36 व 39	असम/नगालैंड सीमा-दीमापुर	5
2.	39	कोहिमा-नगालैंड/मणिपुर सीमा	28
		जोड़:	**33**

क्र.सं.	रा.रा.सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के तहत खंड	लंबाई (कि.मी.)
		उड़ीसा	
1.	200	चंडीखोल-दुबरी-तलचर	137
2.	203	भुवनेश्वर-पुरी	59
3.	215	पानीकोएली-क्योंझर-राक्सी	249
4.	200	राक्सी-राजमुंडा	20
5.	6	सम्बलपुर-बारागढ़-छत्तीसगढ़/उड़ीसा सीमा	88
		जोड़:	**553**
		पांडिचेरी	
1.	66	पांडिचेरी से तमिलनाडु/पांडिचेरी सीमा	4
		जोड़:	**4**
		पंजाब	
1.	1	जालंधर-अमृतसर-वाघा सीमा	84
2.	15	अमृतसर-पठानकोट	101
3.	21	चंडीगढ़-कीरतपुर	73
4.	22	अंबाला-जिरकपुर (पंजाब खंड)	30
5.	22	जिरकपुर-कालका (पंजाब खंड)	1
6.	95	लुधियाना-तलवंडी	84
		जोड़:	**373**
		राजस्थान	
1.	11	उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा-भरतपुर	21
2.	11	भरतपुर-महुआ	57
3.	11	महुआ-जयपुर	108
4.	11	जयपुर-रींगस-सीकर	95
5.	12	जयपुर-टोंक-कोटा-झालावाड़	328
6.	14	बेवाड़-पाली-पिंडवाड़ा	246

क्र.सं.	रा.रा.सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के तहत खंड	लंबाई (कि.मी.)
7.	8	किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर	82
		जोड़:	937
		तमिलनाडु	
1.	205	तमिलनाडु/आन्ध्र प्रदेश सीमा-तिरुथानी-चेन्नै	94
2.	220	थेनी-कुमली	57
3.	45	डिंडीगुल-त्रिची	80
4.	45बी	मदुरै-अरुपकोटई-तूतीकोरिन	144
5.	45 विस्ता.	डिंडीगुल-पेरीगुलाम-थेनी	73
6.	47	केरल/तमिलनाडु सीमा-कन्याकुमारी	56
7.	49	मदुरै-रामनाथपुरम-रामेश्वरम-धनुषकोडी	186
8.	66	तमिलनाडु/पांडिचेरी सीमा-टिंडीवनम	36
9.	66	कृष्णागिरी-तिरूवेन्नामलाई-टिंडीवनम	170
10.	67	नागपट्नम-तंजौर-त्रिची	130
11.	67	त्रिची-करूर (त्रिची बाइपास सहित)	50
12.	67 विस्ता.	कोयम्बतूर-मेट्टूपलायम	45
13.	68	सेलम-उलूनडूरपेट	134
14.	210	त्रिची-पुदुकोट्टई-रामनाथपुरम	200
		जोड़:	1455
		उत्तर प्रदेश	
1.	11	आगरा-उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा	42
2.	24	सीतापुर-लखनऊ	76
3.	24	मुरादाबाद-सीतापुर	246
4.	58	दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा से मेरठ	47
5.	58	मेरठ से मुजफ्फरनगर	79
6.	58	मेरठ से उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल सीमा	21

क्र.सं.	रा.रा.सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के तहत खंड	लंबाई (कि.मी.)
7.	91	गाजियाबाद-अलीगढ़	106
		जोड़:	**617**
		उत्तरांचल	
1.	58 व 72	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल सीमा-देहरादून	125
2.	87	रामपुर-काठगोदाम	88
		जोड़:	**213**
		पश्चिम बंगाल	
1.	35	बारासत-बेनगांव	60
2.	34	कोलकाता-डलखोला	438
		जोड़:	**498**

विवरण-II

एन.एच.डी.पी. चरण-III की वर्तमान स्थिति (दिनांक 29-2-2008 की स्थिति के अनुसार)

1.	**एन.एच.डी.पी. चरण-III का अनुमोदन**		
	लंबाई		12,109 किमी.
	लागत		80,626 करोड़ रु.
2.	**सौंपने की स्थिति**		
	सौंपी गई परियोजना की कुल संख्या	:	33
	सौंपी गई परियोजना की कुल लंबाई		2,075 किमी.
	सौंपी गई परियोजना की कुल लागत		12,488 करोड़ रु.
	सौंपने हेतु शेष लंबाई	:	10,034 किमी.
3.	**कार्यान्वयन की स्थिति**		
	पूर्ण हो चुकी कुल लंबाई	:	44 किमी.
	कार्यान्वयनाधीन लंबाई	:	2,031 किमी.
4.	**विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की स्थिति**		
	प्रगति पर डी.पी.आर.	:	10,130 किमी.

विवरण-III

विभिन्न राज्य सरकारों से राज्यवार प्रस्ताव

क्र. सं.	रा.रा.सं.	रा.रा. खंड
मध्य प्रदेश		
1.	27	इलाहाबाद-मांगवा
2.	86 विस्तार	सिहोर-देवास
3.	75	झांसी-धासन सीमा से छत्रपुर-पन्ना-बेला
महाराष्ट्र		
1.	6	धुले-जलगांव-अमरावती
2.	17	इंदापुर-जारप
3.	50	खेड-नासिक
4.	211	औरंगाबाद-बीड
पंजाब		
1.	21	डेसू माजरा-खराड़

[अनुवाद]

स्वास्थ्य देखभाल योजना के लिए धनराशि

1784. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री सुभाष महरिया:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के शहरों तथा नगरों में स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का है जैसा कि दिनांक 18 जनवरी, 2008 के 'मिंट' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार का शहरी गरीबों विशेष रूप से मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध करके राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित परिव्यय लगभग 8600 करोड़ रु. है।

(ग) और (घ) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, 2002-2016

1785. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, 2002-2016 के तहत वन्य जीव अभयारण्यों के आस-पास के भू-विन्यास के संरक्षण के लिए दिशानिर्देश विनिर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, 2002-2016 के अनुसार पश्चिम घाट में लघु जल विद्युत परियोजनाओं को वन संबंधी मंजूरी प्रदान की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) में सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के आस-पास बफरों और गलियारों के सुदृढ़ीकरण के लिए सुरक्षित क्षेत्रों के साथ लगते इलाकों को एक अतिरिक्त साधन के रूप में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 'पारिस्थितिकीय संवेदनशील' स्थिति के विस्तार का प्रावधान है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) पश्चिमी घाट और किसी अन्य क्षेत्र में लघु हाइडल परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने के लिए कोई विशेष

दिशानिर्देश निर्धारित नहीं करती है। लघु हाइडल परियोजनाओं सहित सभी परियोजनाओं को मंत्रालय के मौजूदा नियमावलियों और कानूनों के अनुसार मंजूरी प्रदान की गई है।

बालिका भ्रूण हत्या संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा

1786. **श्री एम.राजा मोहन रेड्डी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बालिका भ्रूण हत्या संबंधी अपनी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा/निगरानी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार ने गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी. अधिनियम) को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण तंत्रों के जरिए इस मामले के बारे में जागरूकता सृजित करने के संबंध में कार्रवाई की है जिसकी समीक्षा एवं अनुवीक्षण सतत रूप से किया जाता है। देश में शिशु लिंग अनुपात को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से कुछ कदम केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड का गठन किया जाना है जिसका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ (i) केन्द्र सरकार को प्रसवपूर्व निदान तकनीकों, लिंग चयन तकनीकों तथा उनके दुरुपयोग को रोकने से संबंधित नीतिगत मामलों पर सलाह देना (ii) अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मानीटरिंग करना तथा केन्द्र सरकार से उक्त अधिनियम एवं नियमों में परिवर्तन की सिफारिश करना; (iii) गर्भधारण पूर्व लिंग चयन एवं भ्रूण के प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण के चलन जिससे कन्या भ्रूण हत्या होती है, के विरुद्ध जन जागरूकता पैदा करना; देश भर में आवधिक तौर पर क्षेत्रीय दौरे करने के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण एवं अनुवीक्षण समिति का गठन तथा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय सहायता एवं अनुवीक्षण प्रकोष्ठ का गठन, न्यायपालिका का प्रशिक्षण, वार्षिक रिपोर्टों का प्रकाशन, बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्न, मंत्रालय की वेबसाइट पर आन-लाइन शिकायत सुविधा, सुग्राहिता कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित करना; 'बेटी बचाओ अभियान' शुरू करना, गैर सरकारी संगठनों/धार्मिक नेतागण इत्यादि से सहयोग मांगना इत्यादि है। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सहायक नर्सधात्री एवं प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) को इस विषय पर सुग्राही बनाया जा रहा है। साथ ही, अधिनियम और संबंधित कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां भी प्रदान की गई हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 126 संसद-सदस्यों (लोक सभा और राज्य सभा) में से प्रत्येक को प्रदर्शनियां, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, पी.आर.आई. के लिए प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रम, एस.जी.एच. सार्वजनिक सभाएं, चर्चाएं, निबंध प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक, स्टेज शो आदि आयोजित करके लिंग चयन और घटते लिंग अनुपात के बारे में जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए संबंधित जिला प्राधिकरणों के जरिए 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

राजस्थान में स्पोर्ट्स हॉस्टल

1787. **श्री सुभाष महरिया:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2007-08 के दौरान राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स हॉस्टल की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि के आबंटन का प्रस्ताव है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी नहीं। खेल छात्रावास की स्थापना के लिए मंत्रालय में कोई स्कीम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उपग्रह द्वारा संसाधनों की मैपिंग

1788. श्री अमिताभ नन्दी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूर संवेदी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर देश में दुर्गम तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में संसाधनों की मैपिंग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विशेष रूप से देश में सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) उपग्रह सुदूर संवेदन तकनीकों का उपयोग करते हुए वानिकी; भूमि उपयोग/भूआवरण; जल संसाधन; हिम और हिमानी जैसे क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का मानचित्रण किया जाता है। ये अध्ययन देश के दुर्गम और दूर-दराज के क्षेत्रों में भी आयोजित किए जाते हैं।

(ग) सरकार आयोजना के उद्देश्य से इन अध्ययनों से प्राप्त मानचित्रों और निष्कर्षों का उपयोग कर रही है। भारत सरकार की सुदूर संवेदन आंकड़ा नीति सरकार को देश की सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुदूर संवेदन आंकड़ों के वितरण पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्रदान करती है।

समुद्री कछुओं का संरक्षण

1789. श्री पी.सी. थामस: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल के समुद्री तटों पर समुद्री कछुओं तथा लुप्तप्राय समुद्री जीवों के संरक्षण हेतु केरल राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी हां। भारत सरकार को केरल-सरकार से केरल तट के साथ-साथ 6.65 करोड़ रुपये की लागत पर समुद्री कछुओं और अन्य संकटापन्न समुद्री जीव-जन्तुओं के संरक्षण के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ऐसे प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार द्वारा तभी संसाधित किए जाते हैं यदि निधियां उपलब्ध हों, प्रस्ताव प्रचलित मार्ग-दर्शकों के अनुसार तथा आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

[हिन्दी]

विकास परियोजनाओं में निजी-सरकारी भागीदारी

1790. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री सूरज सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विभागों के तहत विभिन्न परियोजनाओं को निजी-सरकारी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 2007 की स्थितिनुसार इस प्रकार कार्यान्वित परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस संबंध में उचित निगरानी तंत्र उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार की एजेन्सियों के नाम क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) पी.पी.पी.ए.सी. द्वारा विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में दिसम्बर, 2007 तक अनुमोदित सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) की विभिन्न परियोजनाओं की संख्या का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्षेत्र	पी.पी.पी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित पी.पी.पी. परियोजनाओं की संख्या
सड़क	40
पोत परिवहन	8

(ग) और (घ) संबंधित मंत्रालय/विभाग से संबंधित पी.पी.पी.

परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करते हैं। अवसंरचना संबंधी समिति (सी.ओ.आई.) और (सी.ओ.आई.) की अधिकार प्राप्त उप-समिति भी विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करती हैं ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन पर आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट

1791. श्री चंद्रकांत खैरे:

श्री नवीन जिन्दल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर-सरकारी पैनल (आई.पी.सी.सी.) की हाल ही की रिपोर्ट का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में इसके कार्यान्वयन हेतु रिपोर्ट का कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में संभावित जलवायु परिवर्तनों के परिणामों को सीमित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ङ) सरकार को जलवायु परिवर्तन संबंधी अन्तर-सरकारी पैनल आई.पी.सी.सी. की जानकारी है और यह तत्संबंधी सरोकारों से भली भांति परिचित है। आई.पी.सी.सी. ने चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, अनुकूलन तथा संवेदनशीलता तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण संबंधी सूचना दी गई है। इस रिपोर्ट में जलवायु संबंधी पैरामीटरों के संबंध में वैश्विक आधार पर देखे गए परिवर्तनों की सूचना के साथ-साथ 21वीं सदी के अंत तक भावी जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रत्याशाओं को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कार्बनडाइआक्साइड के वैश्विक वातावरणीय सान्द्रण में वर्ष 2005 में लगभग 280 पी.पी.एम. प्री इंडस्ट्रियल वैल्यु से 379 पी.पी.एम. तक की वृद्धि हुई है। इस सदी के अंत तक प्रत्याशित तापमान वृद्धि लगभग 3 सैल्सियस के संतुलित अनुमान सहित 2 से 4.5 डिग्री सैल्सियस तक होने की संभावना है।

रिपोर्ट में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के अलावा विभिन्न फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रणालियों के संबंध में देखे गए वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर के प्रभावों को दर्शाया गया है। सभी महाद्वीपों और अधिकांश महासागरों से हासिल ऑब्जवैशनल प्रमाण यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तनों द्वारा अनेक प्राकृतिक प्रणालियां प्रभावित हो रही हैं विशेषकर तापमान वृद्धि प्रभावित हो रही है और 2050 तक ऊंचाई वाले स्थानों में और कुछ आर्द्र कटिबंध क्षेत्रों में वार्षिक औसत रीवर रन ऑफ और जल की अपलब्धता में 10-40 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रत्याशित की गई है और कुछ शुष्क क्षेत्रों में मध्यम ऊंचाई वाले स्थानों और शुष्क कटिबंध क्षेत्रों में 10-30 प्रतिशत की कमी हो रही है, इनमें से कुछ इस समय वाटर स्ट्रेस्ड क्षेत्र हैं। इसके अलावा, भारी बारिश की घटनाओं की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि होने की संभावना है। इन रिपोर्टों में पारिप्रणालियों, फूड, फाइबर और वन उत्पादों, कोस्टल प्रणालियों और निचले भू-भागों, उद्योगों, बसावट और समाज तथा स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभावों का दर्शाया गया है।

इसके अलावा रिपोर्ट में 2002 के बाद जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर नवीन साहित्य के वैश्विक स्तर के मूल्यांकन को भी दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के वैश्विक रुझान, अल्प और मध्यम अवधि (2030 तक) के न्यूनीकरण कार्यों, दीर्घावधिक न्यूनीकरण (2030 के बाद) नीतियों, उपायों तथा जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा जानकारी के अभावों की सूचना दी गई है। रिपोर्ट में देश विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है और इसमें विश्व स्तर पर विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई है।

नीचे दी गई नीतियां, कार्यक्रम और पहले प्रत्याशित जलवायु परिवर्तन संबंधी सरोकारों से संबंधित है:-

(क) विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण और उन्नत ऊर्जा क्षमता सुनिश्चित करना तथा ऊर्जा क्षमता ब्यूरो की स्थापना करना।

(ख) नवीनकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना।

(ग) बिजली क्षेत्र में सुधार तथा सक्रिय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम।

(घ) परिवहन के लिए स्वच्छ और कम कार्बन युक्त ईंधन का इस्तेमाल।

(ङ) स्वच्छ ऊर्जा ईंधन का प्रयोग।

(च) वनीकरण और वनों का संरक्षण।

(छ) स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

(ज) गैस फलेयरिंग को कम करना।

(झ) मॉस रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रणालियों को बढ़ावा देना।

(ञ) सभी क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय गुणवत्ता प्रबंधन।

सरकार ने 'जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विशेषज्ञ समिति' का गठन किया है। इस समिति के विचारार्थ विषय है: भारत पर मानवजनित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करना और ऐसे उपायों का पता लगाना है जोकि इसे भविष्य में मानवजनित जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलनता और इन से संबंधित किन्हीं अन्य मामलों में अपनाने पड़ सकते है।

जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन करने, अनुकूलन तथा न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई का समन्वय करना, राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों पर समन्वित प्रतिक्रिया देने तथा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मूल्यांकन, अनुकूलन तथा न्यूनीकरण हेतु कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति अर्थात् प्राइम मिनिस्टर्स कौंसिल ऑन क्लाइमेंट चेंज नामक एक समन्वय समिति का 6 जून, 2007 को गठन किया गया था।

[हिन्दी]

परियोजनाओं की निगरानी हेतु कर्मचारियों का प्रशिक्षण

1792. श्री सूरज सिंह:

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी-सरकारी भागीदारी के तहत संयुक्त उद्यम के रूप में चल रही निर्माणाधीन परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के तहत प्रशिक्षित किए जाने हेतु कर्मचारियों की कुल प्रस्तावित संख्या कितनी है; और

(घ) प्रशिक्षण के लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) सरकार ने, सरकारी तथा निजी भागीदारी के संयुक्त उद्यम के रूप में चलाई जा रही निर्माणाधीन परियोजनाओं की मॉनीटरिंग हेतु कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना नहीं बनाई है।

शिशु कल्याण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता

1793. श्री रामदास आठवले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक का भारत को शिशु कल्याण कार्यक्रम के लिए सहायता मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की आशा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) विश्व बैंक भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आर.सी.एच. ।।) कार्यक्रम जो सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने वाली केन्द्रीय, प्रायोजित योजना है, के अंतर्गत नवजात शिशु एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ख) इस परियोजना के लिए विश्व बैंक का कुल वित्तपोषण 360 मिलियन अमरीकी डालर होने का प्रस्ताव है।

(ग) आर.सी.एच. ।। कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2010 तक प्रति हजार जीवित जन्मों पर नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करके 30 से नीचे लाना है।

बोतल बंद पेयजल की गुणवत्ता

1794. श्री महावीर भगोरा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बोतलबंद पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु कोई मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन के कितने मामलों का पता लगाया है;

(घ) उन पर क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बोतलबंद पेयजल के गुणवत्ता मानकों में परिवर्तन करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ये परिवर्तित मानक कब तक लागू किए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 में पैकेज्ड पेय जल के मानक निर्धारित किए गए हैं जिनमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन चिन्ह वाले पैकेज्ड पेय जल को छोड़कर अन्य पैकेज्ड पेय जल का उत्पादन, बिक्री या बिक्री के लिए उसका प्रदर्शन नहीं करेगा।

(ग) और (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है जो खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करते हैं। तदनुसार उनसे अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मूत्राशय के रोगों का उपचार

1795. श्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार कितने रोगी मूत्राशय के रोगों से पीड़ित हैं;

(ख) इस प्रकार के रोगों के उपचार के लिए उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रोगियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) ऐसी कई जांचें हैं जिनको मूत्र से जुड़ी विभिन्न बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है अथवा जिनका मूत्र के माध्यम से पता चलता है। देश में मूत्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित रोगियों की संख्या से संबंधित आंकड़ों का एकत्रण और रखरखाव इस मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

(ख) मूत्र से जुड़ी बीमारियों के रोगियों का उपचार सी.एच.सी./पी.एच.सी. तक सभी स्तरों स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में किया जाता है। जटिल रोगियों का उपचार एम्स/पी.जी.आई. आदि जैसी प्रमुख संस्थाओं के अलावा जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पहले से ही कार्य कर रहा है और स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली का ध्यान रख रहा है।

दिल्ली में अस्पतालों का आधुनिकीकरण और विस्तार

1796. श्री मदन लाल शर्मा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजधानी में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्तमान वर्ष सहित पहले से व्यय की गई/व्यय की जाने वाली निधियों का ब्यौरा क्या होगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राजधानी स्थित केन्द्र सरकार के

अस्पतालों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज सफदरजंग अस्पताल में स्थापित किया गया है। भारत सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सफदरजंग अस्पताल के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए सफदरजंग अस्पताल की एक पुनर्विकास योजना पर विचार कर रही है। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कैजुअल्टी और आपातकालीन विभाग (अभिघात केन्द्र) को सुदृढ़ किया गया है और उसका अब तक खर्च किए गए 50.11 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन किया गया है। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 60.16 करोड़ रुपये की लागत से पी.जी.आई.एम.ई.आर. की स्थपाना की गई है। इसके अलावा, लेडी-हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए पुनर्विकास योजना के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध भेजने के लिए कहा गया है।

भरतपुर पक्षी अभयारण्य में जल स्तर गिरना

1797. श्रीमती मेनका गांधी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि यूनेस्को ने भरतपुर पक्षी अभयारण्य को अपने विश्व धरोहर से हटाने की धमकी दी है चूंकि इसके जल स्तर में गिरावट के कारण इसमें पक्षियों का आना कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) विश्व धरोहर समिति ने डर्बन में 2005 के दौरान हुई अपनी बैठक में नमभूमि पारितंत्र के रखरखाव हेतु पानी की अपर्याप्त उपलब्धता के परिणामस्वरूप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। विलीनस, लिथुनिया में 2006 में हुई उनकी अगली बैठक में, पानी की समस्या के लिए दीर्घावधि समाधान क्रियान्वित करने के अनुरोध के साथ विश्व धरोहर सम्पदा के संरक्षण की स्थिति पर अद्यतन, विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) पर्यावरण और वन मंत्रालय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बेहतर प्रबंधन हेतु राज्य सरकार को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम उद्यानों और अभयारण्यों के विकास हेतु सहायता के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान 26.3472 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।

(ii) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बेहतर प्रबंधन हेतु यूनेस्को द्वारा वित्तपोषित परियोजना शुरू की गई है।

(iii) राज्य सरकार ने चिकसाना नहर परियोजना पूरी कर ली है जिसमें मानसून अवधि के दौरान 50-60 एम.सी.एफ.टी. बाढ़ जल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त होगा।

(iv) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जल के अभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दो और योजनाएं यथा गोवर्धन ड्रेन परियोजना और धौलपुर भरतपुर पेयजल परियोजना भी तैयार कि गई है।

(v) आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए चार नए गहरे बोरवैल और दो नए शैलो बोरवैल उद्यान के अन्दर खोदे गए हैं।

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड

1798. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड मानवलाकुरूची में विस्तार कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विस्तार कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा तथा उत्पादन को कब तक आरंभ कर दिया जाएगा; और

(ग) विलंब के क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से ग) मानवलाकुरुचि स्थित इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आई.आर.ई.एल.) के मौजूदा खनिज पृथक्करण संयंत्र (एम.एस.पी.) की क्षमता, प्रति वर्ष 90,000 मीटरी टन इल्मेनाइट तथा संबद्ध खनिजों को संसाधित करने की है, इसके लिए कच्चा माल अंशतः, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा उस भूमि पर किए गए खनन से प्राप्त किया जा रहा था जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा जारी किया गया था, और अंशतः, कथित क्षेत्र में तटीय धोवनों को इकट्ठा करके

प्राप्त किया जा रहा था। इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड की दीर्घावधि निगमित योजना के अनुसार, चरण-I में मानवलाकुरूचि संयंत्र की क्षमता का विस्तार 90,000 मीटरी टन प्रति वर्ष से 1,50,000 मीटरी टन प्रति वर्ष किया जाना और चरण-II में 2,50,000 मीटरी टन प्रति वर्ष किया जाना कार्रवाई के मुद्दों में से एक था। कार्रवाई के इस मुद्दे का क्रियान्वयन वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। इसके साथ-साथ खनिज पृथक्करण संयंत्र के विस्तार के लिए निविदाएं आमंत्रित करने, तमिलनाडु सरकार से नए खनन पट्टे प्राप्त करने और/अथवा मौजूदा खनन पट्टों के नवीकरण के लिए कदम उठाने तथा विभिन्न सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करने की दृष्टि से परियोजना-पूर्व के कार्यकलाप करने की कार्रवाई की गई।

पुलिन बालुका खनिज उद्योग को अस्थिर व्यापार चक्रों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इल्मेनाइट और अन्य भारी खनिजों के लिए विश्व बाजार में उस समय प्रचलित मांग के आधार पर, विस्तार योजना को कुछ समय के लिए स्थगित रखा गया था। बाजार की स्थिति अधिक अनुकूल हो जाने पर, क्रियान्वयन की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई और विस्तार कार्यक्रम को औपचारिक रूप से 12-09-2006 को शुरू किया गया था। तथापि, इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में कई अड़चनें सामने आई हैं। वह विदेशी पार्टी जिसके पक्ष में खनिज पृथक्करण संयंत्र को टर्न-की विस्तार के लिए आशय-पत्र जारी किया गया था, को पहले अपने मेजबान देश से अनुमतियां प्राप्त करनी थीं। अनुमति प्राप्त करने के लिए शामिल किए जाने वाले कुछ प्रतिबंध, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड को स्वीकार्य नहीं थे, इसके अतिरिक्त, यह पार्टी, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रुपए में हुई मूल्यवृद्धि के लिए और, किसी विदेशी संगठन की भारत में स्थायी स्थापना होने की वजह से आयकर अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली कर संबंधी कुछ देयताओं के लिए पूर्ण मुआवजा चाहती थी।

खनन पट्टों और कच्चे माल की सप्लाई के क्षेत्र में, तमिलनाडु की राज्य सरकार मौजूदा खनन पट्टों के कुछ हिस्से का ही नवीकरण करने के लिए सहमत हुई है। नए खनन पट्टों के लिए दिए गए आवेदन-पत्रों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिए गए हैं। क्योंकि इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, पहले के मौजूद खनन पट्टों में से कुछ हिस्से पर ही प्रचालन कर पा रहा है, अतः तटीय धोवनों को इकट्ठा करने का काम भी काफी कम हो गया है।

जहां तक सांविधिक अनुमतियों का संबंध है, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की संशोधित अधिसूचना के अनुसार, परियोजना प्रस्तावक के रूप में इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के लिए, नए सिरे से ई.आई.ए./ई.एम.पी. अध्ययन करना जरूरी हो गया है।

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड ने उपर्युक्त सभी मुद्दों को हल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इन परिस्थितियों में, इस परियोजना के निष्पादन का काम, ऊपर उल्लखित मुद्दों को हल करने के बाद ही फिर से शुरू किया जा सकता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

1799. श्री गणेश सिंह:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री राजनरायन बुधोलिया:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.) के तहत पहले चरण में कितने शहरों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(ख) एन.यू.एच.एम. के तहत तत्पश्चात शेष शहरों को कब तक शामिल कर दिये जाने की संभावना है;

(ग) चिन्हित शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को एन.यू.एच.एम. के तहत शामिल किए जाने हेतु कितने शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियों की संस्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) ग्यारहवीं योजना के दस्तावेज में शहर के निर्धन, विशेषकर मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवायें उपलब्ध करके राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का प्रस्ताव

किया गया है। जनगणना 2001 के अनुसार एन.यू.एच.एम. में एक लाख अथवा उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों को कवर किया जाएगा।

(ग) एन.यू.एच.एम. का एक लाख अथवा उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों को कवर करने का प्रस्ताव है। जनगणना 2001 के अनुसार ऐसे शहरों की जनसंख्या 21.07 करोड़ है।

(घ) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन में शहरी क्षेत्र पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए शहर के निर्धन लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर ध्यान देने का प्रस्ताव है।

वन विकास परियोजनाएं

1800. श्री अजीत जोगी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वन विकास हेतु विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य वनों का विकास करना है। स्कीम का कार्यान्वयन वन विभाग स्तर पर वन विकास एजेन्सी और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के द्वि-स्तरीय विकेन्द्रीकृत संस्थागत सैट-अप के माध्यम से किया जा रहा है। मंत्रालय को 15-2-2008 तक 778 वन विकास एजेन्सी (एफ.डी.ए.) परियोजनाएं प्राप्त हुई थीं जिनमें से 2063.78 करोड़ रु. की कुल लागत वाली 753 एफ.डी.ए. परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। शेष प्रस्तावों को मंजूरी राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुरूप उनकी उपयुक्तता, उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और स्कीम के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अध्याधीन दी जाएगी।

विवरण

प्राप्त एवं अनुमोदित वन विकास एजेन्सी परियोजना प्रस्तावों की संख्या

(15-02-2008)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	प्राप्त एफ.डी.ए. परियोजना प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित एफ.डी.ए. परियोजना प्रस्तावों की संख्या	एफ.डी.ए. परियोजनाओं की अनुमोदित लागत (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	37	35	95.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	22	22	32.55
3.	असम	30	30	50.82
4.	बिहार	10	10	27.37
5.	छत्तीसगढ़	32	32	133.16
6.	गोवा	3	3	2.39

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	23	21	108.12
8.	हरियाणा	18	18	65.84
9.	हिमाचल प्रदेश	30	30	64.19
10.	जम्मू और कश्मीर	31	31	86.31
11.	झारखंड	32	32	92.25
12.	कर्नाटक	45	45	149.52
13.	केरल	28	25	66.64
14.	मध्य प्रदेश	55	52	132.28
15.	महाराष्ट्र	46	45	130.96
16.	मणिपुर	16	14	46.12
17.	मेघालय	8	8	22.61
18.	मिजोरम	21	21	82.30
19.	नागालैंड	18	18	48.55
20.	उड़ीसा	45	43	109.18
21.	पंजाब	15	15	28.05
22.	राजस्थान	33	33	41.30
23.	सिक्किम	7	7	45.11
24.	तमिलनाडु	32	32	102.61
25.	त्रिपुरा	13	13	29.57
26.	उत्तर प्रदेश	70	60	145.89
27.	उत्तराखण्ड	38	38	73.06
28.	पश्चिम बंगाल	20	20	51.64

[अनुवाद]

पाकिस्तानी विदेश मंत्री की भारत यात्रा

1801. **श्री अधीर चौधरी:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी यात्रा के दौरान किन विषयों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या इस दौरान सीमा-पार आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस चर्चा के क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री अनामुल हक ने सार्क मंत्रिपरिषद के 29वें सत्र में भाग लेने के लिए 7-8 दिसंबर, 2007 को भारत की यात्रा की। सार्क बैठक के दौरान विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया जहां आतंकवाद से संबंधित मुद्दों सहित पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा हुई।

पाकिस्तानी मत्स्य नौकाओं को पकड़ना

1802. **श्री मधुसूदन मिस्त्री:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पाकिस्तानी मछुआरों की कुल कितनी नौकाओं को पकड़ा गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ऐसी कितनी नौकाओं को छोड़ा गया;

(ग) क्या सरकार मछुआरों को किसी तरह के मुआवजे का भुगतान करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तानी मछुआरों की 50 नावें सितंबर, 2005 से प्राधिकारियों की अभिरक्षा में हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई नौका नहीं छोड़ी गयी।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा पाकिस्तानी मछुआरों को किसी तरह के मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

लंबित परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

1803. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**

श्री अब्दुल्ला कुट्टी:

श्री मदन लाल शर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों की पर्यावरण और अन्य विकास परियोजनाएं पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन सभी परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) मंत्रालय में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित 1014 विकास परियोजनाओं का वर्गवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

(i)	कोयला	-	3
(ii)	निर्माण	-	726
(iii)	उद्योग	-	68
(iv)	खनन (कोयले के अलावा	-	147
(v)	न्यूक्लीयर	-	1
(vi)	नदी घाटी	-	28
(vii)	थर्मल		41

(ख) इन परियोजनाओं का राज्यवार और संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) परियोजनाओं पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए किए गए उपायों में उनके स्तर की निरंतर मानीटरिंग, विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की अवधि बढ़ाने और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अनुसार राज्य स्तर पर बी श्रेणी के प्रस्तावों का मूल्यांकन करना शामिल है।

(घ) पर्यावरण मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अनुसार निर्धारित समय में इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के प्रयास किए गए हैं।

विवरण	
राज्य:	
1. असम	04
.2 आंध्र प्रदेश	73
3. अरुणाचल प्रदेश	04
4. बिहार	03
5. छत्तीसगढ़	14
6. गोवा	17
7. गुजरात	52
8. हरियाणा	36
9. हिमाचल प्रदेश	10
10. जम्मू-कश्मीर	02
11. झारखंड	18
12. कर्नाटक	23
13. केरल	10
14. मध्य प्रदेश	43
15. महाराष्ट्र	76
16. मणिपुर	1
17. मेघालय	01
18. उड़ीसा	61
19. पंजाब	2
20. राजस्थान	89
21. सिक्किम	2
22. तमिलनाडु	166
23. उत्तराखंड	19
24. उत्तर प्रदेश	04
25. पश्चिम बंगाल	09
संघ शासित प्रदेश:	
1. चण्डीगढ़	06
2. दिल्ली	71

पोत यातायात प्रणाली और रो-रो टर्मिनल परियोजना

1804. श्री हरिन पाठक: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पोत परिवहन यातायात को नियंत्रित करने हेतु कच्छ की खाड़ी में पोत यातायात प्रणाली स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आगे क्या कार्रवाई की गई है तथा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को कैम्बे खाड़ी में पर्यावरणीय रूप से बेहतर रो-रो टर्मिनल परियोजना के बारे में गुजरात राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) परियोजना में सिविल इंजीनियरिंग कार्य और वी.टी.एस. उपस्कर की स्थापना शामिल है। इसमें कांडला में एक उत्कृष्ट (मास्टर) नियंत्रण केन्द्र, संपूर्ण गल्फ की खाड़ी में फैले नौ राडार स्टेशन, छः पत्तन मॉनीटर स्टेशन, दो रेडियो निर्देश पता लगाने वाले मौसम विज्ञानी (मैट्रोलोजिकल) और जल विज्ञानी (हाइड्रोलौजिकल) सैन्सर्स तथा सम्बद्ध सूक्ष्म तरंग (माइक्रोवेव) लिंक की स्थापना करना शामिल है। सिविल इंजीनियरिंग कार्य में दस 60 मीटर, एक 50 मीटर और दो 30 मीटर उच्च आर.सी.सी. टॉवरों, एक उत्कृष्ट नियंत्रण केन्द्र भवन और अनुषंगी भवनों का निर्माण करना शामिल है। सिविल इंजीनियरिंग कार्य का विस्तार 17 स्थानों में है। इस परियोजना को अक्तूबर, 2008 तक पूर्ण किए जाने की आशा है।

(ग) जी, हां। गुजरात में रो-रो फेरी सेवा के लिए गुजरात अवसंरचना विकास बोर्ड से व्यवहार्यता-अंतराल हेतु

वित्त-पोषण का एक प्रस्ताव वित्त-मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को अगस्त, 2006 में प्राप्त हुआ था।

(घ) गुजरात सरकार ने व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण स्कीम के अंतर्गत 50 करोड़ रु. के अनुदान के लिए अनुरोध किया है। फेरी टर्मिनल एक निजी पार्टी द्वारा बनाए जाने थे जो एकाधिकार आधार पर फेरी सेवा को भी चलाएगा। शक्ति प्राप्त संस्थान द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया और यह बताया गया था कि भारत सरकार की अनुदान निधियों का एकाधिकार वाली अवसंरचना सेवाओं की सहायता के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। परियोजना प्राधिकारी से प्रस्ताव को संशोधित करने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सी.जी.एच.एस. औषधालयों में डाक्टरों की नियुक्ति

1805. **श्री एम. अप्पादुरई:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मधुमेह के रोगियों की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु सी.जी.एच.एस. के सभी औषधालयों में विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जावेद चौधरी समिति की रिपोर्ट

1806. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सरकारी डाक्टरों की कार्य दशाओं की जांच करने हेतु गठित जावेद चौधरी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की दशा में कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ (i) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एस.ए.जी.) और उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एच.ए.जी.) स्तर पर स्टेग्नेशन को दूर करना; (ii) सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष करना; (iii) पेंशन नियमों के अधीन पहले से ही स्वीकार्य 5 वर्ष की सेवा के अलावा 5 वर्ष की अतिरिक्त सेवा का टर्मिनल लाभ (iv) 1.00 लाख रुपये प्रति मामले की वित्तीय सहायता के साथ 2 वर्ष में एक बार अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी में भाग लेने की अनुमति देना (v) एन.पी.ए. को बढ़ाकर 30% करना; और (vi) पुस्तक/अनुसंधान/शैक्षणिक भत्ते को बढ़ाना।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु पहले ही बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। 1.00 लाख रुपये प्रति मामले की वित्तीय सहायता के साथ 2 वर्ष में एक बार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

पेंशन नियमों के अधीन पहले से ही स्वीकार्य 5 वर्ष की सेवा के अलावा 5 वर्ष की अतिरिक्त सेवा का टर्मिनल लाभ देने का प्रस्ताव पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग के साथ तीन बार दिया जा चुका है परन्तु वह विभाग इस पर सहमत नहीं हुआ है।

यद्यपि अन्य सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई चल रही थी, तथापि, इस दौरान व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 21-12-2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/6/2006-ई,-III ए के तहत अनुदेश जारी किए हैं कि वेतनमान का उन्नयन, नए-नॉन-पंक्शनल वेतनमान देना, नए भत्ते देने, मौजूदा भत्तों को बढ़ाने से संबंधित सभी मामले छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के समक्ष लाए जाने हैं। तद्नुसार, प्रैक्टिशबन्दी भत्ते को बढ़ाने, वार्षिक भत्ता अथवा पुस्तक/अनुसंधान/शैक्षणिक भत्ता बढ़ाने संबंधी मुद्दे और सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने के प्रस्ताव को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग को भेज दिया गया है।

तमिलनाडु के लिए वार्षिक योजना परिव्यय - 2008-09

1807. **डा. के. धनराजू:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु राज्य सरकार के वार्षिक योजना परिव्यय - 2008-09 के रूप में 16000/- करोड़ रुपये आबंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आबंटन राशि में राज्य की नदियों को आपस में जोड़ने हेतु धनराशि भी सम्मिलित है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी प्रस्तावित परियोजनाओं पर धनराशि खर्च करने के प्रस्ताव का परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसकी निगरानी के लिए केन्द्र सरकार का निगरानी तंत्र क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) वर्ष 2008-09 के लिए तमिलनाडु का वार्षिक योजना परिव्यय 16000/- करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

(ख) से (घ) परियोजनाओं के ब्यौरों को अंतिम रूप दिए जाने तथा राज्य बजट विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात परियोजनावार आबंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु विशेष पैकेज

1808. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास हेतु प्रधान मंत्री के विशेष सहायता पैकेज का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त सहायता का किन-किन क्षेत्रों के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) वित्तीय वर्ष, 2007-08 के दौरान इस क्षेत्र में किस प्रकार के रोजगार का सृजन किया गया और वर्ष, 2008-09 में किस तरह के रोजगार सृजन का प्रस्ताव है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) प्रधान मंत्री द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किए गए दौरों के दौरान की गई घोषणाओं के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट, www.mdoner.gov.in पर देखे जा सकते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान की गई घोषणाओं का सारांश तथा कार्यान्वयन के दौरान शामिल किए गए कार्यक्षेत्र को संलग्न विवरण पर देखा जा सकता है।

(ग) ये विशेष पैकेज उत्तर पूर्वी राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए हैं तथा इनमें मुख्यतः अवस्थापना क्षेत्रों जैसे कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, पन बिजली, जलसंसाधन, रेलवे, पर्यटन, नागरिक विमानन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की परियोजनाएं शामिल हैं। इन सभी विकासात्मक कार्यक्रमों में कार्यान्वयन के दौरान तथा इसके पश्चात् अनुरक्षण के दौरान भी रोजगार सृजन निहित है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा घोषित राज्यवार विशेष पैकेज

क्र.सं.	तारीख/वर्ष	क्षेत्र	कार्य के क्षेत्र
1.	20 तथा 21 नवम्बर, 2004	मणिपुर	प्रशासनिक अवस्थापना का विकास, संपर्क तथा ग्रामीण स्वास्थ्य अवस्थापना में सुधार, जनजातीय गांवों का विद्युतीकरण, उच्चतर संस्थानों का उन्नयन, खुमन लम्पक में खेल अकादमी की स्थापना तथा सिंचाई सुविधाओं का विकास।
2.	21 तथा 22 नवम्बर, 2004	असम	बाढ़ नियंत्रण एवं मृदा संरक्षण, रोजगार हेतु ब्लू प्रिंट, हवाई, रेल, सड़क संपर्क सुधार, स्वास्थ्य अवस्थापना में सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरण सहित लघु पन बिजली परियोजनाएं स्थापित करना, उत्तर पूर्वी जल प्राधिकरण स्थापित करना चाय उद्योग को सहायता तथा खेल अवस्थापना का सृजन।

क्र.सं.	तारीख/वर्ष	क्षेत्र	कार्य के क्षेत्र
3.	29 अक्तूबर, 2006	त्रिपुरा	सड़क, रेल तथा दूरभाष संपर्क में सुधार, उच्चतर संस्थानों का उन्नयन, राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर जोरबाट में अगरतला को पूर्व-पश्चिम गलियारे से जोड़ना। बांग्लादेश के माध्यम से रेल तथा सड़क पारगमन की पुनर्बहाली, एन.एच.-44 को चार लेन वाला बनाना तथा राज्य राजधानी परिसर का निर्माण।
4.	16 तथा 17 जनवरी, 2006	असम	गैस क्रेकर परियोजना स्थापित करना, 4 केन्द्रों में आई.टी.आई. का उन्नयन, दूरदर्शन संचारण का उन्नयन, आई.टी. पार्क तथा सेज स्थापित करना, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, सभी गांवों में टेलीफोन कनेक्शन, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, उत्तर पूर्व जल संसाधन प्राधिकरण (एन.ई.डब्ल्यू.आर.ए.) आरंभ करना।
5.	2 दिसम्बर, 2006	मणिपुर	चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्रीय संस्थान (आर.आई.एम.एस.) तथा मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का उन्नयन, संपर्क सुधार, इम्फाल में 5 अस्पताल तथा एक कन्वेशन सेंटर स्थापित करना, इम्फाल हवाई अड्डे पर रात्रि लैंडिंग सुविधाएं स्थापित करना, तिपाईमुख तथा लोकटक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजनाएं आरंभ करना।
6.	31 जनवरी, तथा 1 फरवरी 2008	अरुणाचल प्रदेश	(i) राज्य में सभी घरों का सौर विद्युत तथा छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से विद्युतीकरण (ii) ईटानगर में एक नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का निर्माण (iii) टूटिंग, मेचुका, पासीघाट, विजयनगर तथा वालोंग में उन्नत लैंडिंग ग्राउन्ड्स का अवस्थापना सुधार (iv) गुवाहाटी एवं त्वांग के बीच रोजाना हैलीकॉप्टर सुविधा (v) त्वांग से महादेवपुर के बीच दो लेन वाले ट्रांस-अरुणाचल प्रदेश राजमार्ग का निर्माण (vi) 4-5 वर्षों के भीतर ईटानगर को चार लेन वाले राजमार्गों से तथा सभी जिला मुख्यालयों को दो लेन वाली सड़कों से जोड़ना (vii) 'भारत निर्माण' के तहत सड़क के किनारे बसे 500 छोटी व्यवस्थाओं को जोड़ना (viii) सुदूर गांवों तथा व्यवस्थाओं में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निधि का प्रावधान

क्र.सं.	तारीख/वर्ष	क्षेत्र	कार्य के क्षेत्र
			(ix) बाढ़ के कारण हुई क्षति की भरपाई करने के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से 400 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान
			(x) चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 265 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान
			प्रधान मंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया:
			(i) नया सचिवालय भवन
			(ii) परा विद्युत परियोजना
			(iii) दिबांग विद्युत परियोजना
			(iv) ईटानगर जल आपूर्ति स्कीम
			(v) हरमुति तथा ईटानगर के बीच नई रेल लाईन

लक्षद्वीप प्रशासन के स्वामित्व वाले पोत

1809. **डा. पी.पी. कोया:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षद्वीप प्रशासन के स्वामित्व वाले उसके द्वारा प्रचालित और निर्माण हेतु आदेशित पोतों का आज तक का ब्यौरा क्या है;

(ख) (एक) मनेलैंड-आइलैंड यात्री पोतों, (दो) इंटर आइलैंड फेरी पोतों, (तीन) कार्गो बार्जेज, (चार) लैंडिंग बार्जेज, (पांच) ऑयल बार्जेज, (छह) बुलार्ड टग आदि की संख्या कितनी है;

(ग) इन पोतों के अधिग्रहण निर्माण, खरीद और किराए पर लेने पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) इनमें से ऐसे कितने पोत प्रचालन योग्य नहीं हैं जिनकी मरम्मत कराई जा रही है;

(ङ) इन पोतों को चलाने पर प्रति वर्ष कुल कितनी धनराशि खर्च की जाती है; और

(च) इन पोतों की मरम्मत पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के स्वामित्व वाले और उसके द्वारा संचालित पोतों का विवरण निम्नानुसार है:

जलयान का प्रकार	स्वामी और संचालक
मुख्यभूमि-द्वीप यात्री जलयान	5
अंतर द्वीप फेरी जलयान	10
कार्गो बजरे	4
तेल बजरे	1
बुलार्ड टग	2
कुल	22

लक्षद्वीप संघ-राज्य-क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्माण किए जाने के लिए आदेश पर दिए गए जलयानों का विवरण निम्नानुसार है:

जलयान का नाम और किस्म	शिपयार्ड का नाम	संविदा पर हस्ताक्षर किए गए	संविदा में सुपुर्दगी की तारीख	सुपुर्दगी की तारीख/ सुपुर्दगी की संभावित तारीख
700 यात्री सह 100 एम.टी. कार्गो पोत (एम.वी. कावारत्ती)	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम	18-8-200	फरवरी, 2003	मार्च, 2008
दो 250 यात्री सह 100 एम.टी. कार्गो पोत	कोलम्बो डॉकयार्ड लिमिटेड, श्रीलंका	2-5-2007	पहला पोत-जनवरी, 2010 और दूसरा पोत - जुलाई, 2010	
छह 200 यात्री लेंडिंग बजरे	विपुल शिपयार्ड, गोवा	17-11-2007	पहला : 16-10-2008 दूसरा : 16-11-2008 तीसरा : 16-5-2009 चौथा : 16-6-2009 पांचवां : 16-11-2009 छठा : 16-12-2009	

उपर्युक्त के अतिरिक्त, एक 150 एम.टी. तेल बजरे और एक 2500-3000 एल.पी.जी. सिलेंडर वाहक पोत खरीदे जाने के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) 4 पोत प्रचालन की स्थिति में नहीं हैं और उनकी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन में शुष्क गोदी मरम्मत की जा रही है।

(ङ) 2007-08 के दौरान इन जलयानों/पोतों को चलाए जाने पर खर्च की गई कुल धनराशि, 126.47 करोड़ रु. है।

(च) 2007-08 के दौरान इन पोतों की मरम्मत पर खर्च की गई कुल धनराशि 87.50 करोड़ रु. है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय पूंजी निवेश

1810. श्री प्रहलाद जोशी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में दसवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में पूंजी निवेश में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या योजना आयोग ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनकी ओर और अधिक ध्यान देने एवं निवेश की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्यारहवीं योजना के क्रियान्वयन के दौरान इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों हेतु धन की कमी न होने देना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ङ) दसवीं योजना और ग्यारहवीं योजना के क्षेत्रवार आबंटनों का तुलनात्मक विवरण जिसमें अंतरक्षेत्रीय प्राथमिकताएं दर्शाई गई हैं, संलग्न है।

विवरण

(2006-07 की कीमतों पर करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	क्षेत्र	दसवीं योजना		ग्यारहवीं योजना	
		बजट अनुमान	कुल का प्रतिशत	परिकल्पित आबंटन	कुल का प्रतिशत
1.	शिक्षा	62,461	7.68	274,228	19.29
2.	ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और पंचायती राज	87,041	10.70	190,330	13.39
3.	स्वास्थ्य, एफ.डब्ल्यू. एवं आयुष	45,771	5.62	123,900	8.71
4.	कृषि एवं सिंचाई	50,639	6.22	121,556	8.55
5.	सामाजिक न्याय	36,381	4.47	90.273	6.35
6.	भौतिक अवसंरचना	89,021	10.94	128,160	9.01
7.	वैज्ञानिक विभाग	29,823	3.66	66,580	4.68
8.	ऊर्जा	47,266	5.81	57,409	4.04
	कुल प्राथमिकता वाले क्षेत्र	**448,403**	**55.10**	**1,052,436**	**74.03**
9.	अन्य	365,375	44.90	369,275	25.97
	योग	813,778	100.00	14,21,711	100.00

#दसवीं योजना बजट अनुमान पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक आबंटन को दर्शाता है न कि मूल दसवीं योजना अनुमानों को।

[हिन्दी]

मानव विकास सूचकांक की स्थिति

1811. श्री वी.के. तुम्मर:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के मानव विकास सूचकांक का स्तर क्या है;

(ख) इस संबंध में प्राप्त रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) विकास सूचकांक में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद द्वारा वर्ष 2007 में प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2007/2008 के अनुसार वर्ष 2005 में मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) में भारत का स्थान 0.619 है।

(ख) मानव विकास रिपोर्ट 2007/2008 में जलवायु

प्रणाली में उष्णता बढ़ने का उल्लेख है जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय गतिविधियों से संबंधित है। इस रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन 21वीं शताब्दी के मानव विकास की चुनौती का निर्धारण है। इस चुनौती की प्रतिक्रिया करने में हुई असफलता से गरीबी कम करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की प्रगति रूक जायेगी और तब विपरीत स्थिति हो जाएगी। निर्धनतम देश और जनसंख्या शीघ्र ही बदतर स्थिति में पहुंच जाएगी और प्रगति में अधिक गतिरोध पैदा होगा। यद्यपि इस समस्या में उनका योगदान न्यूनतम है। भविष्य को देखते हुए, कोई भी देश चाहे वह कितना ही सम्पन्न एवं शक्तिशाली क्यों न हों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त नहीं होगा। रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि अब काफी वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि विश्व एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है जहां अपरिवर्तनीय पारिस्थितिकीय तबाही से बचा नहीं जा सकता है। सूखे की बढ़ी हुई स्पष्ट संभावना, बाढ़ और आंधी तूफान की बढ़ोत्तरी से पहले से ही अवसरों की बर्बादी हो रही है और असमानताएं और मजबूत हो रही हैं। गरीब लोग ही जलवायु परिवर्तन के झटके को झेल रहे हैं। इस रिपोर्ट में उल्लेख है कि सर्वाधिक हानिकारक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचने का एक अवसर है, परन्तु वह अवसर समाप्त हो रहा है। इस स्थिति को परिवर्तित करने के लिए विश्व के पास एक दशक से कम का समय है। आने वाले वर्षों में कार्रवाई की जाती है - या नहीं की जाती है इसका मानव विकास की भावी दशा पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस रिपोर्ट में ताप वृद्धि से होने वाले गैस निस्सरण का अत्यंत और शीघ्र ही कम करने का उपाय शुरू करने के लिए मत प्रकट किया गया है।

(ग) भारत की विकास कार्यनीति में मानव विकास को सर्वोच्च महत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें संदेह नहीं है कि अर्थव्यवस्था के विकास में इस पक्ष को ध्यान में रखा गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाए गए विकास लक्ष्य के साथ-साथ समावेशी विकास इस देश की जनता को वृहत्तर कल्याण के युग में पहुंचाने वाला है। हाल के वर्षों में सरकार ने सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा की सहायता के लिए राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, भारत निर्माण आदि शामिल हैं। इसके अलावा कुछ कार्यक्रम विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं वृद्धों आदि के लिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों का प्रयोजन विशेष रूप से गरीबों और शोषित लोगों की आय स्तर को बढ़ाना और वृहत्तर मानव विकास सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, अभिशासन को विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्वीकार किया गया है। विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से उत्कृष्ट जन भागीदारी, विकास भागीदार के रूप में गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) और सिविल सोसायटी संगठनों की संलग्नता, सूचना के अधिकार का अधिनियमन, पारदर्शिता बढ़ाने के सुधार, जवाबदेही एवं कुशलता, सार्वजनिक व्यय के दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रभावकारी निगरानी, न्यायिक सुधार और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को सुशासन संरचना का एक अभिन्न कारक माना गया है। कार्यक्रमों की डिजाइनिंग और क्रियान्वयन में तथा समाजिक एकजुटता के माध्यम से अपने-अपने संगठन की क्षमता का निर्माण करने में गरीबों को शामिल करने पर भी जोर दिया गया है ताकि उन्हें विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाया जा सके।

(घ) एक अपरिवर्तित कार्यविधि और तुलनीय रूझान आंकड़ों का प्रयोग करते हुए यू.एन.डी.पी. द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार, भारत के लिए एच.डी.आई. के मान में वर्ष 1990 से सतत् तौर पर वृद्धि देखी गई है। यू.एन.डी.पी. द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार भारत के लिए एच.डी.आई. जो वर्ष 1990 में 0.521 था वह वर्ष 1995 में बढ़कर 0.551 हो गया, वर्ष 2000 में 0.578 से बढ़कर वर्ष 2005 में 0.619 हो गया।

[अनुवाद]

गुजरात में राज्य की सड़कों का राजमार्ग के रूप में उन्नयन

1812. डा. वल्लभभाई कथीरिया:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा गुजरात में आरंभ की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना की क्या स्थिति है और इनको निष्पादित करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार का विचार गुजरात और अन्य तटीय राजमार्गों के निकट संघ राज्य क्षेत्रों को जोड़ने वाली राज्य की सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) चालू वर्ष और गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत और राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत शुरू की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनों (प्रत्येक कार्य की लागत 5 करोड़ रु. और उससे अधिक) के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। परियोजनाओं में हुए विलंब के कारण संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) इस समय सरकार की प्राथमिकता गुजरात और दूसरे तटीय राजमार्गों के निकट संघ राज्य क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों सहित और अधिक राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषणा करना नहीं है। लगभग 66754 किमी विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में कई प्रकार की खामियां हैं जिसे कि अपर्याप्त पेवमेंट क्रस्ट, खराब ज्यामिती और ड्रेनेज, कमजोर और तंग पुल आदि हैं और वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

विवरण-I

ठेका खंड	रा.रा.	राज्य में लंबाई	स्थिति भौतिक प्रगति पूर्ण लंबाई	प्रारंभ तिथि पूर्ण होने की अनुमानित/ संभावित तारीख
1	2	3	4	5
पूर्व-पश्चिम महामार्ग				
1. डीसा से राधनपुर (पैकेज-VI)	14	85.40	कार्यान्वयनाधीन	फरवरी-2005
किमी 372.60 से किमी 458.0			85.7	नवम्बर-2007
			75	मार्च-2008
2. राधनपुर से गगोधर (पैकेज-V)	15	106.20	कार्यान्वयनाधीन	फरवरी-2005
किमी 138.80 से किमी 245.00			90.14	नवम्बर-2007
			102	मार्च-2008
3. गगोधर से गरमोरे (पैकेज-IV)	15, 8ए	90.30	कार्यान्वयनाधीन	फरवरी-2005
किमी 245.0 से किमी 281.3 और			63.02	नवम्बर-2007
किमी 308.00 से किमी 245.00			63	मार्च-2008
4. गरमोरे से बामनबोरे (पैकेज-III)	8ए	71.40	कार्यान्वयनाधीन	फरवरी-2005

1	2	3	4	5
किमी 254.00 से किमी 182.60			59.3	नवम्बर-2007
			54	सितम्बर-2008
5. राजकोट बाइपास एवं गोंडूल जैतपुर पैकेज-(VII)	8बी	36.00	कार्यान्वयनाधीन	सितम्बर-2005
किमी 117.00 से किमी 143.00 एवं किमी 175.00 से किमी			95	मार्च-2008
			35	मार्च-2008
6. जेतपुर से भिलाड़ी (पैकेज-III)	8बी	64.50	कार्यान्वयनाधीन	फरवरी-2005
किमी 117 से किमी 52.50			68.5	नवम्बर-2007
			40	सितम्बर-2008
7. भिलाड़ी से पोरबंदर (पैकेज-I)	8बी	50.50	4 लेन	फरवरी-2005
किमी 52.50 से किमी 2.00			100	नवम्बर-2007
			50.5	मई-2007
8. पालनपुर से स्वरूपगंज (राजस्थान-42 किमी एवं गुजरात-34 किमी) किमी 264 से किमी 340	14	34.00	कार्यान्वयनाधीन	सितम्बर-2006
			19.45	मार्च-2009
			0	जून-2009
एन.एच.डी.पी. चरण-IIIए				
1. कांडला-मुंद्रा पत्तन	8ए	73.00	सौंपने हेतु शेष	
			0	
			0	
2. सूरत हजीरा पत्तन	6	29.00	सौंपने हेतु शेष	
			0	
			0	
			एन.एच.डी.पी. चरण IIIक पर ठेकों की लंबाई का जोड़ (2 ठेके) 102	
एन.एच.डी.पी. चरण-IIIबी पर				
1. गुजरात/महाराष्ट्र सीमा-सूरत	6	84.00	सौंपने हेतु शेष	
			0	
			0	

1	2	3	4	5
2. गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा-अहमदाबाद	59	210.00	सौंपने हेतु शेष	
			0	
			0	
3. जेतपुर-सोमनाथ	8डी	127.00	सौंपने हेतु शेष	
			0	
			0	
			एन.एच.डी.पी. चरण IIIबी पर ठेकों की लंबाई का जोड़ (3 ठेके) 421	
एन.एच.डी.पी. चरण-V पर				
1. वदोदरा से भरूच पैकेज बी.ओ.टी.-1 (6 लेन)	8	83.30	कार्यान्वयनाधीन	जनवरी-2007
6 लेन (किमी 108.7 से किमी 192)			19	जुलाई-2009
			0	जुलाई-2009
2. भरूच से सूरत पैकेज बी.ओ.टी.-II (6 लेन)	8	65.00	कार्यान्वयनाधीन	जनवरी-2007
			30	जुलाई-2009
			0	जुलाई-2009
3. सूरत से दहीसार	8	239	कार्यान्वयनाधीन	अक्तूबर-2007
6 लेन		(118 किमी गुजरात में)		अप्रैल-2011
				अप्रैल-2011

राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल)

वर्ष	रा.रा. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी)	स्वीकृति की मात्रा (करोड़ रु.)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
2005-06	8ए विस्तार	61/0 से 61/6 किमी. में सुरई नदी पर विद्यमान कोजवे के स्थान पर बड़े पुल का निर्माण	1 नं.	5.68	प्रगति पर 1 मई, 2008 तक पूरा करने की संभावना है।

1	2	3	4	5	6
2006-07	8ई विस्तार	रा.रा.-8ई विस्तार के 283/2 से 305/2 किमी में सुदृढ़ीकरण	22.00	6.21	पूर्ण
2006-07	8ए विस्तार	113/225 से 133/700 किमी में सुदृढ़ीकरण	20.48	6.12	पूर्ण
2006-07	8ए विस्तार	रा.रा.-8ए विस्तार के 154/200 से 174/625 (मांडवी-नालिया सड़क) किमी में सुदृढ़ीकरण	20.425	7.01	प्रगति पर 1 अप्रैल, 2008 तक पूरा करने की संभावना है।
	8ई विस्तार	442/0 से 467/0 किमी तक 1.50 मी. चौड़े पेव्ड शोल्डर के निर्माण सहित विद्यमानी 6.10 मी. चौड़े कैरिजवे को 7.0 मी. तक चौड़ा करना।	25.00	10.00	प्रगति पर 1 मई, 2008 तक पूरा करने की संभावना है।
	8ए विस्तार	रा.रा.-8ए विस्तार के 133/700 से 154/200 किमी में सुदृढ़ीकरण	20.50	8.79	प्रगति पर 1 जून, 2008 तक पूरा करने की संभावना है।
	8ई विस्तार	रा.रा.-8ई विस्तार के 369/2 से 376/0 किमी में चार लेन बनाना	6.80	6.82	प्रगति पर 1 मई, 2008 तक पूरा करने की संभावना है।
2007-08	8ए	रा.रा.-8ए के 33/3 से 58/3 किमी तक पेव्ड शोल्डर के साथ विद्यमान चार लेन के कैरिजवे के लिए 40 एम.एम. बी.सी. के साथ आई.आर. क्यू.पी.	17.00	10.45	सौंपने के स्तर पर
	8ई	88/0 से 115/0 किमी में सड़क गुणता सुधार	27.00	10.54	सौंपने के स्तर पर
	15	59/0 से 82/0 किमी में दोनों ओर 1.50 मी. चौड़ पेव्ड शोल्डर का निर्माण	23.00	7.71	सौंपने के स्तर पर
	15	9/4 से 43/0 किमी में दोनों ओर 1.50 मी. चौड़ पेव्ड शोल्डर का निर्माण	33.60	7.84	सौंपने के स्तर पर
	8ए	7/2 से 10/9 किमी में 6 लेन बनाना	3.70	9.93	सौंपने के स्तर पर

1	2	3	4	5	6
	8सी	26/200 से 33/400 किमी में 6 लेन बनाना (किमी 30/1 से 31/1 को छोड़कर)	6.20	11.36	सौंपने के स्तर पर
	8ए विस्तार	68/0 किमी पर विद्यमान कोजवे के स्थान पर नागवती नदी पर बड़े पुल का निर्माण	1 नं.	5.02	सौंपने के स्तर पर
	8ई	220/0 से 233 किमी में सड़क गुणता सुधार और विद्यमान पेवमेंट की मरम्मत व पुनरूद्धार	13.00	5.03	सौंपने के स्तर पर
	8सी	गांधीनगर शहर में अदलज के निकट 20/100 किमी पर पूर्ण क्लोवरलिफ सुविधा के साथ विद्यमान चार लेन के फ्लाईओवर को 1.50 मी चौड़ी फुटपाथ के साथ 6-लेन का बनाना		10.65	सौंपने के स्तर पर

विवरण-II

विलंब के लिए खंड वार कारण

क्र.सं.	खंड	विलंब का कारण
1.	पालनपुर से स्वरूपगंज (राजस्थान-42 किमी एवं गुजरात-34 किमी) किमी 264 से किमी 340	ठेकेदार द्वारा धीमी प्रगति और भारी वर्षा के कारण विलंब
2.	दीसा से राधनपुर (पैकेज-VI) किमी 372.60 से किमी 458.0	ठेकेदार द्वारा धीमी प्रगति और भारी वर्षा के कारण विलंब
3.	राधनपुर से गगोधर पैकेज-V) किमी 138.80 से किमी 245.00	भारी वर्षा के कारण विलंब
4.	गगोधर से गरमोरे (पैकेज-IV) किमी 245.0 से किमी 281.3 और किमी 308.00 से किमी 254.00	- सूरजबाड़ी पुल में ठेकेदार द्वारा धीमी प्रगति - अपर्याप्त प्रबंधन स्टाफ - ढांचागत और एसफाल्ट कार्यों में धीमी प्रगति - भारी वर्षा
5,	गरमोरे से बागनबोरे (पैकेज-III) किमी 254.00 से किमी 182.60	- ठेकेदार ने अपेक्षित मानव श्रम और मशीनरी का संग्रहण नहीं किया

क्र.सं.	खंड	विलंब का कारण
		- भारी वर्षा
6.	जेतपुर से मिलाड़ी (पैकेज-II) किमी 117 से 52.50	- ठेकेदार द्वारा विलंब से संग्रहण - चीनी ठेकेदार होने के कारण भाषा समस्या - भारी वर्षा

कोल खानों के विकास हेतु वैश्विक बोली

1813. श्री बसुदेव आचार्य: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. की खानों का विकास, प्रचालन और रख-रखाव करने हेतु वैश्विक बोली आमंत्रित करने की योजना है जैसा कि दिनांक 19 फरवरी 2008 के "बिजनेस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) जी,हां। कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) द्वारा प्रारंभिक कार्य के रूप में, उच्च क्षमता की भूमिगत खानों को विकसित करने के लिए 9 खानों की पहचान की गई है जिसके लिए वैश्विक बाजार में इच्छुक पार्टियों का पता लगाने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) तैयार की जा रही है।

नई वन नीति

1814. प्रो. चन्द्र कुमार: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में नई वन नीति लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में नए नर्सिंग स्कूल खोलने हेतु प्रस्ताव

1815. श्री बिक्रमभाई अर्जन भाई माडम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से नए नर्सिंग स्कूल खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसे स्कूल कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) नया उपचर्या विद्यालय खोलने के लिए गुजरात राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

वनस्पति और जीव जगत का संरक्षण

1816. श्री बिक्रम केशरी देव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में लुप्तप्रायः वनस्पति और जीव जगत का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनके संरक्षण, प्रवर्धन तथा पेटेंट हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 155 वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियां तथा 91 पशुओं की संकटापन्न प्रजातियां में पाई जाती हैं।

(ख) सरकार ने संरक्षित क्षेत्र जैसे की राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभयारण्य, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना तथा स्वस्थाने संरक्षण हेतु जैवमंडल रिजर्व आदि तैयार करके देश की वनस्पतिजात और प्राणीजात की सुरक्षा करने और इसका प्रसार करने हेतु अनेक कदम उठाए है। सरकार द्वारा इंडियन बोटेनिक गार्डन, हावड़ा, बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक, नोएडा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के एसोसिएटिड बागानों तथा अन्य संस्थाओं को तथा चिड़ियाघरों को स्थान बाह्य संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की योजना "असिस्टैंस टू बाटैनिक गार्डन्स" के तहत वित्तीय सहायता दी जा रही है।

सरकार ने देश की वनस्पतिजात और प्राणीजात के संरक्षण और उसके सतत उपयोग के उद्देश्य से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और जैवविविधता अधिनियम, 2002 अधिनियमित किए हैं। मूल अधिनियम में वनस्पतियों और प्राणियों को पैंटेंटबिलिटी से अलग रखा गया है।

पी.एन.डी.टी. एक्ट में संशोधन

1817. श्री विजय कृष्ण: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) (पी.एन.डी.टी.) अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन संशोधनों द्वारा किन-किन प्रावधानों को शामिल किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) देश में कन्या भ्रूणहत्या को रोकने के लिए सरकार ने गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 बनाया है। अब तक प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर इस अधिनियम को, विशेष रूप से इसके दण्ड प्रावधानों को और सुदृढ़ करने के लिए स्टेकहॉल्डरों और केन्द्रीय विधि मंत्रालय के परामर्श से इस अधिनियम और इसके अध्यधीन नियमों/विनियमों को संशोधित करने का कार्य चल रहा है।

मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट का विस्तार

1818. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट के क्षेत्राधिकार में जुआरी नदी से जुआरी पुल तक तथा दक्षिण गोवा के तट से बेतुल पत्तन तक के विस्तार को अधिसूचित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नदी पर शिपयार्ड से कुल कितना राजस्व संग्रहित किया गया;

(घ) जुआरी नदी पर अवसंरचना हेतु मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट द्वारा कुल कितना अंशदान दिया गया है;

(ङ) क्या गोवा राज्य सरकार ने जुआरी नदी तथा दक्षिण गोवा से बेतुल तक मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट (एम.पी.टी.) के क्षेत्राधिकार संबंधी पूर्व अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) प्रश्न नहीं उठता; मुरगांव पत्तन न्यास के क्षेत्राधिकार में जुआरी नदी और बेतुल क्षेत्र के निर्दिष्ट क्षेत्र हमेशा रहे हैं।

(ग) 1-1-2005 से 31-12-2007 तक की पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान, कुल एकत्रित राजस्व 94,85,462/- रु. है।

(घ) जुआरी नदी पर अवसंरचना के लिए मुरगांव पत्तन न्यास द्वारा दिया गया कुल अंशदान, 1,61,55,000/- रु. है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

तटीय क्षेत्र प्रबंधन (सी.जेड.एम.)

1819. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तटीय क्षेत्र प्रबंधन की प्रक्रिया को पारदर्शी तथा सहभागी बनाने पर विचार कर रही है ताकि तटीय तथा मत्स्यन समुदाय और अन्य स्टेकधारक इन मुद्दों पर अपने विचार दे सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) तटीय पर्यावरण का संरक्षण और उसकी सुरक्षा करने के प्रयोजन से मंत्रालय ने तटीय विनियमन जोन अधिसूचना (सी.आर.जेड.), 1991 जारी की है। स्थानीय समुदायों समेत विभिन्न स्टेक होल्डरों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार के साथ-साथ अधिसूचना में समय-समय पर संशोधन भी किए गए हैं।

तटीय जोन प्रबंधन को वैज्ञानिक ढंग से करने के विचार से प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में जून, 2004 में एक समिति का गठन किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2005 में प्रस्तुत कर दी थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना तैयार करने से संबंधित है जिसमें तटीय क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए स्टेक होल्डरों की भागीदारी व्यवस्था रखी गई है सरकार ने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्टों को क्रियान्वित करवाने के लिए कदम उठाए है।

[हिन्दी]

सिकल सेल रोग

1820. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सिकल सेल तथा रक्त संबंधी अन्य रोगों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में नैदानिक तथा उपचार केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेष रूप से नागपुर के संबंध में ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक पूर्ण कार्यरत विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समग्र पहल है।

वार्षिक राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के एक भाग के रूप में, राज्यों से परिकल्पना की जाती है कि वे स्थानीय संबद्ध रूग्णता एवं प्राथमिकताओं से संबंधित कार्यकलापों को शामिल करें।

इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, सिकल सेल एनीमिया के प्रबंधन के कार्यकलापों को राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र राज्य में सिकल सेल के प्रबंधन के लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 150 लाख रुपए की राशि अनुमोदित की गई थी।

इसलिए, भारत सरकार देश के विभिन्न भागों में नैदानिक एवं उपचार केन्द्र की स्थापना एवं प्रबंधन का प्रस्ताव नहीं कर रही है।

पंचायती राज प्रणाली द्वारा धनराशि का उपयोग

1821. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों विशेष रूप से गुजरात को आबंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों विशेष रूप से गुजरात ने इस धनराशि का पूर्ण तथा उचित उपयोग किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस धनराशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदानों, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत पंचायती राज संस्थाओं को निधियां आबंटित की जाती हैं। अन्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा भारत सरकार की निधियन के पहलों, यथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के मामले में, राज्यों के पास पंचायतों को योजनाकरण तथा कार्यान्वयन को सौंपने का विकल्प है।

केन्द्रीय वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के संसाधनों को अनुपूरित करने हेतु राज्यों की संचित निधि को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर सिफारिशें करनी होती हैं। बारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2005-2010 की अवधि में पंचायती

राज संस्थाओं के लिए अनुदान के रूप में 20,000 करोड़ रुपए की सिफारिश की है। राज्य-वार आबंटन एवं निधियों की निर्मुक्तियां विवरण के रूप में संलग्न की गई हैं।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का लक्ष्य अभिचिन्हित जिलों की पंचायतों व नगरपालिकाओं को मोटेतौर पर अबद्ध वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध करवा कर जिला योजना समिति द्वारा जिला योजना के समेकन के माध्यम से सहभागी योजनाकरण की प्रक्रिया के जरिए विकास की क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है जिससे कि वे उन मौजूदा विकासात्मक अंतर्प्रवाहों को अनुपूरित व अभिसरित कर सकें व स्थानीय आधारभूत अवसंरचनाओं एवं अन्य विकास आवश्यकताओं के महत्वपूर्ण अंतरालों को पाट सकें, जिन्हें मौजूदा अंतर्प्रवाहों द्वारा पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) के तहत गुजरात सहित अन्य राज्यों को स्थानीय निकायों को आगे बढ़ाये जाने के लिए निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत, जिला, मध्यवर्ती एवं ग्राम स्तर पर पंचायतें, कार्यक्रम के योजनाकरण एवं कार्यान्वयन के लिए प्रमुख प्राधिकारी हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्देशित संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की निर्गामी स्कीम के लिए भी पंचायतें कार्यान्वयन प्राधिकारी थीं। वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 के लिए एस.जी.आर.वाई. के तहत राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार निधियों के आबंटन व निर्मुक्तियों को संलग्न विवरण-III, IV और V पर रखा गया है। एन.आर.ई.जी.एस. एक मांग-आधारित स्कीम है, वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के लिए एन.आर.ई.जी.ए. के तहत की गई निर्मुक्तियों को संलग्न विवरण-VI पर रखा गया है।

बारहवें वित्त आयोग के अनुदान, बी.आर.जी.एफ. तथा एन.आर.जी.ए. के संबंध में निधियों की निर्मुक्तियां पूर्व किस्तों के व्यय व उपयोगिता की प्रगति पर निर्भर करती हैं। बारहवें वित्त आयोग के अनुदानों से गुजरात ने वर्ष 2005 के बाद से प्रत्येक के लिए 93.10 करोड़ रुपए की 5 किस्तों की निर्मुक्तियों को प्राप्त किया है। तथापि राज्य ने 93.10 करोड़ रुपए की वर्तमान किस्त को प्राप्त नहीं किया है जो जनवरी 2008 से आहरण के लिए उपलब्ध है। बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 243 जेड.डी. के प्रावधानों के अनुसार राज्य ने जिला योजना समितियों का गठन नहीं किया है इसलिए वह इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला योजनाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कार्यक्रम के तहत राज्य निधियों के आहरण में असमर्थ रहा है। केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री द्वारा डी.पी.सी. के गठन पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए मुख्य मंत्री से अनुरोध किया गया है जिससे कि बी.आर.जी.एफ. के तहत उपलब्ध अनुदानों का उपयोग किया जा सके।

(घ) निधियों की निर्मुक्ति व व्यय के मामले को केंद्रीय स्तर पर निकटता के साथ पुनरीक्षित किया जाता है। बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय निकाय अनुदानों की निर्मुक्ति के तरीकों का पुनरीक्षण सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य को भी इन निधियों की समुचित निर्मुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करना पड़ता है। जहां तक बी.आर.जी.एफ. अनुदानों का संबंध है, कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में तृणमूल, जिला व राज्य स्तर पर क्रमशः ग्राम सभाओं, जिला योजना समितियों द्वारा गठित समीक्षा समिति व राज्य नोडल विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग किये जाने के प्रावधान हैं।

एन.आर.ई.जी.ए. के तहत स्कीमों के संदर्भ में शासन के अलग-अलग स्तरों पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायतें, मध्यवर्ती पंचायतें व जिला पंचायतें निष्पादित कार्यों, सृजित रोजगार व किये गये भुगतान का पुनरीक्षण करती हैं। एन.आर.ई.जी.ए. स्कीमों के संबंध में क्षेत्र दौरों, निरीक्षणों व प्रतिदर्शों की जांच के माध्यम से सत्यापन व गुणवत्ता अंकेक्षण भी बाह्य पुनरीक्षकों द्वारा कराये जाते हैं।

विवरण-I

12वें वित्त आयोग के अनुदानों की निर्मुक्ति को दर्शाने वाला विवरण 27-02-2008 की स्थिति के अनुसार

(लाख रु. में)

राज्य	कुल आबंटन	एक किस्त की राशि (छमाही)	2005-2006 निर्मुक्त की गई राशि		2006-2007 निर्मुक्त की गई राशि		2007-2006 निर्मुक्त की गई राशि	
			पहली किस्त	दूसरी किस्त	पहली किस्त	दूसरी किस्त	पहली किस्त	दूसरी किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	158700	15870	15870	15870	15870	15870		
अरुणाचल प्रदेश	6800	680	680	0	0	0		
असम	52600	5260	5260	5260	5260	0		
बिहार	162400	16240	16240	16240	16240	16240	16240	16240
छत्तीसगढ़	61500	6150	6150	6150	6150	6150	6150	
गोवा	1800	180	180	#	#	77#		
गुजरात	93106	9310	9310	9310	9310	9310	9310	
हरियाणा	38800	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880
हिमाचल प्रदेश	14700	1470	1470	1470	1470	1470	1470	
जम्मू-कश्मीर	28100	2810	1762**	1762	1762	0		
झारखंड	48200	4820	0	0	0	0		
कर्नाटक	88800	8880	8880	8880	8880	8880	8880	
केरल	98500	9850	9850	9850	9850	9850		
मध्य प्रदेश	166300	16630	16630	16630	16630	16630	16630	16630

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	198300	19830	19830	19830	19830	19830	19830	
मणिपुर	4600	460	212*	212	212	212		
मेघालय	5000	500	500	500	500	0		
मिजोरम	2000	200	200	200	200	200		
नागालैंड	4000	400	400	400	400	400		
उड़ीसा	80300	8030	8030	8030	8030	8030	8030	8030
पंजाब	32400	3240	3240	3240	3240	3240		
राजस्थान	123000	12300	12300	12300	12300	12300	12300	
सिक्किम	1300	130	130	0	0	0		
तमिलनाडु	87000	8700	8700	8700	8700	8700	8700	
त्रिपुरा	5700	570	570	0	0	0		
उत्तर प्रदेश	292800	29280	29280	29280	29280	29280	29280	29280
उत्तरांचल	16200	1620	1620	1620	1620	1620		
पश्चिम बंगाल	127100	12710	12710	12710	12710	12710		
योग	2000000	200000	193884	192324	192324	4879	140700	74060
कुल योग								978171

* पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित 248.40 लाख रु. की राशि की पंचायती राज संस्थाओं के अनुदान की हिस्सेदारी को छोड़कर।

** जहां चुनाव नहीं हुए हैं वहां के.पी.आर.आई. के लिए 1048.03 लाख रुपये की हिस्सेदारी को घटाकर।

\# 11वें वित्त आयोग के अप्रयुक्त अनुदानों के रूप में राज्य सरकारों को उपलब्ध 463 लाख रु. को इन किस्तों में देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया गया।

विवरण-II

बी.आर.जी.एफ. के तहत विकासात्मक अनुदान की निर्मुक्ति (29-02-2008 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	2006-07 में निर्मुक्त की गयी राशि (करोड़ रुपए में)	2007-08 में निर्मुक्त की गयी राशि (करोड़ रुपए में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	301.88
2.	असम	शून्य	46.90*
3.	छत्तीसगढ़	शून्य	223.15
4.	कर्नाटक	शून्य	84.47
5.	केरल	शून्य	9.25
6.	मध्य प्रदेश	20.04	378.42
7.	उड़ीसा	शून्य	251.21
8.	राजस्थान	शून्य	300.81
9.	पश्चिम बंगाल	शून्य	187.75
10.	बिहार	शून्य	511.39
	योग	20.04	2295.23

* असम का कोकराझार जिला, जो कि संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित है, जहां पंचायती राज विद्यमान नहीं है, को निर्मुक्त किए गए 13.08 करोड़ रुपए को छोड़कर।

विवरण-III

एस.जी.आर.वाई. (2004-05) के तहत निधियों का आबंटन एवं उपयोगिता

राशि लाख रुपए

क्र सं.	राज्य	आबंटन			सभी स्रोतों से निधियों की कुल उपलब्धता	व्यय
		केन्द्र	राज्य की हिस्सेदारी	योग		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	23487.18	7829.06	31316.24	19140.65	11606.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	1246.98	415.66	1662.64	1696.52	142.43

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	32368.00	10789.33	43157.33	40254.91	25335.53
4.	बिहार	46512.14	15504.05	62016.19	60125.59	7840.64
5.	छत्तीसगढ़	13108.64	4369.55	17478.19	16372.87	10937.15
6.	गोवा	336.74	112.25	448.99	270.68	53.25
7.	गुजरात	10283.30	3427.77	13711.07	13716.22	7779.93
8.	हरियाणा	5417.38	1805.79	7223.17	6450.44	3673.16
9.	हिमाचल प्रदेश	2281.48	760.49	3041.97	3805.24	2603.70
10.	जम्मू-कश्मीर	2681.02	893.67	3574.69	3210.77	1415.36
11.	झारखंड	31543.52	10514.51	42058.03	34018.77	7067.01
12.	कर्नाटक	17539.74	5846.58	23386.32	20396.46	13077.10
13.	केरल	7870.10	2623.37	10493.47	11226.19	4812.65
14.	मध्य प्रदेश	28308.64	9436.21	37744.85	32217.38	23574.23
15.	महाराष्ट्र	34672.18	11557.39	46229.57	38043.12	24849.93
16.	मणिपुर	2172.42	724.14	2896.56	2298.99	889.17
17.	मेघालय	2433.74	811.25	3244.99	2057.99	507.55
18.	मिजोरम	563.18	187.73	750.91	473.38	238.66
19.	नागालैंड	1669.40	556.47	2225.87	1233.53	296.93
20.	उड़ीसा	26567.30	8855.77	35423.07	27897.69	7522.15
21.	पंजाब	6025.60	2008.53	8034.13	5129.01	4050.04
22.	राजस्थान	13318.66	4439.55	17758.21	21309.34	17529.53
23.	सिक्किम	623.52	207.84	831.36	623.52	0.00
24.	तमिलनाडु	20538.10	6846.03	27384.13	27804.37	17726.81
25.	त्रिपुरा	3922.76	1307.59	5230.35	5548.98	3024.38
26.	उत्तराखंड	5242.62	1747.54	6990.16	7746.55	4212.48
27.	उत्तर प्रदेश	78495.06	26165.02	10466.08	95006.86	55644.36

1	2	3	4	5	6	7
28.	पश्चिम बंगाल	29524.26	9841.42	19365.68	39821.27	22606.89
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	220.94		220.94	49.61	5.95
30.	दादर एवं नागर हवेली	145.46		145.46	0.00	0.00
31.	दमन एवं दीव	70.50		70.50	2.79	0.00
32.	लक्षद्वीप	110.50		110.50	38.67	0.39
33.	पांडिचेरी	223.94		223.94	233.27	13.21

विवरण-IV

एस.जी.आर.वाई. (2005-06) के तहत निधियों का आबंटन एवं उपयोगिता

राशि लाख रुपए में

क्र सं.	राज्य	आबंटन			सभी स्रोतों से निधियों की कुल उपलब्धता	व्यय
		केन्द्र	राज्य की हिस्सेदारी	योग		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	28139.33	9379.78	37519.11	41792.73	37705.06
2.	अरुणाचल प्रदेश	1524.09	508.03	2032.12	2110.73	675.53
3.	असम	39560.89	13186.96	52747.85	68966.84	46499.28
4.	बिहार	55724.88	18574.96	74299.84	99362.43	73195.24
5.	छत्तीसगढ	15705.09	5235.03	20940.12	23562.56	22093.18
6.	गोवा	403.44	134.48	537.92	333.49	319.55
7.	गुजरात	12320.13	4106.71	16426.84	19125.92	16887.56
8.	हरियाणा	6490.41	2163.47	8653.88	10073.38	9531.74
9.	हिमाचल प्रदेश	2733.38	911.13	3644.51	4615.10	3587.90
10.	जम्मू-कश्मीर	3212.07	1070.69	4282.76	5117.32	4570.88

1	2	3	4	5	6	7
11.	झारखंड	37791.40	12597.13	50388.53	54969.92	52866.14
12.	कर्नाटक	21013.87	700.62	28018.49	34183.53	30855.62
13.	केरल	9428.94	3142.98	12571.92	17255.22	15532.67
14.	मध्य प्रदेश	33915.78	11305.26	45221.04	48368.94	45495.65
15.	महाराष्ट्र	41539.76	13846.59	55386.35	58539.33	53360.78
16.	मणिपुर	2655.18	885.06	3540.24	4041.17	966.20
17.	मेघालय	2974.57	991.52	3966.09	3318.98	3503.10
18.	मिजोरम	688.33	229.44	917.77	1070.33	988.29
19.	नागालैंड	2040.38	680.13	2720.51	2169.30	1989.25
20.	उड़ीसा	31829.53	10609.84	42439.37	46128.38	35694.05
21.	पंजाब	7219.10	2406.37	9625.47	8796.74	6246.18
22.	राजस्थान	15956.71	5318.90	21275.61	26852.08	23423.21
23.	सिक्किम	762.08	254.03	1016.11	1172.18	1076.58
24.	तमिलनाडु	24606.12	8702.04	32808.16	37354.11	35587.77
25.	त्रिपुरा	4794.48	1598.16	6392.64	7136.46	6155.50
26.	उत्तराखंड	6281.04	2093.68	8374.72	10457.65	9358.23
27.	उत्तर प्रदेश	94042.72	31347.57	125390.29	145143.47	128965.23
28.	पश्चिम बंगाल	35372.18	11790.73	47162.91	58980.68	37779.37
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	264.70		264.70	248.43	88.03
30.	दादर एवं नागर हवेली	174.27		174.27	0.00	0.00
31.	दमन एवं दीव	84.46		84.46	4.49	0.00
32.	लक्षद्वीप	132.39		132.39	138.72	44.20
33.	पांडिचेरी	268.30		268.30	277.01	186.24

विवरण-V

एस.जी.आर.वाई. (2006-07) के तहत निधियों का आबंटन एवं उपयोगिता

राशि लाख रुपए

क्र सं.	राज्य	आबंटन			सभी स्रोतों से निधियों की कुल उपलब्धता	व्यय
		केन्द्र	राज्य की हिस्सेदारी	योग		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	10903.95	3634.65	14538.60	11636.86	7823.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	1403.65	467.88	1871.53	1480.05	180.75
3.	असम	25385.99	8462.00	33847.99	38053.76	25552.51
4.	बिहार	21299.37	7099.79	28399.16	24588.79	8399.65
5.	छत्तीसगढ	4937.19	1645.73	6582.92	6060.12	3723.45
6.	गोवा	417.64	139.21	556.85	404.27	202.81
7.	गुजरात	8741.19	2913.73	11654.92	9654.23	5636.75
8.	हरियाणा	6048.66	2016.22	8064.88	7585.22	3868.95
9.	हिमाचल प्रदेश	2296.24	765.41	3061.65	2760.21	1747.97
10.	जम्मू-कश्मीर	2628.03	876.01	3504.04	3405.24	2123.46
11.	झारखंड	3338.58	1112.86	4451.44	2940.39	480.06
12.	कर्नाटक	16224.75	5408.25	21633.00	20758.08	11366.81
13.	केरल	8116.50	2705.50	10822.00	8318.65	5548.33
14.	मध्य प्रदेश	16854.62	5618.21	22472.83	17904.47	14798.31
15.	महाराष्ट्र	25603.73	8567.91	34271.64	28763.83	16595.39
16.	मणिपुर	2403.18	801.06	3204.24	1441.90	0.00
17.	मेघालय	1946.47	648.82	2595.29	1759.00	1072.43
18.	मिजोरम	556.39	185.46	741.85	431.90	358.42
19.	नागालैंड	1752.72	584.24	2336.96	1273.71	495.87

1	2	3	4	5	6	7
20.	उड़ीसा	9623.95	3207.98	12831.93	11166.70	6453.66
21.	पंजाब	6753.65	2251.22	9004.87	5558.91	3640.78
22.	राजस्थान	12542.23	4180.74	16722.97	16173.09	10493.96
23.	सिक्किम	562.78	187.59	750.37	506.08	379.53
24.	तमिलनाडु	18850.46	6283.49	25133.95	23883.25	14714.78
25.	त्रिपुरा	3820.26	1273.42	5093.68	4214.89	2497.02
26.	उत्तराखंड	4920.58	1640.19	6560.77	2596.33	2832.30
27.	उत्तर प्रदेश	56504.34	18834.78	75339.12	59974.52	43050.74
28.	पश्चिम बंगाल	15660.57	5220.19	20880.76	21793.79	7951.48
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	274.01	0.00	274.01	108.19	9.89
30.	दादर एवं नागर हवेली	180.40	0.00	180.40	0.00	0.00
31.	दमन एवं दीव	87.44	0.00	87.44	3.98	0.00
32.	लक्षद्वीप	137.05	0.00	137.05	158.41	13.20
33.	पांडिचेरी	277.74	0.00	277.74	260.81	104.73

विवरण-VI

2005-2006 एवं 2006-2007 के दौरान एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत जारी की गई निधियां

राशि लाखों में

क्र.सं.	राज्य के नाम	2005-06 में की गई निर्मुक्तियां	2006-07 में की गई निर्मुक्तियां
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	16474.81	91461.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	446.31	1210.85
3.	असम	33650.13	13970.85
4.	बिहार	30806.3	41581.38

1	2	3	4
5.	छत्तीसगढ़	785	55716.74
6.	गुजरात	4241.12	6165.94
7.	हरियाणा	873.83	3129.39
8.	हिमाचल प्रदेश	898.37	2207.64
9.	जम्मू-कश्मीर	1135.29	2776.35
10.	झारखंड	23429.66	48618.59
11.	कर्नाटक	4402.1	17595.69
12.	केरल	1169.18	2179.51
13.	मध्य प्रदेश	13713.82	178129.20
14.	महाराष्ट्र	19743.56	19235.64
15.	मणिपुर	461.63	1252.89
16.	मेघालय	1457.87	2066.68
17.	मिजोरम	770.91	783.90
18.	नागालैंड	1031.28	430.11
19.	उड़ीसा	7384.75	75456.49
20.	पंजाब	822.54	2755.75
21.	राजस्थान	4142.11	72961.00
22.	सिक्किम	722.16	451.50
23.	तमिलनाडु	6571.72	14389.21
24.	त्रिपुरा	2572.97	1456.66
25.	उत्तराखंड	1269.11	2710.60
26.	उत्तर प्रदेश	33242.07	48655.69
27.	पश्चिम बंगाल	17038.15	30858.84
	योग	229256.74	738206.53

चौकीघाट पर पुल का निर्माण

1822. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर चौकीघाट में जीवा-भराली पर पुल के निर्माण के संबंध में मॉडल स्टडी पूरी कर ली गई है और केंद्रीय जल अनुसंधान स्टेशन, पुणे द्वारा मंजूर कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पुल के निर्माण हेतु और क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) पुल के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आबंटित तथा खर्च की गई; और

(ङ) शुरू किए गए कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने सीमा सड़क संगठन को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यथा संस्तुत पुल की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:-

क्र.सं.	विवरण	विनिर्देश
1.	वाटरवे	1200 एम
2.	स्पैन की संख्या	25
3.	पीयर्स की संख्या	24
4.	पीयर्स की चौड़ाई	2.25 एम
5.	स्पैन की चौड़ाई	
	(1) सेंटर से सेंटर तक	48.00 एम
	(2) क्लियर	45.45 एम
6.	फाउंडेशन का प्रकार	वैल फाउंडेशन
7.	वैल डायमीटर	6.00 एम
8.	हाई फल्ड लेवल	आर.एल. 73.76 एम
9.	पीयर कैप का टॉप	आर.एल. 75.26 एम
10.	वैल कैप का टॉप	आर.एल. 65.10
11.	फाउंडेशन लेवल	आर.एल. 44.76 एम

(ग) सीमा सड़क संगठन रिपोर्ट की जांच कर रहा है।

(घ) और (ङ) इस समय आबंटित निधियों और पुल के निर्माण पर व्यय राशि और इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बता पाना संभव नहीं है क्योंकि सरकार ने अभी तक पुल के निर्माण के संबंध में अथवा अन्यथा कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

माइक्रो-उपग्रहों का प्रक्षेपण

1823. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इसरो निकट भविष्य में माइक्रो उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है;

(ग) ऐसे माइक्रो उपग्रह प्रक्षेपित करने का उद्देश्य क्या है तथा इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) देश को इसके फलस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) भारत के पी.एस.एल.वी. द्वारा भारतीय उपग्रहों के साथ निम्नलिखित माइक्रो-उपग्रहों को पिग्गी बैक के रूप में प्रक्षेपित किया जाएगा:-

(i) संचार संबंधी परीक्षणों के लिए जर्मनी से 7 किलोग्राम भार वाले रूबिन-8 उपग्रह;

(ii) वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी निरूपणों के लिए टोरंटों विश्वविद्यालय, कनाडा से 25 किलोग्राम भार वाले 6 उपग्रहों का समूह, एन.एल.एस.-4;

(iii) संचार संबंधी परीक्षणों हेतु टोरंटों विश्वविद्यालय, कनाडा के लिए 14 किलोग्राम भार वाले एन.एल.एस.-5 उपग्रह;

(iv) वैज्ञानिक पर्यवेक्षणों तथा प्रौद्योगिकी संबंधी परीक्षणों के लिए नीदरलैंड्स से कुल मिलाकर 6 किलोग्राम भार वाले क्यूबसैट्स नामक 3 नेनो-उपग्रहों का एक समूह;

(v) प्रौद्योगिकी निरूपणों के लिए नान्यांग विश्वविद्यालय, सिंगापुर से 120 किलोग्राम भार वाले एक्स-सैट उपग्रह;

चूंकि इन उपग्रहों को भारत के प्राथमिक उपग्रहों के साथ प्रक्षेपित किया जा रहा है और ये राकेट की बची हुई क्षमता के अत्यंत लघु भाग का उपयोग करते हैं, पी.एस.एल.वी. द्वारा इनके प्रमोचन पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

(ग) सूक्ष्मीकरण की नई प्रौद्योगिकियों की जांच अथवा उपयोग संबंधी परीक्षणों के आयोजन हेतु माइक्रो-उपग्रहों का उपयोग किया जाता है।

(घ) भारतीय प्रमोचक राकेटों द्वारा माइक्रो-उपग्रहों के प्रक्षेपण से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा इससे वर्तमान अंतरराष्ट्रीय दरों के अनुसार राजस्व की भी प्राप्ति होगी।

[अनुवाद]

आनुवांशिक रूप से संशोधित धान

1824. श्री सुब्रत बोस: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अनुमोदन समिति ने देश में आनुवांशिक रूप से संशोधित धान के प्रयोग की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के बासमती चावल उत्पादक क्षेत्र, जहां आनुवांशिक रूप से संशोधित धान के प्रयोग की अनुमति दी गई है, के संशोधित धान से हुए संक्रमण द्वारा नष्ट होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो आनुवांशिक रूप से संशोधित धान द्वारा होने वाले संभावित नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने 11 स्थलों अर्थात् गुजरात में आनंद, महाराष्ट्र में भण्डारा और राजगढ़, पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना और मिदनापुर, बिहार में गया झारखण्ड में रांची, कर्नाटक में दावणगेर और माण्डया और तमिलनाडु में तंजावुर और कोयम्बतूर में रबी 2007 में जैव सुरक्षा और एग्रोनामिक आंकड़े तैयार करने के लिए मैसर्स महाराष्ट्र हाइब्रिड कंपनी, मुंबई द्वारा विकसित आनुवांशिक परिवर्तित धान के सीमित प्रयोगात्मक फील्ड परीक्षण का अनुमोदन किया है।

(ग) और (घ) चूंकि बासमती उत्पादक क्षेत्रों के आसपास आनुवांशिक परिवर्तित धान के कोई प्रयोगात्मक फील्ड परीक्षण नहीं किए जा रहे हैं, अतः बासमती चावल उगाने वाले क्षेत्रों को नष्ट करने का प्रश्न नहीं उठता। प्रयोगात्मक फील्ड परीक्षणों के दौरान जीन फ्लो के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए जी.ई.ए.सी. ने इण्डियन मिनीमम सीड सर्टीफिकेशन स्टैन्डर्ड, 1988 के अनुसरण में कठोर शर्तें लगाई हैं जिसमें 200 मीटर आइसोलेशन दूरी के साथ ही साथ जैविक और वास्तविक बैरियर शामिल हैं। सरकार ने बासमती जैसे कृषि उत्पादों में ट्रांसजैनिक अनुसंधान की अनुमति न देने का भी निर्णय लिया है, जहां अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है।

पंचायती राज अधिनियम को लागू किया जाना

1825. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायती राज अधिनियम देश के कई राज्यों में लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी राज्यों में पंचायती राज अधिनियम को उचित रूप से लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) संविधान के 73वें संशोधन ने, अनुच्छेद 243 तथा अनुच्छेद 243(क) से 243(ण) तक के भाग IX को भारत के संविधान में समाहित किया। सभी 24 राज्यों, जिन पर संविधान

के भाग IX के प्रावधान लागू होते हैं, ने पंचायती राज विधान को लागू किया है। राज्यों के पंचायती राज अधिनियम विभिन्न राज्यों में पंचायती राज के कार्यान्वयन की रूपरेखा को परिभाषित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243(ख) के अनुपालन में उन सभी राज्यों (झारखंड को छोड़कर), जिन पर संविधान का यह संशोधन लागू होता है, ने पंचायतों का गठन कर लिया है। सभी राज्यों ने अनुच्छेद 243(घ) के अनुरूप अ.जा., अ.ज.जा. तथा महिलाओं को आरक्षण उपलब्ध कराया है। बिहार व मध्य प्रदेश राज्यों ने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए अपने राज्य अधिनियमों में संशोधन किया है और सिक्किम 40 प्रतिशत उपलब्ध कराता है। झारखंड को छोड़कर (जहां पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं क्योंकि अ.जा.जा. के लिए आरक्षण की मात्रा का मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है। मोटे तौर पर सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों में पंचायतों के चुनाव, अनुच्छेद 243 ङ के अनुरूप नियमित रूप से सम्पन्न हुए हैं। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों ने राज्य चुनाव आयोगों का गठन कर लिया है जो अनुच्छेद 243 च में निहित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित हैं। अनुच्छेद 243 ट के अनुरूप, सभी राज्य सरकारों ने प्रत्येक पांच साल की समाप्ति के बाद तथा चक्र के मध्य में यदि कोई आकस्मिक रिक्ति हो तो उसे भरने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करने हेतु राज्य चुनाव आयोगों का गठन किया है।

अनुच्छेद 243(छ), इन दो उद्देश्यों (i) अपने-अपने क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने, तथा (ii) अपने-अपने क्षेत्रों में ग्यारहवीं अनुसूची में बद्ध विषयों सहित और जैसा कि राज्य विधि द्वारा निर्धारित हो, के शर्तों के अधीन पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित किए गए विषयों के लिए आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु "अंतरण", यानी "स्व-सरकार के संस्थान के तौर पर काम करने हेतु" पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण को उपलब्ध कराता है। राज्य विधान के जरिए औपचारिक अंतरण को कार्यकारी आदेशों, निदेशों व प्रशासनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को अंतरित की गई प्रकार्यों से संबंधित गतिविधियों के वास्तविक अंतरण में रूपांतरित किए जाने की आवश्यकता है। शक्तियों व उत्तरदायित्वों के ऐसे अंतरण को संगत निधियों व प्रकार्यों के अंतरण से मेल खाते हुए रखने की आवश्यकता होगी, जिससे कि पंचायतें 73वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप स्व-सरकार की संस्थाओं की तरह अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। इस संबंध में एक राज्य से दूसरे राज्य की स्थिति भिन्न-भिन्न है।

अनुच्छेद 243(ज) की भावना के अनुरूप राज्य सरकारों से, राज्यों के समेकित निधि से पंचायतों को अबद्ध अनुदान उपलब्ध कराने तथा पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए पंचायत सेक्टर विण्डो बनाने के लिए नियमित रूप से आग्रह किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 243(ड) के अनुपालन में, संसद ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम संविधान की पांचवीं अनुसूची में सूचीबद्ध नौ राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा महाराष्ट्र की पांचवीं अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों तक संविधान के भाग IX के प्रावधानों को परिव्याप्त करता है। सभी संबंधित राज्यों ने इस अधिनियम के अनुरूप विधानों को अधिनियमित किया है।

(ग) चूंकि पंचायती राज मूलतः एक राज्य विषय है, इसलिए मंत्रालय ने पंचायती राज को सशक्त बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंचायतों संविधान के भाग IX में परिकल्पित स्व-सरकार की संस्थाओं के रूप में कार्य करें, इसके लिए कदम उठाने हेतु एक राष्ट्रीय सहमति को विकसित करने व उसे परिचालनात्मक बनाने के लिए राज्यों के साथ निकटता से कार्य किया है। जुलाई तथा दिसम्बर, 2004 के मध्य आयोजित हुए पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के सात गोलमेज सम्मेलनों के जरिए राज्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श से एक ऐसी सहमति बनी जिसमें प्रकार्यों, वित्त व कर्मियों के प्रभावकारी अंतरण, योजनाकरण, ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण, अ.जा./अ.ज.जा. व महिलाओं के आरक्षण से संबंधित मुद्दे, चुनावों, लेखा व अंकेक्षण के रख-रखाव पंचायत के समकक्ष समांतर निकायों, निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, पंचायतों की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन को तैयार करने तथा पंचायती राज की न्याय प्रणाली को स्पर्श किया गया है। अनेक परामर्शों, समीक्षा बैठकों एवं राज्यों व पंचायतों के सघन दौरों के माध्यम से सर्वसम्मत निर्णयों का पुनरीक्षण किया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय नियमित रूप से पंचायतों को शक्तियों व उत्तरदायित्वों के अंतरण के संबंध में जमीनी यथार्थों का

मूल्यांकन, पंचायती राज के राज्य मंत्रियों की परिषद, राज्यों के मुख्य सचिवों एवं पंचायती राज सचिवों की समितियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक व वित्तीय सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय विकास परिषद की शक्तिसम्पन्न उप-समिति की बैठक के सांस्थानिक तंत्र के माध्यम से करता है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के बाईस राज्यों व दो संघ शासित क्षेत्रों के गहन दौरे से पंचायतों को शक्तियों व उत्तरदायित्वों के अंतरण का राज्य-विशिष्ट रोड मैप सामने आया। यह रोड मैप, जो संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित परिसमापन वक्तव्यों में शामिल है, ऐसी कार्रवाई बिन्दुओं पर प्रकाश डालता है जिन पर राज्य, पंचायतों को निधि, प्रकार्य व कर्मियों के अंतरण पर विशेष बल प्रदान करते हुए गोलमेजों की सिफारिशों को प्रचालित करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

वर्ष 2006-07 में, पंचायती राज मंत्रालय ने अक्तूबर, 2004 में श्रीनगर में हुए पंचायती राज मंत्रियों के चौथे गोलमेज में मंत्रालय द्वारा किये गये वायदे को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पंचायतों की स्थिति की एक मध्यावधि समीक्षा की। इस प्रतिवेदन को 23 नवम्बर, 2006 को संसद के पटल पर रखा गया तथा दिसम्बर, 2006 में लोकसभा में इस पर बहस हुई। मंत्रालय ने, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद को राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में पंचायती राज की स्थिति के स्वतंत्र मूल्यांकन का कार्य सौंपा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपने-अपने पंचायतों के सशक्तिकरण के कार्यक्षेत्र व विस्तार के संदर्भ में राज्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन भी सम्मिलित है। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों की भूमिका व कार्यकलाप पर स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा अध्ययन के कार्य को भी आरंभ किया है।

राज्य-विधान, विभिन्न तरीकों से पंचायतों को प्रकार्य व गतिविधियों के अंतरण के अधिदेश को अधिव्यक्त करते हैं। पंचायतों को निर्धारित प्रकार्यों के विवरण को रेखांकित करते हुए उनमें विस्तृत प्रावधान हो सकते हैं अथवा वे किसी अनुसूची के जरिए उसे राज्य कानून में ला सकते हैं, अथवा दोनों दृष्टियों के संयोग से उसे हासिल कर सकते हैं। इसकी वजह से राज्यों द्वारा प्रकार्यों के अंतरण की सूचना में कुछ गैर-मानकीकरण के तत्व उभरते हैं। जबकि कुछ, कानून के अन्तर्गत सौंपी गई एक-एक गतिविधि को, विधि के अंतर्गत अंतरित विषयों के तौर पर पृथक रूप से परिगणित करते हुए अंतरण के उच्च रेंज को प्रतिवेदित करते हैं, वहीं दूसरे अंतरित विभागों के मानदंड के आधार पर प्रतिवेदन देने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं।

यह एक सामान्य अनुभव है कि राज्यों द्वारा किया गया वैधानिक अंतरण केवल कागजों पर ही रह जाता है तथा उसे गतिविधि मानचित्रण के आधार पर प्रतिकृत किए जाने की आवश्यकता है तथा उसे वैसे कार्यकारी आदेशों द्वारा अनुवर्तित किया जाना होता है, जो न केवल पंचायती राज प्रणाली के विभिन्न स्तरों को विभिन्न प्रकार्यों से संबंधित अंतरित गतिवधियों को सटीक रूप से परिभाषित करें बल्कि अंतरित किए गए प्रकार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए गतिविधि मानचित्र के अनुरूप पंचायतों को आवश्यक निधियों का भी अंतरण करें एवं कर्मियों की तैनाती करें। पंचायती राज मंत्रालय, जो अंतरण के सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार कर रहा है, ने राज्यों में पंचायतों के प्रकार्यात्मक अंतरण के सूक्ष्म व समीक्षात्मक विस्लेषण को करना आरंभ किया है।

"ग्रीन क्लीएरेंस" प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण

1826. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में "ग्रीन क्लीएरेंस" के क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, जो 14 सितंबर, 2006 को एस.ओ. 1533 (ई) के तहत जारी की गई थी, में उक्त अधिसूचना के उपबंधों में अपेक्षित पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी को विकेन्द्रिकृत करने की व्यवस्था की गई है।

(ख) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना में पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी हेतु अपेक्षित परियोजनाओं/कार्यों को दो श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया गया है अर्थात् श्रेणी 'ए' और श्रेणी 'बी' यह वर्गीकरण उक्त परियोजनाओं के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की क्षमता तथा प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों और उनकी आकाशीय सीमाओं के आधार पर किया गया है। श्रेणी 'ए' के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को केन्द्रीय स्तर पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय मंजूरी दी जानी अपेक्षित है तथा श्रेणी 'बी'

की परियोजनाओं के लिए राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से यह मंजूरी ली जानी होती है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा राज्यों के लिए अधिक धनराशि की मांग

1827. श्री एस.के. खारवेन्थन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान अपनी सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों हेतु और अधिक निधियों की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अपनी सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों हेतु और अधिक निधियों की कोई विशिष्ट सिफारिश नही की है। तथापि ये सिफारिशें केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों दोनो के लिए अतिरिक्त निधियों को आवश्यक बनाती हैं।

एन.ई.आर. में आरा मिलों पर प्रतिबंध

1828. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ श्रेणियों की आरा मिलों में फर्नीचर आदि के लिए दूसरे दर्जे की इमारती लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इमारती लकड़ी की विशेष श्रेणी पर किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए तथा ऐसे प्रतिबंध की अवधि क्या है

(ग) क्या केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने फर्नीचर, बिजली और खेलकूद के सामान आदि संबंधी लकड़ी आधारित उद्योग पर से प्रतिबंध हटाने की मांग पर संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 2002/1995 में दिनांक 15-01, 1998 और 12-05-2001 के आदेश द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों में काष्ठ आधारित उद्योगों की कार्य-प्रणाली पर विस्तृत निदेश जारी किए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में, काष्ठ आधारित उद्योगों को काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए अनुमोदित औद्योगिक भूमियों पर स्थानांतरण किया जाना आवश्यक है और ये केवल वहीं चल सकती हैं। केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने उत्तर-पूर्वी राज्यों में काष्ठ आधारित द्वितीय उद्योगों की कार्यप्रणाली पर विशिष्ट निदेश जारी नहीं किए गए हैं।

एच.आई.वी. रोगियों के लिए पेंशन

1829. श्री मिलिन्द देवरा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में एच.आई.वी. ग्रस्त लोगों के लिए मासिक पेंशन की एक योजना शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय निकायों को निधियां

1830. श्री मनोरंजन भक्त: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में स्थानीय निकायों के पास केन्द्रीय अनुदान विलंब से पहुंचता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है कि स्थानीय निकायों को अनुदान समय पर प्राप्त हो?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा

उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, एस.जी.एस.वाई., आई.ए.वाई. एवं एस.जे.एस.आर.वाई. वे स्कीमें हैं जो वर्तमान में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित प्रदेश में ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं हैं। इन स्कीमों के लिए केंद्रीय अनुदानों को अंडमान व निकोबार प्रशासन के जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों व जिला शहरी विकास एजेंसियों द्वारा स्थानीय निकायों को चैनलीकृत किया जाता है। केंद्रीय सरकार के मंत्रालय व विभाग स्थानीय निकायों को सीधे अनुदान जारी नहीं करते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के पास ऐसी शिकायतें पहुंची हैं कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित क्षेत्र के स्थानीय निकायों में केन्द्रीय अनुदानों के पहुंचने में विलंब हुआ है। गृह मंत्रालय, जो संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन की देख-रेख करता है, के परामर्श से इन शिकायतों का अनुवीक्षण किया जा रहा है।

(घ) निधियों का अंतरण पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किए जाने का मूल घटक है। मार्च 2007 में पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री व संघ शासित क्षेत्र प्रशासन की ओर से गृह मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त निष्कर्ष वक्तव्य में यह संकल्प लिया गया कि गतिविधि मानचित्र के माध्यम से प्रकार्यों के अंतरण के अनुरूप वित्तों के अंतरण को सुमेलित किया जाएगा तथा संघ शासित क्षेत्र के बजट में एक पंचायत सेक्टर विंडो रखा जाएगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (पंचायत) विनियम, 1994 के अन्तर्गत सड़क, जल आपूर्ति, लघु सिंचाई, शिक्षा, कृषि, मत्स्य पालन, पंचायतों, वानिकी इत्यादि क्षेत्रों में एक पृथक बजट शीर्ष की शुरुआत की गई है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय संघ शासित प्रदेश प्रशासन को पंचायत बैंक अकाउंटों के डाटाबेस के रख-रखाव के तरीकों व राज्य ट्रेजरियों से इन अकाउंटों में बिना किसी विलंब व विपथन के निधियों के अंतरण की मानिटरिंग के लिए दिशा-निर्देशों के माध्यम से सहयोग करने के लिए सहमत हुआ है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की दूसरी रिपोर्ट

1831. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सरकार को अपनी दूसरी रिपोर्ट "राष्ट्र के लिए रिपोर्ट" सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों के आलोक में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या रूपरेखा निर्धारित की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) ने राष्ट्र को अपनी दूसरी वार्षिक रिपोर्ट (2007) सौंप दी है। यह रिपोर्ट वर्ष 2006 और 2007 में सौंपी गई एनकेसी की सिफारिशों का संकलन है।

इस रिपोर्ट की सिफारिशें इसकी वेबसाइट: http;//www.knowledgecommission.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) इस समय इन रिपोर्टों/सिफारिशों की संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्श से जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

अवसंरचना परियोजनाओं में प्रगति

1832. श्री पी. मोहन:

श्री जोवाकिम बखला:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की गईं;

(ख) अभी तक परियोजनावार कितनी परियोजनाएं पूरी की गई हैं और कितनी परियोजनाओं में विलंब हो रहा है; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार 20 करोड़ रु. तथा उससे अधिक लागत की केन्द्रीय क्षेत्र की 211 परियोजनाएं पिछले तीन वर्षों के दौरान आरंभ की गई थीं।

(ख) और (ग) इन 211 परियोजनाओं में से 5 परियोजनाएं पूरी हुईं, 2 परियोजनाएं पुनःडिजाइन करने तथा कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण छोड़ दी गईं, 127 परियोजनाएं अनुसूची में हैं। 41 परियोजनाओं में मूल अनुमोदित अनुसूची के संबंध में विलंब हुआ है तथा 32 परियोजनाओं के शुरू होने की कोई तारीख नहीं है। 41 विलंबित परियोजनाओं की क्षेत्र-वार प्रत्याशित समापन अनुसूची संलग्न विवरण-I में दी गई है तथा 32 परियोजनाएं, जिनके शुरू होने की तारीख नहीं है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

अप्रैल, 2005 से स्वीकृत विलंबित परियोजनाओं (प्रारंभिक अनुसूची के संदर्भ में) की सूची
(01-12-2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजना का नाम (एजेंसी) (अवस्थिति)	अनुमोदन की प्रारंभिक तारीख	शुरू होने की तारीख प्रारंभिक (प्रत्याशित)	प्रारंभिक अनुसूची के संदर्भ में समयवृद्धि (महीनों में)
1	2	3	4	5
	नागर विमानन			
1.	डिब्रूगढ़, असम में नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लिमिटेड) (असम, डिब्रूगढ़)	7/2005	11/2006 (12/2007)	13
2.	महाराणा प्रताप एयरपोर्ट परिसर में नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लिमिटेड) (राजस्थान, उदयपुर)	4/2005	11/2006 (11/2007)	12
3.	डा. अम्बेडकर एयरपोर्ट पर वर्तमान टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार एव परिवर्तन (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लिमिटेड) (महाराष्ट्र, नागपुर)	11/2005	9/2007 (12/2007)	3
4.	अमृतसर एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का मॅड्यूलर विस्तार (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लिमिटेड) (पंजाब, अमृतसर)	7/2005	12/2007 (3/2008)	3
	कोयला			
5.	झांझरा लोंगवाल यूजी फेज-2, ई.सी.एल.	11/2006	11/2009	4

1	2	3	4	5
	(ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड) (पश्चिम बंगाल)		(3/2010)	
	इस्पात			
6.	एच.एस.एम. में एम.ए.ई.-वेस्ट ब्लॉक को पुनः तैयार करना [स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)] (झारखंड)	6/2005	6/2007 (5/2008)	11
7.	डब्ल्यू.डी.एस. लोकोज (बी.एस.पी.) का प्रापण [स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)] (छत्तीसगढ़, भिलाई)	10/2005	3/2007 (11/2007)	8
8.	ऑक्सीजन प्लांट में ए.टी.सी. एवं ओ,.टी.सी. [स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)] (झारखंड, बोकारो)	3/2006	11/2007 (7/2008)	8
9.	ऑक्सीजन प्लांट के लिए 50 मेगावाट पावर ट्रैपिंग [स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)] (झारखंड, बोकारो)	1/2006	5/2007 (12/2007)	7
10.	स्लैब कैस्टलर, आर.एच. डीगैस्सर, और लैडल फर्नेस की संस्थापना (सेल) [स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)] (छत्तीसगढ़, भिलाई)	7/2005	9/2007 (3/2008)	6
11.	कोल हैंडलिंग प्लांट में कोकिंग कोल की सुविधाएं [स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)] (झारखण्ड)	9/2006	3/2008 (9/2008)	6
12.	लिक्विड इस्पात क्षमता का 3एम.टी. से 6.3 एम.टी. तक विस्तार (आर.आई.एन.एल.) (राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड) (आन्ध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम)	10/2005	10/2009 (2/2010)	4
13.	पिकलिंग लाइन-II एवं सी.आर.एम. के लिए एच.सी.आई. रिजेनेरेशन [स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)] (झारखंड, बोकारो)	1/2006	6/2007 (10/2007)	4
14.	एल.एम.एस.-II में हॉट मैटल डीसल्फराइजेशन [स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)] (मध्य प्रदेश, भिलाई)	1/2006	8/2007 (11/2007)	3

1	2	3	4	5
15.	सी.आर.एम. की रोल ग्राइंडिंग एवं बेयरिंग शॉप में ई.डी.टी. मशीन [स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)] (झारखंड)	9/2006	1/2008 (3/2008)	2
16.	पावर वितरण प्रणाली को बढ़ाना (फेज-I) [स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)] (पश्चिमी बंगाल, दुर्गापुर : डी.एस.पी.)	5/2006	9/2007 (11/2007)	2
17.	बी.एफ.-2 एवं 3 में कोल डस्ट इंजेक्शन [स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)] (झारखंड, बोकारो)	4/2006	5/2008 (7/2008)	2
	पेट्रोलियम			
18.	ए-1 लेयर, एल-III रिजर्ववायर एम.एच.एन., ओ.एन.जी.सी. का अतिरिक्त विकास (तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लिमिटेड) (महाराष्ट्र)	4/2005	12/2006 (12/2007)	12
19.	मुंद्रा-पानीपत क्रूड ऑयल पाइपलाइन को बढ़ाना (आई.ओ.सी.एल.) (इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड) (गुजरात/राजस्थान/हरियाणा)	6/2005	3/2008 (12/2008)	9
20.	दभोल-पनवेल पाइप लाइन परियोजना (गेल) (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिगिटेड) (महाराष्ट्र)	1/2006	7.2007 (4/2008)	9
21.	पानीपत रिफाइनरी का 12 से 15 एम.एम.टी.पी.ए. में विस्तार (आई.ओ.सी.एल.) (इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड) (हरियाणा)	6/2005	3/2008 (12/2008)	9
22.	डीजल गुणवत्ता में सुधार के लिए सुविधाओं का संस्थापन (आई.ओ.सी.एल.) (इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड) (पश्चिमी बंगाल, हल्दिया)	11/2005	4/2009 (12/2009)	3
23.	दादरी-पानीपत आर-एल.एन.जी. स्पर पाइपलाइन (आई.ओ.सी.एल.) (इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड) (हरियाणा)	6/2005	6/2008 (1/2009)	7

1	2	3	4	5
24.	पानीपत नैफथा क्रेकर परियोजना (आई.ओ.सी.एल.) (इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड) (हरियाणा)	4/2006	9/2009 (11/2009)	2
25.	डीजल हाइड्रोजन ट्रीटमेंट परियोजना, बी.आर.पी.एल. (बोंगाईगांव रिफाइनरी पेट्रोलियम लिमिटेड) (असम)	6/20006	9/2009 (10/2009)	1
	असम			
26.	पार्बती-II एच.ई.पी. के संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली (पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) (हिमाचल प्रदेश)	12/2005	12/2008 (10/2010)	21
27.	कोटेस्वर ट्रांसमिशन प्रणाली (पी.जी.सी.आई.एल.) (पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) (उत्तराखंड)	6/2006	6/2008 (9/2009)	15
28.	तीस्ता लो डैम एच.ई.पी., स्टेज-IV (एन.एच.पी.सी.) (नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन) (पश्चिम बंगाल)	9/2005	9/2009 (8/2010)	11
29.	उड़ी एच.ई.पी. स्टेज-II (एन.एच.पी.सी.) (नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन) (जम्मू एवं कश्मीर)	8/2005	11/2009 (8/2010)	9
30.	नॉर्दन रीजन सिस्टम का सुदृढ़ीकरण योजना-VIII (पी.जी.सी. आई.एल.) (पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) (नॉदर्न रीजन)	10/2006	4/2009 (12/2009)	8
31.	नेशनल कैपिटल थर्मल पावर प्रो. स्टेज-II (एन.टी.पी.सी.) 2x490 मेगावाट (नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन) (उत्तर प्रदेश)	10/2006	4/2010 (10/2010)	6
32.	टेहरी पम्प्ड स्टोरेज प्लांट (1,000 मेगावाट) (टी.एच.डी.सी.) (टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड) (उत्तराखंड)	7/2006	6/2011 (12/2011)	6
33.	कोलडैम एच.ई.पी. ट्रांसमिशन लाइन (पी.जी.सी.आई.एल.) (पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) (हिमाचल प्रदेश)	9/2005	9/2008 (10/2008)	1

1	2	3	4	5
34.	पार्बती एच.ई.पी. स्टेज-III (एन.एच.पी.सी.) (नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (हिमाचल प्रदेश)	10/2005	10/2010 (11/2010)	1
	रेलवे			
35.	अजमेर-फुलेरा-रिंगस-रिवाड़ी (जी.सी.) (एन.डब्ल्यू.आर.) (आर.वी.एन.एल.) गेज परिवर्तन) (राजस्थान)	4/2005	3/2008 (8/2008)	5
	जहाजरानी एवं बंदरगाह			
36.	मुख्य हार्बर चैनल और जे.एन. पोर्ट को गहरा एवं चौड़ा करना (पोर्टस) महाराष्ट्र	10/2005	10/2008 (1/2010)	15
37.	पारादीप पोर्ट के चैनल को गहरा करना (पारादीप पोर्ट) (पोर्टस) (उड़ीसा, पाराद्वीप पोर्ट)	12/2005	6/2007 (8/2008)	14
38.	सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना (तूतीकोरिन पोर्ट) पोर्टस) (तमिलनाडु, तूतीकोरिन)	6/2005	10/2008 (11/2008)	1
	दूरसंचार			
39.	मुंबई कनवरजेंट बिलिंग एण्ड सी.आर.एम. (एम.टी.एन.एल.) (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) (महाराष्ट्र, मुंबई)	1/2006	2/2007 (12/2007)	10
	शहरी विकास			
40.	एजोल में ट्रक टर्मिनस का निर्माण (राष्ट्रीय भवन निर्माण कम्पनी) (मिजोरम, ऐजल)	8/2005	6/2007 (3/2008)	9
41.	दिल्ली एम.आर.टी.एस. फेज-II परियोजना (दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन) (दिल्ली)	8/2005	6/2010 (9/2010)	3

विवरण-II

समापन की अपनी अद्यतन तारीख के बिना स्वीकृत परियोजनाओं की सूची
(01-12-2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	परियोजना का नाम (एजेंसी) (अवस्थिति)	अनुमोदन की प्रारंभिक तारीख	शुरू होने की तारीख प्रारंभिक (प्रत्याशित
1	2	3	4
	नागर विमानन		
1.	त्रिची एयरपोर्ट में नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लिमिटेड) (तमिलनाडु, त्रिची)	11/2005	9/2007 (उ.न.)
2.	चेन्नई में अन्ना-अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल, फेज-II का विस्तार एवं परिवर्तन (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लिमिटेड) (तमिलनाडु, चेन्नई)	4/2005	1/2007 (उ.न.)
	कोयला		
3.	डुग्गा ओसी विस्तार सरगुजा (सी.जी.) (साउथ-ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड) (छत्तीसगढ़)	9/2006	उ.न. (उ.न.)
	इस्पात		
4.	बी.एफ.-3 और 4 में कोल डस्ट इंजक्शन (दुर्गापुर स्टील प्लांट) [स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)] (पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर)	1/2006	8/2007 (उ.न.)
	रेलवे		
5.	जग्गयापट-मेलाचेरु, एस.सी.आर. (नई लाइन) (आंध्र प्रदेश)	7/2006	उ.न. (उ.न.)
6.	मनोहराबाद-कोठापल्ली नई लाइन (एस.सी.आर.) (नई लाइन) (आंध्र प्रदेश)	4/2006	उ.न. (उ.न.)
7.	भटनी-जिरादेई पैच दोहरीकरण (एन.ई.आर.) (लाइन दोहरीकरण) (उत्तर प्रदेश/बिहार)	4/2006	उ.न. (उ.न.)

1	2	3	4
8.	जयपुर-दौसा (एल.डब्ल्यू.आर.) (लाइन दोहरीकरण) (राजस्थान)	4/2005	उ.न. (उ.न.)
9.	हथुआ-भटनी (एन.एल.) (एन.ई.आर.) (नई लाइन) (बिहार, उत्तर प्रदेश)	4/2005	उ.न. (उ.न.)
10.	छिंदवाड़ा-नागपुर (जी.सी.) (एस.ई.सी.आर.) (गेज परिवर्तन) (मध्य प्रदेश)	4/2005	उ.न. (उ.न.)
11.	मुंदेरवा-बबनन पैच दोहरीकरण (लाइन दोहरीकरण) (उत्तर प्रदेश, बस्ती)	4/2006	उ.न. (उ.न.)
12.	मुंदेरवा-बबनन पैच दोहरीकरण (एन.ई.आर.) (लाइन दोहरीकरण) (उत्तर प्रदेश)	4/2006	उ.न. (उ.न.)
13.	चेंगनूर-चिंगवनम दोहरीकरण ((लाइन दोहरीकरण) (केरल)	4/2006	उ.न. (उ.न.)
14.	पनकी-भीपुर, तीसरी लाइन, एन.सी.आर. (लाइन दोहरीकरण) (उत्तर प्रदेश)	6/2005	उ.न. (उ.न.)
15.	वेलाचेरी में थॉमस माउंट स्टेशन तक एम.आर.टी.एस. का विस्तार (एम.टी.पी.) (महानगर परिवहन परियोजनाएं) (तमिलनाडु)	4/2006	उ.न. (उ.न.)
16.	तालचेर-बिमलागढ (एन.एल.) (ई.सी.ओ.आर.) (नई लाइन) (उड़ीसा)	4/2005	उ.न. (उ.न.)
17.	पोडापहाड़-बांसपानी, (एल.डी.) (एस.ई.आर.) (लाइन दोहरीकरण) (उड़ीसा)	4/2006	उ.न. (उ.न.)
	जहाजरानी एवं बंदरगाह		
18.	वर्तमान कस्टम फेंसिंग दीवार के पश्चिम में भूमि का विकास	10/2005	उ.न.

1	2	3	4
	(पोर्टस) (गुजरात)		(उ.न.)
19.	आयरन ओर हैंडलिंग सुविधा का उन्नयन एवं उन्नयन (पोर्टस) (आंध्र प्रदेश, विशाखापटन)	11/2007	उ.न. (उ.न.)
	दूरसंचार		
20.	ग्रैम्स रोड, चेन्नई में प्रशासनिक भवन का निर्माण (भारत संचार निगम लिमिटेड) (तमिलनाडु, चेन्नई)	9/2006	5/2007 (उ.न.)
21.	जी.एस.एम. विस्तार-I, दिल्ली (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) (दिल्ली)	5/2006	उ.न. (उ.न.)
22.	जी.एस.एम. विस्तार-II, दिल्ली (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) (दिल्ली)	5/2006	उ.न. (उ.न.)
23.	जी.एस.एम. विस्तार फेज-IV (बी) (बी..एस.एन.एल.) महाराष्ट्र (भारत संचार निगम लिमिटेड) (महाराष्ट्र)	7/2005	3/2006 (उ.न.)
24.	जी.एस.एम. विस्तार फेज-IV (बी) (बी.एस.एन.एल.) (पश्चिम जोन-मध्य प्रदेश) (भारत संचार निगम लिमिटेड) (मध्य प्रदेश)	7/2005	3/2006 (उ.न.)
25.	वर्तमान जी.एस.एम. उत्तर पश्चिम मुंबई का विस्तार (फेज-V) (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) (महाराष्ट्र)	11/2005	5/2006 (उ.न.)
26.	दिल्ली कनवरजेंट बिलिंग एण्ड सी.आर.एम.-एम.टी.एन.एल. (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) (दिल्ली)	12/2005	2/2007 (उ.न.)
27.	मुंबई ब्रॉड बैंड परियोजना-2 (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) (महाराष्ट्र)	7/2005	2/2006 (उ.न.)
28.	दिल्ली 750के जी.एस.एम. लाइन्स ऑफ 2.5 जी.एस.एम. एण्ड वैलिडेशन इक्विपमेंट ऑफ डब्ल्यू.सी.डी.एम.ए.	2/2007	10/2007

1	2	3	4
	(महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) (दिल्ली)		(उ.न.)
29.	मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क (एम.एल.एल.एन.) : फेज-II (भारत संचार निगम लिमिटेड) (94 शहरों के लिए)	8/2005	उ.न. (उ.न.)
	शहरी विकास		
30.	नागपुर में नेशनल फायर सर्विस कॉलेज का उन्नयन (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) (महाराष्ट्र, नागपुर)	4/2005	1/2007 (उ.न.)
31.	आई.टी.-विभाग के लिए कार्यालय परिसर का निर्माण, (बी.के. कॉम्पलेक्स- मुंबई) (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) (महाराष्ट्र, मुंबई)	11/2006	उ.न. (उ.न.)
32.	अंसारी नगर, एम्स में नाले को कवर करते हुए 4-लेन कैरिज वे का निर्माण (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) (दिल्ली, नई दिल्ली)	3/2006	7/2007 (उ.न.)

अखिल भारतीय सेवाएं

1833. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

श्री सुभाष महरिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय सेवा विशेषकर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए महिलाओं को प्रतियोगिता परीक्षा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने और उनकी भर्ती को प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की स्थिति के अनुसार आई.ए.एस., आई.एफ.एस. और आई.पी.एस. महिला अधिकारियों की संख्या कतनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों की राज्य (संवर्ग) वार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। भारतीय विदेश सेवा में महिला अधिकारियों की संख्या 92 है।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारियों की राज्य (संवर्ग) वार संख्या

संवर्ग	अधिकारियों की संख्या
ए.जी.एम.यू.टी.	38
आन्ध्र प्रदेश	40

संवर्ग	अधिकारियों की संख्या
असम-मेघालय	17
बिहार	21
छत्तीसगढ	14
गुजरात	27
हरियाणा	27
हिमाचल प्रदेश	20
जम्मू-कश्मीर	06
झारखंड	15
कर्नाटक	37
केरल	20
मध्य प्रदेश	50
महाराष्ट्र	44
मणिपुर-त्रिपुरा	08
नागालैण्ड	03
उड़ीसा	22
पंजाब	20
राजस्थान	31
सिक्किम	03
तमिलनाडु	36
उत्तर प्रदेश	53
उत्तराखंड	09
पश्चिम बंगाल	30
कुल	591

भारतीय प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारियों की राज्य (संवर्ग) वार संख्या

संवर्ग	अधिकारियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	12
असम-मेघालय	03
बिहार	06
छत्तीसगढ	03
गुजरात	06
हिमाचल प्रदेश	02
हरियाणा	07
जम्मू-कश्मीर	03
झारखंड	09
कर्नाटक	06
केरल	03
मध्य प्रदेश	13
महाराष्ट्र	09
मणिपुर-त्रिपुरा	03
नागालैण्ड	03
उड़ीसा	12
पंजाब	06
राजस्थान	10
सिक्किम	02
तमिलनाडु	10
उत्तराखंड	07
उत्तर प्रदेश	13
पश्चिम बंगाल	05

संवर्ग	अधिकारियों की संख्या
ए.जी.एम.यू.	12
कुल	165*

*इसके अतिरिक्त यह उल्लेख किया जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा, 2006 के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा की 15 महिला अधिकारियों ने सेवा में कार्यभार ग्रहण किया। हालांकि, इन आई.पी.एस. अधिकारियों के संवर्ग आबंटन का निर्णय अभी किया जाना है।

जैव-विविधता के लिए चुनौतियां

1834. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण जैव-विविधता समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या पहलें की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) चूंकि भारत जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित देशों में से है। सरकार ने 7 मई, 2007 को डा. आर. चिदम्बरम प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार, की अध्यक्षता में जैव विविधता प्रभावों सहित एंथ्रोपोजेनिक जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों के अध्ययन और भविष्य में एंथ्रोपोजेनिक जलवायु परिवर्तन प्रभावों की प्रहार्यता से निपटने के संबंध में किए जाने वाले उपायों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 6 जून, 2007 को जलवायु परिवर्तन के आकलन, अनुकूलन और कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई का समन्वय करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री काउंसिल नामक एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया था जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में आकलन, अनुकूलन और कमी करने की कार्य योजना को तैयार करने के लिए पर्यवेक्षण उपलब्ध करवाने की समन्वित प्रतिक्रिया शामिल है।

प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयों के लिए प्रस्ताव

1835. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित स्थल कौन-कौन से हैं;

(ग) ऐसे प्रत्येक क्षेत्रीय संग्रहालय पर कितनी अनुमानित धनराशि खर्च होने की संभावना है;

(घ) उक्त संग्रहालयों की स्थापना से देश में पारिस्थितिकी, पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(ङ) उक्त संग्रहालयों को कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क), (ख) और (ङ) सरकार ने सावई माधोपुर, राजस्थान में राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने के लिए अनुमोदन दे दिया है। इस संग्रहालय की आधारशिला भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा 23 दिसम्बर, 2007 को रखी गई थी और इसे आम लोगों के लिए 2011 तक खोले जाने की आशा है।

(ग) सवाई माधोपुर के राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय पर लगभग 40 करोड़ रु. के लागत व्यय का अनुमान है।

(घ) सवाई माधोपुर स्थित राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय औपचारिक पर्यावरण शिक्षा केन्द्र के रूप में कार्य करने के साथ-साथ प्रदर्शनियों और शैक्षिक कार्यों जैसे सशक्त माध्यमों के माध्यम से प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करने का भी काम करेगा। यह संग्रहालय पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवन की विविधता, उनके कल्याण के लिए आवश्यक कारकों, प्रकृति पर मानव की निर्भरता तथा अपनी पारिस्थितिकीय धरोहर को बनाए रखने की आवश्यकता के

अथवा विशेष रूप से भारत के पश्चिमी शुष्क क्षेत्र सहित सतत विकास को सुनिश्चित करने की समझ पैदा करेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता

1836. डा. आर. सेनथिल:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग का प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है और इसके प्रचार-प्रसार के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचार-प्रसार के लिए विशेषकर जनजातीय बहुल राज्यों में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) कुछ राज्य सरकारों जैसे कि छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखण्ड की सरकारों ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सहायता मांगी थी। संसद ने इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों पर, विधि द्वारा, एक बाध्यता डाली है। राज्य सरकारों से इस सांविधिक बाध्यता को उनकी निजी निधियों से पूरा करना अपेक्षित है।

(घ) यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बदले सामाजिक विकास क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव

1837. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड.) के स्थान पर सामाजिक विकास क्षेत्रों/एस.डी.जेड. की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या योजना आयोग सहित सभी मंत्रालयों ने सामाजिक विकास क्षेत्रों के विचार से सहमति जताई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यनीति तैयार की गई है; और

(ङ) सामाजिक असंतोष को रोकने और आम लोगों के सामाजिक उत्थान के लिए सामाजिक विज्ञान क्षेत्रों द्वारा क्या भूमिका निभाए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ङ) सामाजिक विकास क्षेत्र स्थापित करने की संभाव्यता का पता लगाने के लिए प्रारम्भिक विचार-विमर्श कर लिया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना का प्रतिस्थापन

1838. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौजूदा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना को प्रतिस्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई प्रस्तावित योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) प्रस्तावित योजना के लाभार्थियों को किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पारादीप पत्तन पर नए लंगरगाह का निर्माण

1839. श्री अनन्त नायक: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पारादीप पत्तन पर नए लंगरगाहों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन नए लंगरगाहों के निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) उक्त लंगरगाहों का निर्माण पूरा करने की लक्षित तिथि क्या है; और

(घ) आज तक की स्थिति के अनुसार इसमें कितनी प्रगति हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) पारादीप पत्तन में विकास की सतत् प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, 892.60 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत से गहरे डुबाव के लौह अयस्क घाट तथा गहरे डुबाव के कोयला घाट के निर्माण की योजना है। ये परियोजनाएं निविदाएं आमंत्रित किए जाने के चरण में है। पत्तन में दक्षिण डॉक परिसर के विकास की योजना भी प्रारंभिक चरण में है।

पवित्र उपवनों का संरक्षण

1840. श्री पी. करूणाकरन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश में पवित्र उपवनों के संरक्षण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास कोई योजना भेजी है और वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) आज की तारीख में, पवित्र उपवनों के संरक्षण की कोई योजना नहीं है। वन प्रबंधन का तीव्रीकरण - योजना के अंतर्गत, पवित्र वनों के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) केरल सरकार ने पवित्र वनों के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध करते हुए 10 प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे।

(घ) उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर के प्रकाश में, मामले पर कोई अन्तिम मत नहीं लिया गया है।

सुनामी के कारण वन क्षेत्र की हानि

1841. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का अवलोकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है कि सुनामी की भारी तबाही और अनेक राज्यों में बांधों के निर्माण के कारण 728 वर्ग किलोमीटर सघन वन क्षेत्र की हानि हुई है जैसाकि 17 फरवरी, 2008 के 'द हिन्दु' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, नवीनतम आकलन (वन स्थिति रिपोर्ट 2005) के अनुसार, देश में वन आवरण में 728 वर्ग कि.मी. की क्षति हुई है। वन आवरण में क्षति होने के मुख्य कारणों में सुनामी और बांधों के निर्माण के कारण वन क्षेत्रों का जलमग्न होना शामिल है।

विभिन्न राज्यों में वन आवरण में क्षति आने के मुख्य कारण निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं।

राज्य/संघ शासित प्रदेश	परिवर्तन	महत्वपूर्ण कारण
आन्ध्र प्रदेश	-40	ए.पी.एफ.डी.सी. द्वारा परिपक्व प्लांटेशन की कटाई।
असम	-90	आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में अवैध कटाई, अतिक्रमण, पर्वतीय जिलों में झूम कृषि।
छत्तीसगढ	-129	(चम्पी बांध, बिलासपुर) जलमग्न, झूमखेती (भोजमद क्षेत्र, बस्तर) अवैध कटाई।
गुजरात	-99	(कच्छ जिला) में प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा का बड़े पैमाने पर उखाड़ा जाना।
मध्य प्रदेश	-132	नर्मदा नदी (इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, मादीखेडा में बांधों के निर्माण से जलमग्न होना)
महाराष्ट्र	-38	एफ.डी.सी. द्वारा परिपक्व रोपण की कटाई
मणिपुर	-173	झूम कृषि, बांस पुष्पण
नागालैंड	-296	झूम कृषि, बांस पुष्पण
उत्तराखंड	-18	वन क्षेत्रों (हरिद्वार) में विस्थापित लोगों का पुनर्वास और सफेदा वृक्ष (उधम सिंह नगर में) की आवर्तन आधार पर कठाई
अंडमान और निकोबार	-178	सुनामी

भारतीय वन सर्वेक्षण (पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संगठन), द्विवर्षीय चक्र के आधार पर सुदूर संवेदी प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा वन आवरण का आकलन करता है। परिणाम "वन स्थिति रिपोर्ट (एस.एफ.आर.) में प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय, राज्य/संघ शासित प्रदेशों और जिला स्तरों पर वन आवरण का क्षेत्र, दो क्रमिक चक्रों के बीच परिवर्तन, वन आवरण के मानचित्र भी प्रकाशित किए गए हैं। एस.एफ.आर. 2005 में अक्तूबर से दिसम्बर 2004 और जनवरी-फरवरी 2005 की अवधि के उपग्रह डाटा के आधार पर देश के वन आवरण पर नवनीतम सूचना दी गई है।

(ख) 2001 और 2003 आकलनों और 2003 व 2005 आकलनों के बीच राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के वन आवरण में परिवर्तन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

(वर्ग कि.मी. में क्षेत्र)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	वन आवरण 2001	वन आवरण 2003	वन आवरण 2005	(2001 और 2003 के बीच) वन आवरण में परिवर्तन	(2003 और 2005 के बीच) वन आवरण में परिवर्तन
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	43,195	44,412	44,372	1,217	-40

1	2	3	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश	69,760	67,692	67,777	-2,068	85
असम	25,290	27,735	27,645	2,445	-90
बिहार	5,375	5,573	5,579	198	6
छत्तीसगढ़	57,730	55,992	55,863	-1,738	-129
दिल्ली	125	174	176	49	2
गोवा	1,565	2,164	2,164	599	0
गुजरात	12,913	14,814	14,715	1,901	-99
हरियाणा	1,135	1,576	1,587	441	11
हिमाचल प्रदेश	12,907	14,359	14,369	1,452	10
जम्मू कश्मीर	19,886	21,273	21,273	1,387	0
झारखण्ड	22,531	22,569	22,591	38	22
कर्नाटक	33,296	35,246	35,251	1,950	5
केरल	13,417	15,595	15,595	2,178	0
मध्य प्रदेश	75,282	76,145	76,013	863	-132
महाराष्ट्र	45,040	47,514	47,476	2,474	-38
मणिपुर	17,889	17,259	17,086	-630	-173
मेघालय	16,535	16,925	16,988	390	63
मिजोरम	16,397	18,583	18,684	2,186	101
नागालैंड	13,980	14,015	13,719	35	-296
उड़ीसा	49,044	48,353	48,374	-691	21
पंजाब	1,628	1,545	1,558	-83	13
राजस्थान	14,542	15,821	15,850	1,279	29
सिक्किम	3,164	3,262	3,262	98	0
तमिलनाडु	20,992	23,003	23,044	2,011	41
त्रिपुरा	8,869	8,123	8,155	-746	32
उत्तर प्रदेश	10,778	14,127	14,127	3,349	0

1	2	3	4	5	6
उत्तराखण्ड	23,354	24,460	24,442	1,106	-18
पश्चिम बंगाल	10,392	12,389	12,413	1,997	24
अण्डमान और निकोबार	6,621	6,807	6,629	186	-178
चण्डीगढ़	13	15	15	2	0
दादर और नागर हवेली	217	221	221	4	0
दमन और दीव	6	8	8	2	0
लक्षद्वीप	12	25	25	13	0
पाण्डिचेरी	18	42	42	24	0
समग्र योग	653,898	677,816	677,088	23,918	-728

एम.बी.बी.एस. परीक्षा में प्रतिस्पर्धा करने हेतु निशक्त: छात्रों के लिए तंत्र

1842. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली एम.बी.बी.एस. परीक्षा के लिए शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों द्वारा प्रतिस्पर्धा करने हेतु कोई तंत्र तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भारतीय चिकित्सा परिषद् और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से देश में निशक्त लोगों के लाभ के लिए पद्धतियां/मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा उक्त मार्ग-दर्शी सिद्धान्त कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने डा. कुमार सौरभ बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा परिषद को अखिल भारतीय कोटे के अंतर्गत एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के लिए विकलांग व्यक्तियों को लाभान्वित करने की व्यवहारिता की जांच करने के लिए कहा है। भारतीय चिकित्सा परिषद ने इस मामले में अपने विचार प्रस्तुत कर दिया है और मंत्रालय ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय को जहां निर्णय के लिए यह मामला विचाराधीन है, अपने दृष्टिकोण के अवगत करा दिया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

1843. **श्री आलोक कुमार मेहता:**
श्री राम कृपाल यादव:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं अपनी निर्धारित समयसीमा से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं की लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) बिहार में समय से पीछे चल रही एन.एच.डी.पी. परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वृक्ष काटने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब, कुछ ठेकेदारों द्वारा खराब कार्य निष्पादन और कार्यान्वयन के प्रारंभिक स्तरों में कानून व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण एन.एच.डी.पी. के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब हुआ है।

(ग) ठेका करारों में मूल्य वृद्धि के लिए प्रावधान है। थोक मूल्य सूचकांक और निर्माण के अंतिम लागत के आधार पर निर्माण की लागत का केवल परियोजना के पूरा होने के बाद ही मूल्यांकन किया जा सकता है। यदि परियोजना ठेकेदार की गलती के कारण विलंब से पूरी होती है तो इस पर लिक्विटिड क्षति का आरोप उस पर लगाया जाता है और मूल्य वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाता है। मूल्य वृद्धि का भुगतान केवल तभी किया जाता है जब चूक एन.एच.ए.आई. की हो।

(घ) एन.एच.डी.पी. के सभी चरणों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पोत, परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, योजना आयोग, सचिवों की समिति और अवसंरचना संबंधी समिति द्वारा निगरानी रखी जाती है।

विवरण

बिहार में एन.एच.डी.पी. तथा अन्य परियोजनाओं के ब्यौरे

बिहार

ठेका	रा.रा. खंड	राज्य में लंबाई	परियोजना व्यय संचयी (करोड़ रु.)	स्थिति भौतिक प्रगति पूर्ण लंबाई	प्रारंभ तिथि पूरा होने की मूल तिथि/अनुमानित तिथि
1	2	3	4	5	6
पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर					
1. पूर्णीया गयाकोटा (ईडब्ल्यू-4) किमी. 476.15-किमी. 470 और किमी. 419-किमी.410	31	15.15	79.5	कार्यान्वयनाधीन	दिसंबर-1999
				95	मार्च-2002
				13.3	मार्च-2008
2. पूर्णिया-गयाकोटा (ईडब्ल्यू-12/बी.आर.) किमी. 447-किमी. 419	31	28.00	168.26	कार्यान्वयनाधीन	सितंबर-2001
				70.5	सितंबर-2004
				5	जून-2008
3. पूर्णिया-फोरबिसगंज (बी.आर.-1) किमी. 309.0 से किमी. 268	57	41.00	123.48	कार्यान्वयनाधीन	नवम्बर, 2005
				38.5	अप्रैल-2008
				10	अगस्त-2008

1	2	3	4	5	6
4. पूर्णिया-फोरबिसगंज (बी.आर.-2) किमी. 268.0 से किमी. 230	57	38.00	120.20	कार्यान्वयनाधीन 34.5 0	नवम्बर-2005 अप्रैल-2008 अगस्त-2008
5. फोरबिसगंज-सिमराही (बी.आर.-3) किमी. 230 से किमी. 190	57	40.00	68.19	कार्यान्वयनाधीन 19.5 0	अप्रैल-2006 सितम्बर-2008 दिसम्बर-2008
6. सिमराही से रिंग बंध (मिसिंग लिंक) (बी.आर.-4) 57 किमी. 190 से किमी. 165	57	15.00	37.37	कार्यान्वयनाधीन 25.5 0	अप्रैल-2006 अप्रैल-2008 दिसम्बर-2008
7. रिंग बंधs से झंझरपुर (बी.आर.-6) किमी. 155 से किमी. 110	57	45.00	124.17	कार्यान्वयनाधीन 21.02 0	जनवरी-2006 जून-2008 दिसम्बर-2008
8. झंझरपुर से दरभंगा (बी.आर.-7) किमी. 110 से किमी. 70	57	40.00	73.58	कार्यान्वयनाधीन 8.36 0	अप्रैल-2006 सितम्बर-2008 दिसम्बर-2008
9. दरभंगा से मुजफ्फरपुर (बी.आर.-8) किमी. 70 से किमी. 30	57	40.00	114.88	कार्यान्वयनाधीन 26.93 0	जनवरी-2006 जून-2008 दिसम्बर-2008
10. दरभंगा से मुजफ्फरपुर (बी.आर.-9) किमी. 30 से किमी. 0	57	30.00	105.74	कार्यान्वयनाधीन 26.46 0	जनवरी-2006 जून-2008 दिसम्बर-2008
11. मुजफ्फरपुर से मेहसी (एल.एम.एन. एच.पी.-12) किमी. 520 से किमी. 480	28	40.00	59.76	कार्यान्वयनाधीन 9.73 0	सितंबर-2005 सितंबर-2008 मार्च-2009

1	2	3	4	5	6
12. मेहसी से कोटवा (एल.एम.एन.एच. पी.-11) किमी. 480 से किमी. 440	28	40.00	56.94	कार्यान्वयनाधीन	सितंबर-2005
				10.23	सितंबर-2008
				0	मार्च-2009
13. कोटवा से देवापुर (एल.एम.एन.एच. पी.-10) किमी. 440 से किमी. 402	28	38.00	52.46	कार्यान्वयनाधीन	नवम्बर-2005
				9.66	
				0	मार्च-2009
14. दीवापुर से यू.पी./बिहार सीमा (एल.एम.एन.एच.पी.-9) किमी. 402 से किमी. 360.915	28	41.09	100.89	कार्यान्वयनाधीन	नवम्बर-2005
				11.1	नवम्बर-2008
				0	मार्च-2009
स्वर्णिम चतुर्भुज पर					
1. वाराणसी-मोहनिया (जी.टी.आर.आई.पी./IV-ए) किमी. 317-329(0) किमी. 0-किमी. 65 (उत्तर प्रदेश में 55 किमी. और बिहार में 21 किमी.)	2	21.00	117.35	कार्यान्वयनाधीन	मार्च-2002
				88.63	मार्च-2005
				18.97	जून-2008
2. सासाराम-डेहरी ओन सोन (जी.टी. आर.आई.पी./IV-सी) किमी. 110-किमी. 140	2	30.00	226.63	कार्यान्वयनाधीन	मार्च-2002
				90.99	मार्च-2005
				26.3	अप्रैल-2008

भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए स्वीकृत धनराशि

1644. श्री स्वदेश चक्रवर्ती:

श्री हन्नान मोल्लाह:

श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों हेतु किट और अंतरराष्ट्रीय स्तर के उपकरण खरीदने के लिए भारतीय महिला हॉकी संघ के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संघ के लिए यह धनराशि किस आधार पर मंजूर की गयी है और महिला हॉकी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जी नहीं। सरकार ने आस्ट्रेलिया के दौरे के लिए किटें और खेल उपकरण खरीदने के लिए भारतीय महिला हॉकी परिसंघ (आई.डब्ल्यू.एच.एफ.) को कोई धनराशि संस्वीकृत नहीं की है। दीर्घकालिक विकास योजना (एल.टी.डी.पी.) में अनुमोदन के अनुसार निजी उपभोग की वस्तुओं सहित खेल उपकरणों, उपभोग की वस्तुओं की आवश्यकता के लिए

सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहायता की योजना के तहत पूर्णतः धन उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, 75:25 की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रीय खेल परिसंघ खेल उपकरण प्राप्त करने के लिए भी प्राधिकृत हैं, जिसके तहत सरकार 75% लागत और राखेप 25% का योगदान देते हैं। इस योजना के तहत भारतीय महिला हॉकी परिसंघ से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

"राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना" के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय महिला हॉकी परिसंघ (आई.डब्ल्यू.एच.एफ.) को, निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गयी है:-

(रु. लाखों में)

वर्ष	आबंटित राशि
2004-05	110.35
2005-06	78.81
2006-07	111.64
2007-08 (29-2-2008 तक)	153.46

इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण ने सब-जूनियर, और सीनियर टीमों के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविर आयोजित करने के लिए आई.डब्ल्यू.एच.एफ. को भी सहायता दी है। वर्ष 2007-08 के दौरान, 161 दिनों के 9 कोचिंग शिविर आयोजित किए गए तथा इस मद पर फरवरी, 2008 तक 28.65 लाख रु. का व्यय किया जा चुका है।

इसके आलावा, सरकार ने एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम और 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों के लिए एक विदेशी कोच की तैनाती के परिसंघ के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। नीदरलैंड के एक अल्पकालिक कोच को भी 15 दिनों के लिए महिला हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने का कार्य सौंपा गया था।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर शिर्डी घाट का सुधार

1845. श्रीमती मनोरमा माधवराज:

श्री एम. शिवन्ना:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के शिर्डी घाट खंड पर 226 से 270 किलोमीटर के हिस्से में सुधार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इस परियोजना को अविलंब शुरू करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 (बंगलौर-मंगलूर खंड) के 226 से 270 किमी. तक राजमार्ग खंड शिर्डी घाट से गुजरती है। इस खंड के सुधार के लिए 51.62 करोड़ रु. के 4 कार्य पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं और ये कार्य प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

बाघ अभयारण्यों को नक्सलवाद से खतरा

1846. श्री निखिल कुमार:

श्रीमती जयाप्रदा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वन्यजीव संस्थान की नवीनतम बाघ गणना के अनुसार देश में नक्सलवादी बाघ अभयारण्यों को नष्ट कर रहे हैं जैसाकि दिनांक 18 फरवरी, 2008 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अभयारण्य क्षेत्रों में नक्सलवादियों से कितने बाघ प्रभावित हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बाघ अभयारण्यों को नक्सलवादियों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) हालांकि कई बाघ रिजर्व राज्यों में नक्सलवादियों के होने की सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन इंद्रावती (छत्तीसगढ) और पालामऊ (झारखंड) बाघ रिजर्वों में

उनकी उपस्थिति से दिन-प्रतिदिन का प्रबंधन प्रभावित होने का पता चला है।

(ग) बाघ रिजर्वों में बाघ और अन्य वन्य पशुओं की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। तथापि, चूंकि उग्रवादी एंजीनियर्ड बाधाओं से संबंधित समस्याएं नीतिगत तथा सामाजिक प्रकृति की है; संरक्षण में सहायता हेतु स्थानीय लोगों का सहयोग लेने के प्रयास किए गए है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ स्टेक होल्डर लोगों को जीविकोपार्जन विकल्प उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय कार्यबल को शामिल करते हुए पारिविकास पैकेज, पारिपर्यटन एवं शिकार रोधी कार्रवाई किया जाना शामिल है।

विवरण

बाघ और अन्य वन्य पशुओं की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ तथा अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध बनाने हेतु के लिए (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन। बाघ रिजर्व के अंदर अपराध के मामलों में सजा बढ़ाई गई है। अधिनियम मे वन्यजीव अपराध में प्रयुक्त किसी भी उपकरण गाड़ी या हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है।

2. बाघ रिजर्व राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके वर्षा ऋतु के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों को सुदृढ करना, जैसा कि उनके द्वारा प्रस्तावित है, अर्थात् संप्रेषण/बेतार सुविधाओं की सुदृढ़ता के साथ साथ स्थानीय लोगों सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके एंटीपोचिंग दल को तैनात करना।

3. भूतपूर्व सैनिक कार्मिक और स्थानीय कार्यबल को शामिल करते हुए 17 बाघ रिजर्वों को अतिरिक्त रूप में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई।

4. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 04-9-2006 से गठित किया गया है जिससे बाघ संरक्षण इनके द्वारा बेहतर किया जा सकेगा, जैसे कि बाघ संरक्षण प्रबंधन में मानकों की सुनिश्चितता, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना को तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण फाऊंडेशन की स्थापना।

5. वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस अधिकारियों, वन, कस्टम और अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों को शामिल करते हुए 6-6-2007 से बहु आयामी बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन।

6. बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्वास/पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को निधिकरण सहायता (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार) परंपरागत शिकार में लगे समुदायों को पुनर्वास, वनों के बाहर बाघ रिजर्वों में मेनस्ट्रीमिंग जीविका और वन्यजीव सरोकार और पर्यावास अवक्रमण करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए रेस्टोरेटिव रणनीति द्वारा फोस्टरिंग का रीडोर संरक्षण शामिल है।

7. बाघ रिजर्व राज्यों द्वारा संरक्षण निवेशों के बेहतर कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन विकसित करना।

8. बाघ (कोर/महत्वपूर्ण क्षेत्र) और लोग (बफर/फ्रिंज क्षेत्र) से संबंधित मामलों से निपटने के लिए बाघ रिजर्व विशिष्ट 'बाघ संरक्षण योजना' तैयार करने के लिए 2006 में किए गए संशोधनों से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में उपलब्ध समर्थकारी उपबंध।

9. स्थानीय स्टेकहोल्डर समुदायों के लिए रिजर्ववार बाघ संरक्षण फाउंडेशन तैयार करने के लिए 2006 में किए गए संशोधनों से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में उपलब्ध समर्थकारी उपबंध।

10. बाघ परभक्षी और सहभक्षी पशुओं के बचाव और संरक्षण, समन्वय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए

मुख्य मंत्री के अंतर्गत राज्यों द्वारा राज्य स्तर संचालन समितियों के सृजन के लिए 2006 में किए गए संशोधनों से वन्यजीव (संशोधन) अधिनियम, 1972 में उपलब्ध समर्थनकारी उपबंध।

क्षेत्रीय उपचर्या केन्द्र

1847. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उपचर्या परिषद् का विचार राज्यों में स्थित उपचर्या केन्द्रों के कार्यकरण की निगरानी के लिए देश में क्षेत्रीय उपचर्या केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं और राज्यवार ऐसे केन्द्रों की स्थापना कब तक होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राज्यों में स्थित उपचर्या केन्द्रो का कार्यान्वयन का मानीटर करने के लिए देश में क्षेत्रीय उपचर्या केन्द्र स्थापित करने का भारतीय उपचर्या परिषद का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, 11वीं योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पी.एच.डी. (नर्सिंग) एम.एस.सी. (नर्सिंग) शिक्षा, नर्स प्रेक्टिशनर पाठ्यक्रम और विशिष्टता पाठ्यक्रम चलाने के प्रयोजन से 24 उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना को सुकर बनाने में सहायता देने का प्रस्ताव कर रहा है इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 11वीं योजना अवधि के दौरान राज्यों में 4 क्षेत्रीय उपचर्या संस्थाओं की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है।

श्वास संबंधी रोग

1848. श्री बालासोवरी बल्लभनेनी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर दिल्ली में श्वास संबंधी रोग बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्यवार क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) श्वसन रोगों में चिरकालिक अवरूद्ध फुफ्सीय रोग, ब्रोंकायल अस्थमा, क्षय रोग और कुछ अन्य फेफड़े रोगों सहित श्वसन संक्रमण शामिल हैं। उपलब्ध आंकड़े से इनकी बढ़ रही प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है।

(ग) श्वसन रोगों का उपचार जिला अस्पतालों और चिकित्सा कॉलेजों तथा एम्स, पी.जी.आई. जैसे तृतीयक स्तरीय शीर्ष संस्थानों के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक की स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पहले से ही कार्यान्वित है तथा इसमें स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली का ध्यान रखा जाता है।

यूरोपीय रासायनिक कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना

1849. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई प्रमुख यूरोपीय रासायनिक कंपनियों पर सांठ-गांठ कर भारत में मलेरिया रोधी कार्यक्रम में वित्तपोषण कर रहे एक बैंक से अधिक राशि वसूलने के आरोपों के मद्देनजर विश्व बैंक द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है जैसा कि दिनांक 23 जनवरी, 2008 को "द मिन्ट" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को विश्व बैंक द्वारा सोचे गए किसी ऐसे कदम की जानकारी नहीं है।

विश्व बैंक ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना (ई.एम.सी.पी. 1997-2005) की एक विस्तृत कार्यान्वयन समीक्षा की है। जनवरी 2007 में

प्राप्त की गई विस्तृत कार्यान्वयन समीक्षा की रिपोर्ट से उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना को कीटनाशकों (संश्लिष्ट पायरेथ्रोयडस) की आपूर्ति के लिए 4 बहुराष्ट्रीय फर्मों द्वारा संभव कार्टिलाईजेशन का संकेत मिलता है।

संभावित कार्टिलाईजेशन का उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना के कार्यान्वयन में शुरू में ही पता लगा लिया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए कारगर उपायों से संभव सांठगांठ के लोप होने, प्रतियोगिता में वृद्धि तथा संश्लिष्ट पायरेथ्रोयडस की कीमतों में गिरावट हुई है।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा

1850. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि आबंटित तथा खर्च की गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष मे पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही/चलाए जाने हेतु प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक परियोजना की स्थिति क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सभी चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी आवधिक रूप से कार्यवार समीक्षा बैठकों के दौरान रखी जाती है। ये कार्यवार समीक्षा बैठकें वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में की जाती हैं। लोक निर्माण विभाग को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान 61.00 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे और फरवरी, 2008 तक 46.91 करोड़ रु. व्यय किए गए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान जनवरी, 2008 तक पश्चिम बंगाल के लिए और सीमा सड़क संगठन के लिए फरवरी, 2008 तक व्यय क्रमश: 242.05 करोड़ रु. और 0.77 करोड़ रु. है।

(ग) से (ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शुरू की गई/शुरू करने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, परियोजनावार, उनकी स्थिति और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में शुरू की गई/शुरू जाने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, परियोजनावार, उनकी स्थिति और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा से संबंधित ब्यौरे

क्र. सं.	रा.रा. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (लाख रु.)	स्वीकृति की तिथि	वर्तमान स्थिति		पूरा करने की लक्ष्य तिथि	टिप्पणी
					भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(ए) राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग								
2007-08								
1.	117	112.35 किमी. पर हतानिया-दाओनिया नदी पर उच्चस्तरीय पी.एस.सी. पुल के निर्माण के लिए साध्यता अध्ययन और डी.पी.आर. तैयार करना	50.03	16-10-2007	0%	0%	अभी सौंपा जाना है	
2.	55	नाली के निर्माण सहित 65/500-65/610 किमी. तक तीखे मोड़ खंडों पर संकीर्ण खंड का सुधार	45.42	16-10-2007	10%	0%	3/2008	
3.	35	10/0-26/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	572.92	16-10-2007	1%	10%	12-8-2008	10% संग्रहण राशि दी गई
4.	60	320/0-330/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	595.51	30-10-2007	0%	0%	10/2008	
5.	60	394/0-401/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	427.12	30-10-2007	0%	0%	अभी सौंपा जाना है	
6.	31	742/0-745/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	90.46	30-10-2007	90%	0%	04/2008	
7.	31	645/0-665/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	1195.54	30-10-2007	0%	0%	अभी सौंपा जाना है	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	31	689/50-700/00 किमी. में सड़क गुणता सुधार	751.54	30-10-2007	0%	0%	अभी सौंपा जाना है	
9.	60	178/0-181/0 किमी. में दो लेन बनाना	475.54	12-11-2007	0%	0%	अभी सौंपा जाना है	
10.	60	181/0-189/0 किमी. में दो लेन बनाना	1099.95	12-11-2007	0%	0%	अभी सौंपा जाना है	
11.	60	374/0-384/0 किमी. में विद्यमान पेवमेंट का सुदृढीकरण	1153.99	12-11-2007	0%	0%	8/2008	
12.	55	32/70-33/50 किमी. में खंडों का सुधार	49.59	12-11-2007	40%	0%	3/2008	
13.	31	700/00-710/00 किमी. में सड़क गुणता सुधार	729.57	12-11-2007	0%	0%	अभी सौंपा जाना है	
14.	60	230 किमी. पर आर.ओ.बी. के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण	462.02	04-12-2007	100%	100%	पूर्ण	
15.	60	348/0-355/0 और 360/0-363/0 किमी. तक सुदृढीकरण	1205.02	15-11-2007	0%	0%	11/2008	
16.	60	रा.रा. 60 के 384/0-394/0 किमी. तक सुदृढीकरण	1111.81	27-11-2007	0%	0%	11/2008	
17.	60	214/455 किमी. पर पुल का पुनर्निर्माण	159.79	14-01-2008	0%	0%	अभी सौंपा जाना है	
18.	60	132/1 किमी. पर पुल की मरम्मत	134.79	22-02-2008	0%	0%	अभी सौंपा जाना है	
19.	35	किमी. पर नौभाषण पुल का पुनर्निर्माण	50.37	22-02-2008	0%	0%	अभी सौंपा जाना है	

20.	35	किमी. पर इच्छामती पुल का पुनर्निर्माण	63.30	22-02-2008	0%	0%	अभी सौंपा जाना है
21.	81	रा.रा. 81 से 180/0 से 183/6 किमी. में सुदृढ़ीकरण	596.37	29-02-2008	0%	0%	अभी सौंपा जाना है
			11021.01				
2006-07							
1.	31सी	18/0-32/75 किमी. में सड़क गुणता सुधार	446.01	11-09-2006	100%	100%	पूर्ण
2.	60	303/0-314/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार 305/502-306/302 किमी. को छोड़कर (पांडाबेशावर पुल)	308.87	25-09-2006	100%	100%	पूर्ण
3.	31	810/0-816/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	217.41	25-09-2006	100%	100%	पूर्ण
4.	60	115-126 किमी. में सड़क गुणता सुधार और चौड़ीकरण	822.21	17-10-2006	25%	20%	9/2008
5.	35	26/0-38/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	391.08	10-11-2006	100%	100%	पूर्ण
6.	55	10.70 किमी. पर, 459 किमी. पर 11.800, 458 किमी. पर 11.85, 457 किमी. पर 11.9, 454 किमी. 12.4, 393 किमी. पर 20.4, 363 किमी. पर 23.85, 331 किमी. पर 27.20 और 191 किमी. पर 39.5 किमी. पर पुलिया का पुर्निर्माण (9)	303.68	29-12-2006	90%	68%	3/2008
7.	55	4/0 और 20/0 किमी. (6000 मी.) पर ड्रेन का निर्माण	31.31	09-01-2007	100%	100%	पूर्ण
8.	31	737 किमी. पर टूटे हुए आर.ओ.बी. डायवर्जन के बतौर पुरानी सड़क की मरम्मत	21.45	20-02-2007	80%	60%	3/2008
9.	31	756/0-760/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	110.47	01-03-2007	100%	100%	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	60	148/0-156/0 किमी. में दो लेन का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	1056.37	12-03-2007	5%	10%	1/2009	10% संग्रहण राशि दी गई
11.	60	215/221/0 किमी. में दो लेन का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	722.35	19-03-2007	2%	10%	10/2009	10% संग्रहण राशि दी गई
12.	60	127.370 किमी. में पुल का पुनर्निर्माण	98.75	23-03-2007	15%	0%	9/2008	
13.	60	185/533, 186/180, 186/550, 186/858 और 187/055 किमी. पर पुलिया	39.07	28-03-2007	40%	20%	3/2008	
14.	55	20-40 किमी. पर सड़क सुरक्षा कार्य और नाले	28.96	30-03-2007	100%	100%	पूर्ण	
15.	60	181/78 किमी. में छोटे पुलों का पुनर्निर्माण	171.60	30-03-2007	10%	0%	3/2009	
16.	55	20, 65, 79, 106, 109, 113, 116 और 128 (8) 45-65 किमी. से पुलिया	142.48	30-03-2007	100%	100%	पूर्ण	
17.	31	699/450 किमी. में छोटे पुल सोनाखाली का पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण	171.45	30-03-2007	10%	0%	5/2008	
18.	6	136/638 से 142/0 किमी. में सुदृढ़ीकरण	542.33	30-03-2007	25%	30%	8/2008	
19.	60	205/2-215/5 किमी. में दो लेन का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	1282.16	30-03-2007	5%	10%	3/2009	10% संग्रहण राशि दी गई
20.	55	0.00 से 4.00 किमी. में नई बिछाई गई मास्टिक आसफ़ाल्ट सतह पर सार्प पुलियाओं पर डेनिमीटर और दोनों किनारों पर रोड पेवमेंट मार्कर लगाना	28.00	30-03-2007	100%	100%	पूर्ण	
21.	117	72/8 से 75/0 और 88/0-95/0 किमी. में दो लेन का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	1350.87	30-03-2007	2%	10%	4/2009	10% संग्रहण राशि दी गई
22.	6	142/0 से 151/353 किमी. में सुदृढ़ीकरण	822.88	30-03-2007	40%	30%	10/2008	

23.	55	67/0-77/0 किमी. में दो लेन का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	990.40	30-03-2007	20%	10%	3/2009	10% संग्रहण राशि दी गई
			10100.16					
2005-06								
1.	55	3.10, किमी. पर 539 और 21.6 किमी. पर 382 और 36.60 किमी. पर 190 पुलियाओं का पुनर्निर्माण	106.04	08-07-2005	100%	100%	पूर्ण	
2.	55	24.4 किमी. में वैलिसाइड संकीर्ण खंडों का चौड़ीकरण	18.67	27-07-2005	100%	100%	पूर्ण	
3.	55	55 और 66 किमी. में ड्रेन सहित सड़क सुरक्षा कार्य	45.22	27-07-2005	100%	100%	पूर्ण	
4.	55	42.85 किमी. पर आर.सी.सी. पुलिया सं. 156 का पुनर्निर्माण	26.44	27-07-2005	100%	100%	पूर्ण	
5.	55	40/0 और 55/0 किमी. के बीच ड्रेनों के निर्माण सहित सड़क सुरक्षा कार्य	50.51	04-08-2005	100%	100%	पूर्ण	
6.	55	गयाबाड़ी (45/0-46/0) के भीड़भाड़ क्षेत्र में मास्टिक आसफाल्ट सरफेसिंग किया जाना	34.08	04-08-2005	0%	0%		उच्च निविदा प्रीमियम के कारण आज तक कार्य नहीं सौंपा गया
7.	55	51.85 किमी. पुलिया नं. 96 का पुनर्निर्माण	23.82	09-08-2005	100%	100%	पूर्ण	
8.	31सी	8/0-18/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	340.09	20-09-2005	100%	100%	पूर्ण	
9.	60	281.11-292.58 और 299.16-303 किमी. में सड़क गुणता सुधार (15.31 किमी.)	412.34	26-10-2005	100%	100%	पूर्ण	
10.	55	30.15 से 30.81 (660 मी.) के बीच दो लेनों के संकीर्ण खंडों को चौड़ा करना	135.75	15-12-2005	100%	100%	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	31	745/0-756/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	290.57	09-01-2006	100%	100%	पूर्ण	
12.	31	तोरसा नदी पर पुल निर्माण सहित रा.रा. 31 के फालकाता पुंडीबाड़ी खंड का पुर्नसंरेखण	6052.90	25-01-2006	पुल 80% सड़क 95%	93%	04/2008	
13.	117	78/2-88/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	308.12	24-02-2006	100%	60%	3/2008	
14.	117	66/0-72/8 किमी. में दो लेन का चौड़ीकरण और सड़क गुणता सुधार	679.83	24-02-2006	10%	5%	8/2008	
15.	117	56/0-66/0 किमी. में दो लेन का चौड़ीकरण और सड़क गुणता सुधार	637.72	24-02-2006	5%	5%	8/2008	
16.	60ए	5/875-6/20 किमी. (325 मी.) को ऊपर उठाना और 1600 मी. लंबाई में चुनिंदा खंडों में रिसेक्शनिंग सहित 0/0-6/2 किमी. में सड़क गुणता सुधार	221.88	06-03-2006	100%	80%		
			9383.98					
2004-05								
1.	55	रा.रा. 55 पर 20 किमी. और 40 किमी. के बीच (लंबाई=5550 मी. लंबाई) पारापेट दीवार (लंबाई= 3010 मी.) ड्रेन का निर्माण	47.39	07-10-2004	100%	100%	पूर्ण	
2.	60	रा.रा. 60 के 179.861 किमी. पर 4.000 मीटर आर.सी.सी. स्पैन स्लैब पुलियों का निर्माण	28.53	02-11-2004	100%	100%	पूर्ण	
3.	60	रा.रा. 60 पर 195.596, 200.081, 206.215 और 210.125 किमी. पर 4 आर.सी.सी. स्लैब पुलियों का निर्माण	28.91	04-11-2004	100%	100%	पूर्ण	

4.	31	699.450 किमी. पर क्षतिग्रस्त सोनाखली पुल के लिए डायवर्जन सड़क का निर्माण	25.60	22-11-2004	100%	100%	पूर्ण
5.	60	रा.रा. 60 पर 143.382, 143.680, 144.085 और 144.703 किमी. चार पुलियाओं का पुनर्निर्माण	41.18	11-11-2004	100%	100%	पूर्ण
6.	60	रा.रा. 60 पर 145.188, 151.942, 153.299 और 153.363 किमी. चार पुलियाओं का पुन-र्निर्माण	43.94	22-11-2004	100%	100%	पूर्ण
7.	55	रा.रा. 55 पर 420 किमी. के बीच ड्रेन (कुल लंबाई=3940 मी.) और पारापेट वाल (कुल लंबाई=5020 मी.) का निर्माण (एपी 2004-05)	51.94	22-11-2004	100%	100%	पूर्ण
8.	31	विद्यमान एकल लेन के कैरिजवे को दो लेन का बनाना और 733.00 से 742.00 किमी. में सड़क गुणता सुधार	473.44	01-04-2005	100%	100%	पूर्ण
9.	60	189.00 से 194.00 किमी. तक विद्यमान एकल लेन/मध्यम लेन के कैरिजवे को दो लेन का बनाना	370.75	05-01-2005	100%	100%	पूर्ण
10.	6	150.00 से 161, 166.00 से 168.00 और 178.0 से 180.0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	547.41	01-12-2005	100%	100%	पूर्ण
11.	32	70.524-90.00 किमी. में विद्यमान पेवमेंट का सुदृढीकरण	1217.83	17-01-2005	100%	100%	पूर्ण
12.	34	रा.रा. 34 के 408.00 से 423.00 किमी. में विद्यमान दो लेन के कैरिजवे में सड़क गुणता सुधार (एपी 2004-05)	386.23	10-02-2005	100%	100%	पूर्ण
13.	35	रा.रा. 35 के 38.00 से 51.00 किमी. में विद्यमान कैरिजवे का सड़क गुणता सुधार	342.88	21-02-2005	100%	100%	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	60	173.00 से 178.00 किमी. तक विद्यमान एकल लेन/मध्यम लेन को दो लेन का बनाना	271.53	22-02-2005	100%	100%	पूर्ण	
15.	35	58.213 किमी. पर पुराने हकोर पुल की मरम्मत	13.60	23-03-2005	100%	100%	पूर्ण	
16.	81	42-50 किमी. में विद्यमान कैरिजवे में सड़क गुणता सुधार	256.46	29-03-2005	100%	100%	पूर्ण	
17.	6	161-166 किमी. में विद्यमान कैरिजवे में सड़क गुणता सुधार	168.44	29-03-2005	100%	100%	पूर्ण	
18.	55	गिद्दा पहाड़ क्षेत्र में रा.रा. 55 की मरम्मत के लिए निवारक उपाय हेतु भौगोलिक सर्वेक्षण	5.60	31-03-2005	100%	100%	पूर्ण	
19.	60	195/0-202/5 और 203/2-205/2 किमी. तक विद्यमान कैरिजवे को दो लेन का बनाना और सड़क गुणता सुधार	618.19	31-03-2005	40%	30%	19-6-2008	
20.	55	12-38 किमी. में 4 आर.सी.सी. स्लैब पुलियाओं का पुनर्निर्माण	147.00	31-03-2005	100%	100%	पूर्ण	
21.	55	6-12 किमी. में 4 आर.सी.सी. स्लैब पुलियाओं का पुनर्निर्माण	135.46	31-03-2005	100%	100%	पूर्ण	
			5146.39					
(बी) बी.आर.ओ. को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग								
1.	31	सड़क गुणता सुधार कार्य	99.68	30-03-2007	100%	100%	पूर्ण	
2.	31	अतिरिक्त पेवमेंट कार्यों का प्रावधान	85.90	29-12-2005	93%	93%	31-03-2008	
			185.58					

(सी) एन.एच.ए.आई. को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग

1.	31	255.00 से 223.00 किमी. तक असम/प.बं. सीमा से गैरकाटा (डब्ल्यू.बी.-1) तक चार लेन बनाना	22182.00	जून-06	16%	21%	नवम्बर-08
2.	31	551.00 से 526.00 किमी. में सिलीगुडी से इस्लामपुर (डब्ल्यू.बी.-6) तक 4 लेन बनाना	15500.00	अप्रैल-06	51%	78%	अक्तूबर-08
3.	31	526.00 से 500.00 किमी. में सिलीगुडी से इस्लामपुर (डब्ल्यू.बी.-7) तक 4 लेन बनाना	22500.00	जनवरी-06	15%	17%	दिसम्बर-08
4.	34	डलखोला बाइपास का निर्माण	6700.00	सितंबर-06	14%	13%	अगस्त-08
			37682.00				

[हिन्दी]

बाघ अभयारण्यों में स्थित गांवों को पुनः बसाया जाना

1851. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाघ अभयारण्यों में स्थित गांवों को हटाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विस्थापित हो चुके और विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे गांवों को भी हटाया जा रहा है जो इन बाघ अभयारण्यों के भीतर स्थित नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) बाघ रिजर्वों के कोर क्षेत्र से गांवों का पुनर्स्थापन/पुनर्वास वर्ष 1973 में शुरू की गई बाघ परियोजना के समय से चल रहा है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में राज्यों द्वारा वन्यजीव अभयारण के रूप में घोषित क्षेत्र में अथवा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा राष्ट्रीय उद्यान/अभयारणों के रूप में घोषित करने के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अधिकारों के निपटान करने का प्रावधान है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों; जो बाघ रिजर्व का हिस्सा नहीं है, से गांवों का पुनःस्थापन करना शामिल है।

विवरण-I

बाघ रिजर्व और गैर-बाघ रिजर्व संरक्षित क्षेत्रों से पुनर्स्थापित गांवों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	पुनर्स्थापित गांवों की संख्या
1	2	3
1.	सिमलीपाल बाघ रिजर्व	3
2.	मेलघाट बाघ रिजर्व	3
3.	रणथंभौर बाघ रिजर्व	11
4.	सारिस्का बाघ रिजर्व	1
5.	पन्ना बाघ रिजर्व	3
6.	कान्हा बाघ रिजर्व	27
7.	भद्रा बाघ रिजर्व	12
8.	कार्बेट बाघ रिजर्व	3
9.	बक्सा बाघ रिजर्व	1
10.	नागार्जुनसागर-श्री सांईलम बाघ रिजर्व	1
11.	बान्दीपुर बाघ रिजर्व	3
12.	नागरहोल बाघ रिजर्व	12
	योग	80
13.	कूनो पालपुर	19
14.	माधव राष्ट्रीय पार्क	1
15.	चन्दका दमपारा	3
	कुल योग	23
	योग	103

विवरण-II

1. गांवों के पुनर्स्थापन/पुनर्वास प्रक्रिया को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं

(क) बाघ रिजर्वों के कोर अथवा महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास में गांव पाकेट का अभिनिर्धारण

(ख) ऐसे गांवों का सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण

(ग) ग्रामीणों के साथ चर्चा और ग्रामीणों के परामर्श से स्थान का चयन

(घ) भूमि और इसका विकास, सिंचाई सुविधा, भवन निर्माण, पेयजल, ग्राम सड़क, पशु तालाब लकड़ी के लिए वृक्ष, चरागाह विकास, घरेलू सामान ढोने के लिए परिवहन, स्कूल/सामुदायिक केन्द्र, आय अर्जन के लिए कार्य और लोगों के निजी प्रयोग के लिए लोगों द्वारा यथाअपेक्षित स्थल विशिष्ट कुछ अन्य के लिए पुनर्वास योजना तैयार करना

(ङ) पुनर्वास योजना प्रस्तुत करना और लोगों के साथ चर्चा।

(च) बाघ परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित सहायता से कार्यान्वयन/पुनर्वास (और साथ ही राज्य निर्धारण भी, यदि उपलब्ध हो।)

2. पुराने ग्राम पुनर्स्थापना/पुनर्वास पैकेज का विवरण जनजाति का लाभकारी विकास

1.	भूमि विकास (2 हैक्टेयर)	36,000/- रु.
2.	भवन निर्माण सामग्री, प्रति परिवार	36,000/- रु.
3.	घरेलू सामान परिवहन, प्रति परिवार	1,000/- रु.
4.	सामुदायिक सुविधा गणन, प्रति परिवार	9,000/- रु.
5.	काष्ठ और ईंधन रिजर्व प्रति परिवार	8,000/- रु.
6.	चरागाह और चारा खेती, प्रति परिवार	8,000/- रु.
7.	शिफ्टिंग के लिए नकद प्रोत्साहन	1,000/- रु.
8.	विविध कार्य	1,000/- रु.
	कुल	1,00,000/- रु.

3. बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत नए बढ़ाए गए ग्राम पुनर्स्थापना/पुनर्वास पैकेज का विवरण

विकल्प I-यदि परिवार विकल्प देगा तो परिवार को वन विभाग द्वारा शामिल किसी पुनर्वास/पुनर्स्थापना प्रक्रिया के बिना पूरी पैकेज राशि (10 लाख रुपये प्रति परिवार की दर) का भुगतान।

विकल्प II-वन विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्र/बाघ रिजर्व से गांवों का पुनर्स्थापना/पुनर्वास का कार्य करना।

(i) विकल्प I के मामले में संबंधित जिला के जिला मैजिस्ट्रेट को शामिल करके निगरानी प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि ग्रामवासी उन्हें उपलब्ध करवाई गई राशि के पैकेज से अपना पुनर्वास स्वयं कर लें।

(ii) विकल्प II में 10 लाख रुपये प्रति परिवार की दर पर निम्नलिखित पैकेज (प्रति परिवार) का प्रस्ताव है।

(क)	कृषि भूमि अर्जन (2 हैक्टेयर) और विकास	कुल पैकेज का 35%
(ख)	अधिकारों का निपटान	कुल पैकेज का 30%
(ग)	मकान के लिए जमीन और भवन निर्माण	कुल पैकेज का 20%
(घ)	प्रोत्साहन	कुल पैकेज का 5%

(ङ) परिवार द्वारा परिकलित सामुदायिक सुविधाएं (पहुंच सड़क, सिंचाई, पेयजल, शौचालय, बिजली, दूरसंचार, सामुदायिक केन्द्र, पूजास्थल, कब्रगाह/शवदाहगृह)	:	कुल पैकेज का 10%

(iii) पुनर्स्थापन कार्य की निगरानी/कार्यान्वयन निम्न दो समितियों द्वारा की जाएगी:

(राज्य स्तरीय निगरानी समिति)

राज्य का मुख्य सचिव	-	अध्यक्ष
संबंधित विभागों के सचिव	-	सदस्य
मुख्य वन्यजीव वार्डन	-	सदस्य सचिव

अन्य क्षेत्रों का अभिसार सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर कार्यान्वयन समिति

जिला कलैक्टर	अध्यक्ष
सी.ई.ओ.	सदस्य
पी.डब्ल्यू.डी., समाज कल्याण	सदस्य
जनजाति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, पावर और सिंचाई विभाग से प्रतिनिधि/अधिकारी बाघ रिजर्व का उप निदेशक/पी.ए.	सदस्य सचिव

(iv) उक्त लागत मानक राज्य/स्थल विशिष्ट स्थिति के लिए परिवर्तन की सुविधा स्वरूप में प्रदर्शक है।

(v) ग्रामों का पुनर्स्थापन जिला स्तर स्कीम के अभिसार के माध्यम से स्थानीय विकास के साथ ही साथ पारि-विकास के लिए प्राथमिक आधार पर किया जाएगा।

(vi) पुनर्स्थापन कार्य में शामिल श्रमोन्मुखी कार्यों का कार्यान्वयन उन्हीं ग्रामीणों के माध्यम से किया जाएगा जिनका पुनर्स्थापन किया जा रहा है, ताकि वे अपनी संतुष्टि के लिए फील्ड कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के अलावा उनसे लाभ प्राप्त कर सकें।

(vii) यदि पुनर्वास वन भूमि पर किया गया है तो नई बस्तियां ग्राम स्तर समिति और ग्राम सभाओं के माध्यम से अपने यथार्थ प्रयोग के लिए वन संसाधनों तक पहुंचने की पात्र होंगी।

(viii) जिला प्रशासन पुनर्स्थापना स्थलों के निकट उचित पर दुकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा।

(ix) पुनर्स्थापन के बाद "आश्रय" का केन्द्रीय सहायता और जिला स्तर निवेश के माध्यम से चल रहे पारि-विकासात्मक निवेश के साथ स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिसमें अन्तः शिकायत निवारण प्रणाली भी होनी चाहिए।

(x) पुनर्स्थापित गांवों के संरक्षित क्षेत्र से होने वाले जीविका विकल्प को प्राथमिकता दी जाएगी।

[अनुवाद]

एन.एच.ए.आई. द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

1852. श्री चंद्रकांत खैरे:

श्री एम. अप्पादुरई:

श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक विभिन्न राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा निर्मित राष्ट्रीय/एक्सप्रेस राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान इन राजमार्गों पर कितनी धनराशि खर्च की गई तथा कितना पथ कर वसूला गया;

(ग) खर्च तथा आय को बांटने में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों का हिस्सा कितने-कितने प्रतिशत है;

(घ) क्या सरकार ने कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर समाप्त करने का प्रस्ताव किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पथकर को ऐसे समाप्त करने से सरकार को होने वाले संभावित राजस्व घाटे का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों पर किए गए व्यय के परियोजना-वार, राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

संग्रहीत किए गए प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	वर्ष	प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) (करोड़ रु.)
1	2	3
1.	2004-05	452.59
2.	2005-06	798.34
3.	2006-07	1080.00
4.	2007-08 (फरवरी, 2008 तक)	1275.93

(ग) खर्च तथा आय के बांटने में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच व्यय और आय की कोई हिस्सेदारी नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर को समाप्त करने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों पर किए गए व्यय के परियोजनावार और राज्यवार ब्यौरे

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पूर्व निर्माण व्यय के समायोजन को दर्शाते हैं जो सामान्यतया एक पैकमेज के लिए वसूले जाते हैं और बाद में संपूर्ण खंड पर बांट दिए जाते हैं।

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 के दौरान (जन. '08 तक)	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश						
1.	चंपावती-श्रीकाकुलम (किमी. 49-किमी. 97) एपी-I	15.33	12.47	27.03	31.75	86.58
2.	श्रीकाकुलम-पलासा (किमी. 97-किमी. 171) एपी-II	75.10	25.94	2.31	0.41	103.76
3.	विशाखापत्तनम-चंपावती रिवर (किमी. 2.8-49) (एपी-III)	18.57	7.44	0.29	0.11	26.40
4.	कोरलम-पलासा (किमी. 171-200), पैकेज एपी-IVए	30.22	11.64	3.61	0.28	45.75
5.	इच्छापुरम-कोरलम (रा.रा. 5 पर किमी. 233-200) पैकेज एपी-IVबी	23.81	21.84	0.75	0.86	47.25
6.	विशाखापत्तनम-चंपावती (पुल खंड किमी. 49.97) एपी-V	(1.66)	1.50	-	-	(0.16)
7.	इच्छापुरम-चंपावती (पुल खंड किमी. 98-233) एपी-VI	13.44	7.46	0.04	0.85	21.79
8.	तुनी-अंकापल्ली किमी. 300-359 बी.ओ.टी. (ए)-III	75.79	1.70	0.19	0.21	77.88
9.	राजमुंदरी-धर्मावरम एपी-15 किमी. 200-254 बी.ओ.टी. (ए)-I	79.95	0.84	0.44	0.10	81.33
10.	धर्मावरम-तुनी एपी-16 किमी. 254.300 बी.ओ.टी. (ए)-II	87.16	0.99	0.33	0.09	88.57
11.	राजमुंदरी-इलूरू एपी-17 (गोथामी-राजमुंदरी) (किमी. 200-165)	29.45	5.29	3.70	0.90	39.34

12. राजमुंदरी-इलूरू एपी-18 (इलूरू-गोथामी) (किमी. 80-165)एपी-18	77.30	1.81	1.01	1.52	11.64
13. इलूरू-राजमुंदरी (पुल-II) एपी-19	10.13	0.28	-	0.01	10.41
14. इलूरू-राजमुंदरी (पुल-I) एपी-20	26.09	1.42	-	-	27.51
15. कवली-नेल्लोर (एपी-11) किमी. 222 से 178	30.83	7.32	0.61	0.26	39.02
16. कवली-ऑगोल (एपी-12) किमी. 291 से 222	104.51	36.25	20.23	-	160.99
17. ऑगोल-चिल्कालूरीपेट (एपी-13) किमी. 357.9 से 291	61.23	38.88	48.63	-	148.74
18. नेल्लोर बाइपास	10.78	0.06	-	54.05	64.89
19. स्वर्णिम चतुर्भुज पर टाडा-नेल्लोर (पैकेज-एपी-7 एंड 8)	48.87	1.35	0.93	-	51.15
20. चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा पैकेज I	6.76	-	-	-	6.76
21. चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा (पैकेज-II)	1.43	-	-	-	1.43
22. चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा, पैकेज-IV (कृष्णा पुल)	3.63	-	-	-	3.63
23. इलूरू के समीप (राजमुंदरी-विजयवाड़ा) (किमी. 75-80)	0.57	-	0.32	0.02	0.91
24. विजयवाड़ा-इलूरू (ए.डी.बी., पैकेज-V) (किमी. 3.4 से 75)	-	0.03	0.02	2.82	2.87
25. कलकल्लू-गुंडला पोचमपल्ली (रा.रा. 7 का किमी. 447-464.7) एनएस/8 (एपी)	0.19	(0.03)	0.01	-	0.17
26. थोंडापल्ली-फारुखनगर (रा.रा. 7 का किमी. 22.30 से किमी. 34.80) एन.एस./9 (एपी)	1.00	1.01	-	-	2.01
27. आंध्र प्रदेश रा.रा. 7 के किमी. 464-474 (गुंडला पोचमपल्ली-बामनपल्ली) व किमी., 9.40-22.30 (शिवरामपाली-थोंडापल्ली) को चार लेन का बनाना, एन.एस.-23/एपी	2.50	5.41	5.98	18.18	32.08
28. नंदीगांव-विजयवाड़ा (ए.डी.बी., पैकेज-IV)	0.33	0.06	0.02	-	0.41
29. नंदीगांव-इब्राहिमपुरम (रा.रा.-9 के किमी. 217-252)	11.39	0.37	0.48	0.01	12.25

1	2	3	4	5	6	7
30.	पत्तन संपर्क (विशाखापत्तनम पत्तन)	15.46	16.86	10.75	1.73	44.80
31.	अरमूर-अटलोर येल्लारेड्डी (एन.एस.-2/एपी-1)	-	1.67	27.82	-	29.49
32.	अरमूर-कलकल्लू गांव (एपी-2)	-	0.92	89.88	263.72	354.53
33.	फारुखनगर-कोट्टाकाटा (एपी-3) किमी. 34.100-80.000	-	1.87	55.92	163.03	220.83
34.	फारुखनगर-कोट्टाकाटा (एपी-4) किमी. 80.000-135.740	-	3.31	57.31	115.95	176.56
35.	कोट्टाकाटा-कुरनूल (एपी-5) किमी. 135.740-211.000	-	1.67	185.55	206.65	393.87
36.	महा/आं.प्र. सीमा से इस्लामनगर (एन.एस.-2/बी.ओ.टी./एपी-6) किमी. 175/0 से किमी. 230/0	-	-	-	29.83	29.83
37.	इस्लामनगर-कदतल (एन.एस.-2/बी.ओ.टी./एपी-7) किमी. 230.00 से किमी. 278.00	-	-	-	10.30	10.30
38.	कदतल से अरमूर (एन.एस.-2/बी.ओ.टी./एपी-8) किमी. 278/0 से किमी. 308/0	-	-	-	50.16	50.16
39.	कुरनूल-अनंतपुर (एपी-10) ए.डी.बी. किमी. 211.000-251.000-ए.डी.बी. क्षेत्र-II/सी-10	-	0.15	10.35	28.37	38.87
40.	अनंतपुर-ए.पी./कर्नाटक सीमा (एपी-11) ए.डी.बी. किमी. 251.000-293.40-ए.डी.बी. क्षेत्र-II/सी-11	-	0.16	14.73	31.29	46.18
41.	कुरनूल-अनंतपुर-(एन.एच.-7) किमी. 293.40-336.000 ए.डी.बी. क्षेत्र-II/सी-12	-	0.07	4.22	11.32	15.61
42.	आंध्र प्रदेश में अनंतपुर-एपी/कर्नाटक-(एन.एच.-7) किमी. 336.000-376.000-ए.डी.बी. क्षेत्र-II/सी-13	-	0.14	1.60	11.95	13.69
43.	आंध्र प्रदेश में अनंतपुर-एपी/कर्नाटक-(एन.एच.-7) किमी. 376.000-418.000-ए.डी.बी. क्षेत्र-II/सी-14	-	0.96	10.77	31.79	43.52

44. अनंतपुर-एपी/कर्नाटक (एन.एच.-7) किमी. 418.000-463.640- ए.डी.बी. क्षेत्र-II/सी-15	-	0.84	12.75	37.01	50.60
जोड़	**790.16**	**219.95**	**598.56**	**1,105.53**	**2,714.19**
असम					
1. गुवाहाटी बाइपास (किमी. 156-163.90 रा.रा.-37 असम में) पैकेज, ई.डब्ल्यू./7(ए.एस.)	0.03	(0.70)	-	0.66	(0.01)
2. गुवाहाटी बाइपास (किमी. 146-156.50 रा.रा. 37 असम में), पैकेज, ई.डब्ल्यू./14(ए.एस.)	10.00	(0.20)	-	-	9.80
3. सिलचर से उदरबंद (रा.रा.-54 का किमी. 275-309) ए.एस.-1	5.79	20.19	10.34	19.88	56.20
4. नागांव से धर्मतुल (रा.रा.-37 का किमी. 255-230) ए.एस.-2	-	2.80	7.03	-	9.83
5. सोनापुर से गुवाहाटी (रा.रा.-37 का किमी. 183-163.89) ए.एस.-3	-	10.96	54.05	13.94	78.95
6. गुवाहाटी-नलबारी (रा.रा.-31 का किमी. 1121-1093) ए.एस.-4	-	2.02	16.94	6.21	25.17
7. गुवाहाटी-नलबारी (रा.रा.-31 का किमी. 1093-1065) ए.एस.-5	-	0.18	13.90	14.72	28.80
8. नलबारी-बिजनी (रा.रा.-31 का किमी. 1065-1040.30) ए.एस.-6	-	3.82	18.45	17.99	40.26
9. नलबारी-बिजनी (रा.रा.-31 का किमी. 1040.30-1013) ए.एस.-7	-	0.77	9.02	5.67	15.45
10. नलबारी-बिजनी (रा.रा.-31 का किमी. 1013-983) ए.एस.-8	-	0.50	13.85	19.58	33.93
11. नलबारी-बिजनी (रा.रा.-31 का किमी. 983-961.50) ए.एस.-9	-	0.01	8.57	12.65	21.23
12. बिजनी-असम/प.बं. सीमा (रा.रा.-31सी का किमी. 93-60) ए.एस.-10	-	16.83	11.75	8.66	37.24
13. बिजनी-असम/प.बं. सीमा (रा.रा.-31सी का किमी. 60-30) ए.एस.-11	-	12.23	10.90	7.60	30.73

1	2	3	4	5	6	7
14.	बिजनी-असम/प.बं. सीमा (रा.रा.-31सी का किमी. 30-0) ए.एस.-12	-	11.42	12.83	15.76	40.01
15.	लूमडिंग-दबोका (रा.रा.-54 का किमी. 22-40) ए.एस.-15	-	-	3.88	-	3.88
16.	लंका-दबोका (रा.रा.-54 का किमी. 22-2.40) ए.एस.-16	-	0.66	19.58	-	20.25
17.	दबोका-नागांव (रा.रा.-36 का किमी., 36-5.50) ए.एस.-17	-	0.62	20.85	-	21.47
18.	नागांव बाइपास (रा.रा. 36 के किमी. 5.5 से रा.रा.-37 के किमी. 262.70 और रा.रा. 37 के किमी. 262.70-255) ए.एस.-18	-	14.73	43.56	16.73	75.02
19.	धर्मतुल-सोनापुर (रा.रा.-37 का किमी. 230.50-205) ए.एस.-19	-	0.23	31.65	-	31.88
20.	धर्मतुल-सोनापुर (रा.रा. 37 का किमी. 205-183) ए.एस.-20	-	-	9.25	11.09	20.34
21.	हरनगाजो-मैबंग (रा.रा.-54 का किमी., 178-244) ए.एस.-21	-	-	14.92	7.60	22.52
22.	हरनगाजो-मैबंग (रा.रा.-54 का किमी., 154-178) ए.एस.-22	-	-	18.63	1.52	20.15
23.	हरनगाजो-मैबंग (रा.रा.-54 का किमी. 140-154) ए.एस.-23	-	-	49.02	0.86	49.88
24.	मैबंग-लूमडिंग (रा.रा.-54 का किमी. 40-65) ए.एस.-24	-	-	12.76	-	12.76
25.	मैबंग-लूमडिंग (रा.रा.-54 का किमी. 65-90) ए.एस.-25	-	-	4.18	-	4.18
26.	मैबंग-लूमडिंग (रा.रा.-54 का किमी. 90-115) ए.एस.-26	-	-	13.13	-	13.13
27.	मैबंग-लूमडिंग (रा.रा.-54 का किमी. 115-140) ए.एस.-27	-	-	14.10	-	14.10
28.	ब्रह्मपुत्र पुल (किमी. 1121-1126 रा.रा.-31) ए.एस.-28	-	-	12.04	2.27	14.31
29.	गुवाहाटी बाइपास सर्विस रोड और फ्लाईओवर ई.डब्ल्यू./14ए (ए.एस.)	-	1.69	5.83	0.80	8.31
	जोड़	**15.82**	**98.77**	**460.97**	**184.19**	**759.75**

बिहार					
1. वाराणसी-मोहनिया (जी.टी.आर.आई.पी.-5) पैकेज IV-ए (बिहार-21/यू.पी.-55)	39.41	21.56	0.59	0.28	61.84
2. बिहार में मोहनिया-सासाराम (टी.एन.एच.पी.-5) पैकेज IV-बी	79.79	84.04	9.88	0.02	173.73
3. डेहरी ओन सोन-औरंगाबाद (टी.एन.एच.पी.-6) पैकेज IV-डी	75.69	53.34	0.30	1.25	130.58
4. औरंगाबाद-बरवाअड्डा (टी.एन.एच.पी.-7) पैकेज V-ए (औरंगाबाद-बाराचट्टी)	64.26	97.23	37.82	24.12	223.44
5. सासाराम-डेहरी ओन सोन (जी.टी.आर.आई.पी.-6) पैकेज IV-सी	55.02	62.80	26.58	21.30	165.70
6. बिहार में पूर्णिया-गयाकोटा (रा.रा.-31 के किमी. 410-419 व किमी. 470-476.15), पैकेज, ई.डब्ल्यू./4(बी.आर.)	11.72	17.11	1.68	6.57	37.08
7. औरंगाबाद-बरवाअड्डा (जी.टी.आर.आई.पी.-7) (V-बी) (बाराचट्टी-गोरहर) (बिहार-10/झार.-70)	12.16	23.73	8.68	2.39	46.96
8. पूर्णिया-गयाकोटा (बिहार में रा.रा. 31 के किमी. 419-447), पैकेज ई.डब्ल्यू./12(बी.आर.)	8.93	25.29	43.72	41.69	119.63
9. पूर्णिया-फारबिसगंज (बी.आर.-1)	-	14.09	83.67	25.72	123.48
10. पूर्णिया-फारबिसगंज (बी.आर.-2)	-	15.90	68.19	36.11	120.20
11. फारबिसगंज-सीमराही (बी.आर.-3)	-	-	50.71	17.48	68.19
12. सिमराही-रिंग बंद (बी.आर.-4)	-	-	13.46	23.91	37.3
13. बिहार में रा.रा. 57 पर कोसी पुल व पहुंच मार्ग (किमी. 165.00 से 155.00) (बी.आर.-5)	-	-	0.26	83.31	83.57
14. रिंग बंद-झंझारपुर (बी.आर.-6)	-	19.17	0.26	104.74	124.17
15. झंझारपुर-दरभंगा (बी.आर.-7)	-	-	0.26	73.32	73.58
16. दरभंगा-मुजफ्फरपुर (बी.आर.-8)	-	1.68	0.26	112.95	114.88

1	2	3	4	5	6	7
17.	दरभंगा-मुजफ्फरपुर (बी.आर.-9)	-	16.15	44.34	45.25	105.74
18.	यू.पी./बिहार सीमा-देवापुर (बिहार में रा.रा. 28 पर किमी. 360.91 से 402) पैकेज-IX	-	16.38	41.57	42.94	100.89
19.	देवापुर-कोटवा (बिहार में रा.रा. 28 पर किमी. 402 से 440) पैकेज-X	-	14.99	27.80	9.67	52.46
20.	कोटवा-मेहसी (बिहार में रा.रा. 28 पर किमी. 440 से 480) पैकेज-XI	-	18.73	35.15	3.06	56.94
21.	मेहसी-मुजरफ्फरपुर (बिहार में रा.रा. 28 पर किमी. 480-520) पैकेज-XII	-	16.71	32.19	10.86	59.76
22.	बिहार में रा.रा. 28 पर किमी. 360.57-520 के लिए डी.पी.आर.	4.91	37.58	3.80	-	46.29
	जोड़	**351.90**	**556.48**	**531.14**	**686.93**	**2,126.47**
छत्तीसगढ़						
1.	राजपुर-औरंग	-	-	10.00	86.24	96.24
	जोड़	-	-	**10.00**	**86.24**	**96.24**
साझा						
1.	उ.द.पू.प. प्राथमिकता निर्धारण (नागपुर-कन्याकुमारी)	10.23	2.92	-	-	13.15
2.	उ.द.पू.प. प्राथमिकता निर्धारण (श्रीनगर-नागपुर)	4.85	2.61	-	1.72	9.18
3.	उ.द.पू.प. प्राथमिकता निर्धारण (लखनऊ-सिलचर)	6.47	5.18	-	-	11.65
4.	उ.द.पू.प. प्राथमिकता निर्धारण (पोरबंदर-लखनऊ)	4.04	1.71	-	-	5.75
5.	एन.एच.डी.पी. चरण-III-बी.ओ.टी. परियोजनाओं के लिए डी.पी.आर. तथा अन्य पूर्व निर्माण अध्ययन	3.35	7.94	-	-	11.29
	जोड़	**28.94**	**20.36**	-	**1.72**	**51.02**
दिल्ली						
1.	दिल्ली-गुड़गांव (पहुंच नियंत्रित 8/6 लेन) (दिल्ली-9/हरियाणा-18)	55.03	51.01	8.05	65.18	179.28

2. मुकरबा चौक-माल रोड (रा.रा.-1 का किमी. 8.20-16.20) एन.एस.-3/ डी.एल.	12.98	14.35	4.70	0.16	32.19
3. (दिल्ली में रा.रा. 1 के किमी. 16.500 से 29.295) में 8 लेन बनाना, एन.एस./18(डी.एल.)	7.47	7.38	22.20	16.85	53.90
जोड़	**75.48**	**72.75**	**34.95**	**82.19**	**265.37**
गोवा					
1. पत्तन संपर्क (मुरगांव पत्तन)	-	25.52	-	-	25.52
जोड़	-	**25.52**	-	-	**25.52**
गुजरात					
1. पिंडवाड़ा-पालनपुर (रा.रा. 14 का किमी. 264.00-340.00) (गुज.-34/राज.-42)	-	3.91	15.30	14.41	33.62
2. सूरत-मनोर (निर्माण के दौरान) (गुज.-118/महा.-57.4)	-	33.60	-	-	33.60
3. उदयपुर-रतनपुर-चिलोडा (रतनपुर-हिम्मतनगर) किमी. 388.4-किमी. 443 यू.जी.-III	3.63	-	1.80	-	5.43
4. उदयपुर-रतनपुर-चिलोडा (हिम्मतनगर-चिलोडा/गांधीनगर) (किमी. 443-495) यू.जी.-IV	73.14	46.38	11.53	-	131.05
5. अहमदाबाद-वदोदरा एक्सप्रेसवे-I	8.04	-	-	-	8.04
6. अहमदाबाद-वदोदरा एक्सप्रेसवे-II	37.82	16.50	0.02	-	54.35
7. सूरत-मनोर पैकेज-I	55.42	62.42	-	-	117.84
8. सूरत-मनोर पैकेज-II	28.88	13.41	1.08	-	43.37
9. गुजरात में रा.रा. 14 पर पालनपुर के समीप अबू रोड-डीसा (किमी. 340-350), पैकेज-ई.डब्ल्यू./1 (जी.जे.)	1.69	-	-	-	1.69
10. गोंडल से रिबडा (रा.रा. 8बी का किमी. 143-160) ई.डब्ल्यू./10 (जी.जे.)	0.15	-	-	-	0.15

1	2	3	4	5	6	7
11.	गुजरात में रा.रा. 14 पर किमी. 350-372.70 (पालनपुर के समीप) पैकेज-ई.डब्ल्यू./11 (जी.जे.)	0.00	-	-	-	0.00
12.	समख्याली-गांधीधाम पैकेज I (जी.जे.)	1.83	-	-	-	1.83
13.	समख्याली-गांधीधाम पैकेज II (जी.जे.)	1.12	-	-	-	1.12
14.	समख्याली-गांधीधाम पैकेज III (जी.जे.)	1.07	-	-	-	1.07
15.	गुजरात में रा.रा. 8बी पर गोंडल-जैतपुर (किमी. 117-143.3) व राजकोट बाइपास (किमी. 175-185) पैकेज-VII	5.01	5.21	21.43	293.18	324.83
16.	रा.रा.-8बी के भिलाडी से पोरबंदर (किमी. 52.5-2), पैकेज-I	14.14	88.16	90.78	45.26	238.34
17.	रा.रा.-8बी के जैतपुर से भिलाडी (किमी. 117-52.5), पैकेज-II	4.14	35.89	76.93	143.42	260.38
18.	रा.रा.-8ए के गारामोर-बामनबोर (किमी. 254-182.60), पैकेज-III	20.60	86.58	63.94	73.15	244.27
19.	गारामोर-गागोधर (रा.रा.-8ए का किमी. 254-308) व (किमी. 281.30-245 रा.रा.-15), पैकेज-IV	18.14	125.85	62.35	58.35	264.69
20.	राधनपुर से गागोधर, (रा.रा. 15 का किमी. 138.80-245), पैकेज-V	14.29	110.22	99.88	91.73	316.12
21.	राधनपुर-डीसा (रा.रा. 14 का किमी. 458-372.60), पैकेज-VI	16.66	113.84	102.22	105.70	338.43
22.	वदोदरा से भरुच खंड को 6 लेन का बनाना (रा.रा.-8 का किमी. 108/700 से 192/000) पैकेज-I	-	-	-	179.17	179.17
23.	भरुच से सूरत खंड को 6 लेन बनाना (रा.रा.-8 का किमी. 198/000 से 263.400) पैकेज-II	-	-	-	204.39	204.39
	जोड़	**305.76**	**741.99**	**547.27**	**1,208.76**	**2,803.77**
हरियाणा						
1.	गुड़गांव कोटपुतली (ए.डी.बी. पैकेज-I) (हरि.-55/राज.-71)	0.01	-	-	0.19	0.20

2. दिल्ली-गुड़गांव (पहुंच नियंत्रित 8/6 लेन) (दिल्ली-9/हरि.-18)	102.12	94.66	14.95	120.96	332.68
3. हरियाणा में रा.रा. 1 के दिल्ली सीमा-समालखा (किमी. 29.30-44.30) पैकेज-एन.एस./2 (एच.आर.)	0.26	-	-	-	0.26
4. पंछी गुजरात-कामसपुर में छः लेन बनाना (रा.रा. 1 का किमी. 44.300 से 66) एन.एस./17 (एच.आर.)	10.00	1.05	12.41	16.09	39.55
5. रा.रा. 10 पर दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक	-	-	-	3.73	3.73
6. जीरकपुर-परवानू (रा.रा.-22) (पंजा.-2/हरि.-20/एच.पी. 6.69)	-	-	-	4.18	4.18
7. पानीपत उत्थापित राजमार्ग परियोजना (रा.रा. 1 पर किमी. 86-96)	-	-	34.59	260.71	295.30
8. पानीपत-पंछी गुजरान (रा.रा. 1 पर किमी. 66.00 से 86.00) एन.एस.-89/एच.आर.	-	2.16	5.27	14.51	21.94
जोड़	**112.39**	**97.87**	**67.22**	**420.36**	**697.84**
हिमाचल प्रदेश					
1. जीरकपुर-परवानू (एन.एच.-22) पंजा.-2/हरि.-20/एच.पी. 6.69)	-	-	-	1.40	1.40
जोड़	-	-	-	**1.40**	**1.40**
जम्मू और कश्मीर					
1. जम्मू-पठानकोट (जे एंड के में रा.रा. 1 का किमी. 80-97.20) पैकेज-एन.एस./15/जे एंड के	12.36	47.52	13.48	12.27	85.64
2. जे एंड के में रा.रा. 1 का श्रीनगर बाइपास, (एन.एसे.-30/जे एंड के	8.44	24.58	38.85	19.68	91.55
3. जम्मू-कुंजवानी (जम्मू बाइपास) (एन.एस.-33/जे एंड के)	–	5.38	34.73	–	40.11
4. एन.एस.-88/जे एंड के (किमी. 256 से किमी. 286)	-	-	-	136.49	136.49
5. एन.एस.-92/जे एंड के (किमी. 220 से किमी. 286)	-	-	-	56.32	56.32
6. एन.एस.-96/जे एंड के (किमी. 130 से किमी. 151)	-	-	-	7.34	7.34

1	2	3	4	5	6	7
7.	एन.एस.-97/जे एंड के (किमी. 67 से किमी. 39)	-	-	-	34.76	34.76
8.	एन.एस.-100/जे एंड के (जम्मू से उधमपुर)	-	-	-	0.99	0.99
9.	विजयपुर-पठानकोट (एन.एस.-34/जे एंड के)	-	8.22	29.69	16.20	54.11
10.	विजयपुर-पठानकोट (एन.एस.-35/जे एंड के)	-	8.72	20.50	13.64	42.86
11.	पठानकोट-जे एंड के सीमा (एन.एस.-36/जे एंड के)	-	23.49	17.29	17.18	57.95
	जोड़	**20.81**	**117.91**	**154.54**	**314.87**	**608.12**
झारखंड						
1.	औरंगाबाद-बरवाअड्डा (टी.एन.एच.पी.-8) (गोरहर-बरवाअड्डा) पैकेज पी-सी (किमी. 320-398.75)	84.55	44.00	5.50	27.65	161.71
2.	औरंगाबाद-बरवाअड्डा (जी.टी.आर.आई.पी.-7) (वी-बी) (बाराघट्टी-गोरहर) (बिहार-10/झार.-70)	85.13	166.13	60.78	16.70	328.74
3.	बरवाअड्डा-बाराकड (ए.डी.बी. पैकेज-III)	(0.00)	-	0.89	-	0.89
	जोड़	**169.6**	**210.13**	**67.18**	**44.35**	**491.34**
कर्नाटक						
1.	तुमकुर बाइपास	26.96	5.51	3.21	1.60	37.28
2.	नीलमंगला-तुमकुर (बी.ओ.टी.)	26.61	3.70	0.13	0.29	30.73
3.	बेलगांव बाइपास	22.05	27.01	11.15	2.16	62.36
4.	बेलगांव-महाराष्ट्र सीमा (पैकेज-IV)	88.72	147.89	1.17	-	237.77
5.	धारवाड-बेलगांव (के.टी.) एन.एच. 4 पैकेज-III	79.51	70.42	26.38	5.72	182.04
6.	हुबली-हावेरी	32.99	64.35	53.01	33.59	183.94
7.	तुमकुर-हावेरी (तुमकुर-सीरा) पैकेज-I	73.35	5.12	0.38	0.13	78.99

8. तुमकुर-हावेरी (सीरा-चित्रदुर्ग) पैकेज-II	77.10	57.98	31.54	60.95	227.56
9. तुमकुर-हावेरी (चित्रदुर्ग खंड) पैकेज-III	18.82	3.97	1.00	13.01	36.80
10. तुमकुर-हावेरी (चित्रदुर्ग-हरिहर) पैकेज-IV	48.42	63.50	24.98	2.54	139.44
11. तुमकुर-हावेरी (दावेनगेरे-हावेरी) पैकेज-V	48.38	45.24	19.57	1.75	114.94
12. हैदराबाद-बंगलौर (कर्नाटक में रा.रा. 7 के किमी. 524-527 व किमी. 535-539), (पैकेज-एन.एस./10 (के.एन.टी.)	0.01	0.68	(0.16)	13.22	13.75
13. हैदराबाद-बंगलौर (कर्नाटक में रा.रा. 7 के किमी. 556-539 व किमी. 535-527) पैकेज-एन.एस./24 (के.एन.)	40.70	21.97	23.77	6.38	92.81
14. पत्तन संपर्क पैकेज-V (नव मंगलूर)	2.46	4.72	7.82	19.66	34.66
15. ए.पी./कर्नाटक सीमा-नंदी हिल क्रासिंग व देवनहल्ली से मीनूकुंटे गांव (कर्नाटक में रा.रा. 7 के किमी. 463.60-527 व किमी. 535-539) (अवाथी गांव) (के.एन.टी.-1)	0.09	0.22	0.29	107.90	108.50
16. रा.रा. 4 पर बंगलौर-होसकोटे-मुदबागल खंड किमी. 237.700 से किमी. 318.000	-	-	0.57	29.81	30.38
17. रा.रा. 4 पर बंगलौर-नीलमंगला (किमी. 10/00 से किमी. 29/50)	-	-	-	35.29	35.29
18. रा.रा. 48 पर नीलमंगला-हसन (पैकेज-I) किमी. 28/200 से किमी-110/000	-	-	0.51	0.31	0.81
19. रा.रा. 48 पर नीलमंगला-हसन (पैकेज-II) किमी. 110/000 से किमी. 191/200	-	-	0.70	0.10	0.80
20. रा.रा. 7 के बंगलौर-होसूर खंड को 6 लेन का बनाना (किमी. 18.750 से किमी. 33.130)	-	-	-	21.45	21.45
21. बंगलौर उत्थापित राजमार्ग सिल्क बोर्ड से इलेक्ट्रानिक सिटी (रा.रा. 7 पर किमी. 8.765-18.75)	-	2.53	209.47	282.80	49480
जोड़	**586.17**	**524.80**	**415.49**	**638.65**	**2,165.11**

1	2	3	4	5	6	7
केरल						
1.	केरल में अलुवा से अंगमाली (रा.रा.-47 के किमी. 332.60 से किमी. 316), एन.एस./28 (के.एल.)	8.26	2.32	0.11	0.16	10.85
2.	पत्तन संपर्क पैकेज-IV (कोचीन)	22.02	14.42	1.61	-	38.05
3.	रा.रा. 47 पर केरल में केरल सीमा से त्रिसूर (किमी. 182 से 270)	0.14	0.49	0.29	0.08	1.00
4.	त्रिसूर-अंगमाली (रा.रा.-47 का किमी. 270-316.70) के.एल.-1	1.03	6.81	7.81	91.87	107.53
5.	रा.रा. (पत्तन) संपर्क से आई.सी.टी.टी. वल्लारपदम	-	-	-	16.47	16.47
	जोड़	**31.45**	**24.05**	**9.82**	**108.58**	**173.90**
मध्य प्रदेश						
1.	मध्य प्रदेश में रा.रा. 3 का आगरा-ग्वालियर (किमी. 60-70), पैकेज- एन.एस./6(एम.पी.)	-	-	0.17	-	0.17
2.	आगरा-ग्वालियर (मध्य प्रदेश में रा.रा. 3 का किमी. 70-85) पैकेज-एन.एस./20(एम.पी.)	0.39	0.24	-	-	0.63
3.	आगरा-ग्वालियर (मध्य प्रदेश में रा.रा. 3 का किमी. 85-103) पैकेज-एन.एस./21 (एम.पी.)	0.20	0.69	-	-	0.90
4.	मध्य प्रदेश में ललितपुर-सागर (रा.रा. 3 का किमी. 132-187)/ ए.डी.बी. सी-II ए/4	-	-	41.64	8.57	50.21
5.	मध्य प्रदेश में ललितपुर-सागर (रा.रा. 26 का किमी., 187-211)/ ए.डी.बी. सी-II ए/5	-	-	26.86	-	26.86
6.	मध्य प्रदेश में ललितपुर-सागर-राजमार्ग चौराहा (रा.रा. 26 का किमी. 211-255)/ए.डी.बी. सी-II ए/6	-	1.93	27.77	-	29.70

7. मध्य प्रदेश में ललितपुर-सागर-राजमार्ग चौराहा (रा.रा.-26 का किमी. 255-297)/ए.डी.बी. सी-II ए/7	-	-	16.05	35.74	51.79
8. मध्य प्रदेश में राजमार्ग चौराहा-लखंडन (रा.रा.-26 का किमी. 297-351)/ए.डी.बी. सी-II ए/8	-	-	11.00	10.15	21.15
9. मध्य प्रदेश में राजमार्ग चौराहा-लखंडन (रा.रा.-26 का किमी. 351-405.70)/ए.डी.बी. सी-II ए/9	-	-	10.21	-	10.21
10. मध्य प्रदेश में लखंडन-एम.पी./महा. सीमा (रा.रा. 7 का किमी. 544-652) सी-II/सी-2	-	0.41	4.03	-	4.44
11. मध्य प्रदेश में लखंडन-एम.पी./महा. सीमा (रा.रा. 7 का किमी. 547.4-596.75) एन.एस.-1/बी.ओ.टी./एम.पी.-2	-	-	-	68.84	68.84
12. मध्य प्रदेश में लखंडन-एम.पी./महा. सीमा (रा.रा.-7 का किमी. 596.75-653.225) एन.एस.-1/बी.ओ.टी./एम.पी.-3	-	-	-	15.99	15.99
13. शिवपुरी बाइपास-एम.पी./राज. सीमा (एम.पी.-1)	-	87.83	101.40	67.48	256.71
14. झांसी-शिवपुरी (एम.पी.-2)	-	19.92	40.68	52.91	113.50
15. गुना बाइपास (रा.रा. 3 पर किमी. 319.700- किमी. 332.100)	-	-	52.50	14.50	67.00
16. इंदौर-खालघाट (रा.रा. 3 के किमी. 12.600-किमी. 84.700)	-	-	71.80	171.97	243.77
17. एन.एस.-1/बी.ओ.टी./एम.पी./यू.पी./ग्वालियर-झांसी (रा.रा.-75 का किमी. 16-किमी. 96.127) (एम.पी.-68.5/यू.पी.-11.5)	-	-	3.63	68.26	71.89
18. झांसी-शिवपुरी (यू.पी./एम.पी.-1) (एम.पी.-30/यू.पी.-11)	-	12.98	24.06	27.07	64.11
19. मध्य प्रदेश में ललितपुर-सागर (रा.रा.-26 का किमी. 94-132) ए.डी.बी. सी-II ए/3 (एम.पी.-66/यू.पी.-40)	0.02	0.37	6.44	-	6.84
20. मध्य प्रदेश में रा.रा. 86 विस्तार के सिरोह-देवास खंड का उन्नयन	6.96	-	2.97	-	9.93
जोड़	**7.58**	**124.36**	**441.22**	**541.48**	**1,114.63**

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र						
1.	सूरत-मनोर पैकेज-III	13.85	(3.52)	0.38	-	10.71
2.	सूरत-मनोर (निर्माण के दौरान) (गुज. 118.2/महा.-57.4)	-	16.32	-	-	16.32
3.	पश्चिमी डायवर्जन (पुणे बाइपास)	-	(7.01)	1.95	1.86	(3.20)
4.	पुणे-सतारा (वाथर-सतारा) किमी. 760-किमी. 725 (पी.एस.-1)	8.43	5.79	2.89	1.60	18.71
5.	पुणे-सतारा (सरोला-वाथर) किमी. 760-किमी. 797 (पी.एस.-2)	6.02	(1.19)	3.51	-	8.34
6.	पुणे-सतारा (कटराज-सरोल) किमी. 797-किमी. 825.5 (पी.एस.-3)	17.72	5.46	22.61	8.14	53.93
7.	पुणे-सतारा (कटराज-बाइपास), कटराज पुनर्संरेखण (पी.एस.-4)	80.93	24.57	31.68	3.84	141.02
8.	सतारा-कर्नाटक सीमा (कागल)	167.18	20.09	1.81	0.21	189.29
9.	चिंचगुवन-बुटीबोरी-बोरखेडी (रा.रा.-7 के किमी. 9.20-22.85 व किमी. 24.65-36.60) पैकेज-एन.एस./7 (एम.एच.)	-	1.49	-	-	1.49
10.	बोरखेडी-जाम (रा.रा.-7 का किमी. 36.60 से किमी. 64) एन.एस./22/एम.एच.	0.11	7.59	1.71	35.23	44.64
11.	महाराष्ट्र में अमरावती बाइपास	(0.00)	0.02	0.15	-	0.17
12.	पत्तन संपर्क जे.एन.पी.टी. पैकेज-I	49.08	24.35	7.99	-	81.42
13.	पत्तन संपर्क जे.एन.पी.टी. पैकेज-II	13.02	65.32	34.20	7.73	120.27
14.	बुटीबोरी आर.ओ.बी. किमी. 22.850 से 24.650 (एन.एस./29)	-	6.22	7.70	1.29	15.21
15.	महाराष्ट्र में एम.पी./महा. सीमा-मानेसर (रा.रा. 7 का किमी. 652-689) सी-II/सी-3	-	0.11	0.01	-	0.12
16.	काम्पटी कानून बाइपास सहित मानेसर-नागपुर (रा.रा. 7 का किमी. 689-723) सी-II/सी-4	-	0.18	0.03	0.11	0.32

17. नागपुर बाइपास	-	-	0.10	0.37	0.47
18. नागपुर-हैदराबाद (रा.रा.-7 का किमी. 64-94) एन.एस.-59/एम.एच.	-	7.27	13.14	14.02	34.43
19. नागपुर-हैदराबाद (रा.रा.-7 का किमी. 94-123) एन.एस.-60/एम.एच	-	7.58	3.73	7.90	19.21
20. नागपुर-हैदराबाद (रा.रा.-7 का किमी. 123-153) एन.एस.-61/एम.एच	-	6.18	20.72	14.21	41.11
21. नागपुर-हैदराबाद (रा.रा.-7 का किमी. 153-175) एन.एस.-62/एम.एच	-	-	9.78	5.88	15.66
22. वडापे-गोंडे-	-	-	150.00	190.00	340.00
23. पिंपलगांव-धुले	-	-	160.00	235.00	395.00
24. कोंधाली-तेलेगांव	-	-	55.00	213.77	268.77
25. छत्तीसगढ/महाराष्ट्र सीमा-वेनगंगा पुल	-	-	-	33.03	33.03
26. नागपुर-कोंधाली	-	-	3.00	126.14	129.14
जोड़	**356.34**	**186.82**	**532.09**	**900.33**	**1,975.57**
उड़ीसा					
1. पुल बालोसोर-खड्गपुर ओ.आर.-डब्ल्यू. बी-I	8.94	13.95	4.15	0.16	27.19
2. भुवनेश्वर-खुर्दा ओ.आर.-I	9.90	18.94	15.05	6.66	50.55
3. चंडीखोल-भद्रक ओ.आर.-II	83.26	19.19	2.02	1.65	106.12
4. भद्रक-बालोसोर ओ.आर.-III	29.16	33.71	21.36	9.75	93.98
5. बालोसोर-लक्ष्मणनाथ ओ.आर.-IV	36.91	57.14	28.11	12.27	134.44
6. चंडीखोल-बालोसोर (पुल) ओ.आर.-V	19.52	26.76	13.89	7.18	67.34
7. सुनखला-खुर्दा ओ.आर.-VI किमी. 338-388	36.72	34.26	4.46	2.34	77.78
8. गंजम-सुनखला ओ.आर.-VII किमी. 284-338	12.44	48.77	3.30	4.06	68.56
9. इच्छापुरम-गंजम ओ.आर.-VIII किमी. 233-284	3.40	1.96	24.88	8.23	38.47

1	2	3	4	5	6	7
10.	जगतपुर-चंडीखोल (आई.डी.पी.-100)	0.22	-	-	1.73	1.95
11.	पत्तन संपर्क पैकेज-VI (पारादीप पत्तन)	56.35	107.71	88.98	85.15	338.19
	जोड़	**296.82**	**362.37**	**206.20**	**139.18**	**1,004.57**
अन्य						
1.	सड़क अनुरक्षण और महामार्ग प्रबंधन संबंधी अध्ययन और परामर्शी	1.98	-	-	-	1.98
2.	परामर्शी-संस्थागत सुदृढ़ीकरण, सड़क सुरक्षा और नीतिगत अध्ययन	0.37	-	-	-	0.37
3.	परामर्शी-सुरक्षा लेखापरीक्षा, नीतिगत अध्ययन और गुणता लेखापरीक्षा	0.89	-	-	-	0.89
	जोड़	**3.24**	**-**	**-**	**-**	**3.24**
पंजाब						
1.	पंजाब में रा.रा. 1 का जालंधर बाइपास (किमी. 372.70-387.10), पैकेज-एन.एस./1(पी.बी.)	1.45	-	-	0.03	1.48
2.	जालंधर-पठानकोट (पंजाब में रा.रा. 1 का किमी. 4.23-26), पैकेज-एन.एस./16 (पी.बी.)	11.09	4.23	3.41	0.18	18.91
3.	पठानकोट-भोगपुर (एन.एस.-37/पी.बी.)	-	21.63	66.24	24.91	112.78
4.	पठानकोट-भोगपुर (एन.एस.-38/पी.बी.)	-	16.60	32.36	9.53	58.49
5.	अंबाला-चंडीगढ़ (जीरकपुर)	-	-	112.00	251.46	363.46
6.	जालंधर-अमृतसर	-	-	55.00	79.00	134.00
7.	जीरकपुर-परवानू (एन.एच.22) (पंजा.-2/हरि.-20/एच.पी.-6.69)	-	-	-	0.42	0.42
8.	कुराली-कीरतपुर	-	-	-	36.05	36.05
	जोड़	**12.54**	**42.45**	**269.01**	**401.58**	**725.58**

राजस्थान

1. उ.प्र. और राजस्थान में (किमी. 24-41) को 4 लेन बनाना, पैकेज -एन.एस./19 (यू.पी./आर.जे.) (राज.-10/यू.पी.-7)	0.60	-	1.72	-	2.32
2. पिंडवाड़ा-पालनपुर (रा.रा. 14 का किमी. 264.00-340.00) (गुज.-34/ राज.-42)	-	484	18.90	17.80	41.53
3. गुड़गांव कोटपुतली (ए.डी.बी. पैकेज-I) (हरि.-55/राज.-71)	0.01	-	-	0.24	0.25
4. जैतपुर-किशनगढ़	334.90	(12.02)	10.34	-	333.22
5. किशनगढ़ आर.ओ.बी.	-	-	0.61	-	0.61
6. जैतपुर बाइपास (चरण-I) जोन-सी	(0.00)	0.00	-	-	0.00
7. जयपुर बाइपास, चरण-II, जोन-डी (आर.एस.आर.डी.सी.सी. को भुगतान और पथकर प्लाजा के निर्माण सहित)	32.60	11.49	7.55	-	51.64
8. किशनगढ़-नसीराबाद (के.यू.-I)	6.28	0.57	(0.09)	0.24	7.00
9. नसीराबाद-गुलाबपुरा (के.यू.-II)	9.95	1.33	0.51	0.32	12.11
10. गुलाबपुरा-भीलवाड़ा बाइपास (के.यू.-III)	27.26	7.15	0.86	1.19	36.46
11. भीलवाड़ा बाइपास से चित्तौड़गढ़ (के.यू.-IV)	16.43	2.35	0.08	0.66	19.52
12. किशनगढ़-उदयपुर (चित्तौड़गढ़-मांगलवाड़) पैकेज (के.यू.-V)	0.02	8.82	2.89	-	11.73
13. किशनगढ़-उदयपुर (मांगलवाड़-उदयपुर) किमी. 172-किमी. 113.825 पैकेज (के.यू.-VI)	37.29	13.44	0.36	0.21	51.31
14. चित्तौड़गढ़ बाइपास	7.39	46.74	55.59	51.48	161.20
15. रा.रा.-8 का उदयपुर-रतनपुर-चिलोड़ा (उदयपुर-केसरियाजी) किमी. 278 किमी. 340 यू.जी.-II	11.51	0.50	7.15	0.03	19.19
16. उदयपुर-रतनपुर-चिलोड़ा (केसरियाजी-रतनपुर) किमी. 340-किमी. 388.4 यू.जी.-II	37.99	2.33	0.05	0.03	40.39

1	2	3	4	5	6	7
17.	राजस्थान में रा.रा. 3 का आगरा-धौलपुर (किमी. 41-51), पैकेज-एन.एस./5 (आर.जे.)	0.00	-	-	-	0.00
18.	पिंडवाड़ा-बकारिया (आर.जे.-1)	-	18.85	63.66	45.44	127.95
19.	बकारिया-गोगुंडा (आर.जे.-2)	-	56.89	138.65	92.36	287.90
20.	गोगुंडा-उदयपुर (आर.जे.-3)	-	15.65	104.75	84.62	205.02
21.	कोटा बाइपास (आर.जे.-4)	-	3.70	14.88	20.90	39.48
22.	चंबल पुल (आर.जे.-5)	-	-	4.53	29.21	33.74
23.	चित्तौड़गढ़ बाइपास (आर.जे.-6)	-	24.55	91.52	87.92	203.99
24.	कोटा-चित्तौड़गढ़ (आर.जे.-7)	-	5.27	90.64	155.12	251.03
25.	कोटा-चित्तौड़गढ़ (आर.जे.-8)	-	0.09	75.72	135.27	211.08
26.	राज./एम.पी. सीमा-कोटा (आर.जे.-9) किमी. 406 से किमी. 449	-	10.28	72.41	24.47	107.16
27.	राज/एम.पी. सीमा-कोटा (आर.जे.-10) किमी. 449 से किमी. 509	-	12.71	142.48	33.80	188.99
28.	राज/एम.पी. सीमा-कोटा (आर.जे.-11) किमी. 509 से किमी. 579	-	31.94	111.49	50.98	194.41
29.	महुआ-जैतपुर	-	30.25	225.40	193.98	449.63
30.	भरतपुर-महुआ	-	12.82	140.00	75.68	228.50
31.	कोटपुतली-आमेर (एच.टी.एम.एस.)	0.05	-	-	-	0.05
	जोड़	**522.27**	**310.55**	**1,382.65**	**1,101.95**	**3,317.42**
तमिलनाडु						
1.	होसूर-कृष्णागिरी	3.10	12.91	2.60	-	18.61
2.	कृष्णागिरी-बनियामबाड़ी, पैकेज-के.आर.-1	46.33	16.71	-	-	63.04

3. बनियामबाड़ी-पल्लीकोंडा (किमी. 49-100) पैकेज-के.आर.-2	59.33	55.84	18.49	-	133.66
4. पल्लीकोंडा-रानीपेट (किमी. 100-145) पैकेज-के.आर.-3	61.71	63.42	83.90	-	209.04
5. पूनामली-कांचीपुरम (किमी. 70.20-13.80) पैकेज-आर.सी.-1	48.22	71.27	46.39	17.52	183.41
6. बालाजापेट-कांचीपुरम 46 पर किमी. 70.2-106-20 पकेज-आर.सी.-2	24.28	4.30	3.57	2.37	34.53
7. चेन्नै-टाडा	72.75	12.02	3.02	2.54	90.34
8. तमिलनाडु में रा.रा.-7 के हाथपल्ली-होसूर (किमी. 33.015-48.60), पैकेज-एन.एस./11 (टी.एन.)	0.01	1.15	0.02	-	1.18
9. सलेम बाइपास (रा.रा.-7 का किमी. 199.20-207.60) एन.एस./12 (टी.एन.)	0.13	-	-	-	0.13
10. थोपुरघाट खंड (रा.रा.-7 का किमी. 156-163.40) एन.एस./14 (टी.एन.)	0.02	-	-	-	0.02
11. तमिलनाडु में करूर आर.ओ.बी.	0.21	-	-	-	0.21
12. तमिलनाडु में अमरावती नदी पर अतिरिक्त पुल सहित करूर बाइपास	0.12	-	-	-	0.12
13. ओमालूर-थुम्पीपाड़ी (किमी. 163.40 से किमी. 180 रा.रा.-7) एन.एस./25(टी.एन.)	0.05	9.65	-	13.49	23.19
14. थुम्पीपाड़ी-सलेम (किमी. 180 से किमी. 199.20 रा.रा.-7) एन.एस./26 (टी.एन.)	9.76	6.61	0.29	7.30	23.96
15. नमक्कल बाइपास (किमी. 248-किमी. 259.6 रा.रा.-7) एन.एस./27 (टी.एन.)	8.26	3.72	-	-	11.98
16. चेन्नै बाइपास चरण-I	0.00	0.03	0.09	0.12	0.25
17. लाम्ब्रम-टिंडीवनम (बी.ओ.टी./वार्षिकी) किमी. 67 से किमी. 122	371.37	10.21	0.79	0.40	382.77
18. पत्तन संपर्क पैकेज-VII (तूतीकोरीन)	2.15	59.61	-	-	61.76
19. पत्तन संपर्क (चेन्नै-एन्नोर पत्तन)	8.18	38.16	-	2.49	48.83

1	2	3	4	5	6	7
20.	तमिलनाडु में रा.रा.-7 का मदुरै-कन्याकुमारी खंड, (एन.एस.-32/ टी.एन.)	17.10	8.65	6.09	-	31.85
21.	मदुरै बाइपास सहित मदुरै-तिरूनवेली (एन.एस.-39/टी.एन.)	-	16.49	59.58	96.31	172.38
22.	मदुरै-कन्याकुमारी (एन.एस.-40/टी.एन.)	-	4.28	51.12	65.02	120.42
23.	मदुरै-कन्याकुमारी (एन.एस.-41/टी.एन.)	-	1.46	31.11	52.80	85.37
24.	मदुरै-कन्याकुमारी (एन.एस.-42/टी.एन.)	-	15.52	69.30	82.22	167.04
25.	मदुरै-पानागुडी-तिरूनवेली (एन.एस.-43/टी.एन.)	-	13.14	26.99	61.03	101.16
26.	कृष्णागिरी-थोपुरघाट (रा.रा.-7 का किमी. 94-156) टी.एन.-1	-	0.55	66.69	187.40	254.64
27.	सलेम-करूर (त्रिची-करूर) (रा.रा.-7 का किमी. 207.05-248.62) टी.एन.-2	-	-	31.10	97.71	128.81
28.	सलेम-करूर (नमक्कल-करूर) (रा.रा.-7 का किमी. 258.65-292.60) टी.एन.-3	-	-	59.48	16.44	75.92
29.	करूर-मदुरै (करूर-डिंडीगुल) (रा.रा.-7 का किमी. 292.60-373.725) टी.एन.-4	-	0.42	82.90	6.18	89.50
30.	करूर-मदुरै (डिंडीगुल-सामयानल्लूर) (रा.रा.-7 का किमी. 373.27-426.60) टी.एन.-5	-	0.42	67.02	30.69	98.13
31.	सलेम-केरल सीमा (किमी. 0-53 रा.रा.-47) टी.एन.-6	-	0.32	25.29	55.62	81.23
32.	सलेम-केरल सीमा (किमी. 53-100 रा.रा.-47) टी.एन.-7	-	0.32	26.68	76.90	103.90
33.	चेन्नै शहर में फ्री फ्लो सुविधाओं का निर्माण करके स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग के पहुंचमार्ग का सुधार (एन.एच.- 4, 45 व 205)	-	163.33	155.44	72.94	391.71
34.	चेन्नै बाइपास चरण-II	-	35.66	335.97	126.25	497.88
35.	त्रिची बाइपास-तोवरमकुर्ची (पैकेज-VII-ए)	1.55	23.98	38.23	70.76	134.52

36. तोवरमकुर्ची-मदुरै (पैकेज-VII-बी)	1.55	24.48	41.33	71.89	139.25
37. टिंडीवनम-उलूंद्रपेट (पैकेज-VI ए) किमी. 21-किमी. 192.25	3.14	6.63	124.33	240.17	374.27
38. उलूंद्रपेट-पडलूर (पैकेज-VI बी) किमी. 192.25-किमी. 285	3.14	6.63	112.09	199.21	321.07
39. पडलूर-त्रिची (पैकेज-VI सी) किमी. 285-किमी. 325	3.13	6.63	29.60	150.14	189.50
40. करूर-कंगायम के.सी.-I किमी. 218.2 से 277.4	-	-	5.11	21.64	26.75
41. कंगायम-कोयम्बूतूर के.सी.-2 कीमी. 277.4 से 332.6	-	-	5.94	21.63	27.57
42. लालापेट आर.ओ.बी. (रा.रा.-67 का किमी. 183/4)	-	-	3.32	5.38	8.70
43. मदुरै-अरूपुकोट्टई-तूतीकोरीन (किमी. 138.8-किमी. 264.5) टी.एन.-14	-	-	8.00	115.30	123.30
44. रा.रा.-66 पर पांडिचेरी-टिंडीवनम	-	-	-	0.54	0.54
जोड़	**745.64**	**694.52**	**1,631.86**	**2,076.91**	**5,148.93**
उत्तर प्रदेश					
1. सिकंदरा-भौंटी (टी.एन.एच.पी.-1) पैकेज II-ए	66.40	66.56	14.71	7.39	155.06
2. वाराणसी-मोहनिया (जी.टी.आर.आई.पी.-5) पैकेज IV-ए (बिहार-21/ यू.पी.-55)	103.22	56.46	1.55	0.73	161.97
3. राजस्थान और उत्तर प्रदेश में (किमी. 24-41) को 4 लेन का बनाना पैकेज-एन.एस./19(/यू.पी./आर.जे.) (राज.-10/यू.पी.-7)	0.42	-	1.21	-	1.63
4. झांसी-शिवपुरी (यू.पी./एम.पी.-1) (एम.पी.-30/यू.पी.-11)	-	4.76	8.82	9.92	23.51
5. मध्य प्रदेश में ललितपुर-सागर (रा.रा. 26 का किमी. 94-132)/ ए.डी.बी.सी.-II ए/3 (एम.पी-66/यू.पी.-40)	0.01	0.22	3.91	-	4.14
6. उत्तर प्रदेश में रा.रा. 2 पर फतेहपुर-खागा (टी.एन.एच.पी.-2) पैकेज II-सी, किमी. 38-115	77.74	62.27	37.38	42.96	220.35
7. खागा-कोखाराज (टी.एन.एच.पी.-3) पैकेज III-ए (यू.पी.)	62.09	10.84	3.30	2.04	78.27

1	2	3	4	5	6	7
8.	हंडिया-वाराणसी (टी.एन.एच.पी.-4) पैकेज III-सी	69.26	48.92	26.78	11.66	156.62
9.	आगरा-शिकोहाबाद (जी.टी.आर.आई.पी.-1) पैकेज I-ए (किमी. 199.66-250.50)	79.03	111.37	37.76	14.95	243.11
10.	शिकोहाबाद-इटाया (जी.टी.आर.आई.पी.-2 पैकेज I-बी (किमी. 250.50-307.50)	2.00	54.20	105.68	73.32	235.19
11.	इटावा-राजपुर (जी.टी.आर.आई.पी.-3) पैकेज I-सी (किमी. 321.10-393)	63.08	83.61	77.33	43.13	267.15
12.	भौंटी-फतेहपुर (जी.टी.आर.आई.पी.-4) पैकेज II-बी	106.66	154.11	83.55	56.95	401.27
13.	इलाहाबाद बाइपास परियोजना (पैकेज ए.बी.पी.-I) (रा.रा. 2 पर किमी. 163.28-164.30) (गंगा पुल)	26.81	31.96	36.98	17.54	113.28
14.	इलाहाबाद बाइपास परियोजना (पैकेज ए.बी.पी.-II) (रा.रा. 2 पर किमी. 158-198)	72.85	139.38	115.71	96.76	424.71
15.	इलाहाबाद बाइपास परियोजना (पैकेज ए.बी.पी.-III) (रा.रा. 2 पर किमी. 198-242.708)	64.88	127.67	121.67	107.66	421.89
16.	रा.रा. 2 पर इटावा बाइपास किमी. 307.5 से 321.100	0.49	15.52	60.83	41.56	118.40
17.	उत्तर प्रदेश में रा.रा. 3 का आगरा-ग्वालियर (किमी. 8-24), पैकेज-एन.एस./4 (यू.पी.)	(0.00)	-	0.67	-	0.67
18.	लखनऊ-कानपुर/उत्तर प्रदेश में रा.रा.-25 के किमी. 59.50-75.50) पैकेज, ई.डब्ल्यू./3ए (यू.पी.)	7.46	3.99	6.08	8.06	25.59
19.	लखनऊ-कानपुर (उत्तर प्रदेश में रा.रा.-25 के किमी. 21.80-44), पैकेज, ई.डब्ल्यू./8 (यू.पी.)	9.42	16.10	-	3.27	28.79
20.	उत्तर प्रदेश में रा.रा.-25 के लखनऊ-कानपुर (किमी. 44-59.50) पैकेज, ई.डब्ल्यू./9 (यू.पी.)	15.18	2.00	1.29	0.01	18.48

21. उत्तर प्रदेश में रा.रा. 56 वाया रा.रा. 25 और 28 को जोड़ने वाला लखनऊ बाइपास पैकेज, ई.डब्ल्यू./15 (यू.पी.)	27.17	40.07	28.90	9.13	105.26
22. नैनी के समीप यमुना नदी पर केबल आधारित पुल (नैनी पुल, इलाहाबाद)	20.66	2.60	0.10	-	23.36
23. गाजियाबाद-हापुड़ व हापुड़ बाइपास	0.15	0.56	-	-	0.71
24. गोरखपुर बाइपास (किमी. 251.70-279.80)	-	0.62	12.28	137.06	149.96
25. एन.एस.-1/बी.ओ.टी./एम.पी./यू.पी./ग्वालियर-झांसी (रा.रा.-75 के किमी. 16-किमी. 96.127) (एम.पी.-68.5/यू.पी.-11.5)	-	-	0.61	11.46	12.07
26. एन.एस.-1/बी.ओ.टी./एम.पी.-1/ग्वालियर बाइपास (रा.रा.-75 के किमी. 16 रा.रा.-3 के किमी. 103)	-	-	6.81	15.96	22.77
27. उत्तर प्रदेश में झांसी-ललितपुर (रा.रा.-25, 26 का किमी. 0-49.79) (एन.एस.-1/बी.ओ.टी./यू.पी.-2	0.04	0.97	0.90	82.03	83.95
28. उत्तर प्रदेश में झांसी-ललितपुर (रा.रा.-26 का किमी. 49.79-99.00) (एन.एस.-1/बी.ओ.टी./यू.पी.-3	0.04	0.97	0.89	74.50	76.41
29. लखनऊ-अयोध्या (उत्तर प्रदेश में रा.रा. 28 पर किमी. 8.25 से 45) पैकेज-I	-	14.89	42.81	62.94	120.64
30. लखनऊ-अयोध्या (उत्तर प्रदेश में रा.रा. 28 पर किमी. 45 से 93) पैकेज-II	-	23.32	44.89	63.60	131.81
31. उत्तर प्रदेश में लखनऊ-अयोध्या (रा.रा. 28 पर किमी. 93 से 135 ऑन एन.एच.-28) पैकेज-III	013	28.89	38.24	76.47	143.72
32. अयोध्या-गोरखपुर (उत्तर प्रदेश में रा.रा. 28 पर किमी. 135 से 164) पैकेज-IV	-	14.74	53.29	60.85	128.88
33. अयोध्या-गोरखपुर (किमी. 164 से 208 ऑन एन.एच.-28 इन यू.पी.) पैकेज-V	-	17.59	42.21	12.36	72.16
34. अयोध्या-गोरखपुर (उत्तर प्रदेश में रा.रा. 28 पर किमी. 208-251.70) पैकेज-VI	-	17.82	43.10	61.80	122.72

1	2	3	4	5	6	7
35.	गोरखपुर-कसिया (किमी. 279.80-319.80 ऑन एन.एच.-28 इन यू.पी.) पैकेज-VII	-	19.76	47.93	73.99	141.68
36.	कसिया-बिहार-यू.पी. सीमा (उत्तर प्रदेश में रा.रा. 28 पर किमी. 319.80 से 360.91) पैकेज-VIII	-	19.24	30.98	45.51	95.73
37.	रा.रा. 3 के किमी. 13.03 से रा.रा. 2 के किमी. 176.80 तक नई 4 लेन की आगरा बाइपास संपर्क	-	-	-	7.10	7.10
38.	झांसी बाइपास (यू.पी.-3)	-	5.76	26.72	24.37	56.85
39.	ओरई-झांसी (यू.पी.-4)	-	19.17	101.93	67.56	188.66
40.	ओरई-झांसी (यू.पी.-5)	-	-	33.52	16.48	50.00
41.	बारा-ओरई (रा.रा. 2 का किमी. 449 से किमी. 422 व किमी. 255 से 220)	-	-	7.38	8.91	16.29
42.	गंगा पुल-रमा देवी क्रासिंग (यू.पी.-6) (ई.डब्ल्यू./6)	-	7.95	12.73	4.83	25.51
43.	उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में राप्ती नदी पर पुल (रा.रा. 28 पर किमी. 261-263) ई.डब्ल्यू.-II (यू.पी.-I)	12.77	1.86	0.48	2.44	17.55
44.	हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर (रा.रा. 24 पर किमी. 58-93) पैकेज-I	1.29	19.10	24.10	14.09	58.58
45.	गढ़मुक्तेश्वर-मुरादाबाद (रा.रा. 24 पर किमी. 93-149.25) पैकेज-II	1.55	51.67	84.20	12.35	149.77
46.	मेरठ-मुजफ्फरनगर	-	-	12.00	173.87	185.87
47.	आगरा-भरतपुर (जैतपुर) यू.पी./राजस्थान सीमा	-	-	70.32	98.32	168.64
48.	सीतापुर-लखनऊ	-	-	16.00	50.00	66.00
	जोड़	**890.81**	**1,297.49**	**1,528.51**	**1,805.89**	**5,522.70**

पश्चिम बंगाल					
1. दनकुनी-कोलाघाट डब्ल्यू. बी-I	111.60	92.26	34.37	11.20	249.43
2. कोलाघाट-खड़गपुर एन.एच.-6 डब्ल्यू.बी.-II	101.63	8.51	-	-	110.14
3. दनकुनी-खड़गपुर डब्ल्यू.बी.-III (पुल) (किमी. 17.6-136 रा.रा.-6)	5.01	14.98	1.75	-	21.74
4. लक्ष्मणनाथ-खड़गपुर डब्ल्यू.बी.-IV	62.57	100.95	4.14	0.76	168.43
5. पानागढ़-पलसित	253.20	44.28	19.77	-	317.26
6. पलसित-दनकुनी दुर्गापुर एक्सप्रेसवे	189.76	23.15	10.52	-	223.43
7. रानीगंज-पानागढ़ (ए.डी.बी. पैकेज-II)	7.04	-	-	-	7.04
8. विवेकानंद पुल (दूसरा)	223.18	234.85	53.73	86.21	597.97
9. डलकोला-इस्लामपुर (पश्चिम बंगाल में रा.रा. 31 के किमी. 447-470) पैकेज, ई.डब्ल्यू./5 (डब्ल्यू.बी.)	8.78	1.32	-	0.24	10.35
10. डलकोला-इस्लामपुर (रा.रा. 31 के किमी. 476.15-500) पैकेज ई.डब्ल्यू./6 (डब्ल्यू.बी.)	9.67	18.03	0.31	0.24	28.25
11. पत्तन संपर्क पैकेज-III (कलकत्ता-हल्दिया)	18.33	20.64	18.16	-	57.13
12. असम/प.बं. सीमा-गैरकाटा (रा.रा. 31सी के किमी. 255-223) डब्ल्यू बी-1	-	-	6.30	45.98	52.28
13. सिलीगुड़ी-इस्लामपुर (रा.रा. 31 के किमी. 551-526) डब्ल्यू बी-6	-	2.21	45.29	72.64	120.14
14. सिलीगुड़ी-इस्लामपुर (किमी. 526-500 रा.रा.-31) डब्ल्यू बी-7	-	14.83	6.99	16.08	37.90
15. डलखोला बाइपास	-	-	0.24	8.70	8.94
जोड़	**990.77**	**576.02**	**201.57**	**242.05**	**2,010.40**
परियोजनाओं का जोड़	6,314.56	6,305.15	9,090.23	12,093.14	33,803.08

[हिन्दी]

एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

1853. श्री महावीर भगोरा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्य-वार, वर्ष-वार तथा लिंग-वार एड्स के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ख) एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम में लगे गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को कितनी धनराशि आवंटित तथा जारी की गई; और

(ग) देश में चल रहे एड्स परामर्श केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों द्वारा सूचित वर्ष-वार और लिंग-वार एड्स के रोगियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) लक्षित क्रियाकलापों के लिए गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों को आबंटित निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपये में)

वर्ष	लक्षित क्रियाकलाप	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र	कुल
2004-05	8101.00	1239.50	9340.50
2005-06	14482.00	1302.56	15784.56
2006-07	14587.75	2519.96	17107.71

(ग) राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संघटित परामर्श ओर परीक्षण केन्द्रों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

सूचित एड्स के रोगियों के राज्यवार लिंगवार संख्या (2004-07)

राज्य	2004			2005			2006			2007		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1	0	1	3	1	4	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
आन्ध्र प्रदेश	3220	2391	5611	4264	3542	7806	5553	4614	10167	3486	2444	5930
अरुणाचल प्रदेश	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	13	0	13	1	2	3
असम	9	4	13	29	11	40	78	29	107	7	3	10
बिहार	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
चंडीगढ	146	77	223	480	269	749	289	162	451	468	245	713
छत्तीसगढ	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	62	20	82
दादरा व नगर हवेली	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
दमन व द्वीव	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
दिल्ली	48	20	68	1015	449	1464	1335	590	1925	1281	541	1822
गोवा	71	38	109	108	59	167	15	8	23	73	33	106
गुजरात	1071	553	1624	1280	675	1955	563	296	859	521	184	705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हरियाणा	57	28	85	123	75	198	126	76	202	154	53	207
हिमाचल प्रदेश	43	32	75	39	34	73	3	3	6	67	22	89
जम्मू-कश्मीर	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	22	12	34	154	57	211
झारखंड	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	102	71	173	93	66	159	257	212	469
कर्नाटक	137	85	222	1228	991	2219	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
केरल	39	34	73	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
मध्य प्रदेश	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	225	134	359	144	86	230	350	139	489
महाराष्ट्र	136	73	209	3292	3291	5683	2518	1829	4347	1594	832	2426
मणिपुर	2987	1844	4831	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	44	36	80	241	137	378
मेघालय	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	9	10	19
मिजोरम	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	2	2	4	11	12	23
नागालैंड	36	18	54	9	9	18	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	187	185	372
उड़ीसा	138	131	269	115	62	177	75	41	116	46	12	58
पांडिचेरी	127	59	186	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
पंजाब	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	60	43	103	140	99	239	181	85	266
राजस्थान	39	23	62	186	117	303	185	117	302	329	180	509
सिक्किम	154	74	228	2	1	3	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	10	3	13
तमिलनाडु	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	2173	1683	3856	6470	5011	11481	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.

उत्तर प्रदेश	9202	6069	15271	201	138	339	406	279	685	124	99	223
उत्तरांचल	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	29	20	49	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
पश्चिम बंगाल	71	38	109	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	72	31	103
अहमदाबाद मैक्स	13	6	19	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	72	29	101
चेन्नई मैक्स	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
मुम्बई मैक्स	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	3357	1751	5108
कुल	17745	11596	29341	14962	10776	25738	18074	13356	31430	13114	7321	20435

विवरण-II

एड्स परामर्श केन्द्रों (संघटित परामर्श और परीक्षण केन्द्र) के वर्ष 2007 तक के राज्य-वार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संघटित परामर्श और परीक्षण केन्द्र
1	2	3
1.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	9
2.	आन्ध्र प्रदेश	677
3.	अरुणाचल प्रदेश	25
4.	असम	51
5.	बिहार	207
6.	चंडीगढ	9
7.	छत्तीसगढ	52
8.	दादरा व नगर हवेली	1
9.	दमन व द्वीव	2
10.	दिल्ली	72
11.	गोवा	11
12.	गुजरात	203
13.	हरियाणा	60
14.	हिमाचल प्रदेश	21
15.	जम्मू-कश्मीर	11
16.	झारखंड	20
17.	कर्नाटक	561
18.	केरल	51
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	55
21.	महाराष्ट्र	678
22.	मणिपुर	54
23.	मेघालय	6
24.	मिजोरम	13
25.	नागालैंड	60
26.	उड़ीसा	129
27.	पांडिचेरी	10
28.	पंजाब	33
29.	राजस्थान	72
30.	सिक्किम	13
31.	तमिलनाडु	760
32.	त्रिपुरा	4
33.	उत्तर प्रदेश	182
34.	उत्तरांचल	29
35.	पश्चिम बंगाल	104
	अखिल भारत	4245

सरकारी अस्पतालों में उपकरणों का लगाया जाना

1854. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में नए चिकित्सा तथा नैदानिक उपकरणों को लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है, ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, जहां तक दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के अनुसार, अस्पताल सुविधाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के भाग के रूप में उपलब्ध संसाधनों के तहत नए चिकित्सीय/नैदानिक उपकरणों की स्थापना/उन्नयन करना एक सतत प्रक्रिया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत विभिन्न राज्यों के 13 मौजूदा चिकित्सीय संस्थानों का उन्नयन करने का निर्णय लिया है।

परमाणु संयंत्र संबंधी प्रस्ताव

1856. श्री टेक लाल महतो:

श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को झारखंड तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) झारखंड तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने, अपने राज्यों में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था।

(ग) और (घ) पहले कदम के रूप में, सरकार की स्थल चयन समिति (एस.एस.सी.) ने, राज्यों द्वारा पेशकश किए गए स्थलों का मूल्यांकन किया। स्थल चयन समिति की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परमाणु विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, स्थल की उपलब्धता के अलावा, देश के परमाणु विद्युत कार्यक्रम से संबद्ध विभिन्न अन्य प्राचलों पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्तनपान संबंधी दिशा-निर्देश

1856. श्री के. सुब्बारायण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिशुओं हेतु स्तनपान के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में डब्ल्यू.एच.ओ. के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) शिशुओं के स्तनपान के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2004 में शिशु और छोटे बच्चों को खाने-पिलाने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए।

परिवार कल्याण विभाग अपने प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-II और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत शिशु और छोटे बच्चों को खिलाने पिलाने के भोजन फीडिंग को बढावा देने के लिए निम्नलिखित को क्रियान्वित कर रहा है:-

- परिष्कृत स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए सभी स्वास्थ्य संबंधी सम्पर्कों जन प्रचार के साधनों को प्रयोग करते हुए निचले स्तर के सभी कार्यकर्ताओं अर्थात मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायक नर्स अर्धघात्रियों, ग्राम चिकित्सकों, पुरुष कार्यकर्ताओं, सम्पर्क स्वयं सेवकों इत्यादि पंचायतों, स्व-सहायता दलों, परिवर्तन अभिकर्ताओं जन नेताओं, गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करके स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए आचरण परिवर्तन।
- माताओं के साथ सहायक नर्स धात्रियों/आगनवाड़ी कर्ताओं के सम्पर्कों को बढ़ावा देना। नवजात और बाल्यावस्था की बीमारियों को समेकित उचार से

संबंधित कार्यकलापों के एक भाग के रूप में प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर अवधियों में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशाओं)/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को घरों पर दौरे करने को बढ़ावा देना तथा स्तनपान और पूरक भोजन खिलाने का बढ़ावा देना।

- भोजन खिलाने संबंधी परामर्श के लिए सभी सहायक नर्सधात्रियों/पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सम्पर्कों का प्रयोग करना।
- सुविधा केन्द्रों में स्तनपान को बढ़ावा देने से संबंधित प्रयासों को सुदृढ़ करना।
- आशाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायक नर्स धात्रियों, महिला स्वास्थ्य परिविक्षिकाओं इत्यादि जैसे सेवा प्रदायकों के खाने-पिलाने के परामर्श संबंधी कौशलों में सुधार करना।

विवरण

शिशु और छोटे बच्चों को खिलाने पिलाने (फीडिंग) के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक कार्यनीति

वैश्विक कार्यनीति जीवन के शुरू के महीनों और वर्षों में पोषण की महत्ता के प्रमाण पर आधारित है और इष्टतम स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने में खाने पिलाने से संबंधित उपयुक्त पद्धतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्तनपान के अभाव और विशेष तौर से जीवन के पहले छह महीनों के दौरान केवल स्तनपान का अभाव शिशु और बाल्यवस्था रूग्णता और मृत्युदर का महत्वपूर्ण जोखिम घटक है। ये दरें केवल अनुपयुक्त पूरक भोजन से ही संयोजित होती हैं। जीवन भर के प्रभाव में कम स्कूल कार्य निष्पादन घटी हुई उत्पादकता और बौद्धिक तथा सामाजिक विकास को क्षति पहुंचाना शामिल है।

शिशु और छोटे बच्चे के भोजन के लिए वैश्विक कार्यनीति स्वीकृत मानव अधिकारों के सिद्धान्तों, सम्मान, संरक्षा, सहायता देना और पूरा करने पर आधारित है। पोषण एक महत्वपूर्ण है, यह बच्चे के अधिकारों के बारे में सम्मेलन में बताए गए स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक का उपयोग करने के बच्चे के अधिकार का वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त संघटक है। बच्चों को पर्याप्त पोषण तथा सुरक्षित और पोष्टिक भोजन तक पहुंच का अधिकार है तथा ये दोनों उनके स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्यमान के अधिकार को पूरा करने के लिए अनिवार्य हैं। क्रम में, महिलाओं को उपयुक्त पोषण, उनके बच्चों को कैसे खिलाया पिलाया जाए, पर निर्णय लेने तथा उनको उनके निर्णयों को लागू करने के लिए पूरी सूचना तथा समुचित शर्तें समर्थ बनाएंगी। इन अधिकारों को अभी कई परिसरों में प्राप्त नहीं किया गया है।

इस कार्यनीति का उद्देश्य इष्टतम भोजन-पोषणिक स्थिति, वृद्धि विकास तथा स्वरूप के माध्यम से सुधार करना है और इस प्रकार शिशुओं तथा और बच्चों की जीवन रक्षा करना है।

इस कार्यनीति के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- शिशु और छोटे बच्चे को प्रभावित करने वाली मुख्य समस्याओं की जागरूकता बढ़ाना, उनके हल के दृष्टिकोणों का पता लगाना तथा अनिवार्य कार्यकलापों के ढांचे की व्यवस्था करना;
- शिशु और छोटे बच्चों के लिए खाने-पिलाने संबंधी इष्टतम पद्धतियों के लिए सरकारों, अन्तरराष्ट्रीय संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों की प्रतिबद्धता बढ़ाना;
- एक पर्यावरण बनाना जो शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए खाने-पिलाने से संबंधित इष्टतम पद्धतियों के बारे में सोचे-समझे विकल्प बनाने और कार्यान्वित करने के लिए सभी परिस्थितियों में माताओं, परिवारों और अन्य परिचर्या प्रदायकों को समर्थ बनाएगा। स्तनपान शिशुओं के स्वस्थ विकास और बढ़ोत्तरी के लिए आदर्श भोजन प्रदान करने का एक अद्वितीय तरीका है, यह माताओं को स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण विवक्षाओं सहित प्रजनन प्रक्रिया का भी एक अभिन्न अंग है।
- एक वैश्विक जन स्वास्थ्य की सिफारिश के रूप में शिशुओं के जीवन के पहले छह महीनों के लिए इष्टतम विकास, बढ़ोत्तरी और स्वास्थ्य प्राप्त करने हेतु केवल स्तनपान करवाया जाना चाहिए।
- इसके पश्चात् उनकी विकसित हो रही पोषणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिशुओं को पोषणिक रूप से पर्याप्त और सुरक्षित पूरक

खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए जबकि स्तनपान दो वर्ष तथा इससे आगे की आयु तक जारी रहता है।

- कुछ चिकित्सीय दशाओं को छोड़कर जन्म से केवल स्तनपान संभव है और अबाधित रूप से केवल स्तनपान से दूध काफी बनता है।

- शिशु विशेष रूप से संक्रांति काल के दौरान असुरक्षित होते हैं जब पूरक आहार शुरू होता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी पोषणिक जरूरतों को पूरा किया जाए तो इस प्रकार अपेक्षित होता है कि उनके लिए पूरक खाद्य पदार्थ इस प्रकार होने चाहिए।

सामयिक - का अर्थ है कि उनको तब शुरू किया जाए जब शक्ति और पोषकों की आवश्यकता अधिक हो जाती है जिनको केवल तथा बार-बार स्तनपान के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है।

पर्याप्त - का अर्थ है कि वे बढ़ते हुए बच्चे की पोषणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन तथा सूक्ष्मपोषक प्रदान करते हैं।

असुरक्षित - का अर्थ है कि उनका स्वच्छतापूर्वक भंडारण और उनके तैयार किया गया है तथा साफ बर्तनों न कि बोतलों तथा चूचियों का प्रयोग करते हुए साफ हाथों से खिलाया जाता है।

उपयुक्त रूप से खिलाने-पिलाने - का अर्थ है कि उनको बच्चे के भूख और परितृप्ति के चिन्हों के अनुरूप किया जाता है और कि आहारों की संख्या और खाने-पिलाने की विधि-सक्रिय रूप से बच्चे को प्रोत्साहित करते हुए, बीमारी के दौरान भी ऊंगलियों, चम्मच अथवा स्वयं खाने के तरीके का प्रयोग करते हुए पर्याप्त भोजन का उपभोग करना आयु हेतु उपयुक्त है।

इस कार्यनीति का इरादा कार्रवाई हेतु एक गाइड के रूप में है, यह बच्चों की बढ़ोत्तरी और विकास के लिए जीवन के शुरू के महीनों और वर्षों की महत्ता के एकत्रित प्रमाण पर आधारित है और यह इस अवधि के दौरान प्रमाणित सकारात्मक प्रभाव से कार्यकलापों का पता लगाती है। इसके अतिरिक्त, गतिशील रहने के लिए विकासों के साथ गति बनाए रखने के लिए कार्यनीति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा जबकि नई नैदानिक और जनसंख्या आधारित अनुसंधान प्रेरित रहे और आचरणात्मक चिन्ताओं/ मामलों की जांच पड़ताल की जाती है।

सरकारें, अन्तरराष्ट्रीय संगठन और अन्य संबंधित पक्ष स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक के लिए बच्चों के अधिकार ओर पूरी तथा पक्षपात सहित सूचना तथा पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या और पोषण के लिए महिलाओं के अधिकार को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व बांटते हैं। प्रत्येक भागीदार को शुशुओं तथा छोटे बच्चों को खाने-पिलाने में सुधार करने और अपेक्षित संसाधनों को जुटाने के लिए अपने उत्तरदायित्वों को स्वीकार और ग्रहण करना चाहिए। सभी भागीदारों को पूरी तरह से पारदर्शी नए गठबंधनों तथा हित के टकराव को टालने के लिए स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुरूप साझेदारियों को बनाने सहित इस कार्यनीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। सरकारों का प्राथमिक दायित्व शिशु और छोटे बच्चे के खाने-पिलाने के बारे में एक व्यापक राष्ट्रीय नीति को तैयार करना, क्रियान्वित करना, मानीटर और मूल्यांकन करना है। उच्चतम स्तर पर राजनीतिक प्रतिबद्धता के अतिरिक्त एक सफल नीति सभी संबंधित सरकारी अभिकरणों, अन्तर राष्ट्रीय संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों का पूरा सहयोग सुनिश्चित करने के लिए कारगर राष्ट्रीय समन्वय पर निर्भर करती है। इसमें खाने-पिलाने से संबंधित नीतियों और पद्धतियों के बारे में उपयुक्त सूचना के सतत संग्रहण और मूल्यांकन अन्तर्निहित हैं। इस कार्यनीति को कार्यान्वित करने में क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारों को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है।

वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या को बढ़ाना

1857. श्री मदन लाल शर्मा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सर्वेक्षण कराए गए स्थलों अथवा क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) देश में वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की जिम्मेदारी और शक्तियां मुख्यत: राज्यों/संघ

शासित प्रदेश की सरकारों के पास निहित है। उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ राज्य नए अभयारण्यों की स्थापना का विचार कर रहे हैं। तथापि, इस संबंध में राज्यों/संघ शासित प्रदेश की सरकारों से अंतिम अधिसूचना जारी होने के पश्चात ही ऐसी सूचनाओं का भारत सरकार के स्तर पर मिलान किया जाता है।

प्रवाल एवं कच्छ वनस्पति प्रबंधन प्राधिकरण

1858. श्रीमती मेनका गांधी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2008 को प्रवाल मित्ति वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव प्रवाल एवं कच्छ वनस्पति प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर में निजी एक्वेरिश्म्स की बेची जाने वाली अधिकांश मछलियां प्रवाल भित्तियों से पकड़ी जाती है, जिससे उन्हें क्षति पहुंचती है; और

(ङ) यदि हां, तो एक्वेरियम्स की विनियमित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ताकि इस प्रकार का व्यापार न हो सके?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) विश्वभर में 'द इन्टरनेशनल कोरल रीफ इनीशिएटिव (आई.सी.आर.आई.) सरकारों अन्तरराष्ट्रीय संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों' के बीच भागीदारी ने वर्ष 2008 को अन्तरराष्ट्रीय रीफ वर्ष (आई.वाई.ओ.आर. 2008) अधिनिर्धारित किया है।

(ख) और (ग) तटीय पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से सरकार ने तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना, 1991 जारी की है। अधिसूचना के अंतर्गत कच्छ वनस्पति, प्रवाल और प्रवाल भित्ति क्षेत्रों को तटीय विनियम जोन I (i) के रूप में वर्गीकरण किया गया है। इन क्षेत्रों में अधिसूचना के अंतर्गत अनुज्ञेय के अलावा अन्य विकासात्मक कार्यों की अनुमति नहीं है। उक्त अधिसूचना के कार्यान्वयन और लागू करने के लिए सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय और राज्य/संघ शासित स्तर तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन किया है। इन प्राधिकरणों को उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उक्त अधिसूचना के अंतर्गत आवश्यक शक्तियां प्रदान की गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में कच्छ वनस्पति और प्रवालमित्ति के संरक्षण और प्रबंधन पर नजर रखने के लिए कच्छ वनस्पति और प्रवालमित्ति राष्ट्रीय समिति भी है।

(घ) और (ङ) मछली की कुछ प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I भाग II में शामिल किया गाय है और अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत अनुसूचीबद्ध प्रजातियों के किसी प्रकार के व्यापार की अनुमति नहीं है। फिर भी संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार के मुख्य वन्यजीव वार्डन निदेशक, वन्यजीव संरक्षण भारत सरकार की पूर्वानुमति से अनुसंधान कार्य के लिए ऐसी अनुसूचीबद्ध प्रजातियों को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा पशुपालन, डेरी और मत्स्य विभाग नेशनल कमेटी आन इन्ट्रीडक्शन ऑफ एक्साटिक एक्वेटिक स्वीशिस इनटू इण्डियन वाटर के माध्यम से आरनामेंटल मछलियों सहित एक्साटिक एक्वेटिक स्पीशिस के आयात को विनियमित कर रहा है।

आई.आर.ई.एल. तथा मैसर्स वी.वी. मिनरल्स के बीच समझौता

1859. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आई.आर.ई.एल.) और मैसर्स वी.वी. मिनरल्स के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके अनुसार मैसर्स वी.वी. मिनरल्स को समुद्र तट पर बालू खनन की अनुमति मिल गई है जिसे पहले आई.आर.ई.एल. द्वारा किया जाता था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सामरिक क्षेत्र में निजी कंपनियों को अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) देश के इन सामरिक क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) खान मंत्रालय द्वारा आयोजित एक बैठक के आधार

पर 23-02-2005 को किए गए करार के अंतर्गत, संक्षेप में निम्नलिखित के बारे में परिकल्पना की गई है:

(i) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा, समुद्र तट की ओर की भूमि पर स्थित मिदालम गांव के मेल मिदालम क्षेत्र में खनन पट्टे हेतु दिए गए आवेदन पत्र को वापस लिया जाना।

(ii) मैसर्स वी.वी. मिनरल्स को मिदालम हेमलेट से लेकर इनायम हेमलेट तक खनन कार्य करने की अनुमति देना।

(iii) मैसर्स वी.वी. मिनरल्स का विशिष्ट पट्टा भूमि को पंजीकृत मूल्य पर इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के नाम अंतरित करने के लिए सहमत होना।

(iv) मैसर्स वी.वी. मिनरल्स द्वारा, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड/इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज सभी लम्बित मामलों को वापस लिया जाना।

(v) राज्य सरकार, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा खनन पट्टे के नवीकरण/नए खनन पट्टों के संबंध में दिए गए सभी आवेदन पत्रों की अनुशंसा करेगी।

तथापि, करार क्रियान्वित नहीं किया गया।

पुलिन बालुका खनिज क्षेत्र को, देश में उपलब्ध विशाल संसाधनों के दोहन की निम्न दर को ध्यान में रखते हुए और देश में मूल्य-वर्धन प्रौद्योगिकी को लाने के लिए भी, दिनांक 06-10-1998 के नीति संबंधी संकल्प के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया।

(ग) पुलन बालुका खनिज नीति के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विनियमनों/दिशा-निर्देशों के लागू होने के अलावा नई उत्पादन सुविधाओं के उपयुक्त संवितरण, दोहन योग्य भंडारों का लगभग 100 वर्ष तक चलना सुनिश्चित करने हेतु, ऐसी सुविधाओं द्वारा संसाधनों के दोहन को विनियमित करने की परिकल्पना की गई है।

समुद्र के माध्यम से वस्तुओं की ढुलाई में कमी

1860. श्री हितेन बर्मन:

श्री गुंडलूर निजामुद्दीन:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के आयात तथा निर्यात में वृद्धि के बावजूद वस्तुओं की ढुलाई में पोत परिवहन उद्योगों की हिस्सेदारी घटती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) एस.सी.आई. के स्वामित्व वाले कार्गो तथा यात्री पोतों की कुल संख्या कितनी है तथा कार्गो अथवा यात्री पोतों के पृथक-पृथक नाम क्या-क्या हैं;

(घ) इन पोतों का पत्तन-वार किन-किन स्थानों से संचालन किया जाता है;

(ङ) क्या वर्ष 2021 तक वर्तमान में से अधिकांश पोत परिचालन के योग्य नहीं रहेंगे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पोत परिवहन उद्योग की स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) यातायात के विभिन्न साधनों में हिस्सेदारी कई कारकों पर आधारित होती है जिसमें व्यापार में बढ़ोत्तरी, व्यापार का संघटन, भाड़े की दर, भौगोलिक उद्‌गम और गंतव्य स्थान आदि शामिल हैं। तथापि, उच्च मूल्य के सामानों, जैसे कि रत्न एवं आभूषण, बहुमूल्य धातुएं, इलैक्ट्रॉनिक सामान और ऊंचे फैशन के कपड़े, का बड़ा हिस्सा हवाई मार्ग से वहन किया जाता है।

(ग) भारतीय नौवहन निगम के स्वामित्व में कुल 79 पोत हैं, जिनमें 67 कार्गो पोत, 10 अपतटीय आपूर्ति जलयान और 2 यात्री-सह-कार्गो पोत हैं। पोतों के नाम और उनके द्वारा वहन किया जाने वाले कार्गो की किस्में संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) भारतीय नौवहन निगम के जलयान भारत के विदेश व्यापार के साथ-साथ तटीय व्यापार और अंतर राष्ट्रीय आयात-निर्यात व्यापार की मांगों को भी पूरा करते हुए पूरे विश्व में चलते हैं। इन जलयानों के गंतव्य पत्तन व्यापार के उस प्रखंड की अपेक्षाओं के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं जिनमें यह जलयान चलाए जाते हैं।

(ङ) और (च) जहां तक भारतीय नौवहन निगम का संबंध है, वर्ष 2021 तक मौजूदा बेड़े का लगभग 45% समाप्त कर दिया जाना प्रत्याशित है।

(छ) सरकार भारतीय टनभार में सुधार करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय करती रही है। इन उपायों में शामिल हैं:

(i) जलयानों की खरीद को खुले सामान्य लाइसैंस के अंतर्गत लाया गया है। पोतस्वामी खरीदे जाने वाले पोत की किस्म और उनके कार्य करने के क्षेत्र आदि का निर्णय करने को स्वतंत्र हैं।

(ii) नौवहन क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

(iii) मूल्यह्रास की दर को 20% से बढ़ा कर 25% कर दिया गया है।

(iv) वर्ष 2004-05 से टनभार कर लागू कर दिया गया है जिससे कराधान के मामले में अंतरराष्ट्रीय नौवहन उद्योगों की तुलना में भारतीय नौवहन उद्योग को समान अवसर दिए गए हैं।

(v) नए खरीदे गए जलयान के पंजीकरण की औपचारिकताएं सरल बना दी गई हैं।

विवरण

भारतीय नौवहन निगम के स्वामित्व में जलयानों की सूची

टैंकर (कच्चे तेल के कैरियर)

1. महर्षि कर्वे
2. सी.वी. रमन
3. होमी भाभा
4. मेजर सोमनाथ शर्मा पी.वी.सी.
5. लांस नायक करम सिंह पी.वी.सी.
6. लैफ्टीनैंट रामा राघोबा राणे पी.वी.सी.
7. नायक नदुनाथ सिंह पी.वी.सी.
8. कॉम्प हविलदार मेजर पिरु सिंह पी.वी.सी.
9. कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया पी.वी.सी.
10. मेजर धान सिंह थापा पी.वी.सी.
11. सूबेदार जोगिंदर सिंह पी.वी.सी.
12. मेजर शैतान सिंह पी.वी.सी.
13. हविलदार अब्दुल हामिद पी.वी.सी.
14. कर्नल आर्देशिर बुरजोरजी तारापोर पी.वी.सी.
15. मोतीलाल नेहरु
16. जवाहरलाल नेहरु
17. अंकलेश्वर
18. गंधार
19. महाराजा अग्रसेन
20. गुरु गोबिंद सिंह
21. अबुल कलाम आजाद
22. महर्षि परशुराम
23. देश भक्त
24. देश प्रेम
25. देश रक्षक
26. देश गौरव
27. देश शक्ति
28. देश शान्ति
29. देश उजाला
30. देश वैभव

टैंकर (उत्पाद कैरियर)

1. फ्लाईंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों पी.वी.सी.
2. लैफ्टीनैंट अरुण खेत्रपाल पी.वी.सी.
3. मेजर होशियार सिंह
4. लांस नायक एलबर्ट एक्का पी.वी.सी.
5. रबिंद्रनाथ टैगोर

6. बंकिमचन्द्र चटर्जी
7. भारतीदासन
8. सुवर्ण स्वराज्य
9. संपूर्ण स्वराज्य

यात्री-सह-कार्गो पोत

1. रामानुजम
2. हर्ष वर्धन

ड्राई बल्क कैरियर

1. कानपुर
2. अलकनंदा
3. मंदाकिनी
4. उत्तरकाशी
5. देव प्रयाग
6. ऋषिकेश
7. हरिद्वार
8. लोक महेश्वरी
9. वाराणासी
10. पाटलिपुत्र
11. मुर्शिदाबाद
12. दक्षिणेश्वर
13. गंगा सागर
14. लोक राजेश्वरी
15. लोक प्रकाश
16. लोक प्रेम
17. लोक प्रताप
18. महाराष्ट्र
19. गोवा
20. तमिलनाडु

फॉस्फोरिक एसिड/रसायन वाहक

1. तिरुमलाई
2. साबरीमाला
3. पालानिमलाई

एल.पी.जी./अमोनिया कैरियर

1. नंगा पर्बत
2. अन्नपूर्णा

कंटेनर जलयान

1. जलाल बहादुर शास्त्री
2. इंदिरा गांधी
3. राजीव गांधी

अपतटीय आपूर्ति जलयान

1. फिरोज गांधी
2. सी.पी. श्रीवास्तव
3. एस.सी.आई.-01
4. एस.सी.आई.-02
5. एस.सी.आई.-03
6. एस.सी.आई.-04
7. एस.सी.आई.-05
8. एस.सी.आई.-06
9. कैप्टन एफ.एम. जुवाले
10. डॉ. नगेन्द्र सिंह

जलयानों की कुल संख्या: 79

खाद्य सुरक्षा और आर्थिक मंदी

1861. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में कमी चिंता के ऐसे दो प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें 19 दिसम्बर, 2007 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में चर्चा के लिए उठाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें परिकल्पित खाद्य और आर्थिक विकास परिदृश्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर जी-8 समूह की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव किया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) दिनांक 19 दिसम्बर, 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) की बैठक मसौदा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) पर विचार करने तथा अनुमोदन देने के लिए आयोजित की गई थी जिसमें अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर को देखा गया था। ग्यारहवीं योजना में योजना अवधि (2007-12) के लिए अर्थव्यवस्था की विकास दर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर निर्धारित की गई है और इसका उद्देश्य इस अवधि के अंत तक लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था को एक संधारणीय विकास पथ की ओर ले जाने का है। बैठक में उत्पादन वृद्धि युक्तियों का आह्वान करते हुए खाद्यान्न सुरक्षा की सन्निकट समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया।

(ग) जी-8 की शिखर बैठक जून, 2007 में जर्मनी में आयोजित हुई थी। जैसा कि प्रश्न के भाग (क) में एन.डी.सी. की बैठक में बहुत पहले उल्लेख किया था।

(घ) खाद्यान्न सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ग्यारहवीं योजना रणनीति (1) चुनिंदा जिलों में 2008 में शुरू किए गए राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन के माध्यम से ग्यारहवीं योजना के अंत तक चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को 20 मिलियन टन तक बढ़ाना (2) कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रकों के आबंटन में वृद्धि (3) सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और कृषि अनुसंधान को मजबूत बनाना (4) सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करना (5) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करना और वर्षापोषित क्षेत्रकों में वाटरशेड विकास करना (6) इनपुट और अन्य सहायक सेवाओं को मजबूत बनाना तथा (7) बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए खाद्यान्न प्रबंधन आयोजना को समायोजित करने पर आधारित है। ग्यारहवीं योजना में कृषि सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष के चालू स्तर से योजनावधि में 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक बढ़ाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को मजबूत करने का उल्लेख किया गया है जिसमें खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साधनों के रूप में मजदूरी रोजगार, स्कूली बच्चों को मिड-डे मील आदि कार्यक्रम शामिल हैं।

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

1862. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में क्रियान्वित की गई/क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का परियोजना-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन पर कुल कितनी धनराशि आबंटित तथा व्यय की गई;

(ग) आज की तिथि तक प्रत्येक परियोजना की स्थिति क्या है; और

(घ) राज्य में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में मंत्रालय द्वारा राज्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सीमा सड़क संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) स्कीम के अंतर्गत और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 14 राष्ट्रीय राजमार्गों (रा.रा. सं. 4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214, 219, 221 और 222) पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। अभी तक, चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान 198 विकास कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इनमें से, 108 कार्य पूरे कर लिए गए हैं और शेष 90 कार्य कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। चालू वर्ष जनवरी, 2008 सहित गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यों सहित राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 3029.00 करोड़ रु. व्यय किए जा चुके हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित विकास कार्य वार्षिक योजनाओं के माध्यम से शुरू किए जाते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान अभी तक उक्त स्कीमों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 28 कार्य शुरू किए गए हैं।

भारत तथा पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया

1863. **श्री एम. अप्पादुरई:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की अचानक हत्या के कारण दोनों देशों की सरकार द्वारा शुरू की गई शांति प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु और अधिक बैठकें आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन सी तिथियां निर्धारित की गई हैं तथा ये वार्ताएं किस स्तर पर शुरू किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) जैसे ही पाकिस्तान में नई सरकार बन जाती है, सरकार संयुक्त वार्ता प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हम आशा करते हैं कि हिंसा और आतंकवाद से मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ एक आपसी लाभप्रद संबंध बनाने और लंबित मामलों को सुलझाने में हम सक्षम होंगे।

[हिन्दी]

एक्सप्रेस-वे पर अबाध यातायात प्रणाली

1864. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में यातायात अवरोध की समस्या से निपटने के लिए एक्सप्रेस-वे तथा कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर अबाध यातायात प्रणाली शुरू करने के लिए कोई विशेष उपायों की घोषणा की है जैसा कि 17 फरवरी, 2008 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखंड तथा बिहार सहित विभिन्न राज्य यातायात अवरोध की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) दिनांक 17-2-2008 के दैनिक जागरण के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित यह समाचार अभी हाल में यातायात के लिए खोले गए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के दिल्ली-गुड़गांव खंड पर यातायात जाम के बारे में है। जिस रियायतग्राही ने निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर इस परियोजना को विकसित किया है, उसने टॉल प्लाजा पर प्रतीक्षा अवधि/लंबी कतारों से बचने के लिए हाल में अनेक उपायों की घोषणा की है। तथापि, सरकार ने देश में एक्सप्रेस मार्ग और कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यातायात व्यवस्था शुरू करने के लिए किसी विशेष उपाय की घोषणा नहीं की है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ खंडों पर यातायात की भीड़-भाड़ वर्तमान यातायात के लिए अपर्याप्त क्षमता के कारण है। यातायात की भीड़-भाड़ से राहत दिलाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों को धनराशि की उपलब्धि और अन्य कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर चौड़ा किया जा रहा है। जांच बैरियर पर यातायात जाम कम करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतर्राज्यीय सीमा पर प्रवेश स्थल पर एकीकृत जांच चौकी बनाने का परामर्श दिया गया है।

[अनुवाद]

पश्चिमी घाटों की जैव विविधता का संरक्षण

1865. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी घाटों की जैव विविधता की अभी पूर्ण खोज नहीं हो पायी है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी खोज करने तथा इनके संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी हां। पश्चिम घाटों की जैवविविधता

की अभी पूरी तरह से खोज नहीं की गई है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर के अंतर्गत "पारिस्थितिकी विज्ञान केन्द्र" और अन्य अनेक क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा क्षेत्र की खोज की जा रही है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण में तकनीकी कर्मचारियों की वृद्धि की गई है। क्षेत्र की जैवविविधता को बचाने के लिए अनेक राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयरण्यों, बाघ रिजर्वों और हाथी रिजर्वों को अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा नीलगिरी के कुछ हिस्सों और अगस्त्यमल्य क्षेत्रों को जीवमण्डल रिजर्व के रूप में अभिनामित किया गया है। दुर्लभ और स्थानीय पौधों के स्वस्थाने संरक्षण को वनस्पति उद्यानों और स्थान-बाह्य संरक्षण केन्द्रों के माध्यम से बढ़ावा दिया गया है।

एच.आई.वी. से संक्रमित महिलाएं

1866. **श्री अनन्त नायक:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एच.आई.वी. से संक्रमित महिलाओं की 31 दिसम्बर, 2007 की तिथि के अनुसार अनुमानित संख्या तथा प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार एच.आई.वी. से संक्रमित ऐसी महिलाओं तथा उनके परिवारों द्वारा त्याग दी गई ऐसी महिलाओं के उपचार एवं पुनर्वास हेतु कोई योजना शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे परिवारों का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) ऐसी योजना कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) वर्ष 2006 में एच.आई.वी. से ग्रस्त महिलाओं की अनुमानित संख्या 0.96 मिलियन है। देश में एच.आई.वी. संक्रमणों की कुल अनुमानित संख्या का 39.1% हिस्सा महिलाओं का है। वर्ष 2007 के लिए अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ) देश के 137 ए.आर.टी. केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं सहित एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। एड्स, क्षयरोग और मलेरिया चरण IV और VI हेतु उपचार के लिए मार्च, 2012 तक वैश्विक निधि के तहत 122.67 मिलियन अमरीकी डॉलर और 214.17 मिलियन अमरीकी डॉलर उपलब्ध हैं।

सार्वभौम निधि कोष

1867. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:**

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार हजारों करोड़ की धनराशि वाला सार्वभौम निधि कोष सृजित करने की योजना बना रही है जैसा कि 20 फरवरी, 2008 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी संरचना क्या है;

(ग) ऐसी निधि सृजित करने के उद्देश्य क्या है; और

(घ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव योजना आयोग में विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एम्बुलेंस सुविधा

1868. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को एम्बुलेंस वैन प्रदान करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) संघ सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के तहत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों में आपाती

रोगियों को लाने-ले जाने के लिए रेफरल परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए एम्बुलेन्स की खरीद ओर उसकी आउटसोर्सिंग के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर अल्प सेवित क्षेत्रों में लोगों को घर के आसपास स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में चल चिकित्सा एककों का अनुमोदन किया है। दो प्रकार के चल चिकित्सा एककों की परिकल्पना की गई है जिसमें से पहला में पूर्वोत्तर राज्यों में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों को छोड़कर नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के लिए उनकी पर्वतीय भूभाग की कठिनाई, सार्वजनिक परिवहन द्वारा सम्पर्क न हो पाने, लम्बी दूरी को कवर करने इत्यादि के लिए विशेष सुविधाएं और सेवाएं जैसे कि एक्स रे, ई.सी.जी. ओर अल्ट्रासाउण्ड प्रदान करने का प्रस्ताव है। तथापि राज्यों से उपहार है कि वे इस असमानता को दूर करे और यह सुनिश्चित करे कि अपनी स्थानीय अपेक्षा की प्रर्ति के लिए एम.एम.यू. के लिए अति उपयुक्त और शाश्वत माडल को अपनाएं।

राज्यों/संघ सरकारों को उनकी संबंधित वार्षिक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना में उनकी आवश्यकतानुसार निधियां जारी की जाती है।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

1869. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में प्रारम्भिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को तुरन्त पंचायती राज संस्थाओं को स्थानान्तरित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.) ने "स्थानीय अधिशासन भविष्य में एक प्रेरक यात्रा" नामक अपनी छठी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा, निरोधात्मक एवं संवर्धनकारी स्वास्थ्य सेवायें, जलापूर्ति, स्वच्छता, पर्यावरण सुधार तथा पौष्टिक आहार से संबंधित स्थानीय स्तर की गतिविधियों को तुरंत पंचायती राज संस्थानों के उपयुक्त स्तरों पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

धूम्रपान मुक्त कार्य-स्थल

1870. श्री जुएल ओराम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा धूम्रपान मुक्त कार्य-स्थलों को प्रभावित करने वाले नियम लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्य-स्थलों में धूम्रपान करने के लिए क्षेत्रों को निर्धारित किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये नियम किस तिथि से प्रभावी होंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) "सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003" की धारा 4 सार्वजनिक स्थलों, जिनमें सार्वजनिक कार्यालय, पुस्तकालय, जलपान गृह, शैक्षिक संस्थान, न्यायालय भवन, रेलवे प्रतीक्षा कक्ष आदि शामिल हैं, में धूम्रपान करने का निषेध करती है।

इस अधिनियम के प्रावधान पहले से ही सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का निषेध करते हैं।

सरकार कार्य-स्थलों समेत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का न होना सुनिश्चित करने हेतु कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन को और बढ़ाने के लिए नियम तैयार कर रही है।

एन.आई.सी.डी. अनुसंधान केन्द्र

1871. श्री विजय कृष्ण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार तथा स्थान-वार राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (एन.आई.सी.डी.) के कुल कितने अनुसंधान केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार देश में विशेषकर बिहार तथा उत्तर प्रदेश में और अधिक (एन.आई.सी.डी.) अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (एन.आई.सी.डी.) जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, की आठ शाखाएं निम्नानुसार हैं:-

1. अलवर (राजस्थान)
2. बेंगलूर (कर्नाटक)
3. कुन्नूर (तमिलनाडु)
4. जगदलपुर (छत्तीसगढ़)
5. कोजीकोड (केरल)
6. पटना (बिहार)
7. राजमुन्द्री (आन्ध्र प्रदेश)
8. वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

(ख) जहां तक एन.आई.सी.डी. का संबंध है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय मछुआरों तथा उनकी नावों को छोड़ा जाना

1872. श्री हरिन पाठक: क्या **विदेश मंत्री** 27-02-2008 के अतारांकित प्रश्न सं. 204 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तान के कब्जे में 372 भारतीय मछुआरों तथा 342 नावों को कब तक छोड़ दिए जाने की संभावना है;

(ख) 26-27 फरवरी, 2008 को आयोजित न्यायिक समिति की प्रथम बैठक में निकले परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी रिहाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) 4 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में हुए सार्क सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री शौकत अजीज ने प्रधान मंत्री को आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान द्वारा भारतीय मछुआरों से जब्त की गयी मछली पकड़ने वाली नावों को उनके मालिकों को लौटाने की शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोनों देशों में कैद एक-दूसरे के नागरिकों की स्थिति की समीक्षा करने पर भी सहमति जताई। हमें इस वचनबद्धता के क्रियान्वयन की प्रतीक्षा है।

(ख) न्यायिक समिति ने सिफारिश की है कि (i) एक-दूसरे की जेलों में बंद राष्ट्रिकों की वर्तमान स्थिति और उनके पूर्ण विवरण के साथ एक समेकित सूची 31 मार्च, 2008 को एक-दूसरे को सौंपी जाए; (ii) जिन कैदियों ने अपनी सजा पूरी कर ली है और जिनकी राष्ट्रीयता सत्यापित हो चुकी है उन्हें शीघ्र रिहा किया जाए; (iii) महिला, किशोर और विकलांग कैदियों को उनके प्रत्यर्पण में अनुकम्पा एवं मानवतावादी आधार पर विशेष रूप से विचार किया जाए; (iv) दोनों सरकारों के बीच हुई सहमति के अनुसार, हिरासत वाले जिन मछुआरों की राष्ट्रीयता की स्थिति की पुष्टि हो चुकी है, उन्हें शीघ्र रिहा किया जाए तथा शेष मामलों में 31 मार्च, 2008 तक कौंसुलर सुविधा प्रदान की जाए; (v) छोटे-मोटे अपराधों से संबंधित समस्त कैदियों, अभियुक्तों या दोषियों, जिनकी राष्ट्रीयता की एक बार पुष्टि हो जाती है, को शीघ्र रिहा करने की व्यवस्था करने के लिए समस्त प्रयास किए जाएं; और (vi) प्रत्येक देश दूसरे को उसके राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी की तुरंत अधिसूचना दें तथा त्वरित कौंसुली सुविधा प्रदान करें।

(ग) सरकार भारतीय मछुआरों तथा उनकी नावों की रिहाई के मसले को उच्च स्तर सहित पाकिस्तान सरकार के साथ सदैव उठाती रही है। ऐसी आशा की जाती है कि न्यायिक समिति की सिफारिश के अनुसार जिन मछुआरों की राष्ट्रीय स्थिति की पुष्टि हो चुकी है उन्हें शीघ्र रिहा किया

जाए तथा शेष मामलों में 31 मार्च, 2008 तक कोंसुली सुविधा प्रदान की जाए।

आन्ध्र प्रदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम

1873. **श्री गुंडलूर निजामुद्दीन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में आन्ध्र प्रदेश राज्य में लागू की जा रही राष्ट्र स्तरीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं को लागू करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है जिसमें प्रजनक और बाल स्वास्थ्य (आर.सी.एच.-II) कार्यक्रम और विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण, सूचना, शिक्षा, संप्रेषण आदि जैसी संबद्ध योजनाएं शामिल हैं। निधियों के आबंटन और योजनाओं को दर्शाने वाली एक विस्तृत सूची संलग्न विवरण में हैं-

आन्ध्र प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कार्य विभाग द्वारा डी.एफ.आई.डी. तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा विकसित आन्ध्र प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (ए.पी.एच.एस.आर.पी.) क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2007-08 के क्रियाकलापों के लिए राज्य को 9.5 मिलियन पौंड की प्रथम ट्रेंच जारी कर दी गई है।

नियोजित क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए राज्यों की योजना बनाने तथा क्रियान्वयन चरण पर निरंतर निगरानी की जाती है।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश के लिए निधियों का आबंटन

(रुपए लाख में)

क्रमांक	योजना	आबंटन
1.	निर्देशन व प्रशासन	452.00
2.	शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों का रख-रखाव	804.00
3.	स्वास्थ्य पोस्टों का रख-रखाव	0.00
4.	उप-केन्द्रों का रख-रखाव	19615.48
5.	ए.एन.एम./एल.एच.वी. का प्रशिक्षण	764.36
6.	एच.एफ.डब्ल्यू.टी.सी. का रख-रखाव	155.64
7.	एम.पी.डब्ल्यू. (पुरुष) का प्रशिक्षण	218.56
8.	आर.सी.एच. फ्लेक्सिबल पूल	11584.00
9.	मिशन फ्लेक्सिबल पूल	17989.00
10.	सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण	58.00

क्रमांक	योजना	आबंटन
11.	पल्स पोलियो प्रतिरक्षण की प्रचालन लागत	2929.00
	कुल-परिवार कल्याण से संबंधित योजनाएं	**54570.04**
12.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2206.71
13.	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम #	174.91
14.	एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम #	82.00
15.	राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम	12.50
16.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	763.50
17.	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम #	1973.85
	कुल-रोग नियंत्रण कार्यक्रम	**5213.47**
	कुल योग	59783.51

इनमें सामग्रीगत अनुदान शामिल हैं।

दिल्ली-लाहौर बस सेवा

1874. श्री नन्द कुमार साय:

श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान दिल्ली-लाहौर बस सेवा के फेरों की संख्या बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं जैसा कि 22 फरवरी, 2008 के "हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देश इस बस सेवा के माध्यम से की जा रही अवैध गतिविधियों को किस प्रकार से रोकेंगे?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी हां। दिल्ली लाहौर बस सेवा की आवाजाही को दोनों ओर से प्रति सप्ताह दो फेरों से बढ़ाकर तीन फेरे करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) इन सेवाओं का दुष्प्रयोग अवैध गतिविधियों के लिए नहीं हो, इसके लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

कर्नाटक राज्य में पासपोर्ट कार्यालय

1875. श्री सुरेश अंगडि: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक राज्य में स्थित विद्यमान पासपोर्ट कार्यालयों तथा संग्रह केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य के पासपोर्ट कार्यालयों में गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों की संख्या तथा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या राज्य में और पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की कोई मांग है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) कर्नाटक राज्य में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बंगलौर

और एक पासपोर्ट आवेदन संग्रहण केंद्र मंगलौर में है। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक में जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों से संबद्ध 21 जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ, 72 स्पीड पोस्ट केंद्र तथा बंगलौर शहर में 15 बंगलौर वन केन्द्र पासपोर्टों के आवेदन स्वीकार करते हैं।

(ख) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर (राज्य में अन्य आवेदन संग्रहण केंद्रों के आवेदन भी पासपोर्ट जारी किए जाने हेतु इसी कार्यालय में आते है) में प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों तथा जारी किए गए पासपोर्टों की कुल संख्या से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं-

वर्ष	प्राप्त हुए पासपोर्ट आवेदनों की कुल संख्या			जारी किए गए पासपोर्टों की कुल संख्या		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
	190481	241202	270124	186602	271941	279812

(ग) और (घ) समाज के विभिन्न वर्गों की बढ़ती मांग को देखते हुए, सरकार मंगलौर में एक पासपोर्ट कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 का उन्नयन

1876. श्री रघुबीर सिंह कौशल: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वी-पश्चिमी गलियारे के अंतर्गत पुलों, बाइपासों के निर्माण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग स. 76 को चौड़ा किए जाने संबंधी प्रगति तथा इस पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है और परियोजना-वार विशेषकर कोटा बाइपास एवं चंबल पर पुल के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या बगैर अनुमति/खरीद के मुट्टी उठाए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पूर्व पश्चिम महामार्ग के अंतर्गत निर्माण पैकेजों में उन पुलों और बाइपासों का निर्माण शामिल है जो पैकेज के अंतर्गत आते हैं। इसलिए, पुल और बाइपास पर होने वाले व्यय को अलग नहीं किया जा सकता है। तथापि, पूर्व-पश्चिम महामार्ग के अंतर्गत रा.रा. 76 संबंधी परियोजनाओं पर किए जा रहे व्यय के परियोजनावार ब्यौरे और प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

कोटा बाइपास कार्य की भौतिक प्रगति 8.3% है। चंबल नदी पर पुल का फाउंडेशन कार्य प्रगति पर है।

(ख) और (ग) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन पर ठेकेदार और जिला प्रशासन के साथ मिलकर तुरंत कार्रवाई की गई और वह सही नहीं पाई गई।

विवरण

पूर्व पश्चिम महामार्ग

(रा.रा. 76 से संबंधित परियोजना की सूची)

29-02-2008 के अनुसार स्थिति

क्र. सं.	ठेका खंड (राज्य)	रा.रा. सं.	लंबाई किमी.)	तारीख		के द्वारा वित्त पोषित	लागत (करोड़ रु.)		जनवरी, 08 तक व्यय (करोड़ रु.)	संचयी भौतिक प्रगति
				प्रारंभ होने की	पूरा होने की (अनुमानित)		कुल परियोजना	सिविल ठेकेदार को सौंपना/ बी.ओ.टी. अनुदान/ वार्षिकी भुगतान		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	शिवपुरी बाइपास और एम.पी./राज. सीमा तक ई.डब्ल्यू.-II (एम.पी.-1) किमी. 15.00 से रा.रा. 76 के जंक्शन तक/रा.रा. 25 के 3 किमी. और रा.रा. 76 के 610 से 579.00 किमी. (मध्य प्रदेश)	25 व 76	54	22-8-05	जून, 2008	ए.डी.बी.	360.70	294.98	256.71	85.08%
2.	राजस्थान/एम.पी. सीमा से कोटा ई.डब्ल्यू.-II (आर.जे.-11) किमी. 579 से किमी. 509 (राजस्थान)	76	70	10-9-05	जून, 2008	ए.डी.बी.	404.36	278.09	194.41	85.58%

3. राजस्थान/एम.पी. सीमा से कोटा ई.डब्ल्यू.-II (आर.जे.-10) किमी. 509 से किमी. 449.15 (राजस्थान)	76	60	20-10-05	दिसं., 2008	ए.डी.बी.	471.85	347.36	188.99	57.41%
4. राजस्थान/एम.पी. सीमा से कोटा ई.डब्ल्यू.-II (आर.जे.-9) किमी. 449.15 से किमी. 406.00 (राजस्थान)	76	43	24-10-05	मार्च, 2009	ए.डी.बी.	377.65	286.65	107.16	51.38%
5. कोटा बाइपास ई.डब्ल्यू.-II (आर.जे.-4) किमी. 406.00 से किमी. 381.00 (राजस्थान)	76	26.42	11-5-06	जून, 2009	एन.एच. ए.आई.	250.39	205.51	39.48	8.3%
6. चंबल पुल ई.डब्ल्यू.-II (आर.जे.-5) (राजस्थान)	76	14	7-11-06	सितं., 2010	एन.एच. ए.आई.	281.31	213.59	33.74	नींव संबंधी कार्य प्रगति पर
7. कोटा से चित्तौड़गढ़ (ई.डब्ल्यू.-II (आर.जे.-8) किमी. 381.00 से किमी. 316.00 (राजस्थान)	76	65	23-10-05	सितं., 2008	ए.डी.बी.	558.043	397.44	211.08	63.91%
8. कोटा से चित्तौड़गढ़ ई.डब्ल्यू.-II (आर.जे.-7) किमी. 316.00 से किमी. 253.00 (राजस्थान)	76	63	27-10-05	सितं., 2008	ए.डी.बी.	532.01	375.98	251.03	73.91%
9. चित्तौड़गढ़ बाइपास किमी. 253.00 से किमी. 229.25 ई.डब्ल्यू.-II (आर.जे.-6) (राजस्थान)	76	40	23.10-05	सितं., 2008	ए.डी.बी.	472.57	314.41	203.99	65.32%
10. गोगुंडा से उदयपुर (आर.जे.-3) किमी. 73 से किमी. 104.724 (राजस्थान)	76	31.724	14-1-06	सितं., 2008	एन.एच. ए.आई.	336.37	208.08	205.02	62.70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	बेकरिया से गोगुंडा (आर.जे.-2) किमी. 29 से किमी. 73 (राजस्थान)	76	44	6-11-05	दिसं., 2008	एन.एच. ए.आई.	551.5	411.60	287.90	68.31%
12.	स्वरूपगंज से बेकरिया (आर. जे-1) किमी. 249.70 से किमी. 264.00 किमी. 0.00 से किमी. 29.00 (राजस्थान)	14 व 76	43	8-12-05	दिसं., 2008	एन.एच. ए.आई.	243.11	173.34	127.95	56.00%

[अनुवाद]

राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को कोयले का आबंटन

1877. श्री सुब्रत बोस: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को उड़ीसा सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से उनके द्वारा बनाई गई शेल कंपनियों के लिए कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों/अनुरोधों पर केंद्र सरकार द्वारा कब तक विचार किए जाने तथा स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) जी, हां। पांच कोयला ब्लाकों अर्थात उड़ीसा में घोघरपली, घोघरपली की डिप साइड, साखीगोपाल, अलकनंदा, बनखुई, झारखंड में गौर्य कोयला ब्लाक और महाराष्ट्र में भीवकुंड कोयला ब्लाक के आबंटन का मुद्दा विद्युत मंत्रालय के विचाराधीन है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं द्वारा निधिपोषित वानिकी परियोजनाएं

1878. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर कर्नाटक में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा निधिपोषित वानिकी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) परियोजनाओं की लागत कितनी है और इनके क्या उद्देश्य हैं; और

(घ) इन्हें पूरा किए जाने के लिए कौन-कौन सी तिथियां निर्धारित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) बाह्य सहायता से वित्त पोषित दस चालू वानिकी परियोजनाओं में से, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन द्वारा नौ और विश्व बैंक, द्वारा एक परियोजना वित्त पोषित की गई है। दस विभिन्न राज्यों में फैले हुई इन परियोजनाओं की कुल परियोजना परिव्यय लगभग 4977 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा, उनका कुल परिव्यय, परियोजना अवधि और उद्देश्य संलग्न विवरण में दिए गए है।

कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक सतत वन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण परियोजनाओं, 745 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर क्रियान्वित की जा रही है जिसमें राज्य के शेयर के रूप में 131.734 करोड़ रुपये शामिल हैं। जे.बी.आई.सी. से 19 फरवरी, 2008 तक 157.951 करोड़ रुपए की राशि का प्रतिपूर्ति के रूप में दावा किया गया है। परियोजना के उद्देश्य वन आवरण में वृद्धि, सतत रूप से वनों का प्रबंधन, सुरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण और सुरक्षा, जे.एफ.पी.एम. और ग्रामीण समुदायों को समर्थन देना, अवक्रमित वन स्थलों पर प्राकृतिक संसाधनों का विकास करना, सतत वन प्रबंधन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समर्थ पर्यावरण नीति विकसित करना है। परियोजना अवधि 2005-06 से 2012-13 तक है।

विवरण

1. **जापान बैंक फार इंटरनैशनल कापरेशन द्वारा सहायता प्राप्त हरियाणा में एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन परियोजना:**

   परियोजना लागत:- 286 करोड़

   परियोजना अवधि:- 2004-05 से 2010-11

   उद्देश्य:- वन भूमि पुनर्वास, वनों के आसपास के ग्रामीणों के जीवन स्तर में का सुधार, महिला सशक्तिकरण को सुकर बनाना, सक्रिय लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करना, वी.एफ.सी. को मजबूत करना, आई.डी.ए. का प्रोमोशन।

2. **राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना (जे.बी.आई.सी.)**

   परियोजना लागत:- 442 करोड़

   परियोजना अवधि:- 2003-04 से 2008-09

   उद्देश्य:- अरावली की पारिस्थितिकीय स्थिति की

पुन स्थापना ओर आई.जी.एन.पी. क्षेत्र में रेल ड्रिफ्टिंग से रेलवे लाइनों, नहरों जैसी आधारभूत अवसंरचना का संरक्षण, जीन पूल परिरक्षण, ईंधन लकड़ी की उपलब्धता को बढ़ाना, चारा रोजगार अवसरों का सृजन, लोगों की सहभागिता प्राप्त करना।

3. पंजाब वनीकरण परियोजना टैच 2 (जे.बी.आई.सी.)

परियोजना लागत:- 263 करोड़

परियोजना अवधि:- 2002-03 से 2009-10

उद्देश्य:- पर्यावरणीय अवक्रगण को रोकना, सतत आधार पर शिवालिक क्षेत्र के क्षतिग्रस्त वनों का विकास, सीमांत किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार, वर्तमान पशुधन का सुधार, उद्यान गतिविधियों को शुरू करना, कम हो रहे जल स्तर का सुधार, फार्म वानिकी, कृषि वानिकी को बढ़ावा देना।

4. तमिलनाडु वनीकरण परियोजना चरण-2 (जे.बी.आई.सी.)

परियोजना लागत:- 567 करोड़

परियोजना अवधि:- 2005-06 से 2012-13

उद्देश्य:- अवक्रमित वनों का पारिस्थितिकीय पुनरूद्धार, वन आश्रित लोगों की आजीविका सुरक्षा को सुनिश्चित करना, वनीकरण कार्यक्रम में लोगों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना, जल एवं मृदा भूमि परिरक्षण उपाय, निजी भूमि पर पेड़ उगाने को प्रोत्साहित करना, तमिलनाडु के शहरी क्षेत्रों में हरियाली करना।

5. कर्नाटका सतत वन प्रबंधन और बायोडाइवरसिटी परिरक्षण परियोजना (जे.बी.आई.सी.)

परियोजना लागत:- 745 करोड़

परियोजना अवधि:- 2005-06 से 2012-13

उद्देश्य:- वन क्षेत्र को बढ़ाना, वन की सतता का प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों का परिरक्षण एवं संरक्षण, जे.एफ.पी.एम. और ग्रामीण समुदायों को सहायता, अवक्रमित वन क्षेत्रों पर प्राकृतिक संसाधनों का विकास, सतत वन प्रबंधन उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यावरण नीति का विकास करना।

6. स्वैन रीवर इंटिग्रेटिड वाटरशैड प्रबंधन परियोजना, हिमाचल प्रदेश (जे.बी.आई.सी.)

परियोजना लागत:- 160 करोड़

परियोजना अवधि:- 2006-07 से 2013-14

उद्देश्य:- वनों का पुनरूद्धार एकीकृत वाटरशैड प्रबंधन क्रियाकलापों जिसमें वनीकरण, भूमि संरक्षण, भूमि शामिल है, द्वारा स्वैप नदी के कैचमेंट क्षेत्र में कृषि भूमि का संरक्षण करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना।

7. उड़ीसा वन क्षेत्र विकास परियोजना (जे.बी.आई.सी.)

परियोजना लागत:- 660 करोड़

परियोजना अवधि:- 2006-07 से 2012-13

उद्देश्य:- अवक्रमित वनों का पारिस्थितिकीय पुनरूद्धार, वनों के आस-पास रहने वाले ग्रामीण के जीवन स्तर में सुधार करना, भागीदारी एप्रोच।

8. आंध्र प्रदेश समुदाय वन प्रबंधन परियोजना (विश्व बैंक)

परियोजना लागत:- 653 करोड़

परियोजना अवधि:- 2002-03 से 2006-07 विस्ताराधीन

उद्देश्य:- सामुदायिक भागीदारी द्वारा उन्नत वन प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करना।

9. गुजरात वन विकास परियोजना चरण-II (जे.बी. आई.सी.)

परियोजना लागत:- 944 करोड़

परियोजना अवधि:- 2007-08 से 2015-16

उद्देश्य:- पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना, पारिस्थिकीय संतुलन, भूमि कटाव को रोकना, कोस्टल जोन इको सिस्टम का परिरक्षण, आर्थिक समर्थता को बढ़ाना, ईंधन लकड़ी, टिम्बर, चारा

की आवश्यकता को पूरा करना, एन.टी.एफ.पी. आदि।

10. **त्रिपुरा एकीकृत वन विकास परियोजना (जे.बी. आई.सी.)**

परियोजना लागतः- 256 करोड़

परियोजना अवधिः- 6 वर्ष 2007-08 से शुरू

उद्देश्यः- जैविक विविधता को बनाए रखना, वनों के विभिन्न इस्तेमाल को बढ़ावा देना, केलोकान्ना वास्सिफेरा का पुनरूद्धार एवं परिरक्षण, मूल्य वर्धन के माध्यम से जीविका अवसरों का विकास, फॉर्म फोरेस्ट्री, इको टूरिज्जम, वाणिज्यिक पेड़ उगाने को बढ़ावा देना, जे.एफ.एम. को बढ़ावा देना।

एशियाई विकास बैंक को ऋण का पुनर्भुगतान

1879. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वरः क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एशियाई विकास बैंक को ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस चूक के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सूरत-मनोर टालवे परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रत्यक्षतः ली गई 43,08,820.36 यू.एस. डालर (19,14,40,889 रु.) धनराशि की एशियाई विकास बैंक लोन नं. 1747-आई.एन.डी. की पहली किस्त दिनांक 1-1-06 को देय थी। इस किस्त की अदायगी दिनांक 10-1-2006 को हुई। प्रशासनिक चूक की वजह से भुगतान में 9 दिन का विलंब हुआ।

(ग) इस तथ्य का पता लगाने के लिए जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के आधार पर महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर था, को उसके मूल संगठन में वापस भेज दिया गया और एक उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में इस अधिकारी को चेतावनी दी गई थी।

[हिन्दी]

लकड़ी के स्थान पर बांस के उपयोग संबंधी एसोचैम की रिपोर्ट

1880. **श्री हंसराज गं. अहीरः क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) द्वारा प्रस्तुत उस रिपोर्ट का अध्ययन किया है जिसमें यह कहा गया है कि लकड़ी के स्थान पर बांस का उपयोग कर सात हजार करोड़ रुपए की बचत की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में वनों के संरक्षण तथा पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए उपयोगी प्रस्ताव के आलोक में कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, हां। यह वास्तविकता है कि बांस में आवासीय, जोड़ों, फर्नीचर और अन्य इमारती सामग्रियों के लिए लकड़ी और अन्य परम्परागत सामग्रियों के स्थान पर एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में बहुत ही उच्च संभावना विद्यमान है।

(ख) लकड़ी के विकल्प के रूप में बांस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पर्यवेक्षणाधीन बांस अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है। यह मिशन बांस के प्रयोग के वर्धन और प्रसार की प्रौद्योगिकी और उद्यमियों को उपलब्ध प्रौद्योगिकी की सहायता से बांस आधारित औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

(ग) और (घ) जी, हां। प्राकृतिक वन संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने बांस पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए और काष्ठ के विकल्प के रूप में उनके अनुप्रयोग के लिए केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बांस मिशन

प्रारम्भ किया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय प्लाईवुड औद्योगिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान जैसे संस्थान बांस चटाई बोर्ड, बांस चटाई नालीदार शीट, बांस से बांस की लकड़ी के दरवाजे और (क) पर उल्लिखित विभिन्न प्रयोगों के लिए उनका अनुप्रयोग जैसे मूल्य संवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने में लगा हुआ है।

[अनुवाद]

आरक्षित एवं संरक्षित वनों के अंतर्गत भूमि

1881. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आरक्षित वनों एवं संरक्षित वनों के अंतर्गत आने वाली भूमि का प्रतिशत राज्य-वार कितना है;

(ख) इन वन भूमियों में निवास करने वाले परिवारों तथा व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से कितने अनुसूचित जनजातियों के है;

(घ) क्या सरकार इन परिवारों के पक्ष में वन भूमि के अधिकार को स्थापित करने जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) आरक्षित वनों और सुरक्षित वनों के अंतर्गत भूमि की प्रतिशतता, राज्य/संघ शासित प्रदेश वार निम्नलिखित है:

(क्षेत्र वर्ग कि.मी. में)

राज्य	भौगोलिक क्षेत्र (जी.ए.)	रिकोर्डड वन क्षेत्र (2005)			
		आरक्षित वन	(%)	सुरक्षित वन	(%)
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	275,069	50,479	18.35	12,365	4.50
अरुणाचल प्रदेश	83,743	10,546	12.59	9,528	11.38
असम	78,438	17,864	22.77	–	0.00
बिहार	94,163	693	0.74	5,779	6.14
छत्तीसगढ़	135,191	25,782	19.07	24,036	17.78
गोवा	3,702	237	6.40	–	0.00
गुजरात	196,022	14,067	7.18	696	0.36
हरियाणा	44,212	249	0.56	1,158	2.62
हिमाचल प्रदेश	55,673	1,896	3.41	33,043	59.35
जम्मू-कश्मीर	222,236	17,643	7.94	2,551	1.15
झारखण्ड	79,714	4,387	5.50	19,185	24.07
कर्नाटक	191,791	28,690	14.96	3,931	2.05

1	2	3	4	5	6
केरल	38,863	11,123	28.62	142	0.37
मध्य प्रदेश	308,245	61,886	20.08	31,098	10.09
महाराष्ट्र	307,713	49,226	16.00	8,195	2.66
मणिपुर	22,327	1,467	6.57	4,171	18.68
मेघालय	22,429	1,112	4.96	12	0.05
मिजोरम	21,081	7,909	37.52	3,568	16.93
नागालैंड	16,579	86	0.52	508	3.06
उड़ीसा	155,707	26,329	16.91	15,525	9.97
पंजाब	50,362	44	0.09	1,137	2.26
राजस्थान	342,239	11,860	3.47	17,652	5.16
सिक्किम	7,096	5,452	76.83	389	5.48
तमिलनाडु	130,058	19,388	14.91	2,183	1.68
त्रिपुरा	10,486	4,175	39.81	2	0.02
उत्तर प्रदेश	240,928	11,509	4.78	1,837	0.76
उत्तराखण्ड	53,483	24,638	46.07	9,882	18.48
पश्चिम बंगाल	88,752	7,054	7.95	3,772	4.25
अण्डमान और निकोबार	8,249	2,929	35.51	4,242	51.42
चण्डीगढ़	114	31	27.19	–	0.00
दादर और नागर हवेली	491	199	40.53	5	1.02
दमन और द्वीव	112	–	0.00	6	5.36
दिल्ली	1,483	78	5.26	7	0.47
लक्षद्वीप	32	–	0.00	–	0.00
पांडिचेरी	480	–	0.00	–	0.00
कुल	3,287,263	419,028	12.75	216,605	6.59

(ख) और (ग) जनसंख्या, परिवारों की संख्या और उनमें से कितने अनुसूचित जनजाति से संबंधित है; के संबंध में सूचना का रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और ये आंकड़े इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने ऐसे परिवारों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (ओ.टी.एफ.डी.) (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है। यह अधिनियम 3-12-2007 को प्रभावी हुआ है और उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नियमावली को 01-01-2008 को अधिसूचित भी किया गया है।

मुम्बई पत्तन में बंदरगाह दीवाल
गोदी का निर्माण

1882. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई पत्तन में बंदरगाह दीवाल गोदी का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसके लिए कितनी राशि मंजूर की गई है;

(घ) परियोजना के पूरा होने के पश्चात्, मुम्बई पत्तन को क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(ङ) उक्त परियोजना को किस समयावधि में पूरा किया जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने इन्दिरा डॉक पर बंदरगाह दीवार घाटों (18-22) के विकास के लिए मुम्बई पत्तन न्यास की एक परियोजना को जनवरी, 2008 में अनुमोदित किया है। परियोजना में जहाजी माल संभलाई उपस्कर और गहरे डुबाव वाले जलयानों की संभलाई को सुकर बनाने के लिए परियोजना क्षेत्र और पहुंच मार्गों का निकर्षण करने का प्रावधान शामिल है। परियोजना के संघटक इस प्रकार हैं:

(i) स्थूण नींव (पाइल फाउंडेशन) पर प्लेटफार्म घाट (आकार 882x10 मी.) का निर्माण

(ii) बर्थ पॉकेट का -8.5 एम.सी.डी. से -14.64 मी. सी.डी. तक पहुंच मार्ग में -7.3 मी. सी.डी. से -9.3 मी. सी.डी. तक और, टर्निंग सर्किल का निकर्षण करना।

(iii) विद्यमान बंदरगाह दीवार का सुदृढ़ीकरण।

(iv) जहाजी माल संभलाई अवसंरचना सुविधाएं जैसे क्रेनें, सुवाह्य (पोर्टेबल) कन्वेयर वेल्ट, सचल हूपर आदि की व्यवस्था।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत 353 करोड़ रु. है जिसे मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाना है।

(घ) फिलहाल, गहरे डुबाव वाले जलयान/बड़े परिमाप के जलयान इन्दिरा डॉक बेसिन में नहीं ले जाए जा सकते हैं। इस परियोजना से गहरे डुबाव वाले जलयान/बड़े परिमाप के जलयानों की गहरे डुबाव की सुविधा को सृजित करने की आवश्यकता को पूरा करने की अपेक्षा है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर मुम्बई पत्तन न्यास की संभलाई क्षमता में 8 मिलियन टन तक वृद्धि होगी जिससे पत्तन बल्क में प्रक्षेपित यातायात, लौह अयस्क सहित सामान्य जहाजी माल को संभालने में समर्थ हो सकेगा।

(ङ) इस परियोजना को फरवरी, 2010 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

याव्स रोग का होना

1883. श्री पी. मोहन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में याव्स रोग होने का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों का राज्य-वार तथा महिला-पुरुष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) याव्स की व्याप्तता देश के 10 राज्यों के 49 स्थानिकमारी जिलों में थी। तथापि, वर्ष 1996 से केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम, याव्स उन्मूलन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण याव्स को देश से समाप्त हुआ घोषित कर दिया गया है क्योंकि वर्ष 2004 से स्थानिकमारी राज्यों से इसके किसी भी रोगी की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। याव्स उन्मूलन कार्यक्रम के लिए अपनाये गए कार्यनीति से याव्स के रोगियों की संख्या वर्ष 1996 में 3500 से अधिक से घटकर वर्ष 2004 में शून्य हो गई।

वर्ष 2000/2010 तक याव्स के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10 राज्यों के 49 स्थानिकमारी जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

इको-संवेदी क्षेत्र

1884. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वन्यजीव बोर्ड (आई.बी.डब्ल्यू.एल.) ने राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों के चारों ओर 10 कि.मी. क्षेत्र को इको-संवेदी क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) किन-किन राज्यों ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है और इसके क्या कारण है;

(घ) क्या आई.बी.डब्ल्यू.एल. ने अपने पूर्व के निर्णय को नरम किया है तथा इस संबंध में स्वय राज्यों से निर्णय लेने के लिए कहा है; और

(ङ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) सुरक्षित क्षेत्रों की पवित्रता को बेहतर ढंग से बनाए रखने के लिए, सुरक्षित नेटवर्क के आसपास बफरों और गलियारों को सुदृढ बनाने के लिए एक अतिरिक्त साधन के रूप में, और सुरक्षित क्षेत्रों में और उनके आस-पास औद्योगीकरण और अनियोजित विकास के नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए इको-संवेदी क्षेत्र को घोषित किए जाने की आवश्यकता है। इस पृष्ठ भूमि में, भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने 21 जनवरी 2002 को हुई अपनी XXIवीं बैठक में माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता मे "वन्यजीव संरक्षण कार्यनीति 2002" अंगीकार की थी, जिसमें परिकल्पित एक कार्य बिन्दु पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की चाहरदीवारी के 10 कि.मी. तक भूमि को ईको-संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करना था।

तथापि, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गोवा राज्य सरकारों ने सुरक्षित क्षेत्र की चाहरदीवारी से 10 किमी. की सीमा की अनुप्रयोज्यता पर चिन्ता व्यक्त की है और सूचित किया है कि इन राज्यों में अधिकांश मानवीय आबादी और महत्वपूर्ण शहरों सहित अन्य क्षेत्र, इको-संवेदी जोन के कार्यक्षेत्र के तहत आएंगे और विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 17 मार्च, 2005 को हुई दूसरी बैठक में, राज्यों द्वारा संप्रेषित प्रतिबंधों पर विचार करते हुए, इस प्रस्ताव पर पुनः विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि इको-संवेदी जोन का निर्धारण स्थल विशिष्ट होगा और विशिष्ट गतिविधियों को निषिद्ध करने के स्थान पर विनियायक संबंधी होगा। सभी राज्य सरकारों को यह निर्णय अनुपालन हेतु संप्रेषित कर दिया गया था।

(ङ) केवल असम, हरियाणा, कर्नाटक, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा राज्य ने अब तक सुरक्षित क्षेत्रों के आस-पास इको संवेदी जोन की घोषणा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने समय-समय पर, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के निर्णयानुसार, इको संवेदी क्षेत्रों के रूप में, क्षेत्रों को घोषित करने के लिए राज्य सरकारों को अनुरोध किया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष गोवा फाउंडेशन ने रिट याचिका (सिविल) सं. 460/2004 दाखिल की थी। माननीय न्यायालय ने दिनांक 4 दिसम्बर, 2006 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा राज्य सरकारों को सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास इको संवेदी जोन यथाशीघ्र घोषित करने के लिए भी निदेश दिया है।

ग्यारहवीं योजना में वन क्षेत्र

1885. श्री अनन्त नायक:

श्री भर्तृहरि महताब:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना के दौरान देश में वन क्षेत्र में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां, देश में वन और वन क्षेत्र को 5 प्रतिशत बिन्दु वृद्धि करने के लिए चर्चा की गई है।

सरकार द्वारा कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम और हरित भारत के लिए सहायता अनुदान स्कीम सहित कई स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है जो देश में वन और वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए योगदान देती हैं। मंत्रालय ने ग्यारवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान पंचायती राज संस्थानों को शामिल करते हुए वनेतर भूमियों के वनीकरण के लिए ग्राम वन योजना स्कीम भी प्रारंभ की है। इसके अलावा एकीकृत वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राष्ट्रीय बांस मिशन सहित वृक्षारोपण, अन्य मंत्रालयों की स्कीमों में एक अनुमत कार्यकलाप है।

केंद्रीय प्रायोजित विकास योजना में संसद सदस्य की भूमिका

1886. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सहित राज्यों में क्रियान्वित की जाने वाली केंद्रीय प्रायोजित योजना में संसद सदस्यों की भूमिका क्या है;

(ख) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के विकास के लिए कितनी योजनाएं चल रही हैं;

(ग) क्या अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने इस संबंध में संसद सदस्य से सिफारिश एवं सुझाव मांगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्र द्वारा प्रायोजित अनेक विकास योजनाएं चल रही हैं जो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत निधि या तो सीधे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अथवा जिला प्राधिकारियों को प्रदान की जाती है। ये योजनाएं प्रत्येक योजना के लिए अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं जिनमें संसद सदस्यों को विभिन्न स्तरों पर शामिल करने का प्रावधान है। संसद सदस्य जिला स्तरीय सतर्कता तथा प्रबोधन समितियों के अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष के रूप में भी मनोनीत किए जाते हैं।

(ख) से (ङ) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने सूचित किया है कि इस समय केंद्र द्वारा प्रायोजित 36 योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि जहां अपेक्षित होता है, माननीय संसद सदस्य को प्रबोधन समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है।

विदेशों में कोयला खानों का अधिग्रहण

1887. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला विदेश लि. सहित विभिन्न भारतीय कंपनियों ने विभिन्न देशों में कोयला खानों का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कंपनियों के नाम क्या है;

(ग) क्या कोल वेंचर्स इंटरनेशनल (सी.वी.आई.) को मोजाम्बिक में कोयला ब्लॉकों की पेशकश की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोयला उत्पादन के लिए ऐसे देशों द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) के अधीन कार्यरत कोल विदेश इंडिया लि. नामक कोई कंपनी नहीं है। तथापि, सी.आई.एल. सेल/आर.आई.एन.एल./एन.एम.डी.सी. और एन.टी.पी.सी. के साथ गठित तथा सी.आई.एल., (मुख्या.), कोलकाता में कोल विदेश विभाग के माध्यम से स्वतंत्र रूप

से कार्यरत एक संयुक्त उद्यम कंपनी में साझेदारी के साथ विदेश में कोयला इक्विटी प्राप्त करने के लिए पहल कर रही है। संयुक्त उद्यम अथवा सी.आई.एल. द्वारा अब तक कोई अधिग्रहण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) सी.आई.एल. सेल/आर.आई.एन.एल./एन.एम.डी.सी. और एन.टी.पी.सी. के साथ गठित संयुक्त उद्यम कंपनी मोजाम्बिक सहित विदेश में विभिन्न देशों में कोयला ब्लाकों का पता लगा रही है। तथापि, आज की तारीख तक कोई अधिग्रहण नहीं किया गया है।

युवतियों द्वारा तम्बाकू का सेवन करना

1888. श्री निखिल कुमार:
श्री ए. साई प्रताप:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल टोबैको यूज एंड कंट्रोल एफर्ट्स संबंधी अपनी पहली रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि भारत में युवतियों द्वारा तम्बाकू का सेवन करने के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा नागरिकों द्वारा तम्बाकू के सेवन को नियंत्रित करने हेतु उठाए गए कदम प्रभावी सिद्ध नहीं हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तम्बाकू के सेवन को रोकने की और क्या रणनीति है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) वैश्विक तम्बाकू सेवन एवं नियंत्रण उपायों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट ने उच्च जनसंख्या वाले देशों में युवा महिलाओं के बीच तम्बाकू के सेवन में वृद्धि का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में अशुभ सूचक प्रच्छन्न महामारी की ओर झुकाव दिखाया गया है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में एक-चौथाई दर से धूम्रपान करती हैं और तम्पाकू उद्योग इस संभावना का जोर-शोर से विपणन कर रहे हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने एक बहुत कठोर तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 पारित किया है, जिसमें निम्नलिखित बातें हैं:-

- सभी तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर निषेध।
- सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध।
- 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचने पर निषेध।
- शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने पर निषेध।
- तम्बाकू पैकों पर कानूनी चेतावनी (सचित्र चेतावनी सहित) का अनिवार्य रूप से चित्रण।

राज्य सरकारें इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए कार्यान्वयन अभिकरण हैं। चूंकि विभिन्न राज्यों में इस अधिनियम का कार्यान्वयन वांछित स्तर तक नहीं है, इसलिए केन्द्र सरकार राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिसका प्रायोगिक चरण-2007-08 में 9 राज्यों में शुरू किया गया है, के तहत राज्य/जिला तम्बाकू नियंत्रण कक्षों की स्थापना करके राज्यों/जिलों की क्षमता को मजबूती प्रदान करने की परिकल्पना करती है।

बायो-इंजीनियरिंग तकनीक

1889. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशिया के कुछ देशों द्वारा मानव अंगों की बढ़ती मांग से निपटने के लिए बायो-इंजीनियरिंग तकनीक विकसित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में ऐसी तकनीकों की नकल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) एशियाई देशों द्वारा विकसित की जा रही बायो-इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों के बारे में विशिष्ट सूचना भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। 10वीं योजना के दौरान जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायो-इंजीनियरिंग की पहचान एक संभावना वाले क्षेत्र के

रूप में की गई है जिसका उद्देश्य उन्नत अनुसंधान, मानव संसाधन विकास शुरू करना, बायो-इंजीनियरिंग के चार प्रमुख क्षेत्र अर्थात टिश्यू इंजीनियरिंग, बायो मेटेरियल्स, बायो मेडिकल सेंसर, मेडिकल उपकरण, इम्प्लांट्स और बायोइन्स्ट्रूमेंट में सुविधाएं विकसित करना है। टिश्यू इंजीनियरिंग सहित निर्धारित प्रमुख क्षेत्रों में कई परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मानव अंगों से संबंधित टिश्यू इंजीनियरिंग के बारे में कार्यान्वित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक
1.	कार्नियल टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए बायोइंजीनियर्ड सेलसिट
2.	स्किन टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए कालेजन-3 डायमेंशनल स्केफोल्ड में त्वचा के इपीडर्मल एवं डर्मल कोशिकाओं का पुनर्निर्माण
3.	क्रियात्मक रूप से सक्रिय कार्डियक इम्प्लांट के रूप मे नोवल बायो डिग्रेडेबुल पोलीमेरिक मेटेरियल का विकास और अध्ययन
4.	रक्तवाहिकाओं की टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए बायोडिग्रेडेबुल स्केफोल्ड का विकास
5.	स्टैण्ड मेटेरियल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कर्डियन का उत्पादन और बायोडिग्रेडेशन अध्ययन
6.	जांच प्रदूषकों एवं औषधों के लिए टिश्यू इंजीनियर्ड हैब्रिड कृत्रिम फेफड़े का माडल
7.	टिश्यू इंजीनियर्ड स्माल डायमीटर वास्कुलर ग्राफ, फेब्रिकेशन एवं मूल्यांकन
8.	आर्थोपेडिक इम्प्लांट का बायोकेमिकल विश्लेषण एवं डिजाइन
9.	कृत्रिम हस्त नियंत्रण के लिए इम्प्लांटेड न्यूरल इन्टफेस और नियंत्रण स्कीमें

विश्व बैंक द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या परियोजनाओं का अध्ययन

1890. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद ऊर्फ साधु यादव:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में स्वास्थ्य परिचर्या परियोजनाओं का कोई अध्ययन किया है जैसा कि दिनांक 12 जनवरी, 2008 के 'मिन्ट' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी हां, 11 जनवरी, 2008 को विश्व बैंक ने हमें एक रिपोर्ट अर्थात विस्तृत कार्यान्वयन समीक्षा दी है। इस रिपोर्ट में, विश्व बैंक ने सांठगांठ, बोली लगाने में धांधली, सिविल निर्माण कार्यों में कमी, स्टाफ आदि की कमी के कारण संस्थापित न किए गए उपकरणों आदि जैसे प्रापण, निरीक्षण और कार्यान्वयन से संबंधित कमियों का उल्लेख किया है। जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत प्रापणों/खरीद जिनको राज्य स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है से संबंधित सूचित की गई अधिकांश कमियों को सूचित किया गया। यह रिपोर्ट पांच क्षेत्र परियोजनाओं की समीक्षा पर आधारित है जिनको वर्ष 1997 से 2006 के अंत तक भिन्न-भिन्न अवधियों के दौरान क्रियान्वित किया जा रहा था। एक परियोजना राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र के अधीन थी।

विश्व बैंक की रिपोर्ट अनेक अवगुणों से ग्रस्त है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याम मंत्रालय ने पहले ही विश्व बैंक द्वारा अपनाए गए क्रियाविधि विज्ञान के अवगुणों के बारे में अपना उत्तर भेज दिया है जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि विश्व बैंक ने समीक्षा के दौरान या समीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले किसी भी कार्यक्रम अधिकारी के साथ विचार-विमर्श नहीं किया। इन चर्चाओं में

इस रिपोर्ट में उठाए गए अधिकांश मुद्दों को स्पष्ट कर दिया होगा। यदि ऐसा कर लिया जाता तो अधिकांश निष्कर्ष भिन्न होते।

(ग) भारत सरकार किसी कमी को दूर करने और अनियमितताओं को दूर करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने हेतु वचनबद्ध हैं। पहले के कार्यक्रमों में नोट की गई संरचनात्मक कमियों को उत्तरवर्ती कार्यक्रमों में ठीक कर दिया गया है। की गई अनेक आपराधिक, दण्डात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाइयां इस प्रकार हैं:-

(i) सूचित की गई सांठ-गांठ और अनियमितताओं के आरोपों पर जुलाई, 2005 में दो फर्मों नामतः मैसर्स नेस्टर फार्मास्युटिकल्स और मैसर्स प्योर फार्मा के साथ कारोबार को आस्थगित कर दिया गया।

(ii) मैसर्स प्योर फार्मा और मेसर्स नेस्टर फार्मास्युटिकल्स के खिलाफ सी.बी.आई. द्वारा 21-8-2006 को एक मामला दर्ज किया गया और यह मामला जांच की अग्रिम अवस्था में है।

(iii) प्रापण सहायता एजेंसियों के दो अधिकारियों (श्री एम.पी. गुप्ता, अस्पताल सेवा परामर्शी निगम और श्री बसन्त भट्ट, हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड, जो प्रापण अनियमितताओं में कथित रूप से शामिल थे, को वर्ष 2006 में निलम्बित कर दिया गया और वे अभी भी निलम्बित चल रहे हैं। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां भी अग्रिम अवस्था में है।

भारत सरकार ने अप्रैल, 2005 में एक अति महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली में निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सुधार करने शुरू किए गए हैं:-

(i) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में स्वतः निर्मित संस्थागत और वित्तीय मानीटरिंग तंत्र अर्थात राज्य/जिला/उप-जिला स्तरों पर कार्यक्रम प्रबन्धन एकक हैं जिनमें प्रबन्धन, वित्तीय और आयकर सुविज्ञ हैं।

(ii) ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य और सफाई समितियों उप-जिला और जिला अस्पताल के स्तरों पर रोगी कल्याण समितियों (रोगी कल्याण सोसाइटियों) के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व, उत्तरदायिता और निरीक्षण जिनमें पंचायती राज संस्थाओं, सिविल सोसाइटी और सरकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं।

(iii) यह मिशन सेवा गारन्टियों और न कि मात्र भवनों को बनाने तथा उपकरणों की खरीद पर जोर देता है।

(iv) भारत सरकार से राज्यों को और राज्यों से जिलों को धन का इलेक्ट्रानिक स्थानान्तरण और वास्तविक समय वित्तीय रिपोर्टिंग और मानीटरिंग के लिए ई-बैंकिंग।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीकृत अधिप्रापण/खरीद में निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है:

(क) बैंक सहायता-प्राप्त कार्यों के लिए परियोजना सेवाओं हेतु अधिप्रापण उत्तरदायिता को अधिप्रापण सहायता अभिकरणों से संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय को देना।

(ख) अधिप्रापण अभिकर्ताओं द्वारा संभाले जाने वाले अधिप्रापण के लिए निरीक्षण की व्यवस्था करने हेतु एक अधिकार-सम्पन्न अधिप्रापण विंग स्थापित किया। स्वस्थ्य क्षेत्र के लिए अधिप्रापण नीतियां और मानक तैयार किए और राज्य अधिप्रापण क्षमता निर्माण पर कार्य किया जा रहा है।

(ग) वर्ष 2006 में बैंक द्वारा सभी स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए स्वीकृत/सहमत शासन और उत्तरदायिता कार्य योजना (जी.ए.ए.पी.) के माध्यम से प्रतियोगिता, पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपाय शुरू किए गए।

(घ) चिकित्सीय उपकरणों (800 से अधिक) जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, के लिए तकनीकी विनिर्देशनों का सार तैयार किया।

(ङ) स्वास्थ्य मंत्रालय में वित्तीय प्रबन्धन दल बनाया, राज्य और जिला स्तरों पर वित्तीय कर्मचारियों को सहायता दी, विस्तृत परियोजना विशिष्ट वित्तीय प्रबन्धन मैनुअल तैयार किए।

(च) एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों और सार्वजनिक निजी

साझेदारियों के अधिप्रापण/खरीद के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और प्रचालनात्मक मैनुअल तैयार किए।

(छ) विस्तृत अधिप्रापण और वित्तीय मैनुअल तैयार किए और राज्य कर्मिकों को प्रशिक्षित किया।

(ज) समिति जिसमें एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक बाह्य मूल्यांकनकर्ता है, द्वारा गैर-सरकारी संगठन के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन शुरू किया गया और उन लगभग 25 प्रतिशत गैर-सरकारी संगठनों की संविदाएं समाप्त कर दी गई जिन्होंने दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया।

(झ) सभी मामलों में विश्व स्वास्थ्य संगठन अच्छी विनिर्माण पद्धतियों के प्री अवार्ड वैधीकरण/प्रमाणन को अनिवार्य बनाया गया।

इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निम्नलिखित कार्रवाईयां की गई हैं:-

(i) अधिप्रापण, कार्यान्वयन और चूक से संबंधित विश्व बैंक की रिपोर्ट में स्पष्ट की गई सर्वांगी कमियों को दूर करने के लिए विशिष्ट कार्यकलापों और समय-सीमाओं को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक के साथ गहन चर्चा के पश्चात् एक संयुक्त कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(ii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को छत्तीसगढ़ और कर्नाटक से संबंधित तीन नए मामले आगे जांच करने के लिए भेजे गए। अंकेक्षण रिपोर्ट के विश्लेषण के माध्यम से इनमें से एक मामले का पता लगाया गया। इसी प्रकार के एक मामले में उड़ीसा सरकार ने एक आपराधिक मामला दायर किया है और विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है।

(iii) उड़ीसा सरकार ने अब राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट में स्पष्ट की गई सभी कमियों की जांच पड़ताल करने के लिए पूरी सतर्कता के साथ जांच करने का आदेश दे दिया है।

डब्ल्यू.सी.एल. से कोयले की ढुलाई

1891. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में कोयले की ढुलाई का कार्य कंपनीवार/अनुषंगी इकाईवार किन-किन कंपनियों/ट्रांसपोर्टरों को दिया गया है;

(ख) प्रतिमाह कोयले की कितनी मात्रा की ढुलाई की जाती है;

(ग) क्या कोयले की ढुलाई में अनियमितता की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे त्रुटिकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) में कोयले के परिवहन का कार्य जिन कंपनियों/ट्रांसपोर्टरों को दिया गया है, उनके नाम निम्नलिखित हैं:

1. मैसर्स अनीस अहमद खान
2. मैसर्स खानदुजा कोल ट्रांसपोर्ट कं.
3. मैसर्स रूंगटा प्रोजेक्ट लि.
4. मैसर्स खंडेलवाल अर्थ मूवर्स
5. मैसर्स वनगार्ड कैरियर (प्रा.) लि.
6. मैसर्स आनंद कामर्शियल कं.
7. मैसर्स कलकत्ता इंडस्ट्रीयल सप्लाई कारपोरेशन
8. मैसर्स पुनिया कोल रोड लाइन्स
9. मैसर्स नारायण प्रसाद गौड़
10. मैसर्स आर.के. इंटरप्राइजेज
11. मैसर्स गणराज ट्रांसपोर्ट
12. मैसर्स अवनीश इंटरप्राइजेज
13. मैसर्स बी. हिम्मतलाल अग्रवाल
14. मैसर्स बी.एच.एल.ए. एंड पी.सी.आर. संयुक्त उद्यम
15. श्री पी.एम. साहनी
16. मैसर्स आनंद कमर्शियल कं.
17. मैसर्स कुमार माइनिंग एंड ट्रांसपोर्ट कं.

18. मैसर्स सलूजा ट्रांसपोर्ट कं.

19. मैसर्स अनिता एंड एंगल ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लि.

20. मैसर्स हेमकुण्ड कोल कैरियर (प्रा.) लि.

21. मैसर्स सुपत ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.

22. मैसर्स सैनिक माइनिंग एंड एलिड सर्विसेज लि.

23. मैसर्स आर.एस. अर्थ मूवर्स (प्रा.) लि.

24. मैसर्स एन.पी. अर्थ मूवर्स (प्रा.) लि.

25. मैसर्स वर्धा कोल ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.

26. सत्या कोल ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लि.

27. मैसर्स नवीजीवन अर्थ मूवर्स (प्रा.) लि.

28. मैसर्स जे.जे. अर्थ मूवर्स (प्रा.) लि.

29. मैसर्स जोरडोट अर्थ मूवर्स (प्रा.) लि.

30. मैसर्स जी.एस.एल. एसोसिएट (प्रा.) लि.

31. मैसर्स सारथी ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लि.

32. मैसर्स श्रीम कोल कैरियर (प्रा.) लि.

33. मैसर्स त्रिवेणी कोल ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लि.

34. मैसर्स गंगाधरन ब्लक मूवर्स (प्रा.) लि.

35. मैसर्स कार्तिकेय बल्क मूवर्स (प्रा.) लि.

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान डब्ल्यू.सी.एल. में परिवहन किए गए कोयले की औसत मात्रा की दर लगभग 36.41 लाख टन प्रतिमाह थी।

(ग) और (घ) जी, हां। जैसाकि कोल इंडिया लि. द्वारा सूचित किया गया है, इस संबंध में दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ब्यौरे निम्नवत हैं:

(i) शिवपुरी में श्री अनीस खान कोल ट्रांसपोर्टर्स और अन्यों के विरुद्ध कथित भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसकी जांच की गई और रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) को प्रस्तुत की गई। सी.वी.सी. की सलाह के अनुसार अब यह मामला सी.बी.आई., जबलपुर को भेज दिया गया है।

(ii) सिविलियन ट्रांसपोर्टरों की कीमत पर भूतपूर्व सैनिकों की कंपनियों को परिवहन ठेका अवार्ड किए जाने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई और इसे समुचित कार्रवाई हेतु वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. को भेजा गया है।

बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत वृक्षों की कटाई

1892. **श्रीमती मेनका गांधी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बी.आर.टी.एस.) को दिल्ली में बस स्टापों, बस लेन, साइकिल ट्रैक आदि के रास्ते में आने वाले वृक्षों को काटने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और काटे गए वृक्षों के बदले दूसरे वृक्ष लगाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) वन और वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधान के अनुरूप 2468 वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण की अनुमति दी गई है।

(ग) पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। परियोजना न तो राष्ट्रीय राजमार्ग है और न ही राज्य राजमार्ग, इसलिए यह पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होती।

(घ) दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 में वृक्षों की कटाई पर 1:10 के अनुपात में और वृक्षों के प्रत्यारोपण के मामले में 1:5 के अनुपात में प्रतिपूर्ति पौधरोपण का प्रावधान है। परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उत्तर-पश्चिम जिले में हरेवली गांव में 24.8 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि उपलब्ध कराई है तथा प्रतिपूर्ति पौदरोपण के सृजन के लिए राशि भी जमा कराई है।

विदेशों में रोजगार की इच्छुक नौकरानियों के लिए मार्ग-निर्देश तैयार करना

1893. **श्री आनंदराव विठोबा:**
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार की इच्छुक भारतीय नौकरानियों के लिए न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया है जैसा कि दिनांक 2 फरवरी 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशों में नौकरानियों की भर्ती हेतु नए दिशानिर्देश/शर्तें निरधारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विदेश में रोजगार की इच्छुक भारतीय नौकरानियों के कल्याण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात सहित 'उत्प्रवास जांच अपेक्षित' वाले देशों में उत्प्रवास पर जाने वाली घरेलू नौकरानियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। संबंधित भारतीय मिशनों द्वारा उस देश में प्रचलित बाजार मजदूरी को ध्यान में रखते हुए, 300-350 अमरीकी डालर के बीच न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाएगी।

(ङ) सरकार द्वारा कामगारों, विशेष रूप से महिला उत्प्रवासियों जैसे अपेक्षित वर्गों के संरक्षण और कल्याण के लिए अनेक उपाय किये गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. सातों दिन चौबीस घंटे की हैल्पलाइन स्थापित करना।
2. 'उत्प्रवास जांच अपेक्षित' वाले पासपोर्टों पर सभी महिला उत्प्रवासियों के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करना।
3. भारतीय कामगारों की सीधी भर्ती करने वाले विदेशी नियोक्ता से प्रति कामगार 2500 अमरीकी डालर की सुरक्षा राशि जमा करना।
4. उत्प्रवास जांच अपेक्षित पासपोर्ट वाली सभी महिला उत्प्रवासियों के रोजगार दस्तावेजों का अनिवार्य सत्यापन।
5. उत्प्रवासियों को सूचना प्रदान करने और उनकी सहायता करने के लिए एक स्थान पर सेवा प्रदान करने के रूप में मेजबान देशों में प्रवासी भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र खोलना।
6. विस्थापित उत्प्रवासियों के लिए 'आश्रय' खोलना।
7. संभावित महिला उत्प्रवासियों को शिक्षित करने के लिए प्रचार अभियान शुरू करना।
8. घरेलू कामगारों के लिए अपेक्षित कौशल विकास के लिए कार्यक्रम शुरू करना ताकि उन्हें कौशल की कमी के कारण प्रताड़ना का सामना न करना पड़े।

स्पेस एप्लिकेशन सेंटर, अहमदाबाद का विस्तार

1894. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (एस.ए.सी.), अहमदाबाद से उसके विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विस्तार कार्य को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र ने माइक्रोवेव सुदूर संवेदन, हाइपर स्पेक्ट्रमी प्रतिबिंबन, उन्नत उपग्रह संचार प्रौद्योगिकियों, उपग्रह नौवहन और अंतरिक्ष उपयोगों के क्षेत्रों में अंतरिक्ष कार्यक्रम के कार्यक्रमपरक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपनी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विस्तार की योजना बनाई है।

(ग) इस विस्तार कार्य का क्रियान्वयन 11वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित है।

हवाई निगरानी स्टेशन

1895. श्री जुएल ओराम: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रज्यवार और स्थानवार कितने हवाई निगरानी स्टेशन स्थापित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान नए हवाई निगरानी स्टेशन स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन के लिए राष्ट्र में मानीटरी नेटवर्क की स्थापना की गई है ताकि परिवेशी वायु गुणवत्ता का रुझान और स्थिति को निर्धारित किया जा सके। देश में 25 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों के 126 शहरों/कस्बों को कवर करते 341 स्टेशन कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, 29 मानीटरी स्टेशन 2007-08 के दौरान प्लॉन किए गए हैं।

कार्यरत स्टेशनों और 2007-08 के दौरान स्थापित किए जाने वाले स्टेशनों की सूचियां विवरण I और II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	शहर	कार्यरत मानीटरी स्टेशन की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	9
		विशाखापत्तनम	6
		तिरुपति	1
		विजयवाड़ा	2
		कुरनूल	1
		रामागुंडम	1
		पटेनचेरो	1
2.	असम	बोंगाईगांव	3
		गुवाहाटी	4
		तेजपुर	1
		शिवसागर	1
		डिब्रूगढ	1
		गोलाघाट	1
		हेलाकांडी	1

1	2	3	4
3.	बिहार	पटना	2
4.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	5
5.	छत्तीसगढ़	कोरबा	3
		भिलाई	3
		रायपुर	2
6.	दिल्ली	दिल्ली	11
7.	दादर एवं नागर हवेली	दमन द्वीव एवं नागर हवेली	4
8.	गोवा	पोंडा	1
		बास्को (मार्मागांव सहित)	2
9.	गुजरात	अहमदाबाद	6
		अंकलेश्वर	2
		जामनगर	1
		राजकोट	2
		सूरत	3
		वडोदरा	4
		वापी	2
10.	हरियाणा	फरीदाबाद	2
		हिसार	2
		यमुनानगर	1
11.	हिमाचल प्रदेश	दमताल	2
		परवानू	2
		पोंटा साहिब	2
		शिमला	2
		काला अम्ब	2
		बड्डी-बरोटी वाला	1

1	2	3	4
12.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू	3
13.	झारखंड	धनबाद	1
		झरिया	1
		सिंदरी	1
		जमशेदपुर	2
		रांची	1
14.	कर्नाटक	बंगलौर	6
		धारबाड़, हुबली	2
		मंगलौर	1
		हासन	1
		मैसूर	2
		गुलबर्गा	1
		बेलगांव	1
15.	केरल	कोजीकोड	2
		कोट्टयम	2
		कोचीन	7
		तिरुवनंतपुरम्	4
		पालाकड्ड	1
16.	मध्य प्रदेश	भोपाल	4
		इंदौर	3
		जबलपुर	1
		नागडा	3
		ग्वालियर	2
		सागर	2
		सतना	2
		सिंगरौली	3

1	2	3	4
		उज्जैन	3
		देवास	3
17.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	3
		लोटे	2
		तारापुर	3
		कोल्हापुर	3
		मुंबई	3
		अंबरनाथ	2
		चन्द्रपुर	3
		नागपुर	6
		नासिक	3
		शोलापुर	2
		पुणे	3
		थाणे	3
		नवी मुंबई	6
18.	मेघालय	शिलांग	2
19.	मिजोरम	आइजोल	3
20.	नागालैंड	दीमापुर	2
21.	उड़ीसा	रायगढ़	2
		राउरकेला	2
		तालचेर	2
		अंगूल	2
		भुवनेश्वर	1
		कटक	1
		संबलपुर	1

1	2	3	4
		ब्राह्मपुर	1
22.	पंजाब	गोविन्दगढ़	3
		जालंधर	4
		लुधियाना	4
		नया नांगल	2
		खन्ना	2
23.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	3
24.	राजस्थान	अलवर	3
		जयपुर	6
		जोधपुर	3
		कोटा	3
		उदयपुर	3
25.	सिक्किम	गंगटोक	2
26.	तमिलनाडु	चेन्नई	6
		तूतीकोरिन	3
		कोयम्बटूर	3
		मदुरै	3
		सेलम	1
27.	उत्तर प्रदेश	आगरा	5
		अनपरा	2
		फिरोजाबाद	3
		गजरौला	2
		गाजियाबाद	2
		कानपुर	6

1	2	3	4
		नोएडा	2
		वाराणसी	2
		झांसी	2
		खुर्जा	2
		मेरठ	2
28.	उत्तरांचल	देहरादून	2
29.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	10
		दुर्गापुर	3
		हल्दिया	3
		हावड़ा	4
		आसनसोल	1
		कुल	341

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	नगर	स्टेशनों की कुल संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश	ऊना	2
		सुंदरनगर	2
		धर्मशाला	2
		मनाली	2
2.	झारखंड	हजारीबाग	2
		गिरिडीह	1
		सराईकेला-खर-सावन	1
		पश्चिमी सिंहभूम	1
		जामतारा	1

1	2	3	4
		झरिया	2
3.	उत्तराखंड ई.पी. और पी.सी.बी.	रुद्रपुर	1
		काशीपुर	1
		हल्द्वानी	1
		ऋषिकेश	1
		हरिद्वार	1
		देहरादून	1
4.	जम्मू और कश्मीर	कश्मीर	4
		लद्दाख	3
		कुल	29

देश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

1896. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री नन्द कुमार साय:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उद्योग के साथ मिलकर अनेक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का है जैसा कि दिनांक 21 दिसम्बर 2007 के "द फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में इसके लिए किन स्थानों की पहचान की गयी है;

(ग) सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत की गयी राशि का ब्यौरा क्या है और उक्त उद्देश्य हेतु इच्छुक उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ऐसे आई.आई.आई.टी. के कब तक काम शुरू करने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) द्वारा दिसम्बर, 2007 में अनुमोदित 11वीं योजना दस्तावेज में देश में 20 आई.आई.आई.टी. स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन संस्थानों को स्थापित करने में, राज्यों और अन्य शेयर होल्डरों के परामर्श से सार्वजनिक निजी भागीदारी के कार्यक्षेत्र का पता लगाया जा रहा है।

नेहरू युवा केन्द्रों को आवंटित धनराशि

1897. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामाजिक समरसता तथा राष्ट्रीय एकता के प्रसार हेतु देश में नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा 2.16 लाख ग्राम स्तरीय युवा क्लबों को संचालित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्षवार नेहरू युवा केन्द्र की प्रत्येक इकाई को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया तथा कितनी राशि व्यय की गयी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि कितनी है और इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) समूचे देश में फिलहाल 2,58,770 युवा क्लब/महिला मंडल नेहरू युवा केन्द्र संगठन से संबद्ध हैं। युवा क्लबों/महिला मंडलों का राज्य-वार विवरण संलग्न है। 2008-09 के लिए बजट प्रस्तावों में प्रत्येक जिले में नेहरू युवा केन्द्र की स्थापना का प्रावधान है जिसका प्रधान जिला युवा समन्वयक होता है।

(ग) और (घ) स्थापना तथा नियमित कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन को वार्षिक आधार पर अनुदान जारी किया जाता है। 2004-05 में 33.52 करोड़ रु. की, 2005-06 में 36.74 करोड़ रु. की तथा 2006-07 में 36.00 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गयी थी। चालू वर्ष के दौरान, नेहरू युवा केन्द्र संगठन को यह अनुमति प्रदान की गयी है कि वह उसके पास पड़ी 63.91 करोड़ रु. के अधिशेष अनुदान को आगे ले जाए और उसका उपयोग करे जो 1987 में नेहरू युवा केन्द्र संगठन की शुरुआत से संचित है।

विवरण

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के साथ संबद्ध युवा क्लबों/ महिला मंडलों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	युवा क्लबों की कुल संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	287
2.	अरुणाचल प्रदेश	586
3.	आंध्र प्रदेश	27287
4.	असम	10806
5.	बिहार	12554
6.	झारखण्ड	6490
7.	चंडीगढ़	125
8.	दिल्ली	128
9.	दमन व दीव	108
10.	दादर व नगर हवेली	155
11.	गोवा	552
12.	गुजरात	6425
13.	हरियाणा	9463
14.	हिमाचल प्रदेश	6185
15.	जम्मू-कश्मीर	3845
16.	कर्नाटक	17183
17.	केरल	16233
18.	लक्षद्वीप	82
19.	मध्य प्रदेश	20233
20.	छत्तीसगढ़	6220
21.	महाराष्ट्र	14550
22.	मणिपुर	3370
23.	मेघालय	1370
24.	मिजोरम	855
25.	नागालैंड	915
26.	उड़ीसा	9586
27.	पंजाब	8200
28.	पांडिचेरी	925
29.	राजस्थान	12144
30.	सिक्किम	335
31.	तमिलनाडु	20700
32.	त्रिपुरा	719
33.	उत्तर प्रदेश	28758

1	2	3
34.	उत्तरांचल	4742
35.	पश्चिम बंगाल	8674
	कुल	258770

खनन गतिविधियों से वन क्षेत्र का विनाश

1898. श्री अनन्त नायक: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषतः क्योंझर जिला उड़ीसा में लौह अयस्क इत्यादि के खनन तथा रेलवे साइडिंग्स के निर्माण जैसी खनन गतिविधियों द्वारा विनष्ट कुल वन क्षेत्र के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितना वनक्षेत्र विनष्ट हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने खान मालिकों पर उनकी गतिविधियों के कारण कोई अर्थदण्ड लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखी जाएगी।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को सहायता हेतु मानदण्ड

1899. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान और निकोबार में क्रियान्वित किए जा रहे योजनागत कार्यक्रमों हेतु सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) ये मानदण्ड किस तिथि को निर्धारित किए गये;

(ग) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने केन्द्र सरकार से उक्त मानदण्डों में परिवर्तन करने हेतु अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) योजना स्कीमें समय-समय पर अनुभूत जरूरतों और आवश्यकताओं के आधार पर शुरू की जाती हैं। उन्हें केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। योजना आयोग उनकी कार्यान्वयन एजेन्सी नहीं है। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की स्कीमों सहित योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए निधियों के आबंटन मानक स्कीमों के उद्देश्य और विस्तृत दिशा-निर्देशों के आधार पर स्कीमों को कार्यान्वित करने वाले मंत्रालयों और विभागों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नेहरु युवा केन्द्रों की स्थापना

1900. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां आज की तारीख तक नेहरु युवा केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक जिला में नेहरु युवा केन्द्र स्थापित नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक जिले में नेहरु युवा केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) देश के उन जिलों की सूची, जिनमें नेहरु युवा केन्द्र स्थापित नहीं हैं, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 10वीं योजनावधि के दौरान कोई विस्तार नहीं किया गया था इसलिए इन जिलों में नेहरु युवा केन्द्र खोले नहीं जा सके।

(ग) अब विद्यमान कर्मचारियों की पुनर्तैनाती के माध्यम से और अधिक जिलों/जोनल मुख्यालयों में नेहरु युवा केन्द्र

संगठन के प्रस्तावित विस्तार को अनुमोदित कर दिया गया है। वर्ष 2008-09 के बजट प्रस्तावों में प्रत्येक जिले में जिला युवा समन्वयक के तहत एक नेहरु युवा केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है।

विवरण

देश के उन जिलों का ब्यौरा अभी तक नेहरु युवा केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं:-

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या		जिलों का नाम
1.	पंजाब	6	1.	नवनशहर
			2.	मोंगा
			3.	मुक्तसर
			4.	एस.ए.एस. नगर
			5.	बरनाला
			6.	तरन तारन
2.	उत्तरांचल	4	7.	रुद्रप्रयाग
			8.	बागेश्वर
			9.	चंपावत
			10.	ऊधम सिंह नगर
3.	हरियाणा	3	11.	पंचकुला
			12.	फतेहाबाद
			13.	झज्जर
4.	दिल्ली	6	14.	उत्तर
			15.	पूर्वोत्तर
			16.	नई दिल्ली
			17.	मध्य
			18.	दक्षिण पश्चिम
			19.	पूर्वी
5.	राजस्थान	2	20.	हनुमानगढ़
			21.	करौली

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या		जिलों का नाम
6.	उत्तर प्रदेश	16	22.	ज्योतिबा फुले नगर
			23.	बागपत
			24.	गौतम बुद्ध नगर
			25.	हाथरस
			26.	कन्नौज
			27.	महोबा
			28.	चित्रकूट
			29.	कौशाम्बी
			30.	अंबेडकर नगर
			31.	श्रावस्ती
			32.	बलरामपुर
			33.	संत कबीर नगर
			34.	कुशी नगर
			35.	चंदौली
			36.	संत रविदास नगर
			37.	औरैया
7.	बिहार	4	38.	शिहोर
			39.	लखीसराय
			40.	शेखपुर
			41.	अरवल
8.	अरुणाचल प्रदेश	10	42.	तेवंग
			43.	पश्चिमी केमंग
			44.	पूर्वी केमंग
			45.	पापुम पेरे
			46.	पूर्वी सियांग

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या		जिलों का नाम
			47.	अपर सियांग
			48.	डिबग वैली
			49.	चांगलांग
			50.	तीरप
			51.	करुग कैसे
9.	नागालैण्ड	4	52.	दीमापुर
			53.	परेन
			54.	किफरे
			55.	लांगलिंग
10.	मणिपुर	1	56	इम्फाल
11.	मिजोरम	5	57.	मामित
			58.	कोलासिब
			59.	चम्फाइ
			60.	सेरछिब
			61.	लांगतलाई
12.	त्रिपुरा	1	62.	धलाई
13.	मेघालय	2	63.	दक्षिण गारो हिल्स (बागमारा)
			64.	री. बोई
14.	पश्चिम बंगाल	1	65.	दक्षिण दिनाजपुर
15.	झारखण्ड	6	66.	कोडरमा
			67.	पाकुर
			68.	जामतारा
			69.	लाथर
			70.	सरायकेला
			71.	सिमदेगा

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	जिलों का नाम
16.	उड़ीसा	14	72. बारगढ़
			73. झारसुगुडा
			74. देवगढ़
			75. भद्रक
			76. जाजपुर
			77. अंगुल
			78. नयागढ़
			79. गजपती
			80. बौध
			81. सोनापुर
			82. रायगढ़
			83. नवरंगपुर
			84. मलकागिरी
			85. जगतसिंहपुर
17.	छत्तीसगढ़	8	86. कोरिया
			87. कावर्धा
			88. धमतारी
			89. दांदेवाड़ा
			90. कोरबा
			91. जशपुर नगर
			92. महासमुद्र
			93. जगदलपुर
18.	मध्य प्रदेश	8	94. उमरिया
			95. नीमच
			96. श्योपुर

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	जिलों का नाम
			97. बरवानी
			98. दिनदोरी
			99. अशोकनगर
			100. अनूप पुर
			101. बुरहानपुर
19.	गुजरात	6	102. पाटन
			103. पोरबंदर
			104. आनंद
			105. दहोद
			106. नर्मदा
			107. नवसारी
20.	महाराष्ट्र	5	108. नन्दुरबार
			109. गोंडिया
			110. हिंगोली
			111. मुम्बई
			112. वासिम
21.	कर्नाटक	7	113. बगालकोट
			114. कोप्पल
			115. गदग
			116. हवेरी
			117. देवानगीर
			118. चामराजनगर
			119. उडुपी
22.	तमिलनाडु	1	120. अरियलपुर (कृष्णागिरि)
23	असम	4	121. चिरांग

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या		जिलों का नाम
			122.	उदलगिरि
			123.	बक्शा
			124.	कामरूप मेट्रोपोलिटन

स्टेम सेल विज्ञान केन्द्र

1901. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद में स्टेम सेल विज्ञान के लिए एक नए केन्द्र ने कार्य करना आरंभ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस केन्द्र के उद्देश्य क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। यकृत अनुसंधान एवं नैदानिक केन्द्र, हैदराबाद का नाम बदल कर स्टेम सेल विज्ञान केन्द्र कर दिया गया है। इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य हैपेटोलोजी और डाइजैस्टिव साइंस के क्षेत्र में बुनियादी एवं एप्लाइड दोनों पहलुओं में अनुसंधान करना है। स्टेम सेल विज्ञान केन्द्र स्टेम सेल अनुसंधान एवं विकास, स्टेम सेल उत्पादन, स्टेम सेल थेरेपीज, स्टेम सेल आधारित कोर्ड रक्त बैंक पर बल देना है और साथ ही साथ इस क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा में शामिल होना और वैज्ञानिक जानकारी का प्रचार करना है।

निजी क्षेत्र के कोयला खानों की समीक्षा

1902. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के पास कोयला खानों का स्वामित्व है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कोयला खानों में निजी क्षेत्र के स्वामित्व की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोयला खानें या तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा निजी क्षेत्र की कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम कंपनी के स्वामित्व में होती हैं। कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.), सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी.एस.यू.) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.), भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी के स्वामित्व वाली खानों के अलावा, 31-12-2007 की स्थिति के अनुसार अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को 181 कोयला ब्लाक आबंटित किए गए हैं। निम्नलिखित तालिका सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों के स्वामित्व वाली खानों/कोयला ब्लाकों की संख्या दर्शाती है:

राज्य	खानों/ब्लाकों की संख्या			
	सी.आई.एल.*	एस.सी.सी.एल.	सी.आई.एल. और एस.सी.सी.एल. को छोड़कर पी.एस.यू.	निजी कंपनियां
1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	98		14	3

1	2	3	4	5
झारखण्ड	159		26	23
उत्तर प्रदेश	4		–	–
मध्य प्रदेश	73		11	9
महाराष्ट्र	52		9	14
छत्तीसगढ़	54		14	20
उड़ीसा	23		17	15
असम	5		–	–
आन्ध्र प्रदेश		55	4	–
अरुणाचल प्रदेश			1	–
कुल	468	55	96**	85

* 1-10-2007 की स्थिति के अनुसार

** सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को संयुक्त रूप से आबंटित ब्लाकों को सार्वजनिक क्षेत्र में दर्शाया गया है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों का भंडारों में मुख्य शेयर होता है।

(ग) से (ङ) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार निजी कंपनियों को ब्लाक विशिष्ट अन्त्य उपयोगों के लिए आबंटित किए जा रहे हैं। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने के लिए यथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 नामक एक विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। संशोधन विधेयक में केप्टिव अन्त्य उपयोग के मौजूदा प्रतिबंध के बिना कोयला खनन करने के लिए भारतीय कंपनी को अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

भारतीय वीसा, पारपत्र तथा ओ.सी.आई. कार्ड सेवाओं की आऊट सोर्सिंग

1903. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वीसा, पारपत्र और ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (ओ.सी.आई.) कार्ड सेवाओं की आऊटसोर्सिंग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इसके परिणामत: कितना लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) भारी मात्रा में पासपोर्ट और वीजा सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय मिशनों/केंद्रों में भीड़-भाड़ की स्थिति से बचने की दृष्टि से, चुनिंदा भारतीय मिशनों/केंद्रों में आवेदनों के संग्रहण की आउटसोर्सिंग आरंभ की गयी है। सियोल, टोकियो, कुवालालम्पुर, वाशिंगटन, न्यूयार्क, शिकागो, ह्यूस्टन, सैनफ्रांसिस्को, तेल अबीब, बैंकाक, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कोलंबो, सिंगापुर, दि हेग, कैनबरा, सिडनी, मेलबोर्न, बीजिंग, शंघाई, इस्लामाबाद, ढाका, चटगांव और मिलान स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों में पहले ही प्रपत्रों के संग्रहण की आउटसोर्सिंग की जा चुकी है। लंदन, बर्मिंघम, इडिनबर्ग, ओटावा, वैंकूवर, टोरोन्टो, ब्रुसेल्स, रियाध, जेद्दा, मास्को, मैड्रिड, आबू धाबी, दुबई, कुवैत, बर्न, स्टाकहोम तथा वियना स्थित सत्रह अन्य

मिशन/केन्द्र आवेदन पत्रों के संग्रहण की आउटसोर्सिंग करने जा रहे हैं। इससे आवेदक सुविधाजनक स्थिति में अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे संबंधित मिशनों और केंद्रों में मानव शक्ति की कुछ बचत भी होगी जिन्हे ऐसे संवेदनशील कार्यों में लगाया जा सकेगा, जिनकी आउटसोर्सिंग नहीं की जा सकती ताकि आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई हो सके।

राशन का अन्यत्र उपयोग

1904. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने विभिन्न राज्यों में गरीबों के लिए आबंटित राशन के कथित अन्यत्र उपयोग के बारे में कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या निकले हैं और ऐसे मामले किन राज्यों में ध्यान में आए हैं;

(ग) ऐसे राज्यों के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) योजना आयोग ने विभिन्न राज्यों में गरीबों के लिए आबंटित राशन के कथित अन्यत्र उपयोग के बारे में कोई जांच नहीं कराई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) के अंतर्गत खाद्यान्नों के अन्यत्र उपयोग को रोकने के उपाय किए हैं। इनमें ए.पी.एल. श्रेणी के लिए गेहूं और चावल का आबंटन, नागरिक चार्टर का मुद्दा और टी.पी.डी.एस. की कार्यप्रणाली में पंचायती राज संस्थानों की बृहतर भागीदारी संबंधी दिशा-निर्देश शामिल हैं। तथापि, खाद्यान्नों के अन्यत्र उपयोग की रोकथाम का प्रमुख उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है, क्योंकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों के आबंटन से संबंधित मामले, राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण का मुद्दा उनके क्षेत्राधिकार में आता है।

दक्षेस देशों के साथ उपग्रह आंकड़ों का आदान-प्रदान

1905. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उपग्रहों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का अन्य दक्षेस सदस्य देशों के साथ आदान-प्रदान करने पर सहमत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन देशों के साथ ऐसी व्यवस्था की गयी है;

(ग) क्या इस संबंध में तौर-तरीकों को निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामत: दक्षेस देशों के कितना लाभान्वित होने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) कुछ प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं की घटना की स्थिति में भारत दक्षेस क्षेत्र में भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.) उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का आदान-प्रदान करता रहा है। आपदा प्रबंधन में सहायता करने हेतु अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग तंत्र के एक सदस्य के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए श्रीलंका को तथा बांगलादेश में एस.आई.डी.आर. चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों को आई.आर.एस. उपग्रहों से प्राप्त आंकड़े प्रदान किए हैं। नेपाल और मालदीव द्वारा भी आई.आर.एस. उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया जाता है।

(ग) और (घ) दक्षेस देशों के साथ किसी खास तौर-तरीके का निर्धारण नहीं किया गया है।

(ङ) प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली क्षति की सूचना समय पर प्रदान करने से दक्षेस देशों को राहत और पुनर्वास संबंधी उपाय शुरू करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता

1906. श्री प्रभुनाथ सिंह:

श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीब और जरूरतमंद रोगियों को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गरीब और जरूरतमंद लोगों को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई व्यवस्था की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत जोखिम वाले रोगों से ग्रस्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों को किसी अति विशेषज्ञता वाले अस्पतालों/संस्थानों या अन्य सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, अधिक ध्यान दिए जाने वाले 18 राज्यों (आठ पूर्ववर्ती अधिकार सम्पन्न कार्यदल वाले राज्यों, आठ पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश) में सीमांत और अल्प सेवित लोगों पर विशेष ध्यान देने सहित गरीब और जरूरतमंद रोगियों को सहायता देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी शुरू किया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए अंतरा और अंतर क्षेत्रीय अभिसारण पर अधिक ध्यान देने के साथ-साथ एक पूर्ण संचालित, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली की स्थापना करने की परिकल्पना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जरूरतमंद रोगियों को चिकित्सीय सुविधाएं प्राप्त करने में आने वाली कठिनाई को दूर करने और विशेषकर समाज के गरीब और असुरक्षित वर्गों के लोगों को सुगम्य, वहनीय, उत्तरदायी, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने की बात कही गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आर.सी.एच.-II राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम और एकीकृत रोग निगरानी सहित मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को करता है। इसके अतिरिक्त, इसमें अच्छे स्वास्थ्य निर्धारकों के रूप में स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान और सुरक्षित पेय जल पर ध्यान देते हुए क्षेत्र व्यापी दृष्टिकोण के संदर्भ में स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के भाग के रूप में राज्यों ने विभिन्न स्तरों पर लोगों की हकदारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार हकदारी के बारे में कार्रवाई करने के लिए स्वास्थ्य प्रदायकों का व्यापक क्षमता निर्माण किया गया है।

[अनुवाद]

यू.के. द्वारा अत्यधिक कुशल प्रवासी कार्यक्रम में परिवर्तन

1907. श्री फ्रांसिस फन्थम:

श्री मिलिन्द देवरा:

डा. के.एस. मनोज:

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है कि यूनाइटेड किंग्डम (यू.के.) ने अत्यधिक कुशल प्रवासी कार्यक्रम में कतिपय परिवर्तन किए हैं जिसके अनुसार भारतीय चिकित्सकों/प्रवासियों को विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम से वंचित हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस संबंध में यू.के. सरकार के साथ इस मामले को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी हां।

(ख) ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटेन में प्रवेश के 80 से अधिक विद्यमान माध्यमों को सुव्यवस्थित करने के लिए 2005 में प्रकाशित आश्रय-अधिकार और आप्रावास हेतु ब्रिटेन सरकार की पंचवर्षीय नीति के भाग के रूप में उच्च कौशल उत्प्रवास कार्यक्रम को संशोधित किया है। बिंदु आधारित नई प्रणाली रोजगार अथवा अध्ययन के लिए आने वाले सभी लोगों के लिए, चयन प्रक्रिया (योग्यता, आयु, विगत आय आदि) को अधिक उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए विद्यमान माध्यमों को 5 व्यापक चरणों में सुव्यवस्थित करेगी। पांचों चरणों में प्रत्येक की शर्तें, पात्रताएं और प्रवेश स्वीकृति जांच, अलग-अलग होंगी।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बिंदु आधारित प्रणाली के पहले चरण को 29 फरवरी, 2008 से शुरू किया था। कोई उच्च कौशल प्राप्त विदेशी नागरिक जो इस समय ब्रिटेन में काम कर रहा है, जो वहां अपने रहने को बढ़ाना चाहता है, उसे नई प्रणाली के अंतर्गत आवेदन करना होगा। बिंदु आधारित प्रणाली उच्च कौशल उत्प्रवास कार्यक्रम का स्थान लेगी। यह चरण, जोकि किसी भी उच्च कौशल प्राप्त कामगारों, जिसके पास पर्याप्त अंक है, के लिए खुला है, भारत में 1 अप्रैल, 2008 से कार्यान्वित किया जाएगा। आप्रावास नियमों में किए गए परिवर्तन ब्रिटेन के घरेलू विधान के अंतर्गत आते हैं।

(ग) मामले को समय-समय पर सरकार और लंदन में भारत के उच्चायोग ने ब्रिटेन के संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया है जिनमें 17-18 जनवरी, 2007 को ब्रिटेन के तत्कालीन चांसलर दि एक्सचैकर और जनवरी, 2008 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान उठाया जाना शामिल है।

(घ) 26 जनवरी, 2008 को सम्पन्न हुई भारत-ब्रिटेन शिखर वार्ता के अवसर पर दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों के हित के अनेक क्षेत्रों में व्यावसायिकों के आदान-प्रदान को सुव्यवस्थित बनाने के महत्व को स्वीकार किया है।

औषधीय पादपों को बढ़ावा

1908. श्री नन्द कुमार साय:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में औषधीय पादपों के उपयोगों के बारे में लोगों में जागरुकता की कमी है;

(ख) यदि हां, तो देश में औषधीय पादपों के उपयोगकर्ताओं तथा इसकी खेती के कार्य में लगे कृषकों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ औषधीय पादप बोर्ड द्वारा राज्य-वार, वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) विभिन्न राज्यों में औषधीय पादप बोर्ड द्वारा स्थापित किए गए निर्यात संवर्धन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार ने औषधीय पादप क्षेत्रक के विकासार्थ क्रियाकलाप का समन्वय करने के लिए औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की है। बोर्ड विभिन्न संवर्धनात्मक क्रियाकलापों को लागू करता रहा है जिनमें सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) क्रियाकलाप अर्थात संगोष्ठियां/प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आदि शामिल हैं। इसका उद्देश्य यह है कि औषधीय पादपों के विकासार्थ उनके उपयोग, महत्व, आवश्यकता और अपेक्षित कदमों के बारे में उपयोगकर्ताओं एवं किसानों सहित सभी पणधारियों के बीच अधिक जागरूकता उत्पन्न की जाए। वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 और वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसे क्रियाकलापों हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं और आबंटित निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण I और II पर प्रस्तुत हैं।

औषधीय पादपों के विकास कार्य को कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित **राष्ट्रीय बागबानी मिशन** की केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत घटकों में से एक घटक के रूप में भी शामिल किया गया है। राज्य के भीतर और बाहर किसानों का प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन यात्राएं वे क्रियाकलाप हैं जिनको औषधीय और सुगंधित पादपों सहित बागबानी फसलों से संबंधित प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए सहायता दी जाती है।

(घ) औषधीय पादप बोर्ड द्वारा अब तक कोई भी निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित नहीं किए गए हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

आयुष विभाग

वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक आई.ई.सी. और जागरूकता कार्यक्रमों हेतु सरकारी संगठनों को स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/वर्ष	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	
		परियोजना की सं.	राशि स्वीकृत	परियोजना की सं.	राशि स्वीकृत	परियोजना की सं.	राशि स्वीकृत	परियोजना की सं.	राशि स्वीकृत
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	45.00	1	3.00	4	18.00	2	18.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	2.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00
3.	असम	1	2.00	0	0.00	1	7.0	0	0.00
4.	बिहार	0	0.00	1	9.00	0	0.00	0	0.00
5.	चंडीगढ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6.	छत्तीसगढ	1	25.00	0	0.00	3	11.75	2	8.00
7.	दादर व नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	30.00
8.	दिल्ली	1	4.00	1	2.00	1	2.00	2	7.00
9.	गुजरात	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.62
10.	हरियाणा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.00
11.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	1	2.00	0	0.00	2	52.29
12.	जम्मू-कश्मीर	1	4.00	1	1.00	1	3.00	2	3.00
13.	झारखण्ड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.00

14.	कर्नाटक	2	20.00	4	32.50	3	11.74	3	3.50
15.	केरल	0	0.00	2	7.50	0	0.00	1	0.25
16.	मध्य प्रदेश	1	2.00	5	25.00	2	9.00	3	29.00
17.	महाराष्ट्र	0	0.00	0	0.00	3	4.30	2	3.90
18.	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	2	7.00	1	10.00
19.	मेघालय	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.72
20.	मिजोरम	2	6.00	1	2.00	0	0.00	0	0.00
21.	नागालैंड	0	0.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00
22.	उड़ीसा	2	30.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23.	पंजाब	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24.	पांडिचेरी	0	0.00	1	3.00	0	0.00	0	0.00
25.	राजस्थान	1	2.00	1	4.00	1	5.00	1	1.00
26.	तमिलनाडु	2	5.00	6	27.75	1	5.35	3	4.71
27.	उत्तर प्रदेश	2	3.00	3	14.50	3	29.65	1	2.00
28.	उत्तराखण्ड	6	91.00	7	29.50	5	11.50	1	2.00
29.	पश्चिम बंगाल	1	5.00	2	2.80	1	1.85	1	12.00
	कुल	26	246.00	38	170.55	32	147.14	32	205.99

विवरण-II

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

आयुष विभाग

वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को आई.ई.सी. एवं जागरूकता कार्यक्रमों हेतु स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/वर्ष	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	
		परियोजनाओं की सं.	राशि स्वीकृत	परियोजनाओं की सं.	राशि स्वीकृत	परियोजनाओं की सं.	राशि स्वीकृत	परियोजनाओं की सं.	राशि स्वीकृत
1.	असम	0	0.00	0	0.00	2	22.0	0.00	0.00
2.	चंडीगढ	1	3.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ	1	3.00	1	20.00	0	0.00	0.00	0.00
4.	दिल्ली	1	5.00	1	2.00	0	0.00	3	22.55
5.	गुजरात	0	0.00	1	4.00	1	7.50	0	0.00
6.	हरियाणा	1	3.50	2	36.50	1	15.40	2	7.00
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	2	27.00	0	0.00	0.00	0.00
8.	जम्मू-कश्मीर	0	0.00	1	15.00	0	0.00	0.00	0.00
9.	झारखण्ड	1	8.00	1	2.00	0	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	2	17.00	0	0.00	0	0.00	3	28.50
11.	केरल	3	13.00	3	10.50	0	0.00	3	3.00
12.	मध्य प्रदेश	0	0.00	1	2.00	0	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	0	0.00	1	7.00	3	11.30	0.00	0.00

14.	मणिपुर	0	0.00	1	10.00	0	0.00	0.00	0.00
15.	मिजोरम	1	2.50	1	2.00	0	0.00	0.00	0.00
16.	उड़ीसा	1	2.00	2	19.00	0	0.00	0.00	0.00
17.	पंजाब	0	0.00	4	53.50	3	27.00	0.00	0.00
18.	पांडिचेरी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.00
19.	राजस्थान	0	0.00	2	4.00	1	2.80	0	0.00
20.	तमिलनाडु	6	40.00	1	1.00	1	8.40	3	18.00
21.	उत्तर प्रदेश	0	0.00	2	9.00	0	0.00	1	1.00
22.	उत्तराखण्ड	4	20.50	2	16.00	6	56:65	1	11.00
23.	पश्चिम बंगाल	1	2.00	12	2.00	0	0.00	2	12.00
	कुल	23	119.50	41	242.50	18	151.05	19	105.05

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा अपराह्न 1.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित करता हूं। उस समय केवल सामान्य बजट पर चर्चा होगी।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.00 बजे

लोकसभा अपराह्न 1.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री मोहन सिंह** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने सूचना दी है...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार करेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं श्री मणि शंकर अय्यर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8204/2008]

(ख) (एक) नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन, गुवाहाटी का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 8205/2008]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2007 जो 22 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 43(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2008 जो 22 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 103(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8206/2008]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8207/2008]

(2) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2008 जो 12 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 84(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 8208/2008]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8209/2008]

(3) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8210/2008]

(5) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8211/2008]

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8212/2008]

(9) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट-ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट-ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड

[श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी]

रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8213/2008]

(11) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 13 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 707(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8214/2008]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): मैं डा. दासरि नारायण राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखती हूं:-

(1) (एक) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8215/2008]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8216/2008]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8217/2008]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2170(अ) जो 24 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 247(अ) जो 5 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था

तथा जो मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 (मारन-इम्फाल खण्ड) के विकास तथा अनुरक्षण के लिए सीमा सड़क संगठन को निर्देश दिए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 248(अ) जो 5 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 2163(अ) जो 19 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने हेतु संयुक्त सचिव, बोडोलैण्ड टेरिटोरियल काउंसिले को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 97(अ) जो 1 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (जोरहाट-डिब्रुगढ़ खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने हेतु अपर उपायुक्त, जोरहाट को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छह) का.आ. 142(अ) जो 24 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जीरकपुर-परवानू खंड तथा पिंजौर-कालका-परवानू बाइपास) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सात) का.आ. 140(अ) और का.आ. 141(अ) जो 24 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-किरतपुर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1905(अ) जो 12 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 528(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ. 2154(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 26 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1017(अ) (केवल हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र दिया गया है।

(दस) का.आ. 2152(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 26 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1018(अ) का शुद्धि पत्र दिया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 2153(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 53(अ) जो 9 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 126(अ) जो 22 जनवरी, 2008

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में बाईपास के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (जयपुर-रीनगस खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 163(अ) जो 29 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 13 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1537(अ) को रद्द किए जाने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 245(अ) जो 5 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा-ग्वालियर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(4) उपर्युक्त (3) के मद सं. (पांच) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8218/2008]

(5) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 50 की उपधारा (3) के अंतर्गत राजमार्ग प्रशासन (संशोधन) नियम, 2007 जो 24 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2171(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8219/2008]

(6) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 120(अ) जो 21 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों को उक्त अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8220/2008]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 55(अ) जो 9 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उसमें उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को मान्यता दिए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8221/2008]

(2) (एक) नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8222/2008]

(4) (एक) गोविन्द वल्लभ पंत इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एन्वायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोविन्द वल्लभ पंत इंस्टिट्यूट ऑफ

हिमालयन एन्वायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8223/2008]

(6) (एक) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मेडिसिनल प्लान्ट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, फाउण्डेशन फॉर रिवाइटेलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन्स, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मेडिसिनल प्लान्ट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, फाउण्डेशन फॉर रिवाइटेलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन्स, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8224/2008]

सभापति महोदय: मद संख्या 9, चौ. लाल सिंह - उपस्थित नहीं।

अपराह्न 1.01 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, जून 2007 के दौरान मुंबई, मदुरै तथा तिरुवनंतपुरम दौरे के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 1.01½ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

22वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): मैं आश्वासनों को छोड़ने के अनुरोध के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 1.02 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2007-08

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं 2007-08 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: चौधरी लाल सिंह जी आ गए हैं। आइटम नम्बर 9।

अपराह्न 1.02½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

35वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संब्रंधी समिति का 35वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.03 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: नियम 377 संबंधी सभी सूचनाएं सभा पटल पर ले मानी जाएं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

(एक) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश की परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री मधु गौड यास्खी (निजामाबाद): आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। ये योजनाएं अब भी केंद्र सरकार के पास लंबित है।

मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस लंबित योजनाओं को स्वीकृति दे और राज्य सरकार के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करे ताकि योजनाओं पर शीघ्र कार्य शुरू किया जा सके।

(दो) उत्तराखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न कोटा बहाल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): सार्वजनिक वितरण प्रणाली, देश मे और विशेषकर उत्तराखण्ड में खाद्यान्न का वितरण करने मे असफल हो रही है। उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में खेती नाम मात्र की है और आजीविका के साधन भी नहीं के बराबर है। इस कारण वहां की अधिकांश जनता सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानो पर मिलने वाले खाद्यान्न पर ही निर्भर है।

सूखा, भारी हिमपात व ओलावृष्टि से वहां की फसलें बरबाद हो चुकी है और दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं गेहूं, चावल, चीनी आदि की कीमतें खुले बाजार में आसमान छू रही हैं। केन्द्र सरकार के द्वारा उत्तराखण्ड के खाद्यान्न कोटों में भारी कमी करने के कारण स्थिति और अधिक खराब हो गयी है। इस कारण गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए जीवन का संकट खड़ा हो गया है।

अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के खाद्यान्न गोदाम खाली पड़े हुए है। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का राशन कोटा घटा दिया गया है और गरीबी रेखा के ऊपर जीवनयापन करने वाले लोगों का खाद्यान्न आवंटन बंद हो गया है।

इन परिस्थितियों में मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि अतिशीघ्र उत्तराखण्ड राज्य को अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित करते हुए वहां के निवासियों को पूर्व की भांति खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए।

(तीन) बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या के समाधान हेतु बेतवा नदी पर बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): बुन्देलखण्ड में चार साल से पानी न बरसने से वहां के किसान भुखमरी की स्थिति में पहुंच गये है। पानी तथा भूसा न मिलने से जानवर भी मर रहे है।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि बेतवा नदी पर एरच के पास ढिकोली गांव में प्रहलाद घाट पर लिफ्ट केनाल तथा कोटरा नगर के नीचे बेतवा नदी को सिकरी व्यास मौजा में रेवा नाथ के स्थान के ऊपर तथा खमा घाट के नीचे बांध बना कर बेतवा को रोक दिया जाए तथा पूर्व में मांगी गयी मांग पचनदा बांध बना दिया तो इन योजनाओं से पूरे बुन्देलखण्ड के किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल सकेगा तथा लाभ होगा और भविष्य में सूखे की स्थिति से निपटा जा सकेगा एवं किसानों को आत्महत्या से तथा जानवरों की जान बचाई जा सकती है।

(चार) डा. सर हरि सिंह गौड़ को भारत रत्न सम्मान तथा सागर विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): डा. सर हरी सिंह गौड विश्वविद्यालय का यह हीरक जयन्ती वर्ष है। विश्वविद्यालय की हीरक जयन्ती के कार्यक्रम में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की गरिमामय उपस्थिति भी हुई थी जिसमें

*सभा पटल पर रखा हुआ माना गया।

उन्होंने स्वयं इस बात को उल्लेखित किया था कि मध्य प्रदेश में सागर विश्वविद्यालय को ही सबसे पहले केन्द्रीय विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त होना चाहिए। यह विश्वविद्यालय कई दृष्टियों से अपना विशिष्ट स्थान रखता है। आज प्रदेश में जितने भी फार्मेसी कालेज हैं, सभी में टीचर सागर यूनिवर्सिटी के ही है। मध्य प्रदेश के शैक्षणिक जगत में भूगर्भशास्त्र, अपराधशास्त्र को प्राथमिकता दी जाती है। डा. सर हरी सिंह गौड़ का सपना इस विश्वविद्यालय को केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के समान बनाने का था, इसे बनाने में उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी थी। मध्य प्रदेश में एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि डा. सर हरी सिंह गौड़ को भारत रत्न से सम्मानित करने के साथ ही विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनवाने का सहयोग करें।

(पांच) गुजरात के कच्छ और बनासकांठा जिलों को जोड़ने वाली सीमा सड़क परियोजनाओं के लिए गुजरात सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): गुजरात सरकार ने कच्छ और बनासकांठा जिले को जोड़ने वाली सीमावर्ती सड़क-धकुली-हजपुर-खावदा-संतलपुर (कुल 151.7 कि.मी. के 8 खंड) के निर्माण/सुधार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसकी आरंभिक अनुमानित लागत 84.95 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकार इस कार्य को करने की स्थिति में थी परंतु अब यह राशि बढ़कर 127.119 करोड़ रुपए हो गई है। प्रस्तावित कार्य को आरंभ होने की तिथि से 12 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा। 151 कि.मी. लंबे खंड की ग्रेटर कच्छ की खाड़ी के सामने वाले क्षेत्र में टूटे संपर्क को जोड़ने की आवश्यकता है ताकि हमारे सुरक्षा बलों को और कारगर तरीके से सतर्कता बढ़ाने में गतिशीलता और आवागमन में सहायता मिल सके।

पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राचीन ऐतिहासिक स्थल धोलावीरा को हड़प्पा युग का विरासत स्थल घोषित किया गया है। खावड़ा-धोलावीरा खंड के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि पर्यटकों के लिए कच्छ जिले के जिला मुख्यालय से आवागमन आसान हो जाएगा। आज के समय में भुज शहर से भचाऊ और रोपड़ के रास्ते इस स्थल तक पहुंचने में लगभग आधे दिन का समय लगता है। उपर्युक्त खंड (खावड़ा-धोलावीरा) के निर्माण कार्य के पूरा होने के बाद खावड़ा-कुनड़ियां-धोलावीरा के रास्ते भुज से धोलावीरा तक 2.5 घंटे में पहुंचना संभव हो जाएगा। इससे पर्यटक एक ही दिन में धोलावीरा जाकर भुज वापस आ सकेंगे। इस सड़क के निर्माण से आवागमन आसान हो जाएगा। इससे सीमा सुरक्षा बल की प्रतिदिन ताजा पेयजल की समस्या हल हो जाएगी। एक बार सड़क का निर्माण हो जाने के बाद सड़कों के किनारे पानी की पाइपलाइन बिछाई जा सकेगी। इससे टैंकरों द्वारा पानी उपलब्ध कराने पर दैनिक आवर्ती व्यय को कम करने में सहायता मिलेगी।

उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत 127.119 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान को स्वीकृति दे ताकि परियोजना पर यथासंभव तत्काल कार्रवाई शुरू की जा सके।

(छह) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्राक्कलित राशि को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अंतर्गत राजस्थान के राजमार्गों की वार्षिक योजना 2007-2008 के 39 कार्यों हेतु 253.84 करोड़ लागत के प्राक्कलन बनाकर केन्द्र सरकार को वांछित स्वीकृति हेतु जुलाई 2007 में प्रस्तुत कर दिए गए थे। परन्तु अभी तक मात्र 77.67 करोड़ रुपए राशि के 15 प्राक्कलनों की ही स्वीकृत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई है। इसके अलावा अन्य कामों के प्राक्कलन भी बना लिए गए हैं, परन्तु उन्हें पूर्व में प्रेषित प्राक्कलनों की स्वीकृति के अभाव में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्राक्कलनों में स्वीकृति के विलंब के कारण कार्यों में अनावश्यक विलंब होता है तथा निर्धारित राशि का समय पर उपयोग भी नहीं हो पाता। उक्त संदर्भ में राज्य सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालय को 11-9-2007 की बैठक में यह सुझाव भी दिया था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क सड़क योजना कार्यों की स्वीकृति के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया पोत एवं सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भी राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की स्वीकृति हेतु अपना ली जाए तथा मंत्रालय प्राक्कलनों की स्वीकृति के लिए मानदंड निर्धारित कर दे और केन्द्रीय

सड़क निधि कार्यों की भांति प्राक्कलनों को स्वीकृति करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दे। इस सुझाव को मानने से समय पर स्वीकृति और निर्णय आदि से राष्ट्रीय राजमार्गों के बेहतर रखरखाव एवं विकास का कार्य गति पकड़ सकता है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रेषित वार्षिक योजना के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को वार्षिक योजना 2007-08 के प्राक्कलनों की अविलंब स्वीकृत प्रदान करे तथा राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए उपाय को भी दृष्टिगत रखकर शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जाए।

(सात) छात्रों को ब्याज रहित शिक्षा ऋण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): सामान्य बजट में छोटे और सीमांत किसानों को 60,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। परंतु यह मामला भी इतनी ही चिंता का विषय है कि बैंकों द्वारा दिए गए शिक्षा ऋणों पर ब्याज को माफ करने के मामले में सरकार पूरी तरह से मौन है। सरकार ने घोषणा की है कि पात्र छात्रों को बिना किसी संप्राशिष्क प्रतिभूति अथवा जमानत के चार लाख तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा। ऋण मंजूर करते समय बैंकों द्वारा निर्धारित एक प्रमुख शर्त है कि ऋण की अदायगी उस तिथि से होगी जब छात्र को रोजगार प्राप्त हो जायेगा अथवा अध्ययन पूरा किए तीन वर्ष हो चुके हों इसमें से जो भी पहले हो। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि ऐसे किसी भी स्थिति में वाणिज्यिक अग्रिमों पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज दर लगाने से छात्रों पर भारी बोझ पड़ेगा।

ऐसी अग्रिम राशि देने से गरीब माता-पिता अपने बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भेज सकेंगे। अधिकांश माता-पिता ग्रामीण और शहरी मलिन बस्ती क्षेत्रों से गरीब और किसान तथा मध्यम वर्गीय गरीब व्यक्ति हैं। शिक्षा ऋण पर ब्याज को माफ करने से इन्हें भारी राहत मिलेगी। इस संदर्भ में इस बात को सरकार के ध्यान में लाया जाए कि बैंकों ने कार ऋणों और आवास ऋणों हेतु खुदरा ऋण दर को घटाकर निर्धारित प्रमुख ऋण ब्याज दर को कम किया है जिसका लाभ अधिकांशतः समाज के सम्पन्न वर्ग द्वारा उठाया जाता है।

इसलिए, मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह अब तक दिए गए शिक्षा ऋण को पूर्णत माफ करने पर विचार करे और ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यक निर्देश दे।

(आठ) पश्चिमी समुद्री तट से बेशकीमती बालू के उत्खनन में निजी क्षेत्र के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन (पिवलोन): देश के पश्चिमी तट से अमूल्य बालू विशेषकर केरल के तट से अति मूल्यवान खनिज बालू के खनन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के भारत सरकार के हाल के निर्णय से विदेशी कंपनियों द्वारा हमारी मूल्यवान संपदा का अंधाधुंध दोहन होगा। इस रणनीतिक क्षेत्र के निजीकरण से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा होगा और यह हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक होगा। अंधाधुंध निजी खनन के कारण प्रतिकूल पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होंगी और इससे तटवर्ती क्षेत्र के मछुआरे समुदाय की आजीविका प्रभावित होगी। अतः, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के मद्देनजर खनिज बालू खनन को सरकारी क्षेत्र के पास रहने दें। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि निजी क्षेत्र के खनन को अनुमति देने के भारत सरकार के इस कदम का विरोध किया जाए।

(नौ) देश के किसानों को ऋण की स्वीकृति हेतु प्रतिमानों में ढील दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर): अध्यक्ष महोदय, कृषि प्रधान देश भारत में आजादी के 60 वर्ष बाद भी खेती एवं खेती करने वाले किसान की वांछित उन्नति नहीं हो पायी है। गांवों में रहने वाला किसान अपनी खेती या खेती में उपयोग होने वाले साधनों हेतु बैंक से ऋण लेना चाहता है तो तमाम कागजी आवश्यकताओं के कारण समय पर बैंक ऋण नहीं देते हैं। जैसे यदि कृषक अपने घर को मॉरगेज रखना चाहता है तो किसान के घर की रजिस्ट्री के मूल कागजात ही बैंक में ऋण हेतु मान्य होते हैं। छोटे एवं गरीब किसान जिनको रहने के लिए घर भी ठीक से नसीब नहीं होते, उन्हें अपने मूल कागजात संभाल कर रखना

बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में यदि रजिस्ट्री की मूल प्रति गायब हो जाए तो प्रमाणित प्रति या मूल खतौनी के कागज को मान्य नहीं किया जाता है जिस कारण जरूरतमंद एवं गरीब किसानों को ऋण प्राप्त नहीं हो पाता।

अतः सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि देश के सभी बैंकों को इस प्रकार का निर्देश दें कि यदि ऐसे किसानों के पास खतौनी की मूल प्रति तथा रजिस्ट्री की मूल प्रति के स्थान पर उस की प्रमाणित नकल भी उपलब्ध हो तो उसका मूल्यांकन कर आसान ढंग से ऋण देने की व्यवस्था बैंकों द्वारा की जाए ताकि ग्रामीण कृषकों की सहायता हो सके।

(दस) उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्थल झांसी के किले की मरम्मत तथा अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव (झांसी): महोदय, देश की आजादी में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाली प्रातः स्मरणीय महान वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई के झांसी के किले के अंदर एवं लक्ष्मी तालाब, रानी का महल, मंदिर एवं अन्य ऐतिहासिक धरोहरों की हालत उचित रख-रखाव के अभाव में दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। महारानी लक्ष्मीबाई की पोशाक तलवार एवं अन्य महत्व की चीजें किले में विद्यमान नहीं हैं। इस वीरांगना की वीरता की कहानियां बच्चे आज भी स्कूल की किताबों में एवं देशी एवं विदेशी पर्यटक इतिहास के पन्नों में पढ़ते आ रहे हैं। आज भी वे पंक्तियां लोगों को जुबानी याद हैः-

"बुन्देले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।"

इतिहास के आकर्षण से आकर्षित होकर पर्यटक किले को देखने आते हैं, परंतु वास्तविकता में किले की मौजूद स्थिति को देखकर उन्हें निराशा मिलती है। दिन प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या में कमी हो रही है। झांसी की रानी के किले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के मानचित्र में लाने की आवश्यकता है। इस ऐतिहासिक धरोहर का रख रखाव एवं सौंदर्यीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए तथा रानी से जुड़ी यादें, उनकी पोशाक, तलवार जो ग्वालियर के संग्रहालय में रखी है, उसे झांसी के किले में भव्य संग्रहालय बनाकर रखने की आवश्यकता है।

अतः सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि प्रातः स्मरणीय महान वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई के झांसी के किले का जीर्णोद्वार, सौन्दर्यीकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रख रखाव, पोशाक, तलवार इत्यादि सभी सामान किले में भव्य संग्रहालय बनाकर स्थापित कराने के आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के हरदोई और लखीमपुर खीरी जिलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को नकद राशि का संवितरण करने के लिए राशन कार्डों के कंप्यूटरीकरण हेतु एक प्रायोगिक योजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): महोदय, बी.पी.एल. तथा अंतयोदय परिवारों को सस्ता अनाज देने के लिए भारत सरकार करीब 32,700 करोड़ रुपया फूड सब्सिडी देती है। परन्तु गरीबों तक केवल 20 प्रतिशत पैसा पहुंचता है। मैंने पिछले साल लोक सभा में मामला उठाया था, जिस पर भारत सरकार ने राज्यों को लिखा भी था।

इस स्थिति को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि पाइलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के दो जिलों हरदोई तथा लखीमपुर खीरी में बी.पी.एल. परिवारों के सभी राशन कार्डों को कम्प्यूटराइज्ड करके उन्हें अनाज के बजाय सब्सिडी का पैसा ही बैंकों द्वारा दे दिया जाये।

मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर उपरोक्त दो जिलों में अविलम्ब लागू कराए और यदि इसके अच्छे परिणाम आते हैं तो इसे पूरे देश में लागू कराए।

(बारह) झारखंड के हजारीबाग को भारतीय रेल के मानचित्र में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): महोदय, हजारीबाग जो प्रमंडलीय मुख्यालय है तथा हमारा संसदीय क्षेत्र है, आजादी के 59 वर्ष बीत जाने के बाद भी रेल से आज तक जोड़ा नहीं गया है। 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कोडरमा, हजारीबाग बरासता बरकाकाना, रांची तथा कोडरमा गिरिडीह नई रेलवे लाइन की आधारशिला रखी थी तथा 2007 तक पूरा करने का आश्वासन दिया था।

वर्ष 2004 से लगातार इस रेल परियोजना को समय सीमा के अंदर पूरा करने के मामले को उठाता आ रहा हूं। आज तक मात्र 15 से 20 प्रतिशत ही कार्य हो सके हैं। मैंने इस संबंध में माननीय रेल मंत्री जी को बराबर कई

[श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता]

पत्र लिखकर समय सीमा के अंदर कार्य कराने का अनुरोध कर चुका हूं।

अतः अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाये।

(तेरह) बिहार के इस्लामपुर और पटना के बीच दैनिक पैसेंजर ट्रेन में अतिरिक्त डिब्बों का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम स्वरूप प्रसाद (नालन्दा): महोदय, मैं सरकार का ध्यान पूर्वी रेल अंतर्गत इस्लामपुर-पटना रेलखंड की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उपरोक्त रेलखंड पर इस्लामपुर से सुबह 6 बजकर 2 मिनट पर पटना के लिए ट्रेन खुलती है। इस ट्रेन में मात्र छः कोच रहने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आधी से अधिक संख्या को बस का सहारा लेना पड़ता है।

मेरी सरकार से मांग है कि उपरोक्त ट्रेन में छः अतिरिक्त कोच देने की व्यवस्था की जाये, जिससे इस पर चलने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान किए जाने की आवश्यकता

श्री मुंशी राम (बिजनौर): महोदय, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन करने में दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में गन्ने की ज्यादा पैदावार होती है। लेकिन प्राईवेट चीनी मिल मालिकों द्वारा वर्ष 2006-2007 का पूरा भुगतान गन्ना किसानों को अभी तक नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष के लिए 125/- व 130/- रु. प्रति क्विंटल गन्ने का खरीद मूल्य निर्धारित किया गया था कि इसी बीच उच्चतम न्यायालय ने शेष भुगतान से वंचित किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से 7/- रु. कि. कम रेट पर भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से किसानों का कई हजार करोड़ रुपया प्रभावित हो गया है। किसानों को एक वर्ष के पश्चात भी भुगतान एवं उस पर अतिरिक्त ब्याज न देना व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को वर्ष 2006-2007 के साथ-साथ वर्ष 2007-2008 का भी भुगतान अतिशीघ्र कराया जाये।

वर्ष 2005-2006 में गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को सरकार द्वारा घोषित मूल्य के अतिरिक्त 13/- रु. प्रति कि. प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गयी थी। इस भुगतान को जिला बिजनौर की निगम एवं सहकारिता संघ चीनी मिलों द्वारा अत्यधिक लाभ के पश्चात भी उपरोक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उपरोक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान मय ब्याज के अतिशीघ्र संबंधित चीनी मिलों से कराया जाये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब हम सामान्य बजट के ऊपर चर्चा प्रारम्भ करते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आचार्य जी, अब आप अपना विषय कल उठाइए। सामान्य बजट पूरे देश के लोगों से संबंधित है और सभी माननीय सदस्य सामान्य बजट पर होने वाली चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आचार्य जी, आप कल सुबह इसे उठाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आचार्य जी, सामान्य बजट पर होने वाली चर्चा को पूरे देश के लोग सुनना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आचार्य जी, आपको कल बोलने का मौका मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आचार्य जी, आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं। बजट पर चर्चा होने दीजिए। आप इसे कल उठाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप कल अपना विषय उठाइए। अभी संसद का यह सत्र 20 तारीख तक है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

सभापति महोदय: जो कुछ भी कहा जा रहा है, वह लिखा नहीं जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

सभापति महोदय: कुछ लिखा नहीं जा रहा है। आपके बोलने का क्या फायदा है?

...(*व्यवधान*)*

सभापति महोदय: इसे आप कल शून्य काल में उठाइए।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: सामान्य बजट के ऊपर चर्चा होनी है। आप बैठिए।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आपको नेता को बोलना है। आप किस लिए हल्ला कर रहे हैं?

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: मल्होत्रा जी, आप अपना भाषण शुरू कीजिए और सेठी साहब आप बैठिए।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): महोदय, हमने एक नोटिस दिया है...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप इसे कल शून्य काल में उठाइए, आपकी बात सुनी जाएगी।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप बैठें। आचार्य जी, त्रिपाठी जी, आपकी बात लिखी नहीं जा रही है।

...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: क्या फायदा है? मल्होत्रा जी, आप अपना भाषण प्रारंभ करें। जब आप खड़े होंगे तब वे बैठ जाएंगे।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप इस बात को कल शून्य काल में उठाएं क्योंकि आज अनुमति नहीं है।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: कार्रवाई में कोई बात नहीं जा रही है। क्या फायदा है?

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: ये सब कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। आचार्य जी, यह संभव नहीं है।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता उत्तर पूर्व): महोदय, सदस्य हवाई अड्डों को बंद किए जाने को लेकर उत्तेजित हैं। इस संबंध में सरकार बयान दें...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपकी बात कल शून्य काल में सुनी जाएगी। आज संभव नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम सामान्य बजट पर चर्चा शुरू करेंगे।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप नेता सदन की बात सुन लीजिए।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मैं माननीय सदस्यों से यही कह सकता हूं कि सरकार का ध्यान इस

[श्री प्रणब मुखर्जी]

मुद्दे की ओर आकर्षित किया गया है। लेकिन इस समय तत्काल कोई उत्तर देना संभव नहीं है, सभा की सामान्य कार्यवाही होने दें। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे सामान्य कार्यवाही को चलने दें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय नेता सदन, लेकिन गृह मंत्री जी ने इस पर राज्य सभा में बयान दिया है। लोकसभा में बयान देने में क्या दिक्कत है?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: उन्होने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन अभी उत्तर देना संभव नहीं है; सरकार स्थिति का आकलन करेगी और उन्हें पता चल जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: हम आपकी बात मानते हैं लेकिन यहां जल्दी से जल्दी भेज दिया जाए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठिए, नेता सदन ने आश्वस्त किया है कि यहां भी वक्तव्य दिया जाएगा। आप उस समय का इंतजार करें। अगर संभव हुआ तो आज ही होगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कोई बात लिखी नहीं जा रही है, आप बैठें। नेता सदन ने आपको आश्वासन दिया है और हमें माननीय नेता सदन की बात पर यकीन करना चाहिए। सलीम साहब, नेता सदन ने आश्वस्त किया है, आप उनकी बात को स्वीकार कीजिए और सदन की कार्यवाही चलने दीजिए क्योंकि अभी सामान्य बजट पर चर्चा है।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: आज वक्तव्य आएगा?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आएगा, गृह मंत्री जी का वक्तव्य आएगा। माननीय नेता सदन ने कहा है उनकी बात पर विश्वास कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, आज 'शून्य-काल' के बारे में क्या निर्णय है?

सभापति महोदय: अब कोई 'शून्य-काल' नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, आज 12 मार्च है। 16 मार्च को हवाई अड्डे बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि एक या दो दिन में सारे उपकरण और अन्य सुविधाएं हटा ली जाएंगी। हमारे पास एकदम समय नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: इसीलिए बजट पर चर्चा शुरू करा रहे हैं। आप विराजें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.के. राव: महोदय, सरकार आज बयान देने में देर नहीं कर सकती। उन्हें आज ही बयान देना चाहिए। अन्यथा, सभी चीजों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप थोड़ी देर धीरज रखें, ये सब बातें रिकॉर्ड में नहीं जा रही हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप थोड़ी देर धीरज रखें और बजट पर चर्चा प्रारंभ होने दें। नेता सदन ने आश्वासन दिया है कि वक्तव्य सरकार लाएगी। आप नेता सदन की बातों को स्वीकार कीजिए और चर्चा को आगे चलने दीजिए। नेता सदन कह रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.के. राव: इसे आज ही किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने पहले ही आश्वासन दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: एश्योरेंस श्योर हो गया, आप बैठें। मल्होत्रा जी, आप अपनी बात शुरू करें। वे बैठ गए और आप शुरू करें।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आज संभव नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: आप हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं। पिछले तीन दिनों से हम इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आज गवर्नमेंट बिजनेस नहीं सामान्य बजट है, सबका बजट है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, आज सभा की कार्यवाही स्थगित होने से पहले नागर विमानन मंत्री को सभा में आकर एक बयान देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कार्यवाही में कुछ भी लिखा नहीं जायेगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: अभी सामान्य बजट पर चर्चा शुरू होगी। आपको जो भी विषय उठाना हो, कल शून्य काल में उठाइये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, अब समय नहीं बचा है। उन्होंने इसे बंद करने का निर्णय ले लिया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अभी संभव नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह भी बैठ जायेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आज नहीं कल उठाइये। आज नहीं, कल शून्यकाल में उठाइये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कल जीरो ऑवर में उठाइये। यह मामला कल उठाइये, अभी आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सदन की कार्यवाही डेढ़ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.13 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा अपराह्न 1.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.30 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री मोहन सिंह *पीठासीन हुए***]**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आचार्य जी, आप शाम तक इंतजार करिए। आपने जिस विषय को उठाया है, उस पर आप शाम तक इंतजार करिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह मंत्री जी ने कह दिया है। उन्होंने कहा है कि उचित समय पर। आप आसन ग्रहण करें। त्रिपाठी जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कल शून्यकाल में उस विषय को उठाइए। मंत्रि मंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई मंत्री तो रहेंगे। आपको कोई-न-कोई रेस्पांस जरूर मिलेगा। आप आसन ग्रहण करिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, सरकार को उत्तर देना होगा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मंत्रीमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई न कोई रेस्पांस आपको मिलेगा। आप आसन ग्रहण करें। कल शून्यकाल में इसे उठाइए। सामूहिक जिम्मेदारी है। आगे की कार्रवाई चलने दें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: सरकार को उत्तर देना पड़ेगा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आज नहीं। आपकी कुछ भी बातें रिकार्ड में नहीं जा रही है। आप इसे कल उठाइए।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, सरकार को उत्तर देना होगा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: पहले आपका विषय ही नहीं मालूम तो सरकार कहां से रेस्पांड करेगी। पहले अपनी बात तो कहिए और कल शून्यकाल में कहिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपके तथ्यों को जाने बिना न तो पीठ से कोई निर्णय हो सकता है और न सरकार कोई जवाब दे सकती है। आप अपनी बात कल शून्यकाल में उठाइए। आज नहीं। आज हमें सामान्य बजट पर चर्चा शुरू करने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, महोदय, मुझे मात्र दो-तीन मिनट चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कल शून्यकाल में बोलिएगा। आज नहीं। सामान्य बजट पर चर्चा शुरू करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी कोई बात कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो रही है।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: क्षमा करिएगा, कल आप अपनी बात उठाइए। आप बहुत ही जिम्मेदार सदस्य हैं और सभी लोग इसमें अनुभवी हैं। कल आप इसे शून्यकाल में उठाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, सरकार को उत्तर अवश्य देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अरे भई, सरकार तो रहेगी, सरकार कहां जाएगी? मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। आप

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बैठिए। अब हम बजट पर सामान्य चर्चा शुरू करते हैं। त्रिपाठी जी, आप अपना इश्यू कल शून्यकाल में उठाइए। मल्होत्रा जी, आप शुरू करिए।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, नेता, सदन कुछ कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आचार्य जी, आप इतने पुराने सदस्य हैं। नेता, सदन को सुनिए।

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (प्रणब मुखर्जी): महोदय, जैसा कि मैंने नेताओं की उपस्थिति में कक्ष में आपको सूचित किया था, मैंने मंत्री जी को सूचना भेज दी है। आज सभा की कार्यवाही समाप्त होने से पूर्व वह आएंगे और अद्यतन स्थिति के बारे में सदस्यों को सूचित करेंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: ठीक है। मल्होत्रा जी, आप बोलिए।

अपराह्न 01.33 बजे

सामान्य बजट (2008-09) - सामान्य चर्चा

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): सभापति जी, यू.पी.ए. सरकार का यह आखिरी बजट है।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: सभी सदस्य शांत रहिए। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति जी, यू.पी.ए. सरकार का यह आखिरी बजट है और 4 साल पहले उन्होंनो जो-जो वायदे किये थे, उन सारे वायदों को पूरा करने का यह आखिरी अवसर है।...(*व्यवधान*) मैं कहना चाहता हूं कि चिदम्बरम साहब ने आंकड़ों के हेरफेर में और कुछ लोक-लुभावनी बातें करके बजट के असली चेहरे को छिपाने की कोशिश की है। मेरा यह आरोप है कि यह बजट इंफ्लेशनरी है, भीषण महंगाई बढ़ाने वाला है, एंटी-डैवलपमेंट बजट है, एंटी-प्रोडक्टिव है। यह प्रगति विरोधी और विकास विरोधी बजट है और भीषण महंगाई बढ़ाने वाला बजट है।

वित्त मंत्री जी ने दावा किया है कि वे फिसकल डैफिसिट और रेवेन्यू डैफिसिट को 1 प्रतिशत और 2.3 प्रतिशत पर ले आए हैं और पहले से उन्होंने इसे कम किया है। सभापति जी, यदि आप आंकड़ों को देखें, तो उन्होंने 1 प्रतिशत रेवेन्यू डैफिसिट को कम करके बताया है कि उसका कुल घाटा 55,184 करोड़ का है और जी.डी.पी. इस हिसाब से 55 लाख 18 हजार 400 करोड़ रुपये होती है। उसमें से 1,33,287 करोड़ रुपया फिसकल डैफिसिट में रखा गया है जिसे यह कहा गया कि यह 2.3 प्रतिशत के करीब आता है।

सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने 60 हजार करोड़ रुपया किसानों का ऋण के रूप में माफ किया है तो वह बजट घाटा कहां गया? उन्होंने कहा था कि वह और प्रधानमंत्री इस बारे में सदन को बतायेंगे। यह फिसकल डैफिसिट में आना चाहिये था। अगर 60 हजार करोड़ रुपया घाटा आता है तो कुल कितना फिसकल डैफिसिट बनता है, उसका अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। परन्तु, यह छल पहली बार नहीं किया जा रहा है। 60 हजार करोड़ रुपये के घाटे को बाद में बांड्स में डाल कर रखा जायेगा। जब किसानों के ऊपर बोलने का अवसर आयेगा, तो मैं उसका उल्लेख करूंगा। इसी तरह 1 लाख 22 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ऑयल सब्सिडी में किया गया है जिसे घाटे में नहीं दिखाया गया है, ये उस पैसे को बांड्ज में डालेंगे या दूसरे तरीके से बैंकों पर डाल देंगे या तेल कम्पनियों के बांड्स में लगाकर कुल फिसकल डैफिसिट 1 लाख 82 हजार करोड़ रुपया और हो जायेगा। अगर यह धन इसमें शामिल किया जायेगा तो कुल फिसकल डैफिसिट 5.7 प्रतिशत की दर से एक लाख 33 हजार 287 करोड़ रुपये के बजाय यह 3 लाख 15 हजार 287 करोड़ रुपया हो जायेगा। इसके अलावा छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट आनी है जिसे 2006 से लागू किया जाना है। कर्मचारियों के ऐरियर्स होंगे। यह इसलिये कि पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें 1996 से लागू की गई थीं। अगर यह सब खर्चे डालें तो मेरा वित्त मंत्री पर आरोप है कि जितना उन्होंने ग्रोथ रेट 8.7 प्रतिशत दिखाया है, उससे ज्यादा फिसकल डैफिसिट बनता है। अब जितना ज्यादा फिसकल डैफिसिट होगा तो महंगाई बढ़ेगी। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। मैं इस महंगाई के बारे में भी जिक्र करना चाहता हूं।

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

सभापति महोदय, सी एंड ए.जी. ने इस बात को बहुत जोर से उठाने की कोशिश की - "क्या पी. चिदम्बरम राजकोषीय घाटे को कम आंक रहे हैं?" इस गवर्नमेंट के वित्त मंत्री जानबूझकर फिसकल डैफिसिट में फजिंग करके आंकड़ों को कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आडिटर जनरल ने इस बात को कहा है कि जहां फिसकल डैफिसिट कम होने की बात कही गई है, वह कम नहीं बल्कि और ज्यादा हो गई है। इसलिये मैंने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है। इससे महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, जब बाजार में ज्यादा पैसा आयेगा, मुद्रास्फीति की दर कितनी बढ़ेगी, उसका आप अनुमान लगा सकते हैं।

सभापति जी, वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारे यहां ग्रोथ रेट 8.7 प्रतिशत होगा और क्रेडिट लेने की कोशिश की गई है परन्तु यह ग्रोथ रेट किस के पास है? आज हिन्दुस्तान में आयकर देने वाले कितने हैं - दो करोड़, तीन करोड़। इससे और कम हो जायेंगे। यहां एक लाख 50 हजार की इनकम से नीचे हैं तो बाकी जो लोग बचते हैं, अगर मान लिया जाये कि दो करोड़ किसानों को लाभ होगा तो शेष 25 करोड़ परिवारों की क्या स्थिति होगी? उनके लिये इस बजट में क्या है? केवल भीषण महंगाई, डेवलेपमेंट का रुकना - ये सब उस हिस्से के बीच में आ जाती हैं। इसलिये उन लोगों के लिये इस बजट में कुछ नहीं है। अगर नेशनल सैम्पल सर्वे की रिपोर्ट देखें तो उसमें बताया गया है:

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार संभवतः भारत की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो रहा है परंतु देश की ग्रामीण जनसंख्या के लगभग एक तिहाई अथवा 20 करोड़ व्यक्ति अब भी 12 रुपये या 26 सेंट्स प्रतिदिन पर अथवा उससे कम पर जीवन- यापन करते हैं। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत व्यक्ति मात्र 9 रुपये प्रतिदिन पर जीवन-यापन करते हैं। भारत के शहरों में गरीब व्यक्तियों की स्थिति थोड़ी बेहतर प्रतीत होती है जिसमें 30 प्रतिशत व्यक्ति प्रतिदिन 19 रुपये खर्च करते हैं परंतु शहरी जनसंख्या के 10 प्रतिशत गरीब व्यक्तियों को प्रतिदिन मात्र 13 रुपये से जीवन-यापन करना पड़ता है।"

[हिन्दी]

इसमें पूरे हिन्दुस्तान की गरीबी को दिखाने की कोशिश की गई है। यह ठीक है कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोगों में चार भारतीय हैं जो खरबपति हैं। इसके अलावा हमारे देश में करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है परन्तु 8.7 प्रतिशत ग्रोथ रेट का फायदा किसको हो रहा है? गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। रेहड़ी, पटरी, खोमचा लगाने वाले और स्लम्स में रहने वाले या गांव में लेबर का काम करने वाले लोगों की आमदनी में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

उनके ऊपर जो सर्विस टैक्स लगाया, उसकी मार पड़ रही है और उससे ये ज्यादा गरीब हो गए हैं। मैं किसी अन्य का जिक्र नहीं करता, श्री मणिशंकर अय्यर साहब हमारे केन्द्र के मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा-

[अनुवाद]

"जब आप 9.2 प्रतिशत विकास दर की बात करते हैं तो यह सांख्यिकीय विवरण बन जाता है। हमारे देश की 0.2 प्रतिशत जनता 9.2 की दर से विकास कर रही है।" प्वाइंट दो परसैंट, ये सिर्फ सारा का सारा पैसा उन्हें जा रहा है। "परन्तु ऐसे व्यक्ति बड़ी संख्या में हैं जिनकी विकास दर शायद 0.2 प्रतिशत है।"

[हिन्दी]

उन्हें प्वाइंट दो परसैंट, एक परसैंट का भी पांचवा हिस्सा, उनके पास उसका फायदा नहीं जा रहा। सारा का सारा फायदा कुछ थोड़े से चुने हुए अरबपति-खरबपति लोगों के हाथ में जा रहा है। जब से यू.पी.ए. सरकार आई है तब से अमीर और गरीब की खाई पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

सभापति महोदय, आम आदमी के नाम पर चुनाव जीतने वाली इस सरकार ने सबसे बड़ा विश्वासघात इस देश की जनता के साथ जो किया है, वह भीषण महंगाई का है। ऐसी भीषण महंगाई, इसके पहले के आंकड़े मैं आपको दूं, वह तो ठीक है, परन्तु लगातार बजट बनने के बाद जो महंगाई बढ़ी है, उसके आंकड़े आप मेहरबानी करके देखने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, जिस दिन बजट पेश हुआ, उससे तीन-चार दिन पहले पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। बजट पास होने के एक दिन बाद स्टील के दाम दस परसैंट से ज्यादा बढ़ा दिए गए और

[अनुवाद]

समाचार पत्र में यह आया है "इस्पात के मूल्य आसमान छू रहे हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए इस्पात राउंड्स और वायर रोड्स के मूल्य में 5500 रुपये से 7500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि की है। आज की वृद्धि के कारण एम.एस. राउंड्स के मूल्य पिछले तीन महीनों में बढ़कर 17000 रुपये प्रति मीट्रिक टन हो गए हैं और इसके कारण इस्पात आधारित लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अपने कार्य बंद करने के लिए बाध्य होंगे तथा अनेक इकाइयां अपनी दुकानें बंद करने के लिए बाध्य होंगी।"

[हिन्दी]

स्टील का काम करने वाली सारी छोटी-छोटी मिलें समाप्त हो जाएंगी, यह इसमें कहा है - एक अन्य समाचार पत्र का शीर्षक है

[अनुवाद]

"इस्पात के मूल्यों में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री स्थिरता की बात करते हैं।"

[हिन्दी]

एफ.एम. साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि कीमतें स्थिर रखेंगे और स्टील प्राइसेस दस परसैंट बढ़ गई। अभी 23 फरवरी को जो सप्ताह समाप्त हुआ उसका समाचार अभी तीन दिन पहले यह आया - "मुद्रास्फिति बढ़कर 5.02 प्रतिशत हुई।" यह पिछले दस महीने का रिकार्ड है। दस महीने में इतनी कीमतें नहीं बढ़ीं, ये बजट पहले की फीगर्स हैं कि बजट से पहले दस महीने में जितनी कीमतें थीं, उसमें सबसे ज्यादा कीमतें 5.02 परसैंट, होल सेल प्राइस इंडेक्स, मैं अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जिक्र नहीं कर रहा, वे इसके अंदर बढ़ गईं। 5.02 परसैंट, दस महीने का रिकार्ड। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को बड़ी चिट्ठियां लिखीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े दावे किए और यह कहा कि वे महंगाई रोकेंगे, पत्रों में तो लिख दिया कि महंगाई रोकनी चाहिए, यहां पर सीमेंट पर बढ़ी ड्यूटी और घर महंगे होंगे। सीमेंट, ब्रिक्स, उसमें जो रोड़ी डाली जाती है, सब की प्राइसेस बजट के बाद बीस परसैंट के करीब बढ़ी हैं। एक अन्य समाचार पत्र का शीर्षक है - बजट आने के बाद, होली नजदीक आते ही महंगाई बढ़ी।

सभापति महोदय, बजट के बाद दाम बढ़े हैं। बजट से पूर्व और बजट के बाद - अरहर दाल 36 रुपए से बढ़ कर 42 रुपए, उड़द दाल 30 रुपए किलो से बढ़ कर 35 रुपए किलो, मसूर दाल 38 रुपए से बढ़ कर 42 रुपए किलो, चना दाल 28 रुपए से बढ़ कर 35 रुपए किलो, रिफाइंड तेल 67 रुपए बढ़ कर 75 रुपए लीटर, सरसों का तेल 65 रुपए से बढ़ कर 75 रुपए, डालडा घी 60 रुपए से बढ़ कर 68 रुपए, मैदा 13 रुपए से 15 रुपए, यह बजट आने के बाद जो दाम बढ़े हैं। यह चार साल का पूरा का पूरा है, 24 मई, 2004 को आप सरकार में आए थे तब के और अब के, उसके आंकड़े मैं यहां रखना चाहूंगा। अब आप मसालों के बजट से पूर्व और बाद के रेट देखिए - धनिया 58 रुपए से 71 रुपए, काली मिर्च 160 रुपए से 170 रुपए, हल्दी 38 रुपए से 45 रुपए और लाल मिर्च 50 से 55 रुपए। सरसों का तेल 60 रुपए से 72 रुपए हो गया है। मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं कि आम आदमी की जरूरत की चीजें जैसे मैदा, चीनी, चाय, मकान बनाने के लिए सीमेंट, रोड़ी, ईंटें आदि कोई भी चीज ऐसी नहीं है, जिसके दाम न बढ़े हों। यह दाम और ज्यादा बढ़ेंगे तथा और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।

सभापति महोदय, मई 2004 से फरवरी 2008 तक दामों में जो वृद्धि हुई है, उसके आंकड़े पढ़ने की बजाय सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। इस दौर में 20 परसेंट से 200 परसेंट तक महंगाई बढ़ी है। चार साल पहले आप इस नारे पर सत्ता में आए थे कि महंगाई कम करेंगे। आम आदमी की, गरीब आदमी की कमर किस तरह से महंगाई से टूट चुकी है, इसे आप देखें। आटा 10 रुपए किलो था, अब 18 से 20 रुपए किलो हो गया है। चावल 10 रुपए किलो थे, अब 30 रुपए किलो हो गए हैं। ब्रैड 8 रुपए की थी, अब 15 रुपए की हो गई है। चीनी 14 रुपए किलो थी अब 22 से 25 रुपए किलो हो गई है। ऐसे सभी आंकड़े मैं सभापटल पर रखना चाहता हूं। इस भयंकर महंगाई का असर किस पर पड़ेगा, आम आदमी और आम औरत पर इस महंगाई का असर पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि बजट आने के बाद कौन सी चीज सस्ती हुई है? सबसे पहले कारें सस्ती हुईं। हर कार मेकर ने 16 हजार, 20 हजार, 25 हजार रुपए कम कर दिए। बजट आने के बाद शराब सस्ती हो गई।पानी महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया और जरूरत की चीजें ज्यादा महंगी हो गईं। महंगाई ऐसा विश्वासघात है, महंगाई ऐसा अपराध है, जो कि इस सरकार को ले डूबेगी। यह देशव्यापी महंगाई है और सरकार ने जानबूझकर महंगाई को बढ़ने दिया है। महंगाई इस कारण नहीं बढ़ी कि कहीं भूचाल आ गया या

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

फसल नष्ट हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो कमॉडिटी एक्सचेंज किया है, आपने सरमाएदारों को, जमाखोरों को, बड़े-बड़े कैपिटल हाउसिस को जो रिटेल में काम करने दिया और एफ.सी.आई. की बजाय इन लोगों को सारी चीजें कंट्रोल करने दीं और गेहूं का आयात किया, इन सभी कारणों से महंगाई बढ़ी। श्री मनमोहन सिंह जी ने यहां भाषण दिया, तो कहा कि किसानों को पैसे कम दिए गए, इसलिए महंगाई हुई है। अब हम किसानों को ज्यादा पैसा दे रहे हैं। क्या सीमेंट खेत में पैदा होता है, क्या स्टील खेत में पैदा होती है, क्या एल्यूमिनियम या दूसरी चीजें खेत में पैदा होती हैं? गेहूं को बाहर से इम्पोर्ट किया जाए और यहां हमारे किसानों की बात कही जाती है। यह महंगाई आपकी नीतियों के कारण बढ़ी है। इस बारे में इस सरकार का बहुत ही शर्मनाक इतिहास है।

महोदय, रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम का भी बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है। इसके बारे में शायद हमारे दोस्त जिक्र करना चाहते थे, राहुल गांधी जी ने उड़ीसा में क्या कहा, उसका जिक्र मैं यहां नहीं करना चाहता हूं, परंतु उन्होंने कहा था कि एक रुपए में से पांच पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं। राजीव गांधी जी ने कहा था कि एक रुपए में से 15 पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि केवल पांच पैसे ही आम आदमी तक पहुंचते हैं। इसका मतलब यह है कि आम आदमी के लिए आप 60 रुपए प्रतिदिन कह रहे हैं, यानी उस तक केवल तीन रुपए ही पहुंचेंगे। वित्त मंत्री जी ने रूरल गारंटी स्कीम में कैसा भ्रमित किया है,...* पिछले साल के बजट में यह स्कीम 100 जिलों में लागू थी और कहा गया था कि इस साल से 200 जिलों में इसे लागू करेंगे। अभी आपने घोषणा कर दी कि 596 जिलों में आपने इस स्कीम को लागू कर दिया है। पिछले साल बजट में क्या प्रोविजन था, यह वित्त मंत्री जी जानते हैं, 12000 करोड़ रुपए पिछले साल 100 जिलों के लिए रखे थे। पिछले साल के बजट में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इस योजना के अलावा थी। 12000 करोड़ रुपया नेशनल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम के लिए था और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 3420 करोड़ रुपया पिछले साल रखा था। पिछले साल कुल 15420 करोड़ रुपए रखे गए थे और अब 3420 करोड़ रुपए को जीरो कर दिया है, उसे अमलगमेट कर दिया है और इस साल कुल 16000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए रखे

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं। मतलब 100 जिलों के लिए 15420 करोड़ रुपए और 596 जिलों के लिए 16000 करोड़ रुपया, यह कैसा इंसाफ है? यह कैसे हो सकता है?

सभापति महोदय: गोयल जी, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, चिदम्बरम साहब ने एक बात कही है, जिनका ये लोग जिक्र कर रहे हैं उन्होंने कहा था कि मैं बैठा हूं, अगर और रुपये की जरूरत होगी तो मैं दूंगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यह किस तरह का बजट है, जिसमें 100 जिलों के लिए 15400 करोड़ रुपये और 596 जिलों के लिए यदि आप 300 कह रहे हैं तो 300 ही सही, इस तरह से 600 जिलों के लिए 16000 करोड़ रुपये ही हुए। यह कहां का तरीका है...*(व्यवधान)* इससे ज्यादा भी शर्मनाक कोई तरीका हो सकता है। इन्होंने यह कहा कि और पैसा दूंगा, लेकिन वह पैसा आएगा कहां से? क्या इससे बजट घाटा और नहीं बढ़ेगा? इन्होंने 16 हजार करोड़ रुपये का हिसाब किस तरह से लगाया है? जब इसको शुरू किया गया था तो 11 हजार करोड़ रुपये रखे गए थे। इस हिसाब से 600 जिलों के लिए 66 हजार करोड़ रुपये बनते हैं। जब 12 हजार करोड़, 15 हजार करोड़ रुपये रखे थे, उस हिसाब से एक लाख करोड़ रुपये होते हैं। 16 हजार करोड़ रुपये देकर आप कह रहे हैं कि रोजगार गारंटी योजना चलाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा आपके मंत्री और आपके लोग, राहुल साहब फर्माते हैं कि पांच पैसे भी लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा फैल्योर इसी में हुए हैं।...*(व्यवधान)*

महोदय, इनका कॉमन मिनीमम प्रोग्राम इम्पलीमेंट करने का भी यह आखिरी वर्ष है। इसमें इन्होंने लिखा है-

[अनुवाद]

"संप्रग सरकार तत्काल राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम अधिनियमित करेगी। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण, शहरी गरीब और मध्यम-वर्गीय परिवारों में से कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आस्ति सृजक लोक निर्माण कार्यक्रम आरंभ करके कम से कम 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देगा।"

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

लेकिन क्या इन्होंने एक भी अर्बन पुअर के लिए गारण्टी स्कीम बनाई है? चार साल बीत गए हैं, इन्होंने वायदा किया था कि कस्बों और शहरों में रहने वाले, स्लम बस्तियों, गन्दी बस्तियों और झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए स्कीम बनाएंगे। 40 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं और अधिकांश गरीब भी शहरों में रहते हैं, जो शहरों में आकर मजदूरी भी करते हैं - उनके लिए आपने वायदा किया था कि नेशनल एम्पलायमेंट गारण्टी स्कीम लाएंगे, उनके बारे में आपने क्या किया? आपने अपने वायदे को भी तोड़ा है, यह मैं कहना चाहता हूं।

महोदय, डॉलर की कीमत कम होने से हमारे लाखों एक्सपोर्टर बेकार हो रहे हैं। यह वायदा किया गया था कि ये मिलें बंद न हो जाएं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद न हो जाए, एक्सपोर्ट करने वालों को हम राहत दे रहे हैं और बड़ी भारी राहत आ रही है, लेकिन एक पैसे की भी राहत उन लोगों को नहीं दी गई है, चाहे आप चिदम्बरम साहब का पूरा बजट पढ़ लीजिए। प्रतिदिन एक्सपोर्टर्स की कोई न कोई मिल बंद हो रही है, छोटी-छोटी हजारों इकाइयां बंद हो रही हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा गया है। इसी तरह से सरकार ने नई भर्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है, जिससे स्कूलों और कॉलेजों से निकलने वाले हजारों इंजीनियर बेकार हो रहे हैं। उनके लिए कोई राहत इसमें दिखाई नहीं देती है।

महोदय, इसके बाद वित्त मंत्री जी ने शिक्षा की मद में 28 हजार 674 करोड़ रुपये से बढ़ाकर, 34 हजार 400 करोड़ रुपये कर दिया है। इसमें 5-6 हजार करोड़ रुपये की इन्क्रीज हुई है, पर आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या कहा है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इन्होंने जिक्र किया कि जी.डी.पी. 6 परसेंट इसमें से एजुकेशन के लिए रखा जायेगा।

[अनुवाद]

"संप्रग सरकार शिक्षा पर सरकारी व्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत करने का वचन देती है और इस धनराशि का आधा हिस्सा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है।"

[हिन्दी]

यह इनका वायदा है, ऐसे नहीं कि कोई वैसे ही कहा हो। यह 34 हजार करोड़ रुपया जी.डी.पी. का क्या बनता है, 0.6 परसेंट, जबकि करना 6 परसेंट है।...*(व्यवधान)* जी हां, स्टेट गवर्नमेंट का भी सब मिला लेंगे तो वह भी एक-डेढ़ परसेंट है, *[अनुवाद]* परंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा।

[हिन्दी]

जो करना है, उसका 10 परसेंट आपने एजुकेशन में रखा है। यह ठीक है कि कुछ के बच्चे दून स्कूल में पढ़ सकते हैं, कुछ के बच्चे बड़े-बड़े पब्लिक स्कूलों में पढ़ सकते हैं, कुछ के बच्चे हजारों रुपये की फीस देने वाली जगहों पर पढ़ सकते हैं, परन्तु करोड़ों बच्चे हैं, जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, उन स्कूलों के अन्दर जहां टाट-पट्टी नहीं, टीचर्स नहीं, जहां पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं, पीने का पानी नहीं, उनके विकास के लिए जो वायदा किया गया था कि वहां पर सब स्कूलों को उस उन्नत जगहों पर ले जाया जायेगा। शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है कि सब का व्यवसायीकरण कर दिया है, सब को प्राइवेटाइज कर दिया है और उनके हाथ में छोड़ दिया है। सरकार की ओर से जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए भी शिक्षा का इसके अन्दर कोई यहां पर प्रबन्ध नहीं किया गया।

इसके बाद मुझे आपसे हैल्थ के बारे में जिक्र करना है। हैल्थ के बारे में भी स्थिति यह है कि हैल्थ में भी वायदा किया था कि हम दो से लेकर तीन परसेंट तक जी.डी.पी. का इसमें लगाएंगे।

[अनुवाद]

"संप्रग सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले पांच वर्षों के लिए स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2 से 3 प्रतिशत कर देगी।"

[हिन्दी]

परन्तु इसमें इन्होंने 16,534 करोड़ रुपये रखे, जिसमें एन.ई.आर. का भी मामला शामिल है वायदे के मुताबिक आपको एक लाख करोड़ से डेढ़ लाख करोड़ रुपये खर्च करना था, परन्तु अगर देखा जाये तो आप उसका दसवां भाग भी खर्च नहीं कर रहे हैं। आपने यह वायदा किया था कि लाइफ सेविंग ड्रग्स को इस सस्ते दाम पर उपलब्ध कराएंगे, परन्तु दवाइयां कितनी महंगी हैं, कितने लोग अस्पतालों के बाहर जाकर दम तोड़ते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

जाना कितना महंगा हो गया है निन्दनीय और सबसे ज्यादा आप देखें कि यहां पर *[अनुवाद]* "एम्स की तरह सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल एवं अध्यापन संस्थान की स्थापना है।"

[हिन्दी]

जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो 6 सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल्स बनाने का तय किया था। उनके यहां पर शिलान्यास हो गये थे, रुपया रखा गया था, परन्तु, चिदम्बरम साहब, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल आपने इस मद में, सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल्स बनाने और अपग्रेडिंग के लिए 150 करोड़ रुपया रखा था, इस साल उसे काटकर 50 करोड़ कर दिया। 50 करोड़ रुपये में एक भी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल बन सकता है? यह शर्म की बात नहीं है कि आप सारे हिन्दुस्तान में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल्स एम्स टाइप बनाना चाहें और वहां पर कहना चाहें कि हम बाकी हॉस्पीटल्स को अपग्रेड कर देंगे और रुपया 150 करोड़ से काटकर केवल 50 करोड़ उसको कर दें तो इसका मतलब है कि उसमें से एक भी पांच साल बीत जाने के बाद नहीं बनेगा।

एक बात और देखिये, मुझे आश्चर्य है, हैल्थ मिनिस्टर साहब नहीं हैं। हैल्थ मिनिस्टर साहब दिल्ली के एम्स के बारे में, जो हिन्दुस्तान का सबसे सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल है, क्योंकि उनकी लड़ाई वहां पर डायरैक्टर से हो गई और उनका चार साल का, पांच साल का एजेण्डा यही रहा कि उनको कैसे निकाला जाये और उसका विकास करना था, उसका रुपया 490 करोड़ रुपये से काटकर 452 करोड़ इस साल कर दिया। पहले से और कम कर दिया, बजाय इसके कि उसमें 2-3 हजार करोड़ रुपया लगाकर एक इण्टरनेशनल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल बनाया जाय, उसका रुपया उसमें से काटकर कम कर दिया।

अपराह्न 2.00 बजे

वहां के पांच सौ डाक्टरों ने मिलकर प्रधान मंत्री जी से अपील की है। उन्होंने कहा है कि मंत्री जी और उनका जो झगड़ा चल रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस अस्पताल को ही बर्बाद कर दें और उसका जो खर्चा है, उसे भी पहले से कम कर दिया जाए।

हैल्थ के बाद में डिफेंस के बारे में कहना चाहता हूं। आपने कहा है कि हमने डिफेंस पर 96 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक लाख पांच करोड़ रुपये की राशि रखी है। यह राशि बहुत ही अपर्याप्त है। आप देखेंगे कि डिफेंस पर हमारा खर्च जी.डी.पी. का 1.98 प्रतिशत आता है, चिदम्बरम साहब ने अपना जो हिसाब लगाया है। चीन अपने जी.डी.पी. का 4.5 प्रतिशत खर्च कर रहा है, पाकिस्तान भी 4.5 प्रतिशत खर्च कर रहा है, लेकिन हम 1.98 प्रतिशत कर रहे हैं और वह भी 96 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये, नौ हजार करोड़ रुपये बढ़ा रहे हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स - इन तीनों अंगों ने जो मांग कर रखी है, आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारा सामरिक अनुपात पाकिस्तान से भी और चीन से भी बिगड़ रहा है। सरकार में जो बात हो रही है कि कश्मीर से सेना हटा लें, कश्मीर में सेना कम कर दें, यह बहुत ही खतरनाक बात होगी, यह देश के लिए बहुत ही विध्वंसकारी बात होगी। हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि कश्मीर में सेना कम करके, कश्मीर में पाकिस्तान को कुछ भी करने की इजाजत देना देश के साथ विश्वासघात होगा। डिफेंस पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, डिफेंस पर दिया गया खर्च बहुत ही कम है। मैं इस बात में नहीं जाता कि सेना में तीनों अंगों ने क्या-क्या मांग कर रखी है, उन्हें क्या-क्या चीजें चाहिए, क्या हथियार चाहिए, विज-ए-विज पाकिस्तान और चीन, हमारी जरूरत क्या है, उसे देखा जाए तो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात को आपसे कह सकते हैं।

यहां किसानों की कर्ज माफी की योजना को बहुत जोर से कहा गया और बहुत जोर से उसे रखा गया। एक्सपर्ट्स ने लिखा है-

[अनुवाद]

"लगभग 75 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों को ऋण माफी से लाभ मिलने की संभावना नहीं है।"

[हिन्दी]

उन्होंने सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद कहा है कि 75 प्रतिशत स्माल और मार्जिनल किसानों को लोन वेवर से को फायदा नहीं होगा। श्री विलास मुत्तेमवार, जो मंत्री हैं, उन्होंने प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, शायद वे चिदम्बरम साहब से भी मिले हैं, कि विदर्भ में इसका किसानों को फायदा नहीं होगा। विदर्भ में लोगों के पास दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। जहां असिंचित भूमि है, वहां इकोनॉमिक होल्डिंग भी 16 एकड़ की होती है। उन्हें भी

इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है फिर भी इस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लगातार इस बात को कहा जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि साठ हजार करोड़ रुपये की फिगर कहां से आई है? जब आप करने लगेंगे तो देखेंगे कि 23-24 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि नहीं आएगी। आप कह रहे हैं कि हम चार करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाएंगे, जब यह बात सामने आ जाएगी। चिदम्बरम साहब ने कहा है कि मैं हाउस में बताऊंगा। अजीब बात है। पहले वेवर कर दिया। स्कीम के बारे में वे कहते हैं कि मेरे दिमाग में घूम रही है, कई ऑप्शन्स हैं, यानी ऑप्शन्स कई हैं, लेकिन उन पर यहां पहले विचार नहीं किया गया और एक प्रकार से धोखे में रखा गया। किसानों की वेवर स्कीम के बारे में डिटेल में बहुत से आर्टीकल छपे हैं। असिंचित भूमि की बात, महाजनों से लिए गए कर्ज की बात, इसके साथ ही इसमें से जो अन्य राशि आनी है, आपने कहा कि उसमें तीन-चार साल लगेंगे। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम तीन-चार साल में राशि बैंकों को दे देंगे। आपकी सरकार की उम्र एक साल बची है। जब उम्र एक साल बची हो और कह रहे हैं कि हम तीन-चार साल के बाद इसे चुकता कर देंगे, तीन-चार साल में चुकता कहां से करेंगे? कौन सा हिसाब है? आप इसे आगे आने वाली पीढ़ियों पर डाल रहे हैं।...*(व्यवधान)* पहले भी इसी तरह बॉन्ड्स के बारे में किया गया है।...*(व्यवधान)* क्रेडिट आपको कैसे जाएगा?...*(व्यवधान)* हम तो इसे करेंगे और हमें खुशी होगी। यह किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी बात लिखी नहीं जा रही है। आप सुनिए और बाद में जवाब दीजिए।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: हल्ला-गुल्ला लिखा नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: गोयल साहब, आप बैठिये। आप अपना आसन ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: राजा साहब, किसान की बात छोड़िये, अभी आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 02.00 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष जी, समय के अभाव के कारण मैं सारी बातों का यहां विस्तार से जिक्र नहीं कर सकता।...*(व्यवधान)* परन्तु किसान के कर्ज माफी की योजना को लोग देश भर में बेनकाब करेंगे। मंत्री जी ने बजट में जितना दिया है, उससे 15-20 परसेंट लोगों को ही फायदा होगा। बाकी के 80-85 परसेंट लोगों को इसका फायदा नहीं होगा। वे 85 परसेंट लोग आपको इस बारे में बेनकाब करेंगे, कठघरे में खड़ा करेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या उन्होंने आपसे कुछ पूछा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातों का और जिक्र करना चाहता हूं। समय के अभाव के कारण बहुत सी बातें मुझे कहनी हैं, लेकिन उन सबको विस्तार से कहना यहां संभव नहीं है। मैं खेलों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। अभी हॉकी में हमारा डिबेकल हुआ। पिछले 80 वर्षों में हम हॉकी में पहली बार ओलम्पिक में नहीं जा रहे हैं। परन्तु आप सब लोगों को मालूम है, अभी मणि शंकर अय्यर जी हाउस में नहीं हैं, उन्होंने इस खेल को प्रॉयरिटी केटेगरी से निकालकर नॉन प्रॉयरिटी केटेगरी में डाल दिया गया था।...*(व्यवधान)* इसे 'ए' क्लास से निकालकर 'बी' क्लास में डाल दिया गया जबकि यह हमारी नेशनल गेम है। इस राष्ट्रीय खेल को हम बी केटेगिरी में डालें, जिसका मतलब है कि वे साल में एक बार बाहर जा सकते हैं, दो बार नहीं जा सकते। इतना इक्विपमैंट ला सकते हैं और इतना नहीं ला सकते। जब इस बारे में बहुत शोर मचा और हमने कहा कि कॉमनवेल्थ खेलों में भी हॉकी है, ये कॉमनवेल्थ खेल इंडिया में होने हैं और उसमें हम आटोमेटिकली होंगे। यदि इसे बी केटेगिरी में डाला

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

गया, तो कॉमनवेल्थ खेलों में क्या होगा, तब जाकर इसमें थोड़ा सुधार हुआ। परन्तु खेलों के बारे में, चिदम्बरम साहब, आपने देखा होगा एक खबर आयी थी कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी तीन करोड़ रुपये में खरीदा गया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री वह खेलों का समर्थन कर रहे हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्त्री साहब, वे स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप चुप हो जाइये।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्रिकेट के एक-एक खिलाड़ी को 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ रुपये के साथ-साथ बहुत सारी चीजें मिलती हैं जबकि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। परन्तु सारे खेलों के लिए 54-55 फेडरेशनें, कॉमनवेल्थ खेलें, एशियन खेलें, ओलम्पिक खेलें, इंटरनैशनल चैम्पियनशिप, एशिया चैम्पियनशिप आदि सारे अवार्ड्स के लिए चिदम्बरम साहब ने बजट में तीन करोड़ रुपये रखे हैं।...*(व्यवधान)* टोटल अवार्ड्स के लिए कुल तीन करोड़ रुपये रखे हैं जबकि क्रिकेट में हमने 70 करोड़ रुपये विदेशी खिलाड़ियों को दे दिये हैं जो कि बाहर के खिलाड़ी हैं। अपने खिलाड़ियों को जो मिला, वह अलग है। मैं यह बात नहीं कर रहा कि उनको क्या मिला, परन्तु सरकार को कम से कम अपने खिलाड़ियों को, जो बाकी खेलें हैं, नेशनल खेल हैं, ओलम्पिक खेल हैं, उनके लिए रुपया रखना चाहिए। मैं इस हॉकी की बहुत ही शर्मनाक हार के लिए मिनिस्टर साहब को जिम्मेदार ठहराता हूं और उनके इस्तीफे की मांग करता हूं।...*(व्यवधान)* मणिशंकर अय्यर साहब ने इस प्रकार से खेलों के साथ व्यवहार किया है।...*(व्यवधान)* वे पहले ऐसे मिनिस्टर हैं, जो एंटी स्पोर्ट्स हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं दो बातों का और जिक्र करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

चिदम्बरम साहब ने अपनी हाइलाइट्स, अपने भाषण और उसके साथ जो पेपर्स दिए हैं, उनमें 118 हाइलाइट्स दी गयी थीं। उन हाइलाइट्स में एक शब्द या एक भी हाइलाइट आतंकवाद के बारे में नहीं थी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठिए, आपकी भी बोलने की बारी आएगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, अभी प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य देते हुए कहा कि पंजाब में आतंकवाद के फिर से फैलने का खतरा है, इसकी मेरे पास पक्की खबर है, इसलिए जो संगठन ब्लैकलिस्टेड हैं, उन पर देखकर विचार करना होगा। उन्होंने स्थिति को बहुत खतरनाक बताया। एक सवाल के जवाब में होम मिनिस्टर साहब ने बताया कि दिल्ली एवं देश के अन्य हिस्सों में धार्मिक स्थानों पर आतंकी हमले होने वाले हैं, वे उनकी नजर में हैं, वे आतंकवाद के निशाने पर हैं। एक पत्र होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली सरकार को लिखा है...*(व्यवधान)* बजट में इन सभी चीजों के लिए भी प्रावधान होने चाहिए थे। इन्होंने लिखा है कि -

[अनुवाद]

बी.एस.ई. और सी.बी.आई. मुख्यालय आतंकवादियों की हिटलिस्ट में हैं - गृह मंत्रालय ने दिल्ली और मुंबई पुलिस को शहरों में महत्वपूर्ण अवसरों पर संभावित आतंकवादी हमलों के बारे में चेतावनी दी है।

[हिन्दी]

आई.आई.टी. और ऐसी ही जगहों पर अटैक होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आतंकवाद का इतना खतरा है, पूरा देश खतरे में है, जहां पर हमारे 150 से ज्यादा जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जब चार करोड़ बांग्लादेशी देश में आ गए हैं तो बजट में इसके लिए जिक्र होना चाहिए था या नहीं? बजट में इसके लिए प्रावधान होना चाहिए था या नहीं? जब हम कहते हैं कि हम आतंकवाद को टालरेट नहीं करेंगे, बजट के अंदर आपने ऐसी कौन सी धनराशि रखी है। एक भी हाइलाइट दी होती, अगर आपने कहा होता कि हम होम मिनिस्ट्री का बजट इतना बढ़ा रहे हैं, बांग्लादेश या पाकिस्तान की सीमा पर बाड़ लगाना है, बांग्लादेशियों को निकालना है, नक्सलवाद का मुकाबला करना है, तो अच्छा होता। लेकिन इसके बारे में एक भी हाइलाइट नहीं है। आतंकवाद को आपने इस तरह से लिया है जैसे कि बजट में उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप उसके मुकाबले के लिए कुछ धनराशि रखते और

कहते कि हम आतंकवाद को किसी कीमत पर टॉलरेट नहीं करेंगे। इसलिए मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि आपने वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाला है और उसके लिए आपने कोई धनराशि नहीं रखी है।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट का कम्युनलाइजेशन किया गया है, उसे मजहब के आधार पर बांट दिया गया है, यह एक बहुत घिनौनी बात है। देश में पाकिस्तान बनने से पहले जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम विद्यार्थी किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेता है, जहां पर कंप्टीशन होता है, तो दाखिले की पूरी फीस सरकार देगी, किन्तु किसी गरीब हिन्दू विद्यार्थी, किसी दलित या एस.सी.एस.टी. को यह सुविधा नहीं मिलेगी, यह कौन सा तरीका है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा के निवेदन के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष जी, मुझे समझ में आता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आरुन रशीद। कृपया पहले अपने स्थान पर जाइए। श्री गोयल, आपको भी अपने स्थान पर जाना चाहिए। श्री मल्होत्रा, कृपया आप जारी रखिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि यह बात मेरी समझ में आती, अगर आप कहते की हिन्दू हो या मुसलमान हो, कोई भी गरीब या दलित हो, हम सभी को गरीबी के आधार पर फीस देंगे। परंतु इस तरह माइनोरिटी के नाम पर, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में मुसलमानों के नाम पर ऐसा भेदभाव करना ठीक नहीं है। अगर कोई बच्चा राम कुमार है तो उसे सरकार की तरफ से फीस नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर उसका नाम करीम हो जाए तो सरकार उसकी फीस देगी - यह कैसा कानून है और कैसा तरीका है! यह तो एक प्रकार से अन्य गरीब और दलित बच्चों के साथ सरासर अन्याय है। क्या इससे धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं मिल रहा है? अगर आप उसमें धर्म परिवर्तन कर लें तो फीस आपको दी जाएगी वरना नहीं दी जाएगी।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसके अलावा बजट में और भी कई बातों का उल्लेख है। आपने उनके लिए 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी के भी दो वक्तव्य आए हैं। उन्होंने भी इसे डिफेंस किया है और कहा है कि हमने जो किया है, ठीक किया है और हम वही करेंगे। हम कब कह रहे हैं कि ऐसा न करो, लेकिन आपको ऐसा काम करना चाहिए जिससे सभी के साथ न्याय हो सके। आप किसी को एपीज न करें, सभी को बराबरी का दर्जा दें और एक सा सलूक करें। प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा है कि मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में 45 वर्ष एक ही परिवार का राज रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरुन रशीद (पेरियाकुलम): महोदय, आपको इस शब्द को निकाल देना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): परिवार का नहीं, एक पार्टी का राज रहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी का जब समय आएगा, तब आप अपनी बात कहना। अभी आप बैठ जाएं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप इस बात को मानते हैं कि नेहरू जी 17 वर्ष तक इस देश के प्रधान मंत्री रहे,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

इंदिरा जी 18 वर्ष तक प्रधान मंत्री रहीं और राजीव गांधी जी पांच वर्ष तक प्रधान मंत्री रहे, फिर इसमें असंसदीय बात क्या है? आप इसे मानें या न मानें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मानवेन्द्र सिंह जी, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको आपकी बारी आने पर अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं यह बात कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी का राज अब भी है, भले ही सोनिया जी प्रधान मंत्री नहीं हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरुन रशीद: महोदय, इस शब्द को निकाल दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ असंसदीय नहीं है। कृपया बैठ जाइए। जब कोई असंसदीय शब्द होगा तो मैं उसे निकाल दूंगा। मुझे मालूम है कि क्या असंसदीय है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं यह बता रहा था कि अगर मुसलमानों की स्थिति इस देश में ठीक नहीं है आजादी से लेकर आज तक करीब 61 सालों में, बीच के छः साल छोड़ कर, तीन चौथाई तो आपका ही राज रहा है और अब आपको लग रहा है कि इनकी दशा खराब है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि *[अनुवाद]* हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और किसी के प्रति तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। *[हिन्दी]* यह हमारा सिद्धांत होना चाहिए और हर नागरिक को हक मिलना चाहिए। इसमें मुसलमानों को भी मिलना चाहिए, हिन्दुओं को भी मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अधीर चौधरी, कृपया बैठ जाइए। पहले, अपनी सीट पर जाइए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप मेरी लीनिएंसी का गलत फायदा उठा रहे हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इसलिए इस देश में ऐसे हालात न हो जाएं कि बहुसंख्यक वर्ग को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाए। मुझे प्रधान मंत्री जी के बयान पर आपत्ति थी। उन्होंने जो बजट के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान के सरकारी साधनों और सरकारी बजट पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा घिनौना वक्तव्य और कोई नहीं हो सकता। ...*(व्यवधान)* इससे ज्यादा शर्मनाक वक्तव्य और कोई नहीं हो सकता।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, कृपया अब समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: आप बजट की बात करें। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं बजट पर ही बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना): मुसलमान भी तो भारत के नागरिक हैं, उनको न्याय मिल रहा है तो आपको क्या आपत्ति है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: राम कृपाल जी, आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने पहले ही आपसे कहा कि उनको न्याय पूरा मिलना चाहिए, उन्हें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। किंतु पहला अधिकार उनका है, यह बात तो शायद...** यह तो जजिया को दूसरे तरीके से लाने की बात है। यहां पर हिंदू होना कोई अपराध तो नहीं है, हिंदू होना कोई सैकिंड-रेट सिटीजन होना तो नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): उपाध्यक्ष जी, जो इनकी मर्जी में आयेगा, क्या ये वही बोलते जाएंगे,...*(व्यवधान)* इन्होंने अनपार्लियामेंटरी शब्द यूज किया है, इसे रिकार्ड से हटाया जाए।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: इस शब्द को रिकार्ड से हटाया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरून रशीद: महोदय, इस शब्द को निकाल दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं इसकी जांच करूंगा। यदि कुछ भी आपत्तिजनक या असंसदीय हुआ तो मैं उसे निकाल दूंगा। श्री मधुसूदन मिस्त्री मैं इसकी जांच करूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: असंसदीय क्या है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यह शब्द क्या अनपार्लियामेंट्री है।...*(व्यवधान)* यह शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं है।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): इन्होंने तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री की बात की है, इसमें क्या अनपार्लियामेंट्री है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभा की कार्रवाई में विघ्न मत डालिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इसकी जांच बाद में करूंगा। यदि कुछ भी आपत्तिजनक हुआ तो मैं उसे निकाल दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: बजट का साम्प्रदायीकरण नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर नहीं होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* पीछे से लाकर यह जजिया दुबारा लागू नहीं करना चाहिए और यहां पर जो तरीका अपनाया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, कृपया अब समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह असंसदीय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जितना पैसा बजट में है

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

और जो इन्कम-टैक्स में रिलीफ दी गयी है और जितने लोगों को रिलीफ मिली है लेकिन यह सेंसेक्स जो 21000 से नीचे 15000 टच करता हुआ 16000 हजार पर गया, उसमें से जितना रुपया निकला, अरबों-खरबों रुपया उनका हाथ से निकल गया और हम बार-बार यह चेतावनी दे रहे थे कि यह जो सेंसेक्स में बाहर का पैसा लग रहा है, आतंकवादियों का पैसा लग रहा है, इसको ध्यान से देखिये और इसे रोकिये। यह जब गिरेगा तो करोड़ों स्मॉल-इंवेस्टर्स बर्बाद हो जाएंगे, वे करोड़ों लोग इसमें बर्बाद हुए हैं। इसी तरीके से इसमें इन्होंने दो-तीन चीजें और उठाई हैं, जिनके कारण भी बहुत नुकसान लोगों को हुआ है। इसलिए ये लोक-लुभावनी जो दो-तीन चीजें इनके द्वारा की गयी हैं, जब वे बेनकाब होंगी, तब पता चलेगा कि यह बजट किस प्रकार से हमारे देश के लोगों के सामने आयेगा। यह बजट महंगाई बढ़ाएगा, ग्रोथ रोकेगा, विकास को रोकेगा और देश को मजहब के आधार पर बांटेगा, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

***11 मार्च 2008 के जनसत्ता अखबार में छपा है**

बजट के बाद दाम बढ़े एवं उत्पाद बजट से पूर्व बजट के बाद

अरहर दाल 36 रुपए किलो 42 रुपए किलो

उड़द दाल 30 रुपए किलो 35 रुपए किलो

मसूर दाल 38 रुपए किलो 42 रुपए किलो

चना दाल 28 रुपए किलो 35 रुपए किलो

रिफाइंड 67 रुपए लीटर 75 रुपए लीटर

सरसों तेल 65 रुपए लीटर 72 रुपए लीटर

डालडा घी 60 रुपए किलो 68 रुपए किलो

मैदा 13 रुपए किलो 15 रुपए किलो

और 4 मार्च, 2008 के राष्ट्रीय सहारा में यह छपा है

मसाले	बजट पूर्व	अब
धनिया	58-60	71-72
काली मिर्च	160	170
हल्दी	38-40	45
लालमिर्च	50	55
बड़ी इलाईची	200	205
सौंठ	80-85	90-95
जीरा (मीडियम)	95-100	105
गोला	55	60
मखाना	170	190
सरसों	28-30	36-37
राई	32-35	40-42
कलौंजी	78-80	90
अमचूर	90	100
सरसों तेल	60-62	71-72

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

खुदरा बाजार में खाद्यान्नों की कीमतों में प्रति किलो एक रुपए और अधिकतम 20 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

[अनुवाद]

गेहूं	मई, 2004	फरवरी, 2008
गेहूं	8 रु. किलो	13 रु. किलो
आटा	10 रु. किलो	18-20 रु. किलो
चावल	10 रु. किलो	30 रु. किलो
ब्रेड	8 रुपये	12 रुपये
चीनी	14 रु. किलो	22-25 रु. किलो
मूंग दाल	24 रु. किलो	52 रु. किलो
अरहर दाल	26 रु. किलो	44 रु. किलो
मसूर दाल	22 रु. किलो	44 रु. किलो

गेहूं	मई, 2004	फरवरी, 2008
चने की दाल	25 रु. किलो	45 रु. किलो
राजमा	28 रु. किलो	55 रु. किलो
बेसन	20 रु. किलो	48 रु. किलो
दूध	14	24
रसोई गैस	244	295
पेट्रोल	33.15	45.52
डीजल	22.50	31.73
सीमेंट	125	245
इस्पात	23000 टन	35000 टन
सरसों का तेल	33-35	85
रिफाइंड तेल	45	100
केला	10 प्रति दर्जन	25 प्रति दर्जन

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं समझता हूं कि मुझ से पूर्व माननीय सदस्य ने बहुत गुस्से में भाषण दिया है। इनके पास कोई खास मुद्दे नहीं थे, इसलिए बहुत मजे से भाषण किया और इधर-उधर की बातें कहीं। इनको इस बात का दुख है कि बजट में ग्रोथ रेट बढ़ रहा है और आज लगभग 7 प्रतिशत की दर से ग्रोथ रेट है।

महोदय, मैं सबसे पहले यू.पी.ए. की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री जी के साथ-साथ यू.पी.ए. सरकार की कैबिनेट का अभिनन्दन करूंगा, जिन्होंने समाज का, खासतौर पर किसानों का ऋण माफ किया और लोगों का, देश का बजट प्रस्तुत किया। यह कोई चुनावी बजट नहीं है, लेकिन आपने जो भाषण दिया है, वह चुनावी भाषण है।

[अनुवाद]

मैं कहना चाहूंगा कि माननीय व केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम ने एक स्वस्थ आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि में लगातार अपना पांचवां बजट प्रस्तुत किया। 11वीं योजना अवधि के प्रथम वर्ष में 8.7 प्रतिशत की विकास-दर दर्ज की गई - आपने भी माना है कि आंकड़े गलत नहीं हो सकते हैं जबकि 2007-08 के प्रथम छह महीनों में विकास-दर 9.1 प्रतिशत हासिल की गई थी। वर्ष 2004-05 और 2006-07 के दौरान औसत विकासदर 8.8 प्रतिशत थी। विकास दर को बढ़ाने वाले कारक 'सेवाएं' और 'विनिर्माण' थे जिनके लिए वर्ष 2007-08 के दौरान विकासदर क्रमशः 10.7 प्रतिशत तथा 9.4 प्रतिशत आकलित किए गए थे। 11वीं योजना के अंतर्गत 9 प्रतिशत के विकास-दर का लक्ष्य था। कृषि क्षेत्र चिंता का विषय रहा। कृषि क्षेत्र में धीमी विकास-दर तथा किसानों की ऋणग्रस्तता ऐसे मुद्दे रहे जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत थी तथा जिस पर पहले से ही सरकार ने ध्यान केन्द्रित किया है।

इसके अतिरिक्त, खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि, बढ़ती हुई राजसहायता, विशेषकर खाद्य और तेल पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल तथा खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि तथा विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो घरेलू नीति निर्माताओं के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। बजट में इन सारी चीजों पर बहुत ध्यान दिया गया है और माननीय वित्त मंत्री ने सफलता पूर्वक विकास दर बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया है।

संघीय बजट 2008-09 का जोर विकास के वितरण पर है जिसमें अधिक से अधिक लोगों को समाहित किया जा सके। जैसा कि हमारे साथी ने जिक्र किया है - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, भारत निर्माण सर्व शिक्षा अभियान, दोपहर का भोजन योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आई.सी.डी.एस. आदि, लक्षित विभिन्न योजनाओं द्वारा, समाज के कमजोर वर्गों, को सशक्त बनाकर इसे कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

कृषक समुदाय की स्थिति में सुधार के लिए बजट में ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना लाई गई है। इस बजट में कृषि पर पूरा जोर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने एक केन्द्रीय आयोजना निगरानी प्रणाली बनाने का प्रस्ताव किया है जो अपने तरह की पहली प्रणाली है जिसे योजना आयोग की योजना स्कीमों के रूप में क्रियान्वित किया जाना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

करना है कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। इससे क्रियान्वयन की सूक्ष्म निगरानी तथा जवाबदेही को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप बजट भाषण दोहराने जा रहे हैं?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: नहीं, महोदय। यह मेरी राय है, यह मेरा अपना विचार है।

माननीय वित्त मंत्री ने 3966 करोड़ रुपये ऐसी योजनाओं को उपलब्ध कराए हैं जिससे विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लाभ होगा, तथा 18,983 करोड़ रुपए उन योजनाओं के लिए दिए हैं जिनमें कम से कम 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के लिए 2007-08 में आवंटन को 500 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 2008-09 में 1000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

महोदय, बजट में महिलाओं के लिए विशिष्ट रूप से बनी योजनाओं के लिए 11,460 करोड़ रुपये का प्रावधान है और 16,202 करोड़ रुपये उन योजनाओं के लिए है जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत कार्यक्रम महिलाओं को लक्षित करके बनाए गए हैं। यह इन योजनाओं की विशेषताएं है। मैं यह अवश्य बताना चाहूंगा कि ये ऐसी योजनाएं है जिनसे लोगों को बहुत लाभ होगा। वित्त मंत्री ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए 2007-08 के आवंटन की तुलना में इस बार आवंटन में 24 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है।

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर राजस्व में वृद्धि, जिससे औसतन वार्षिक विकास 214 प्रतिशत रहा, सकल घरेलू उत्पाद में विकास से मेल खाता है। इस प्रकार के कार्य निस्पादन को देखते हुए वर्ष 2008-09 (बजट अनुमान) में वर्ष 2007-08 (बजट अनुमान) की तुलना में 25.6 प्रतिशत की वृद्धि का आकलन है। गैर-कर राजस्व के तहत उसी अवधि में गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों सहित पूंजी आवक में 16 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है और वर्ष 2007-08 (बजट अनुमान) की तुलना में वर्ष 2008-09 में उधार तथा देयताओं में 23.8 प्रतिशत की कमी का अनुमान है।

केन्द्र सरकार की सकल कर वसूली की तुलना में प्रत्यक्ष कर का अनुपात वर्ष 1995-96 के 30.2 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में बढ़कर 45.1 प्रतिशत हो गया है। तथा स्वास्थ्य बीमा आवासीय घरों के रिवर्स मोर्टगेज के प्रणाली के माध्यम से ओल्ड एज सेक्योरिटी के लिए स्व-वित्तपोषण में सक्षम बनाने के लिए इस बजट में उपयुक्त प्रावधान किया गया है।

सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर छूट की सीमा को 1,10,000 रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दिया गया है और इस प्रकार प्रत्येक करदाता कर में से 4000 रुपये की राहत दी गई है। महिला कर दाताओं के लिए छूट की सीमा को 1,45,000 रु. से बढ़ाकर 1,80,000 रु. कर दिया गया है और वरिष्ठ नागरिकों के मामले में इसे 1,95,000 रुपये से बढ़ाकर 2,25,000 रुपये कर दिया गया है। जहां तक देश की बात है यह बहुत ही सकारात्मक कदम है।

[हिन्दी]

अच्छी बातें छुपती नहीं हैं। उनके पास बजट में टिप्पणी करने के लिए कुछ खास बातें नहीं हैं। एक गिलास में आधा पानी भरा है, किसी से पूछो तो वह कहेगा आधा खाली है और कोई कहेगा आधा भरा है। कहने का मतलब यह है कि देखने का अपना-अपना नजरिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप इन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो मैं इनको कैसे रोकूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अप्रत्यक्ष कर में 5,900 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान है। उत्पाद शुल्क से राजस्व का निष्पादन जो 2002-03 में 13.4 प्रतिशत से घटकर 10.3 प्रतिशत तथा बाद के दो वर्षों में घटकर 9.2 प्रतिशत रह गया था, को वर्ष 2005-06 में 12.8 प्रतिशत

दर्ज किया गया जिसमें कुछ सुधार हुआ है। सर राजस्व व्यय 2,09,767 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

वर्ष 2002-07 के दौरान उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण औसत 10.7 प्रतिशत बना रहा।

अब मैं योजना व्यय और गैर योजना व्यय की बात करता हूं। मैं विस्तृत ब्यौरा नहीं देना चाहता।

वर्ष 2008-09 के लिए योजना व्यय को 2,43,386 करोड़ रुपये रखा गया है। कुल व्यय की तुलना में यह 32.4 प्रतिशत होगा। राजस्व व्यय 2,09,767 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि पूंजी व्यय 33,619 करोड़ रुपये होगा। मैं योजना व्यय को विस्तृत ब्यौरा नहीं देना चाहता।

. अब मैं गैर-योजना व्यय की बात करता हूं क्योंकि यही वह वृहद् क्षेत्र है जहां घाटे और अन्य बातें सामने आती हैं और जिसकी हमारे विद्वान साथी ने तीव्र आलोचना की है जो सत्य नहीं है। वर्ष 2008-09 के बजट में गैर-योजना व्यय को 5,07,498 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। गैर-योजना व्यय में 1,90,807 करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान, 1,05,600 करोड़ का रक्षा व्यय और 71,431 करोड़ की राजसहायता प्रमुख कारक हैं। ये तीनों मुद्दे एक साथ मिलकर कुल गैर-योजना व्यय का 72 प्रतिशत होते हैं। सकल ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 31.6 प्रतिशत होता है। मैं इन सारी बातों के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता।

अब मैं राजकोषीय घाटे की चर्चा करना चाहूंगा। देश की राजकोषीय स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। वर्ष 2007-08 के लिए राजस्व घाटा, 1.5 प्रतिशत के बजट अनुमान की तुलना में 1.4 प्रतिशत होगा और वित्तीय घाटा 3.3 प्रतिशत के बजट अनुमान की तुलना में 3.1 प्रतिशत होगा।

वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां 6,02,935 करोड़ रुपये तथा राजस्व व्यय 6,58,119 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। तद्नुसार, राजस्व घाटा 1,33,287 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो कि सकल घरेलु उत्पाद का 2.5 प्रतिशत है। राजस्व और इसके साथ-साथ वित्तीय घाटे की प्रवृतियां निम्नानुसार हैं। वर्ष 2006-07 में राजस्व घाटा 80,222 करोड़ रुपये अर्थात 1.9 प्रतिशत था। वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान के अनुसार यह 71,478 करोड़ रुपये था जो कि 1.5 प्रतिशत है। वर्ष 2007-08 के संशोधित अनुमान के अनुसार, यह 63,488 करोड़ रुपये अर्थात 1.4 प्रतिशत है। वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान के अनुसार यह एक प्रतिशत है।

इस प्रकार वित्तीय घाटे की समस्या वैसी ही है; यह 3.5 प्रतिशत से घटकर 2.5 प्रतिशत हो गया है, जो कि नियंत्रणीय स्थिति में ही है। हर कोई जानता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में व्यय हस्तांतरित किया जा रहा है। एफ.आर.बी.एम. के अनुसार राजस्व घाटे को कम करने हेतु एक वर्ष का समय और है। तथापि, तेल, खाद्य, उर्वरक राजसहायता और छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के सम्भावित बोझ आदि मुद्दों पर सरकार की देयताओं के मद्देनजर वित्त मंत्री महोदय वित्तीय सामंजस्य बिठाने हेतु पुनः विचार करना चाहते हैं। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय सामंजस्य बिठाने के बारे में वह पुनर्विचार करेंगे जोकि उपयुक्त उपाय करने के संबंध में सुझाव दे सकता है।

अब, मैं कुछ अन्य मुद्दों नामतः कृषि के बारे में बात करूंगा।

[हिन्दी]

यहां काफी जिक्र हुआ कि 4 करोड़ किसानों को राहत मिलने वाली है, यह बात सही है लेकिन देश में 80 परसेंट छोटे किसान हैं और रु. 60,000 करोड़ किसानों को मिलने वाला है। पांच एकड़ जमीन से नीचे सबको ऋण माफी का लाभ मिलने वाला है और जो कुछ मिलने वाला है उसमें 30 परसेंट किसान भी नहीं हैं यह कहना गलत है। देश में 12 करोड़ किसान हैं जिनमें से 4 करोड़ किसानों को लाभ होने वाला है। यह बात सही है कि जो रेनफेड एरिया खास तौर से ड्रॉट, रेनफेड एरिया और डेजर्ट एरिया के किसान हैं उनकी आमदनी में फर्क होता है। किसान को डेट 25 परसेंट अगेंस्ट द ओ.टी.एस. दिया जाएगा - हम कहते हैं कि 25 और 75 परसेंट, राज्य सरकार आगे भी आ जाएं और 25% देंगे तो भी सभी जिम्मेदारी केंद्र की है, राज्य सरकारें क्या करेंगी? जिस तरह से एम्पलाएमेंट गारंटी स्कीम का जिक्र किया गया, लेकिन इस पर अमल कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी ने सही कहा था कि नुकसान के बाद पांच पैसे रहते है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी उस पर अमल करना है। राज्य सरकार की सही मायने में जिम्मेदारी लोगों के पैसे को देखने की है। राज्य सरकार में दलाल आते हैं और पैसे खा जाते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार मॉनिटर तो नहीं कर सकती इसलिए मैं कहूंगा

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

कि इस तरफ थोड़ा और ध्यान दें कि जो थोड़े से किसान हैं जिनको लाभ नहीं हो रहा है उनको लाभ कैसे दें। जो रैगुलर मुआवजा रिपेमेंट करने वाले हैं, जो किसान रैगुलर रिकवरी दे रहे हैं, उन्हें ऐसा न लगे कि रिकवरी देकर गलती की है इसलिए उनको इन्सेन्टिव देना चाहिए। मैंने यह छोटा सा सुझाव पहली बार भी दिया था और अब दूसरी बार भी दे रहा हूं कि जिन्होंने पिछले दो साल से रैगुलर लोन की रिकवरी दी है, उन्हें चार परसेंट इन्टरस्ट पर क्रेडिट दिया जाए और जो पैसा जमा हो, उसे आगे जो रिकवरी होगी उसमें मान्यता दी जाए। और अगले दो साल रैगुलर पेमेंट करे तो इन्सेन्टिव देना चाहिए और उसे चार परसेंट की रिबेट भी मिले तभी यह काम सही होगा।

हम जो डेट रिलीफ का काम कर रहे हैं, इस संबंध में मेरा छोटा सा सुझाव है कि यह वन टाइम है, हमेशा आने वाली चीज नहीं है, हम इतना चाहते हैं कि राधाकृष्णन कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की हैं, उसे ध्यान में रखें। इस कमेटी ने कहा है कि अगर एक साल आपत्ति आई, उसके बाद दूसरे और तीसरे साल आई तो इन्हें भी माफी की बात कहें। इसके लिए एग्रीकल्चर रिलीफ फंड की बात उन्होंने कही है। अगर 300 करोड़ का रिलीफ फंड है, जैसे नैचुरल कैलेमिटी आ जाती है तो उस हिसाब से जैसे ऑटोमेटिक कॉरपोरेट सैक्टर और इन्डस्ट्रीज में कम्प्रोमाइज करके हो जाता है उसी तरह यहां भी हो जाए ताकि किसान जो चीजें सोच नहीं पाता और नैचुरल कैलेमिटी से जो नुकसान होता है एग्रीकल्चर रिलीफ फंड से उसे कुद मिले और उस पर बैड डेट की आपत्ति दुवारा न आए।

महोदय, प्राइस फ्लकचुएशन का किसान को अंदाजा नहीं होता है, इतनी प्राइस फ्लकचुएशन होती है, जिसे किसान सोच भी नहीं सकते। किसान उसका शिकार होता है अभी दुनिया में दाम बढ़ रहे हैं, हिन्दुस्तान में भी बढ़ रहे हैं, कभी-कभी दाम इतने नीचे जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए प्राइस फ्लकचुएशन के लिए रिस्क मिटिगेशन फंड बना दिए जाएं जिससे किसानों को राहत मिलेगी। उनको जो नुकसान होगा, मार्किट इंटरवेंशन स्कीम कहते हैं आज भी वह स्कीम है,...*(व्यवधान)* लेकिन उसमें हम ज्यादा कामयाबी नहीं पा रहे हैं...*(व्यवधान)* उसमें सुधार की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के मैम्बर बोल रहे हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: इसलिए हमें थोड़ी राहत देनी चाहिए और रिस्क मिटिगेशन फंड बनाना चाहिए ताकि जिसे नुकसान हो उसे वहां से लाभ पहुंचा सकें। किसानों के बारे में इतना ही कहूंगा कि जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, वह कोई काम ऐसा नहीं कर रही हैं, इसमें सिर्फ 9 परसेंट किसान दायरे में आते हैं, इसके अंतर्गत एक, दो या तीन परसेंट किसानों को लाभ हो रहा है। इसके लिए किसानों को अवगत कराना पड़ेगा। वह स्टेटिक स्कीम है, कई हजार प्लान इसमें लाने पड़ेंगे। इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। कई एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के लिए सरकार ने जो ज्वाइंट कमेटी अभ्यास करने के लिए बनाई थी उसका रिपोर्ट आ चुका है उसे लागू कर दिया जाए। इसमें जितना फ्लकचुएशन होगा उतना किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा किसानों के घाटे को पूरा करने की बात आती है, वह टाइम सब्सिडी, इसमें खाली प्रीमियम के समय सब्सिडी दे दें बाकी किसान खुद कर लेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में तीसरी अच्छी बात इरिगेशन के बारे में है। अभी तक इरिगेशन के क्षेत्र में पैसे की बड़ी कमी थी। इस बजट में इरिगेशन के लिए 84 परसैन्ट इनक्रीज किया गया है। इसमें ए.आई.डी.पी. में 11 हजार करोड़ रुपये से बीस हजार करोड़ रुपये इनक्रीज किया है। इसके अलावा इरिगेशन कंस्ट्रक्शन डवलपमैन्ट कारपोरेशन का भी धन 100 करोड़ रुपये आगे बढ़ेगा। अभी 14 नेशनल प्रोजैक्ट्स भारत सरकार ने देश के लिए अलग से लिये हैं। यह बात जरूरी है कि देश के अंदर जो राज्य हैं, जो देश की अपेक्षा से कम इरिगेशन करते हैं, महाराष्ट्र और नॉर्थ-ईस्ट भी उसमें हैं, इसके अलावा और कई राज्य हैं, ऐसी जगहों पर उपरोक्त कारपोरेशन मैसिव धनराशि लगायेगा और इससे इरिगेशन को बढ़ावा मिलेगा।

अभी पिछले साल 11वीं योजना में केवल आठ लाख हैक्टेअर इरिगेशन की बात करने से कुछ नहीं होगा। उपाध्यक्ष जी, आप खुद भी किसान रहे हैं, आप भी इन सारी बातों को जानते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह बड़ी बात हो गई है, चाहे बांड्स निकालें, कुछ भी करें, लेकिन इससे इरिगेशन को बढ़ावा मिलेगा और जो इरिगेशन के लिहाज से बैकवर्ड रीजन्स हैं, उन्हें फारवर्ड स्टेट के रूप में आगे आने की सुविधा मिलेगी।

चौथी बात इन्होंने अच्छी की है कि स्किल डेवलपमैन्ट कारपोरेशन के लिए, जो एक नॉन-प्रोफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी उन्होंने इस कारपोरेशन के लिए 1000 करोड़ रुपये

रखे हैं और स्टेट्स को उन्होंने कहा है कि वे भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। स्किल डवलपमैन्ट में उन्होंने 15 हजार करोड़ रुपये के कॉर्पस की बात की है और एक हजार करोड़ रुपये का उन्होंने यहां से प्रोविजन किया है, क्योंकि स्किल डैवलपमैन्ट आज के वक्त की जरूरत है। हमें किसानों का खेत का बोझा भी कम करना है। इसलिए हर किसान और मजदूर का बेटा कम से कम स्किल डैवलपमैन्ट में चला जाए, चाहे वोकेशनल हो, आई.टी.आई. हो या कुछ भी हो। क्योंकि तभी गांवों की आबादी गांवों में रहेगी, वह शहरों की तरफ नहीं भागेगी। होता क्या है कि गांवों की आबादी शहरों में आती है और यहां गंदगी में रहती है। जो कोई शोभा देने वाली बात नहीं है। समाज की जरूरी चीजों को हमारे विपक्ष के नेता, श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी भूल ही गये। उन्होंने सरकार का जो पन्ना एग्जामिन करना था, वह ठीक है, लेकिन समाज के लिए कौन सी बात करना जरूरी है, महंगाई तो बढ़ ही रही है, क्योंकि दुनिया में सभी जगह महंगाई बढ़ रही है, हिन्दुस्तान भी दुनिया का एक हिस्सा है। इंडिया आज एक ग्लोबल विलेज बन गया है। इसमें थोड़ा असर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी डैवलपमैन्ट का रोड मैप ठीक चल रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो स्किल डैवलपमैन्ट का सवाल है, देश में आई.टी.आई. की संख्या पांच हजार से 11 हजार करने की बात कही गई है। स्किल डैवलपमैन्ट के बगैर इस देश का कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि देश में जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उन्हें मैनपावर नहीं मिलती है। देश में ग्रेजुएट्स रास्तों पर बेकार घूम रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। और इंडस्ट्रीज एड दे रही हैं, उन्हें लोग नहीं मिल रहे हैं, विदेशों से लोगों को लाना पड़ रहा है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो गया है और मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक ही कदम उठाया।

अगली बात रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैन्ट के बारे में कही गई है। इस बारे में दो राय है। आर.आई.डी.एफ. ने 14 हजार करोड़ रुपये का फंड दिया है, इसमें चार हजार करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों के रोड डवलपमैन्ट के लिए अलग रखा है। लेकिन मंत्री जी को मेरा इस बारे में सुझाव होगा कि आर.आई.डी.एफ. कहां से आता है, जो 18 परसैन्ट किसान को ऋण देना होता है, वह हम दे नहीं पाते हैं और जो पैसा बचता है, वह रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैन्ट फंड में आता है। हम यह चाहेंगे कि बैंकों की अकाउन्टेबिलिटी होनी चाहिए कि यह 18 परसैन्ट क्यों नहीं बंट रही है, दस परसैन्ट क्यों बंट रहा है। कुछ बैंकों में 12 परसैन्ट क्यों हो रहा है। बैंकों की बॉडीज में जो आर.बी.आई. के डायरेक्टर नोमिनी होते हैं, गवर्नमैन्ट के नोमिनी होते हैं, नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, उनकी एक अकाउन्टेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि बैंक को आसानी हो जाती है कि पैसा आर.आई.डी.एफ. में चला जाए, कोई अकाउन्ट खोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए बैंक की भी अकाउन्टेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी होनी जरूरी है और उन्हें 18 परसैन्ट का बंटवारा करना जरूरी है।

महोदय, एग्रीकल्चर क्रेडिट अभी दो लाख अस्सी हजार करोड़ रुपये पर गया, पिछले तीन साल में हमने दो लाख 43 हजार करोड़ रुपये का बंटवारा किया। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी कहीं न कहीं कमजोरी भी है। हमारा क्रेडिट एक तरफ बढ़ रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। अपनी प्रोडक्टिविटी को हम कैसे बढ़ायेंगे। जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ायेंगे, किसान को दाम नहीं देंगे, उन्हें पानी नहीं देंगे तो यह कैसे होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आपने अच्छा किया कि एक हजार रुपये गेहूं की फसल का दाम तय किया है, क्योंकि जिसके पास धान है, उसकी एक हजार से कम कीमत नहीं होनी चाहिए और जितना भारत सरकार को जो प्रोक्योरमैन्ट करना है, वह ओपन मार्केट से करे। जैसे दाल है, तिलहन है, उनका हम आयात कर रहे हैं। हम पहले 20 परसैन्ट सैल्फ पर निर्भर थे, खुद बना रहे थे, अभी 70 परसैन्ट इम्पोर्ट करना पड़ रहा है - ये क्यों हो रहा है? इसलिए हम चाहेंगे कि उसके दाम भी कम से कम तीन हजार रुपये मिलना चाहिए। क्योंकि रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, इस तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें उन्होंने ठीक किया कि पांच सौ सॉइल टैस्टिंग लैब्स के विस्तार की बात की है। एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए इन्होंने काफी पैसा रखा है।

रूरल डैवलपमैन्ट के बारे में मेरा कहना है कि जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, रूरल इकोनोमी और मैकेनिज्म जब तक मजबूत नहीं होगा, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन जो रूरल डैवलपमैन्ट इम्पलायमैन्ट गारंटी स्कीम है, इसमें जो स्किल डैवलपमैन्ट के साथ इंटीग्रेटेड एप्रोच होनी चाहिए क्योंकि जो हम 80 रुपया रोज मजदूर को दे रहे हैं, उसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वह भी हमें देखना चाहिए। अगर एक-एक हजार रुपया बच्चे को दिया जाता है तो वह स्किल्ड डैवलपमेंट में कामयाब हो जाता है। गरीब बच्चे कहां जाएं? इसके लिए

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

मैं सरकार का आभारी हूं कि उसने शिक्षा में बड़ी स्कीम बनायी है और इकॉनोमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए भी अच्छी योजना बनाई है। शिक्षा अभियान भी चलाया है, एक लाख के करीब बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी है, एस.सी. और एस.टी. के बारे में उन्होंने 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं चाहता हूं कि जो पॉजीटिव चीजें हैं, समाज के उद्धार के लिए, समाज को मजबूत बनाने के लिए समाज के गरीब आदमी के सम्मान के लिए, पिछड़े और आदिवासी लोगों के सम्मान के लिए, गरीब आदमी के सम्मान के लिए, जो योजना बनाई हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

एक बात मैं कृषि के बारे में कहना चाहता हूं। नाबार्ड की स्थापना को 25 साल हो गये। नाबार्ड को रिव्यू करना चाहिए। वहां जो गलतियां हुई हैं, उसमें सुधार करना चाहिए। हम कितने दिन नाबार्ड ऐसे ही चलाएंगे? पिछले साल भी मैंने बजट में इसका जिक्र किया था। इसलिए हम सोच रहे थे कि हम कुछ अच्छी बातें आगे करें। ऐसा कोई बजट नहीं होगा जिसकी कोई आलोचना नहीं होगी। कमी तो कोई न कोई रहेगी। लेकिन जो हमारा उत्पादन है, जो हमारे साधन हैं और जो खर्चे की कमिटमेंट है, उसके साथ ही हमें चलना है। यह कोई जादू नहीं है कि एक दिन या एक रात में पैसे ला दिये और सबको हरा भरा कर दिया। कुछ समय लगने वाला है।

कोआपरेटिव की बात कहकर मैं अपनी बात 5-7 मिनट में समाप्त करूंगा। वैद्यनाथन कमेटी ने जून 2009 तक काम पूरा करने का वादा किया है। कमेटी ने यह भी कहा है कि दो साल के अंदर शॉर्ट टर्म लोन हो या लांग टर्म लोन हो, उसे दो साल में खत्म करना जरूरी है क्योंकि सहकारी आंदोलन को मजबूत करना जरूरी है। उसे रीस्ट्रक्चर करना जरूरी है, उसके बारे में भी सोचना है और उसके लिए और धनराशि देनी जरूरी है। मैं यहां यह भी कहूंगा कि उन्होंने निजी बैंक्स, नेशनेलाइज्ड बैंक्स, रूरल बैंक ने अच्छा काम किया है, उनका अभिनंदन करने का काम किया, अच्छा काम किया लेकिन कोआपरेटिव बैंक का अभिनंदन नहीं किया। उनकी क्या गलती थी जिसकी वजह से ये कामयाब नहीं हुए क्योंकि आजकल कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से ही छोटे और सीमांत किसानों को लोन मिलता है और उसी की पार्लियामेंट में हम चर्चा कर सकते हैं। कोआपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए खास प्रावधान करना जरूरी है। कोआपरेटिव बैंक के ऊपर इंकम टैक्स लगाया गया है, इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे हटाना जरूरी है क्योंकि वैद्यनाथन कमेटी कितने साल चलेगी? उसका दो साल या एक साल, उसका टाइम-बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। जो राज्य सरकार इस काम को नहीं करती, मैं चाहूंगा कि उन्हें इसे करना चाहिए चाहे कोई भी राज्य सरकार हो।

अंत में, मैं कहूंगा कि जो ऋण माफी की बात हो रही है, इसके बाद हम इतना ही कहेंगे कि हमने राधाकृष्णनन कमेटी की रिपोर्ट मानी है, लेकिन उस पर अभी तक हमने कुछ नहीं किया है।

[अनुवाद]

एक राष्ट्रव्यापी ऋण माफी योजना शुरू किये जाने की आवश्यकता है। किसानों के अनौपचारिक स्रोतों (साहूकारों) से अधिक ब्याज पर लिए गए ऋणों को चुकता करने हेतु बैंकों द्वारा ऋण दिया जाए। साहूकारों से लिए गए ऋण की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए इस योजना में उचित सीमा निर्धारित की जा सकती है।

[हिन्दी]

जो महाजनों का कर्जा है, वहां हमें देना जरूरी है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभारी हूं, उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि यह योजना जारी रहेगी। मैंने उनसे मुलाकात भी की तो उन्होंने कहा कि यह योजना चलती रहेगी। इसका विस्तार करने के लिए भी हम सोच रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जब तक हम मनीलेंडर का बंदोबस्त नहीं करेंगे, जो अनऑथोराइज्ड मनीलेंडर्स हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? कुछ गांव के नेता भी मनीलेंडर्स होते हैं, उधार देने वाले दुकानदार भी मनीलेंडर्स हैं। इसलिए जो अनऑथोराइज्ड मनीलेंडर्स हैं, उनके संबंध में हमें कुछ न कुछ कानून बनाकर उनके खिलाफ कुछ न कुछ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण जनसंख्या का अधिकांश भाग किसी बीमा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

जो गांव वाली आबादी है, उसे हम कैसे इंश्योरेंस में कवर करें? एक अच्छी योजना उन्होंने अनऑरगेनाइज्ड सैक्टर

में आम आदमी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है जिसके तहत 31000 रु. तक स्वास्थ्य के लिए राहत दी है।

[अनुवाद]

एक सुझाव दिया गया था कि चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकीकृत सूक्ष्म बीमा उत्पाद के अंतर्गत परिवार को दी जाने वाली 19000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 30,000 रुपये किया जाए।

[हिन्दी]

कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। इसलिये हमें असंगठित क्षेत्र की ओर ध्यान देना पड़ेगा। अभी छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट आने वाली है। असंगठित क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की तनख्वाह में अंतर बढ़ जायेगा। जब कॉरपोरेट सैक्टर में ज्यादा पैसा मिलता है तो यह अंतर और अधिक बढ़ जायेगा। इसलिये मेरी अर्ज है, मेरा सुझाव है और मेरा आग्रह है कि हम असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिये ज्यादा सोचें। हमें उनकी सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, शैल्टर या दूसरी जो कमजोरी होती है, उन के बारे में कुछ सहायता देनी चाहिये ताकि उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा में ये सुविधायें मिलें। हमें डर इस बात का है कि जितना अंतर बढ़ रहा है या जिस ढंग से कारपोरेट सैक्टर की 2 प्रतिशत की सोसायटी बन गई है, उनके लिये पैसा खर्च करने का सवाल ही नहीं आता। वे कहां खर्च करने वाले हैं? लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे के 30 प्रतिशत लोग हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिये। योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सही कहा है कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिये कानून बनाया है जिसमें उन लोगों की सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि उनके लिये मिनिमम वेजेज क्या होनी चाहिये? स्टेट गवर्नमेंट ने मान लिया कि मिनिमम वेज क्या देनी है लेकिन उस पर अमल कौन करता है? इसलिये हम लोग इनवाल्व हैं क्योंकि हम किसान हैं और मजदूरों के लिये थोड़ा मजदूरी बढ़ा सकते हैं। मैं सभी राजनैतिक दलों से आग्रह करूंगा कि हम लोगों को यह सोचना चाहिये कि किसानों और किसान-मजदूरों को लाभ कैसे मिल सकता है और हम पैसा उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं? अगर हम नहीं सोचेंगे, एक-दूसरे को गालियां देंगे, यह पार्टी का सवाल नहीं है। इसलिये मैं कहूंगा कि यह बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार का आभारी हूं कि उसने चीनी मिलों के बारे में कुछ किया है। आज से तीन साल पहले चीनी मिलों की क्या स्थिति थी? काफी चीनी मिलें बंद हो रही थीं। हजारों-लाखों किसानों का बकाया पड़ा हुआ था लेकिन अब वह बकाया किसानों को मिल रहा है। किसानों को एक्साइज ड्यूटी और बैंकों से ऋण देने की स्कीम में छूट मिल रही है। मुझे पता है कि बिहार के किसानों को वही दाम नहीं मिल रहा है। सरकार को देखना चाहिये कि जो स्कीम किसानों के लिये है, वह उन तक जा रही है या नहीं? क्या उन्हें लाभ मिल रहा है या नहीं? मैंने पाया है कि को-आपरेटिव चीनी मिलों का ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सुधार हो रहा है इनफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस बजट में और 11वीं योजना में को-आपरेटिव के अंदर एग्रो-प्रोसैसिंग का एक स्पेशल पैकेज हो जाये और जो उपज पैदा करने वाला है, वह उसका सदस्य हो जायेगा, वह मालिक बनेगा, दो एकड वाला किसान उद्योग का मालिक बन जायेगा और उसे संतुष्टि मिल सकेगी। को-आपरेटिव की जनरल मीटिंग में वह आन्सवरेबल हो जाता है। ऐसा इसमें पैकेज दिखाई नहीं देता लेकिन को-आपरेटिव के अंदर इन लोगों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सामाजिक सुरक्षा के पैकेज की बात कही गई है, हर मजदूर 15 से 30 रुपये प्रतिदिन लेता है लेकिन उसके बीमा को पैसा कौन देखेगा? गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिये 50 प्रतिशत केन्द्र और 50 प्रतिशत राज्य सरकार दे - ऐसी स्कीम बनाई जाये क्योंकि जो मजदूरी करने वाले हैं, उनमें गरीबी का अंतर बढ़ रहा है। जो कानून बनाया है, उसमें गरीबी अमीरी का अंतर कम होना चाहिए उसके अनुसार अरबन और रूरल में डिवीजन आगे बढ़ रहा है। मैं जानबूझकर आंकड़ों में नहीं जाना चाहता क्योंकि यह ठीक नहीं होगा। आज की तारीख में तिगुना अंतर हो गया है। एक 12 हजार होगा तो दूसरा 24 हजार न होकर यह 56-58 हजार होगा। मैं चाहूंगा कि अरबन और रूरल में परफोर्मेंस इनकम का अंतर कम करना चाहिये। इसी कारण हम असंगठित क्षेत्र के लिये कुछ दे सकते हैं। मगर मैं चाहूंगा कि *[अनुवाद]* कृषि उत्पादों के आयात और निर्यात के मामले में एक स्थायी नीति बनायी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

जब ध्यान आया तो चीनी का आयात किया गया, जब ध्यान आया तो बंद कर दिया गया। इसी प्रकार प्याज का एक्सपोर्ट

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

कर दिया गया और जब चाहा बंद कर दिया। इस तरह आयात-निर्यात करके किसानों को घाटा दे रहे हैं। जब उन्हें बैड-डैट हो जाता है तो उनके कर्जे माफ करने पड़ रहे हैं। कर्जे माफ करने से हल्ला-गुल्ला होता है तो यह गलत बात है। इससे किसानों को गलत समझा जायेगा और वह क्या करेगा? वह कानून तोड़ नहीं सकता है। वित्त मंत्री जी ने उनके लिये जो कुछ कहा है, उसके लिये मैं आभारी हूं।

उन्होंने मद्रास में एक भाषण दिया। मैं कितने सालों से कह रहा हूं कि किसान मजदूर इतने ईमानदार होते हैं कि वे कर्ज में डूबने को पाप मानते हैं। वे कर्ज में डूबना नहीं चाहते, इसलिए वे सुसाइड कर रहे हैं। इनसोलवेंट सर्टिफिकेट किसी से नहीं लिया, न बेटे के नाम से लिया, उनके बारे में हम कुछ नहीं सोचते हैं। इनसोलवेंट हो गया तो कर्जा डुबोना ही पड़ता है, फिर वे क्या करें? फिर बैंक वाले उनकी मदद करते हैं इसलिए किसान के बारे में यह सोचना गलत है कि उन्हें ऐसी आदत हो जाएगी, यह गलत हो रहा है। सेकिण्ड ग्रीन रिवॉलयूशन प्रधानमंत्री लाना चाहते हैं इसके कारण सभी क्रेडिट लाइन उसके लिए खुली होंगी। दस साल से एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के बारे में सुन रहे हैं अभी तक उसे टेकअप नहीं किया गया है अभी भी किसान दलाल या मिडलमैन के हाथ में है। हर एक जिले में 165 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की मान्यता मिली है। कौन सा एक्टीवेट हो गया है, क्यों नहीं एग्रीकल्चर में इकनॉमिक जोन लगाते हैं? क्यों नहीं एजुकेशन में इकनॉमिक जोन लगाते हैं? ऐसा माहौल चल रहा है कि एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर और अमीर हो रहा है, जातपात का काम खत्म कर दिया है इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। मॉडल और सैंट्रल स्कूल बनाने की बात कही है, यह अच्छी बात है, डिफेंस में मिलिट्री स्कूल को पैसा दिया है।

डिफेंस के बारे में आखिरी बात कहकर समाप्त करूंगा। स्पेशल इकनॉमिक जोन में निर्णय हुआ है, नीति तय हुई है, किसान के खेत पर स्पेशल इकनॉमिक जोन नहीं लगा लेकिन अब लग रहा है। बंजर जमीन है, लाखों की जमीन है, उस पर एस.ई.जेड. लगा है। हमें इसे कैसे एग्री कर लेते हैं। सारे हिंदुस्तान में आंदोलन हो रहा है, खेती के ऊपर एस.ई.जेड. न आए, तब भी लग रहा है। एक्वीजीशन के बारे में कहा है कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे लेकिन एक्वीजीशन में एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी आ गई है। गांव में रहने वाला परिवार हिंदुस्तान का नागरिक है, उनके लिए कैसे काम करना है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यह भी हमें देखना पड़ेगा। इसके कारण रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया है। रिहैबिलिटेशन के साथ भी कई बार चर्चा की है वे कहते हैं कि मजदूर के रहने की जगह है परंतु मजदूर तो बदल जाता है, ओनरशिप नहीं बदल जाती है, रियल एस्टेट एस.ई.जेड. न बन जाए। मैं आखिरी बात एजुकेशन के बारे में कह रहा था, इस बारे में मेरा एक सुझाव है सैंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है लेकिन यह गांव की तरफ भी बननी चाहिए। शहरों में इतना बोझ हो रहा है कि यहां न पीने का पानी और न ही रहने के लिए लोगों के पास मकान, सड़क हैं। मेरे गांव में 500 की आबादी थी वह 5000 हो गई है, वह शिक्षा संस्था है। वहां सब फैकिलिटी है, ऐसी बात नहीं है कि गांव में फैकिलिटी नहीं है, हमारी पॉलिटिकल विल और नीति होनी चाहिए जिससे कि फैकिलिटी वहां पहुंच जाए और गांव के बच्चे वहां पढ़ाई कर लें। गांव में यह वातावरण होना चाहिए कि हमें स्कूल जाना है और पढ़ाई करनी है तथा आगे जाना है। शहर में जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता और शहर में जाने से कई गलत चीजों के शिकार हो जाते हैं। वहां अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वह भगवान को प्यारा हो जाता है। वहां उसके पास कोई घर भी नहीं होता इसलिए जितने सैंट्रल इंस्टीट्यूशन्स आ रहे हैं वे सब गांव में हो जाएं और इस बारे में एक नीति तय हो जाए। गांव में जाने के लिए थोड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र के तीन यूनिवर्सिटी को सौ करोड़ दिया है, यह अच्छा काम हुआ है, ठीक हुआ है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह पक्का करना पड़ेगा कि संस्था गांव में बने इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। मैं डिफेंस की बात कहता हूं। नेशनल केडिट कोर के लिए डिफेंस बजट नहीं होता इसलिए उनका विस्तार नहीं हो रहा है। डिफेंस का बजट सही मायने में एक परसेंट घटा है लेकिन एब्साल्यूट टर्म में 9000 रुपए बढ़े हैं। जैसे दो करोड़ सैनिक स्कूल को दिया है, मेरी आपसे और रक्षा मंत्री से दरख्वास्त है कि हर एक जिले में 11वें प्लान में कम से कम एक सैनिक स्कूल देखा जाए।

अपराह्न 3.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, सैनिक स्कूल के बारे में मेरी दूसरी आपत्ति है कि उनकी पहले जो स्कॉलरशिप रु. 125.00 या रु. 130.00 थी, उतनी ही आज है, जब कि 15-20 साल पहले जो ट्यूशन फीस थी वह 10 हजार रुपए हो गई,

लेकिन जो स्कॉलरशिप थी वह वही 15-20 साल पुरानी ही है। इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 50-50 परसेंट देती हैं। राज्य सरकारें कोऑपरेट नहीं करती हैं, जिसके कारण कई सैनिक स्कूलों की हालत बिलकुल खराब है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि 11वीं योजना में धीरे-धीरे देश के सभी जिलों में एक-एक मिलिटरी स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया जाए। इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री भी खुद तय कर सकती है। लेकिन इनके लिए ज्यादा धनराशि की जरूरत है।

महोदय, नैशनल कैडेट कोर के बारे में विशेष ध्यान रखा जाए। मैं कहना चाहता हूं कि सभी कैडरों में फौजी अधिकारियों की काफी कमी है। यह पब्लिक को पता है। पूरी दुनिया को पता है। इसे कैसे मीट-आउट करेंगे। कितना भी अट्रैक्शन दे दो, लेकिन लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि बाहर जाएं तो 10 लाख रुपए मिलते हैं और यहां आने पर बहुत कम रुपए मिलते हैं। फिर यहां स्ट्रैस भी ज्यादा है। यहां तो हम राष्ट्र भक्ति कर के काम करेंगे, लेकिन राष्ट्र भक्ति करने वाले को मिलता क्या है? क्या मिलेगा? इसलिए सिक्स्थ पे कमीशन तो ठीक है। उसकी रिपोर्ट आनी है। उसे वित्त मंत्री जी देखेंगे कि इस बारे में क्या करना है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा जो डिफेंस का बजट है, उसमें एच.आर.डी. की तरफ और खासकर सैनिक स्कूल और नैशनल कैडेट कोर की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।

महोदय, जो चीजें मैंने विस्तार से कहीं उन पर मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री जी ध्यान देंगे और कुछ कहना चाहेंगे; मैं और कहना चाहता था, लेकिन समय नहीं है। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी ने मुझसे पहले कहा कि यह गलत है, वह गलत है। ठीक है, उन्होंने अपना काम किया है। मैं कहता हूं कि यह यू.पी.ए. सरकार का बजट है और आम लोगों का बजट है। मैं कहता हूं कि उनका भाषण ही चुनावी भाषण है। वे हमेशा हिन्दू-मुसलमान की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि देश को आजाद हुए 60 साल हो गए और मायनॉरिटी को कुछ नहीं दिया गया। 60 साल पहले जब डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने घटना लिखी, तब सोश्यली बैकवर्ड इकनौमिक क्लास को दिया गया। अब जब 60 साल के बाद इनके ध्यान में आया, तब सच्चर कमेटी बनाई। जो वर्ग पिछड़ा है, उसे सुधारने की जरूरत है। अगर उसे कुछ दिया गया है, तो आपत्ति करने की क्या जरूरत है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इकनौमिकली बैकवर्ड क्लास को भी कुछ मिलना चाहिए, लेकिन जिसको मिल रहा है, उसे गाली देने से क्या लाभ है? हिन्दू और मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? अब शांति से सब लोग रह रहे हैं, इंटीग्रेशन का एक अच्छा माहौल बन रहा है। ये हिन्दू-मुसलमान की बात कर के इस माहौल को खराब करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? अब 60 साल के बाद क्या ये यह कहना चाहते हैं कि वे देश के वफादार नहीं हैं। मैं कहता हूं कि वे देश के वफादार हैं। उन्होंने देश के लिए कुरबानी दी है। आज भी वे लोग देश के लिए कुरबानी दे रहे हैं। आजादी के समय भी दी है। इसलिए उनके दिल को दुखाना ठीक नहीं है। उनकी कुरबानियों को कम कर के आंकना ठीक नहीं है। हमारे समाज के लिए यह अच्छी नीति नहीं है। यह हमारी स्पीरिचुअल पावर में भी नहीं है और यह हमारी भारतीय संस्कृति भी नहीं है। जो संस्कृति के ठेकेदार हैं, उनके मुंह से ऐसी भाषा अच्छी लगती होगी लेकिन आपको शोभा नहीं देती। इसलिए मैं इसका बिलकुल खंडन करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद देते हुए आपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, अगले वक्ता को बुलाने से पहले, मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। इस चर्चा में भाग लेने के इच्छुक 75 सदस्यों की सूची मेरे पास है, परन्तु सभी सदस्यों को समय दे पाना सम्भव नहीं है। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री रूपचन्दपाल (हुगली): महोदय, यह सामान्य बजट की वार्षिक प्रक्रिया है और देश भर में विभिन्न वर्गों के लोग अपनी ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए इस प्रक्रिया को देख रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत यह बजट संप्रग सरकार का पांचवां और अंतिम बजट है। इसमें कई मुद्दों पर प्रतीकात्मक रूप से व्यवस्था की गयी है परन्तु यह देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित मूल मुद्दों को हल करने में असफल रहा है। वे न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत की गयी प्रतिबद्धताओं से भली-भांति परिचित हैं और हम भी बार-बार उनका स्मरण कराते रहते हैं।

परन्तु दुर्भाग्य से वे इस अवसर का उचित उपयोग करने में असफल रहे हैं। अर्थव्यवस्था के संकट, विशेषकर कृषि क्षेत्र की समस्याओं को समझाने में सरकार असफल रही है। इस मुद्दे को हल नहीं किया गया है। तथापि, मैं

[श्री रूपचन्दपाल]

सरकार द्वारा छोटे और सीमान्त किसानों के ऋणों की माफी के लिए 60,000 करोड़ की ऋण माफी योजना की घोषणा का स्वागत करता हूं। परन्तु, मुझे नहीं पता कि इससे देश के 4 करोड़ छोटे और सीमान्त किसानों को लाभ होगा या नहीं। आज ही मुझे एक रिपोर्ट मिली है जिसमें कहा गया है कि इस ऋण माफी योजना का लाभ 75 प्रतिशत छोटे और सीमान्त किसानों को नहीं मिलेगा। अब माननीय मंत्री महोदय, इस पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। पुनः एक महत्वपूर्ण समिति के अध्ययन में यह बात सामने आयी है कि ऐसे 22.5 प्रतिशत किसानों ने ही केवल वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों जैसे संस्थागत ऋणदाताओं से ऋण लिया है और शेष सभी ने साहूकारों, मित्रों और संबंधियों से ऋण लिये हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो बड़ी संख्या में ऐसे पीड़ित किसानों का क्या होगा जो कि ऋणग्रस्त हैं और उन्हें कोई राहत प्रदान नहीं की जा रही है? जब माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने वर्ष 2004 से जारी एक योजना का संदर्भ दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 संप्रग सरकार की ऐसी एक योजना थी जिसमें इस समस्या का समाधान किया गया। उन्होंने बताया, "हमने एक योजना को स्वीकृति दी थी जिसमें साहूकारों से ऋण लेने वाले किसान वाणिज्यिक बैंकों के पास अपना ऋण दिखाकर इसे विकल्प के रूप में संस्थागत ऋण में बदल सकते हैं। यह योजना अब भी जारी है और आन्ध्र प्रदेश में इससे बहुत से किसानों ने लाभ उठाया है।" माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि जिन लोगों ने ऐसे ऋण लिये हैं उनकी समस्या का भी यथोचित समाधान किया जाएगा।

महोदय, अब मैं छोटे और सीमान्त किसानों की परिभाषा के बारे में बात करूंगा। डा. स्वामीनाथन ही नहीं बल्कि श्री पी. साईनाथ ने भी परिभाषा का मुद्दा उठाया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और ऐसी बहुत सी अन्य एजेंसियों की एक विशिष्ट परिभाषा है। परन्तु इस विशिष्ट परिभाषा में सिंचित और शुष्क खेती में कोई विभेद नहीं किया गया है। श्री पी. साईनाथ ने एक लेख में यह खेद भी प्रकट किया है कि आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर और महाराष्ट्र के विदर्भ के किसानों की आत्महत्या की घटनाओं से यह ऋण माफी योजना लायी गयी। वहां उन्हें इस योजना से कोई लाभ नहीं होने वाला। उन्होंने यह टिप्पणी भी की कि कतिपय क्षेत्रों के किसानों को इस ऋण माफी योजना का बड़ा भाग मिलेगा और छोटे और सीमान्त किसान इससे वंचित ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार के समक्ष कोई सिफारिशें नहीं हैं। राधाकृष्णन समिति का गठन, सरकार द्वारा किया गया था और इसने ऋण माफी के बारे में ही नहीं बल्कि साहूकार मुक्ति कोष के बारे में भी सिफारिश दी थी। समिति ने संकाय के बारे में कहा है। इस समिति ने इन ऋणग्रस्त लोगों को ऋणग्रस्तता से उबार कर इनके उत्थान की प्रक्रिया के बारे में कहा है, ताकि वे कृषि क्षेत्र में उत्पादक गतिविधियों में लगें और कृषि क्षेत्र में अपना योगदान दे पायें क्योंकि आज कृषि बहुत ही निराशाजनक स्थिति में है। सरकार ने शुरू से ही यह बात स्वीकार की है। आपकी अनुमति से, मैं इसे यहां पढ़ना चाहता हूं।

> "कृषि का ग्राफ अब एक निराशाजनक स्थिति पर आकर रुक गया है। वर्ष 2007-08 के पहले छह माह में एक अच्छी शुरुआत के बावजूद वर्ष भर में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर केवल 2.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।"

यह पूरे दशक की स्थिति के लिए है। जनसंख्या वृद्धि खाद्यान्न वृद्धि दर से अधिक हो गयी है। खाद्यान्न वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत है जबकि जनसंख्या वृद्धि दर 1.9 प्रतिशत है। यही स्थिति बतायी गई है। प्रधानमंत्री जी और यह सरकार भी यही बात कह रही है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह सरकार पूर्ववर्ती राजग सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र और अन्य सभी क्षेत्रों में की गयी गड़बड़ियों को भुगत रही है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। मैं इस टिप्पणी की प्रशंसा करता हूं, लेकिन वित्त मंत्री ऐसा नहीं कह रहे हैं। मैं राधाकृष्णन समिति रिपोर्ट का एक अंश उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है:

> "कृषि की उपेक्षा - व्यापक और सूक्ष्म, दोनों स्तरों पर उपलब्ध साक्ष्य कृषि में सार्वजनिक निवेश सहित सार्वजनिक कृषि सहायता व्यवस्था में काफी गिरावट का संकेत करते हैं।"

इससे अभूतपूर्व व्यथा हुई जो किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति के कारणों में से एक रहा है।

> "1980 के दशक के अंत में कृषि संकट शुरू हो चुका था।"

उस समय कांग्रेस सरकार थी और 1990 के दशक में आर्थिक सुधार शुरू हो चुके थे। ये डा. मनमोहन सिंह के काल में शुरू हुए, राजग के काल से गुजरे और अब ये

पूरे हो चुके हैं। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है। यह प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है:

"सुधारोत्तर काल में कृषि संकट अब व्यापक हो चुका है।"

दोषी और कहीं है। रा.ज.ग. और सं.प्र.ग., दोनों सरकारें उस बिन्दु विशेष को छुपाने का प्रयास कर रही हैं। आर्थिक सुधारों के नाम पर हम गलत दिशा में जा रहे हैं। वैसे, हम आर्थिक सुधारों के खिलाफ नहीं हैं। दिशा क्या है? प्रधान मंत्री ऐसा कहते हैं और वे इससे परिचित हैं। वे कहते हैं कि वृद्धि के लाभों का असमान वितरण होगा और इसलिए, इस प्रश्न का समाधान करना किसी भी लोकप्रिय सरकार का कर्तव्य है। हमें कृषि में अधिक वृद्धि, लाभदायक मूल्यों, उत्पादकता और इन सब चीजों की आवश्यकता है। उन्होंने अनेक बातें कही हैं। इसका अर्थ यह हुआ है कि सरकार सब बातों से परीचित है। 2004 में, वह इससे परिचित थी। 2004 में, जब उन्होंने न्यूनतम साझा कार्यक्रम अपनाया था, तब उन्होंने कहा था:

"कृषि अनुसंधान, ग्रामीण अवसंरचना और सिंचाई में सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाएगा।"

उसमें किसानों की आय आदि के बारे में काफी बातें कही गयी हैं और फिर इसमें किसानों का कर्ज उतारना सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने के बारे में कहा गया है। उन्होंने अनेक बातें कही हैं।

इस वर्ष के बजट में, उन्होंने कृषि के आधार अर्थात सिंचाई के बारे में कहा है। सरकार इस बारे में कहती है। यह अपने उन दिनों से परिचित है। उन्होंने कृषि को बर्बाद कर दिया है और इसका पुनरूद्धार करना और इसे बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। उसका कहना है:

"जबकि ये चालू कार्यक्रम कृषि में निवेश का स्तर बढ़ाएंगे, मैं समझता हूं (कृषि मंत्री समझते हैं) कि हमें अपेक्षाकृत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की जरूरत है। सरकार का मत है कि सिंचाई परियोजनाओं में भारी निवेश किए जाने की आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए के आरंभिक अंशदान से सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं।"

बाकी राज्य सरकारों के पास है। बाकी हिस्सा कहानी है, यह इतिहास बन जाएगा। सिंचाई कृषि का आधार है। वे इस बात को स्वीकार करते हैं लेकिन केवल 9000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है और जल स्रोतों की मरम्मत के लिए हमें विश्व बैंक के पास जाना होगा। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य ऐसा कर चुके हैं। आप वहां जाइए और देखिए तथा यह आपका कार्य है। यही समस्या है। यह सरकार अपना कर्तव्य जानती है। सरकार इस संकट से परिचित है। फिर भी, सरकार पर्याप्त कार्य नहीं कर रही है। यह उस आधारभूत मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है जिसका समाधान किया जाना चाहिए था। पिछले बजट में हमने उम्मीद की थी कि सरकार कम से कम उन कदमों की तो प्रतिपूर्ति करे जो इसने नहीं उठाए हैं। लेकिन, दुर्भाग्य से, वे अंतिम अवसर गवां चुके हैं। मैं यह अनुमान लगा रहा हूं कि उन्हें इसकी कीमत किस रूप में चुकानी पड़ेगी। रा.ज.ग. सरकार को अपने विकास संबंधी सम्मोह, "इंडिया शाइनिंग" सम्मोह का प्रतिकूल असर देखना पड़ा था। वे अब कह रहे हैं कि 'फिक्की' ने उन्हें भ्रमित कर दिया। मैं इस बात की अपेक्षा नहीं करता कि यह सरकार भी ऐसे ही कहे कि हमारे सलाहकारों ने हमें भ्रमित कर दिया। इस कृषि संकट का हल निकालने के लिए सरकार को कुछ उपायों की शुरुआत के लिए यहां अंतिम अवसर नहीं खोना चाहिए।

अपराह्न 3.16 बजे

[श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन हुए***]**

अब मैं सामाजिक मुद्दों पर आता हूं। मैं स्वास्थ्य क्षेत्र को लेता हूं। सरकार की प्रतिबद्धता सकल घरेलू उत्पाद के दो से तीन प्रतिशत की थी। अब यह सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत भी नहीं है। सब कुछ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया गया है। अब 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन, क्या यह पर्याप्त है? क्या यह इस देश के लिए पर्याप्त है? मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) में हम 128वें स्थान पर हैं। हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था है। मूल्य तुल्यता में हम जापान, अमेरिका आदि के समकक्ष हैं। लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में, कुछ सार्वजनिक स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं में हम बंगलादेश से भी नीचे हैं; और यहां तक कि हम कुछ उप-सहारा देशों से भी नीचे हैं।

लेकिन इस सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था से भलीभांति परिचित होने के बावजूद अत्यंत कम कार्य किया है। यदि आप मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें, तो आबंटन घटा है। दस दिन पूर्व मुद्रास्फीति 5.5 प्रतिशत थी। अब, यह 6 प्रतिशत तक जा चुकी होगी।

[श्री रूपचन्दपाल]

खाद्य राजसहायता में; स्वास्थ्य देखभाल में आबंटन में कमी हुई है; और शिक्षा में नाममात्र की वृद्धि हुई है। हमारे देश में बेरोजगारी की विशाल समस्या है। हम चाहते हैं कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विस्तार सभी जिलों में हो और शहरी क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हो।

पिछले वर्ष के बजट में शहरी बेरोजगारी के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी। गलत नीतियों यथा निजीकरण आदि के कारण लोग रोजगार खो रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में बोरोजगारी बढ़ रही है और निजी क्षेत्र इस बेरोजगारी की पर्याप्त प्रतिपूर्ति नहीं कर रहा है। लघु उद्योगों में कोई आरक्षण नहीं हो रहा है। आयात काफी अधिक हो रहा है जो भारतीय बाजारों को घेर रहा है, जो हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को कम प्रतिस्पर्धात्मक बना रहा है। इसके परिणामस्वरूप रोजगार में कमी हो रही है क्योंकि लघु और कुटीर उद्योग अच्छी संख्या में रोजगार प्रदान करते हैं। कृषि गैर-लाभदायिक और अव्यवहार्य होती जा रही है। ऐसा डा. स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट में कहा गया है। चालीस प्रतिशत किसान कृषि छोड़ना चाहते हैं। गैर-कृषि गतिविधियां बढ़ रही हैं। भारतीय कार्यशक्ति का 92 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में है। हमने उनके लिए कुछ करने यथा सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने और उनको रोजगार देने आदि के लिए सरकार पर जोर दिया था। लेकिन इस बार इस बारे में कोई जिक्र नहीं है। असंगठित क्षेत्र के बारे में केवल बातें की गई हैं। स्थायी समिति की सिफारिशों के बावजूद यह विधेयक अभी तक नहीं लाया गया है। उस बारे में भी, 01 अक्तूबर को उन्होंने एक योजना बताई थी। 02 अक्तूबर को उन्होंने दूसरी योजना बताई। ये दो योजनाएं हैं। तीसरी योजना वृद्धों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन लोग अधीर हो रहे हैं। मैं यह दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं कि यह कैसे हो रहा है क्योंकि सरकार मुझ से बेहतर जानती है। गृह मंत्री यहां बैठे हैं। इस देश के युवकों में हताशा फैली हुई है। रोजगार के अवसरों की कमी है। पूर्णतः हताशा फैली हुई है। कृषि और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम और बाधाएं अधिक हैं। सरकार वृद्धि के मोह में फंसी है। इस वृद्धि का परिणाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 51 प्रतिशत इस देश के 53 अरबपतियों के पास है। धनी व्यक्ति और अधिक धनवान बनते जा रहे हैं। वे विश्व के अधिकतर धनी देशों की अपेक्षाकृत अधिक धनवान हैं। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि हमारे देश में सकल घरेलू उत्पाद के 51 प्रतिशत भाग के लिए 53 अरबपति जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ, स्वयं सरकार की अपनी रिपोर्ट अर्थात अर्जुन सेन गुप्त समिति रिपोर्ट में कहा गया है कि आजादी के 60 वर्ष के पश्चात भी 78 प्रतिशत भारतीय 9 से 20 रुपए दैनिक पर रहते हैं। वे क्या चाहते हैं? वे इस अंतर को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। यदि वे लघु और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा के नाम पर यत्र-तत्र नाममात्र का कुछ देकर इस अंतर को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, तो मैं सरकार को आगाह करता हूं।

यह सरकार आग से खेल रही है। अधिकाधिक क्षेत्रीय विप्लव, हताशा के अधिकाधिक रूप मौजूद हैं। वे भी उनका शोषण कर रहे हैं। हिन्दू के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर वे देश के विभाजन का प्रयास कर रहे हैं, हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्र को सांप्रदायिक शक्तियों के हाथों से बचाने के लिए, दलितों, अनुसूचित जाति के लोगों, अनुसूचित जनजाति के लोगों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों को न्याय प्रदान करने के लिए सरकार सही रास्ते पर चल रही है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार कार्य करना चाहिए। यही हमारा आरोप है। अवसरों को खोया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा के मामले में, मैं इसका जिक्र कर चुका हूं। खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि पिछले दस वर्ष के (आर्थिक) सुधारों से आगे बढ़ गई है। एक तरफ, उपलब्धता कम है। 'इकॉनामिक सर्वे' के अनुसार यह 68 ग्राम प्रतिदिन से 12 ग्राम प्रतिदिन तक है। दालों की उपलब्धता दयनीय है। यह 33 ग्राम है। तीस वर्ष पूर्व यह उपलब्धता लगभग 56 ग्राम थी। इसमें कमी हो रही है। गेहूं, चावल, दाल अथवा अन्य कुछ भी हो, इनके मूल्य असहनीय होते जा रहे हैं। ग्रामीण घरों में खर्च में लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा केवल भोजन का है। वे क्या करेंगे? नया सूचकांक आ रहा है। यह थोक मूल्य सूचकांक (डब्लू.पी.आई.) आधारित मुद्रास्फीति है। अर्जुन सेन गुप्त समिति ईंधन के मूल्यों में वृद्धि करने जा रही है। यह पर्याप्त रूप से शामिल है। मुद्रास्फीति का आंकड़ा बहुत अधिक होगा। आप पेट्रोल और डीजल के मूल्य क्यों बढ़ा रहे हैं? तेल विकास निधि के नाम पर आप बहुत पैसा कमा चुके हैं। आपने तेल क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। हमने सुझाव दिया है कि यथा मूल्य शुल्क के स्थान पर आप निश्चित शुल्क लगाइए। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने एक ठोस

सुझाव दिया है। आप डीजल और पेट्रोल के लिए एक 'स्थिरीकरण निधि' की स्थापना क्यों नहीं करते?

इसका कारण है कि जब पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि होती है तो सभी आवश्यक वस्तुओं पर इसका व्यापक प्रभाव होता है। बजट में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

महोदय, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमिकरण के लिए प्रतिबद्ध थी। लेकिन आज क्या स्थिति है? केरल के लिए चावल के आबंटन में 50 प्रतिशत की कमी कर दी गई है, पश्चिम बंगाल में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए गेहूं का आबंटन रोक दिया गया है और गेहूं का आयात किया जा रहा है। किसी समय हमें यह कहने में गर्व होता था कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन अब, सतत रूप से हम वर्ष-दर-वर्ष गेहूं का आयात कर रहे हैं और इस वर्ष भी हम गेहूं का आयात कर रहे हैं। कहा जाता है कि पूरे देश में कुछ गंभीर समस्या है और इसीलिए गेहूं का उत्पादन कम हो रहा है। यह भी कहा जाता है कि जैविक-ईंधन पर जोर देने के कारण कुछ अन्य वस्तुओं का उत्पादन कम हो रहा है। इसका अर्थ है कि हम विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ रहे हैं। हम यही चाहते थे। इस सरकार के साथ यही समस्या है। कभी-कभी वे कहते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था से पूरी तरह नहीं जुड़े हैं। इसलिए, जब 1997 में अन्य देशों में संकट आया, तो यह हमारे देश में नहीं आया। संयुक्त राज्य अमेरिका में आए 'सब प्राइम क्राइसिस' के बाद भी, उन्होंने कहा कि यह हमें नहीं छू पाएगा। अब वे कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य के स्टॉक मार्केट का संकट हमें भी प्रभावित करेगा।

महोदय, वस्तुओं के बारे में हम कहते रहे हैं कि मूल्य नियंत्रण, विशेषतः खाद्यान्नों के, मूल्य नियंत्रण के तरीकों में से एक तरीका आवश्यक वस्तुओं के वायदा व्यापार फार्वर्ड ट्रेडिंग को रोकना है। सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और परिवर्तनों की अनुमति देकर वे पुनः इसे मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं के बारे में अटकलों का बाजार गर्म है। हमारे किसानों को उनके उत्पादन का लाभदायक मूल्य नहीं मिल रहा है और सरकार दुगने दामों में आस्ट्रेलिया और अन्य देशों से गेहूं आयात कर रही है। वे इसे कब बंद करेंगे? पूर्ववर्ती सरकार हमारे खाद्यान्नों को आधे मूल्यों पर निर्यात कर रही थी। प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि यह हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है, हमारी कृषि को बर्बाद कर रहा है और हमारे किसानों को बर्बाद कर रहा है। लेकिन सबक सीखने के बाद भी, आप क्या कर रहे हैं?

महोदय, बजट में 60,000 करोड़ रुपए के कर्ज की माफी योजना की घोषणा की गई है और कहा जा रहा है कि इससे चार करोड़ छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि यह धन कहां से आएगा। हमें बताया गया है कि शुक्रवार को माननीय वित्त मंत्री बताएंगे कि यह धन कहां से आएगा, क्या यह उधार से आएगा, अथवा किसी बांड से या नकद आएगा। अन्यथा, हमारे बैंकों को उनका धन वापस नहीं मिलेगा और वे इसे अपने तुलन-पत्र में दर्शाएंगे। फिर, वर्ष 2009 वित्तीय क्षेत्र के कुछ सुधारों के लिए लक्ष्य वर्ष घोषित किया गया है।

सहकारी संस्थाओं का क्या होगा? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि बैंकों से लिए हुए ऋण को चुकाने के लिए उन्होंने उधार लिया है क्योंकि उधार चुकाना उनकी संस्कृति है और इस प्रकार वे इस कर्ज माफी के लाभ से वंचित हैं। क्या इससे समाज में विभाजन पैदा नहीं हो रहा है। उन लोगों का क्या होगा, जिन्होंने बड़ी कठिनाइयों का सामना करके, मित्रों से उधार लेकर, अपनी बेटियों के गहने बेचकर सहकारिताओं के ऋण चुकाए हैं। उस तरफ बैठे हमारे मित्र सांप्रदायिक आधार पर देश को बांट रहे हैं परन्तु आपको किसानों को ऋण चुकाने वाले किसान और ऋण न चुकाने वाले किसान में नहीं बांटना चाहिए। आप उन्हें मत बांटिए, विदर्भ में किसानों की कितनी भूमि पर कपास की फसल विशेष रूप से उगायी गई है, इसे पृथक रूप से श्रेणीबद्ध न करें। छोटे और सीमान्त किसानों को पुनः परिभाषित करें। ऋणग्रस्तता से पीड़ित सभी किसानों को राहत देने के लिए स्थिति का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे में उत्पादन ऋण ही नहीं बल्कि किसी बड़े सौदे, चिकित्सीय व्यय आदि के कारण भी ऋण लिया जाता है। सहकारिता से जुड़े कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि उन्हें किसानों द्वारा 15 मार्च तक लिए गए ऋणों का ब्यौरा देना है। क्या यह उनके लिए सम्भव होगा। यह बहुत ही जल्दबाजी में अव्यवस्थित ढंग से किया गया कार्य है, परन्तु मैं फिर भी इसका स्वागत करता हूं। कुछ भी न किये जाने से तो यह बेहतर है। कुछ भी न किये जाने से बेहतर है कि प्रतीकात्मक रूप में ही सही कुछ तो किया जाए।

[श्री रूपचन्दपाल]

अब मैं लिंग आधारित बजट व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा करूंगा। आखिरकार वे इस विषय पर जागरूक तो हुए - महिलाओं के लिए आरक्षण, महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों में महिलाओं की स्थिति, राजनीतिक संगठनों में उनकी हिस्सेदारी और अन्य सभी बातें हैं। अचानक वे जाग गए हैं। यह बड़ी विडंबना है परन्तु देर से ही सही दुरुस्त आए। लिंग आधारित बजट की व्यवस्था एक दुरुह प्रक्रिया है, पता नहीं कैसे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं परन्तु इस पर पुनः विचार किये जाने की आवश्यकता है। यह केवल बच्चों के लिए आबंटन है इस प्रकार गुमराह किये बिना इसे अधिक पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। निःसंदेह, हमेशा ही माताओं और बच्चों को राहत प्रदान करने हेतु व्यवस्थाएं की जाती रही हैं।

अब मैं सरकार की कर संहिता की बात कर रहा हूं। काफी लम्बे समय से सरकार कर संहिता लाने और छूट देना बंद करने की बात कर रही है। देशवासियों के लिए कतिपय छूटें लाभप्रद हो सकती हैं परन्तु कुछ छूटों की कतई आवश्यकता नहीं है। सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार करती है कि बजट प्राप्तियों का 40 प्रतिशत भाग छूट के रूप में दिया जाता है। यह सरकार ने स्वयं माना है। लेकिन इतनी बड़ी बकाया राशि के संबंध में सरकार का क्या करने का प्रस्ताव है? प्रभावी कर दर 20 प्रतिशत है, यद्यपि इसकी सांविधिक दर 33 प्रतिशत के लगभग है।

कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा इन सब बातों के लिए भारत और चीन, भारत और अमरीका की तुलना की गयी है। भारतीय निगमित क्षेत्र को अधिकतम छूट प्रदान की जाती है। परन्तु सरकार सेंसेक्स और फोरेक्स के प्रति अधिक संवेदनशील है। वे वृद्धि दर से अधिक प्रभावित हैं और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह स्वीकार करने के बावजूद वे वितरण, वृद्धि के लाभ को कृषि क्षेत्र तक पहुंचाने, असंगठित क्षेत्र, गरीब बेरोजगारों, मध्यमवर्गीय लोगों और भारत की जनता की परेशानियों की ओर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार कहती है कि उसकी राजस्व प्राप्तियां 42 प्रतिशत से अधिक हैं और पर्याप्त हैं परन्तु इसमें से कितना सामाजिक क्षेत्र को दिया जा रहा है। हम एक क्षेत्र में दीर्घकालिक पूंजी लाभ पर बार-बार जोर दे रहे हैं और इसका समाधान किया जाना चाहिए। यह बेहतर है कि उन्होंने अंशकालिक पूंजी लाभ पर कतिपय कर लगाया है।

जहां तक दोहरी कर व्यवस्था का संबंध है, इसके लिए मॉरीशस मार्ग से बचा जाना चाहिए। मेरे मित्र यहां है, उन्होंने किसी समिति में मेरे साथ कार्य किया है। यहां जो कुछ हो रहा है इस संबंध में वे मेरी इस बात से सहमत होंगे। भारतीय धन मॉरीशस के रास्ते यहां से वहां जा रहा है और उन्हें सभी प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। मैंने बार-बार सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया है और पूछा है कि देश में कितने लोग अति धनाढ्य वर्ग में आते हैं। एक लिखित निवेदन में बताया गया है कि उनकी आय 10 लाख रुपये से अधिक है।

उनके आयकर रिटर्न में बताया गया है कि उनकी आय दस लाख रुपये से अधिक है। मैं यह बात एक बार फिर से पूछ रहा हूं। क्या यह सब कर प्रशासन या इनकी तथाकथित संतुलित कर और कड़े अनुपालन के दर्शन या अन्य दर्शनशास्त्रों के अनुरूप है। परन्तु भारतीय मानसिकता अलग तरह की है। फिर भी मैं इस बात पर बल देता हूं कि वित्त मंत्रीजी इस सभा में आंकड़े प्रस्तुत करें कि ऐसे कितने लोग हैं। यहां 53 अरबपति हैं और देश में लगभग एक लाख लोगों के पास विशाल परिसम्पत्तियां हैं। वे देश से बाहर भी परिसम्पत्तियां खरीद सकते हैं। कितने लोग अति धनाढ्य हैं, निगमित क्षेत्र में अधिकतम धन सम्पत्ति वाले व्यक्ति कितने हैं? उन्होंने आयकर रिटर्न में घोषणा की है कि उनकी आय दस लाख रुपए से अधिक है।

मेरे अन्य मित्र कुछ अन्य मुद्दे उठायेंगे। मैं यह बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस सरकार को बहुत से अवसर मिले हैं पिछले चार वर्षों से हम न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना इस संप्रग सरकार की महान उपलब्धि है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र विधेयक के प्रति जागरूक हैं, उन्होंने इक्विटी और इन वंचित लोगों, जोकि हमारी श्रमशक्ति के 92 प्रतिशत हैं, के बारे में उल्लेख किया है। सरकार को यथाशीघ्र यह विधेयक लाना चाहिए और इनके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए और यह सिर्फ बातों में या प्रतीक रूप में नहीं होना चाहिए।

मैं एक बार पुनः इन दो बातों पर बल देना चाहूंगा। इस रूग्ण कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट और खाद्य असुरक्षा देश की चिन्ता का एक बड़ा कारण है। इस उद्देश्य से हम

बार-बार यह मांग कर रहे हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ किया जाना चाहिए और इसका विस्तार किया जाना चाहिए। जनता को खाद्यान्न वितरण के लिए इस सम्पूर्ण प्रणाली का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

इस उद्देश्य के मद्देनजर, मेरा विश्वास है कि यह सरकार कम से कम अपने कार्यकाल में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने के पाप से मुक्ति तो पा ही सकती है।

[हिन्दी]

***श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली** (वाशिम): सभापति महोदय, बजट 2008-2009 के लिए मैं आपके माध्यम से अपनी मांग रखना चाहती हूं। इस बजट में किसानों के लिए ऋण माफी दी गयी है और जहां आत्महत्या किसानों की उसमें से महाराष्ट्र एक राज्य है, जहां बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है उस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहती हूं। मंत्री जी ने घोषणा की है कि दो हैक्टेयर के किसानों का कर्जा माफ होगा। यह घोषणा तो बाकी राज्यों के लिए तो ठीक हो सकती है लेकिन जिन राज्यों में आत्महत्या हुई है और उस राज्यों के जिन जिलों में यह हुई है जैसे महाराष्ट्र के विदर्भ में जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनके प्रास जो जमीन है उसमें 5 से 10 एकड़ के जो किसान है उनकी संख्या 20.7% है और जो 10 से 20 एकड़ के जो किसान हैं वह 15.3% की संख्या में है और 5 से 20 एकड़ वाले किसानों की संख्या 36% है और आत्महत्या करने वाले किसानों की जो संख्या है वह सारे प्रकार के किसानों की है। वह फिर 5 एकड़ वाला किसान हो या 20 एकड़ वाला किसान हो। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि जो जमीन की मर्यादा रखी गयी है वह 5 एकड़ की न रखकर उसे बढ़ाया जाये और उसकी मर्यादा 20 एकड़ तक बढ़ाया जाये। क्योंकि विदर्भ में रहने वाले जो किसान हैं उनके पास जमीन तो ज्यादा है लेकिन एरिगेशन न होने के कारण उस खेती में उत्पादन बहुत ही कम होता है और इस कारण आत्महत्या बढ़ती ही जा रही है। इसलिए यह जो जमीन की मर्यादा न रखकर उसे बढ़ाने की आवश्यकता है और सर, विदर्भ, महाराष्ट्र के किसानों की जो स्थिति है वह ध्यान में रखकर उसे लाभ देने की आवश्यकता है।

सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूं कि जो महाराष्ट्र का आत्महत्या करने वाले किसानों का क्षेत्र है उसमें शिक्षा की भी कमी है। उसे ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करती हूं कि वाशिम जो उन 6 जिलों में आता है जहां बड़ी संख्या में आत्महत्या हुई है उस वाशिम जिले में आई.आई.टी. या आई.आई.एम. को दिया जाये और यहां पर शिक्षा की जो कमी है उसे पूरा किया जाये। सर इसी के साथ जो मंत्री जी ने नेहरू युवा केंद्र के लिए घोषणा की है उसमें उन्होंने कहा है कि इस बजट में 123 नये नेहरू युवा केंद्र दिये जायेंगे। सर मैं 1999 से वाशिम जो गया जिला बना है वहां पर नये नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की जाये। अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनती है कि वाशिम के लिए केंद्र दिया जाये।

सर इसी के साथ साथ माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में स्वास्थ्य के लिए भी कहा है लेकिन हम देख रहे हैं कि गांवों में स्वास्थ्य की सुविधा बहुत ही कम मिल पाती है जो आज आयुर्वेद के डाक्टर है वह आज की एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और गांव में हम सेवा देना भी चाहते हैं तो यह डाक्टर ऐसी सेवा नहीं दे पाते। इसलिए मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग है जो आयुर्वेद के डाक्टर है उनका सिलेबस है उसे इंटीग्रेटेड सिलेबस बनाया जाये और उन्हें एलोपैथी की प्रैक्टिस के लिए मान्यता दी जाये।

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): श्रीमन्, मेरे से पहले आदरणीय रूप चंदपाल जी ने बहुत ही विस्तृत और तथ्यात्मक बातें सदन के सामने रखी हैं। मेरे दल से अन्य सदस्य भी बोलना चाहेंगे इसलिए मैं संक्षेप में कुछ बिंदुओं पर ही बात कहना चाहूंगा।

जब भी कभी कोई संकट की घड़ी आती है, किसी परिवार पर या किसी राज्य पर कोई संकट आता है तो जिसके हाथ में खजाना होता है, जिसके हाथ में अर्थ की कुंजी होती है, लोगों को उसी से उम्मीदें होती है कि वह राहत देने का काम करेगा और समस्याओं को निपटाने तथा उनका निराकरण करने का काम करेगा। यद्यपि कुछ ऐसी समस्याएं है, जिनका आभास सबको है। वित्त मंत्री जी ने भी कई वर्षों से अपने बजट भाषणों में इसकी तरफ संकेत भी किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान खासतौर से एक समस्या पर आकर्षित करना चाहूंगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक खासतौर से हमारे वैज्ञानिक भी लगातार स्टडी कर रहे हैं कि जलवायु में बहुत तेजी से

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली]

परिवर्तन हो रहा है। जो एटमोस्फेयर है, जिसमें 78 प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, 21 प्रतिशत आक्सीजन और एक प्रतिशत अन्य गैस होती हैं, जिनमें कार्बन-डाइआक्साइड, नाइट्रस-आक्साइड या मिथेन जैसी गैसें हैं, जिन्हें ग्रीन-हाउस गैसें कहते हैं। इस ग्रीन-हाउसेज गैसेज के अत्यधिक रिसाव के कारण जो टैम्प्रेचर में वृद्धि हो रही है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो मैं इस बात पर आना चाहूंगा कि इसी की वजह से, कुछ साल पहले माननीय वित्त मंत्री ने कुछ बातें, अपने बजट भाषण में निरंतर कही। हमारे वैज्ञानिकों को आशंका है कि वर्ष 2100 तक आते-आते जो हमारे एटमोस्फेयर का टैम्प्रेचर है उसके 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की संभावना है। जिसके चलते गेहूं की फसल का उत्पादन 10 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अगर 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड टैम्प्रेचर बढ़ता है तो हिंदुस्तान में ओवरआल 4 मिलियन टन तक गेहूं के उत्पादन में कमी हो सकती है। प्रश्न यह है कि इस समस्या का निराकरण कैसे होगा? जलस्तर निरंतर नीचे जा रहा है। प्रतिवर्ष लगभग 6 फुट पानी का स्तर गिर रहा है और अगर यही स्थिति रही तो वर्ष 2025 तक देश में पीने के पानी का भयानक संकट हो जाएगा। खेती की सिंचाई की बात तो दूर, पीने के पानी का संकट पैदा हो जाएगा। फिर आप जितना मर्जी नयी तकनीक या नये सीड आप देते रहिये, कोई चीज काम में आने वाली नहीं है। मैं इस संबंध में दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। एक तो वाटर मैनेजमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ इंवैस्टमेंट होना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब उन्होंने वित्तीय वर्ष 2005-2006 का बजट पेश किया था तो अपनी बजट स्पीच में उन्होंने कहा था कि:-

[अनुवाद]

"जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना के लिए मेरे द्वारा पिछली जुलाई में घोषित राष्ट्रीय परियोजना मार्च, 2005 के माह में आरंभ की जाएगी। इस प्रायोगिक परियोजना की योजना 9 राज्यों में 16 जिलों के लिए बनाई गई है और इसमें लगभग 700 जल निकायों को शामिल किया जाएगा और 20,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। प्रायोगिक परियोजना का आवंटन 2005-06 में बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किया गया है।"

[हिन्दी]

इसी तरह की बात आपने हर बार कही है। पानी की वाटर-बॉडीज को रेनोवेट करने के लिए नये जल-संसाधन के मैनेजमेंट के लिए और मुझे निराशा तब हुई जब आपने वर्ष 2007-2008 में इसी संबंध में यह कहा कि:-

[अनुवाद]

"माननीय सदस्यों को याद होगा कि मार्च, 2005 में जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और बहाली के लिए 13 राज्यों में एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि विश्व बैंक ने 400,000 हेक्टेयर के कमान क्षेत्र वाले 5,763 जल निकायों की बहाली हेतु तमिलनाडु के साथ 2,182 करोड़ रुपए के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि अपनी तरह का पहला करार है। आंध्र प्रदेश के लिए एक करार का निष्पादन मार्च, 2007 में किए जाने की आशा है और इसके अंतर्गत 250,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र के साथ 3,000 जल निकाय शामिल होंगे।"

[हिन्दी]

इसी तरह की प्रिप्रेशंस अन्य राज्यों में भी हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। जो पैसा आप देते हैं, वह कैसे खर्च होता है? इस बार आपने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि उसकी मोनिटरिंग के लिए हम कुछ करेंगे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पुराने तालाबों को, पुरानी झीलों को रिस्टोर करने की बात तो छोड़िए, पैसा खर्च करने के लिए दो-दो मीटर ऊंची जमीन पर, जहां बारिश का पानी एक मिनट नहीं रुकता है। वहां तालाब खोदे जा रहे हैं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): इस बार मैंने यह अद्यतन घोषणा की है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के साथ कुल 738 मिलियन अमरीकी डालर अर्थात लगभग 3000 करोड़ रुपये के समझौते किए गए हैं। कमान क्षेत्र 9 लाख हेक्टेयर है। अब, इस परियोजना का कार्यान्वयन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकारों के हाथ में है। निस्संदेह, जल संसाधन मंत्रालय में एक निगरानी समिति इसकी निगरानी करती है। परन्तु राज्य सरकारों को इसका

कार्यान्वयन करना होता है। राज्य सरकारों ने या तो विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित किए हैं या कतिपय मामलों में वे अपने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से यह कार्य कर रही है। यदि कार्यान्वयन सही नहीं है, तो हम राज्य सरकारों के प्रति मात्र कड़ा रुख अपना सकते हैं और कार्यान्वयन में सुधार की सलाह दे सकते हैं। चाहे आप सरकार में हों या मैं हूं आप या मैं मात्र यही कर सकते हैं कि योजना का निरूपण करें, धनराशि की व्यवस्था करें और उनसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करने का अनुरोध ही कर सकते हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव जी अहम प्रश्न यह है कि अन्य राज्य धन राशि उपलब्ध होने के बावजूद आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? विश्व बैंक ऋण प्रदान करने के लिए तैयार है, अन्य राज्य सरकारें इसके आगे क्यों नहीं आ रही हैं? पिछले वर्ष मैंने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जिक्र दिया था और इस वर्ष भी मुझे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जिक्र करना पड़ रहा है। वे मुझे कोई योजना पेश नहीं कर रहे हैं, जिससे कि विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया जा सके। धनराशि तो है, परन्तु राज्य सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं है...*(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव: महोदय, यह एक, दो, या तीन राज्यों से संबंधित प्रश्न नहीं है, यह सभी राज्यों से संबंधित प्रश्न है,...*(व्यवधान)* यह सारे देश से संबंधित है। माननीय वित्त मंत्री सारे देश के वित्त मंत्री हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: योजना बनाने करने का यही कारण है।

प्रो. राम गोपाल यादव: जब समस्त नई पीढ़ी का अस्तित्व ही खतरे में है, तो मंत्री महोदय, क्या आप राज्य की गुहार का इंतजार करेंगे?...*(व्यवधान)* संविधान के अनुसार विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार को पूरा अधिकार है कि वो राज्य सरकार को निदेश दे सकता है।

सभापति महोदय: केन्द्र, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकती है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: महोदय, यह गंभीर स्थिति है और मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने नजदीक से हमारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को देखा है। मेरी बेटी की शादी उसी इलाके में हुई है और मैं अभी वहां गया था। वहां जमीन फट रही है, पीने के लिए पानी नहीं है। आठ-आठ किलोमीटर दूर से लोग बैलगाड़ियों में ड्रम रखकर जाते हैं और नदियों से पानी भर कर लाते हैं और वह भी गंदा पानी होता है। अभी तो गंदा पानी है, बाद में शायद वह पानी भी उपलब्ध नहीं होगा।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमैंट में यह फैसला दिया कि वर्ष 1950 के बाद से जितने भी तालाबों की जमीन को पट्टे पर दिया है, जिस जमीन पर लोग खेती करने लगे हैं और वे तालाब खत्म हो रहे हैं, वे सारे पट्टे राज्य सरकार निरस्त करे। ये तमाम ऐसी बातें हैं, जिन पर आपको डायरेक्शन देना चाहिए। आप कभी भी अचानक मोनिटरिंग करने के लिए कमेटी भेज दें, तो आप देख सकते हैं कि पैसे को प्रोपर तरीके से खर्च नहीं किया जा रहा है। यदि कोई राज्य धनराशि का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो केन्द्र को निर्देश देना चाहिए। जैसा राजीव गांधी जी ने कहा था कि एक रुपए में से पन्द्रह पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं, मुझे लगता है कि अब वह पैसा भी नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि चाहे रोजगार गारंटी योजना हो या मिड डे मील की योजना हो, इनकी क्या स्थिति है? यह कह कर कि स्टेट्स इम्पलीमैंट कर सकती हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप पैसा देते हैं, आप मालिक हैं, आप इसे ठीक कर सकते हैं। मिड-डे मील में कल एक सवाल आया था और कहा गया था कि जहां लड़के-लड़कियां ज्यादा हैं, वे सब स्कूल जाएं, कोई नहीं बचे, उन्हें आकर्षित करने के लिए कोई योजना बनाई जाए जिससे गरीब लोगों के बच्चे स्कूल जाएं। सच्चाई क्या है? सब टीचर्स उनमें इनवॉल्व होते हैं, उन्हें कुछ पढ़ाना-लिखाना नहीं है, हर गांव में एक नया मॉन्टेसरी स्कूल खुल गया है, जिस में बच्चे ज्यादा हैं, प्राइमरी स्कूलों में कम हैं। एनरोलमेंट है, लेकिन सब पैसा खा जाते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: स्कूल राज्य का विषय है, हम क्या कर सकते हैं?

प्रो. राम गोपाल यादव: धन केन्द्र सरकार दे रही है। क्या मैं इस बारे में प्रश्न नहीं कर सकता?...*(व्यवधान)*

[प्रो. राम गोपाल यादव]

[हिन्दी]

मंत्री जी कह रहे हैं, मैं इतना पैसा दे रहा हूं, इस कारण मैं यह बात कर रहा हूं।

ये बातें वाटर बॉडी से संबंधित थी। मेरा सुझाव था कि इस पर जैसे भी हो सकता है ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पानी का स्तर जो गिर रहा है, उसे रिचार्ज किया जा सके। इसके लिए वाटर बॉडीज का रिकनस्ट्रक्शन, रैनोवेशन या जो भी हो सकता है, वे प्रयास करने चाहिए। इसके लिए पैसा दिया जा रहा है लेकिन वह काफी नहीं है। वर्ल्ड बैंक से लोन लें या कहीं और से लें लेकिन सैंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे। यह सबसे ज्यादा इसलिए जरूरी है कि अगर पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो हम न कुछ पैदा कर सकते हैं, चाहे आप बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बना दीजिए, कनक्रीट के जंगल बना दीजिए, बहुत बढ़िया शहर बना दीजिए, पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? यह स्थिति है।

किसानों के लिए इंश्योरेंस का कवरेज होना चाहिए। मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के बारे में लगातार प्रयास किया जा रहा है। संसद की एग्रीकल्चर कमेटी ने भी रिकमेंड किया है कि इसे गांव लैवल तक यूनिट के रूप में और उसके बाद किसान को इकाई मान कर किया जाए। कम से कम इसे गांव लैवल पर किया जाए, जिसके लिए रिकमेंड भी किया है लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, पूरा नुकसान हो जाता है। अगर कहीं जिले पर है तो वह ब्लॉक पर आ गया है। इंश्योरेंस का कवर किसानों को मिलना चाहिए। गांव स्तर पर यूनिट मानना चाहिए, हमारी यह मांग है क्योंकि सबसे ज्यादा 66 परसेंट के आसपास लोग खेती पर निर्भर हैं। बड़े पैमाने पर 56 परसेंट से लेकर 60 परसेंट लोगों को खेती से रोजगार मिलता है, कुछ लोग 63 परसेंट कहते हैं। अभी भी खेती से लोगों को रोजगार मिलता है और वे उस पर निर्भर रहते हैं।

इनफ्रास्ट्रक्चर की बात में मैं एक बात कहना भूल गया था। वाटर बॉडीज के अलावा एक काम और भी हो सकता है कि हमारे वैज्ञानिकों को इतनी सुविधाएं दी जाएं, इतना धन उपलब्ध करवाया जाए कि वे इस तरह के रिसर्च भी कर सकें कि बहुत कम बारिश में या ड्राई लैंड या रेन फैड एरियाज में भी नए बीजों के माध्यम से, फसलें कम पानी से ज्यादा अन्न पैदा कर सकें। इस तरह के बीज तैयार करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन को ज्यादा मदद देनी चाहिए। यद्यपि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कुल मिला कर पिछले साल की तुलना में थोड़ा ज्यादा कुल बजट का 3.42 परसेंट हिस्सा दिया है लेकिन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन पर वर्ष 2006-07 में .53 परसेंट, 2007-08 में .51 परसेंट और इस बार घटकर .46 परसेंट रह गया है। जब तक आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन्स को पूरी मदद नहीं देंगे तब तक नए सीड्स और नई वैराइटीज को डैवलप नहीं कर सकते हैं। वैसे ही वहां साइंटिस्ट्स की कमी है। आपकी कृपा से पहले भी मैंने सप्लीमेंटरी प्रश्न किया था, आपने कहा था कि साइंटिस्ट्स के अपाइंटमेंट के लिए कोई बंदिश नहीं है, अपाइंटमेंट होना तो आई.सी.ए.आर. में शुरू हुआ लेकिन अब भी वहां मैन पावर की बहुत कमी है जिससे रिसर्च जिस स्तर पर होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी यहां जो एग्रीकल्चर जी.डी.पी. है, वह कुल जी.डी.पी. का लगभग 18.50 परसेंट कन्ट्रीब्यूट कर रही है जब देश आजाद हुआ था तब सन् 1950 में लगभग 50 फीसदी हिस्सा था और अब घटकर इस वर्ष 18.5 परसेंट रह गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह 54 प्रतिशत था।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: रिसर्च पर हमारे पड़ोसी देश, श्री लंका में जी.डी.पी. का 0.9 परसेंट खर्च हो रहा है और लैटिन अमेरिकी जैसे गरीब देशों में .8 परसेंट खर्च करते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज में उनकी जी.डी.पी. के 4.2 परसेंट तक खर्च करते हैं लेकिन हमारा अब भी इस वर्ष एलोकेशन .46 परसेंट है। हालांकि विभाग द्वारा अलग-अलग वर्षों में दसवें प्लान के लिए 15,000 करोड़ रुपया मांगा था लेकिन योजना आयोग ने केवल 5368 करोड़ रुपए दिए। 11वीं योजना के लिए 31,672 करोड़ रुपए मांगे गए लेकिन 12023 करोड़ रुपए दिए गए और इस बजट में 2646 की डिमांड थी और लेकिन आपने 1760 करोड़ रुपए दिए। रिसर्च पर एग्रीकल्चर से संबंधित नए सीड्स और नई वैरायटी, चाहे वह प्लांट या क्रॉप से संबंधित हो या अन्य मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में एनीमल हजबैंड्री और फिशरीज से संबंधित हो, जब तक इनकी

रिसर्च के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं कराएंगे, पर्याप्त धन नहीं देंगे तब तक रिजल्ट्स बेहतर नहीं आ सकते हैं। वह गंभीर संकट जो आने वाला है उसे देखते हुए यह बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

मैं सिर्फ दो या तीन मिनट बोलूंगा, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं घंटी बजने से पहले अपनी बात समाप्त कर देता हूं, ज्यादा समय लेने की मेरी आदत ही नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं आप से भाषण समाप्त करने का अनुरोध ही कर रहा था। कृपया अन्यथा न लें। कृपया अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: आपने स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में किसान आयोग बनाया था और इसने सिफारिशें भी की थी जिसके बारे में रूपचंद पाल जी ने भी कहा है। उसमें सब्सिडी की अन्य बातों के अलावा किसानों को चार परसेंट इन्टरस्ट पर लोन देने की बात थी लेकिन आप इसके बारे में साइलेंट हो गए हैं। आपने कर्ज तो माफ किया, लेकिन इस बारे में हमारा मानना है और जैसा रूपचंद पाल जी ने कहा आपने सिंचित और असंचित में कोई फर्क नहीं किया। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का बयान टीवी पर देख रहा था, उन्होंने कहा कि विदर्भ में लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, जहां सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं वहां लाभ नहीं पहुंचता है। वहां एवरेज 2.4 हेक्टेयर है, दो से ज्यादा है, बुंदेलखंड में 8 से 10 हेक्टेयर से कम नहीं है, लेकिन वहां एक बूंद पानी भी नहीं है, वहां किसान भूखा मर रहा है, उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप जून तक माफ कर देंगे, आपका कमिटमेंट है इसके बाद वे फ्रेश लोन के लिए अप्लाई करेंगे लेकिन जो इंटरस्ट रेट को 7 परसेंट कर दिया है, पहले की तुलना में कम किया है। अगर वह 3 लाख तक कर्ज लेगा तो 7 परसेंट किया है लेकिन इसे 4 परसेंट पर करने के लिए सिफारिश करनी चाहिए थी, यह मेरा आपसे अनुरोध है। मेरा आरोप है कि एग्रीकल्चर की निरंतर उपेक्षा हो रही है और इसलिए किसानों की यह बदहाली है। जो किसान इतने बड़े पैमाने पर देश में लोगों को रोजी रोटी देते हैं, उनके लिए इस वर्ष बजट में 12865 करोड़ रुपए दिए हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

जबकि कम्युनिकेशंस पर 21937 करोड़ रुपये और सामाजिक सेवाओं पर 95919 करोड़ रुपये अलाट किये हैं। जबकि एग्रीकल्चर जैसे महत्वपूर्ण सैक्टर पर तुलनात्मक दृष्टि से काफी कम है। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की दुर्दशा इसलिए भी हो रही है, क्योंकि कहीं भी किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिला। तमाम अनुमान, तमाम रिसर्चेज हुईं, हिसाब-किताब लगाया गया और यह पाया गया कि इस वक्त जो प्रति क्विंटल धान पैदा होता है, उस पर एक हजार रुपये खर्च होता है और गेहूं पर लगभग नौ सौ रुपये खर्च होता है। जब एक हजार रुपये क्विंटल लागत आयेगी और साढ़े छः सौ रुपये क्विंटल के हिसाब से किसान की बिक्री हो तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। इसलिए जो कमीशन आपने ही बनाया था, उसी ने रिकमैन्ड किया था कि लागत मूल्य का पचास परसैन्ट बोनस और दिया जाना चाहिए, तब किसान लाभ में पहुंचेगा और जब किसान को लाभकारी मूल्य मिलेगा तो किसान कभी आत्महत्या नहीं करेगा। आत्महत्या के मूल में उसके लागत मूल्य से कम पैसा मिलना मुख्य कारण है। यह सबसे बड़ा संकट किसान के सामने है। किसान की जमीन पर बोझ कम हो, यह भी बहुत जरूरी है और उसके लिए रोजगार के नये एवेन्यूज तलाशने होंगे। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज आदि पर ध्यान देना होगा, ताकि लोगों को रोजी-रोटी ज्यादा मिले और खेती से कुछ वजन कम हो। वरना यह दुर्दशा लगातार बनी रहेगी।

सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। हालांकि इस बजट के आने के बाद कई चीजों के दाम बहुत बढ़ गये हैं। कार के दाम कम हो गये हैं, लेकिन साइकिल के दाम बढ़ गये हैं। आपने कार पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, लेकिन स्टील के दाम बढ़े, सीमेंट के दाम बढ़े। आप जो इंदिरा आवास योजना आदि के लिए पैसा दे रहे हैं, ये सब बन नहीं पायेंगे। ये इसलिए नहीं बन पायेंगे कि कोई आदमी एक कमरा भी नहीं बना सकता, चूंकि सीमेंट और स्टील के दाम आसमान को छू रहे हैं। जो बड़े लोग हैं, जो पचास अरब और सौ-सौ अरब के एक-एक प्लाट खरीद रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, चाहे आप कितना भी महंगा कर दीजिए। लेकिन जो गरीब आदमी है, वह एक कमरा भी नहीं बना सकता

[प्रो. राम गोपाल यादव]

है, आज यह हालत हो गई है। स्टील के दाम एक साल में कितना बढ़े, आपको इस पर विचार करना चाहिए कि इतने दाम क्यों बढ़े। सीमेंट का दाम एकदम से स्टीप राइज कैसे हो जाता है, क्या आपने कभी इसकी मानिटरिंग की है कि ऐसा क्यों हुआ? जिन संस्थाओं को, जिन एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जहां आप मदद कर रहे हैं, अब यह चर्चा चलने लगी है कि साइंस और टैक्नोलोजी जहां पढ़ाई जा रही है, उन्हें मदद कीजिए, इनसे कुछ होता है। मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि एक अपसंस्कृति इस देश में पैदा होने लगी है। अब जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं है, जैसे आई.आई.एम्स. आदि हैं, जिनमें पढ़ने वाले लोग, वे सिर्फ न अपने प्रति जिम्मेवार हैं, न अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारी महसूस करते हैं और न अपने राज्य और देश के प्रति जिम्मेवारी महसूस करते हैं और अंततोगत्वा सब अमेरिका जाना चाहते हैं। जिन पर आप इतना पैसा खर्च करते हैं। अभी कोलकता के आई.आई.एम. ने एक लाख रुपये फीस बढ़ा दी। वहां कौन गरीब आदमी अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेज पा रहा है। हमारे पूरे इटावा जिले से पिछले पांच-सात साल में केवल दो बच्चे ही आई.आई.एम. अहमदाबाद में पढ़ने के लिए गए। एक मेरे कुलीग लैक्चरर थे, उनका लड़का था और दूसरी मेरे मित्र की बेटी गई, जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनेरी थी। वे लोग आई.आई.टी. से पास हुए, तब कहीं जा पाये। वहां किसी गरीब आदमी का लड़का नहीं पहुंच पा रहा है। वहां के बच्चों को पैकेज मिलता है और अखबारों में निकलता है कि कैम्पस में आकर बच्चों को इतने का पैकेज मिला। मैं समझता हूं कि ह्यूमैनेटीज और सोशल साइंसेज वगैरह को भी आप अनुदान दीजिए। आप ये पैसा पैदा करने वाली मशीनें पैदा कर रहे हैं, जो किसी के प्रति जिम्मेवार नहीं हैं। आप उन सब्जैक्ट्स और उन संस्थाओं को भी मदद कीजिए, जो आदमी पैदा करती है। मेरा आपसे यह अनुरोध है और इसके साथ ही आप इस महंगाई पर काबू कीजिए, किसानों को आपने जो कर्ज दिया है, उसमें सिंचित और असिंचित में फर्क कीजिएगा, वरना कोई लाभ नहीं होगा। कम से कम असिंचित क्षेत्र में जो दो हैक्टेअर की सीमा है, आप इसे बढ़ाकर दस हैक्टेअर कर दीजिएगा। हमारे यहां 10 हेक्टेयर से कम बुंदेलखंड में किसी के पास जमीन ही नहीं है। अगर कर देंगे तो इसी के साथ कुछ लोगों को राहत हो जाएगी।

[अनुवाद]

***डा. एम. जगन्नाथ** (नगर कुरनूल): माननीय महोदय, सामान्य बजट 2008-09 तथा अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

हमारे वित्त मंत्री ने बहुत मेहनत की है तथा इस प्रकार का बजट तैयार करने हेतु उन पर बहुत दबाव रहा होगा। मेरे विचार से वित्त मंत्री ने कागजों में समाज के सभी वर्ग को खुश करने का प्रयास किया है। परन्तु वास्तव में कतिपय क्षेत्रों में ऐसा नहीं है।

(1) एन.आर.ई.जी.एस.: यद्यपि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पारित करने की मंशा अच्छी है तथा सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका समर्थन किया गया है। तथापि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा नेताओं द्वारा उन लोगों की भलाई जिनके लिए यह योजना बनाई गई थी, के बजाए इसका दुरुपयोग अधिक किया जा रहा है।

यह कार्यक्रम हमारे आंध्र प्रदेश में तथा अन्य राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए ए.टी.एम. बन गया है क्योंकि भुगतान बेनामी नामों पर किया जा रहा है और बिचौलिए पैसा हड़प रहे हैं।

हाल ही में कुछ राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया है, जिसमें इस योजना के तहत मात्र 4-6 प्रतिशत गरीब लोगों को लाभ मिला है तथा 94-96 प्रतिशत लाभ प्राप्त करने वाले गरीब नहीं हैं।

एन.आर.ई.जी.एस. पर हजारों करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं, परन्तु कोई आधारभूत ढांचा स्थापित नहीं किया गया है। लालची कांग्रेस नेताओं द्वारा पैसा हड़प लिया गया है।

(2) **ऋण माफी तथा राहत पैकेज:** किसानों के लिए घोषित 60,000 करोड़ रुपये का ऋण माफी पैकेज यद्यपि सरकार द्वारा उठाया गया बेहतर कदम है, परन्तु इससे खास राहत नहीं मिलेगी क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि कतिपय एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार मात्र 25 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों को ही लाभ होगा क्योंकि 80 प्रतिशत किसान साहूकारों के शिकंजे में हैं तथा भारत सरकार ने इनके शिकंजे से किसानों का छुड़ाने के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बजट में भी प्रावधान नहीं किया गया है। बैंक अपने भावी अस्तित्व को लेकर चिंतित हैं क्यों उन्हें ही घाटे को पूरा करना होगा।

वित्त मंत्री द्वारा तरलता संबंधी तीन वर्षों में किया गया वायदा अविश्वसनीय है तथा आम कर दाता पर अधिक कर का बोझ डाले जाने से उसके समक्ष और संकट आएगा।

घोषित ओ.टी.एस. किसानों के संबंध में विभेदकारी है। सभी किसानों के सारे ऋण माफ किए जाने चाहिएं।

साहूकारों के शिकंजे से किसानों को राहत देने के लिए कुछ उपाए किए जाने चाहिएं।

सिंचाई क्षेत्र: वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि सिंचाई तथा जल संसाधन वित्त निगम, जिसकी आरंभिक पूंजी 100 करोड़ रुपये होगी, की स्थापना की जाएगी। यह निगम बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं हेतु संसाधन जुटाएगी।

राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा बड़ी परियोजनाओं की पहचान कर लागत का 90 प्रतिशत सहायता दी जाती थी। आंध्र प्रदेश से एक भी परियोजना चिन्हित नहीं की गई है जो इस राज्य के साथ भेद-भाव है।

आंध्र प्रदेश में इच्छामपल्लि, जुराला, वामशाहदरा, एस.आर.एस.पी. चरण-दो, भीमा आदि राष्ट्रीय परियोजनाएं पहचान किए जाने के लिए उपयुक्त हैं।

आंध्र प्रदेश में आने वाले अनेक केन्द्रीय नेता राज्य सरकार द्वारा अनेक सिंचाई परियोजनाएं, जिनसे एक करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी, आरंभ किए जाने पर राज्य सरकार की प्रशंसा करते हैं, परन्तु जिस प्रकार से परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, इसकी प्रगति, भ्रष्टाचार, निधियों की कमी के कारण निकट भविष्य में परियोजनाएं समय से पूरी नहीं हो सकेंगी और एक भी एकड़ सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता का सृजन नहीं हो पाएगा। यह शर्म की बात है कि आंध्र प्रदेश की एक भी परियोजना को राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के रूप में शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना में शामिल किए जाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय को आवश्यक आंकड़ा उपलब्ध न कराया जाना उसकी असफलता है।

सिंचाई तथा जल संसाधन वित्त निगम हेतु 100 करोड़ रुपये का आवंटन प्रारंभिक पूंजी के रूप में किया गया है, क्योंकि सरकार संसाधन जुटाना चाहती है। वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे पुनः निधियां कहां से और कैसे जुटाएंगे। इससे आम आदमी पर बोझ पड़ेगा क्योंकि सरकार निश्चय ही कुछ कर लगाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि निगम हेतु आवंटन की वर्तमान दर से बड़ी परियोजनाओं को कैसे पूरा किया जाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली: वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण पी.डी.एस. अप्रासंगिक और निरर्थक हो गई है।

पी.डी.एस. में चीनी जैसी कुछ मदों के मूल्य खुले बाजार मूल्य के बराबर हैं।

मिट्टी का तेल, सरकार जिसकी कीमत न बढ़ाने का दावा करती है, की कम आपूर्ति की जाती है तथा कार्डधारकों को मिट्टी के तेल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं की जाती है।

आवास क्षेत्र: एक आई.ए.वाई. आवास के निर्माण की लागत, सरकार द्वारा दिए जाने की तुलना में सीमेंट, स्टील, रेत और मजदूरी के अतिरिक्त अन्य निर्माण सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि के कारण कई गुना बढ़ गई है। मैदानी क्षेत्रों में प्रति यूनिट मूल्य में 25,000 रुपये से 35,000 रुपये की वृद्धि तथा पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 27,000 रुपये से 38,000 रुपये की वृद्धि पर्याप्त नहीं है। आई.ए.वाई. आवास का प्रति यूनिट मूल्य मैदानी क्षेत्रों से बढ़ा कर 50,000 रुपये तथा पर्वतीय/दुर्गम स्थानों में 75,000 रुपये कर देना चाहिए। इसमें 50 प्रतिशत स्वसहायता के रूप में होनी चाहिए क्योंकि आई.ए.वाई. आवास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग और समाज के अन्य निर्धन वर्गों के लिए होते हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य: स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्षों के बाद भारत में साक्षरता दर 64 प्रतिशत है और महिलाओं में यह और भी कम है।

ऐसा कम बजटीय आवंटन के कारण है। सर्व शिक्षा अभियान सर्व भक्षक अभियान बन गया है क्योंकि सर्वशिक्षा अभियान के तहत आवंटित अधिकतर धनराशि मुख्य मंत्री कार्यालय के अधिकारियों की सहायता से बेईमान व्यक्तियों द्वारा गबन कर ली जाती है, जैसा कि आंध्र प्रदेश में हुआ है। मुख्य मंत्री के मुख्य सुरक्षा कार्यालय पर सर्व शिक्षा

[डा. एम. जगन्नाथ]

अभियान के सैकड़ों करोड़ रुपये का गबन किए जाने का आरोप है। इस प्रकार के अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए तथा धन की वसूली की जानी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के अनेक पद रिक्त हैं। ऐसे पदों को नियमित रूप से भरा जाना चाहिए ताकि देश में सम्पूर्ण साक्षरता लाई जा सके तथा और स्कूल में कमरों के निर्माण हेतु तथा बालकों के लिए शौचालयों की सुविधा प्रदान करने हेतु बजट में अधिक आवंटन किया जाए।

मध्याह्न भोजन: सरकार ने पूर्व में घोषणा की थी कि 11,400 करोड़ रुपये की लागत से 10,000 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। प्रति बालक 1.40 रुपया व्यय होता है। वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि कर के प्रति बालक 1.40 रुपये व्यय कर डब्ल्यू.एच.ओ. मानक कैलरी भोजन प्राप्त होगा। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि मध्याह्न भोजन हेतु बजट दुगुना कर दें ताकि बालकों को कम-से-कम थोड़ा बहुत पौष्टिक भोजन दिया जा सकेगा।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ योजनाएं: देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुरूप आवंटन नहीं किया जाता है। यह कुल योजनागत बजट का 3 प्रतिशत भी नहीं है। विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप-योजना बजट का अन्यत्र उपयोग होता है। आरोप है कि मात्र आंध्र प्रदेश में ही 18-20,000 करोड़ रुपये का अन्यत्र उपयोग किया जाता है। भारत सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिएं ताकि एस.सी.पी. और टी.एस.पी. निधियों का अन्यत्र उपयोग रोका जा सके तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों हेतु सकल बजट की 25 प्रतिशत निधियों का आवंटन किया जाए।

महोदय, अंत में सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों के 60,000 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए जाने की घोषणा के बावजूद किसानों में आत्महत्या निर्बाध रूप से जारी है। वित्त मंत्री द्वारा ऋण माफी की घोषणा किए जाने की तिथि से तीन दिन के भीतर आंध्र प्रदेश में 35 किसानों ने आत्महत्या की है।

ऋण माफी मात्र से किसानों का भला नहीं होगा। एम.एस.पी., साहूकार द्वारा दिए गए ऋण के मुद्दे का समाधान किया जाना चाहिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत ऋण साहूकारों से लिया जाता है।

यू.एन.पी.ए. कृषि उपज के लिए एम.एस.पी. संबंधी स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू किए जाने हेतु काफी समय से आंदोलन कर रही है। ऋण माफी योजना के साथ-साथ जब तक सरकार कृषि उपज के लिए एम.एस.पी. संबंधी स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू नहीं करती है और जब तक आर.बी.आई. किसानों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु नियमों में परिवर्तन नहीं करता तथा साहूकारों द्वारा ऋण दिए जाने पर ध्यान नहीं देता, तब तक किसानों को आत्महत्या को रोका नहीं जा सकेगा। भारत सरकार से मेरा अनुरध है कि इस बारे में उपाय करे। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल** (दमन और दीव): महोदय, गोवा और दीव के साथ ही दमन 19 दिसम्बर 1961 को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ था। सभी क्षेत्रों में इनके धीमे विकास को देखते हुए गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया।

- अक्तूबर 1962 में गोवा, दमन और दीव में पंचायत के चुनाव हुए। दिसम्बर 1962 में गोवा दमन और दीव में विधान सभा के चुनाव हुए और लोकप्रिय सरकार ने 20 दिसम्बर, 1962 को सत्ता सम्भाली।

- 1 सितम्बर, 1964, से भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण को विदेश मंत्रालय से गृह मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया और मई 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिये जाने के बाद आज तक दमन और दीव गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है।

इस पहलु को ध्यान में रखते हुए, दमन और दीव के साथ निधियों के आबंटन के मामले में, बेहतर व्यवहार किया जाना चाहिए। परन्तु, इस संघ राज्य क्षेत्र के साथ निधियों के आबंटन में हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। इससे काफी छोटे और कम जनसंख्या वाले संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए 263 करोड़ रुपए की धनराशि का आबंटन किया गया है जबकि दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए 130 करोड़ रुपए की स्वीकृत धनराशि में से केवल

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

83 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं जबकि दमन और दीव प्रशासन ने 220 करोड़ रुपये की मांग की थी।

इन सभी विरोधाभासों के बावजूद वर्ष 1991 से दमन और दीव में औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र विकास हुआ है और पिछले 17 वर्षों में वहां 5000 से अधिक एल.एस.आई., एम.एस.आई. और एस.एस.आई. एककों की स्थापना की गयी है। औद्योगिक विकास की इस गति के बावजूद दमन और दीव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत को बचाये रखने में सक्षम रहा है। इसीलिए लगभग 5 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष दमन और दीव की यात्रा करते हैं। परन्तु औद्योगीकरण और बढ़ते हुए पर्यटन उद्योग के लिए अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं पर व्यय किया जाना जरूरी है और इसके लिए अतिरिक्त धन के आबंटन की आवश्यकता है। भाजपा शासित पड़ोसी राज्य गुजरात भी अपनी पूंजी आधारित विकास नीतियों के कारण इस छोटे संघ राज्य क्षेत्र की विकास की संभावनाओं को हथिया रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आप महसूस करेंगे कि दमन और दीव को इस संघ राज्य क्षेत्र की वार्षिक योजना के आकार के संबंध में अजीब सी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि इस संघ राज्य क्षेत्र की राजस्व प्राप्तियां कई वर्षों से लगातार बढ़ रही हैं; योजना आकार के अनुरूप निधि आबंटन की गति में वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2002-03 में निवल प्राप्तियां 116.16 करोड़ रुपए थी, जबकि योजना-आकार (प्लान साईज) आवंटन 44.38 करोड़ रुपए था। इसी प्रकार, वर्ष 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 के लिए राजस्व प्राप्तियां और इसकी तुलना में योजना आकार आबंटन क्रमशः 145 करोड़ रुपए की तुलना में 45 करोड़ रुपए; 214 करोड़ रुपए की तुलना में 53 करोड़ रुपये, 286 करोड़ रुपए की तुलना में 59 करोड़ रुपये, 327 करोड़ रुपये की तुलना में 64 करोड़ रुपये रहा है; जिससे पता चलता है कि वर्षों से राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की तुलना में वार्षिक योजना आकार आबंटन में वृद्धि नहीं हुई और यह खाई न केवल बहुत बड़ी है बल्कि वर्ष-दर-वर्ष बढ़ती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन में पर्याप्त निवेश नहीं हो पाया है। इस संघ राज्य क्षेत्र में तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण के कारण शहरीकरण भी बढ़ रहा है और इससे अवसंरचनात्मक ढांचे पर भी बोझ बढ़ रहा है, अतः प्रशासम द्वारा प्रारम्भ किये गये अवसंरचनात्मक ढांचे के उन्नयन और अन्य आवश्यक सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की जरूरतों की वास्तविकता के अनुरूप योजना आबंटन किया जाना चाहिए यदि आने वाले कुछ वर्षों में पर्याप्त धनराशि का आबंटन नहीं किया गया तो वर्तमान अवसंरचनात्मक ढांचे, चाहे वह सड़क हों, पुल हों, विद्युत और जल आपूर्ति, जल निकास की व्यवस्था आदि कुछ भी हो, सामाजिक संरचना डांवाडोल हो जाएगी। इसी प्रकार अन्य सेवाएं, जैसे पुलिस, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा सामाजिक कल्याण की गतिविधियों को यथाशीघ्र सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

जैसा कि पिछले वर्षों में योजना आबंटन का आकार काफी कम रखा गया है, मेरा विनम्र निवेदन है कि इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए आने वाले वर्षों में वास्तविक और सामाजिक अवसंरचनात्मक ढांचा प्रदान करने की आवश्यकता को मानदंड बनाकर राजस्व प्राप्तियों के अलावा योजना आबंटन की मात्रा का निर्धारण किया जाए। आप मुझ से इस बात पर सहमत होंगे कि जब तक यथा शीघ्र सुधारात्मक उपाय करके तदनुरूप इस क्षेत्र की योजना आकार आबंटन को नहीं बढ़ाया जाएगा नई पूंजी परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं हो पाएगा और वर्तमान परिसम्पत्तियों की मरम्मत व नवीकरण नहीं हो सकेगा। तथा सामाजिक-आर्थिक गिरावट आ जाएगी। दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र लगभग 3800 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर रहा है नामतः 3000 करोड़ रुपये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में, 500 करोड़ रुपये आयकर, 25 करोड़ रुपये स्थानीय उत्पाद शुल्क, 130 करोड़ रुपये वैट के रूप में, 100 करोड़ रुपये बिजली से और 50 करोड़ रुपये राजस्व के रूप में जबकि योजना आबंटन मात्र 83 करोड़ रुपये है। अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि इस क्षेत्र के वार्षिक योजना आकार में यथेष्ट वृद्धि की जाए। गृह मंत्रालय से इस विषय में पहले ही निवेदन किया जा चुका है, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा 220 करोड़ रुपये के आबंटन की मांग पर विचार करके इसे स्वीकृति दी जाए ताकि संघ राज्य क्षेत्र के आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

मैं आशा करता हूं कि दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के वृहत हितों को ध्यान में रखते हुए 220 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति महोदय,

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

मैं इस सामान्य बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह बजट स्वागत योग्य बजट है क्योंकि यह बजट ग्रामोन्मुखी और किसानों की उन्नति करने वाला है तथा इस बजट ने अल्पसंख्यकों की काफी सुध लेने का काम किया है। वित्त मंत्री जी ने वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखते हुए संतुलित और अनुशासित बजट पहली बार पेश किया है। इस बजट में जो प्रबंधन कौशल की उन्होंने इसमें झलक दिखाई है, वह स्वागत योग्य है लेकिन बजट में संतुलन के साथ-साथ विकास के लक्ष्य को भी दर्शाया गया है। पहली बार यू.पी.ए. सरकार खाद सुरक्षा मिशन कि कृषि का उत्पादन कैसे बढ़े, इसके लिए राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन में जो पैसा दिया है, उस पैसे से काम नहीं चलेगा। इसमें और पैसे देने होंगे। सरकार ने 25000 करोड़ परिव्यय से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और 4882 करोड़ रुपये परिव्यय से राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन की शुरुआत की है। दोनों योजनाएं 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वित की जाएगी। इससे खाद्यान्न पर हमारा देश कैसे आत्मनिर्भर हो, उसके लिए कम से कम इतने समय के बाद एक संकल्प तो माननीय वित्त मंत्री जी ने लिया है। एक भारी-भरकम खर्च वाली कल्याणकारी योजनाओं को बजट में शामिल करने तथा किसानों को 60,000 करोड़ रुपये की क[illegible] माफी टैक्स में छूट देने के बावजूद वित्तीय घाटा और इसमें खासकर जी.डी.पी. 3.1 फीसदी से घटाकर अगले साल के लिए 2.5 फीसदी कर दी गई है। राजस्व घाटा जी.डी.पी. का एक प्रतिशत आंका गया है। इससे बजट के संतुलन को बढ़ाया गया है। जिस समय यू.पी.ए. सरकार ने कार्यभार संभालना था, उस समय जी.डी.पी. का 4.8 फीसदी था सरकार ने 5 बजटों के दौरान सालाना 22 फीसदी राजस्व भड़ाया, इंकम टैक्स और कंपनी टैक्स से पिछले दो वर्षों में राजस्व 40 फीसदी से ज्यादा बढ़ाया है जिसके कारण सरकार आयकर दाताओं को राहत देने में समर्थ हो पायी है।

कोई भी बजट वार्षिक लेखाजोखा ही नहीं है बल्कि आम जनता के दुख-दर्द का आयना है और वह उसे प्रतिबिम्बित करता है कि दिशा क्या हो। जो आर्थिक दशा है और जो आर्थिक दिशा है, इसे समावेश करने की कोशिश की गई है लेकिन हम कुछ जानकारी भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी जब अपना जवाब दें तो उसको स्पष्ट करें। इकॉनोमिक सर्वे ऑफ इंडिया के अध्याय 7 में यह बात स्पष्ट है और उसमे कहा गया है कि खेती की भारतीय अर्थ व्यवस्था में बराबर महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भले ही राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद जी.डी.पी. में इसका योगदान घटता रहा है। इस क्षेत्र के रोजगार और आजीविका सृजन में काफी अधिक भागीदारी है। सकल घरेलू उत्पाद में खेती की भागीदारी निरन्तर घटती जा रही है। यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है क्योंकि जो 1982-83 में 36.4 प्रतिशत था, वह घटकर 2006-07 में 18.5 प्रतिशत रह गई। राम गोपाल यादव जी ने भी अपने भाषण के क्रम में इसका जिक्र किया था। यह गंभीर स्थिति है, इसीलिए यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है क्योंकि आधी अरब से अधिक आबादी यानी 52 फीसदी लोग यानी जो देश की पोपुलेशन है, इसके 52 फीसदी लोगों का जो कार्यबल है, उस आबादी को निरन्तर सहायता प्रदान की जाती है।

सभापति जी, देश के पूरे कार्यबल के 52 प्रतिशत हिस्से को कृषि क्षेत्र से रोजगार मुहैया किया जाता है। हमारे देश में कच्ची सामग्री एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपस्कर कई उद्योगों के स्रोत रहे हैं। आज यह गम्भीर स्थिति है कि कृषि क्षेत्र में विकास गैर-कृषि क्षेत्र की तुलना में कम हुआ है। इसके बजाय जनसंख्या विकास की तुलना में यह अधिक था। वर्ष 1950-51 से लेकर वर्ष 2006-07 के बीच में जनसंख्या की बढ़ोत्तरी की तुलना में 2.5 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। परिणामस्वरूप भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन वर्ष 1976-77 से 2005-06 के दौरान खाद्यान्न की बढ़ोत्तरी दर 1990-2007 में 1.2 प्रतिशत गिर गई जो जनसंख्या की औसत में 1.9 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोत्तरी की दर की तुलना में कम है। इसलिये खाद्यान्नों और दालों की खपत में प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है, उसमें गिरावट देखी गई है। वर्ष 1990-91 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 468 ग्राम थी जो वर्ष 2005-06 में प्रति व्यक्ति गिरकर 412 ग्राम रह गई। यह गिरावट 13 प्रतिशत दर्शाता है।वर्ष 1956-57 में यह खपत 42 ग्राम थी लेकिन आज 72 ग्राम प्रति व्यक्ति से घटकर 33 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गयी है। सभापति महोदय, यही नहीं, आज भी कृषि उत्पादन में ट्रेंड स्लो हुआ है। वर्ष 2007-08 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 2.7 मिलियन टन कम हुआ है। जो उत्पादन का ट्रेंड स्लो है तो खपत में भी ट्रेंड स्लो है। कृषि क्षेत्र में जी.डी.पी. का योगदान मात्र 18.5 प्रतिशत रह गया है। यह राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है। मैंने इसलिये आर्थिक सर्वेक्षण का जिक्र किया है।

सभापति जी, फूड सिक्यूरिटी हमारी महत्वपूर्ण और संवेदनशील राष्ट्रीय योजना है, इसे कैसे बढ़ाया जाये? इसे

बढ़ाने के लिये जो काम हो रहे हैं, इसमें क्या प्रगति हुई है, क्योंकि इसमें कोई मौनिटरिंग सिस्टम नहीं है, इसलिये मैं चाहूंगा कि इसकी मौनिटरिंग होनी चाहिये कि कितना उत्पादन बढ़ा है, कितनी बंजर भूमि को कृषि लायक बनाकर उपजाऊ किया गया है? क्या सरकार के पास या ग्रामीण विकास विभाग के पास कोई डॉटॉ है कि कितनी जमीन को कृषि करने लायक बनाया गया है जबकि सरकार का फूड सिक्यूरिटी मिशन चल रहा है कि किस तरह से उत्पादन बढ़ाया जाये? जब तक उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषि भूमि नहीं होगी, उत्पादन कहां से बढ़ायेंगे? जमीन बढ़ाने की बात तो छोड़िये, यहां कृषि भूमि को घटाने का काम किया जा रहा है। एस.ई.जेड. के जरिये कृषि भूमि घटाने की बात की जा रही है। एक एक्ट बना हुआ है जिसके तहत 10-15 प्रतिशत जमीन ली जाती है लेकिन प्राथमिकता बंजर जमीन को दी जायेगी जिसमें कोई उपज नहीं होती है और उसका अधिग्रहण किया जायेगा। लेकिन आज जो चल रहा है, उसके तहत अगर कृषि लायक जमीन है या सिंचित जमीन है तो एस.ई.जेड. के लिये ली जा सकती है। हालांकि इस तरह के दिशा-निर्देश दिये गये हैं लेकिन फिर भी कृषि जमीन कम हो रही है। जब कृषि जमीन घट जायेगी तो राष्ट्रीय उत्पादन पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। जो नेशनल प्रोडक्शन है, उस पर इसका असर पड़ेगा। यही कारण है कि आज देश में आयात करने की स्थिति आ गई है। हमारी जो आत्मनिर्भरता है, उसमें प्रभावित हो रही है। मैंने इसीलिए इसका जिक्र किया और अभी खास करके मैं कहना चाहता हूं कि अभी जब बाढ़ एवं सुखाड़ के मामले में मंत्री जी उदार होने लगे हैं, ऋण के मामले में उन्होंने कहा है, कर्ज माफी की बात कही थी और न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी किसानों को संकट से उबारने की बात की है। उसे सहूलियत देने की, वेलफेयर करने की बात सन् 2007-08 में 225 हजार करोड़ ऋण दिया जा रहा था। चालू वित्तीय वर्ष में उसमें 240 करोड़ लिखा हुआ है, वैसे 280 करोड़ का भी एक जगह मैंने देखा कि दो तरह का फीगर है, ऋण देने का जो प्रावधान किया गया है, लेकिन जो लिखित वित्त मंत्री जी का स्पीच है उसमें 240 करोड़ का ही जिक्र किया गया है। इस सरकार में दो वर्ष में कृषि ऋण दोगुना हो गया है। सन् 2008 तक इसके 240 या एक हजार करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, यह तय किया गया है। यह वित्त मंत्री जी ने यहां कहा है।

अपराह्न 4.18 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*]

महोदय, इसमें मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कृषि ऋण को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है - पत्यक्ष वित्त और अप्रत्यक्ष वित्त। प्रत्यक्ष वित्त में जो फाइनेंस होगा, उसमें अल्प अवधि ऋण, दीर्घ अवधि के ऋण में किसानों को डायरेक्ट खाद, बीज, पम्पसेट इत्यादि दिए जाते हैं। लेकिन जो अप्रत्यक्ष ऋण है, उसकी क्या परिभाषा है? जब किसानों के लिए ऋण बढ़ाया जा रहा है, इससे किसे लाभ पहुंचेगा, क्या यह सभी बड़ी-बड़ी कम्पनियों को पहुंचाया जाएगा? इसमें जो खाद एवं बीज का व्यापार करने वाली कम्पनियां हैं या जो पशु चारा आपूर्ति करने वाले लोग हैं, किसे लाभ पहुंचाया जाएगा, जो मधुमक्खी का पालन करने वाले हैं, मछली पालन करने वाले या डेरी के धंधा से जुड़े व्यवसायी लोग हैं, उन्हें कृषि ऋण दिया जाएगा या किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए बिजली बोर्ड से जो बिजली मिलती है, क्या उसे भी दिया जाएगा? क्या वह कृषि ऋण के दायरे में आएगा, इसकी हम परिभाषा जानना चाहते हैं? माननीय वित्त मंत्री जी से इसका दायरा जानना चाहते हैं, क्या ये लोग भी इसी दायरे में हैं? जो प्रत्यक्ष वित्त, अप्रत्यक्ष फाइनेंस होगा, क्योंकि आप कर्ज बढ़ा रहे हैं, आप आगे लक्ष्य भी रखेंगे कि आगे और दें, किसानों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज देंगे तो किसानों का वेलफेयर होगा। मैं जानना चाहता हूं कि अब तो रिलायंस कम्पनी की सब्जी एवं फल की दुकान है और वे आलू और सब्जी भी बेच रहे हैं। मैं यह स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या इन्हें भी फाईंस किया जाएगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष फाइनेंस इन्हें किया जाएगा तो कितना प्रतिशत किसान को दिया जाएगा। जैसे इनकी अमेरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी मोनसेंटो है, बी.टी. कपास, बीज के एजेंट, बियर हिन्दुस्तान लीवर लि. कम्पनी, नमकीन बनाने वाला हल्दीराम तथा बिस्कुट बनाने वाली पारले कम्पनी, कलकत्ता में बैठे दार्जिलिंग के चाय बागान में जो धनी मालिक है, इन सब को मिलने वाला कर्ज भी क्या कृषि के दायरे में रखा जा रहा है? मंत्री जी अपनी स्पीच में ये सब बातें स्पष्ट करें। किसानों के हित में 60 हजार करोड़ का पैकेज हुआ है, कर्ज की राशि बढ़ाई गई है, यह आपने अच्छा कदम उठाया है। लेकिन ये जो चाय बागान के मालिक आदि के बारे में मैंने कहा है, क्या इन लोगों को भी मिलेगा, यह मैं जानना चाहता हूं? यह सही है कि वास्तविक किसानों को कर्ज देने की बजाए बड़े-बड़े उद्योगपतियों और बिचौलियों, दलालों तथा कम्पनियों आदि को ही और कर्ज दिया जाएगा। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किसानों को आप कितना ऋण दे रहे हैं?

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

महोदय, उसका ब्रेक-अप हो जाना चाहिए कि कितना किसानों को दिया जाएगा, कितना मिडिल मैन लेंगे और प्राइवेट कंपनियों को किसानों के नाम पर, किसानों से संबंधित सामान को बनाने के लिए कितना दिया जाएगा, क्योंकि ऋण देने के लिए किसानों की समस्या पूरी तरह से हल नहीं हो सकती है। इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए। किसानों को खाद, उन्नत बीज, बेहतर और सस्ती सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर ही खेती को लाभकारी बनाया जा सकता है। बिना ऐसी व्यवस्था किए, खेती कैसे लाभकारी हो सकती है? आज यदि कोई सबसे घाटे का व्यवसाय है, तो वह खेती है। प्राचीन काल में कहा जाता था कि "उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान।" आज खेती करना सबसे ज्यादा खराब काम हो गया है। आज सबसे घाटे का अगर कोई धंधा है, तो वह खेती है। इसे कैसे लाभकारी बनाया जाए। इस हेतु कदम उठाने के लिए जो आपने इनडायरैक्ट फायनेंस की व्यवस्था किसानों के लिए की है, उसमें से वास्तव में किसानों को कितने प्रतशत मिलेगा और यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जो ऋण बढ़ेगा, उसमें से कितना किसानों को मिलेगा? इसमें से प्राइवेट कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कितना मिल रहा है, इसका ब्रेक-अप आना चाहिए।

सभापति महोदय, किसानों की हालत सुधारने के लिए जहां तक समर्थन मूल्य का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि प्रैक्टीकल स्थिति यह है कि मंडी स्ट्रक्चर के अभाव में समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। अभी हमने रु. 1000/- एक हजार प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य तय किया है। यह अच्छी बात है, लेकिन यह मिलेगा कैसे? इसको देने के लिए कोई नैटवर्किंग नहीं है। एफ.सी.आई. का ऐसा कोई ट्रक विलेज मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने नहीं जाता है, जो उसे डायरैक्ट भुगतान कर दे। आज सपोर्ट प्राइस मिलना ही कठिन टास्क हो गया है। समर्थन मूल्य की घोषणा करना एक बात है और उसे किसानों को दिलाना दूसरी बात है और यह कठिन है। आज स्थिति यह है कि किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलता है और उन्हें अपनी कृषि उपज तुरन्त डिस्ट्रैस सेल पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि भी जगह मंडी स्ट्रक्चर नहीं है। पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य प्रदेशों में मंडी स्ट्रक्चर है। वहां समर्थन मूल्य मिल जाता है। अनेक ऐसे राज्य हैं जहां प्रक्योरमेंट का कल्चर पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। इसलिए वहां डायरैक्ट कैसे समर्थन मूल्य मिले, इसकी व्यवस्था करें। जैसे यहां से समर्थन मूल्य की घोषणा होती है वैसे ही वह समर्थन मूल्य किसानों को डायरैक्टड मिल जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए, ताकि किसान की जेब में पैसा आए और उसे वह अपने रोजमर्रा के काम में लगा सके। उससे उसकी आर्थिक उन्नति हो सकती है। देश के अनेक राज्यों के किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है यह प्रैक्टीकल स्थिति है। इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया।

सभापति महोदय, जहां तक लाभकारी मूल्य देने की बात है, मैं बताना चाहता हूं कि खेती की लागत आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जितने में कृषि उपज बिकती है, उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। किसानों की ब्याज दर 7 प्रतिशत की गई है, यह अच्छी बात है। प्रो. राम गोपाल यादव ने भी ठीक कहा था, हम भी यह मांग करते हैं जैसी कि नैशनल एग्रीकल्चर कमीशन के चेयरमैन, श्री एस. स्वामीनाथन की भी रिपोर्ट आई है कि किसानों के लिए इंटरैस्ट की दर 4 प्रतिशत रखनी चाहिए। किसानों को सहूलियत देने हेतु ऋण की ब्याज दर जो वर्तमान में 7 प्रतिशत करने के लिए कहा गया है, वह 7 प्रतिशत की बजाय 4 प्रतिशत होनी चाहिए। किसानों को ऋण लेने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसानों को ऋण लेने में बहुत जटिलता है। किसानों को ऋण देने की जो प्रक्रिया है, वह बहुत जटिल बना दी गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसे 4 प्रतिशत करने पर सरकार को विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, देश के पिछड़े राज्यों को धन देने के लिए योजना आयोग और वित्त मंत्री द्वारा मिलकर जब प्लान बनाया जाता है, जैसा इस बजट में बैकवर्ड रीजन को पैसा देने की बात की गई है और पैसे देने का प्रावधान किया गया है, पिछड़े राज्यों को प्लान का पैसा किस आधार पर दिया जाता है, वह मैं बताना चाहता हूं। उस राज्य को प्लान का जो पैसा दिया जाता है, वह उसके इंटरनल रिसोर्सेस के मोबिलाइजेशन के आधार पर दिया जाता है। जो राज्य अपने इंटरनल रिसोर्सेस का जितना अधिक मोबिलाइजेशन करेगा, उसे उतना अधिक प्लान का पैसा दिया जाएगा। इंटरनल रिसोर्सेस का मोबिलाइजेशन ही उस राज्य को प्लान का पैसा देने का मापदंड होता है और उसी मानदंड के आधार पर वित्त मंत्री और योजना आयोग द्वारा प्लान का पैसा उस राज्य को देना तय किया जाता है। जो आयनेंस कमीशन है या जो गाडगिल फार्मूला है, उनमें भी इस प्रकार की गाइड लाइन है कि जो राज्य

अपने इंटरनल रिसोर्सेस कंसर्न को जितना अधिक मोबिलाइजेशन करेगा, उसे उतना अधिक प्लान का पैसा दिया जाएगा। प्लान का बजट देने के लिए उस राज्य के आन्तरिक संसाधनों के मोबिलाइजेशन का आधार बनाया जाएगा। यह एक बुनियादी सवाल है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन, उस स्टेट की गरीबी, उस स्टेट की नीड्स और उस स्टेट की स्थिति को देखते हुए उन्हें प्लान का पैसा दिया जाए। उनकी जो आर्थिक स्थिति है, जब उसे देखकर प्लान का बजट तय किया जाएगा, तब पिछड़े राज्य मुख्य धारा में आ सकते हैं, वरना पिछड़ा राज्य हर बार पिछड़ता रहेगा, चाहे जितना बजट दिया जाए। पछड़े राज्यों में चाहे उड़ीसा हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, जो पिछड़ा राज्य है, वह और पिछड़ता जाएगा क्योंकि उन राज्यों के सी.डी. (क्रेडिट एंड डिपॉजिट) रेश्यों की स्थिति में बहुत अन्तर है।

उनकी आर्थिक स्थिति को देख कर यदि कारगर प्लान बने, तभी पिछड़े राज्य मुख्य धारा में आ सकते हैं, नहीं तो जितने बजट प्रस्तुत हो जाएं, पिछड़े राज्य पिछड़े ही रहेंगे। चाहे उड़ीसा हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, जो पिछड़े राज्य हैं, वे और पिछड़ते चले जाएंगे। आज बिहार में मात्र 15 प्रतिशत सीडी रेशो है, छोटे किसान, मझौले किसान, मजदूरों का पैसा बड़े-बड़े शहरों में खर्च होता है। सीडी रेशों का यह हाल है। कैसे विकास होगा, क्योंकि कहा जाता है कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 15 प्रतिशत कंसर्निंग स्टेट में खर्च होता है, जबकि आर.बी.आई. की गाइडलाइन है कि 40 प्रतिशत कंसर्निंग स्टेट में खर्च होना चाहिए, खास कर एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्या कभी इस बारे में मोनिटरिंग की गई है? इसकी मोनिटरिंग करके देखी जाए, 15 प्रतिशत से ज्यादा सीडी रेशो का पैसा उस बैकवर्ड स्टेट में खर्च नहीं होता है। प्लानिंग कमीशन द्वारा बनाए गए प्लान तभी कारगर बनते हैं, वह इस तरह से होता है कि उस राज्य में कितने इंटरनल रिसोर्सिज वह राज्य मोबलाइज कर सकता है। हमारे पूरे उत्तर बिहार में पानी है, बाढ़ है, नदियों का जाल है, वहां कैसे इंटरनल रिसोर्सिज मोबलाइज हो सकते हैं। वहां बालू है, बालू में क्या पैदा हो सकता है? झारखंड के अलग हो जाने के कारण रायल्टी, खनिज पदार्थ आदि दो भागों में बंट गए। इस कारण बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम दिया था, आज तक विशेष पैकेज नहीं दिया गया है। थोड़े बहुत पैसे राष्ट्रीय श्रम विकास के जरिए जरूर दिए गए हैं, बैकवर्ड रीजन के जरिए बिहार को पैसे मिले हैं, लेकिन स्पेशल पैकेज बिहार को संतुलन में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, दिया जाना चाहिए, वह नहीं मिला। फाइनेंशियल मेमोरेंडम के लिए उसी समय प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी कि पूरी तरह से देखें कि कैसे आर्थिक दशा सुधारी जाए, लेकिन हमारा कहना है कि पिछड़े राज्यों की गरीबी, आबादी और जरूरत के हिसाब से कारगर प्लान बनाना चाहिए। गरीबी और जनसंख्या की आवश्यकता के आधार पर प्लान बनाना चाहिए। मेरा निवेदन यही है कि बेसिक गाडगिल फार्मुला या फाइनेंस आयोग या जो भी दिशा निदेश हैं, जिनके आधार पर आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत है, तब जा कर पिछड़े राज्य राष्ट्र की मुख्य धारा में आ सकेंगे, नहीं तो पिछड़ा राज्य और ज्यादा पिछड़ता रहेगा, वह आगे नहीं बढ़ सकता है। संगठित क्षेत्र के लिए माननीय मंत्री जी ने अच्छी घोषणाएं की हैं, 30 हजार करोड़ रुपए संगठित क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं, उन्हें टोकन मनी दी जा रही है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपके दल के और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आपको बोलते हुए 25 मिनट हो गए हैं, अब आप स्वयं देख लीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, मैं दो-तीन मिनट में कन्कलूड कर दूंगा। यदि आपका, चेयर का आदेश होगा तो मैं अभी बैठ जाऊंगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ऐसी बात नहीं है, मैं कहना चाहता था कि आप उनके लिए समय छोड़ेंगे या नहीं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उनके लिए भी समय जरूर छोड़ेंगे।

महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि असंगठित क्षेत्र के लिए सरकार ने आश्वासन दिया था और विधेयक के बारे में भी कहा गया था। उस विधेयक को जल्दी लाना चाहिए। असंगठित क्षेत्र में बीड़ी मजदूर, खेतिहर मजदूर, कन्स्ट्रक्शन लेबर, रिक्शा और तांगा वाले गरीब लोगों के कल्याण के लिए, इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए विधेयक को तुरन्त सदन में लाना चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य का, उनके बच्चों की शिक्षा का ख्याल हो सके। पूरे देश में 93 प्रतिशत वर्कफोर्स असंगठित क्षेत्र के हाथ में है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी यह कहा गया है कि इन लोगों का कल्याण किया जाएगा। चार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। यह सही है कि इसकी एक प्रक्रिया है और सरकार ने इस

संबंध में पहल भी की है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसी सत्र में इस बिल को आना चाहिए।

महोदय, पिछड़ा वर्ग आयोग को कितना पैसा दिया गया है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि समय कम है। ओ.बी.सी. की 52 फीसदी आबादी है और सबसे कम एलॉटमेंट पिछड़ा वर्ग आयोग को किया गया है। पिछड़े वर्ग के विकास के लिए सबसे कम राशि रखी गई है, जबकि उनकी आबादी इस देश में 52 फीसदी है।

जहां तक बेरोजगारी का मामला है, खुदरा व्यापार में भी बड़ी-बड़ी कम्पनियां आ रही हैं, इनकी कहीं तो सीमा होनी चाहिए। क्या कारण है कि पिछले साल अनाज सैण्ट्रल पूल में भी इकट्ठा नहीं हो पाया, जितना अनाज सैण्ट्रल पूल में रहना चाहिए, उतना प्राप्त नहीं हो पाया। खुदरा, रिटेल व्यापार में मैगामार्ट जैसा अहमदाबाद, गुजरात में खुला है, उसमें 33 हजार आइटम्स, प्याज, आलू आदि सब एक साथ बिकते हैं। गरीब लोग जो खुदरा व्यापार में थे, वे इससे बेरोजगार हो रहे हैं और तेजी से हजारों गरीब आदमी, छोटे-छोटे लोग जो प्याज बेचते थे, आलू बेचते थे, उनको भी उनके रोजगार से बेदखल किया जा रहा है। गरीबी इसलिए है, क्योंकि बेरोजगारी है। बेरोजगारी ही गरीबी का कारण है तो पावर्टी एलीविएशन कैसे होगा? जब तक उनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, गरीब लोगों की जेब में पैसा नहीं आयेगा, तब तक उनकी गरीबी दूर नहीं होगी। क्रय-शक्ति बढ़ने से ही माना जायेगा कि वे मुख्य धारा में आ रहे हैं। मैं समाज के अन्तिम आदमी के लिए लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि क्रय-शक्ति बढ़ायें, उसको रोजगार ज्यादा मिले, उसकी बेरोजगारी दूर हो, तभी गरीबी उन्मूलन हो सकता है। गरीबी उन्मूलन का इंडीकेटर केवल यही है कि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। उसकी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ी है? जब तक उसकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, रोजगार का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक गरीबी दूर नहीं हो सकती। गरीबी इसीलिए है, क्योंकि बेरोजगारी है, इसीलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मेरा लास्ट पाइंट्स यही है कि स्थाई समाधान बाढ़ और सुखाड़ का होना चाहिए। किसान के लिए हर साल हम 10 हजार करोड़ रुपये, 15 हजार करोड़ रुपये रिलीफ बांटने पर खर्च करते हैं, लेकिन इससे उसका स्थाई समाधान नहीं हो पा रहा है। अभी भारत नेपाल का एक समझौता हुआ था कि हाई लेवल डैम बनायें, क्योंकि हाइड्रो इलैक्ट्रिक उससे सस्ती दर पर मिलेगी। हाई लेवल डैम बनाने से हाइड्रो इलैक्ट्रिक भी हमको उपलब्ध होगी और बाढ़, सुखाड़ का स्थाई समाधान भी होगा, पानी से निजात भी मिलेगी और जो फसल हजारों एकड़ में, लाखों एकड़ में हर साल बर्बाद हो जाती है, उसका भी बचाव होगा, इसलिए बाढ़ सुखाड़ के स्थाई समाधान के जो भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या हाइड्रो इलैक्ट्रिक पैदा करने के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकार को उन पर विशेष बल देना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री डी. विट्ठल राव (महबूबनगर):** महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2008-09 का समर्थन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी तथा संप्रग की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में चलायी जा रही संप्रग सरकार के इस लोकप्रिय बजट हेतु उनका धन्यवाद करता हूं।

किसानों की ऋण माफी के लिए वित्त मंत्री महोदय को बधाई देते हुए मैं इस अवसर पर देश के हथकरघा क्षेत्र के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं।

हथकरघा भारत का प्राचीन उद्योग है। देश भर में इस क्षेत्र की विशेषताएं भिन्न-भिन्न हैं। आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, असम और उड़ीसा में इसे स्थायी उद्योग का दर्जा दिया गया है। और देश के अन्य भागों में यह अभी भी घरेलु आवश्यकताओं तक सीमित उद्योग मात्र है।

लोगों को आजीविका प्रदान करने में कृषि के बाद हथकरघा क्षेत्र का दूसरा स्थान है। तथापि यह क्षेत्र बहुत सी समस्याओं से ग्रस्त है जैसे पुरानी प्रौद्योगिकी, असंगठित उत्पादन प्रणाली, निम्न उत्पादकता, अपर्याप्त कार्यशील पूंजी, परंपरागत उत्पाद श्रेणियां, अपर्याप्त विपणन सम्पर्क, उत्पादन और बिक्री की मात्रा में ठहराव और इनके अलावा विद्युतकरघा और मिलों से भी इसकी प्रतिस्पर्धा है। प्रभावी सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से वित्तीय सहायता और विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप एक सीमा तक हथकरघा क्षेत्र अपनी समस्याओं पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो पाया है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बुनकर और ग्रामीण शिल्पकार

कृषि गतिविधियों के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हथकरघा, बुनकरी, बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, मिट्टी के बर्तन बनाना, मछलीपालन और कई अन्य विरासत से चले आ रहे व्यवसाय शामिल हैं। इसके अलावा, यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि देश में 2 करोड़ परिवार बुनकरी पर निर्भर करते हैं।

बुनकरों और शिल्पकारों के लिए ऋण सुविधा

देश में लगभग 2 करोड़ बुनकर परिवार बुनकरी पर निर्भर हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों से ऋण लेने के अलावा उनके पास कोई अन्य स्रोत नहीं है। आन्ध्र प्रदेश में 1412 सोसायटियां कार्य कर रही हैं, इनमें से 300 सोसायटियां सरकारी और निजी बैंकों से लिए गये ऋणों तथा उस ऋण पर एकत्रित ब्याज का भुगतान न होने के कारण बंद हो गयी हैं। अतः इस समय आन्ध्र प्रदेश में केवल 1090 सोसायटियां ही कार्य कर रही हैं। नकद ऋण सुविधा के अंतर्गत केवल 249 सोसायटियों को ही जिला सहकारी बैंकों से ऋण मिल पा रहा है। इस प्रकार पिछले चार वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश को बजट आबंटन के अंतर्गत आबंटित 150 करोड़ रुपये की धनराशि का लाभ केवल 20 प्रतिशत सोसायटियां ही उठा रही हैं। वर्ष 2008-2009 के बजट में वित्त मंत्री महोदय ने देशभर के लिए 6,000 करोड़ रुपये का ऋण आबंटित किया है, इसमें से आन्ध्र प्रदेश के लिए मात्र 200 करोड़ रुपए का ऋण आबंटित किया गया है।

यह बड़े दुख की बात है कि इस क्षेत्र में आजीविका अर्जन में लगे बुनकरों, शिल्पकारों तथा अन्य गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है। अतः मैं महसूस करता हूं कि इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए भी क्रेडिट कार्ड, सरकारी और सहकारी बैंकों से ऋण प्रदान किये जाने की वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

विभिन्न नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव भी बुनकर समुदाय की समस्याएं बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारण है। यहां तक की हथकरघा क्षेत्र से संबंधित सरकारी विभाग और क्रियान्वयन एजेंसियों के पास भी पर्याप्त सूचना और आंकड़ों का अभाव है जिसके कारण नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन के बीच खाई बढ़ रही है।

आन्ध्र प्रदेश में हुई आत्महत्याएं

सिर्फ आन्ध्र प्रदेश में ही 3,20,000 हथकरघे हैं। 5,00,000 परिवार प्रत्यक्ष रूप से और 20,00,000 परिवार अप्रत्यक्ष रूप से इन पर निर्भर हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले कुछ समय में बहुत से बुनकरों ने आत्महत्या की है क्योंकि उनकी पीड़ा असहनीय हो गयी थी। आत्महत्या से होने वाली मौतें स्पष्टतः संकेत करती है कि यह हथकरघा क्षेत्र के संकट का ही परिणाम है। इसका एक अन्य प्रमुख संकेत राज्य में हथकरघों की संख्या में कमी है।

सहकारिताओं का प्रबन्धन अब सहकारिताओं के हाथ में ही नहीं है बल्कि इस संबंध में ऋण प्रावधान, वेतन और अतिरिक्त राशि के संबंध में सरकारी नियम और विनियमन हैं। हथकरघा सहकारी प्रणाली भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप से ग्रस्त है। बड़ी संख्या में हथकरघा बुनकर इन सहकारिताओं के सदस्य नहीं हैं। सरकारी विभागों को हथकरघा क्षेत्र को सरकारी धन और योजनाओं का प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोग करने का विचार बदलना होगा। प्रबन्धन और निर्णय लेने के संबंध में सहकारिताओं को जिला स्तर पर स्वतंत्र बनाना होगा।

संप्रग सरकार ग्रामीण और शहरी समाज के बीच सामाजिक-आर्थिक संतुलन बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। किसानों के लिए ऋण माफी का स्वागत करते हुए, मैं यह अपील करना चाहता हूं कि बुनकरी क्षेत्र, जो कि रोजगार देने के मामले में दूसरा बड़ा क्षेत्र है, उसे भी इस योजना के अंतर्गत लाया जाए। अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र की ही भांति बुनकरी क्षेत्र का भी ऋण माफ किया जाए।

महोदय, मुझे सभा में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): सभापति महोदय, 29 फरवरी को जो देश का आम बजट पेश किया गया है, उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। जैसे किसानों की कर्जा माफी, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों के बावजूद मैं उसका समर्थन करता हूं कि किसानों की 60 हजार करोड़ रुपये की कर्ज माफी होगी।

वित्त मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि बहस के नतीजे में जो त्रुटियां सामने आयें, उनमें सुधार करें, ताकि

[श्री इलियास आजमी]

ज्यादा से ज्यादा गरीब किसानों को फायदा पहुंच सके। इन्कम टैक्स का स्लैब इन्होंने बढ़ाया है, वह भी स्वागत योग्य कदम है, मैं उसका समर्थन करता हूं, इसलिए कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि डेढ़ लाख रुपये तक इन्होंने उसे पहुंचाया है। डेढ़ लाख रुपये में आदमी का खर्च ही पूरा नहीं होता, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। कुछ जरूरी चीजों पर ड्यूटी इन्होंने घटाई है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। सीमेण्ट, लोहा और बहुत सारी जरूरी चीजों को जो महंगा किया गया है, उसका मैं विरोध भी करता हूं। कर्जा माफी का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन यह भी बताता हूं कि बार-बार कर्ज माफी इस समस्या का कोई मुस्तकिल हल नहीं है। आस्ट्रेलिया के किसानों को भारत सरकार ने उनकी उपज का जितना दाम दिया है, अगर उतना ही दाम अपने किसानों को भारत सरकार देने पर तैयार हो जाये तो आस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाने की जरूरत आज भी नहीं पड़ेगी। अगर किसानों को इन्श्योर्ड करने पर कुछ पैसा खर्च कर दिया जाये तो न तो किसानों की खुदकुशी होगी और न बार-बार उनका कर्ज माफ करना पड़ेगा। महंगाई चार साल में नाकाबिले बरदाश्त हद तक बढ़ चुकी है, जो बरदाश्त के बिल्कुल बाहर है। मेरा ख्याल है कि इस बजट के बाद महंगाई और बढ़ेगी।

महोदय, मैं महंगाई की सिर्फ एक मिसाल दूंगा। ग्यारहवीं लोकसभा में मैं सदस्य था, तब चिदंबरम साहब ही वित्त मंत्री थे। उस वक्त एक करोड़ रुपये सांसद निधि मिलती थी। कुल डेढ़ साल वह लोकसभा रही। मुझे जो डेढ़ करोड़ रुपए मिले थे, उससे मैंने सत्तर काम कराये थे। वर्ष 2004 से अब तक मान लीजिए कि वर्ष 2009 में चुनाव होते हैं, तो पांच साल में दस करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन दस करोड़ में सत्तर काम पूरे होंगे या नहीं, इसके बारे में मुझे पूरा विश्वास नहीं है। इसका मतलब यह है कि डेढ़ करोड़ रुपए में जो काम वर्ष 1996-97 में होता था, वह काम अब दस करोड़ रुपए में भी नहीं हो रहा है। आज यह महंगाई का हाल है।

महोदय, मैं बड़े दुख के साथ कहूंगा कि भ्रष्टाचार के मामले में यू.पी.ए. पूरी तरह संवेदनहीन है। मैं यू.पी.ए. को क्यों कहूं, मैं तो कहता हूं कि हम सब संवेदनहीन हैं। चार साल हो गए, इस चौदहवीं लोकसभा को आए हुए, भ्रष्टाचार पर बहस के लिए जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, जिसको आतंकवाद से भी बड़ी समस्या मैं मानता हूं, उस पर बहस के लिए दो मिनट भी कभी इस चौदहवीं लोकसभा में नहीं दिया गया। यह एक अलग मुद्दा है। जितना पैसा आप खर्च करते हैं, आप सीना तानकर कहते हैं कि हमने इतना पैसा पी.एम.जी.एस.वाई. को बढ़ा दिया और इतना दूसरी किसी योजना को बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ाने से फायदा क्या है, वह पैसा कहां जा रहा है, क्या वह हकदारों तक पहुंच रहा है? इसके बारे में कहने के लिए मैं चंद मिनट लूंगा।

महोदय, जी.डी.पी. और सेंसेक्स का इतना नाम हमारे वित्तमंत्री जी लेते हैं कि बाहर लोग इनको जी.डी.पी. और सेंसेक्स मंत्री ही ज्यादा कहते हैं और वित्त मंत्री कम कहते हैं, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है? भ्रष्टाचार का हाल क्या है? सेंसेक्स जिस तेज रफ्तार से बढ़ा था, भ्रष्टाचार के बढ़ने की रफ्तार उससे भी ज्यादा तेज रही थी। इस वक्त सेंसेक्स गिर रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उसके गिरने के संबंध में कोई प्रावधान के बारे में हम सोच रहे हैं, जबकि हम भ्रष्टाचार के बारे में बातें ही नहीं कर रहे हैं, न बजट में, न बहस में। जब हम भ्रष्टाचार की बातें ही नहीं कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा।

रोजगार गारंटी योजना की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री जी मुझे माफ करेंगे कि पूरी यू.पी.ए. सरकार रोजगार गारंटी योजना की तारीफ करने में लगी हुयी है और उसका नाम ही पड़ गया है - भ्रष्टाचार गारंटी योजना। ये तो सीना तानकर कहते हैं कि हमने पंचायतों के थ्रू इसे किया है। पंचायतों के थ्रू जो धन जा रहा है, उसमें तो राजीव गांधी वाला 15 प्रतिशत वाला हिसाब नहीं है, राहुल वाला हिसाब आ गया है कि केवल 5 प्रतिशत पहुंच रहा है और 95 प्रतिशत नहीं पहुंच रहा है।...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: व्यवधान को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री आजमी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: राजीव गांधी जी ने कहा था कि 15 प्रतिशत पहुंच रहा है, उनका कहना है कि पांच प्रतिशत पहुंच रहा है। मैं यह नहीं मानता कि 5 प्रतिशत ही पहुंच रहा है, उतना नहीं है।...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुन

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लीजिए। मैं कांग्रेस की बात कहां कर रहा हूं? मैं तो फैले हुए भ्रष्टाचार की बात कह रहा हूं। मैं भ्रष्टाचार के विरोध में बोल रहा हूं और ये कांग्रेस...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री आजमी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: महोदय, जितनी भी ग्राम विकास की योजनाएं हैं, उनको जितना पैसा जा रहा है, उसकी हालत बहुत खराब है। खासतौर से पंचायतों के थ्रू खर्च होने का जो रूझान बढ़ा है और हमारे मंत्री जी पार्लियामेंट में सीना तानकर कहते हैं कि हम इसे पंचायतों के थ्रू कर रहे हैं, यानि हम बहुत सही कर रहे हैं। उसमें तो पैसा बिल्कुल ही डूब रहा है। कितनी ही योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं लगता कि ग्राम विकास की चौदह-पंद्रह योजनाएं हैं। आधी योजनाओं के बारे में जनता जानती तक नहीं कि इस योजना में भी जिले में दस-पांच करोड़ रुपए आए हैं और पूरा का पूरा पैसा खत्म होता जा रहा है। पी.एम.जी.एस.वाई. एक अच्छी योजना थी और मैंने बार-बार पी.एम.जी.एस.वाई. योजना का बखान किया है। वित्तमंत्री जी बैठे हैं, मैं बता दूं कि मेरे क्षेत्र में वर्ष 2004 का जो पैकेज था, उसमें 32 सड़कें थीं और उन 32 सड़कों में से आज तक एक सड़क भी नहीं बन सकी। आप लाख सीना तानकर कहें, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिर पैसा गया कहां? वे सड़कें क्यों नहीं बनीं? मैं यह नहीं कहता कि इनका कोई कसूर है। काम करने के लिए एस्टीमेट बना, वह पास हुआ।...*(व्यवधान)* सन् 2004 से लगातार आपकी सरकार है।...*(व्यवधान)* मेरी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप चेयर को एड्रैस कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): श्री आजमी जी, मैंने आपको यह कहते हुए सुना है कि 32 सड़कों का निर्माण किया जाना था लेकिन एक भी सड़क का निर्माण नहीं किया गया। राज्य सरकार में कौन थे। सड़कों के निर्माण की जिम्मेवारी किस की थी। सड़कों के संबंध में राज्य सरकार में प्रभारी मंत्री कौन था। कृपया हमें यह भी बताएं।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: वह कार्य क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में वहां के अधिकारियों ने बताया कि एस्टीमेट बना। जिस दिन वह केन्द्र सरकार से सैंक्शन हुआ, उसके बाद रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और कोई उतने पैसे पर वह कार्य करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम लिखते रहे कि हमें रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाने का आदेश दिया जाए। रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाने का आदेश डेढ़ साल के बाद आया। तब तक रेट्स और ज्यादा बढ़ गए। नतीजा यह हुआ कि सन् 2004 में जो कार्य सैंक्शन हुआ था, वह आज तक नहीं हो पाया। यह पी.एम.जी.एस.वाई. का हाल है।

ग्राम विकास की छोटी योजनाओं के बारे में मैं पहले कह चुका हूं कि उनका पता ही नहीं लगता। मैं हरदोई जिले की सतर्कता निगरानी समिति का चेयरमैन हूं। आप जिस योजना के लिए, जिस जिले में जितना पैसा देते हैं, यदि आप उसके बारे में वहां के विधायकों और सांसदों को लिखकर बता दें कि इस योजना के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है, तो वह थोड़ी-बहुत जानकारी रखेगा। विधायकों और सांसदों को भी पता नहीं लगता कि किस योजना के लिए कितना पैसा आया है। पूरा पैसा खा लिया जाता है, लोग पूरी सड़कें खा जाते हैं, पूरी योजना खा जाते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता। उसके बारे में सिर्फ कलैक्टर जानता है, अधिकारी जानते हैं और सरकार जो पैसा देती है, वह जानती है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बड़ी शान के साथ लागू हुई। वह बहुत अच्छी योजना थी। मैं उसका पूरा समर्थन करता था और आज भी करता हूं। यह कहा गया कि हम पांच साल में पूरे देश का विद्युतीकरण कर देंगे। वह कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। अभी राजस्व गांवों का हुआ है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र, अपने जिले और अपने पास-पड़ोस के बारे में कह सकता हूं कि जिन गांवों का विद्युतीकरण हुआ, खम्बे गाढ़े गए, तार खींचे गए, उनमें कनैक्शन देने से पहले तार भी उतर गए, खम्बे भी नीचे चले गए। अगर मेरे क्षेत्र के एक गांव के बारे में बता दिया जाए कि वहां बल्ब जला है, तो मैं जुर्माना भुगतने के लिए तैयार हूं।...*(व्यवधान)*

भ्रष्टाचार की बात हो रही थी। बैंकों का भ्रष्टाचार नाकाबिले बरदास्त होता जा रहा है। थानों से ज्यादा बद्तर

[श्री इलियास आजमी]

पोजीशन हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों की हो चुकी है। यदि किसी गरीब व्यक्ति का पचास हजार रुपये का कर्ज मंजूर भी हो जाता है, तो जब तक वह दस हजार रुपये बैंक मैनेजर और बैंक के स्टाफ को न खिलाए, उसे पैसा नहीं मिलता। जब वह पैसा जमा करता है, उसमें भी गड़बड़ी होती है। आप बैंकों का भ्रष्टाचार रोकिए। वित्त मंत्री जी, आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मेरा मकसद आपकी तौहीन करना नहीं है। आपका तरीका डेमोक्रेसी के राजनेता से ज्यादा ब्यूरोक्रेट का तरीका है। आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करते।

मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। मेरे यहां एक कस्बा है, बड़ा शहर है - पाली। पाली में कोई राष्ट्रीय बैंक नहीं है। वह बहुत बड़ा बिजनेस का सैंटर है। उसके अगल-बगल के दो-तीन किलोमीटर में कई राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। वहां बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक है। मैंने कई बार आपको लिखा कि पाली में राष्ट्रीय बैंक की जरूरत है। उसके आस-पास 4-5 किलोमीटर के एरिया में जो गांव हैं, वहां बैंक हैं लेकिन पाली में कोई बैंक नहीं है। हर बार आपके अधिकारी हमें लिखकर भेज देते हैं कि पाली से तीन किलोमीटर दूर बाबरपुर में बैंक है। पाली से चार किलोमीटर दूर निजामपुर में बैंक है। पाली से पांच किलोमीटर दूर रूपापुर में बैंक है। आपने वही जवाब मुझे दे दिया है। मैंने आपसे कहा कि मैं ज्यादा जानता हूं क्योंकि वह मेरा क्षेत्र है और मैं गली-गली दौड़ता हूं। आपका एयरकंडीशन में रहने वाला एक अधिकारी मुझसे ज्यादा नहीं जानता। मैं आपको कह रहा हूं कि आप पाली में बैंक खोलिये। अगर वह बैंक घाटे में चला गया, तो आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लीजिए। वह बैंक नफे में चलेगा, लेकिन अधिकारी कहता है कि तीन और पांच किलोमीटर दूर बैंक है। मैं कहता हूं कि आप छोटे-छोटे हर गांव में बैंक खोल दीजिए। इतने बड़े बिजनेस सैंटर में, कस्बे में आप बैंक नहीं खोलते। मैं कह रहा हूं कि आपका जो व्यवहार है, वह ब्यूरोक्रेटिक है, राजनीतिक नहीं है। आप उसे थोड़ा सा बदल दीजिए, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जायेगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: *कृपया आप अपना भाषण समाप्त करिये।*

...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी: अभी मेरे से पहले वाले वक्ता 35 मिनट बोले हैं। इसलिए आप मुझे कम से कम 20 मिनट तो बोलने का समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी पार्टी के हिसाब से जो समय है, उस हिसाब से मैंने आपको टाइम दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी: आपने दूसरी पार्टियों को समय दिया है इसलिए मेरी पार्टी को भी बोलने का समय दीजिए।

सभापति महोदय: दूसरी पार्टियों का जितना समय था, उतना उनको दिया है। आपकी पार्टी का जितना समय था, वह मैंने आपको दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी: मिड डे मील, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और पंचायतों के जरिये विकास, कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनको पूरी तरह समाप्त करने की जरूरत है क्योंकि उनमें पूरा भ्रष्टाचार फैल रहा है। प्रधान मंत्री ने बजट से पहले कहा था कि बजट में पहला हक मुसलमानों का है। मैं मानता हूं कि प्रधान मंत्री जी यह कहकर मुसलमानों को तो कुछ नहीं दिया, लेकिन इनको एक हथियार दे दिया। शायद यह मकसद हो कि वे कांग्रेस और प्रधान मंत्री को गाली दें कि प्रधान मंत्री जी सब कुछ मुसलमानों को दिये दे रहे हैं और मुसलमान बेवकूफ बन जायें कि हां, यू.पी.ए. हमें बहुत ज्यादा दे रही है और वे कांग्रेस की तरफ घूम जायें। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं था क्योंकि बजट में यह नहीं बताया गया कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या किया गया?...*(व्यवधान)* कुछ भी नहीं दिया गया। सच्चर कमेटी के बाद...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): आजमी जी, जितना पैसा माइनोरिटी अफेयर मिनिस्ट्री ने दिया है, वह सारा खर्चा बी.जे.पी. स्टेट ने किया है।...*(व्यवधान)* गुजरात में पूरा खर्चा किया गया है। मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आप देख लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री खारबेल स्वाई, कृपया उनके भाषण में व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: आप मुझे क्यों सुना रहे हो? सच्चर कमेटी की सिफारिशों को टालने के लिए फातमी कमेटी बनायी गयी। फातमी कमेटी ने सिफारिश की कि 93 जिलों में, जहां मुसलमानों की आबादी 20 परसेंट से ज्यादा है, वहां शिक्षा पर विशेष खर्च किया जाये। लेकिन 93 जिलों की जगह इस साल आपने 19 जिलों में खर्च किया है। इसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि इसमें मेरा जिला भी शामिल है। जो गाइडलाइन वहां गयी है, उसमें सबकी राय है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही पैसा खर्च हो। लेकिन उसमें दस ऐसी चीजें शामिल कर दी गयी हैं जिससे वह सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला जायेगा। मैं कहूंगा कि आप माइनोरिटी अफेयर मिनिस्ट्री को मशविरा दें कि माइनोरिटी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो पैसा जा रहा है, उसे केवल शिक्षा पर खर्च करें। वह सिर्फ मुसलमानों की शिक्षा पर खर्च नहीं होगा बल्कि सबकी शिक्षा पर खर्च होगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करिये।

...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी: मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सारे मुस्लिम मैम्बरान ऑफ पार्लियामेंट ने मिलकर डिमांड की थी कि माइनोरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनायी जाये। मैं स्वागत करता हूं कि आपने हमारी डिमांड मानी। अगर आप मुस्लिम मैम्बरान ऑफ पार्लियामैंट से वोट लेने के लिए कहेंगे तो वह कहेंगे माइनोरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बंद कर दी जाये, तो ठीक है क्योंकि माइनोरिटी अफेयर मिनिस्ट्री वहां सिर्फ अपने लोगों को बैठाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। मौलाना आजाद फाउंडेशन के बारे में, मैंने इसी पार्लियामैंट में कहा कि वेल्फेयर के जितने दायरे हैं, सबसे बेहतर काम मौलाना आजाद फाउंडेशन कर रहा है। मैंने यह सर्टीफिकेट इसी पार्लियामैंट में दिया है। आज मैं कह रहा हूं कि हर जगह मुसलमानों से मुताल्लिक माइनोरिटी मिनिस्ट्री में ऐसे आदमी को बैठा दिया गया है कि सारे सहारे चौपट हो रहे हैं। आज मौलाना आजाद फाउंडेशन जैसा पुरवकार इरादा बर्बाद हो रहा है। मैं उसके लिए क्या कह सकता हूं? मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि नीयत नहीं है। सच्चर कमेटी के बाद उसकी सिफारिशों पर अमल करने के लिए रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनाई गयी। शायद नीयत यह रही हो कि रंगनाथ मिश्रा जी, सच्चर कमेटी ने जो कुछ किया है, उसको पोंछ दें। लेकिन लगता है कि मिश्रा कमेटी ने कोई अच्छी रिपोर्ट दे दी है, इसीलिए सरकार उसे दबाकर बैठी है, पार्लियामेंट में नहीं ला रही हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट अच्छी नहीं होती, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को धाने वाली होती तो अब तक उसे पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया होता। सरकार की नीयत सही है। अगर सरकार अकलियतों की हमदर्द है, अगर आप मल्होत्रा जी को मौका देते हैं हमें गाली देने के लिए, तो रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट को सदन में क्यों प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। आप उसे सदन में लाइए और उस पर अमल कीजिए।

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री इलियास आजमी: महोदय, जिस तरह से श्रीकृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की नीयत नहीं थी, उसी तरह लगता है कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को भी सरकार लागू नहीं करना चाहती है। श्रीकृष्णा कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत तो कर दिया, लेकिन उसे आज तक लागू नहीं होने दिया। महाराष्ट्र में पिछले दस साल से आपकी सरकार है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट संसद के इसी सत्र में प्रस्तुत की जाए और उस पर अमल किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): सभापति महोदय, बड़ी झिझक के साथ, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं क्योंकि मीडिया और अन्य सभी लोगों ने इस बजट को 'चुनावी बजट' कहकर इस पर प्रहार किया है। परन्तु जहां तक मैं समझता हूं कि जो बजट आम आदमी अर्थात मतदाता का सहायक हो तो उसे सरकार या प्रशासन प्रणाली की सफलता ही मानी जाएगी। अतः विपक्ष में होने के बावजूद देश में किसानों और अत्यधिक जरूरतमंदों की सहायता के लिए उठाये गए कदमों का सभी को स्वागत करना चाहिए। परन्तु यह एक पृथक मामला है कि वर्ष 2007-08 के अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपए की नगण्य धनराशि का इस

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री तथागत सत्पथी]

योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है और यह अफवाह है कि जब योजना को वास्तविक रूप में क्रियान्वित किया जाएगा तो इसका 30 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा, 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा और इसका बड़ा भाग अर्थात 40 प्रतिशत बोझ - इसके बारे में संदेह है, माननीय वित्त मंत्री इस विषय में स्पष्टीकरण दे सकते हैं - राज्य सरकारों पर डाल दिया जाएगा और आशा की जाएगी कि राज्य इस व्यय का पूरा कर लेंगे। जैसा कि हम सभी जानते है कि ऐसा नहीं हो सकेगा और दुखद बात यह है कि यद्यपि यह स्वागत योग्य कदम है फिर भी इसे वित्त मंत्री महोदय और संप्रग सरकार द्वारा अपने शासनकाल के पांचवें वर्ष में नहीं बल्कि पहले चार वर्षों में भी उठाए जाने चाहिये थे।

महोदय, जैसा कि हम सभी जानते है कि मैक्यावली कहा करते थे आप जो कुछ गलत करना चाहते हो वह शुरू में कर लो परन्तु सत्ता से बाहर जाते हुए कुछ अच्छे कार्य करो ताकि लोग तुम्हें याद रखें कि आप एक अच्छे व्यक्ति थे। परन्तु दुर्भाग्य से मैक्यावली सदियों पूर्व इस दुनिया में थे परन्तु 21वीं शताब्दी की शुरुआत में आज आम भारतीय युवा इस बारे में बेहद जागरूक हैं। लोग अब भूलते नहीं है और शासन करने वालों की विचारधारा को याद रखते हैं। जब कोई प्रधानमंत्री 'कांग्रेस शासन, राजग शासन' इन शब्दों का प्रयोग करता है तो लोगों के मन में यह स्पष्ट संदेश जाता है कि पुरानी विचारधारा अभी भी इस सरकार पर हावी है। यह 'रिजीम' (शासन) शब्द कहां से आया है। यह रेजीमेंट, (सैन्यदल), रेजीमेंटेशन (अनुशासन), रेजीमेन (शासन प्रणाली) - एक सैन्य या नौकरशाही का शब्द है। यह एक उपनिवेशिक शब्द भी है।

यद्यपि इस बजट, जिसमें किसानों की सहायता की बात की गयी है, को वास्तविक रूप में देखने पर पता चलता है कि इस 60,000 करोड़ रुपये की धनराशि को 4 करोड़ किसानों में बांटना है तो प्रति व्यक्ति के हिस्से में मात्र 15,000 रुपये आता है। जब बैंकों को 18 प्रतिशत राशि कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए कहा जाता है, मेरे राज्य उड़ीसा में इस बारे में सर्वोत्तम कार्य निष्पादन 11 प्रतिशत है। बैंक कृषि क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक नहीं हैं। अतः आपका संस्थागत वित्त इतना कम है कि यह जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं पाता।

परन्तु, जो भी है, समाचारपत्र भी यह कह रहे हैं कि इसमें केवल 22 प्रतिशत किसानों को ही सम्मिलित किया जा सकेगा। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। यदि इसमें 22 प्रतिशत किसान लाभान्वित हो सकेंगे और अगर सरकार ने पिछले चार वर्षों में भी ऐसा किया होता तो अब तक यह आंकड़ा 100 प्रतिशत से अधिक जरूरतमंद किसानों तक पहुंच सकता था। परन्तु पिछले वर्षों के दौरान विदेशी निवेशकों के हित में यह निवेश किया गया, विशिष्ट आर्थिक जोन, अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए निवेश किया गया।

बजट के बारे में दिल्ली में निर्णय नहीं लिया गया। बजट संबंधी निर्णय मुम्बई के 'दलाल स्ट्रीट' और इस देश पर नियंत्रण करने वाले सभी दलालों द्वारा लिया गया है। यह बड़े दुख की बात है कि प्रधानमंत्री ने विशिष्ट रूप से कहा - जो कि एक नकारात्मक बात है और मैं इसका समर्थन नहीं करता कि पिछली सरकार ने यह किया और राजग सरकार ने किसानों के उत्पादों पर समर्थन मूल्य को कम रखकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया। परन्तु अब आप क्या कर रहे है? आप तो वह भूमि ही ले रहे हैं, जिस पर किसान अपनी आजीविका के लिए निर्भर है और उस भूमि को विशिष्ट आर्थिक जोन और बड़ी कम्पनियों को दे रहे हैं। आप किस प्रकार ये दिखाना चाहते हैं कि आप सामूहिक परिवर्तन लाना चाहते हैं?

ऋण माफी वास्तव में लोगों को भ्रम में डालने वाला कदम है। इससे आप छोटे और सीमान्त किसानों की आदत बिगाड़ रहे है कि यदि आप अपना ऋण नहीं चुकाते हैं और जानबूझकर ऋण चुकाने में चूककर्ता बन रहे है तो यदि आज नहीं तो कल, दो वर्षों या पांच वर्षों के पश्चात एक ऐसी सरकार आएगी जिसमें श्री पी. चिदम्बरम जैसा प्रतिभाशाली वित्त मंत्री होगा जो कि आपका ऋण माफ कर देगा।

परंतु इससे किसे लाभ होता है? इससे उन किसानों को लाभ होगा जिनके बैंक के कर्मचारियों, कुछ छोटे राजनेताओं, गांवों में भाड़े के व्यक्तियों जो यह जानते हैं कि उनके घरों और उनकी भूमि को बंधक नहीं रखा जाएगा से अच्छे संबंध हैं। ये व्यतिक्रमी हैं और संभवतः है ना कि ही अधिकांशतः लाभान्वित होंगे। परन्तु वास्तविक किसान कभी ऋण अदा करने में चूक नहीं करता बल्कि आत्महत्या तक कर लेता है। वह यह तक सुनिश्चित करता है कि ऋण समय पर अदा किया जाए क्योंकि उसे अपनी पुत्री के विवाह, अपने पुत्र की शिक्षा, अपने घर और हर बात की चिंता है और उसे इससे लाभ नहीं होने वाला है। अतः, इस प्रकार की दरियादिली निश्चित रूप से स्वागत योग्य है,

वे किसानों की आदत भी बिगाड़ रहे हैं, वे बड़े पैमाने पर लोगों की भी आदत बिगाड़ रहे हैं।

लोग बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह चालाकी है।

अपराह्न 5.00 बजे

चालाकी क्या है? यदि आप 15,000 रुपये का ऋण लेते हैं तो आपका ऋण माफ कर दिया जाता है। यदि एक बड़ा उद्योगपति 30,000 करोड़ रुपये का ऋण लेता है, यदि उसका ऋण माफ कर दिया जाता है तो आपके पास इसकी शिकायत करने का कोई कारण या अधिकार नहीं होता है। अतः आप ऐसी मनःस्थिति बना रहे हैं जहां ऋण माफ किया जाना स्वीकार्य है और निम्न से निम्नतम, इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति द्वारा क्षमा किया जाता है। यदि आप राष्ट्र के भविष्य को ध्यान में रखते हैं तो यह एक खतरनाक कदम है।

ऊर्जा पारेषण और वितरण के मामले में इस बजट भाषण में स्वीकार किया गया था कि इस क्षेत्र में भारी निवेश किए जाने की आवश्यकता है। अब हम इस सरकार के लंबे कार्यकाल की बात कर रहे हैं और क्या वामदल में साहस है और क्या इसमें सं.प्र.ग. सरकार, से समर्थन वापस लेने की हिम्मत है। परंतु हम सब जानते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वास्तविकता जिसका वे दावा करते हैं वह अमरीका के साथ परमाणु समझौता है। सबसे पहले, मुझे यह मालूम नहीं है कि इसे अमरीका के साथ क्यों कहा जाता है क्योंकि यह साधारणतयः परमाणु समझौता है जो कि संभवतः सारे देशों पर लागू है। परंतु विश्व बैंक कर्मचारियों के नेतृत्व वाली इस सरकार ने किसी प्रकार निर्णय लिया है कि इसे अमरीका के साथ परमाणु समझौता कहा जाएगा। आप ऊर्जा पारेषण और वितरण में निवेश नहीं कर रहे हैं, और आप जाकर अन्य देशों के साथ परमाणु समझौता करना चाहते हैं। परंतु, क्या आपने इस बारे में सामान्य अनुसंधान किया है कि आगामी दशक, अगले दस वर्षों में राष्ट्र के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? क्या अगले 10 वर्षों, अगले 20 वर्षों में इस देश के विकास हेतु ऊर्जा की आवश्यकता के बारे में प्रधानमंत्री अथवा विद्युत मंत्री द्वारा संसद में श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया है? जहां तक मुझे मालूम है ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। अतः हम यह जाने बिना फुटबाल खेल रहे हैं कि गोलपोस्ट कहां है।

इसी प्रकार हम इस ऋण माफी के विषय को लेते हैं, क्या हम इससे अवगत हैं कि इस देश में कुल कितनी राशि का सहकारी ऋण है? इस देश में अन्य संस्थागत ऋण की कुल कितनी राशि है? क्या यह सूचना संसद को दी गई है। क्या हमें, जन प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई है? क्या आम आदमी को जानकारी देने हेतु प्रचार माध्यम को दिया गया है? ऐसा कुछ नहीं किया गया है। महोदय, 60,000 करोड़ रुपये हवा में की गई बात है। स्पष्ट है, जैसा कि मुझसे पूर्व कई विद्वान वक्ताओं ने कहा कि वित्तपोषण के स्रोतों का उल्लेख नहीं किया गया है। जब पूरा विश्व ऊर्जा के हरित स्रोतों, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के लिए निवेश कर रहा है तो इस बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। हम ऐसे विश्व में रहते हैं जहां हम भविष्य को देख सकते हैं, वहां कार्बन ईंधन के द्वारा स्रोत समाप्त हो जाएंगे। परंतु विकल्प क्या हैं? क्या हमने इनके लिए निवेश करना शुरू किया है? हमने निवेश करना शुरू नहीं किया है।

मैं अपने राज्य के विशिष्ट मुद्दों पर आना चाहूंगा। मेरे राज्य उड़ीसा पर दिनांक 30-9-2007 की स्थिति के अनुसार एन.एस.एस.एफ. का 1997-24 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है। इस ऋण पर 10.5 प्रतिशत की उच्च दर से ब्याज लगता है। बड़े कार्यक्रम आरंभ करने वाले राज्य के हित में आवश्यक है कि केंद्र सरकार हमें और राज्य सरकार को उड़ीसा सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में विश्व बैंक से ढांचागत समायोजन सहायता के अंतर्गत कम से कम 60 प्रतिशत हिस्से को माफ करने की अनुमति दे। इसका अर्थ है कि हमें इस ऋण का 10.5 प्रतिशत का समग्र पूर्व भुगतान करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि आज खुले बाजार में आप बहुत कम ब्याज पर ऋण ले सकते हैं।

इसी प्रकार, एन.डी.सी., उप-समिति द्वारा अपने ज्ञापन सं. एफ-18/1/2005/एन.एस. 2/खंड-II दिनांक 12 फरवरी, 2007 के सुझाव के अनुसार राज्य को अधिक ऋण उच्च-लागत गैर एन.एस.एस.एफ. ऋणों का भी समय पूर्व भुगतान करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

देखने में यह एक अच्छा बजट है। परंतु जब कभी हम माननीय वित्त मंत्री को अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए सुनें तो वह हमेशा जी.डी.पी. में कुछ आठ प्रतिशत से विकास दर की बात करते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश जब वित्त मंत्री सहित हम सब अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते

[श्री तथागत सत्पथी]

हैं तो हम यह नहीं देख पाते हैं कि यह 'आठ प्रतिशत' विकास दर स्वयं कहां प्रतीत होती है। संभवतः 120 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में केवल आठ प्रतिशत जनसंख्या को ही इस जी.डी.पी. से लाभ हो रहा है और शेष 92 प्रतिशत जनता किसी तरह से गुजारा करने का प्रयास कर रही है।

महोदय, उड़ीसा अपार कोयला भंडार और अधिशेष विद्युत वाला राज्य है, इस राज्य में अन्य राज्यों को ऊर्जा की आपूर्ति करने की क्षमता है और हम अन्य राज्यों को ऊर्जा की आपूर्ति भी कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्यवश, प्रथा यह है कि बिजली शुल्क बिजली प्राप्त करने वाले राज्य द्वारा संग्रहीत किया जाता है ना कि बिजली आपूर्ति करने वाले राज्य द्वारा। हमारा राज्य ऐसा राज्य है जो कोयले जैसे अपने प्राकृतिक संसाधन को गंवा रहा है और पर्यावरणीय प्रदूषण और जल, वायु और पर्यावरण की क्षति जैसी परेशानियों के लिए हमारी निंदा की जाती है और लाभ होता है उन राज्यों को जो हमसे विद्युत की आपूर्ति कराते हैं। महोदय, यदि उड़ीसा में 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है और उसे बाहर के राज्य को दे दिया जाता है तो विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने वाले राज्य को 100 करोड़ रुपये का बिजली शुल्क मिलता है। इस परिस्थिति में आवश्यक है कि स्थिति को बदला जाना चाहिए। केंद्र सरकार को विचार करना होगा कि उड़ीसा से कोयले और संसाधनों का उपयोग करने और उसे राज्य से बाहर आपूर्ति करने वाली इकाई से कम से कम 20 प्रतिशत विद्युत उड़ीसा को निशुल्क दी जाए। यदि वह 20 प्रतिशत विद्युत नहीं दे सकती तो उसे राज्य को विद्युत उत्पादन पर शुल्क वसूलने की अनुमति देनी चाहिए।

केंद्रीय बिक्रीकर चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा चुका है। हम सब जानते हैं कि यह पहले ही घटकर चार से तीन प्रतिशत हो चुका है। कमी की इस शुरुआत से न सिर्फ उड़ीसा पर बल्कि मैं मानता हूं कि सभी राज्यों पर प्रभाव पड़ रहा है।

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मुझे दो मिनट और बोलने की अनुमति दीजिए।

महोदय, राज्य द्वारा उठाए गए इस भारी घाटे के कारण सी.एस.टी. के घाटे की केंद्र सरकार द्वारा नकद के रूप में भरपाई की जानी चाहिए। उड़ीसा सरकार ने वर्ष 2008-09 में 27 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु 1321.39 करोड़ रुपये का बजट बनाया था। केंद्रीय सहायता की सिर्फ उम्मीद ही है, और हमें मालूम नहीं है कि हमारे प्रति कितनी कृपा दिखाई जाएगी क्योंकि इस बजट में उड़ीसा को कुछ नहीं मिला है। 1262.86 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की आशा है। इन 27 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाएं चल रही हैं। शेष 13 परियोजनाओं में से एक परयोजना को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है और शेष 12 परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं। इन 12 परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र स्वीकृति दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय: अब, मैं बोलने के लिए अन्य माननीय सदस्य को पुकारने जा रहा हूं।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मेरे पास केवल एक अंतिम मुद्दा है।

यद्यपि कोयला, लौह अयस्क, बाक्साइट और क्रोम का खनन राजस्व में 98 प्रतिशत अंशदान आ रहा है, लौह अयस्क पर रायल्टी टन भार आधार पर लगाई जा रही है और क्रोम अयस्क को भारतीय खान ब्यूरो द्वारा हास्यास्पद तरीके से अत्यंत निम्न दर पर निर्धारित किया जा रहा है। यह मांग केवल उड़ीसा की जनता की नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी राज्यों की भी है।

हमारी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भी लिखा है, कि राज्य के लिए रायल्टी बाजार अथवा यथामूल्य को ध्यान में रखकर निर्धारित की जानी चाहिए।

यह हमारे लिए शर्म की बात है कि हम आज 21वीं सदी में भी अपने प्राकृतिक संसाधनों का खनन करके समुचित मूल्य लिए बिना बेच देते हैं। हम गरीबी की बात करते हैं, हम पिछड़ेपन की बात करते हैं; हम लोगों का विकास करने के प्रयास की बात करते हैं; परंतु हम उन्हीं लोगों को अपने भंडार बनाने में और अपने उन संसाधनों को तैयार करने में संपर्क नहीं बनाते हैं जिससे वे अपने आप को बना सकें।

उड़ीसा एक आदर्श राज्य है और राष्ट्र को इस राज्य से बहुत कुछ सीखना है। यदि उड़ीसा को शक्ति दी जाती और केवल वित्तीय रूप से नहीं बल्कि अन्य हर तरह से

सहायता की जाती है तो यह हर प्रकार से एक आदर्श राज्य होगा, आर्थिक रूप से यह अर्थक्षम बन सकता है जो अन्य पड़ोसी राज्यों के लिए भी प्रबंध कर सकता है। परंतु दुर्भाग्यवश, संप्रग सरकार ने इस पर पर्याप्त विचार नहीं किया है और सौतेला पिता जैसा व्यवहार किया है मैं सौतेली मां शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं क्योंकि माताओं के साथ ही सौतेले व्यवहार शब्द का प्रयोग क्यों किया जाए ...*(व्यवधान)* - संप्रग सरकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार की कड़ी निंदा की जाती है।

मुझे आशा है कि अगले चुनावों के पश्चात ऐसी सरकार अस्तित्व में आएगी जो यह भी निर्णय लेगी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी संस्था और उच्च शिक्षा जैसी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाये। हमारी बड़ी समस्या है कि चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के इच्छुक नहीं होते हैं। इस बात की आवश्यकता है कि केंद्र सरकार अपने स्तर पर मेडिकल कालेजों का वित्तपोषण करे।

अपराह्न 5.12 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए]*

महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि निजी मेडिकल कालेज छात्रों से काफी धन लेते हैं जिसे सामान्य मध्यम वर्गीय छात्र नहीं दे सकते हैं, इसलिए केंद्र सरकार को मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए उड़ीसा जैसे राज्यों की सहायता करने की आवश्यकता है जहां आप डाक्टरों को तैयार कर सकें। संभव है कि पूरे पांच वर्षों के लिए नहीं, आप पाठ्यक्रम को संक्षिप्त कर सकते हैं और डाक्टर तैयार कर सकते हैं जो गरीबों के लिए चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के इच्छुक होंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि आई.आई.टी., आई.आई.एम., एम्स जैसे उच्च शिक्षण संस्थान और मेडिकल कालेज उड़ीसा में स्थापित किए जायें। मेरी मांग है कि इन्हें शहरी क्षेत्रों में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। इस सरकार की मनस्थिति को बदला जाना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों, उड़ीसा के गांवों पर विचार करना चाहिए जहां हमें इन संस्थानों को स्थापित करना चाहिए ताकि इन क्षेत्रों में अवसंरचना का निर्माण हो सके।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैं बस एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री को किसानों के लिए इस 60,000 करोड़ रुपये की ऋण माफी के बारे में सुझाव दूंगा। इस 60,000 करोड़ रुपये की ऋण माफी के बारे में भारत के आम आदमी की इच्छा है कि यदि गत पांच वर्षों में किसानों को सिंचाई परियोजनाओं, संचार, फसल बीमा और बिजली हेतु कृषि अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने के लिए इतनी धनराशि दी गई होती तो इन पांच वर्षों में आप भारत के हर एक छोटे और सीमांत किसान को आत्म-निर्भर बना देते, आपके सारे ऋणों को चुकाने के लिए उसकी स्थिति सुदृढ़ हो जाती; और आपको इस प्रकार का अशुभ, अंधविश्वासपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती जिस पर इस सभा में आपके सहयोगी दलों सहित सभी व्यक्तियों को संदेह है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, हम सब लंबे समय से कृषि क्षेत्र में गंभीर संकट पर चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए द्विपक्षीय समाधान की आवश्यकता है। एक, पिछले संकट के बारे में है जो किसानों द्वारा लंबे समय से लिया गया ऋण विरासत में मिला है। और कृषि को भविष्य के लिए लाभकारी बनाकर इसकी समस्या से कैसे निपटा जाए।

ऋण माफी समस्या के पहले भाग का समाधान कर रही है। आज की समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा? मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री ने 60000 करोड़ रुपये तक के ऋण को माफ करने की हमारी मांग को आंशिक रूप से मान लिया है।

महोदय, ऋण माफ करने के पीछे क्या तर्क है? इसका कारण यह है कि किसान ऋण को चुका नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी आय नहीं है और इसलिए, इन ऋणों को बट्टे खाते डालने की आवश्यकता है। यदि यह तर्क है तो इस तर्क को इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सारे ऋणों पर लागू किया जाना चाहिए। क्या हम यह कह सकते हैं कि किसान साहूकारों के ऋण का भुगतान कर सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है वे ऋण का भुगतान कर सकते हैं? यदि वे ऋण का भुगतान नहीं कर सकते और यदि कतिपय श्रेणियों के ऋण को माफ करने के लिए इसी तर्क को लागू किया जाता है - यदि तर्क विधिमान्य है तो इसे सभी प्रकार के ऋणों पर लागू किया जाना चाहिए। इसलिए, हम यह मांग कर रहे हैं। हमने एक गांव के बाद दूसरे गांव का दौरा किया है और हम एक किसान के बाद दूसरे किसान के

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

घर गए हैं इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि किसान ऋण चुकाने में असमर्थ होंगे और इसीलिए उनके ऋणों को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए। परंतु दुर्भाग्यवश भारत की जनता और भारत के किसानों की वास्तविक अपेक्षाओं को नजरन्दाज करते हुए इसको कतिपय श्रेणियों के ऋणों पर आंशिक रूप से लागू किया गया है।

यह अति महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इस समय जो सुखाभास हो रहा है उसमें किसान यह सोच रहे हैं कि सारे ऋण बट्टे खाते डाल दिए गए हैं क्योंकि रैलियों, समारोहों का दौर जारी है और लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। अब किसान वास्तव में उत्सव जैसा माहौल महसूस कर रहे हैं। दिवाली वर्ष में एक बार मनाई जाती है, क्रिसमस वर्ष में एक बार मनाया जाता है; ईद वर्ष में दो बार मनाई जाती है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आयोजित हो रहे समारोहों के कारण इस समय सारे धार्मिक उत्सव मनाए जा रहे हैं।

भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 52 प्रतिशत किसानों को बैंक ऋण नहीं मिलता है और इसलिए उन्हें बैंकों के अलावा अन्य संस्थाओं - जैसे साहूकारों और अन्य स्त्रोंतों आदि के पास जाना पड़ता है। इसीलिए, वास्तव में, सरकार ने वित्तीय प्रबंधन के लिए कार्यक्रम चलाया है। उन्होंने महसूस किया कि यह नहीं हो रहा है। यदि आपने यह स्वीकार कर लिया है, तो आपको यह निश्चित करना चाहिए कि 52 प्रतिशत किसानों से शुरू करके और इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी किसानों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए।

जब माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि 60,000 करोड़ रु. के ऋण माफ किए जाएंगे तो हम प्रसन्न थे और साथ ही हमें यह आश्चर्य भी था कि इतने धन का प्रबंध कैसे किया जाएगा। मैंने बजट के आंकड़ों की जांच करनी शुरू की, परंतु ऋण की इस राशि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं जानता हूं कि सभा के बाहर कहते रहे हैं कि वे सभा में घोषणा करेंगे। मेरा विचार है कि यह जानने का पहला अधिकार सभा का है कि 60,000 करोड़ रुपये कैसे माफ किए जाएंगे क्योंकि माननीय वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय घोषणा की थी कि इस धनराशि को बैंकों के खातों में 30 जून, 2008 से पूर्व बट्टे खाते डाल दिया जाएगा। अतः यह कार्य तीन महीनों और बजट प्रस्तुति के इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है। स्पष्ट है कि धन का प्रावधान इस वर्ष के बजट में करना होगा। इसलिए यह देखना है कि इसका प्रावधान कैसे किया जाएगा।

बैंकों की स्थिति में नरसिंहम समिति एक औररिसिंहम समिति दो की सिफारिशों, पूंजी पर्याप्तता, आय मान्यता प्रावधान संबंधी मानक के परिणामस्वरूप सुधार हो रहा है। अब यदि हम बैंकों पर अपनी राजनीतिक इच्छा को पूरा करने हेतु भार डालेंगे तो यह वास्तव में बैंकिंग प्रणाली के लिए भारी घाटा होगा। इसलिए, हमें बैंकों की समुचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। 60000 करोड़ रुपये की इस धनराशि का इस प्रकार प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे यह संख्या बजट में दिखाई दे। यह प्रावधान कैसा किया जाएगा इसका भी हमारे जानकारी के लिए बजट में उल्लेख किया जाना चाहिए।

मैं कह रहा था कि कृषि के संबंध में दो भाग हैं। पहला भाग इतिहास के कारण ऋण माफ करना है। अब मैं भविष्य पर आता हूं। इस वर्ष कृषि में 2.6 प्रतिशत विकास हुआ है जबकि हम इस पंचवर्षीय योजना में चार प्रतिशत से अधिक की उम्मीद कर रहे थे। जी.डी.पी. में कृषि की हिस्सेदारी 1982-83 में 36.4 प्रतिशत थी जो अब गिर कर 18.5 रह गई है। 25 वर्षों में कृषि की हिस्सेदारी कम हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि 52 प्रतिशत उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराता है। इसलिए, यदि हम मात्र 52 प्रतिशत ही मान लेते हैं तो जी.डी.पी. में इसकी हिस्सेदारी मात्र 18.5 प्रतिशत है जबकि आधी से अधिक जनसंख्या इस पर निर्भर है। इसलिए कृषि के प्रति अलग दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। यदि हम कृषि को लाभप्रद उद्योग नहीं बनाएंगे तो शायद और अधिक किसान आत्महत्याएं करेंगे जैसा कि अभी हो रहा है।

यदि हम कृषि को लाभप्रद उद्योग नहीं बनाएंगे तो जैसे हम पंचवर्षीय योजना बनाते हैं वैसे ही हमें हरेक तीसरे या चौथे वर्ष ऋण माफी योजना लागू करनी होगी। दुर्भाग्यवश इस बजट में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे यह प्रतीत हो कि कृषि को वास्तव में लाभकारी बनाने हेतु उपाय किए गए हैं। अतः जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसानों को इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा।

सिंचाई कृषि का एक महत्वपूर्ण आदान है। इसके लिए

थोड़े परिव्यय की व्यवस्था की गई है। भारत की प्रति व्यक्ति भंडारण इकाई 200 घन मीटर है जबकि अमेरिका - जहां बर्फ और बारिश लगभग वर्ष भर होती है जिसके कारण जल वर्ष भर उपलब्ध होता है - वहां यह 5000 घन मीटर है। भारत में यदि मानसून अच्छा हुआ तो 15 दिन ही वर्षा होती है। इसलिए हमें अधिक दिनों तक जल का भंडारण करना होगा। परन्तु प्रति व्यक्ति भंडारण मात्रा 200 घन मीटर है। इसलिए सिंचाई क्षमता में व्यापक विस्तार करना होगा। सिंचाई क्षमता में व्यापक विस्तार के साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्तमान कतिपय मूलभूत सुविधाओं की सिंचाई क्षमता में भी अवश्य सुधार हो जो इस समय 15 से 20 प्रतिशत की क्षमता से काम कर रही हैं। इस बजट में वर्तमान मूलभूत सुविधाओं की सिंचाई दक्षता में सुधार हेतु कोई उपाय नजर नहीं आते हैं। यदि आप किसानों के ऋण माफ कर रहे है तो आपको उन किसानों को भी कुछ मुआवजा अवश्य ही देना चाहिए जिन्हें ऋण माफी योजना पहले नहीं आने के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। हमें आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाओं को अवश्य ही मुआवजा देना चाहिए क्योंकि यदि इस योजना को पहले लागू किया जाता तो उन्हें आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। हमारा और संसद का दायित्व है कि उन विधवाओं को भी उचित मुआवजा दिया जाए।

आपने मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की बात की है। भारत में मृदा पूर्णतः अनुपजाऊ हो रही है जो एक गंभीर समस्या है। पंजाब जो भारत का अन्न मंडार है वहां मृदा की उर्वरता इतनी कम है कि लोगों को यह चिंता है कि एक दिन पंजाब रेगिस्तान बन जाएगा, इसलिए हमें भारत की मृदा सुरक्षा हेतु एक अभियान चलाना चाहिए ताकि मृदा की उर्वरता बनी रहे। मृदा की ऊपरी पर्त जिसमें उर्वरता होती है के बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। यदि यह विनाश हो गया तो यह सदैव के लिए विनष्ट हो जाएगी और हम इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें देश के लिए मृदा सुरक्षा मिशन शीघ्र लागू करना चाहिए।

हमारे प्रधान मंत्री ने चार वर्ष पूर्व जब पद ग्रहण किया था तो उन्होंने एक बड़ी समस्या की पहचान की थी वह यह कि हमारी व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि वांछित लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। मेरे कुछ साथी इस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि श्री राजीव गांधी के समय दी गई सहायता में से लाभार्थियों तक कितनी सहायता पहुंचती है। इसलिए मैं कहा रहा हूं कि लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने के तंत्र में सुधार करना होगा क्योंकि अब हम विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की सफलता का आकलन इस बात से करते हैं कि उन कार्यक्रमों हेतु कितना धन दिया गया है। मैं कह रहा हूं कि गत वर्ष की तुलना में 20 या 25 प्रतिशत अधिक दिया गया है और इस कार्यक्रम की सफलता का यही कारण है। हमें कार्यक्रम की सफलता का निर्धारण इस बात से करना है कि उस कार्यक्रम से कितनी स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन हुआ और इससे कार्यक्रम के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति हुई अथवा नहीं? कार्यक्रम की सफलता मापने का यही आधार होना चाहिए। इस बजट में परिदान तंत्र में सुधार के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। हमने इस बारे में चर्चा की और अब इसे भूलना चाहते हैं। यदि हम इस बारे में कुछ नहीं करते हैं तो यह एक गंभीर चुनौती बन जाएगी।

कृपया मुझे एक उदाहरण देने दें। संसद में जब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.पी.) विधेयक पर चर्चा की गई थी तो सर्वसम्मत्ति से इसे समर्थन दिया गया था। मैं भी उस विधेयक पर बोल रहा था। मैंने कहा था कि इसमें ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे कि हम इस कार्यक्रम की सफलता इस बात से निर्धारित कर सकते हैं कि क्या इस पर की गयी व्यय राशि से वांछित लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं? हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और अब भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षिक ने भी बताया कि योजना के लक्ष्य बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसके बाद भी हम इस योजना को देश भर में लागू कर रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। परन्तु इस पर व्यय राशि का सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

जहां तक परिदान-तंत्र का संबंध है वित्त मंत्री ने पिछले बजट भाषण में उर्वरक राजसहायता को समाप्त कर किसी वैकल्पिक प्रणाली का पता लगाने की बात की थी। यह एक अच्छा विचार है। परन्तु आज हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इस बारे में बताऊंगा कि अब उर्वरक राजसहायता में कितनी वृद्धि की जाएगी।

हमारे देश की मुख्य समस्या ऊर्जा है। हम सब इस बात से चिंतित हैं कि हम 70 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा का आयात कर रहे हैं तथा कुछ वर्षों में हम 80-90 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा का आयात करेंगे। इसलिए अन्य स्त्रोतों से ऊर्जा का प्राप्त करना हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। हमें अधिक से अधिक पुनः प्रयोज्य ऊर्जा की आवश्यकता है परन्तु इस बजट में सरकार ने जीवाश्म ईंधन के स्थान पर

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों पर अधिक ध्यान देने हेतु कोई उपाय नहीं किए हैं।

विद्युत महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं में से एक है। ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में भी अवसंरचना में निवेश को बढ़ा कर जी.डी.पी. के 9 प्रतिशत तक करने की बात कही है।

यह दूसरी पंचवर्षीय योजना है। विद्युत क्षेत्र में अधिकतम कमी का स्तर 14.8 प्रतिशत है तथा आधार स्तर की 8.4 प्रतिशत है और मात्र मेगा विद्युत परियोजनाओं की बात कर यह नहीं बताया कि आप विद्युत क्षेत्र को वाणिज्यिक रूप से किस प्रकार व्यवहार्य बनाएंगे। सच्चाई यह है कि पारेषण और वितरण क्षेत्र जो इसका मूल कारण है उप-पारेषण और वितरण के अंतिम छोर पर हम 50 प्रतिशत से अधिक की हानि उठा रहे हैं। आपने कोई भी उपाय नहीं किए हैं। हमारे पास ए.पी.डी.आर.पी. है। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इसके पुनर्गठन की सोच रही है। उस पर काम करने के बजाए हम इस वर्ष एक नई राष्ट्रीय निधि के सृजन की बात कर रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): यह उसके 'बजाए' न होकर इसके 'अतिरिक्त' है। कृपया इसे फिर से पढ़ें।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: हमें पता नहीं पुनर्गठन करने की बात का क्या हुआ। मेरा कहना यह है कि विद्युत की समस्या आज भी एक बड़ी चुनौती है।

श्री पी. चिदम्बरम: जब आप विद्युत मंत्री थे तब भी यह एक चुनौती थी।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: मैं केवल अपनी चिंता व्यक्त कर रहा हूं।

महोदय, हम शिक्षा को सार्वभौमिक अधिकार बनाने की बात कर रहे हैं। हमने संविधान में अठासीवां संशोधन कर छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया था। हमने अभी भी इस तरह का कानून पारित नहीं किया है। यदि सरकार को इसकी चिंता होती तो ऐसा कानून बनाना चाहिए था क्योंकि संसद ने यह संविधान संशोधन किया था। हमने इस संविधान-संशोधन का अभी भी विधायी उपबंध नहीं किया है। इसलिए हमें शिक्षा में इस प्रकार निवेश करना चाहिए जिससे कि शिक्षित व्यक्ति भावी चुनौतियों का सामना कर सके।

हम देख रहे हैं कि अनेक राज्यों में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जब शिक्षक ही किसी विषय को नहीं समझेंगे तो वे कैसे पढ़ाएंगे? इसलिए शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर एक बड़ी चुनौती है। मेरे विचार से हमें वास्तव में प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देना है। उन्होंने अब प्राथमिक शिक्षा से थोड़ी उच्च शिक्षा पर ध्यान देने का निर्णय लिया है। मेरे विचार से सर्व शिक्षा अभियान के तहत आगामी कुछ वर्षों तक प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मुझे आशा है ऐसा होता रहेगा।

महोदय, दूसार मुद्दा आय में असमानता का है।

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया पैरा 19 पूरा पढ़ें। हम इसको छोड़ नहीं रहे हैं। अवसंरचना स्थापित किए जाने के बाद अब हम छात्रों की रुचि बनाए रखने, शिक्षा के स्तर में सुधार और तत्पश्चात उच्च प्राथमिक-शिक्षा तक पहुंच को प्राथमिकता दे रहे हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: यह स्वागत योग्य कदम है। ऐसा करते हुए आप यह अवश्य ही सुनिश्चित करें कि आधार सुदृढ़ हो और इसलिए इस पर सतत रूप से जोर दिया जाता रहना चाहिए।

महोदय, असमानता एक बड़ा मुद्दा है। जैसा कि गृह मंत्री ने पिछले दिनों संसद को पेश अपनी रिपोर्ट में बताया था कि देश के 600 जिलों में से 160 जिले नक्सलवाद से ग्रस्त हैं। मैं सोच रहा था कि यह कितनी बड़ी चुनौती है एक-चौथाई से अधिक जिले इससे प्रभावित हैं। इन जिलों में नक्सलवाद से निबटने हेतु बजटीय प्रावधान किया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सामाजिक-आर्थिक विकास से इसका मुकाबला किया जाए। इसके लिए बजटीय उपबंध किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस बारे में मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। असमानता अब स्पष्ट होती जा रही है। एशिया में सबसे ज्यादा खरबपति भारत में हैं। हमें इस बात का गर्व है। परन्तु, विश्व में सर्वाधिक निर्धन भी भारत में हैं। यह असमानता हमारे यहां है। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि इसका समाधान किया जाए और इसके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। इससे और महत्वपूर्ण रोजगार है। मैं विचार कर रहा था कि सभी आगामी बजटों का मुख्य उद्देश्य निश्चय ही रोजगार सृजन होना चाहिए। एन.आर.ई.जी.एस. के तहत 100 दिनों का रोजगार सृजन किया जाना क्या पर्याप्त है? मेरे विचार से यह नहीं। हमें और अधिक रोजगारपरक कार्यक्रम बनाने चाहिए और हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए भी।

महोदय, राजकोषीय स्थिति के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि एफ.आर.बी.एम. के तहत उन्हें लक्ष्यों को पूरा करना है। एक लक्ष्य चालू खाता घाटे को 1.4 प्रतिशत से 1.0 प्रतिशत तथा राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करना है। एफ.आर.बी.एम. कानून को अधिसूचित करने से आपने इसे लागू करने की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी है। इस वर्ष आप फिर कह रहे हैं कि एफ.आर.बी.एम. के तहत राजस्व घाटा को पूर्णतः कम करने हेतु आप को एक वर्ष और चाहिए। यह एक अत्यंत ही खराब उदाहरण है क्योंकि यदि आप ऐसा कहेंगे तो भविष्य के सभी वित्त मंत्री यही कहेंगे कि उन्हें एफ.आर.बी.एम. का पालन करना है परन्तु ऐसा एक-दो वर्ष बाद करेंगे। मेरा अनुरोध है कि इसका पालन किया जाए। यदि आपको इसका पालन करना है तो इसका पूर्णतः पालन करना चाहिए। बहुत सी अदृश्य देयताएं हैं जो राजकोषीय घाटे में परिलक्षित नहीं होती हैं। आयल पूल अकाउंट घाटा जी.डी.पी. का 1.2 प्रतिशत तक हो सकता है।

जैसा कि वित्त सचिव द्वारा साक्षात्कार में बताया गया था कि वेतन आयोग की देयता जी.डी.पी. का 0.6 प्रतिशत तक हो सकता है। रेल मंत्री ने रेल बजट में इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, यदि ऐसा प्रावधान करने की आवश्यकता ही नहीं है तो रेल बजट में ऐसा प्रावधान क्यों किया गया है? और यदि रेल बजट में प्रावधान किया गया है तो सामान्य बजट में क्यों नहीं? यह भी जी.डी.पी. का 0-6 प्रतिशत तक की अदृश्य देयता हो सकती है।

पहले मैं न केवल विद्युत मंत्री था परन्तु उर्वरक मंत्री भी था। मैं उर्वरक उद्योग के प्रतिनिधियों से बात कर रहा था जिन्होंने मुझे बताया कि 2008-09 के अंत तक प्रत्याशित राजसहायता 50,000 करोड़ रुपये तक होगी, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए उर्वरक उद्योग में कच्चे माल की कीमत भी बढ़ जाएगी। पिछले वर्ष खाद्य राज सहायता पर 31,545 करोड़ रुपये दिए किए गए थे। इस वर्ष हम 32,666 करोड़ रुपया दे रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य बढ़ाने जा रही है? मेरे विचार से ऐसा नहीं हैं। क्योंकि सरकार चुनाव की तैयारी कर रही है। इसलिए सरकार को अधिक प्रावधान करना था क्योंकि विश्व में खाद्यान्नों की कीमत बढ़ रही है। 60,000 करोड़ रुपये की ऋण माफी योजना से भी राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ जाएगा। इसी के साथ ही मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने लोक ऋण और जी.डी.पी. अनुपात में कमी की है जो कम होता जा रहा है। यह अच्छी बात है। परन्तु इन देयताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इस वर्ष का राजस्व 6,02,935 करोड़ रुपये, ब्याज 1,90,807 करोड़ रुपये और ऋण देयता 3,35,230 करोड़ रुपये है जो कुल मिलाकर 5,26,038 करोड़ रुपये है जबकि राजस्व 6,02,935 करोड़ रुपया है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। हमें यह पता करना है हम इसका समाधान कैसे करते हैं। अब आपको एकमुश्त राशि मिल रही है। यह बार-बार मिलने वाली नहीं है। उदाहरण के लिए आप स्पेक्ट्रम की नीलामी करते हैं। इसके बदले आपको धन प्राप्त होता है। यह आपकी राजस्व प्राप्ति नहीं है। यह प्राप्ति ऋण को चुकाने के लिए काम आएगी और आपके राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए इसे नहीं दर्शाया जाना चाहिए। ऐसी प्राप्तियों को अलग से दिखाया जाना चाहिए।

पिछले सप्ताह मुद्रास्फीति 5.04 प्रतिशत पहुंच गई थी। यह बहुत ही चिंता की बात है। मैंने उल्लेख किया कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से किस प्रकार राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। इसके कारण ब्याज दर और जिंसों की कीमतों में वृद्धि होगी। विश्व भर में इनकी कीमतों में वृद्धि हो रही है। आपने अपने बजट भाषण में भी उल्लेख किया है। शायद हम रुपये के मूल्य में लगातार वृद्धि होने नहीं दे सकते हैं। इन सबका परिणाम मुद्रास्फीति पर पड़ेगा जिससे आम आदमी प्रभावित होगा। इसलिए हमें ठोस उपाय करने होंगे।

बाह्य खातों के बारे में हम बहुत समय से बात कर रहे हैं। आपने पहली बार यह दर्शाया है कि इन भंडारों को रखने की लागत 8,200 करोड़ रुपये है। इस प्रकार हम इस विदेशी मुद्रा भंडार को रखने में 8,200 करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे बताएं इस राशि की गणना कैसे की गई है। देश में पूंजी प्रवाह अत्यधिक था जिसे आप पूर्व में देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास मानते थे। जैसा कि आपने कुछ समय पहले बताया था इससे चिंता हो रही है। हमें पता लगाना है इसका दुष्परिणाम क्या है तथा हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार जो अब 300 बिलियन से अधिक है का कैसा उपयोग करना है। हमें इसके लिए सही नीति अपनानी होगी।

इस बजट में, वित्त मंत्री ने उन सब व्यक्तियों के बारे बात की जिनके बारे में वे संभवतः सोच सकते थे, स्पष्टतः

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे सब मतदाता हैं। लेकिन एक वर्ग के बारे में उन्होंने बात नहीं की और वह वर्ग खाड़ी देशों में और अन्य स्थानों पर काम करने वाले कामगारों का है। उन्होंने इस वर्ष 28 से 36 बिलियन डालर भेजे जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 से 3 प्रतिशत है। लोगों के इस वर्ग को कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए क्योंकि वे अतिरिक्त समय तक कार्य करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करते हैं और फिर भी देश में पैसा भेजते हैं जिसे वे संस्थागत विदेशी निवेशकों की भांति कभी वापस नहीं ले जाते। इसलिए उनके साथ अलग व्यवहार होना चाहिए।

समाज के अनेक वर्गों को अनेक लाभ पहुंचाने में इस वृद्धि से वित्त मंत्री को काफी सहायता मिली है। यदि यह वृद्धि जारी रहती है तो संभवतः हम बेहतर भविष्य की आशा कर सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान में चिंता का विषय है, जैसा कि उन्होंने भी कहा है कि यह मंदी हो रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी मंदी आ रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी उस गति से तेजी नहीं आ रही है जिस प्रकार अतीत में हुआ है। जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण इंगित करता है, गत पांच वर्षों के दौरान वृद्धि वस्तुतः निवेश के कारण हुई है। इसलिए, बचत में वृद्धि होनी चाहिए। बचत में 26 से 34 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि घरेलू बचत में केवल एक प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। अतः, सम्भवतः हमें घरेलू बचत को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसका कारण है कि वे सतत, दीर्घावधि बचत करने वाले हैं। इससे निवेश अधिक होगा जिसके परिणामस्वरूप वृद्धि अधिक होगी। जैसा कि आपने कहा है, पिछली बारह तिमाहियों में आपने आठ प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त की है।

क्या आप समझते हैं कि अगली बारह तिमाहियों में भी हम यह वृद्धि दर प्राप्त कर पाएंगे। यदि नहीं तो सचमुच, हमें इसके लिए प्रबंध करने की आवश्यकता है।

श्री पी. चिदम्बरम: यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार में कौन है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: हम सरकार में होंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम: राजग सरकार में ऐसा कदापि नहीं हुआ। कृपया आंकड़ों को देखिए। राजग सरकार के शासन में 8 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त हुई थी। हमने 13 तिमाहियों में 8 प्रतिशत से अधिक वृद्धि प्राप्त किया है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: लेकिन, महोदय, राजग सरकार ने नींव रखी जिसके कारण संप्रग सरकार यह वृद्धि प्राप्त कर सकी।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं सहमत हूं, महोदय। राजग सरकार ने 5.9 प्रतिशत से नींव रखी और अब हम 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रहे हैं। राजग तो सिकन्दर महान, अशोक महान और अकबर महान की भांति है जिसने नींव रखी।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: मुझे अत्यंत खुशी है कि वित्त मंत्री उस नींव का श्रेय ले रहे हैं जो हमने रखी थी। अतः, हम उम्मीद करते हैं कि वे भी कोई अच्छी नींव रखेंगे जिसका वे श्रेय ले सकते हैं।...*(व्यवधान)* मैं यही कह रहा हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, वैज्ञानिक समझ के लिए अधिक छात्रवृत्तियां देने का निर्णय करने के लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। हमें देश में वैज्ञानिक सोच की आवश्यकता है। मैं वित्त मंत्री से उम्मीद कर रहा था कि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास के लिए प्रावधान करें। मैं जानता हूं कि हमारे पास कुछ है लेकिन यदि हम भविष्य में उसका लाभ उठाना चाहें तो हमें वस्तुतः यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सकल घरेलू उत्पाद का चार से पांच प्रतिशत अनुसंधान और विकास में लगाया जाए। यह ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है; यह नवीन प्रौद्योगिकियों से संचालित अर्थव्यवस्था है। आप इसमें निवेश किए बिना कैसे रह सकते हैं?

पर्यावरण के बारे में कुछ बातें हैं। मैं भी पर्यावरण मंत्री था। बाघो के संरक्षण के लिए धन का प्रावधान करने के लिए मैं वित्त मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं। वस्तुतः मेरा दल भी आपका धन्यवाद करता है क्योंकि यह मेरे दल का चिन्ह था। मुझे खुशी है कि आपने हमारे दल के चिन्ह के लिए कुछ दिया है। लेकिन सचमुच आपने बाघो के संरक्षण का निर्णय लिया है। मुझे खुशी है कि आप भी बाघो का संरक्षण करेंगे। लेकिन, महोदय, हमें वनों में और निवेश की आवश्यकता है। हम एक-तिहाई क्षेत्र वनाच्छादित क्षेत्र के रूप में चाहते हैं। वन आयोग की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। वनाच्छादित क्षेत्र बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। बिना वनों के क्या आप बाघो का संरक्षण कर सकते हैं?

बाघ वन में ही रहते हैं। यदि आप बाघों को संरक्षित करना चाहते हैं तो वनों में वृद्धि कर दीजिए, बाघ अपने आप आ जाएंगे। वनों के संरक्षण के लिए मुझे इस बजट में कोई प्रावधान नजर नहीं आ रहा...*(व्यवधान)*

जलवायु परिवर्तन एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वस्तुतः, वित्त मंत्री ने पिछली बार जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की थी और इस बार भी की है। लेकिन वित्त मंत्री पर्यावरण मंत्री नहीं हैं। वे वित्त मंत्री हैं। यदि वे इस बजट में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने के लिए प्रावधान करते तो मुझे खुशी होती। मैं अनुपूरक बजट में उनसे पर्याप्त प्रावधान करने का आग्रह करता हूं क्योंकि जलवायु परिवर्तन में अनुकूलन मुख्य चुनौती होगी और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए विशाल निधि की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं उनसे ऐसा करने का आग्रह करता हूं।

जैसे हम लिंग आधारित बजट योजना, योजना बना रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्री अब अपने सहकर्मी, पर्यावरण मंत्री को पर्यावरण आधारित बजट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसलिए, हमें यह पता करने के लिए कि जो कार्यक्रम हम चलाते हैं वे वाकई पर्यावरण हितैषी हैं, हमें पर्यावरण आधारित बजट योजना की आवश्यकता है जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारे पर्यावरण को क्षति न पहुंचे।

वित्त मंत्री ने **आर्थिक सर्वेक्षण** के बारे में बात की है और हमें निजी परिवहन के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन देना चाहिए। बजटीय प्रावधान क्या है? उन्होंने सार्वजनिक परिवहन के लिए कुछ नहीं किया है बल्कि निजी परिवहन तथा कारों पर शुल्क में कमी कर दी है। आप सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहते हैं और मौद्रिक लाभ निजी परिवहन को हो रहा है। यह द्वि-भाजन है और मैं उम्मीद करता हूं कि वे इस पर कार्य कर पाएंगे। नई कर संहिता के बारे में...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: बसों और चेसिस पर भी उत्पाद शुल्क में कमी की गई है। मैं मानता हूं, कारों पर उत्पाद शुल्क कम किया गया है। लेकिन बसों पर और बसों की चेसिस पर भी उत्पाद शुल्क कम किया गया है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: सार्वजनिक परिवहन एक अति व्यापक शब्द है।

एक सनदी लेखाकार होने के कारण मैं नई कर संहिता का इंतजार कर रहा हूं। संभवतः नई कर संहिता आ गई होगी। पिछले बजट में आपने वादा किया था कि यह 2008 में आ जाएगी। मुझे यकीन है, अभी नौ माह बचे हैं। मुझे उम्मीद है कि संसद को नई कर संहिता देखने का अवसर मिलेगा क्योंकि इसमें, जैसा कि आपने कहा है, सरकार के प्राप्ति-बजट के अनुसार इस वर्ष राजस्व 38,107 करोड़ होगा और कहीं आपने यह उल्लेख किया है कि नई कर संहिता में इसका ध्यान रखा जाएगा। यदि ऐसा है तो मेरी कामना है कि यह जल्दी आए।

बजट भाषण में आपने यह भी कहा है कि हम जननांकिय लाभांश की संकल्पना का गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं।

इसका अर्थ हुआ कि हमारे पास कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है और ज्यादा कार्यशील जनसंख्या का अर्थ यह हुआ कि हम उस वक्त भी कार्य करेंगे जब बाकी विश्व नहीं कर रहा होगा और इसलिए हमें फायदा होगा। इसका अर्थ है कि ज्यादा जनसंख्या लाभदायक है। मैं वास्तव में ही इस बात से चिंतित हूं कि हमें सचमुच अपनी जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है आपके गृह-राज्य ने इसे अत्यंत प्रभावी ढंग से किया है; निस्सन्देह इस प्रक्रिया वह संसद में अपनी स्थान गवा बैठा। लेकिन हमें और जनसंख्या नियंत्रण उपायों की आवश्यकता है; इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है।

महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण हमारे सामने 28, फरवरी को प्रस्तुत किया गया और वित्त मंत्री ने 29 फरवरी को एक दिन पश्चात बजट प्रस्तुत किया। हम सोच रहे हैं कि जब उन्होंने दो दस्तावेज लगातार प्रस्तुत किए हैं तो जो कुछ 'आर्थिक सर्वेक्षण' में कहा गया है, उसका प्रभाव बजट पर भी होगा।

मैं केवल कुछेक बिन्दुओं का जिक्र करूंगा जिन पर 'आर्थिक सर्वेक्षण' में कुछ बातें कही गयी थीं, लेकिन बजट में जिक्र नहीं था। वे हैं: प्रति सप्ताह कार्य घंटे 48 से बढ़ाकर 60 किए जाएं और प्रतिदिन के कार्य घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे किए जाएं; कोयला खानों का निजीकरण किया जाए, पुराने तेल क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिए जाएं; चीनी, उर्वरक, भेषजों का विनियंत्रण; ब्रांडेड उत्पादों में खुदरा और विदेशी इक्विटी को 100 प्रतिशत तक प्रोत्साहित किया जाए; वित्तीय घाटे और ब्याज दर को कम किया जाए।

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि कृषि के आधुनिकीकरण की बाधाएं समाप्त की जाएं; बिजली क्षेत्र में मुक्त उपागम; दिवालियापन के लिए कानून लागू किया जाए, आदि।

मैंने सोचा था कि बजट में इन सब बातों का जिक्र होगा। लेकिन इन सब के लिए हमें एक अनुपूरक बजट की प्रतीक्षा करनी होगी। यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

*श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): महोदय, देश के वित्त मंत्री ने वर्ष 2008-09 के लिए अपना जो बजट पेश किया है और वाह-वाही जुटाने के लिए आम जनता की आंखों में धूल झोंक कर लोगों को भ्रमित करने का जो काम किया है इसके लिए आम आदमी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं मेरे कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं:-

आज अपने देश के गांव टूटते जा रहे हैं। गांव बिखर रहे हैं लोग गांवों को छोड़ कर शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। आज गांवों के अंदर लड़का हो या लड़की, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, कोई भी गांव में रहने के लिए तैयार नहीं है। आज ऐसी स्थिति खड़ी क्यों हुई है। कुछ सालों को छोड़ कर अधिकतर वर्षों तक पूरे देश में और राज्यों में कांग्रेस का शासन रहा है। अपना हाथ गरीब के साथ का नारा देने वाली, गरीबों की गरीबी मिटाने की बात करने वाली कांग्रेस की सारी बातें आजादी के 60 सालों के बाद भी खोखली लग रही है। कांग्रेस ने अपने हर बजट में आम जनता को लुभावनी बातों के अलावा और कुछ नहीं दिया तभी तो देश के अंदर जो विकास होना चाहिए, आम जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए, शहर और गांव जितने खुशहाल होने चाहिए उस सबके बदले आज दुख ही देखने को मिलता है और देश के वित्त मंत्री देश के अंदर भिन्न-भिन्न योजनायें बना कर "दिन में आसमान के तारे दिखा" रहे हैं जैसे कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्या गांव के अंदर प्रत्येक परिवार को 100 दिन के लिए रोजगार मिल रहा है? क्या गांव के गरीब मजदूर को सही रोजगार मिल रहा है या बड़ी-बड़ी योजनाओं के घोड़े केवल कागज पर ही दौड़ाये जाते हैं? पिछले बजट में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 100 जिले पसंद किये गये थे और इस बजट में देश के सभी जिलों में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है। लेकिन 100 जिलों के लिए जो धनराशि आवंटित की गई थी उससे पांच गुना धनराशि 500 जिलों के लिए आवंटित करनी चाहिए थी। इस बार 16 हजार करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। अगर सही कार्य करना है तो सरकार को एक लाख हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी।

माननीय वित्त मंत्री जी ने 2007-08 के बजट में वायदा किया था कि शहरों में रहने वाले लोगों के लिए हम रोजगार उपलब्ध करायेंगे। क्या शहर में रहने वाले नवयुवकों को रोजगार मिला है। क्या मजदूरी करने वाले मेहनतकश लोगों को मजदूरी मिल रही है। आज भी हजारों की तादात में टर्नर, फिटर, वैल्डर, कारपेंटर, मकान के काम से जुड़े हुए मजदूर रोजी-रोटी की तलाश में नुक्कड़ पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। जब उसे काम नहीं मिलता तो दोपहर को दुखी होकर वह अपने घर लौटता है। आपने तो अपने बजट में इन मजदूरों को आस बंधाई लेकिन वह आशा सफल नहीं हुई। इसी तरह पूरे देश के अंदर टैक्सटाइल मिलों का बोलबाला था। लाखों मजदूर मिलों में काम करते थे और आज देश की अधिकतर मिलें बन्द हैं और उनमें काम करने वाला मजदूर बेबस होकर दर-दर की ठोकर खा रहा है और हर रोज उठ कर मिल के सामने देखता है और सोचता है कि कब चिमनी से धुंआ निकलेगा? चिमनी से धुंआ निकलना तो दूर हुआ बल्कि चिमनी को तोड़ कर मिलों को बंद कर उसी जमीन पर बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने के लिए जमीन बेची जा रही है। क्या कभी कांग्रेस सरकार ने सोचा है कि मिल के मजदूरों की हालत क्या होगी? वो किस तरह सुबह और रात अपने बच्चों को पालते होंगे?

आज देश में स्माल स्केल इंडस्ट्री भी धीरे-धीरे बंद होती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन से उसे टिकना मुश्किल हो गया है। बड़ी-बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों के सामने स्केल इंडस्ट्री अपने पांव नहीं जमा सकती। उसे बचाने के लिए कंपीटेंट बनाने के लिए उसे और अधिक आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता है। आज देश के सामने ऑटोमेटिक मशीनरी बढ़ रही है परिणामस्वरूप जहां 100-100 लोग काम कर रहे थे वहां आज पांच या दस आदमियों से काम चल जाता है इसलिए देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। देश के नवयुवकों को बेकारी से बचाना होगा। उनके लिए नया रोजगार खोजना पड़ेगा। आज का बालक कल का भारत है और कल का भारत समृद्ध, शक्तिशाली एवं विकासशील हो,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इसलिए हमें पढ़े-लिखे लोगों का उत्साह बढ़ाना होगा। आज वो नौकरी के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। तो इस तरह से मजदूरों की हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। गांव में खेतों में मजदूरी करने वाले खेत मजदूर को भी उचित रोजगार नहीं मिल रहा है। उसका भी शोषण हो रहा है। साहूकार से उसे बड़े ब्याज पर उधारी लेनी पड़ती है और समय पर अपना ऋण अदा न करने पर उसे साहूकारों की मार और अपमान झेलना पड़ता है और एक दिन ऐसा आता है कि वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। परिणामस्वरूप दिन-प्रतिदिन देश में किसानों की आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जब चिड़िया खेत चुग जाती है तब हमारे वित्त मंत्री जी उनके दुख दूर करने के लिए बड़े-बड़े पैकेज घोषित करते हैं। लेकिन जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, उनका क्या? उसके लिए कौन जिम्मेवार है?

आज देश के अंदर शिक्षा भी महंगी होती जा रही है। एम.बी.बी.एस., इंजीनियर या एम.बी.ए. के लिए बड़ी-बड़ी फीस देनी पड़ती है। होशियार विद्यार्थियों का बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलता।. लाखों का डोनेशन मांगा जाता है। गरीब और आम जनता ये डोनेशन कहां से लायेगी? दूसरी ओर फाइव स्टार जैसी ऐजूकेशन संस्थायें बढ़ रही हैं। बड़े-बड़े लोग अपने बच्चों को वहां एडमिशन दिला कर पढ़ाते हैं और गरीब और अमीर के बीच में पढ़ाई का फासला भी बढ़ रहा है। ये फासला कम करने की आवश्यकता है। हर किसी को एक समान शिक्षा का लाभ मिले, ऐसा प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

आज भी देश में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। आज भी वहां तालाब और कुंओं से पानी पीया जाता है। गुजरात जैसे भाग्यशाली राज्य इस देश में बहुत कम हैं क्योंकि आज गुजरात में नर्मदा योजना के कारण और नहरों के कारण गांव-गांव में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां देश के बहुत सारे शहरों में आज भी अंधेरा है वहीं गुजरात के प्रत्येक गांव में बिजली दे कर गांव वालों को बेकारी और अंधेरे से बचाया है। मेरा अनुरोध है कि गुजरात की तरह देश के अन्य सभी राज्यों और गांवों में बिजली की पूर्ति दी जाये।

देश का विकास हुआ है। आबादी बढ़ी है और आबादी के साथ-साथ बहुत सारी परेशानियां भी बढ़ी हैं लोग भिन्न-भिन्न रोगों से पीड़ित हैं। आज गांव में अस्पताल नहीं हैं। वे अपनी दवाई के लिए परेशान हैं तो दूसरी ओर शहरों में फाईव स्टार अस्पताल बन रहे हैं। इन अस्पतालों में आम जनता को दवाई के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आम जनता के लिए भी गांव और शहरों में सभी सुविधाओं के साथ अधिक संख्या में अस्पताल बनाये जायें।

अंत में माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि देश में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों और छात्राओं के लिए अधिक से अधिक बोर्डिंग स्कूल खोले जायें। उनको दी जाने वाली स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की जाये। बड़ी-बड़ी संस्थाओं में जो फीस भरी जाती है वह डायरेक्ट सरकार के द्वारा ही इंस्टीट्यूट दी जाये। विदेश में पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता दी जाये। बैंकों से ऋण लेने में जो मुश्किलें पड़ती हैं, उनको दूर किया जाये यानि कि खुद की गारंटी पर लोन दिया जाये एवं सभी बेकार नवयुवकों को उचित भत्ता दिया जाये। शहरों में झुग्गी-झोपड़ी की जगह पर अच्छे पक्के और सुविधाजनक मकान बनाये जायें। बहनों के लिए अलग से शिक्षण संस्थायें खोली जायें। सीनियर सिटीजन के लिए अधिक से अधिक ओल्ड होम्स बनाये जायें और अमरीका की तरह सोशल सिक्यूरिटी दी जाये। कानून में परिवर्तन लाकर उनके अंतिम जीवन तक उन्हें आर्थिक सहायता मिलती रहे, ऐसा प्रावधान किया जाये। अनाथ बालकों के लिए मातरू संस्थायें बनाई जायें। मंद बुद्धि एवं अपाहिज बच्चों के लिए अधिक से अधिक संस्थायें खोली जायें और अगर किसी परिवार के मुखिया का आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसके परिवार को जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। इन सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए बजट में योग्य धनराशि की व्यवस्था की जाए।

अपराह्न 5.42 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य
हैदराबाद और बंगलौर विमानपत्तन

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, मैं श्री प्रफुल पटेल, जिन्होंने सुबह तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी थी, से मौजूदा हैदराबाद और बंगलौर हवाई अड्डों के बारे में वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): महोदय, निर्देशानुसार मैं हैदराबाद और बंगलौर हवाई अड्डों के बारे में वक्तव्य देना चाहता हूं।

आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की सरकारों ने 1990 के दशक में क्रमशः हैदराबाद तथा बंगलौर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के अनुरोध के साथ केन्द्र सरकार से संपर्क किया था। ऐसा मौजूदा हवाई अड्डों पर यातायात में वृद्धि तथा बाध्यताओं की वजह से किया गया था।

वर्ष 2000 में अवसंरचना संबंधी कार्यबल ने बंगलौर तथा हैदराबाद में नए हवाई अड्डों का निर्माण करने और एक बार नए हवाई अड्डों के प्रचालनरत हो जाने पर मौजूदा हवाई अड्डों को बंद करने की सिफारिश की। इस सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। यह निर्णय नए हवाई अड्डों की वित्तीय साध्यता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया था।

राज्य सरकारों ने इन परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से क्रियान्वित करने का निर्णय लिया और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए निजी भागीदारों का चयन किया। परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना की गई जिनमें 74 प्रतिशत इक्विटी निजी कंपनियों की तथा 13-13 प्रतिशत इक्विटी संबंधित राज्य सरकारों और भा.वि.प्रा. की थी। भारत सरकार ने वर्ष 2004 में संयुक्त उद्यम कंपनियों (जे.वी.सी.) के साथ एक रियायत करार किया। रियायत करारों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जे.वी.सी. के दायित्वों को शामिल किया गया था और उनसे अपेक्षा की गई थी कि वे इन करारों में निर्धारित मानकों के अनुसार हवाई अड्डों का निर्माण, विकास तथा अनुरक्षण करें। अपनी ओर से भारत सरकार एक बार नए हवाई अड्डों के प्रचालनरत हो जाने के बाद मौजूदा हवाई अड्डों पर सभी प्रकार के वाणिज्यिक नागर विमानन प्रचालनों को बंद करने के लिए बाध्य है। रियायत करार में प्रत्येक पक्ष द्वारा हुई चूक के परिणामों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

हैदराबाद तथा बंगलौर के मौजूदा हवाई अड्डे सामान्य विमानन, रक्षा प्रयोजनों, राष्ट्रीय आपात स्थितियों आदि के लिए प्रचालनरत रहेंगे। इसके अतिरिक्त इन हवाई अड्डों पर भा.वि.प्रा. के कर्मचारियों के हितों की पूर्ण रक्षा की जाएगी।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि नए हवाई अड्डों पर सुरक्षा, आप्रवास, कस्टम तथा हवाई यातायात नियंत्रण जैसी सभी आरक्षित गतिविधियां सरकार के नियंत्रण में बनी रहेंगी।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-8225/2008]

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। आप पूर्व सूचना दे सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। नहीं मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि नियम इसकी अनुमति नहीं देते।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठे रहिए। हम सभी जानते हैं कि सभा नियमों के अंतर्गत कार्य कर रही है। नियम मंत्री द्वारा दिए वक्तव्य पर चर्चा की अनुमति नहीं देते।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मेरा आपसे यह कहना है कि आप पूर्व सूचना दे सकते हैं; नई सूचना दी जा सकती है और उस पर चर्चा हो सकती है। चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं। जब बजट पर चर्चा चल रही हो तो अन्य किसी चर्चा की अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। मैं निश्चित तौर पर आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। मुझे इस विषय पर चर्चा कराने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु नियम इसकी अनुमति नहीं देते? हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बजट चर्चा के बीच में किसी अन्य चर्चा की अनुमति नहीं है। मैं नियमों से परे नहीं जा सकता।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुझे खेद है। मैं आपकी भावनाओं

को समझ सकता हूं। जब तक मैं यहां हूं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुझे खेद है। यह अनुमत्य नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अभी हम सामान्य बजट पर चर्चा कर रहे हैं। यदि आप इसकी पूर्व सूचना देते हैं, तो प्रातः इस पर चर्चा की जा सकती है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया इतना गलत पूर्वोदाहरण प्रस्तुत न करें। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यदि बजट चर्चा के मध्य में किसी अन्य मामले पर चर्चा की अनुमति दूंगा तो यह बहुत गलत मिसाल होगी। आपके लिए मैं गलत मिसाल नहीं दूंगा। इस पर सरकार का क्या रुख है?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया मंत्री महोदय को बोलने दें। कृपया सभा के नेता को बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि नियम में कोई व्यतिक्रम होगा तो मैं सभा के नेता से इस विषय में परामर्श करूंगा।

...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, यदि माननीय सदस्यगण मेरी बात सुनने में रुचि रखते हैं, तो मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि प्रातः उठायी गयी मूल समस्या यह है कि सदस्यों द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार यदि 16 मार्च को गतिविधियां शुरू होंगी तो विमानपत्तन कार्यसंचालन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है और इससे यात्रियों को कठिनाई हो सकती हैं...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था। जैसा कि माननीय सदस्यों ने मांग की थी कि मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें, उन्होंने स्थिति के बारे में बता दिया है, दोनों पक्षों की ओर से संविदागत बाध्यताएं हैं। यदि कोई अन्य सूचना दी जानी है तो मंत्री महोदय स्थिति बता देंगे। जैसा कि मैं समझता हूं कि इसमें शामिल सभी पक्ष न्यायालय में गए हैं। अब यह मामला न्यायालय के अधीन है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई अतिरिक्त सूचना माननीय सदस्यों को दी जानी होगी - उनके द्वारा अभिव्यक्त इन सभी चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए कि यदि इस पर शीघ्र 16 तारीख से कार्य संचालन शुरू किया जाता, तो यात्रियों और आम आदमी को कठिनाई हो सकती है - यह सूचना अभी एकत्रित की जानी है। इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। हम मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकते। यह इस सभा की परिपाटी नहीं है। कुछ सदस्यों की मांग पर हम जब चाहें नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और सरकार इसमें भागीदारी नहीं कर सकती...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं किसी भी सदस्य को अनुमति नहीं दे सकता। तब सभी सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहेंगे। तब सारी बजट चर्चा में फेरबदल करना होगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि आप अपने-अपने स्थानों पर नहीं जायेंगे तो मैं सभा स्थगित कर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: केवल श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों का भाषण ही कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आप पूर्व सूचना दे सकते हैं। हम इस पर कल चर्चा कर सकते हैं। बजट पर चर्चा के दौरान इस पर चर्चा कराया जाना सम्भव नहीं है। यदि इस मुद्दे पर अभी चर्चा की जाएगी, तो मुझे आप सभी को अनुमति देनी होगी जो कि एक अन्य चर्चा है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बजट पर चर्चा चल रही है। अतः मैं आपको किसी अन्य विषय पर चर्चा की अनुमति कैसे दे

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[सभापति महोदय]

सकता हूं? यह सम्भव नहीं है। हम सामान्य बजट पर चर्चा कर रहे हैं।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। यदि किसी एक व्यक्ति को अनुमति दूंगा तो मुझे सबको अनुमति देनी पड़ेगी। यह नियमों और प्रक्रिया के विरुद्ध है। अतः कृपया मुझे सामान्य बजट पर चर्चा जारी रखने दें। अन्यथा, मुझे सभा स्थगित करने को बाध्य होना पड़ेगा।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: मेरे विद्वान मित्रों, आप इस मुद्दे को कल उठा सकते हैं।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, और आप अपनी जगह ठीक हैं, परन्तु इस समय चर्चा कराना संभव नहीं है।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: एक चर्चा के बीच कोई अन्य चर्चा नहीं हो सकती।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: यदि आप अनुमति देंगे, तो हम कार्यवाही जारी रखेंगे अन्यथा मैं सभा को स्थगित कर दूंगा तब 'शून्यकाल' और अन्य सभी विषय समाप्त हो जाएंगे।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: हम नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते। हम अभी सामान्य बजट पर चर्चा कर रहे हैं।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया मुझे सभा की कार्यवाही चलाने की अनुमति दें।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप सभी जानते हैं कि हम अभी चर्चा कर रहे हैं। हम अन्य चर्चा कैसे चला सकते हैं। यह सम्भव नहीं है।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: कोई भी इसकी अनुमति नहीं दे सकता। हम सामान्य बजट पर चर्चा कर रहे हैं और इसके बीच में मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है। अतः आप चर्चा के लिए पूर्व सूचना दे दें। हम अभी चर्चा नहीं करा सकते।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: यदि आप पूर्व सूचना देंगे तो इस पर चर्चा करायी जा सकती है।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: कृपया मुझे सभा की कार्यवाही चलाने की अनुमति दें।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: अब सभा कल 13 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 13 मार्च, 2008/23 फाल्गुन, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री सुग्रीव सिंह श्री नन्द कुमार साय	181
2.	डा. आर. सेनथिल	182
3.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री हेमलाल मुर्मू	183
4.	श्रीमती रूपाताई डी. पाटील श्री हंसराज गं. अहीर	184
5.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री हरिसिंह चावड़ा	185
6.	श्री अनन्त नायक	186
7.	श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे श्री तुकाराम गंगाधर गदाख	187
8.	श्री मनोरंजन भक्त	188
9.	श्री पी. करूणाकरन श्रीमती पी. सतीदेवी	189
10.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	190
11.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	191
12.	श्री आलोक कुमार मेहता श्री राम कृपाल यादव	192
13.	श्री स्वदेश चक्रवर्ती श्री हन्नान मोल्लाह	193
14.	श्री पुन्नूलाल मोहले	194
15.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी श्री किसनभाई वी. पटेल	195
16.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री गुरुदास दासगुप्त	196
17.	श्री एस. अजय कुमार	197
18.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	198
19.	श्री अजय चक्रवर्ती श्री संतोष गंगवार	199
20.	श्री जुएल ओराम श्री गिरधारी लाल भार्गव	200

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	1803
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	1813, 1887
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1799, 1841, 1867, 1893
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1782
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1820, 1880
6.	अंगडि, श्री सुरेश	1758, 1875
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	1805, 1852, 1863
8.	आठवले, श्री रामदास	1793
9.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	1785
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1812, 1821, 1881, 1990
11.	बर्मन, श्री हितेन	1746, 1860
12.	बर्मन, श्री रनेन	1738
13.	बखला, श्री जोवाकिम	1832
14.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	1798, 1859

1	2	3
15.	मगोरा, श्री महावीर	1794, 1853
16.	मक्त, श्री मनोरंजन	1830, 1886, 1899
17.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1738, 1747
18.	बोस, श्री सुब्रत	1739, 1824, 1877
19.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	1764, 1847
20.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	1799
21.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	1844
22.	चन्द्र कुमार, प्रो.	1814
23.	चौरे, श्री बापू हरी	1736
24.	चौधरी, श्री अधीर	1801
25.	देव, श्री बिक्रम केशरी	1816
26.	देवरा, श्री मिलिन्द	1753, 1829, 1907
27.	धनराजू, डा. के.	1807
28.	धोत्रे, श्री संजय	1736
29.	दूबे, श्री रमेश	1772
30.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	1907
31.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1755, 1756, 1784, 1749, 1890
32.	गांधी, श्रीमती मेनका	1797, 1858, 1892
33.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	1761, 1783, 1855
34.	जगन्नाथ, डा. एम.	1837
35.	जैन, श्री पुष्प	1772
36.	जयाप्रदा, श्रीमती	1769, 1846
37.	जिन्दल, श्री नवीन	1791
38.	जोगी, श्री अजीत	1800
39.	जोशी, श्री प्रहलाद	1810
40.	करुणाकरन, श्री पी.	1840
41.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	1812
42.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1791, 1852, 1891, 1902
43.	खन्ना, श्री अविनाश राय	1740, 1772
44.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1738, 1827, 1874, 1893
45.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1744, 1776, 1823, 1876
46.	कोया, डा. पी.पी.	1809
47.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	1854
48.	कृष्णा, श्री विजय	1817, 1871
49.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	1783
50.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1761, 1792
51.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1815, 1868, 1894
52.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	1775, 1845
53.	महरिया, श्री सुभाष	1784, 1787, 1833
54.	महताब, श्री भर्तृहरि	1841, 1885
55.	महतो, श्री टेक लाल	1766, 1855
56.	मंडल, श्री सनत कुमार	1750, 1850
57.	माने, श्रीमती निवेदिता	1755, 1756, 1784, 1849, 1890

1	2	3
58.	मनोज, डा. के.एस.	1907
59.	मसूद, श्री रशीद	1777
60.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	1795
61.	मेघवाल, श्री कैलाश	1736, 1831
62.	मेहता, श्री आलोक कुमार	1843
63.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1780
64.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	1802
65.	मोहन, श्री पी.	1832, 1883
66.	मोल्लाह, श्री हन्नान	1844
67.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1769, 1836, 1864
68.	नन्दी, श्री अमिताभ	1788
69.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	1767
70.	नायक, श्री अनन्त	1839, 1866, 1885, 1898
71.	निखिल कुमार, श्री	1760, 1846, 1888
72.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	1754, 1768, 1860, 1873
73.	ओराम, श्री जुएल	1870, 1895
74.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1837, 1884, 1897, 1905
75.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	1906, 1908
76.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1771
77.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1741, 1851
78.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1737, 1844
79.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1835, 1882, 1896, 1904

1	2	3
80.	पाठक, श्री हरिन	1804, 1872
81.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	1763, 1865
82.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1838
83.	रामदास, प्रो. एम.	1757
84.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1742, 1862
85.	राणा, श्री काशीराम	1774
86.	राव, श्री के.एस.	1745
87.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1803, 1862
88.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1808
89.	रावले, श्री मोहन	1735, 1773
90.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	1748, 1825, 1878
91.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	1759, 1834
92.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1786
93.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1833
94.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	1819
95.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1774
96.	रिजीजू, श्री कीरेन	1741
97.	साई प्रताप, श्री ए.	1888
98.	साय, श्री नन्द कुमार	1835, 1874, 1896, 1908
99.	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी	1818
100.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1734, 1758, 1779
101.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	1751, 1828
102.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	1969
103.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1770, 1861

1	2	3
104.	सेनथिल, डा. आर.	1836
105.	शर्मा, श्री मदन लाल	1796, 1803, 1857
106.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1799, 1841, 1867, 1893
107.	शिवन्ना, श्री एम.	1775, 1845
108.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1757
109.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1749, 1826, 1852, 1879
110.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1811
111.	सिंह, श्री दुश्यंत	1896
112.	सिंह, श्री गणेश	1799
113.	सिंह, श्री मोहन	1781
114.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1906
115.	सिंह, श्री रेवती रमन	1762
116.	सिंह, श्री सुग्रीव	1835, 1882, 1896, 1904
117.	सिंह, श्री सूरज	1790, 1792
118.	सिंह, श्री उदय	1769
119.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	1743, 1822
120.	सुब्बारायण, श्री के.	1856
121.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	1752

1	2	3
122.	सुमन, श्री रामजीलाल	1761, 1790
123.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1806, 1907
124.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1812
125.	थामस, श्री पी.सी.	1789
126.	तुम्मर, श्री वी.के.	1811
127.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	1741, 1851
128.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1842, 1874, 1887, 1903
129.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1765, 1848, 1889, 1901, 1907
130.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1778, 1869
131.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1799, 1841, 1867, 1893
132.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	1755, 1756, 1784, 1849 1890
133.	यादव, श्री गिरिधारी	1838
134.	यादव, श्री राम कृपाल	1843
135.	यास्खी, श्री मधु गौड	1755, 1756, 1784, 1890, 1893
136.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1772

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री		
परमाणु ऊर्जा	:	186, 191
कोयला		199
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास		
पर्यावरण और वन		182, 183, 185, 190, 194, 195, 198
विदेश		
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		181, 187, 192, 196, 197
प्रवासी भारतीय कार्य		
पंचायती राज		
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन		
योजना		
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग		188, 189, 200
अंतरिक्ष		
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन		
युवक कार्यक्रम और खेल		184, 193.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री		
परमाणु ऊर्जा		1757, 1798, 1855, 1859
कोयला	:	1745, 1758, 1771, 1813, 1877. 1887, 1891, 1902
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	1751, 1808
पर्यावरण और वन		1743, 1746, 1750, 1755, 1766, 1770, 1773, 1777, 1781, 1785, 1789, 1791, 1797, 1800, 1803, 1814, 1816, 1819, 1824, 1826, 1828, 1834, 1835, 1840 1841, 1846 1851, 1857, 1858, 1865, 1878, 1880, 1881, 1884, 1885, 1892, 1895, 1898
विदेश		1735, 1737 1760, 1772, 1801, 1802, 1863, 1872, 1874, 1875, 1903

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		1741, 1742, 1744, 1747, 1752, 1756, 1763, 1768, 1774, 1776. 1779, 1780, 1782, 1784, 1786, 1793, 1794, 1795, 1796, 1799. 1805, 1806, 1815, 1817, 1820, 1829, 1838, 1842, 1847, 1848, 1849, 1853, 1854, 1856, 1866, 1868, 1870, 1871, 1874, 1883, 1888, 1889, 1890, 1901, 1906, 1908
प्रवासी भारतीय कार्य		1734, 1740, 1754, 1893. 1907
पंचायती राज		1821, 1825, 1830
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	1753, 1762, 1792, 1833, 1836, 1869
योजना		1736, 1759, 1764, 1765, 1767, 1769, 1790, 1807, 1810, 1811, 1827, 1831, 1837, 1861, 1867, 1896, 1899, 1904
पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग		1738, 1739, 1748, 1749, 1775, 1778, 1783, 1804, 1809, 1812, 1818, 1822, 1839, 1843. 1845, 1850, 1852, 1860, 1862, 1864, 1876, 1879, 1882
अंतरिक्ष		1788, 1823, 1894, 1905
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन		1761, 1832, 1886
युवक कार्यक्रम और खेल		1787, 1844, 1897, 1900

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।